चतुर्दश माला, खंड 26, अंक 11

सोमवार, 12 मार्च, 2007
21 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc. No. 62
Dated 4 Feb 2008

(खण्ड 26 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 11, सोमवार, 12 मार्च, 2007/21 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
नार्वे के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 185 से 187, 190 और 191	2-61

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 184, 188, 189 और 192 से 200	61-101
अतारांकित प्रश्न संख्या 1702 से 1805 और 1807 से 1832	101-349
सभा पटल पर रखे गए पत्र	350-358
राज्य सभा से संदेश	358

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (2005-06) और उन्नीसवें प्रतिवेदन (2006-07) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	358-360

(दो) 12 मार्च, 2007 को काउरू, फ्रेंच गुयाना से इनसैट-4 बी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

श्री पृथ्वीराज चव्हाण	360

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

काउरू, फ्रेंच-गुयाना से इनसैट-4 बी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण . .	361

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	361
विशेषाधिकार के हनन संबंधी प्रश्न की सूचना के बारे में	363-370

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के नाथम शहर में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन	371

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) गुजरात के बनासकांठा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु सहकारी समितियों को प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा 372

(तीन) स्टरलाईट कम्पनी से बेरोजगार हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दूबे 373

(चार) नई दिल्ली में आधुनिक पुष्प बाजार एवं नीलामी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह 373

(पांच) तिब्बत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कलिम्पोंग को पारगमन स्थल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला 374

(छह) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रधानाचार्य/आईटीआई के पद पर भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 375

(सात) अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य को व्यापक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू 375

(आठ) "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के तहत राजस्थान में लम्बित विद्युत परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा 376

(नौ) केन्द्रीय पूल से छत्तीसगढ़ को विद्युत आपूर्ति का आवंटित कोटा पुनः बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले 377

(दस) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर 377

विषय **कॉलम**

(ग्यारह) राजस्थान के जयपुर में मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि तथा एल.पी.जी. की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 378

(बारह) देश में इंजीनियरिंग कॉलेज और आई आई टी खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुधांशु सील 378

(तेरह) केरल के तेल्लीचेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर तेल्लीचेरी-माहे बाइपास को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी 379

(चौदह) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड में किसानों को सूखा और ओलावृष्टि से हुई क्षति के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 379

(पंद्रह) गांगुली समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नर्सरी कक्षा में प्रवेश के मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पारसनाथ यादव 380

(सोलह) बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के अंतर्गत आर ओ बी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा 381

(सत्रह) महाराष्ट्र में मनमाड़ और मुदखेड़ के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील 381

(अठारह) झारखंड में पुलिस ज्यादतियों की शिकार जनजातीय महिलाओं को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू 382

(उन्नीस) वर्ष 2004-05 में लागू किए गए व्यापक ऋण राहत पैकेज के अन्तर्गत दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि के दौरान किसानों के बकाया ऋणों पर लगाए गए ब्याज को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री किन्जरपु येरननायडु 382

विषय कॉलम

(बीस) दिल्ली में एक बौद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने तथा डा. बी.आर. अम्बेडकर स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 383

सामान्य बजट, 2007-2008—सामान्य चर्चा

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 384

श्री के.एस. राव 403

श्री पी. करुणाकरन 417

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 423

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 434

श्री तथागत सत्पथी 448

डा. सत्यनारायण जटिया 453

श्री एस.के. खारवेनथन 462

श्री शैलेन्द्र कुमार 465

श्री बिक्रम केशरी देव 473

श्री वी.के. ठुम्मर 479

डा. करण सिंह यादव 483

श्री सुभाष महरिया 488

श्री फ्रांसिस फैन्थम 492

श्री निहाल चन्द 497

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-2007 434

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 503-504

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 504-508

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 509-510

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 509-510

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 12 मार्च, 2007/21 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

नार्वे के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

सभा के माननीय सदस्यों की तरफ से सभा अपनी ओर से मुझे महामहिम श्री थोर्बजॉर्न जागलैंड, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टोर्टिंग ऑफ द किंगडम ऑफ नार्वे तथा नार्वे के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर हैं, का स्वागत करने में मुझे हार्दिक खुशी है।

वे रविवार, 11 मार्च 2007 को भारत आए। वे अब 'स्पेशल बॉक्स' में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखी एवं सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम महामहिम किंग हेराल्ड V, द स्टॉर्टिंग तथा किंगडम ऑफ नार्वे के दोस्ताना लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

आपका स्वागत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न काल शुरू होता है।

प्रश्न संख्या 181 — श्री रघुराज सिंह शाक्य — उपस्थित नहीं।
श्री दानवे रावसाहेब पाटील — उपस्थित नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 182 — श्री इलियास आजमी — उपस्थित नहीं।
प्रश्न संख्या 183 — श्री थावरचंद गहलोत — उपस्थित नहीं।
श्री संजय धोत्रे — उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 184 — श्री रायापति सांबासिवा राव — उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 185, श्री अब्दुल रशीद शाहीन — उपस्थित नहीं। श्री महावीर, भगोरा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूजल स्तर में गिरावट

+

*185. **श्री महावीर भगोरा :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लगातार गिरते भूजल स्तर के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है;

(घ) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कम्पनियां बिना किसी पूर्व अनुमति के अपने उपयोग के लिए अवैध रूप से पानी निकालने में संलग्न हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने रूफ टाप रेन वाटर हारवेस्टिंग के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से देश में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए और अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (झ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सी०जी०डब्ल्यू०बी०) क्षेत्रीय आधार पर भूजल सर्वेक्षण, अन्वेषण और भूजल स्तरों की मॉनीटरिंग करता है। सी०जी०डब्ल्यू०बी० ब्लाक/मंडल/तालुका स्तर पर राज्य सरकारों के परामर्श से भूजल संसाधन का आकलन भी करता है। 2004

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में किए गए भूजल संसाधनों के नवीनतम आकलन के अनुसार 5723 आकलन यूनिटों (ब्लाक/मंडल/तालुका) 839 यूनिटें 'अतिदोहित' हैं (जहां पर मानसून पूर्व अथवा मानसून के पश्चात दोनों में भूजल स्तर के रूझान में पर्याप्त गिरावट सहित भूजल का 100% से अधिक दोहन हुआ है), 226 यूनिटें 'गंभीर' (जहां पर मानसून पूर्व अथवा मानसून के पश्चात दोनों में जल स्तर के रूझान में दीर्घावधिक गिरावट सहित भूजल का 90% से 100% से अधिक दोहन हुआ है) भूजल स्तर में गिरावट के रूझान वाले ब्लाकों/मंडलों/तालुकों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को भूजल सर्वेक्षण और अन्वेषण के माध्यम से तैयार किए गए वैज्ञानिक आंकड़े प्रदान किए गए हैं जिनसे उन्हें भूजल संसाधन की आयोजना और उपयोग और प्रबंधन में मदद मिलती है। 'जल' राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्यों में भूजल स्तरों में गिरावट को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व संबंधी राज्य सरकारों का है। तथापि, सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर देश में भूजल स्तरों में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:—

(i) भूजल स्तरों में गिरावट के रूझान को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र विशेष के लिए कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक मैनुअल का परिचालन।

(ii) "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना" नामक एक संकल्पना रिपोर्ट की तैयारी।

(iii) भूजल प्रबंधन और विकास को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण का गठन।

(iv) वर्ष 2006-07 के दौरान 12 करोड़ रुपये की कुल लागत से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा "वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक प्रदर्शनात्मक स्कीम प्रारंभ की गई है। "भूजल सर्वेक्षण, अन्वेषण और जांच" संबंधी निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत एक स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(v) केन्द्र सरकार ने सभी दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना का प्रचार-प्रसार करने और इसे अपनाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद" का गठन किया है। इस सलाहकार पषिद में वर्षा जल संचयन से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपमक्रमों तथा गैर सरकारी संगठनों और प्रख्यात विषय विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व है।

(घ) और (ङ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनियों सहित उद्योगों द्वारा भूजल की निकासी को विनियमित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथापि, उद्योगों द्वारा भूजल निकासी का विनियमन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए गए हैं:

(i) केन्द्रीय मंत्रालय ने भूजल के संबंध में कानून के अधिनियमन और कार्यान्वयन में राज्यों की मदद करने के वास्ते वर्ष 1970, 1992, 1996 और 2005 में राज्यों को भूजल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के संबंध में एक माडल बिल परिचालित किया है।

(ii) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण (सी०जी०डब्ल्यू०ए०) मामला दर मामला आधार पर अतिदोहित/समस्याग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति शीतल पेय कंपनियों सहित नये उद्योगों द्वारा भूजल की निकासी को विनियमित कर रहा है।

(च) और (छ) सी०जी०डब्ल्यू०ए० केन्द्र/राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/रेजिडेंट वेल्फयर एसोसिएशनों/शैक्षिक संस्थानों/उद्योगों और व्यक्तियों को शामिल करते हुए पूरे देश में जनजागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देता है। सी०जी०डब्ल्यू०ए० ने अब तक 207 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 290 जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्ष 2006-07 के दौरान 26 जनजागरूकता कार्यक्रम और 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) केन्द्र सरकार ने देश में भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए कई अन्य उपाय भी प्रारंभ किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

— जल संसाधन मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/रेल, रक्षा, डाक, दूरसंचार, विभागों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अपने नियंत्रणाधीन भवनों में छत के वर्षा जल संचयन संबंधी संरचनाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है।

— ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एक प्रदर्शनात्मक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। जिसके अंतर्गत राज्यों में पेयजल और बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के लिए निर्मित टायलटों में उपयोग के लिए वर्षा जल एकत्र करने के वास्ते छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया गया है।

- केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निदेश दिया है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी अति दोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन निर्माण उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की दिशा में सभी उपाय करें।

- केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद में आधसूचित क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, होटलों, उद्योगों फार्म हाउसों, आदि को निदेश जारी किए हैं जहां पर जल स्तर भू सतह से 8 मीटर नीचे है।

अनुबन्ध

भूजल स्तरों में गिरावट का रूझान दर्शाते हुए ब्लाकों/मंडलों/तालुकों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	296 मण्डलों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
2.	दिल्ली	7 जिलों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
3.	गुजरात	43 तालुकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
4.	हरियाणा	66 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
5.	कर्नाटक	68 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
6.	केरल	20 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
7.	मध्य प्रदेश	29 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
8.	महाराष्ट्र	8 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
9.	पंजाब	108 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
10.	राजस्थान	190 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
11.	तमिलनाडु	175 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
12.	उत्तर प्रदेश	50 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
13.	उत्तरांचल	2 ब्लाकों के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
14.	पश्चिम बंगाल	1 ब्लाक के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
15.	दमन एवं द्वीव	1 ब्लाक के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया
16.	पांडिचेरी	1 ब्लाक के पृथक-पृथक पाकेटों में गिरावट का रूख देखा गया

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में दिया गया है कि 2004 में किए गए भूजल संसाधनों के नवीनतम आकलन के अनुसार 5723 आकलन यूनिटों (ब्लाक/मंडल/तालुका) 839 यूनिटें अतिदोहित हैं। 226 ब्लॉकों में 90 से 100 प्रतिशत भूमि जल का दोहन हुआ है। इसमें दिए आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश के बाद, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 190 ब्लॉकों में भूमि जल में दोहन के कारण बराबर गिरावट आ रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण योजना में अब तक कुल कितनी राशि राजस्थान के लिए व्यय की जा चुकी है। एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कितने ब्लॉकों हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : अध्यक्ष महोदय, राशि देने का सवाल नहीं है, सवाल है कि देश के कई भागों में वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है जो बहुत चिन्ता की बात है। माननीय सदस्य ने अभी जो आंकड़े पेश किए हैं, वे सही हैं। पूरे मुल्क के रीजनल ऑफिसेज़ में यह काम जारी रहता है। यह रुकने वाला काम नहीं है और मुसलसल होता है। हमारे 18 रीजनल ऑफिसेज़ हैं और 15553 कुंए हैं, उन्हें ऑब्जर्वेशन वेल्स कहा जाता है। यह कार्य लगातार होता है। जहां-जहां वाटर लेवल नीचे होता है, हम उसके आंकड़े भेजते हैं। मुअज़्ज़िज मैम्बर ने जो बताया, वह सही है कि असैसमैंट यूनिट्स देखती हैं कि कहां-कहां असैस करना है। हमारे मुल्क में कहीं उन्हें ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, कहीं तालुका कहा जाता है और कहीं मंडल कहा जाता है। ऐसी असैसमैंट यूनिट्स का सर्वे हुआ है।

हमने देखा कि उनमें 839 यूनिटें ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं और 226 यूनिटें क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल के बाद भूमि जल दोहन होने पर एरिया में ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। उसके बाद नोटिसेस जारी होते हैं और हमने कुछ एरियाज़ को नोटिफाई किया है। अगर वह जानना चाहते हैं कि हमने नोटिफाई कहां किया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि सैंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के बाद पानी निकालना मना होता है। हमने ऐसे कुछ एरियाज नोटिफाई किये हैं। कुछ एरियाज हमने भूजल दोहन स्ट्रक्चर के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफाई कर दिये हैं। इसमें राशि देने का सवाल नहीं है, क्योंकि उसे स्टेट गवर्नमैंट करेंगी। हम पूरी टेक्नीकल सहायता देते हैं।

پروفیسر سیف الدین سوز: ادھکیش مہودے، راشی دینے کا سوال نہیں ہے، سوال ہے کہ دیش کے کئی بھاگوں میں واٹر لیول بہت نیچے جا رہا ہے جو بہت چنتا کی بات ہے۔ مانئے سدسیئے نے ابھی جو آنکڑے پیش کئے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ پورے ملک کے ریجنل آفیسز میں یہ کام جاری رہتا ہے۔ یہ رکنے والا کام نہیں ہے اور مسلسل ہوتا ہے۔ ہمارے 18 ریجنل آفیسز ہیں اور 15553 کنوئیں ہیں جن کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ انہیں آبزرویشن ویلس کہا جاتا ہے۔ یہ کاریہ لگاتار ہوتا ہے۔ جہاں جہاں واٹر لیول نیچے ہوتا ہے، ہم اس کے آنکڑے بھیجتے ہیں۔ معزز ممبر نے جو بتایا، وہ صحیح ہے کہ اسسمنٹ یونٹس دیکھتی ہیں کہ کہاں کہاں ایسیس کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں کہیں انہیں ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے، کہیں تعلقہ کہا جاتا ہے اور کہیں منڈل کہا جاتا ہے۔ ایسی اسسمنٹ یونٹس کا سروے ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں 830 یونٹیں اوور ایکسپلائٹیڈ ہیں اور 226 یونٹیں کریٹکل ہیں۔ کریٹکل کے بعد اوور ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوٹسز ہوتے ہیں اور ہم نے نوٹیفائی کیا ہے۔ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں لہ ہم نے نوٹیفائی کہاں کیا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سینٹرل گراؤنڈ واٹر اتھارٹی کی نوٹیفکیشنز کے بعد پانی نکالنا جرم ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے کچھ ایریاز نوٹیفائی کئے ہیں۔ کچھ ایریاز ہم نے نوٹیفکیشن کے لئے رجسٹر کر دئے ہیں۔ اس میں راشی دینے کا سوال نہیں ہے کیوں کہ اسے اسٹیٹ گورنمنٹ کریں گی۔ ہم ٹیکنکل سمیت پوری سہائتہ دیتے ہیں۔

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2004 में इसका आकलन किया गया था, अभी 2007 चल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों में क्या कार्य हुआ? दूसरे, आपने इसमें प्रशिक्षण का उल्लेख किया है जिसके तहत जनता के बीच जाकर उन्हें प्रशिक्षित करना और उनमें जागरूकता लाना शामिल है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह के कितने कैम्पस करवा चुके हैं?

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : जनाब, मुझे थोड़ी तफसील से बात करनी होगी। आप ने हमें बताया कि ... *(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: جناب، مجھے تھوڑی تفصیل سے بات کرنی ہوگی۔ ابھی ہم نے بتایا کہ۔۔۔ (مداخلت)۔۔

अध्यक्ष महोदय : अगर उत्तर लम्बा है, तो उसकी डिटेल आप उन्हें भेज दीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : यह सब बताना पड़ेगा क्योंकि इससे कई और सवाल न उठ जायें। ... *(व्यवधान)* हमने पूरी कंट्री में नोटिफाई किया है। 43 जगहें ऐसी हैं जहां सी०जी०डब्ल्यू०ए० की अनुमति के बिना भूजल दोहन के स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते। वर्ष 2000 तक ऐसे 11 इलाके थे लेकिन मेरे समय में, वे बढ़कर 43 जगहें हो गयीं, जहां से पानी नहीं निकाला जा सकता। कुछ जगहों में हालत काफी खराब हैं। उन सबके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मसलन दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में कुछ खराबी है। तमिलनाडु में ज्यादा खराबी नहीं है लेकिन जहां सौ परसेंट से ज्यादा पानी निकाला जाता है, उनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दमन व दीव और पांडिचेरी हैं। इनके अलावा 43 इलाकों में ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुछ और इलाके हैं जहां रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमने काफी कोशिश की है। ... *(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: یہ سب بتانا پڑے گا کیوں کہ اس سے کئی اور سوال نہ اٹھ جائیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ ہم نے پوری کنٹری میں نوٹیفائی کیا ہے۔ 43 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر وہاں سے پانی نکالا گیا تو وہ جرم ہو جائے گا۔ پچھلے سال ایسے 20 علاقے تھے، لیکن میرے سمے میں وہ بڑھ کر 43 جگہیں ہو گئیں، جہاں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ کچھ جگہوں میں حالت کافی خراب ہے۔

ان سب کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مثلاً دہلی، راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور تری پورہ میں کچھ خرابی ہے۔ تمل ناڈو میں زیادہ خرابی نہیں ہے لیکن جہاں سو فیصد سے زیادہ پانی نکالا جاتا ہے، ان میں دہلی، پنجاب، ہریانہ، دمن دیو اور پانڈیچری ہے۔ اس کے علاوہ 43 علاقوں میں ایسا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے۔ کچھ اور علاقے ہیں جہاں رجسٹریشن ہونے جا رہا ہے۔ میں سدن کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے ہم نے کافی کوشش کی ہے۔۔۔(مداخلت)۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं एक व्यापक उत्तर दूंगा। मैं उसी पर आ जाऊंगा, जो आप कह रहे हैं। वजीरे आज़म ने ऐसी कोशिश की है कि हमारे मुल्क में कुल जितना पानी उपलब्ध है, इस बारे में कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि जो चार हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का काफी हिस्सा समुद्र में जाता है, जिसे सरफेस वाटर कहते हैं, उस पानी को रोकने के लिए कोशिश हो रही है। लेकिन चार सौ तैंतीस बिलियन क्यूबिक मीटर जो ग्राउंड वाटर है, वह ग्राउंड वाटर हमारे कब्जे में है। उस बारे में हम कोशिश कर सकते हैं। बारिश का पानी इस्तेमाल करने में रूकावट होती है क्योंकि हमारे यहां डैम्स बहुत कम हैं। भारत में चेक डैम्स तथा इरीगेशन के लिए जो डैम्स बनाये जाते हैं, विश्व की तुलना में उनकी संख्या काफी लो है। इसमें काफी कुछ होना चाहिए। लेकिन प्रधान मंत्री को चिन्ता यह थी कि ग्राउंड वाटर को बचाना चाहिए। उसकी मिसाल ऐसे है, जैसे किसी बैंक में आपका पैसा है। आप बैंक्स से सूद यानी नफे को निकाल सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं निकाल सकते, क्योंकि तब तो घाटा ही घाटा हो जायेगा। इससे बैंक भी बैठ जायेगा और आपको भी फायदा नहीं होगा। इसलिए ग्राउंड वाटर उतना लेना चाहिए जितना प्राकृतिक रूप से वर्षा जल सालाना पृथ्वी के अन्दर जाता है। आप ले सकते हैं। इसलिए हमने नोटिफाई किया है और उसके लिए बहुत बड़ी बातें हमारे मुल्क में हुई, प्राइम मिनिस्टर ने ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई। *(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: میں اسی پر آ جاؤں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایسی کوشش کی ہے کہ ہمارے ملک میں کل جتنا پانی دستیاب ہے، اس بارے میں کوئی چنتا نہیں ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو چار ہزار بلین کیوبک میٹر پانی کا کافی حصہ سمندر میں جاتا ہے جس کو سرفیس واٹر کہتے ہیں، اس پانی کو روکنے کے لئے کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن ساڑھے چار سو بلین کیوبک میٹر گراؤنڈ واٹر ہے۔ یہ گراؤنڈ واٹر ہمارے قبضے میں ہے۔ اس بارے میں ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ بارش کا پانی استعمال کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے کیوں کہ ہمارے یہاں ڈیمس بہت کم ہیں۔ بھارت میں چیک ڈیمس اور اریگیشن کے لئے جو ڈیمس بنائے جاتے ہیں، دنیا کی تلنا میں ان کی تعداد کافی لو ہے۔ اس میں کافی کچھ ہونا چاہئے۔ لیکن پردھان منتری کو چنتا یہ تھی کہ گراؤنڈ واٹر کو بچانا چاہئے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بینک میں آپ کا پیسہ ہے۔ آپ بینکس سے سود یعنی نفع کو نکال سکتے ہیں لیکن پرنسپل اماؤنٹ کو نہیں نکال سکتے، کیوں کہ تب تو گھاٹا ہی گھاٹا ہو جائے گا۔ اس سے بینک بھی بیٹھ جائے گا اور آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے گراؤنڈ واٹر اتنا لینا چاہئے جتنا آپ لے سکتے ہیں۔ اس لئے ہم نے نوٹیفائی کیا ہے اور اس کے لئے ہمارے ملک میں پرائم منسٹر نے ریچارج آف دی گراؤنڈ واٹر کے لئے ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्नों के लिए मैं आपको सप्ताह में दो दिन का समय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : इसकी पहली मीटिंग में वजीरे आजम आए थे। इसके बाद इसकी छः सब कमेटीज बनीं। उनमें से एक कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है। इसका टाइटल है मोर क्राप एण्ड इनकम पर ड्राप ऑफ वाटर *(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: اس کے لئے بہت بڑی باتیں ہمارے ملک میں ہوئیں، پرائم منسٹر نے گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لئے ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی۔۔(مداخلت)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मेरे विचार में आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : इस रिपोर्ट में लिखा है कि आप हर बारिश के कतरे से कैसे ज्यादा खेती और ज्यादा पैसे हासिल कर सकते हैं। वह रिपोर्ट आ गयी है। पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल बिल बनाकर दिया गया है। मॉडल बिल में रिचार्ज ऑफ ग्राउण्ड एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम्पोनेंट भी है और मुझे यह जानकारी देने में बहुत खुशी है कि जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं, मेरे परसुएशन से, समझाने से राज्य मान गए हैं। चीफ मिनिस्टर्स बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मेरे वक्त में दो और राज्यों ने भू पर कानून बना लिया है। 20 अन्य राज्य भी कानून बनाने जा रहे हैं। और अब केवल पंजाब से बात होनी है। *(व्यवधान)* नॉर्थ ईस्ट की बात अलग है, वहां पानी की कोई प्राब्लम नहीं है। *(व्यवधान)* इसके बाद, मैं अलग से जवाब दे दूंगा। *(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: اس کی پہلی میٹنگ میں وزیر اعظم آئے اور اس کے بعد اس کی چھ کمیٹیز بنیں۔ ان میں سے ایک کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے مور کراپ۔۔۔(مداخلت)۔۔

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सभी को मौका मिलेगा। अलग से जवाब देने की जरूरत नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं कह रहा था कि नॉर्थ-ईस्ट के अलावा बाकी मुल्क में सिर्फ पंजाब है, जिसके साथ बात होनी है। मॉडल बिल कई स्टेट्स ने मान लिया है और उसके मुताबिक रिचार्ज आफ ग्राउण्ड वाटर होगा और उसके मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि आपने अवेयरनेस के लिए क्या किया है। *(व्यवधान)*

پروفیسر سیف الدین سوز: اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ ہر بارش کے قطرے سے کیسے زیادہ کھیتی اور زیادہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ رپورٹ آ گئی ہے۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ انڈسٹریز کو آگے کیسے پانی دینا ہے۔ اسی سلسلے میں پورے ملک میں ایک ماڈل بل بنا کر دیا گیا ہے۔ ماڈل بل، رچارج آف گراؤنڈ اور رین واٹر ہارویسٹنگ کے لئے ہے اور مجھے یہ جانکاری دینے میں بہت خوشی ہے کہ جب سے میں اس منسٹری میں آیا ہوں، میں نے چیف منسٹرس سے گفتگو شروع کی۔ کچھ اسٹیٹس نہیں مانتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ پرسیشن سے، سمجھانے سے وہ مانتے ہیں۔ جیف منسٹرس بہت بزی رہتے ہیں، لیکن میرے وقت میں چھ اسٹیٹس کو منا لیا گیا ہے اور اب کیول پنجاب سے بات ہونی ہے۔۔(مداخلت)۔۔ نارتھ ایسٹ کی بات الگ ہے، وہاں پانی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔۔(مداخلت)۔۔ اس کے بعد، میں الگ سے جواب دے دوں گا۔۔(مداخلت)۔۔

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वर्षा जल संचयन के बारे में पूछना चाहता था। लेकिन अब मैं यह अगली बार पूछूंगा, अभी नहीं।

चिकन और अंडे के उत्पादन में कमी

+

***186. श्री ई० पोन्नुस्वामी :**
श्रीमती पी० सतीदेवी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान चिकन और अंडों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में चिकन और अंडों के उत्पादन में चिंताजनक रूप से कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बाजार में चिकन और अंडों की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा चिकन और अंडों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क)(i) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान देश में अंडा उत्पादन की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	उत्पादन (बिलियन संख्या में)
2003-04	40.4
2004-05	45.2
2005-06	46.2
2006-07 (अनुमानित)	47.3

स्रोत : पशुपालन सांख्यिकी

(ii) देश में 2002 से 2005 तक चिकन मीट उत्पादन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं:

वर्ष	उत्पादन (बिलियन संख्या में)
2002	1.40
2003	1.60
2004	1.65
2005	1.90

स्रोत: एफ०ए०ओ० आंकड़े

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी के

अनुसार, जनवरी, 2006 में देश के मुख्य उपभोक्ता केन्द्रों पर अंडों के विद्यमान औसतन मूल्यों की तुलना में जनवरी, 2007 में उक्त केन्द्रों पर अंडों का औसतन मूल्य 22% से 26% तक अधिक था।

व्यापार प्रकाशनों में उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी, 2006 में देश के मुख्य केन्द्रों पर विद्यमान औसतन ब्रायलर लिफ्टिंग दरों की तुलना में जनवरी, 2007 में देश के उन्हीं केन्द्रों पर औसतन दर 5% से 10% तक अधिक था।

(ङ) विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष देश में चिकन एवं अंडों के मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेवार मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(i) मक्का के मूल्य में वृद्धि, जो कि कुक्कुट आहार का औसतन 50% घटक होता है।

(ii) फरवरी/मार्च 2006 में बर्ड फ्लू के होने के बाद संस्थापित क्षमता में कमी।

(च) सरकार ने देश में चिकन एवं अंडों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घाकालीन दोनों प्रकार के अनेक उपाय किए हैं। अल्पकालीन उपायों में ये शामिल हैं:

(i) अप्रैल, 2006 में कुक्कुट उद्योग के लिए एक वित्तीय राहत पैकेज का क्रियान्वयन।

(ii) सरकारी स्टॉक से 450 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर विभिन्न राज्यों को कुक्कुट आहार में उपयोग के लिए कुक्कुट पालकों को आगे वितरण के लिए 35.6 लाख क्विंटल राजसहायता प्राप्त मक्का का वितरण।

(iii) 31.12.2007 तक शून्य शुल्क पर ओ०जी०एल० के तहत मक्का को आयात करने की अनुमति।

सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को कुक्कुट विकास को बढ़ावा देने तथा, बाद में, दीर्घावधि आधार पर देश में चिकन एवं अंडों के उत्पादन के लिए क्रियान्वित किया गया है:

(i) केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता''

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ''डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष''

श्री ई० पोन्नुस्वामी : महोदय कुक्कुट स्टॉक का उत्पादन दिनोंदिन घट रहा है जिसके कारण कीमत बढ़ रही है। सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? उत्तर में यह कहा गया है कि मक्का तथा अन्य चीजों के मूल्य के चलते उत्पादन कम है तथा कीमत ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि कुक्कुट के फीडस्टॉक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा कुक्कुट उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री शरद पवार : महोदय, यदि आप आंकड़े देखें तो पाएंगे कि वर्ष 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 में बर्ड फ्लू के बावजूद भारत का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा है। तथा स्थिति में सुधार हुआ है। कुल उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन यह अच्छी बात है। लेकिन इस वर्ष जो कठिनाई अनुभव की जा रही है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने सही बताया है, कीमत के संबंध में, पचपन प्रतिशत लागत मक्का के मूल्य पर निर्भर है। दुर्भाग्यवश, इस वर्ष केवल भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मक्का उपलब्ध नहीं है। जो भी मक्का भारत सरकार के पास उपलब्ध थी वह कई राज्यों को सस्ती दर पर वितरित कर दी गई है। महोदय, आपकी तरफ से भी अनुरोध प्राप्त हुआ था और हमने उसका भी कार्यान्वियन किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका आभारी हूं।

श्री शरद पवार : पश्चिमी देशों में विशेषरूप से अमेरिका में इथेनाल बनाने के लिए मक्का के दाने का उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि वहां मक्का अच्छी किस्म का उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष हमारे देश में एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारा प्रयास होगा कि कच्चा माल यहां उपलब्ध होगा जो अतंत: लागत को कम करेगा।

श्री ई० पोन्नुस्वामी : धन्यवाद महोदय। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का कौन सा स्थान है तथा इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके बारे में कहा।

श्री शरद पवार : स्पष्ट रूप से उत्पादन वार हम श्रेणी में ऊपरी पायदान पर नहीं है। चीन, अमेरिका तथा इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़े मुर्गी उत्पादक हैं। विश्व में अंडा उत्पादन में, सौभाग्यवश भारत का स्थान तीसरा है। अंडा उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है जबकि अमेरिका उसके पीछे हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री का संबंध है बहुत कम देश हैं जहां हम कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद भेज सकते हैं। कुक्कुट उत्पादों में पांच से छह प्रकार की श्रेणियां है। जिंदा कुक्कुट का बाजार बांग्लादेश, अमेरिका, कुवैत, श्रीलंका तथा नेपाल है। हैचिंग एग्स के लिए संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत तथा सऊदी अरब में बाजार है। 'टेबल एग्स' के लिए संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत तथा कतर हैं। एग पाउडर के लिए जापान, डेनमार्क, सऊदी अरब, पोलैंड तथा बेल्जियम बाजार हैं। फ्रोजन एग्स के लिए संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, जापान, अंगोला कुवैत बाजार हैं। कुक्कुट मांस के लिए संयुक्त अरब अमीरात,, बहरीन, यमन तथा कतर बड़े बाजार है। मूल्यवार हमारा कुल निर्यात काफी ज्यादा नहीं है। गत दो वर्षों में लगभग 160-165 करोड़ रुपये का कुल निर्यात हुआ है। केवल 2003-04 में 200 करोड़ रु० से ज्यादा के उत्पादों का निर्यात हुआ।

श्रीमती पी० सतीदेवी : गत वर्ष बर्ड फ्लू के दौरान, हमारे कुक्कुर, उद्योग ने बहुत बड़ा संकट झेला। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि एवियन इन्फलुएंजा जैसे संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए

कक्कुट पशुधन के स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए तथा उत्पादन श्रंखला में कुक्कुट उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नियामक उपाय किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री शरद पवार : यह गंभीर मामला था। वास्तव में, इसने भारतीय कुक्कुट को प्रभावित किया। कई देशों ने भारतीय उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कई देशों में बर्ड फ्लू फैला हुआ है। चीन तथा इंडोनेशिया जैसे देश पिछले डेढ़ वर्ष से बर्ड फ्लू की समस्या से जूझ रहे हैं तथा तब भी वे इसे पूर्णरूप से नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। मुझे सम्माननीय सभा को सूचित करते हुए खुशी है कि भारत ने इस समस्या को बीमारी का पता लगाने के तीन-चार माह के अंदर काबू कर लिया। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को आज बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूरी तरह खुले हैं? तथापि, उपलब्धता की थोड़ी समस्या है लेकिन हम निर्यात करने की कोशिश में लगे हैं। जब बर्ड फ्लू के कारण काफी ज्यादा हानि हुई थी तब भारत सरकार ने दो कार्यक्रम तय किए थे? उनमें से एक मार्च, 2006 में घोषित किए गए थे तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से परिचालन में लाए गए थे वह वित्तीय राहत पैकेज था, जो सावधि ऋण तथा कार्यगत पूंजी की सभी अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों को अदायगी पर मूल धन तथा ब्याज पर एक साल की स्थगन अवधि थी। दूसरा कार्यगत पूंजी को सावधि ऋण, सहमत कार्यकाल से अतिरिक्त दो वर्ष की अवधि के लिए कुक्कुट इकाइयों द्वारा ली गई सावधि ऋण की पुनर्सारणी करण। जैसा कि मैंने कहा कुछ राज्यों को हमने मक्का सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया। यह सब कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की गई।

श्रीमती मेनका गांधी : भारत में कुक्कुट उद्योग विश्व में सबसे बुरी हालत में चलाया जाता है। इनकी निगरानी की कोई प्रणाली नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, सलमोनेला तथा फॉलरा दो महामरियां साल के बारहों महीने चलती हैं। तीस हजार लोग, इनमें से कई वृद्ध, प्रत्येक वर्ष सलमोनेला से मरते हैं तथा यह संख्या बढ़ रही है। कुक्कुट इकाई स्थापित करने के लिए बी०आई०एस० मानक है परन्तु एक भी इकाई इसका पालन नहीं करती है। अंडरकवर वीडियो रिकार्डिंग से पता चलता है कि पुणे के बैंकी जैसी बड़ी कुक्कुट इकाई से वास्तव में कितनी गंदगी है। बीमारी को फैलाने का क्या तुक है? आप और ज्यादा अंडे तथा मुर्गियां मांगते हैं। हम और सलमोनेला फैला रहे हैं क्योंकि किसी तरह से कुक्कुट इकाई को विनियमित करने का उपाय नहीं है।

श्री शरद पवार : आम तौर पर, हमने इस तरह की शिकायतें नहीं प्राप्त की हैं। शिकायतें बर्ड फ्लू से ही संबंधित थी। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कुछ इधर उधर के उदाहरण हो सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, जो काफी महत्वपूर्ण नहीं हों, जो लोगों के स्वास्थ्य पर अंततः प्रभावित करती हों या देश के निर्यात को प्रभावित करती हों *(व्यवधान)* लेकिन यदि कोई विशिष्ट क्षेत्र हों या विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट बीमारी हो तो मैं मामले को देखना चाहूंगा तथा उपचारात्मक कदम उठाऊंगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, वे इस मामले में आपको जानकारी देंगी।

श्री के०एस० राव : महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में, कुक्कुट तथा डेयरी से होने वाली आय लोगों को कृषि में धान तथा गेहूं की तुलना में ज्यादा बचा रही है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अंडे तथा मुर्गियों से भारत में प्रोटीन सस्ते दर पर उपलब्ध है। लेकिन माननीय मंत्री के अनुसार, यह कठिनाई का सामना कर रहा है क्योंकि देश में अब मक्के की कमी है। मैं समझता हूं कि मक्के के मामले में फार्वर्ड ट्रेडिंग की जाती है जिसके कारण इसकी जमाखोरी हो रही है तथा पिछले कुछ माह में मक्के का मूल्य लगभग दो गुना हो गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे मक्के के मामले में गेहूं तथा धान की तरह फार्वर्ड ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं।

श्री शरद पवार : जैसाकि मैंने कहा, मक्के के मामले में, मूल्यवृद्धि हुई है, केवल भारत में ही नहीं वरन् यह वैश्विक रूझान है। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि क्यों तथा कहां इसे ले जाया जा रहा है। भारत सरकार ने विश्व के किसी देश से शुल्क रहित मक्के का आयात करने का निर्णय लिया। हमने पूरा शुल्क हटा दिया है। वास्तव में, कोई भी आयात कर सकता है। इसके पीछे मंशा है कि यहां उपलब्धता बनी रहे।

कुछ कुक्कुट डीलरों से हाल में मुझे अनुरोध प्राप्त हुआ है कि मक्के को फार्वर्ड ट्रेडिंग से हटा दिया जाय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। गेहूं तथा चावल के बारे में खरीद कुछ अलग थी। लेकिन चावल, गेहूं तथा दाल की उपलब्धता आम आदमी को सीधे प्रभावित करती है। यहां मक्के की उपलब्धता तथा इसका मूल्य कुक्कुट पालन को भी प्रभावित कर रहा है। कुछ किसान संगठनों से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हम फार्वर्ड ट्रेडिंग नहीं हटाएं क्योंकि पहली बारे हमें मक्के का मूल्य प्राप्त हो रहा है। ये विभिन्न प्रकार के अनुरोध सरकार के पास हैं। सरकार इनपर विचार करेगी तथा समुचित कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

खाद्यान्न का अन्यत्र उपयोग

+
*187. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री एल० राजगोपाल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) से खाद्यान्न के अन्यत्र उपयोग संबंधी योजना आयोग के निष्कर्षों से सहमत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पी०डी०एस० से अन्यत्र उपयोग के स्तर का पता लगाने के लिए अलग से एक अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और मासिक आधार पर पी०डी०एस० की निगरानी रखने हेतु इस सरकार के तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्यों ने पी०डी०एस० कंट्रोल ऑर्डर 2001 के अंतर्गत अपेक्षित फॉर्म 'सी' सौंप दिया है;

(च) यदि हां, तो उसमें दी गई जानकारी के आधार पर पी०डी०एस० को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) यदि नहीं, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जो ऐसा करने में विफल रहे हैं; और

(ज) उनके द्वारा उक्त फॉर्म कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर और अंत्योदय अन्न योजना पर सामाजिक अनुसंधान हेतु ओ०आर०जी० मार्ग केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इसके निष्कर्षों के अनुसार अखिल भारत स्तर पर गेहूं और चावल का क्रमश: 53.3% और 39% विपथन होता है। अंतिम रिपोर्ट सितम्बर 2005 में प्राप्त हुई थी और इसे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया था।

वर्ष 2005-06 के दौरान विपथन के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों में विचार विमर्श किया था। इस मुद्दे पर दिनांक 29.3.2006 को सम्पन्न खाद्य मंत्रियों/खाद्य सचिवों के सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया गया था। तथापि राज्य सरकारों ने इन सम्मेलनों में इस अध्ययन के निष्कर्षों पर अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और विपथन/लीकेज को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करें। विचार विमर्श के आधार पर, इस विभाग द्वारा एक 9 सूत्रीय कार्य-योजना तैयार की गई है और इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसे सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है। कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. राज्यों को जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।
2. खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के खंड 8 व 9 के अधीन मांगी गई सूचना भी भेजी जाए।
3. पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाए। उचित दर दुकान लाइसेंस स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों आदि को दिए जाएं।
4. सभी उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जानी चाहिए।
5. खाद्यान्नों का राज्य-वार और उचित दर दुकान-वार आवंटन वैबसाइट और अन्य प्रमुख स्थानों पर दिखाया जाना चाहिए ताकि जनता इसकी संवीक्षा कर सके।
6. जहां कहीं संभव हो, राज्यों द्वारा समान की ढुलाई करने के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों/थोक विक्रेताओं को अनुमति देने के बजाय खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
7. उचित दर दुकान स्तर पर खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता और राशन कार्डधारकों के लिए वितरण की निर्धारित तारीखें सुनिश्चित की जानी चाहिए।
8. उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण को फंड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा सकते हैं।
9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटीकरण किया जाए।

(ङ) इस संबंध में एक ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

(च) फार्म ''ग'' में आई कमी पर बाद की खाद्य मंत्रियों/खाद्य सचिवों के साथ हुई बैठकों/सम्मेलनों में विचार विमर्श किया जाता है और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया जाता है। इस योजना के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(छ) और (ज) जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने फार्म ''ग'' में अपेक्षित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में संलग्न है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.9.2006 को दिल्ली में सभी राज्य खाद्य सचिवों की बैठक हुई थी, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे फार्म-''ग'' में पुन: सूचना भेजें ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा की जा सके। उन्हें पुन: स्मरण कराया गया है।

अनुबंध

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश, 2001 के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से फार्म 'ग' में प्राप्त मासिक विवरणी की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(28.2.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विवरणी की स्थिति
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	सितम्बर, 2001 से अक्तूबर, 2006 माह के लिए प्राप्त
2.	अरूणाचल प्रदेश	सितम्बर, 2001 से जून, 2002 और अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 माह के लिए प्राप्त
3.	असम	सितम्बर, 2001 से दिसम्बर, 2005 माह के लिए प्राप्त
4.	बिहार	कोई भी प्राप्त नहीं
5.	छत्तीसगढ़	सितम्बर, 2001 से मार्च, 2003 माह के लिए प्राप्त
6.	दिल्ली	अप्रैल, 2003 से अगस्त, 2006 माह के लिए प्राप्त
7.	गोवा	सितम्बर, 2001 से सितम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
8.	गुजरात	जुलाई, 2002 और मई, 2003 से अक्तूबर, 2006 तक के लिए प्राप्त
9.	हरियाणा	सितम्बर, 2001 से जुलाई, 2002 और मई, 2004 से दिसम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
10.	हिमाचल प्रदेश	सितम्बर, 2001 से जुलाई, 2005 माह के लिए प्राप्त
11.	जम्मू व कश्मीर	कोई भी प्राप्त नहीं
12.	झारखंड	कोई भी प्राप्त नहीं
13.	कर्नाटक	नवम्बर, 2002 से दिसम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
14.	केरल	सितम्बर, 2001 से दिसम्बर, 2001 और अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
15.	मध्य प्रदेश	कोई भी प्राप्त नहीं
16.	महाराष्ट्र	सितम्बर, 2001 से फरवरी, 2004 माह के लिए प्राप्त
17.	मणिपुर	कोई भी प्राप्त नहीं
18.	मेघालय	सितम्बर, 2001 से अगस्त, 2002, सितम्बर, 2003 और जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
19.	मिजोरम	जून, 2001 से अक्तूबर, 2002 और अगस्त, 2004 से दिसम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
20.	नागालैण्ड	सितम्बर, 2001 से फरवरी, 2005 माह के लिए प्राप्त
21.	उड़ीसा	सितम्बर, 2001 से जुलाई, 2005 माह के लिए प्राप्त
22.	पंजाब	सितम्बर, 2001 से अक्तूबर, 2003 माह के लिए प्राप्त
23.	राजस्थान	सितम्बर, 2001 से मई, 2005 माह के लिए प्राप्त
24.	सिक्किम	सितम्बर, 2001 से मई, 2005 माह के लिए प्राप्त
25.	तमिलनाडु	कोई भी प्राप्त नहीं
26.	त्रिपुरा	सितम्बर, 2001 से जून, 2006 माह के लिए प्राप्त
27.	उत्तर प्रदेश	कोई भी प्राप्त नहीं
28.	उत्तरांचल	नवम्बर, 2005 और से नवम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
29.	पश्चिम बंगाल	दिसम्बर, 2001 से दिसम्बर, 2005 माह के लिए प्राप्त
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	सितम्बर, 2001 से जून, 2006 माह के लिए प्राप्त
31.	चंडीगढ़	सितम्बर, 2001 से नवम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त
32.	दादरा व नगर हवेली	सितम्बर, 2001 से अगस्त, 2002 और अगस्त तथा मई, 2005 माह के लिए प्राप्त
33.	दमन व दीव	नवम्बर, 2001 से अप्रैल, 2002 माह के लिए प्राप्त

1	2	3
34.	लक्षद्वीप	जनवरी, से अगस्त, 2002 माह के लिए प्राप्त
35.	पांडिचेरी	सितम्बर, 2001 से दिसम्बर, 2006 माह के लिए प्राप्त

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री जी, प्रश्न मेरा बहुत अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर उतना अच्छा नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उत्तर भी अच्छा है, लेकिन उस संबंध में कार्रवाई नहीं की गयी थी। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूं कि कौन-कौन सी राज्य सरकारें आपके साथ उपस्थित रहीं, आपने उनसे क्या कहा, उन्होंने अपनी क्या रिपोर्ट में कहा है और किस राज्य में आपकी कार्रवाई को मानने से इंकार किया है, यह बताने का कष्ट करें।

डॉ० अखिलेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, यह सही है कि ओ०आर०जी० मार्ग और प्लानिंग कमीशन के एक सर्वे में डायवर्शन का बड़े पैमाने पर, खासकर नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में और बिहार, पंजाब, राजस्थान में खुलासा हुआ था। दक्षिण के राज्यों में डायवर्शन की शिकायत कम है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को, जहां डायवर्शन की शिकायत ज्यादा थी, माननीय मंत्री शरद पवार जी ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र के द्वारा और रीजनल कांफ्रेंसेज करके, उन राज्यों के खाद्य मंत्रियों को कहा और जहां संभव हो सका है, वहां के मुख्यमंत्री को बुलाकर इसकी जानकारी दी है। चौदह राज्यों ने इसमें रैमिडियल एक्शन लिये हैं। कुछ राज्यों ने माना नहीं कि इतने बड़े स्तर पर डायवर्शन हो रहा है। इसके पश्चात भारत सरकार ने पुन:, क्योंकि ओ०आर०जी० मार्ग का सैम्पल सर्वे और प्लानिंग कमीशन का जो सैम्पल सर्वे था, वह बहुत छोटा था। ओ०आर०जी० मार्ग के 25,004 रिस्पॉंडेंट्स थे और 35 स्टेट्स में यह सर्वे कराया था, पी०इ०ओ० का उससे भी कम था। यह सर्वे वर्ष 2001 में हुआ था, लेकिन इनकी रिपोर्ट 2005 में आई थी। चार साल बाद रिपोर्ट आई थी, फिर भारत सरकार ने यह तय किया कि पुन: एन०सी०ए०ई०आर० से एक बार फिर सर्वे कराया जाए और छह राज्यों में असम, मिजोरम, बिहार, यू०पी०, छत्तीसगढ़ में, खास कर ए०ए०वाई० और बी०पी०एल० के परिवारों में डायवर्जन और लिकेजेज होता है, उनके बारे में फिर से सर्वे कराने के लिए कहा गया है, इनकी रिपोर्ट अप्रैल 2006 में आनी थी, लेकिन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। दिसम्बर तक उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। पुन: छह राज्यों केरल, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, झारखंड, मध्यप्रदेश और दिल्ली को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में दी जानी थी। फिर छह राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर में आई०आई०पी०ए० को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। नवम्बर 2006 में, जो आठ राज्य बचे हुए हैं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा भारत सरकार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद, जो रिमेडियल एक्शन लेने होंगे, वे एक्शन सरकार निश्चित रूप से लेगी।

अध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, आपको पूरी खबर मिल गई होगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं, अध्यक्ष महोदय, पूरी खबर नहीं मिली है। मैं पूछ रहा था कि आपने जो नौ सूत्री कार्यक्रम योजना बनाई है, उसके अंतर्गत राज्यों को जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की समीक्षा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए, और जिन लोगों ने इन खाद्यान्नों में लीकेज या चोरी की है, उसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के बारे में कहा है। उसमें खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने के बारे में है और उचित दर दुकानों के लाइसेंस का काम स्वयंसेवी समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों को देखने के लिए कहा है। यही नहीं गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय योजना के अंतर्गत, कौन-कौन से लोग उस एरिया की दुकान के अंडर आते हैं, उनकी सूची के बारे में और उस दुकान को कितना अनाज अलॉट किया गया है, राज्यवार हर दुकान के आवंटन के बारे में जानकारी देना, ये सभी महत्वपूर्ण सुझाव थे। यदि ये सुझाव कामयाब हो जाते, तो गरीब लोगों को भी अनाज मिल जाता। मैं केवल इतनी बात आपसे पूछ रहा हूं कि इन दुकानों को कितना कोटा दिया गया है, उनकी सूची लगानी चाहिए। मैं किसी प्रकार की चोरी की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि फिर जयपुर में मुझसे लोग कहेंगे कि आपने मुझे चोर कहा। मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा कि जो आदमी गड़बड़ी करता है, वह गड़बड़ी करना बंद करे। सभी दुकानदार गड़बड़ी नहीं करते हैं, केवल कुछ दुकानदार गड़बड़ी करते हैं। वे भी गड़बड़ी न करें, इस बारे में सूची लगाने के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : माननीय सदस्य ने नौ सूची कार्यक्रम के बारे में तथा इसपर की गई कार्यवाही के बारे में पूछा है।

मैं सभी कुछ विस्तार में नहीं बताऊंगा; पहली बात यह कि बी०पी०एल० तथा ए०ए०वाई० सूची की पुनरीक्षा की। चौदह राज्यों ने कार्यवाकी की है; उनमें से तीन ने पुनरीक्षा कर ली है तथा बाकी राज्य पुनरीक्षा पर कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है।

दूसरी बात खाद्यान्नों की चोरी को रोकना सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। चौदह राज्यों ने कार्यवाही शुरू की है; तीन ने दो माह पूर्व तक कार्यवाही करने का कार्य पूरा कर लिया है। अन्य राज्यों में, कार्यवाही चल रही है।

तीसरी बात वितरण की समूची प्रक्रिया में पी०आर०आई० सदस्यों को शामिल करना था। चौदह राज्यों ने कार्यवाही की है। माननीय मंत्री ने सभी उचित दरों की दुकानों पर बी०पी०एल० सूची को दर्शाने का मामला उठाया है। यह प्रक्रिया सात राज्यों द्वारा पूरी कर ली गई है तथा अन्य चार राज्य इसे करने की प्रक्रिया में हैं। दो राज्यों ने आजतक जानकारी नहीं दी है। उन्हें इस बात के बारे में याद दिलाया गया था।

जो भी आवंटन प्रत्येक उचित दर की दुकान को किया गया हो, यह दुकान के बाहर तथा वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। गुजरात तथा मेघालय दो राज्यों ने इसे पहले ही क्रियान्वित कर दिया है तथा शेष राज्य इसकी प्रक्रिया में हैं।

एक सुझाव खाद्यान्नों को दर पर उपलब्ध कराने के बारे में भी है। चार राज्यों ने इसे क्रियान्वित कर दिया है तथा बाँकी इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में हैं।

उचित दर की दुकानों के लिए समय पर खाद्यान्नों की उपलब्धता एक और सुझाव है। वास्तव में 13 राज्यों ने इसे क्रियान्वित कर लिया है तथा बाँकी इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में हैं।

किसी ने भी उचित दर की दुकान की निगरानी समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण के संबंध में सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया परन्तु प्रक्रिया 14 राज्यों में शुरू की गई है।

किसी ने परिचालन के कंप्यूटरीकरण को शुरू नहीं किया है लेकिन 14 राज्य इसे शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।

इसी प्रकार, कई कार्रवाइयां की गई हैं। हम नियमित पुनरीक्षा कर रहे हैं। अपने स्तर पर, मैंने विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रियों तथा सचिवों की बैठक बुलाई है। कुछ राज्यों में परिस्थितियां खराब हैं। वहां भी, मैंने व्यक्तिगत रूप से संबद्ध अधिकारियों, सचिवों तथा मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक भी बुलाई गई थी। हम इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। जब हम इतनी राजसहायता दे रहे हैं और यदि भारी मात्रा में खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजा जा रहा है तो यह उचित नहीं है और हमें सभी सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप अच्छे मंत्री हैं, आप इस रूप में जल्दी से कार्यवाही को पूरा कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री एल० राजगोपाल : मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगा। वर्ष 2000 से 2003 में आन्ध्र प्रदेश को 50 लाख टन से अधिक चावल दिए गए थे। यह सर्वविदित है तथा सभी मानते भी हैं कि 70 प्रतिशत से भी अधिक चावल अन्यत्र भेजा गया। वस्तुतः, आन्ध्र प्रदेश में ऐसे मामले रहे हैं जहां लोगों को चावल रेड्डी और चावल नायडु कहा जाता है। पूरे देश में अन्यत्र भेजे जा रहे 40 प्रतिशत चावल में से ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आन्ध्र प्रदेश से 70 प्रतिशत से भी अधिक चावल अन्यत्र भेजा जाता है। मैं मंत्री महोदय से अन्यत्र भेजे गए चावल की मात्रा के बारे में तथा प्रस्तावित कार्रवाई और इसमें लिप्त व्यक्तियों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री शरद पवार : महोदय, यह प्रश्न योजना आयोग की रिपोर्ट और ओ०आर०जी० मार्ग रिपोर्ट के बारे में है। मेरे पास इन दोनों रिपोर्ट के बारे में जानकारी है जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है।

मासिक रिटर्न के बारे में हमारे पास सितम्बर 2001 से अक्तूबर 2006 तक की अवधि की आन्ध्र प्रदेश की रिपोर्ट है। हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखती है। माननीय सदस्य एक थोड़े भिन्न मामले की बात कर रहे हैं। मैं उस मामले के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। आपदा में एक विशेष मात्रा में चावल का आबंटन किया गया था और उसे अन्यत्र भेजे जाने की शिकायत थी। हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इसकी जांच कराए और हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री खगेन दास : कुछ चुनिंदा लोगों को पी०डी०एस० उपलब्ध कराने से पी०डी०एस० से अन्यत्र भेजे जाने की समस्या बढ़ी है। उस समस्या से निपटने के लिए क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमीकरण करने पर विचार कर रही है और क्या सरकार दलहन तथा खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं को पी०डी०एस० में शामिल करने की योजना बना रही है?

श्री शरद पवार : सरकार का सारा ध्यान समाज के उस वर्ग की ओर है जो वास्तव में समस्याओं का सामना कर रहा है, जो निर्धनों में निर्धनतम हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। कुछ राज्यों से इस प्रणाली का सार्वभौमीकरण करने के लिए हमें जो विचार या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। हमारे लिए उसे स्वीकार करना कठिन होगा।

अतिरिक्त वस्तुओं के लिए हमने राज्यों को लिखा है। भारत सरकार ने मुख्यतः चार वस्तुओं अर्थात्, चावल, गेहूं, चीनी और पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से केरोसिन की जिम्मेदारी उठाई है। भारत सरकार द्वारा चार वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। शेष वस्तुओं के बारे में हमने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित राज्यों में कार्रवाई

कर सकते हैं। केरल जैसे कुछ राज्यों ने निर्णय लिया है। वे कुछ वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं। किन्तु यह जवाबदेही एक साझी जवाबदेही है। एक विशेष जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा उठाई गयी है और शेष जिम्मेदारियां राज्यों द्वारा उठायी जानी है।

अध्यक्ष महोदय : उनके आश्वासन के बाद कि वे अपनी पोशाक बदलेंगे, मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, हमने स्वीकार कर लिया कि कल के बाद मैं इसे नहीं पहनूंगा। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसकी गाइडलाइंस तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी आपने लिखा है कि राज्यों को जाली राशनकार्ड्स समाप्त करने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे, यानी बी०पी०एल० की जो सूची आप बनवाते हैं, वह राज्य सरकार से बनवाते हैं, लेकिन आप राज्य सरकार को खुली छूट नहीं देते। आप यहां से टारगेट्स फिक्स करते हैं कि इतने केरोसिन तेल का फलां राज्य को आबंटन होगा, इतना गेहूं का आबंटन, इतना चीनी का आबंटन किया गया, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम लोग हैं, वे इससे छूट जाते हैं और इसके कारण वितरण केन्द्रों पर मारामारी की नौबत आती है। चूंकि जहां एक व्यक्ति को उस गांव में सामान मिलता है, वहीं पचास लोग जो लाइन में खड़े होते हैं, उन्हें सामान नहीं मिलता। आप इसमें राज्यों को खुली छूट दीजिए। आपने टारगेट्स फिक्स किए हुए हैं, किसी राज्य में 15 प्वाइंट पर चल रहा है, किसी राज्य में 13 प्वाइंट पर चल रहा है। आप राज्य की जनता को सुविधा देना चाहते हैं या गांव को तोड़कर आपस में विवाद कराना चाहते हैं। हम आपसे स्पष्ट जानना चाहते हैं कि क्या आप राज्य सरकारों को छूट देंगे कि वे वहां की आबादी के अनुरूप, जो लोग उस लायक हों, उनकी बी०पी०एल० की सूची पूर्ण रूप से तैयार करके आप उतने सामान की आपूर्ति करें, जितनी राज्य डिमांड करे और उस बी०पी०एल० की सूची को क्या आप दुकानों पर टंगवाने का काम करेंगे या··· आप इस बात को स्पष्ट रूप से बताइये कि आप राज्य सरकार को खुली छूट देना चाहते हैं या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई के लिए सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : यह कोई कार्रवाई नहीं करने का सुझाव है। इसमें राज्य सरकार को बी०पी०एल० की लिस्ट तैयार करने के लिए अधिकार दिया है। मगर इस अधिकार का अमल प्लानिंग कमीशन ने जो गाइडलाइंस दिये हैं, उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए करना पड़ता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : वह सब खत्म हो गया है।

श्री शरद पवार : क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने पूरे देश की जो बी०पी०एल० की सूची बनाई है, खुद गाइडलाइन्स तैयार की है, क्राइटीरिया तय किये हैं, यह मानदण्ड सभी राज्यों पर लागू होता है। मगर उन राज्यों को यह भी कहा गया है कि वे जो सूची बनायेंगे, उस सूची को बनाते समय पूरे गांव को ग्राम सभा बुलानी चाहिए, सूची को पंचायत के बाहर लगाना चाहिए, उस पर लोगों की राय लेनी चाहिए और ग्राम सभा की जो अल्टीमेट रिक्मैनडेशन है, उसे मद्देनजर रखते हुए, सूची को स्वीकार करना चाहिए। इस सूची के टोटल नम्बर पर राशन का एलोकेशन करने का काम होता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हम कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप गरीबों के संरक्षक हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें भी तो संरक्षण चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जो उत्तर आया है ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूं। आप एक नोटिस दें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : जो गाइडलाइन्स गई हैं, उनमें आप संशोधन करवाइये, राज्यों को खुली छूट दीजिए तथा जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को इसमें शामिल कीजिए ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब और उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं आपको और अनुपूरक पूछने का अवसर दे रहा हूं।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : देश के निर्धनतम वर्ग के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ओ०आर०जी० सर्वेक्षण के अनुसार, गेहूं और चावल को अन्यत्र भेजा जाना क्रमश: 53 प्रतिशत और 39 प्रतिशत है जो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय है। आपने एक नौ सूत्री कार्य योजना दी है मेरे अनुसार मेरे अपने राज्य में किसी ने इस नौसूत्री कार्य योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है। यदि किसी राज्य ने इस नौसूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया होता तो अन्यत्र भेजे जाने का प्रतिशत बहुत कम होता।

हम 24,000 करोड़ रु० की खाद्य राजसहायता दे रहे हैं, केरोसिन के लिए 10,000 करोड़ रु० से अधिक की राजसहायता दी जा रही है। किन्तु सबको अन्यत्र भेजा जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान सरकर ने उचित दर की दुकानें हटा दीं और एस०एच०जी०, ग्राम पंचायत आदि बना दी है। उन्होंने 80 प्रतिशत कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है। श्री येरननायडु, आप सिर्फ जानकारी मांगिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उकसाए बिना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय यह कहा गया है कि:

> "पारदर्शिता के लिए, पंचायती राज संस्था के निर्वाचित सदस्यों की खाद्यान्न विवरण में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जहां तक संभव हो, स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों इत्यादि को उचित दर की दुकानों के लाइसेंस दिए गए।"

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न इतना लम्बा नहीं हो सकता।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री द्वारा अपने उत्तर में जोभी कहा गया है वह कार्यान्वित किया जाएगा अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो भूमिका बांधी उसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री शरद पवार : महोदय, मैरे विचार से मुझे आरोपों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे निपट सकते हैं। नहीं। यह रिकार्ड में नहीं है।

श्री शरद पवार : महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। अन्यत्र भेजा जाना एक गंभीर समस्या है। वस्तुत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में गेहूं का अन्यत्र भेजा जाना लगभग 100 प्रतिशत है। लगभग छह राज्य हैं जहां अन्यत्र भेजा गया शत प्रतिशत है। इसीलिए मैंने मुख्य मंत्रियों और संबंधित मंत्रियों को इस मसलें पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। वस्तुत:, इस सप्ताह में उन्हें लिखित संदेश भेज रहा हूं कि जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं लाया जाता, हम आवंटन रोक देंगे। ...*(व्यवधान)* मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्र० सं० 188 श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील उपस्थिति नहीं।

प्र० सं० 189 श्री चन्द्रभूषणसिंह उपस्थिति नहीं।

[हिन्दी]

उर्वरक कंपनियों के लंबित सब्सिडी बिल

+

***190. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उर्वरक कंपनियों को दी गई सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर विभिन्न उर्वरक कंपनियों के लगभग एक हजार करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप देय है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पर सब्सिडी के रूप में देय बकाया धनराशि के कारण उर्वरक कंपनियों ने रबी फसलों हेतु कम मात्रा में यूरिया का उत्पादन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में धनराशि के बकाया रहने के क्या कारण हैं; और

(च) इस बकाया धनराशि को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक कंपनियों को दी गई राजसहायता की राशि इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए)

उर्वरक	वर्ष		
	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आयातित नियंत्रणमुक्त पी और के उर्वरक अनुबन्ध-I	720.00	1165.18	2097.00
स्वदेशी नियंत्रणमुक्त पी और के उर्वरक अनुबन्ध-II	2606.00	3976.99	4499.19
स्वदेशी यूरिया अनुबन्ध-III	8521.00	10243.15	10460.17
कुल	11847.00	15385.32	17056.36

(ग) विभिन्न उर्वरक कंपनियों को 11476.04 करोड़ रुपए की राजसहायता राशि दी जानी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) हालांकि सरकार बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के प्रयास कर रही है लेकिन बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह बजट आबंटन पर निर्भर करता है।

अनुबंध-I

आयातित नियंत्रणमुक्त (पीएवंके) उर्वरकों के लिए उर्वरक कंपनियों को दी गई राजसहायता की राशि

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	कंपनी का नाम	व्यय		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	47.97	41.27	127.90
2.	कोरामण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	20.07	39.32	58.20
3.	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पैट्रोकैमिकल्स कार्पो०	5.35	0.45	0.03
4.	इंकन्स इण्डस्ट्रीज लि०	3.28	0.05	0.74
5.	ई०आई०ई०डी० पैरी	17.32		0.02
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	9.51	5.11	0.99
7.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	10.46	1.38	3.19
8.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि०	17.70	17.34	71.64
9.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	0.03	0.06	
10.	हिन्द लिवर कैमिकल्स लि०	32.27		
11.	इण्डियन फॉमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लि० (इफको)	0.56	22.98	169.70
12.	इण्डियन पोटाश लि०	374.26	685.36	979.80
13.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	4.90	2.14	8.84
14.	मोजेक इण्डिया प्रा० लि०	33.58		137.80

1	2	3	4	5
15.	मिनरल्स एण्ड मैटलस ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि० (एम०एम०टी०सी०)	3.83	5.35	0.61
16.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	0.49	3.98	6.95
17.	पारादीप फॉस्फेट लि०	8.14	29.17	49.22
18.	रैलीस इण्डिया लि०	4.95		2.04
19.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	33.58	48.29	82.70
20.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स	55.50	135.92	175.09
21.	सदर्न पैट्रोकैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कॉर्पो० लि०	7.31	0.52	0.38
22.	टाटा कैमिकल्स लि०	12.39	58.54	120.21
23.	जुआरी इण्डस्ट्रीज लि०	16.53	25.47	81.47
24.	धर्मसी मोरारजी कैमिकल्स कम्पनी लि०		0.13	
25.	कारगिल इंडिया प्रा० लि०		42.35	18.76
26.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०			0.07
27.	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०			0.65
	योग	720.00	1165.18	2097.00

अनुबंध-II

स्वदेशी नियंत्रणमुक्त (पीएवंके) उर्वरकों के लिए उर्वरक कंपनियों को दी गई राजसहायता की राशि

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	कंपनी का नाम	व्यय		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आरती फर्टिलाइजर्स			4.91
2.	द आन्ध्रा शुगर्स लि०	2.68	2.79	3.39
3.	अरावली फॉस्फेटस लि०	1.67	1.57	2.50
4.	अरिहन्त फॉस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	2.08	1.28	0.52
5.	अरिहन्त फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स इण्डिया लि०	0.00	0.00	0.08
6.	आशा फॉस्फेट्स लि०	0.00	0.17	0.00
7.	एग्री ग्रीन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स प्रा० लि०	0.00	0.00	0.76
8.	एग्रो फास (इण्डिया लि०)	0.00	0.01	0.99
9.	एशियन फर्टिलाइजर्स लि०	3.86	3.78	4.19

1	2	3	4	5
10.	बालाजी फर्टिलाइजर्स प्रा० लि०	0.30	0.86	0.85
11.	बसन्त एग्रोटैक (इण्डिया) लि०	3.46	3.49	6.05
12.	भिलाई इंजीनयरिंग कार्पो० लि० पुलगांव	3.28	4.52	4.59
13.	भिलाई इंजीनयरिंग कापो० लि० बिलासपुर	7.17	5.83	6.20
14.	भारत फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज लि०	0.84	0.35	0.06
15.	भवानी मिश्रा फर्टिलाइजर्स	0.74	0.59	1.03
16.	बोहरा इण्डस्ट्रीज लि०	4.06	3.01	2.93
17.	कोरामण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	155.13	301.52	370.06
18.	कैमटैक फर्टिलाइजर्स लि०	1.05	1.28	1.60
19.	कोयम्बटूर पायनियर फर्टिलाइजर्स लि०	3.06	2.76	3.45
20.	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन	17.57	14.07	6.70
21.	धर्मसी मोरारजी कैमिकल्स कम्पनी लि०	12.70	7.35	11.98
22.	ई०आई०डी० (पैरी) इण्डिया लि०	22.34	0.00	0.00
23.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकलस ट्रावनकोर लि०	122.41	211.66	281.05
24.	गायत्री स्पिनर्स लि०	0.78	0.83	0.94
25.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	182.10	328.97	418.97
26.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (इफको)	8.69	0.00	0.00
27.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि०	38.28	48.15	68.17
28.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (एस)	33.20	263.47	225.48
29.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (बडोदरा)	161.19	0.00	74.42
30.	हिन्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि०	58.21	114.73	105.87
31.	हिन्द लिवर कैमिकल्स लि०	166.04	0.00	4.74
32.	इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लि० (इफ्को)	647.43	971.71	1097.33
33.	इफ्को (जी०एफ०सी०एल०)	34.12	23.99	24.80
34.	इण्डियन पोटाश लि०	0.00	0.00	0.00
35.	इण्डियन पोटाश लि० (एस०एस०पी०)	0.00	0.00	2.86
36.	इण्डो गल्फ कारपोरेशन लि०	17.98	0.00	0.83
37.	जयराम फॉस्फेट लि०	3.11	2.54	0.77
38.	जयराम फॉस्फेट लि०	0.00	0.00	3.01

1	2	3	4	5
39.	जयश्री कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-(I)	3.33	2.29	2.33
40.	जयश्री कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-(II)	3.63	2.74	4.03
41.	जयश्री कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स-(III)	0.03	0.00	0.00
42.	जुब्लीएन्ट ओरगेनोसिस लि०	0.00	0.00	9.28
43.	जुब्लीएन्ट ओरगेनोसिस लि० (साधना फॉस)	6.90	0.33	3.50
44.	काशी उर्वरक लि०	0.03	0.01	0.00
45.	खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (I)	11.70	11.53	5.48
46.	खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (II)	4.17	3.07	4.80
47.	खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (III)	0.00	0.07	1.04
48.	कोठारी इण्डस्ट्रीयल कोर्पो० लि०	0.03	0.00	0.00
49.	कृष्णा इण्डस्ट्रीयल कोर्पो० लि०	1.66	1.47	2.72
50.	लिबर्टी उर्वरक लि०	0.00	3.63	4.49
51.	लिबर्टी फॉस्फेट लि० (के)	0.00	0.00	0.42
52.	लिबर्टी फॉस्फेट लि०	14.61	12.00	14.69
53.	महादेव फर्टिलाइजर्स लि०	0.31	0.19	0.00
54.	मंगलम फॉस्फेट्स लि०	0.27	0.34	0.01
55.	मर्दिया कैमिकल्स लि०	0.29	0.00	0.00
56.	मध्य भारत फॉस्फेट लि०	0.05	0.28	0.92
57.	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लि०	0.16	0.42	2.55
58.	मध्य प्रदेश औरगोकैम लि०	0.00	0.00	0.02
59.	मैंगलोर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	30.13	72.51	66.00
60.	महाराष्ट्र एग्रो डवलपमैन्ट इण्डस्ट्रीयल कॉर्पो०	0.00	0.00	0.00
61.	मैक्सिकन फॉस्फेट लि०	0.45	0.00	0.00
62.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	116.68	138.97	99.18
63.	मध्य प्रदेश, औरगोकैम लि०	0.03	0.04	0.00
64.	मुक्तेश्वर फर्टिलाइजर्स लि०	0.11	0.11	0.12
65.	मुनक कैमिकल्स लि०	0.09	0.00	0.00
66.	नर्मदा एग्रो कैमिकल्स प्रा० लि०	0.16	0.07	0.12
67.	नटराज ऑर्गेनिक्स	0.64	0.09	0.05

1	2	3	4	5
68.	निरमा लि०	6.15	6.15	6.15
69.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	85.10	264.45	72.2
70.	ओरिएंटल कार्बन लि०	0.01	0.00	0.00
71.	द फॉस्फेट कं०	5.62	5.26	7.91
72.	पारादीप फॉस्फेट लि०	204.05	310.32	494.69
73.	प्रगति फर्टिलाइजर्स लि०	1.27	1.22	0.83
74.	प्रत्युश कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	1.53	0.28	0.01
75.	प्रेमसखी फर्टिलाइजर्स लि०	2.25	1.53	0.25
76.	प्रियंका फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स	0.73	0.67	0.68
77.	मध्य भारत फॉस्फेट लि०	0.00	0.00	0.00
78.	राजलक्ष्मी एग्रोटैक इण्डिया लि०	0.02	0.00	0.00
79.	रामा फॉस्फेट लि० (एम)	6.23	6.43	8.90
80.	रामा फॉस्फेट लि० (यू)	7.66	2.90	3.74
81.	राशि फर्टिलाइजर्स लि०	0.03	0.00	0.00
82.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	92.76	114.10	118.88
83.	रेवती मिनरल्स एण्ड कैमिकल लि०	0.01	0.01	0.00
84.	राम कृषि रासायन लि०	5.78	4.48	6.15
85.	साधना फॉस्फेट एण्ड कैमिकल्स लि०	1.00	0.34	0.15
86.	सारदा फर्टिलाइजर्स लि०	0.00	0.00	0.00
87.	शॉ वैलेस	0.00	0.00	0.00
88.	शिवा फर्टिलाइजर्स लि०	3.98	4.00	4.86
89.	श्री एसिड एण्ड कैमिकल्स लि०	0.00	0.00	0.00
90.	श्री गणपति फर्टिलाइजर्स लि०	0.00	0.34	0.04
91.	श्री जी फर्टिलाइजर्स लि०	0.00	0.00	0.00
92.	श्री गजराज फर्टिलाइजर्स	0.00	0.00	0.00
93.	श्री कृष्णा फर्टिलाइजर्स लि०	0.00	0.43	0.09
94.	श्री निवास फर्टिलाइजर्स	0.26	0.00	0.42
95.	सोना फॉस्फेट लि०	0.02	0.01	0.05
96.	सदन पेट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कार्पो लि०	91.53	157.23	171.03

1	2	3	4	5
97.	सुबोध्या कैमिकल्स लि०	0.71	0.81	1.76
98.	सुरवी कलर कैमिकल्स लि०	0.32	0.32	0.19
99.	स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	1.42	1.20	1.61
100.	टैडको ग्रेनाइट लि०	1.58	3.38	2.83
101.	तिस्ता एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०	6.26	7.42	8.41
102.	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कम्पनी लि०	1.51	1.71	3.09
103.	वाम आँरगेनिक लि०	1.48	0.00	0.04
104.	जुआरी इण्डस्ट्रीज लि०	139.70	243.99	304.83
105.	जुब्लिएण्ड आँरगेनोसिस लि० (वाम आँरगेनिक लि०)	0.00	8.13	0.00
106.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (एफ)	0.00	1.05	13.92
107.	ओरिएन्टल कार्बन कार्पों लि०	0.00	0.00	0.00
108.	टीजे एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०	0.00	1.23	1.68
109.	टाटा कैमिकल्स लि० (एच०एल०एल०)	0.00	233.96	265.52
110.	वीके फॉस्फेट्स लि०	0.00	0.00	0.74
	योग	2579.96	3954.77	4465.40
	जोड़े			
	अक्तूबर 2000 से पूर्व व्यय	23.46	13.76	29.73
	विशेष भाड़े पर व्यय	2.58	8.46	4.01
	सकल योग	2606.00	3976.99	4499.19

अनुबंध-III

स्वदेशी यूरिया के लिए उर्वरक कंपनियों को दी गई राजसहायता की राशि

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	कंपनी का नाम	व्यय		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड	669.42	671.09	852.01
2.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड	1.57	0.00	1.91
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	409.76	496.74	676.39
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-भटिण्डा	502.01	434.37	353.64
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-पानीपत	465.88	404.68	309.35

1	2	3	4	5
6.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-विजयपुर	164.49	146.45	123.93
7.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-विजयपुर	284.14	320.83	350.06
8.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०-नंगल	544.85	452.51	420.85
9.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन	14.40	28.64	20.70
10.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स	-10.46	-6.63	1.05
11.	फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ	8.39	0.00	0.00
12.	फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ	40.46	0.00	0.00
13.	फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ	6.90	0.00	0.00
14.	नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन	50.61	-0.15	0.00
15.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड	70.01	217.68	57.69
16.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स	224.85	265.46	293.98
17.	कृभको	322.21	197.59	245.94
18.	इफको-फूलपुर-II	577.55	865.60	913.65
19.	इफको-फूलपुर-I	460.95	526.58	536.03
20.	इफको-कलोल	286.94	319.76	151.92
21.	इफको-आंवला-I	147.35	158.17	95.03
22.	इफको-आंवला-II	143.89	245.56	125.55
23.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड	146.51	184.25	144.44
24.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड	207.81	298.05	479.39
25.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड	230.62	386.49	329.26
26.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड	617.47	821.19	828.45
27.	टाटा कैमिकल्स लि०	176.21	382.66	329.67
28.	जुआरी इण्डस्ट्रीज लि०	381.41	484.61	623.09
29.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स	299.37	310.48	436.36
30.	इण्डोगल्फ कॉरपोरेशन लि०	106.28	215.97	278.39
31.	सदर्न पेट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कार्पो	520.03	668.13	896.08
32.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड	222.91	361.76	87.24
33.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड	226.21	384.63	461.32
34.	इंकम इण्डस्ट्रीज लि०	0.00	0.00	38.90
	सकल योग	8521.00	10243.15	10460.17

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन्होंने अभी जो उत्तर दिया है कि कतिपय उर्वरक उत्पादक कंपनियों को जो धनराशि दी जाती है, वह अभी भी बकाया है और इसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती है, जब भी समय आएगा, हम उसे देंगे। लेकिन क्या आप इसकी कोई समयावधि निश्चित करेंगे? दूसरे, क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि कतिपय उर्वरक उत्पादक कंपनियां, जिनको सब्सिडी दी जाती है, वे अपने उत्पादन की मात्रा अधिक बताती हैं, जबकि उत्पादन उससे कम होता है और वे सब्सिडी प्राप्त कर लेती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है?

श्री राम विलास पासवान : आपका पहला प्रश्न क्या था?

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : जो इसमें सब्सिडी की बकाया राशि के बारे में कहा है कि उसकी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और हम शीघ्र ही भुगतान कर देंगे, शीघ्र ही देंगे, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। आपने अपने उत्तर में ऐसा कहा है — कृपया देखिए। हालांकि सरकार बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। आखिर कब तक आप उसे लम्बित करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : सर, सब्सिडी की काफी रकम होती है। पिछले साल 34,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी कुल मिलाकर थी, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये तो दे दिये गये थे, लेकिन 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा उनका बचा था। इसमें अभी जो तीसरी सप्लीमेंट्री है, उसमें 35,00 करोड़ रुपया दिया गया है। बाकी जो 8,000 करोड़ रुपया बचा है, उसके लिए हमने माननीय प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय वित्त मंत्री जी से भी बातचीत की है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि इसका भुगतान भी जल्दी से जल्दी कर लिया जाएगा। लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है। हर साल सब्सिडी के जो पैसे होते हैं, कुछ-न-कुछ बकाया धनराशि रहती है, और उसकी आगे पेमेंट होती रहती है। इसलिए इसमें जल्द का तो मैं नहीं कह सकता हूं कि 15 दिन या 20 दिन में भुगतान हो जाएगा, लेकिन यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हम लोग भी हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इनकी बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र से शीघ्र कर दिया जाए।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : सैकेंड सप्लीमेंट्री में आपका उत्तर आ जाएगा।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कुछ कंपनियों ने सब्सिडी तो प्राप्त कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जितना उत्पादन होना चाहिए, उतना उत्पादन उन्होंने नहीं किया है। क्या आपको ऐसी शिकायतें मिली हैं? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जिनको सब्सिडी नहीं मिली थी या मिल गई थी उसके बाद भी यूरिया का जितना उत्पादन होना चाहिए, यूरिया का उतना उत्पादन नहीं हुआ, जिससे यूरिया का संकट पूरे देश में बना रहा। कालाबाजारी हुई।

श्री राम विलास पासवान : जहां तक सब्सिडी देने का सवाल है, हम सब्सिडी तभी देते हैं जब राज्य सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट आ जाता है। शुरू में 85 प्रतिशत तक सब्सिडी, हम जब उनका माल चलता है, जहां से वे चलाते हैं, उसके आधार पर देते हैं, लेकिन बाकी जो पैसा होता है, वह हम उनको तब देते हैं जबकि राज्य सरकारें हमें सर्टिफिकेट दे देती हैं कि इनका माल पहुंच गया है। दूसरे जहां तक सवाल है, इसमें भी जहां से शिकायतें आती हैं, उस संबंध में कार्रवाई की जाती है।

दूसरे, अब हम ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं। जहां तक यूरिया का सवाल है, आपको मालूम है कि यूरिया की कमी का जो मामला है, कई राज्यों से शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन यह भी इतना ही सत्य है कि राज्य सरकारें हमेशा बताती हैं कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है और कितना आपने दिया। डिपार्टमेंट हमेशा इस बात को देखता है कि कितनी उपलब्धता है और कितनी आपने बिक्री की। हमारे पास पूरा आंकड़ा है। अगर आप कहेंगे तो हम सदन के पटल पर रख देंगे। कोई राज्य ऐसा नहीं है, जिनके पास जितनी उपलबधता थी, उतना उन्होंने वितरण किया हो। वितरण सिस्टम में कहीं-कहीं जरूर कठिनाइयां हैं। अभी जो वितरण का सिस्टम है, कई राज्य सरकारें हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ तथा कंपनी के साथ टाइ-अप करके ये पता लगाती हैं कि हमारे राज्य में फर्टिलाइजर की कितनी आवश्यकता है और कितना फर्टिलाइजर कौन कंपनी देगी, कहां देगी, कैसे देगी, कब देगी, रेल से देगी या रोड से देगी — इन सब बातों के बारे में उनके बीच में टाइ-अप होता है। जहां तक यूरिया का सवाल है, 50 प्रतिशत यूरिया कंट्रोल में है। उसकी जवाबदेही हम लेते हैं। 50 प्रतिशत डी-कंट्रोल्ड है। एम०ओ०पी० टोटली डी-कंट्रोल्ड है। डी०ए०पी० पूरी तरह से डी-कंट्रोल्ड है। यह सारा का सारा उनका आपस में टाइ-अप होता है। दिक्कत यह होती है कि कही मान लीजिए किसी एक बड़े जंक्शन — गया जंक्शन पर माल पहुंच गया, अब गया यदि माल पहुंच जाता है और औरंगाबाद नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं-न-कहीं हम यह

मान लेते हैं कि जो वितरण प्रणाली है, वह वितरण प्रणाली पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में रहती है, इसके बावजूद भी जहां-जहां से हमें शिकायत मिलती है, हम तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। पहली अप्रैल से हम ऑनलाइन सिस्टम करने जा रहे हैं। सारा का सारा सिस्टम हम यहीं से मोनीटरिंग करेंगे और अब कंपनी को भी तब पैसा मिलेगा जबकि कंपनी वहां जिले में माल पहुंचा देगी। इसके लिए हम अलग से प्रावधान कर रहे हैं। पहले एक लमसम एमाउंट दे दिया जाता था। डी-कंट्रोल्ड आइटम्स वाले ऐसा करते थे कि जिस कंपनी को डी-कंट्रोल्ड आइटम्स का अधिकार है, वह कंपनी जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे हरियाणा में हुआ, तो जो उनका डी-कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर है, उसे वे बगल के राज्य में बेच देते हैं, दूर में ले जाना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इसमें हमें कम पैसा मिल रहा है। इसलिए जो उनके कम पैसे का मामला था, 197 करोड़ रुपया करीब-करीब उसमें एमाउंट आता है, उसके लिए भी हमने उसे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए एक अप्रैल से जो अभी खरीफ का समय आ रहा है, मैं समझता हूं कि इस बार से उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हम एक बात माननीय सदस्य से कहना चाहते हैं कि आपने जैसा कहा कि कुल मिलाकर हमारी कैपेसिटी 197 लाख टन की है और 200 लाख टन तक हमारा उत्पादन होता है, कैपेसिटी सौ प्रतिशत है, उसमें हमारे दो तरह के प्लांट हैं। कुछ प्लांट नेफ्था द्वारा चलते हैं और कुछ प्लांट गैस के माध्यम से चलते हैं। गैस के माध्यम से जो हमारा उत्पादन होता है, वह 65 प्रतिशत होता है, लेकिन सब्सिडी 35 प्रतिशत लगती है। नेफ्था के माध्यम से 35 प्रतिशत उत्पादन होता है लेकिन सब्सिडी उसमें 65 प्रतिशत लगती है। नेफ्था के जो प्लांट काफी पुराने हैं, उनके लिए हम लोगों ने कहा कि है कि अगले साल में सारे के सारे प्लांट बदलकर हम गैस आधारित प्लांट करने का काम करेंगे। हम इसके लिए इनसेंटिव भी दे रहे हैं। हमने कहा है कि 110 प्रतिशत यदि कोई उत्पादन करेगा तो 65 प्रतिशत उसका मुनाफा केन्द्र को आएगा और 35 परसेंट मुनाफा कम्पनी को जायेगा। यदि कम्पनियां 110 परसेंट से ज्यादा उत्पादन करेंगी तो फिर 100 परसेंट मुनाफा उन्हें ही मिलेगा। इसलिये हम मुख्य चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं। दूसरे, हमारे यहां प्राब्लम यह है कि इस साल यूरिया की खपत 252 लाख टन हुई है, जबकि उत्पादन 197 लाख टन हुआ है। बकाया हम इम्पोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी हमारे यहां उपलब्धता कम रहती है, उतना हम इम्पोर्ट करते हैं। हमने राज्य सरकारों के कृषि मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैंने उन से आग्रह किया था कि आप ब्लॉक लैवल तक जाइये, उसमें असैस्मेंट कीजिये कि कितने यूरिया की आवश्यकता है, उसके बाद हमारे पास दीजिये, हम उसे पूरा करेंगे। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कौन सी कम्पनी कितनी पैदावार कर रही है, उसकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन 100 परसेंट हो रहा है या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या और अनुपूरक पूछा जाना है? मेरे विचार से प्रश्न के सभी पहलुओं को शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, कई बार सरकार की ओर से यह घोषणा हुई कि कम्पनियों को जो सब्सिडी दी जा रही है, वह सीधे किसानों को दी जा सकती है। इसके बारे में कई बार योजनायें बनी और कई बार इस संबंध में विचार किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों को वह सब्सिडी दे रही है, वे उसका कई जगह दुरुपयोग करते हैं, कई बार बेजा इस्तेमाल होता है। सरकार उस बात पर विचार क्यों नहीं करती है कि सब्सिडी सीधे किसानों को ही दी जाये?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप जानते होंगे कि जब वित्त मंत्री ने इस वर्ष बजट पेश किया, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट सब्सिडी को पॉयलट प्रोजैक्ट के रूप में कहा है? लेकिन अभी यह सरकार के विचाराधीन है। जहां तक हमारी मिनिस्ट्री का सवाल है और मेरा पर्सनल सवाल है, मैं इसका विरोध करता हूं, इसलिये कि किसानों को उससे फायदा होने वाला नहीं है। किसानों को यदि 4830 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलते हैं और आगे भी सब्सिडी उसी रेट पर मिलेगी लेकिन उससे क्या होगा कि इंसपैक्टर राज आ जायेगा। यदि हम कह देंगे कि अभी कम्पनी को जो सब्सिडी देते हैं, किसान को यदि वह सीधे जाकर मिलती है तो कल किसान को ज्यादा दाम देना पड़ेगा। उसे पहले सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तब उस सर्टिफिकेट के आधार पर उसे पैसा मिलेगा। हमने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में इस बात को रखा था। इस बात पर हम गहन अध्ययन कर रहे हैं। यह देखने और सुनने में अच्छा लगता है कि किसान को सीधे सब्सिडी दी जाये, लेकिन फि डायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट हो जायेगा और इनडायरेक्ट का मतलब इंसपैक्टर राज आ जायेगा। इसलिये हम इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने पॉयलट प्रोजैक्ट के रूप में इसकी घोषणा की है, उसके अनुसार हर राज्य में से एक-एक जिला लिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या आप इंस्पेक्टर राज के खिलाफ राजस्व नायक हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। अनुमति नहीं दिए गए प्रश्नों का उत्तर न दें।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, अलावाये स्थित फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को केरल की सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी और पुरानी कंपनी माना जाता है। अब इसमें बार-बार गलत नीतियों की अपनाए जाने के कारण इसकी स्थिति में .गिरावट आ रही है। राज्य की इस सबसे पुरानी सरकारी क्षेत्र की कंपनी को पुनर्जीवित करने का क्या प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न लंबित राजसहायता बिलों के बारे में है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : राष्ट्रीय केमिकल्स को फैक्ट के साथ मिलाने का प्रस्ताव था। इससे एक संयुक्त कंपनी चलायी जाएगी और इस तरीके से इसे पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है। वास्तव में सरकार इसके लिए क्या कर रही है और आप इसे किस प्रकार पुनर्जीवित करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आप उन्हें लिखित में उत्तर भेज सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, इसे पहले ही पुनर्जीवित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसे पहले ही पुनर्जीवित किया जा चुका है। मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात का पता नहीं था।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे इसके बारे में व्यकितगत तौर पर सारी जानकारी है। पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राधकृष्णन जी आपके पास इसके समाधान के कई विकल्प हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो आप कार्यवाही कर सकते हैं। कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तथागत सत्पथी जी, यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो आप कार्यवाही कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, आज बरसात हो रही है और बाहर का मौसम काफी सुहावना है। यह काफी खुशी का अवसर है कि मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य श्री राम विलास पासवान के विचार वित्त मंत्री से अलग हैं ... *(व्यवधान)* श्री पासवान ने वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों के कुछ भागों का विरोध किया है। हम उनके रवैये का स्वागत करते हैं। श्री पासवान जी को क्रांतिकारी माना जाता है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन जी यहां पर बैठे हैं मैं इसके बारे में निर्णय नहीं ले सकता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन जी, आपको एक रोल मॉडल बनना चाहिए। इसकी बजाय आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसे इस बात की जानकारी है कि इस देश में एक दशक से भी अधिक समस्या से यह पुरानी समस्या चली आ रही है कि उर्वरक उत्पादन कंपनियां उर्वरक के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए जानबूझकर इसकी कमी पैदा कर रही है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न लंबित राजसहायता के बारे में हैं। हम विषय से भटक कर काफी दूर चले गए हैं। कृपया राजसहायता के बारे में पूछिए।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी : वे अपने गैर-राजसहायता प्राप्त उर्वरकों को बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं ... *(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत देर तक यह नहीं सुन सकता।

(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी : डी०ए०पी० जैसे उत्पाद विनियंत्रित हैं और जिनकी काफी ज्यादा मांग है, जबकि जो उत्पाद नियंत्रित हैं उनकी

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इतनी अधिक मांग नहीं है। इन्हीं उत्पादों के लिए सरकार राजसहायता के रूप में हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है जिससे केवल उर्वरक कंपनियों, जो कोई अनुसंधान, विकास, अथवा इस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान नहीं करती है, के लाभ में ही वृद्धि हो रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनकी नियंत्रित और विनियंत्रित उत्पादों से संबंधित मामलों से निपटने की क्या योजना है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया आप केवल प्रश्न के राजसहायता वाले भाग का ही उत्तर दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ सब्सिडी के बारे में बोलिये।

श्री राम विलास पासवान : इसमें सब्सिडी का कोई प्रश्न नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे अलग से जाकर मिलिए।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता

+

***191. श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :**
श्री एन०एन० कृष्णदास :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य अभिकरणों के गोदामों की राज्यवार वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बनाए गए गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या खाद्यान्नों का भंडारण करने हेतु वर्तमान भंडारण क्षमता पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-I

(क) 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भंडारण निगमों और अन्य एजेंसियों से किराए पर ली गई क्षमता सहित 251 लाख टन भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण की गई क्षमता सहित भंडारण गोदामों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम		केन्द्रीय भण्डारण निगम		राज्य भंडारण निगम	
	भंडारण गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख टन में)	भंडारण गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख टन में)	भंडारण गोदामों की संख्या	क्षमता (लाख टन में)
2003-04	15	1.33	19	3.14	11	3.63
2004-05	11	0.96	15	1.17	12	(-) 17.33
2005-06	05	0.22	06	2.76	07	1.48

राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध समूची भंडारण क्षमता खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए पर्याप्त है। 31.1.2007 की स्थिति के अनुसार भंडारण क्षमता का उपयोग 46% था। तथापि, उत्तर पूर्व और जम्मू व कश्मीर में संलग्न अनुबंध-II में दिए गए ब्यारे के अनुसार अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। इसके अलावा, किसी राज्य की विशिष्ट आवश्यकता के मामले में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों को केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों से गोदाम किराये पर लेने के लिए पूर्ण शक्तियां दी गई हैं।

अनुबंध-I

भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध राज्यवार भंडारण क्षमता

31.1.2007 की स्थिति के अनुसार (आंकड़े टन में)

अंचल	क्र० सं०	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई	किराए की						कैप			सकल जोड़	कुल स्टाक	प्रतिशतता
			अपनी							अपनी	किराए की	जोड़			
			भा०खा०नि० के अपने	राज्य सरकार	के०भं०नि०	राज्य भंडारण निगम	निजी पार्टियां	कुल किराए की	कुल ढकी हुई						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.50	0.59	0.48	1.60	5.26	0	0	0	5.26	1.71	33
	2.	झारखंड	0.66	0	0.11	0.18	0.23	0.52	1.18	0	0	0	1.18	0.56	47
	3.	उड़ीसा	2.93	0	0.48	2.55	0.15	3.18	6.11	0	0	0	6.11	3.08	50
	4.	पश्चिम बंगाल	8.64	0.23	0.55	0	0.56	1.34	9.98	0	0	0	0.98	2.62	26
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0	0	0	0.01	0.11	0	0	0	0.11	0.06	56
		जोड़	15.99	0.27	1.64	3.32	1.42	6.65	22.64	0	0	0	22.64	8.03	35
उत्तर पूर्व	6.	असम	1.99	0.02	0.10	0.07	0.37	0.56	2.55	0	0	0	2.55	0.80	31
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0.18	0.02	11
	8.	मेघालय	0.14	0	0.11	0.05	0	0.16	0.30	0	0	0	0.30	0.20	90
	9.	मिजोरम	0.17	0.01	0	0	0	0.01	0.18	0	0	0	0.18	0.09	50
	10.	त्रिपुरा	0.22	0.05	0.07	0	0	0.12	0.34	0	0	0	0.34	0.19	56
	11.	मणिपुर	0.20	0.02	0	0	0	0.02	0.22	0	0	0	0.22	0.05	23
	12.	नागालैंड	0.20	0	0.10	0	0	0.10	0.30	0	0	0	0.30	0.14	47
		जोड़	3.10	0.10	0.38	0.12	0.37	0.97	4.07	0	0	0	4.07	1.49	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36	0.34	0	0.34	3.70	1.18	32
	14.	हरियाणा	7.70	3.89	1.88	3.99	1.00	10.76	18.46	3.17	0	3.17	21.63	8.20	38
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.07	0	0	0.13	0.27	0	0	0	0.27	0.21	78
	16.	जम्मू व कश्मीर	0.96	0.15	0	0	0.10	0.25	1.21	0	0	0	1.21	0.78	64
	17.	पंजाब	21.84	0.02	0.60	32.32	2.71	35.65	57.49	6.33	0.12	6.45	63.94	33.32	52
	18.	चंडीगढ़	0.40	0	0.41	0.21	0	0.62	1.02	0.08	0	0.08	1.10	0.80	73
	19.	राजस्थान	7.06	0	0.13	0	0.16	0.29	7.35	1.58	0.19	1.77	9.12	3.74	41
	20.	उत्तर प्रदेश	14.96	0.09	1.82	4.04	0.20	6.15	21.11	4.19	0	4.19	25.30	5.80	23
	21.	उत्तरांचल	0.66	0.10	0.23	0.43	0.05	0.81	1.47	0.09	0.02	0.11	1.58	0.71	45
		जोड़	57.08	4.31	5.14	40.99	4.22	54.66	111.74	15.78	0.33	16.11	127.85	54.74	43
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.73	0	2.39	17.77	0	20.16	32.89	1.97	0	1.97	34.86	16.78	48
	23.	केरल	5.12	0	0	0	0	0	5.12	0.21	0	0.21	5.33	2.21	41
	24.	कर्नाटक	3.73	0	0.38	0.44	0	0.82	4.55	1.37	0	1.37	5.92	2.17	37
	25.	तमिलनाडु	5.83	0	0.80	0.33	0	1.13	6.96	0.60	0	0.60	7.56	4.52	65
	26.	पांडिचेरी	0.42	0	0	0.02	0	0.02	0.44	0.08	0	0.08	0.52	0.19	37
		जोड़	27.83	0	3.57	18.56	0	22.13	49.96	4.23	0	4.23	54.19	25.87	48
पश्चिम	27.	गुजरात	5.00	0.14	0.42	0	0	0.56	5.56	0.49	0	0.49	6.05	3.56	59
	28.	महाराष्ट्र	11.77	0.26	0.75	0.96	0.49	2.46	14.23	1.42	0	1.42	15.65	5.46	35
	29.	गोवा	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0.15	0.05	33
	30.	मध्य प्रदेश	3.37	0	0.50	0.75	0.37	1.62	4.99	0.36	0	0.36	5.35	3.66	68
	31.	छत्तीसगढ़	5.12	0.03	0.26	1.97	0.05	1.31	6.43	0.05	8.57	8.62	15.05	12.93	86
		जोड़	25.41	0.43	1.93	2.68	0.91	5.95	31.36	2.32	8.57	10.89	42.25	25.66	61
		सकल जोड़	129.41	5.11	12.66	65.67	6.92	90.36	219.77	22.33	8.90	31.23	251.00	115.79	46

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा सृजित राज्यवार गोदामों की क्षमता

भारतीय खाद्य निगम

2003-04

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र	सृजित क्षमता (टन में)
1.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	20000
2.	हरियाणा	बी०जी० सिरसा	16670
3.	पंजाब	एनजी टान्डा	23340
4.	आंध्र प्रदेश	डिचापल्ली	5000
5.		हनुमान जंक्शन	10000
6.	तमिलनाडु	सलेम	3340
7.	कर्नाटक	शिमोगा	15000
8.	महाराष्ट्र	मनमाड	6680
9.	गुजरात	गोधरा	15000
10.	उड़ीसा	ओनगोले	5000
11.		धनकाना	2500
12.		क्योंझर	2500
13.		फुलबनी	2500
14.		नोवरंगपुर	2500
15.	त्रिपुरा	अगरतला	2500
	जोड़		132530

2004-05

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र	सृजित क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	व्यासनगर	13340
2.	हरियाणा	बी०जी० सिरसा	10000
3.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर पीएच-III	15000
4.	तमिलनाडु	सलेम	3340
5.	कर्नाटक	कोप्पल	10000
6.		टुमकुर	5000
7.	महाराष्ट्र	मनमाड	11920
8.	गुजरात	गोधरा	10000
9.	छत्तीसगढ़	टिल्डा	13340
10.	मणिपुर	जीरीबाम	2500
11.	नागालैण्ड	दीमापुर	2500
	जोड़		96940

भारतीय खाद्य निगम

2004-05

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र	सृजित क्षमता (टन में)
1.	जम्मू व कश्मीर	बडगांव	1250
2.		लेह	10000
3.	तमिलनाडु	सलेम	3340
4.	कर्नाटक	टुमकुर	5000
5.	मिजोरम	लुंगलेई	2920
	जोड़		22510

केंद्रीय भंडारण निगम

2003-04

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र	सृजित क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	शाहगंज	18000
2.		ग्रेटर नोएडा आईसीडी	13200 (ढकी हुई)
3.			36000 (खुली)
4.	कर्नाटक	हुबली	9311
5.	केरल	कांजीकोडे (पल्लाकाड)	15000

1	2	3	4
6.		अड्डायल्ला (अलुवा)	10000
7.	राजस्थान	श्रीमाधोपुर	10600
8.		भरतपुर	1829 (ढकी हुई)
9.			10760 (खुली)
10.	तमिलनाडु	मदुरै-2	1550
11.	आंध्र प्रदेश	गढ़वाल	10000
12.	मध्य प्रदेश	शिवपुरकला	10000
13.	गुजरात	कांडला सीएफएस	21600 (पी०फैब)
14.			43200 (खुली)
15.	पश्चिम बंगाल	पेट्रापोले	16000 (खुली)
16.		पेट्रापोले	36000 (खुली)
17.	असम	अमीनगांव (गुवाहटी)	20000
18.	महाराष्ट्र	डी नोडे फेस-2, 12.5 हे०	29400 (पी०फैब)
19.	हिमाचल प्रदेश	देहरा	1670
	जोड़		314120

केंद्रीय भंडारण निगम

2004-05

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र	सृजित क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	आईसीडी बदोही	5000 (ढकी हुई)
2.	कर्नाटक	टुमकुर	9660
3.		ईपीआईपी व्हाइटफील्ड	1480
4.	मध्य प्रदेश	मालनपुर (ग्वालियर)	6000
5.	राजस्थान	खुशालगढ़	3400
6.		सीतापुर-2 जयपुर	1700
7.		भरतपुर यार्ड 4000 वर्गमीटर	7200 (खुली)
8.		कोटपुतली	5000
9.	अंडमान व निकोबार	पोर्टब्लेयर	2700
10.	पश्चिम बंगाल	पेट्रापोले (6000 वर्गमीटर)	2000 (ढकी हुई)
11.			10800 (खुली)
12.	बिहार	मधेपुरा	5000
13.	महाराष्ट्र	डीनोडे लोजिस्टिक पार्क ओडीवाई फेस-1 (23400 वर्गमीटर)	42100 (खुली)
14.		कलामबोली	5000
15.	दिल्ली	नरेला	10000
	जोड़		117040

2005-06

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र	सृजित क्षमता (टन में)
1.	उत्तर प्रदेश	आईसीडी बदोही (2000 वर्गमीटर)	3600 (खुली)
2.		सूरजपुर ग्रेटर नोएडा (4305 वर्गमीटर)	7750
3.	महाराष्ट्र	लोजिस्टिक पार्क डीनोडे नवीं मुम्बाई (39900 वर्गमीटर)	71550 (खुली)
4.		लोजिस्टिक पार्क डीनोडे नवीं मुम्बाई (खुले क्षेत्र/ ड्रेन का विकास) (49000 वर्गमीटर)	88200 (खुली)
5.		डिस्ट्रिक्ट पार्क डीनोडे नवीं मुम्बाई (28500 वर्गमीटर)	51300 (खुली)
6.	गुजरात	सीडब्ल्यू, कांडला-3 (प्लाट नं० 2 व 3) (30000 वर्गमीटर)	54000 (खुली)
	जोड़		276400

राज्य भांडागारण निगम

क्र० सं०	राज्य भांडागार निगम	2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	0.08	0.03	नगण्य
2.	असम	नगण्य	0.01	0.04
3.	बिहार	0.05	नगण्य	0.36
4.	छत्तीसगढ़	0.58	0.01	नगण्य
5.	गुजरात	नगण्य	(-)0.06	नगण्य
6.	हरियाणा	नगण्य	0.09	0.02
7.	कर्नाटक	0.59	0.71	0.22
8.	केरल	0.06	0.04	नगण्य
9.	मध्य प्रदेश	0.06	0.02	0.68
10.	महाराष्ट्र	1.35	(-)0.04	(+)0.04
11.	मेघालय	नगण्य	नगण्य	नगण्य
12.	उड़ीसा	2.11	नगण्य	नगण्य
13.	पंजाब	(-)1.40	(-)18.40*	नगण्य
14.	राजस्थान	0.12	0.17	0.12
15.	तमिलनाडु	नगण्य	नगण्य	नगण्य
16.	उत्तर प्रदेश	0.03	0.09	नगण्य
17.	पश्चिम बंगाल	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	जोड़	3.63	(-)17.33	1.48

*पंजाब राज्य भांडागारण निगम द्वारा इस प्रकार सृजित की गई भंडारण क्षमता कम वसूली के कारण समाप्त/खाली कर दी गई।

श्री एम० राजामोहन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हर साल खाद्यान्न की काफी मात्रा संभलाई, भंडारण और ढुलाई तथा एफ०सी०आई० के गोदामों की खराब स्थिति, जिनका ठीक प्रकार से रख-रखाव नहीं किया जाता है, के कारण अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हो जाते हैं। यदि ऐसा है, तो मैं इसके फलस्वरूप गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुई हानि, चूहों द्वारा खाए गए या खराब हुए खाद्यान्नों की मात्रा और इन हानियों को कम करने हेतु किए गए उपचारात्मक उपायों के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री शरद पवार : महोदय, इस देश में सृजित कुल क्षमता में से केवल 46 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाता है। इसलिए, हम उसका उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमने कुछ निजी गोदामों को दि-हायर करना शुरू कर दिया है। केवल कुछ राज्यों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर को गोदामों की जरूरत है और वे भी इनकी कमी का सामना कर रहे हैं। इसलिए, हम उन क्षेत्रों में गोदाम बनवाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। समस्या यही है। प्रश्न काफी लम्बे और अप्रासंगिक होते हैं।

श्री एम० राजामोहन रेड्डी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को व्यापारियों की मिलीभगत से अच्छी किस्म के खाद्यान्न को खराब किस्म के खाद्यान्न से बदलने की कोई शिकायत मिली है। यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं? सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उद्भूत नहीं हुआ है। इसलिए इसे पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री एन०एन० कृष्णदास — उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि केन्द्रीय भंडारण निगम, भारतीय खाद्य निगम और राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से हम अनाज को स्टोर करते हैं। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और जब हम वहां के केन्द्रीय भंडारण निगम को देखते हैं तो उनका अधिकतर भाग खुला हुआ है। वहां अनाज खराब हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम का कोई भी भंडारण केन्द्र वहां नहीं है। क्या राजस्थान के लिए केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अंदर वे कहते हैं कि हम भंडारण के लिए कुछ नए केन्द्र देने वाले हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है।

श्री शरद पवार : मैंने सोचा कि आपने कहा है कि समय समाप्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : तथापि, मैं आपको एक अवसर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सी०डब्ल्यू०सी० ने राजस्थान में भी क्षमता विकसित की है। वास्तव में यदि आप इस पर गौर करें देखें तो वर्ष 2003-04 में भरतपुर नामक स्थान पर 1,829 टन की क्षमता विकसित की गई है और वर्ष 2005-06 में श्री माधवपुर में, 10,000 टन की क्षमता विकसित की गई है। एक कार्यक्रम है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी

***181. श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (ए०ए०वाई०) के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) योजना के नवीनतम विस्तार के पश्चात् अंत्योदय अन्न योजना (ए०ए०वाई०) के अंतर्गत किन-किन श्रेणियों के व्यक्तियों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या नयी शामिल की गयी इन श्रेणियों के काफी लोगों को ए०ए०वाई० से बाहर रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) योजना के अंतर्गत ऐसी सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार ने देश के सुदूर, ग्रामीण एवं भुखमरी प्रवण क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 224.568 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के अधीन शामिल किए गए लोगों की श्रेणियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) अंत्योदय परिवारों की पहचान करना और इन परिवारों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अंत्योदय परिवारों और विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तारित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों/ग्राम संभाओं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को शामिल करके संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। जहां कहीं ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निर्वाचित निकाय मौजूद नहीं हैं वहां राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निष्पक्ष और उद्देश्यात्मक तरीके से लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उपयुक्त तंत्र को शामिल कर सकते हैं। इस स्कीम के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहचान किए गए अंत्योदय परिवारों के लिए अलग प्रकार के अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्डों को जारी करने के आधार पर रिलीज किया जा रहा है।

अंत्योदय अन्न योजना के 2.50 करोड़ परिवारों में से जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार 224.568 लाख परिवारों को पहले ही कवर कर लिया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण-I

अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों के पहचान की स्थिति (सामान्य एवं अतिरिक्त)

31.01.2007 की स्थिति के अनुसार (आंकड़े लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या	अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अनुमानित संख्या					अंत्योदय अन्न योजना के तहत पहचाने गए और राशन कार्ड जारी किए गए परिवार				
			सामान्य	प्रथम विस्तार	द्वितीय विस्तार	तृतीय विस्तार	जोड़	सामान्य	प्रथम विस्तार	द्वितीय विस्तार	तृतीय विस्तार	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.63	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.99	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380
3.	असम	18.36	2.815	1.408	1.352	1.465	7.040	2.815	1.408	1.352	1.430	7.005
4.	बिहार	65.23	10.000	5.003	4.802	5.205	25.010	10.000	5.003			15.003
5.	छत्तीसगढ़	18.75	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189
6.	दिल्ली	4.09	0.626	0.315	0.301	0.326	1.568	0.320	0.235			0.555
7.	गोआ	0.48	0.073	0.037	0.035	0.039	0.184	0.073	0.037	0.035		0.145
8.	गुजरात	21.20	3.250	1.626	1.561	1.691	8.128	3.250	1.626	1.561	1.661	8.098
9.	हरियाणा	7.89	1.209	0.606	0.581	0.629	3.025	1.209	0.606	0.581	0.528	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971
11.	जम्मू व कश्मीर	7.36	1.129	0.564	0.542	0.587	2.822	1.129	0.564	0.542	0.322	2.557
12.	झारखंड	23.94	3.665	1.841	1.762	1.911	9.179	3.665	1.841	1.762		7.268
13.	कर्नाटक	31.29	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997
14.	केरल	15.54	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958
15.	मध्य प्रदेश	41.25	6.324	3.164	3.037	3.291	15.816	6.324	3.164	3.037	3.120	15.645
16.	महाराष्ट्र	65.34	10.017	5.011	4.810	5.215	25.053	10.017	5.011	4.810		19.838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	मणिपुर	1.66	0.255	0.127	0.122	0.132	0.636	0.255	0.127	0.122		0.504
18.	मेघालय	1.83	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702
19.	मिजोरम	0.68	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261
20.	नागालैण्ड	1.24	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475
21.	उड़ीसा	32.98	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645
22.	पंजाब	4.68	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794	0.717	0.359	0.312		1.388
23.	राजस्थान	24.31	3.726	1.865	1.790	1.940	9.321	3.726	1.839	1.790	1.924	9.279
24.	सिक्किम	0.43	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165
25.	तमिलनाडु	48.63	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646
26.	त्रिपुरा	2.95	0.452	0.227	0.217	0.235	1.131	0.452	0.227			0.679
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945
28.	उत्तराखंड	4.98	0.763	0.382	0.367	0.397	1.909	0.763	0.382	0.367		1.512
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	7.939	3.973	3.813	4.132	19.857	7.939	3.973	2.887		14.799
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.28	0.043	0.021	0.021	0.022	0.107	0.043				0.043
31.	चंडीगढ़	0.23	0.035	0.018	0.017	0.018	0.088	0.021				0.021
32.	दादरा व नगर हवेली	0.18	0.028	0.013	0.013	0.015	0.069	0.028	0.013	0.011		0.052
33.	दमन व दीव	0.04	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.004	0.003	0.002	0.003	0.012	0.004				0.004
35.	पांडिचेरी	0.84	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322
	जोड़	652.03	99.946	50.021	48.001	52.030	249.998	99.626	49.873	41.680	33.389	224.568

*द्वितीय विस्तार में कवर किए गए 50 लाख परिवारों में से (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से) 48 लाख परिवारों को राज्यवार विस्तार के लिए उद्दिष्ट किया गया है और शेष 2 लाख परिवारों को बाद में चिन्हित किया गया था जहां शामिल नई दिल्ली, दिनांक करने की त्रुटि प्रकाश में आई है।

**द्वितीय विस्तार के बचे हुए 2 लाख परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तीसरे विस्तार में शामिल करके 50 लाख परिवारों के स्थान पर 52 लाख परिवारों को शामिल किया गया है।

विवरण-II

1. अंत्योदय अन्न योजना

1.1 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने यह तथ्य जाहिर किया है कि देश में कुल आबादी का लगभग 5% भाग 2 जून की रोटी से वंचित रहता है। आबादी के इस वर्ग को भुखमरी ग्रस्त कहा जा सकता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी की इस श्रेणी के प्रति और अधिक केंद्रित और लक्षित करने के लिए गरीब परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए दिसम्बर, 2000 में 'अंत्योदय अन्न योजना' शुरू की गयी थी।

1.2 अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के अंदर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायताप्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वितरण लागत वहन करे और लाभभोगियों को उपर्युक्त के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

1.3 निर्गम का मानदंड जो प्रारंभ में 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास था, उसे 1 अप्रैल, 2002 से बढ़कर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास कर दिया गया है।

2. अंत्योदय अन्न योजना का प्रथम विस्तार

2.1 50 लाख अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शामिल करके 2003-04 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार निम्नलिखित समूहों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए किया गया है:—

- वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति हैं और जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
- विधवाएं अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।
- सभी आदिम आदिवासी परिवार।

3. अंत्योदय अन्न योजना का दूसरा विस्तार

3.1 केन्द्रीय बजट 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार इस योजना का और विस्तार किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भुखमरी के खतरे वाले सभी परिवारों को शामिल करके 50 लाख गरीबी रेखा से नीचे के और परिवार इस योजना में शामिल किए गए हैं। इस बारे में दिनांक 3 अगस्त, 2004 को आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त अंतरिम परिवारों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाएं जाएंगे:

(क) ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान, कुम्हार, मोची, बुनकर, लोहार, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जैसे ग्रामीण दस्तकार और कूली, रिक्शाचालक, हथठेला चालक, फल और फूल विक्रेता, सपेरे, कबाड़ी, मोची जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविका अर्जित करने वाले व्यक्ति, असहाय और इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के परिवार बशर्ते कि वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम हों।

(ख) वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति/अपंग व्यक्ति/60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति हैं और जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा उन्हें सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है।

(ग) विधवाएं अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

(घ) सभी आदिम आदिवासी परिवार।

दूसरे विस्तार में 50 लाख परिवारों में से गरीबी रेखा से नीचे के 48 लाख परिवारों का वितरण राज्यवार कर दिया गया है शेष 2 लाख परिवारों की पहचान बाद में जहां शामिल करने की त्रुटि पता चलेगी उन राज्यों द्वारा की जाएगी।

4. अंत्योदय अन्न योजना का तीसरा विस्तार

4.1 केन्द्रीय बजट 2005-06 में की गयी घोषणा के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना का 1 अप्रैल, 2005 से और विस्तार किया गया है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के 50 लाख और परिवारों को कवर किया जा सके, इस प्रकार इसका कवरेज बढ़कर 2.5 करोड़ परिवार हो गया है। इस वृद्धि से अंत्योदय अन्न योजना में गरीबी रेखा से नीचे के कुल अनुमानित परिवारों में से 38 प्रतिशत से अधिक परिवार कवर हो गए हैं।

5. अंत्योदय परिवारों की पहचान करना और खाद्यान्नों का आबंटन करना:

5.1 अंत्योदय परिवारों की पहचान करना और इन परिवारों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अंत्योदय परिवारों तथा विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तरित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य जोर इस बात पर है कि वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से निर्धनतम होने चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन पहचान किए गए परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने के आधार पर किया जा रहा है।

5.2 अंत्योदय अन्न योजना (सामान्य, प्रथम विस्तार, दूसरा विस्तार और तीसरा विस्तार) के अधीन परिवारों की पहचान करने के काम की स्थिति विवरण-I में दी गई है। चूककर्ता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानीटरिंग के भाग के रूप में नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

पसायत आयोग की सिफारिशें

182. श्री इलियास आजमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पसायत आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिफारिशों का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के संबंध में अंशकालिक संवाददाताओं से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रभावित बाल श्रमिकों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

183. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री संजय धोत्रे :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में श्रम से राज्यवार कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है;

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन के कारण अपने जीविकोपार्जन हेतु कितने बाल श्रमिकों और उनके परिवारों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित बाल श्रमिकों और उनके परिवारों की देखभाल के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) सरकार, जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को कार्य से हटाने तथा पुनर्वासित करने के लिए देश में 20 राज्यों के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एन०सी०एल०पी०) क्रियान्वित कर रही है। एन०सी०एल०पी० स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाये गये बच्चों का विशेष स्कूलों में दाखिला कराया जाता है। जहां उन्हें शिक्षा, पोषाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अधिकतम तीन वर्ष की अवधि में मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिये तैयार किया जा सके। यह कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के गहन समन्वय से किया जाता है। जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से 2003-04 में 172725, 2004-05 में 167825 और 2005-06 में 283943 हटाये गये बच्चों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूलों में पंजीकृत करवाया गया था। पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंर्गत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूलों में पंजीकृत कराये गये बच्चों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम में महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन जैसे अन्य मंत्रालयों की आय एवं रोजगार सृजन योजनाओं के साथ गहन अभिसरण (कन्वर्जेंस) की भी व्यवस्था है ताकि इन बच्चों के परिवारों को उनके आर्थिक पुनर्वास हेतु इन योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2003-04 से 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की राज्य-वार संख्या

क्रम	राज्य का नाम	विशेष स्कूल में पंजीकृत बच्चों की संख्या 2003-04	विशेष स्कूल में पंजीकृत बच्चों की संख्या 2004-05	विशेष स्कूल में पंजीकृत बच्चों की संख्या 2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	48792	49193	37882
2.	असम	*	*	4750
3.	बिहार	6500	6500	8500
4.	छत्तीसगढ़	5538	5899	11639
5.	झारखंड	5700	5700	7375
6.	कर्नाटक	8385	7339	13212
7.	मध्य प्रदेश	4130	4091	17404
8.	महाराष्ट्र	1889	2554	6615
9.	उड़ीसा	34895	34679	83557
10.	पंजाब	4599	4571	4658
11.	राजस्थान	9075	8706	19545
12.	तमिलनाडु	16082	16764	17540
13.	उत्तर प्रदेश	9975	8563	34171
14.	पश्चिम बंगाल	17165	13266	17095
	कुल	172725	167825	*283943*

*असम में 2005-06 में राष्ट्रीय बात श्रम परियोजना की संस्वीकृति प्रदान की गयी थी।

गुजरात राज्य में 2005-06 में बाल श्रमिकों के लिये विशेष स्कूलों की संस्वीकृति प्रदान की गयी थी और नामांकन 2006-07 में किया जायेगा। हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड तथा उत्तरांचल के संबंध में, बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल अभी प्रारंभ किये जाने हैं।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य

184. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी०पी०सी०ओ० 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उनपर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) द्वारा डी०पी०सी०ओ० 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं इन औषधों को सितम्बर 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अधीन रखा गया है। डी०पी०सी०ओ०, 95 के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध औषधों और फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 जीवन रक्षक एवं अन्य औषध के बीच कोई भेद नहीं करता है। किसी औषधि को जीवन रक्षक औषधि के रूप में वर्गीकृत किया जाए, यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट मानक या दिशानिर्देश नहीं हैं। आमतौर पर सभी औषधियों को जीवन रक्षक एवं दीर्घायु होने में उपयोगी माना जाता है।

राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 का प्रारूप औषध उद्योग संघों सहित विभिन्न स्टेकधारकों के साथ वृहत चर्चा के उपरांत एवं सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गरीबों को वाजिब मूल्य पर जीवनरक्षक एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए घोषित लक्ष्य के अनुसरण में, इस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस नीति में गरीबों तक मुफ्त दवा की पहुंच को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं है: बी०पी०एल० परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा नीति, राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि/राज्य रूग्णता सहायता निधि के लिए अधिक निधि आवंटन; जिला रूग्णता सहायता निधि की स्थापना; बी०पी०एल० परिवारों के लिए परिक्रामी निधि की स्थापना; राज्यों से भी बी०पी०एल० परिवारों के

निःशुल्क इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में परिक्रामी निधि स्थापित करने के लिए कहा जाएगा; मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के राजस्थान मॉडल को ड्रग बैंक के रूप में सभी राज्यों में अपनाया जाएगा। नीति के प्रारूप में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2003 जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, में सूचीबद्ध 354 आवश्यक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने का भी प्रस्ताव है। इन सभी उपायों से गरीबों के लिए दवाओं की कीमतों में कमी करने में मदद मिलेगी।

नीति के प्रारूप को मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया और मामले को मंत्री समूह (जी०ओ०एम०) को संदर्भित कर दिया। अब जी०ओ०एम० गठित कर लिया गया है और यह मंत्रिमंडल को अपनी सिफारिशें देगा।

[अनुवाद]

दलहन का उत्पादन

188. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलहन की खेती और उत्पादन की स्थिति इस पूरे दशक में पहले जैसी बनी हुई है जिसके कारण दलहन की घरेलू पूर्ति में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में दलहन की खेती और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश में दलहन की कमी के मद्देनजर इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा; और

(ङ) भारत में कितनी मात्रा में दलहन का आयात किया गया और किन-किन देशों से इनका आयात किया जाता हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) 1996-97 से 2006-07 के दौरान दालों का कुल क्षेत्र उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

वर्ष	क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)	उत्पादन (मिलियन हैक्टेयर)
1	2	3
1996-97	22.45	14.24
1997-98	22.87	12.98
1998-99	23.50	14.91
1999-00	21.12	13.42
2000-01	20.35	11.08
2001-02	22.01	13.37
2002-03	20.50	11.13
2003-04	23.46	14.91
2004-05	22.76	13.13
2005-06	22.36	13.36
2006-07*	22.31	14.52

5.02.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

यह देखा जा सकता है कि पिछले दशक के दौरान दालों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 20.4 मिलियन हैक्टेयर से 23.5 मिलियन हैक्टेयर के बीच तथा दालों का उत्पादन 11.1 मिलियन टन से 14.9 मिलियन टन के बीच अस्थिर रहे।

(ग) दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1.4.2004 से देश के 14 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित, तिलहनों, दालों, पॉम आयल तथा मक्का पर एकीकृत स्कीम कार्यान्वयन के अंतर्गत है। स्कीम के अंतर्गत, नस्ली बीजों की खरीद, फांउडेशन बीजों का उत्पादन, बीज मिनीकिट का वितरण, बुनियादी ढांचे का विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक प्रदर्शनों, एकीकृत कीट प्रबंधन, बीडी साईडस, छिड़काव सेट का वितरण, दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, इत्यादि पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) सरकार ने पूरे देश में कमी को ध्यान में रखते हुए जून, 2006 से दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तथापि अभी हाल ही में काबुली चना के निर्यात की अनुमति दे दी गयी है।

(ङ) पिछले 6 वर्षों के दौरान देश द्वारा दालों के आयात की मात्रा निम्नलिखित सारणी में दी गयी है:

वर्ष	आयातित मात्रा (000 टन)
1	2
2000-01	349.84
2001-02	2217.82
2002-03	1992.29

1	2
2003-04	1723.33
2004-05	1339.45
2005-06*	1608.24

दालों का आयात मुख्यत: आस्ट्रेलिया, चीन, यू०एस०ए० कनाडा, म्यांमार, पाकिस्तान ईरान, फ्रांस, तंजानिया, तथा यूक्रेन से हुआ है।

[हिन्दी]

रसायन कंपनियों का पुनरूद्धार

189. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न रूग्ण रसायन कंपनियों का पुनरूद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) रसायन व पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रसायन से संबंधित दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सी०पी०एस०ईज०) हैं; यथा: हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच०ओ०सी०एल०) एवं हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एच०आई०एल०)। चूंकि दोनों (सी०पी०एस०ईज०) का निवल मूल्य नकारात्मक हो गया था, अत: ये औद्योगिक व वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) को संदर्भित हैं। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सी०सी०ई०ए०) ने 9.3.2006 व 27.7.2006 को हुई अपनी बैठकों में क्रमश: एच०ओ०सी०एल० व एच०आई०एल० के लिए पुनरूद्धार प्रस्ताव को अनुमोदित किया। पुनरूद्धार प्रस्ताव के एक हिस्से के रूप में सरकार ने 8% विमोच्य गैर-संचयी वरीयता शेयर, जिन्हें चौथे वर्ष से 20% की दर से प्रत्येक वर्ष लौटाया जाएगा, के रूप में निम्नलिखितों के लिए 250 करोड़ रु० प्रदान किए: (i) उच्च लागत वाले बकाया बांडों का पुनर्भुगतान, (ii) लगभग 590 कर्मचारियों के लिए 36 करोड़ रु० की लागत से नया वी०आर०एस० लाना (iii) 685 कर्मचारियों के लिए 2001 में बैंक ऑफ बड़ौदा से लिये गए 31 करोड़ रु० के वी०आर०एस० ऋण का पुनर्भुगतान, और (iv) बांडों को आंशिक पुनर्भुगतान के लिए 8 करोड़ रु०।

उपरोक्त के अलावा, सी०सी०ई०ए० ने 8.2.2007 को हुई अपनी बैठक में, रसायनी, महाराष्ट्र स्थित एच०ओ०सी०एल० के कॉस्टिक क्लोरीन प्लांट को पुन: चालू करने के लिए बजट अनुदान 2006-07 में से 20 करोड़ रु० जारी करने का अनुमोदन किया। यह राशि एच०ओ०सी०एल० द्वारा पनवेल, महाराष्ट्र स्थित अपनी भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि से सरकार को लौटा दी जाएगी।

एच०आई०एल० के संबंध में, कोई प्रत्यक्ष नकद निवेशन नहीं है लेकिन 66.40 करोड़ रु० के भारत सरकार के ऋण की माफी, 31 मार्च 2006 को भारत सरकार के 31.55 करोड़ रु० के ऋण को इक्विटी में बदलना और 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋणों पर 126.69 करोड़ रु० के ब्याज को बट्टेखाते डालना शामिल है।

[अनुवाद]

प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयां

192. श्री प्रशान्त प्रधान :
श्री अनन्त नायक :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी 'डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक' प्रसंस्करण इकाइयां पुरानी प्रौद्योगिकी से चल रही हैं;

(ख) पॉलीमर की प्रति इकाई औसतन कितनी खपत दर्ज की गई है;

(ग) क्या इनमें से 25 प्रतिशत इकाइयां लघु क्षेत्र में हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में उक्त इकाइयों को क्या प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं; और

(ङ) उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ग) पंजीकृत लघु इकाइयों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार 25,564 पंजीकृत इकाइयां विभिन्न उपभोक्ता व औद्योगिक प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न हैं। रसायन व पेट्रोरसायन विभाग द्वारा पेट्रोरसायन पर गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयों में से 75% लघु इकाइयां हैं। आमतौर पर ये इकाइयां पारंपरिक प्रौद्योगिकी से प्रचालन करती हैं!

(ख) इन इकाइयों में पालिमर की खपत 5 टन से 2000 टन प्रतिमाह के बीच है। औसत खपत लगभग 10 से 20 टन प्रतिमाह के बीच है।

(घ) लघु उद्योग मंत्रालय, लघुस्तरीय प्रोसैसिंग इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी०एल०सी०एस०एस०) के

अधीन प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता प्रदान करता है जिसमें 15% तक पूंजी सब्सिडी उनकी प्रौद्योगिकी/मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, लघु स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग इकाइयों को अन्य उद्योग समूहों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन जैसे-1 करोड़ रु० तक के क्लीयरेंस पर उत्पाद शुल्क छूट, सरकारी क्रय कार्यक्रम में 15% मूल्य प्राथमिकता, आई०एस०ओ०-9000/14001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने की लागत पर 75% या अधिकतम 75,000/-रु० की प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध है।

लघु उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए प्रोत्साहन निम्न प्रकार हैं:

आई०एस०ओ० 9000/14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

प्लास्टिक्स और रबड़ उत्पाद के अंतर्गत लाभान्वित इकाइयों की संख्या:

वर्ष	इकाइयों की संख्या	राशि लाखों में
2003-04	73	26.84
2004-05	263	73.10
2005-06	368	85.51
2006-07 (17.2.2007 तक)	207	56.46

सी०एल०सी०एस०एस० योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन

ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभान्वित/प्लास्टिक प्रसंस्करण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	इकाइयों की संख्या	राशि लाखों में
2003-04	1	4.2
2004-05	29	99.63
2005-06	46	111.59
2006-07 (28.2.2007 तक)	70	240.85
कुल	146	456.27

(ङ) उपरोक्त प्रोत्साहन उन लघु उद्यमों को दिए जाते हैं जिनका प्लांट व मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रु० से अधिक नहीं है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए इकाई का कारोबार प्रतिवर्ष 4 करोड़ रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

वन्यजीव संरक्षण के लिए धनराशि

193. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर राजस्थान सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ख) क्या उक्त धनराशि जारी कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि किस-किस तिथि को जारी की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) राज्यों को वन्यजीव सुरक्षा के प्रयोजनार्थ, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई वार्षिक संचालन योजना (ए०पी०ओ०) और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों,'' ''बाघ परियोजना'' और ''हाथी परियोजना'' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई निधियों और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, वर्ष 2006-07 के लिए अब तक जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास' के अंतर्गत निधियों का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मांग गया धन	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	तारीख, जिस पर निधियां जारी की गई
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	119.22	68.09	6.00	22.8.2006
				15.39	24.8.2006
				12.50	25.9.2006
				7.00	31.8.2006
				8.00	18.10.2006
				8.86	28.8.2006
				57.75	

1	2	3	4	5	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	549.10	188.086	10.36	18.7.2006
				8.65	27.7.2006
				14.00	18.10.2006
				13.45	28.7.2006
				19.40	25.7.2006
				7.00	19.10.2006
				3.50	31.8.2006
				14.00	3.10.2006
				5.00	24.10.2006
				6.00	17.11.2007
				15.508	26.12.2006
				12.60	1.2.2007
				13.77	26.2.2007
				143.238	
3.	बिहार	316.89	30.277	4.00	5.12.2006
				6.50	4.12.2006
				10.50	
4.	दादर एवं नगर हवेली	43.094	20.214	14.50	25.10.2006
				14.50	
5.	गोवा	139.859	47.878	5.00	15.11.2006
				5.00	
6.	गुजरात	533.69	425.76	8.00	17.11.2006
				6.50	20.12.2006
				4.00	14.11.2006
				11.67	10.1.2007
				14.00	31.10.2006
				11.675	15.2.2007
				14.25	30.10.2006
				21.84	20.2.2007
				5.00	15.9.2006
				8.67	28.8.2006
				33.80	14.8.2006
				38.98	4.8.2006
				1.50	22.2.2007
				3.50	3.8.2006
				20.24	27.12.2006
				17.16	28.7.2006
				11.27	27.7.2006
				7.50	25.7.2006
				8.60	18.7.2006
				14.14	15.2.2007
				19.00	11.7.2006
				4.68	10.1.2007
				11.00	27.6.2006
				17.70	14.6.2006
				314.675	
7.	छत्तीसगढ़	1271.745	450.108	36.97	22.2.2007
				15.00	20.11.2006
				6.75	15.2.2007
				11.00	25.2.2006
				39.475	26.2.2007
				26.85	11.10.2006
				6.00	5.10.2006
				46.848	1.3.2007
				84.65	3.10.2006
				16.75	27.9.2006
				17.25	9.2.2007
				13.13	13.9.2006
				16.49	11.9.2006
				5.61	5.2.2007
				13.09	1.9.2006
				355.863	
8.	हरियाणा	120.80	103.89	4.00	25.10.2006
				8.00	18.10.2006
				5.95	24.8.2006
				42.50	30.6.2006
				60.45	
9.	हिमाचल प्रदेश	421.04	357.88	2.00	20.2.2007
				2.50	11.10.2006
				9.50	27.9.2006
				6.545	18.1.2007
				18.006	24.1.2007
				17.62	21.1.2007
				5.00	13.9.2006
				22.43	5.9.2006
				18.14	4.9.2006
				11.71	5.2.2007
				23.63	1.9.2006
				16.95	1.3.2007
				26.32	31.8.2006
				2.115	8.2.2007
				7.80	20.2.2007

1	2	3	4	5	6
				43.57	28.8.2006
				5.30	6.2.2007
				25.5	26.5.2006
				264.636	
10.	जम्मू और कश्मीर	517.30	274.085	22.42	18.8.2006
				39.33	25.9.2006
				12.55	31.8.2006
				39.00	1.9.2006
				18.41	13.9.2006
				9.03	17.8.2006
				14.00	7.11.2006
				5.00	24.1.2007
				159.74	
11.	झारखंड	301.64	144.98	18.73	17.8.2006
				62.31	14.8.2006
				13.10	24.10.2006
				4.00	28.8.2006
				98.14	
12.	कर्नाटक	301.64	559.283	21.97	26.2.2007
				27.00	11.10.2006
				26.07	15.2.2007
				31.40	26.9.2006
				44.00	25.9.2006
				34.77	20.2.2007
				9.00	21.9.2006
				20.00	18.9.2006
				20.68	15.9.2006
				18.00	13.9.2006
				15.00	11.7.2006
				12.93	23.11.2006
				50.00	5.7.2006
				34.5	30.6.2006
				16.75	23.3.2007
				30.74	27.6.2006
				3.649	9.2.2007
				19.80	14.6.2006
				14.32	17.11.2006
				40.00	26.5.2006
				490.579	
13.	केरल	488.41	463.02	10.00	19.12.2006
				20.00	22.9.2006
				8.00	5.2.2007
				26.00	21.9.2006
				38.37	9.2.2007
				42.87	31.8.2006
				17.375	22.2.2007
				15.46	6.2.2007
				15.00	14.8.2006
				13.00	4.8.2006
				17.145	1.2.2007
				69.00	3.8.2006
				7.00	5.9.2006
				21.50	9.1.2007
				7.65	26.2.2007
				6.95	8.1.2007
				5.70	15.6.2006
				7.60	26.5.2006
				13.50	10.1.2007
				362.12	
14.	मध्य प्रदेश	1954.27	852.457	215.84	18.1.2007
				74.5	7.11.2006
				118.543	8.1.2007
				10.00	20.2.2007
				4.10	5.2.2007
				13.00	25.10.2006
				11.38	4.9.2006
				4.97	9.1.2007
				8.57	31.8.2007
				10.80	29.12.2006
				69.00	27.6.2006
				2.898	1.2.2007
				25.00	15.6.2007
				29.349	18.1.2007
				53.7	14.6.2006
				19.60	3.1.2007
				18.50	13.6.2006
				3.89	15.2.2007
				16.90	26.5.2006
				710.54	
15.	महाराष्ट्र	761.03	368.32	16.00	21.9.2006
				5.96	18.10.2006

1	2	3	4	5	6
				16.7	5.7.2006
				2.91	11.7.2006
				1.76	27.7.2006
				4.00	25.10.2006
				4.385	21.9.2006
				2.5	24.10.2006
				4.28	13.9.2006
				57.64	18.7.2006
				12.00	21.9.2006
				0.799	28.8.2006
				18.09	20.7.2006
				3.20	4.9.2006
				20.5	11.7.2006
				12.00	19.9.2006
				4.68	1.9.2006
				13.50	19.9.2006
				9.20	25.7.2006
				7.50	23.11.2006
				217.604	
16.	उड़ीसा	868.40	458.395	29.13	22.2.2007
				25.55	26.2.2007
				63.05	20.2.2007
				17.00	19.2.2007
				21.50	4.12.2006
				10.26	1.3.2007
				17.15	30.10.2006
				12.50	13.10.2006
				10.00	27.9.2006
				18.25	22.2.2007
				15.00	26.9.2006
				31.60	11.7.2006
				56.97	5.7.2006
				12.895	1.3.2007
				340.855	
17.	पंजाब	422.66	4.00	3.00	5.12.2006
				3.00	
18.	राजस्थान	1273.27	243.515	7.75	20.11.2006
				6.00	6.11.2006
				25.96	5.3.2006
				25.00	26.9.2006
				14.00	21.9.2006

1	2	3	4	5	6
				15.11	15.9.2006
				12.00	22.8.2006
				15.01	9.2.2007
				61.86	4.8.2006
				5.625	15.2.2007
				15.30	3.8.2006
				203.615	
19.	तमिलनाडु	422.33	281.25	30.00	22.9.2006
				42.60	28.7.2006
				17.05	24.3.2007
				15.00	15.9.2006
				19.20	4.8.2006
				22.06	3.8.2006
				6.50	20.11.2006
				8.01	20.7.2006
				7.50	27.7.2006
				5.00	13.9.2006
				6.41	14.8.2006
				7.00	23.7.2006
				3.25	18.10.2006
				12.66	5.3.2007
				3.00	3.10.2006
				205.24	
20.	उत्तर प्रदेश	1153.581	364.77	25.67	25.9.2006
				26.37	21.9.2006
				30.619	1.3.2007
				28.00	8.9.2006
				5.00	22.8.2006
				2.00	3.8.2006
				16.00	11.7.2006
				32.46	5.7.2006
				4.725	26.2.2007
				8.07	2.3.2007
				64.8	27.6.2006
				1.70	28.2.2007
				24.30	14.6.2006
				269.714	
21.	उत्तरांचल	294.291	123.075	10.66	12.7.2006
				36.23	20.7.2006
				9.5	28.7.2006
				6.00	23.11.2006

1	2	3	4	5	6
				10.26	12.7.2006
				8.42	1.3.2007
				6.00	27.9.2006
				8.65	1.3.2007
				4.40	20.2.2007
				100.12	
22.	पश्चिम बंगाल	668.75	359.58	9.91	1.2.2007
				13.90	20.12.2006
				30.00	22.9.2006
				18.67	19.12.2006
				24.68	15.9.2006
				94.725	21.12.2006
				19.00	25.8.20006
				44.54	14.8.2006
				22.00	4.8.2006
				74.00	3.8.2006
				5.80	22.1.2007
				357.225	
23	अरुणाचल प्रदेश	1205.161	137.89	11.81	7.9.2006
				21.82	1.9.2006
				4.72	31.8.2006
				23.19	4.9.2006
				12.00	7.11.2006
				73.54	
24	असम	351.41	172.43	27.20	5.7.2006
				5.00	13.9.2006
				8.50	25.10.2006
				7.67	11.9.2006
				7.50	6.7.2006
				4.00	15.9.2006
				8.00	28.8.2006
				5.00	3.10.2006
				72.87	
25	मणिपुर	193.8	96.986	7.00	18.9.2006
				32.79	6.9.2006
				10.00	19.9.2006
				17.48	7.9.2006
				67.27	
26	मेघालय	93.34	54.68	29.20	5.7.2006
				9.00	30.6.2006
				38.20	
27.	मिजोरम	234.99	169.174	32.50	18.10.2006
				21.5	11.10.2006
				16.50	24.10.2006
				70.50	
28.	नागालैण्ड	65.00	17.00	8.00	11.10.2007
				8.00	
29.	सिक्किम	212.47	146.57	25.00	7.11.2006
				18.84	28.7.2006
				20.00	25.9.2006
				5.11	3.8.2006
				12.00	19.10.2006
				8.07	1.9.2006
				89.02	
30	त्रिपुरा	356.41	47.75	9.60	25.9.2006
				12.00	25.10.2006
				21.60	

विवरण-II

वर्ष 2006-07 के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	मांगा गया धन	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	तारीख, जिस पर निधियां जारी की गई
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	220.00	64.55	35.00	12.6.2006
				11.675	7.3.2007
				46.675	
2.	अरुणाचल प्रदेश	448.549	324.244	75.00	10.8.2006
				26.90	27.2.2007
				60.00	17.8.2006
				75.4725	20.1.2007
				237.3725	
3.	असम	395.626	187.17	30.00	10.1.2007
				35.00	8.8.2006
				22.431	19.2.2007
				87.431	

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	495.00	106.663	37.1454	14.7.2006
				37.1454	
5.	छत्तीसगढ़	64.70	18.15	10.00	5.10.2006
				10.00	
6.	कर्नाटक	1798.813	427.637	19.17	17.7.2006
				24.897	29.12.2006
				175.00	14.7.2006
				48.75	27.2.2007
				267.817	
7.	केरल	230.00	294.56	40.00	23.8.2006
				12.00	6.11.2006
				57.00	2.2.2007
				109.00	
8.	झारखंड	539.07	217.927	100.00	17.7.2006
				55.967	27.1.2007
				155.967	
9.	मध्य प्रदेश	2298.66	1142.083	150.00	15.9.2006
				147.255	29.6.2006
				80.39	8.12.2006
				134.97	6.11.2006
				16.686	19.2.2007
				30.00	21.2.2007
				150.00	4.10.2006
				61.34	26.12.2006
				31.919	6.3.2007
				18.595	17.1.2007
				821.155	
10.	महाराष्ट्र	1248.476	402.356	50.00	31.7.2006
				9.05	2.3.2007
				86.39	15.9.2006
				48.12	31.1.2007
				45.00	5.10.2006
				238.56	
11.	मिजोरम	174.42	87.66	50.00	17.7.2006
				28.16	22.1.2007
				37.00	20.2.2007
				115.16	
12.	उड़ीसा	346.47	189.75	60.00	18.9.2006
				90.00	19.12.2006
				150.25	
13.	राजस्थान	458.25	275.90	80.00	14.7.2006
				20.876	17.7.2006
				100.876	
14.	तमिलनाडु	11544.05	119.31	60.00	17.7.2006
				25.165	19.1.2007
				85.165	
15.	त्रिपुरा	–	–	–	–
16.	उत्तरांचल	214.31	260.33	30.295	23.6.2006
				130.00	3.11.2006
				32.485	6.3.2007
				192.78	
17.	उत्तर प्रदेश	1727.59	138.25	75.00	10.8.2006
				108.265	7.3.2007
				183.265	
18.	पश्चिम बंगाल	678.60	270.70	60.00	27.7.2006
				100.00	14.7.2006
				17.30	8.12.2006
				177.30	

विवरण-III

वर्ष 2006-07 के दौरान हाथी परियोजना स्कीम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	मांगा गया धन	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	तारीख, जिस पर निधियां जारी की गई
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	800.00	72.50	40.00	4.7.2006
				24.774	14.2.07
				64.774	

1	2	3	4	5	6
2.	उड़ीसा	258.60	161.30	37.19	29.6.2006
				71.75	18.12.06
				45.00	1.3.2007
				153.94	
3.	कर्नाटक	600.00	169.50	110.00	29.6.2006
				57.82	10.1.2007
				167.82	
4.	पश्चिम बंगाल	328.20	165.97	99.00	4.7.2006
				1.15	12.10.06
				56.24	18.12.06
				2.50	12.1.07
				2.00	17.1.07
				160.89	
5.	झारखंड	335.94	149.00	50.00	30.8.2006
6.	तमिलनाडु	524.12	153.69	110.00	4.7.2006
7.	केरल	264.00	169.40	110.00	4.7.2006
				59.40	22.2.07
				169.40	
8.	1. उत्तरांचल	258.20	154.00	50.00	21.8.2006
	2. गुज्जर	44.00		44.00	5.9.2006
				59.12	1.3.2007
				153.12	
9.	छत्तीसगढ़	371.86	80.00	45.00	22.8.2006
				35.00	2.3.2007
				80.00	
10.	हरियाणा	135.25	90.75	50.00	8.11.06
11.	उत्तर प्रदेश	37.47	22.44	6.20	17.1.2007
12.	महाराष्ट्र		25.00	25.00	2.3.07
13.	नागालैण्ड	95.62	52.45	45.00	30.6.2006
				7.45	14.2.2007
				52.45	
14.	मेघालय	100.00	61.55	42.00	4.7.2006
				19.55	29.11.2006
				61.55	
15.	असम	263.63	174.38	70.00	27.12.06
16.	अरूणाचल प्रदेश	421.715	98.32	53.00	7.8.2006

बीमारी के कारण आलू की फसल को नुकसान

194. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी०पी०एस० बीजों के प्रयोग के बावजूद फफूंदी लगने के कारण कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार में आलू की फसल को नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि ''ट्रू पोटेटो सीड'' (टी०पी०एस०) आलू की फसल, बिहार में आलू के विलम्बित पाला (लेट ब्लाईट) रोग से मुक्त रही। तथापि, बिहार राज्य के पुर्णियां और कटिहार जिलों में रोग प्रवण किस्मों में आलू के विलम्बित पाला रोग की घटना की सूचना मिली है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में भी कुछ भागों में आलू के विलम्बित पाला रोग की घटना संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं जिसमें आलू की रोग प्रवण किस्मों के संबंध में नवम्बर, 2006 के दौरान क्षति की मात्रा 15 से 50% के बीच थी।

(ख) बिहार में, आलू के विलम्बित पाला रोग से कटिहार जिले में लगभग 7,000 एकड़ और पुर्णियां जिले में 48,00 एकड़, आलू की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। इस रोग की घटना के प्रमुख कारण अनुकूल जलवायु परिस्थितियां और उचित बीज उपचार के बिना बीज कन्दों का उपयोग किया जाना हैं। रोग प्रवण किस्मों के उपयोग और अनुकूल पर्यावरण, विशेषकर हल्की वर्षा, रात में निम्न तापमान और कोहरे वाले मौसम के कारण समस्या और भी अधिक गम्भीर हो गई है। बिहार सरकार ने राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, कृषि विज्ञान केन्द्र, पुर्णियां और कटिहार, केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, पटना के वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पदाधिकारियों के माध्यम से दिसम्बर, 2006 में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया है। इस दल ने इसके शमन के बहुत से उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 60 दिन से अधिक पुरानी फसल को खाद्य प्रयोजनों के लिए काट लिया जाना, अगली फसल उगाने के लिए

संक्रमित कन्दों के उपयोग को रोकना, खड़ी फसल पर संस्तुत कीटनाशकों का छिड़काव, निरन्तर सतर्कता और कृमि निगरानी, बीज उपचार के लिए किसानों में जागरूकता लाना और टी०पी०एस०, अरूण कुफरी पुखराज, कुफरी, पुष्कर, कुफरी ज्योति आदि जैसी रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग शामिल है।

आलू के विलम्बित पाला रोग की घटना की समीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों के साथ की गई है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आगामी मौसम में रोग मुक्त आलू के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और अच्छी कृषि पद्धतियों का संवर्धन करें।

इस्पात का उत्पादन

195. **श्री विजय कृष्ण :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान इस्पात उत्पादन, विशेषकर झारखंड के सम्बंध में, क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ आवश्यक लौह अयस्क उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) इस्पात मंत्रालय द्वारा झारखंड में इस्पात उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, झारखंड राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों के बीच समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) हुए हैं।

(ख) लौह अयस्क खनन पट्टे खान मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आबंटित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) इस समय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का झारखंड में बोकारो में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है और सेल का इरादा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०एल०) की अपरिष्कृत इस्पात की मौजूदा 4.2 मिलियन टन वार्षिक (एम०टी०पी०ए०) (2005-06) क्षमता को वर्ष 2010 तक बढ़ाकर 7 एम०टी०पी०ए० किया जाए। इसके अलावा, शुरू में 6 एम०टी०पी०ए० क्षमता के एक ग्रीन फील्ड इस्पात संयंत्र की स्थापना करने तथा बाद में इसका विस्तार करने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र की विस्तार योजना तथा झारखंड में नए ग्रीन फील्ड इस्पात संयंत्र के लिए चिरिया और गुआ खानें लौह अयस्क की प्रमुख स्रोत होंगी, ऐसा प्रस्तावित है। चिरिया के खनन पट्टे के नवीकरण के लिए सेल ने झारखंड सरकार को आवेदन किया है।

(ङ) चिरिया और गुआ में खनन पट्टों का नवीकरण सेल के पक्ष में शीघ्र करने हेतु इस्पात मंत्रालय और सेल ने झारखंड सरकार के साथ कई बैठकें आयोजित की हैं। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

नदियों के तटबंधों को मजबूत करना

196. **श्री रघुनाथ झा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नेपाल की ओर से आने वाली नदियों में गाद भरने के कारण बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों को अभी तक मजबूत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तटबंधों को मजबूत करने के लिए राज्य-वार क्या वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उनके संबंध में वास्तविक उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) उपलब्धियों में कमी रहने के क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय है। बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधि से राज्य में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहातया प्रमुखत: तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है। तथापि, भारत सरकार भारत में नेपाल की ओर से आने वाली नदियों में गाद के कारण होने वाली बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों (2004-07) के दौरान राज्यवार वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धि, कारणों सहित कमी और इसे पूरा करने के लिए संभावित समय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल से निकल कर भारत में आने वाली नदियों पर तटबंधों को मजबूत करने संबंधी राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र॰ सं॰	राज्य/स्कीम नदी का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां		पूरा करने का संभावित समय	कमी/कारण
		वित्तीय (रुपये करोड़ में)	वास्तविक (तटबंधों की लम्बाई कि॰मी॰ में)	वित्तीय	वास्तविक (पूर्ण तटबंधों की लम्बाई कि॰मी॰ में)		
क.	**बिहार**						
1.	**लालबकिया, बागमती, कमला और खांडो नदियों पर विद्यमान तटबंधों को ऊंचा उठाना, सुदृढ़ करना और विस्तार**						
(i)	लालबकिया नदी	IXवीं योजना में 36.76 कि॰मी॰ की कुल लंबाई में कार्य पूरा कर लिया गया है।					
(ii)	कमला नदी	30.00	174.54	22.85	51.78	जून, 2007	कार्य प्रगति पर है।
(iii)	बागमती नदी	13.59	27.22	2.17	0.000	जून, 2007	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए तकनीकी रूप से स्वस्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण विलंब हुआ।
2.	**गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य**						
	गंडक/बूढ़ी गंडक	30.49	394.30	26.80	204.52	मार्च, 2007	कोई कमी नहीं/कार्य प्रगति पर है।
	उप जोड़ (बिहार)	74.08	596.06	51.82	256.28		
ख.	**उत्तर प्रदेश**						
1.	**गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य**						
	राप्ती नदी	10.81	40.05	3.79	32.60	मार्च, 2007	कार्य में प्रगति कार्य योजना के अनुसार है
	रोहिन नदी	3.08	19.37	2.52	19.37	पूर्ण	कोई कमी नहीं।
	उप जोड़ (उत्तर प्रदेश)	13.89	59.42	6.31	51.97		
	कुल	87.97	655.48	58.13	308.25		

[हिन्दी]

मूंगफली की खेती

197. **श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा :**
श्री वी॰के॰ ठुम्मर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में मूंगफली की खेती हुई;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार मूंगफली का कितना उत्पादन दर्ज किया गया;

(ग) क्या मूंगफली के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मूंगफली के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों लाभप्रद मूल्य दिलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ख) वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान, मूंगफली के उत्पादन के बारे में कवर किए गए राज्य-वार तथा अखिल भारतीय क्षेत्र एवं मूंगफली के उत्पादन की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (घ) मूंगफली का उत्पादन 2003-04 के दौरान 81.27 लाख टन से गिरकर 2004-05 के दौरान 67.74 लाख टन हो गया। 2005-06 के दौरान, इसमें 79.93 लाख टन की वृद्धि हुई तथा 2006-07 के दौरान 5.2.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसमें पुन: 44.11 लाख टन की गिरावट की प्रत्याशा है। 2006-07 के दौरान उत्पादन में तीव्र गिरावट का कारण क्षेत्र का 67.36 लाख हैक्टेयर से कम होकर 55.76 लाख हैक्टेयर होना है। मूंगफली के कम उत्पादन के अन्य कारण इस अवधि के दौरान असामान्य मौसम स्थिति तथा अधिकाशत: वर्षा प्रभावित स्थितियों में उनकी खेती, उच्च पैदावार की किस्मों में प्रमुख सफलता का न होना तथा कम बीज विस्थापन दर है।

(ङ) मूंगफली का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1.4.2004 से देश के 14 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित, तिलहनों, दालों, पॉम आयल तथा मक्का पर एकीकृत स्कीम कार्यान्वयन के अंतर्गत है। स्कीम के अंतर्गत, नस्ली बीजों की खरीद, फांउडेशन बीजों का उत्पादन, बीज मिनीकिट का वितरण, बुनियादी ढांचे का विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक प्रदर्शनों, एकीकृत कीट प्रबंधन, बीडी साईडस, छिड़काव सेट का वितरण, मूंगफली का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, इत्यादि पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु तथा किसानों द्वारा मूंगफली के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार बुआई मौसम शुरू होने से पहले मूंगफली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तथा नोडल एजेन्सी को विपणन मूल्यों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिरने पर मूल्य समर्थन कार्यों को करने हेतु प्राधिकृत करती है।

विवरण

2003-04 से 2006-07 के दौरान मूंगफली का क्षेत्र और उत्पादन

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)				उत्पादन (हजार टन)			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1493.6	1841.4	1876.0	1321.0	986.0	1639.5	1366.0	709.0
बिहार	0.5	0.5	0.9	1.0	0.2	03	0.5	0.0
छत्तीसगढ़	36.3	29.1	29.3	30.0	40.2	32.3	31.6	19.0
गोवा	3.3	3.4	3.3	#	5.7	5.4	7.9	#
गुजरात	2003.4	2000.4	1954.0	1713.0	4477.6	1886.6	3389.0	1304.0
हरियाणा	1.5	1.6	3.0	5.0	1.1	1.2	2.2	4.0
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.0	0.1	#	0.2	0.0	0.0	#
झारखण्ड	NG	NG	NG	25.0	NG	NG	NG	38.0
कर्नाटक	817.3	969.0	1040.0	770.0	433.5	742.0	671.0	405.0
केरल	2.7	1.8	3.3	2.0	2.0	1.7	2.4	3.0
मध्य प्रदेश	217.7	209.5	208.2	194.0	252.3	242.7	234.4	153.0
महाराष्ट्र	379.0	447.0	428.0	420.0	437.0	502.0	410.0	407.0
नागालैण्ड	2.0	5.5	0.3	#	3.0	7.0	0.3	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उड़ीसा	77.2	86.0	90.8	84.0	93.2	106.0	106.3	94.0
पंजाब	4.4	4.3	3.4	4.0	4.0	3.6	3.0	4.0
राजस्थान	212.0	287.8	317.0	311.0	331.9	446.8	491.0	216.0
तमिलनाडु	591.7	615.9	618.8	547.0	918.2	1005.3	1098.2	906.0
त्रिपुरा	0.7	0.9	0.9	#	0.7	0.9	0.8	#
उत्तर प्रदेश	93.3	85.1	106.3	100.0	59.4	69.4	90.5	74.0
उत्तरांचल	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0
पश्चिम बंगाल	45.9	46.6	48.8	40.0	75.8	75.5	83.1	62.0
पांण्डिचेरी	1.3	1.6	1.6	#	2.5	3.2	3.1	#
अन्य	NA	NA	NA	8.0	NA	NA	NA	11.0
समस्त भारत	5987.0	6640.4	6736.0	5576.0	8126.5	6774.4	7993.3	4411.00

NG : या तो फसल पैदा नहीं होती या क्षेत्र 50 हैक्टेयर/उत्पादन 50 टन से कम

NA : उपलब्ध नहीं

#अन्य में शामिल

*05.02.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

[अनुवाद]

राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशें

198. **डा० एम० जगन्नाथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में राज्य के कृषि मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सम्मेलन में कोई सहमति बनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयोग की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय किसान नीति के संशोधित मसौदे सहित राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अपनी रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर राज्यों के कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के मंत्रियों के विचार प्राप्त करने और उन पर चर्चा करने के लिए 22 दिसंबर, 2006 को इन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। राज्य मोटे तौर पर अधिकतर सिफारिशों पर सहमत हैं। सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति के संशोधित मसौदे और अन्य सिफारिशों को शीघ्र जांच हेतु आवश्यक कार्रवाई की है। उक्त रिपोर्टों और राष्ट्रीय किसान नीति के संशोधित मसौदे की जांच करते समय यह देखा गया कि राष्ट्रीय किसान आयोग की बहुत सी सिफारिशों को शुरू किए गए कई पहल के कार्यों और कार्यक्रमों/स्कीमों के जरिए पहले से ही क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारतीय सूचना सेवा की संवर्ग समीक्षा

*199. **श्री सुखरम सुधाकर रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सूचना सेवा की श्रेणी 'क' और 'ख' में कितने पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संगठन में संवर्ग समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस समीक्षा का ब्यौरा एवं इसके निष्कर्ष क्या हैं और यह समीक्षा कब की गई थी; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने की समय सीमा क्या है?

सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार भारतीय सूचना सेवा (आई०आई०एस०) के समूह 'क' और 'ख' में रिक्तियों की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। ये रिक्तियां समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क') नियमावली, 1987 और भारतीय सूचना सेवा (समूह 'ख' पद) नियमावली, 1989 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार भरी जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भा०सू०से० समूह 'क' की संवर्ग समीक्षा दिनांक 10.02.1994 को शुरू की गई और मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 03.04.2006 को अनुमोदित की गई थी तथा दिनांक 20.04.2006 को आवश्यक आदेश जारी किए थे। संवर्ग समीक्षा के पूर्व और पश्चात् भा०सू०से० समूह 'क' की प्रत्येक श्रेणी की संस्वीकृत संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

अब भा०सू०से० समूह 'ख' के संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/16/2006-ई-III ए० के अनुसार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की शुरूआत पहले ही कर दी गई है।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि भारतीय सूचना सेवा की अगली संवर्ग समीक्षा करने में विलंब नहीं हुआ है।

दिनांक 12.03.2007 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 199 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलंग्नक-I

भा०सू०से० की रिक्तियों की स्थिति

श्रेणी	संस्वीकृत संख्या	पदासीन	रिक्ति
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
	समूह 'क'		
उच्चतर श्रेणी	01	–	01
चयन श्रेणी	06	06	–
एस०ए०जी०	37	32	05
जे०ए०जी०	121	83	38
एस०टी०एस०	159	73	86
जे०टी०एस०	151	100	51
	समूह 'ख'		
वरिष्ठ श्रेणी	410	300	110
कनिष्ठ श्रेणी	134	67	67

अनुसंधान और विकास

200. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान इस मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) के लिए आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया जबकि प्रत्येक वर्ष बजट आबंटन में वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनराशियों को उपयोग न करने की वजह से सभी चालू अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे इन योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान और विकास के लिए आबंटित धनराशि के समयबद्ध और समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अनुसंधान और विकास (आर० एंड डी०) स्कीम के अंतर्गत, जल संसाधन के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता मुहैया कराई जाती है। शैक्षणिक/अनुसंधान संगठनों को यह सहायता अनुदानों के जरिए मुहैया कराई जाती है। इस स्कीम में जल संसाधन और जन जागरूकता कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सेमिनारों के आयोजन के लिए सहायता मुहैया कराने का भी एक घटक है।

उपरोक्त स्कीम के लिए विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन 2004-05 के लिए 6.00 करोड़ रुपये, 2005-06 के लिए 10.00 करोड़ रुपये तथा 2006-07 के लिए 14.96 करोड़ रुपये था। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में व्यय क्रमशः 3.00 करोड़ रुपये तथा 7.63 करोड़ रुपये

था। वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित आकलन 10.10 करोड़ रुपये है। आबंटित निधि का (क) अनुसंधान संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों में प्रस्तावों की संभावित संख्या का प्राप्त न होना; (ख) कुछ प्रस्तावों पर सिफारिश न होना; और (ग) निर्माणाधीन स्कीमों की वांछित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना; और (घ) अगली किस्त जारी करने के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में विलंब आदि के कारण पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) मंत्रालय के अग्रणी संगठनों अर्थात केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की तथा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा मुख्यतः अनुसंधान क्रियाकलाप शुरू किए जाते हैं। ऊपर बताये गए अनुसार अनुसंधान एवं विकास स्कीम में विभिन्न शैक्षणिक/अनुसंधान संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो कि विशिष्ट मामलों के समाधान में सहायक होता है। अनुसंधान एवं विकास का समग्र उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि अनुसंधान से संबंधित मुख्य क्रियाकलाप अग्रणी अनुसंधान संस्थानों द्वारा शुरू किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा अनुसंधान के लिए निर्धारित निधि का समय से विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में भारतीय राष्ट्रीय समितियों द्वारा प्रस्ताव की जांच, प्रगति की निगरानी, रिपोर्टों का मूल्यांकन करना आदि शामिल है।

जल प्रयोक्ता संघ

1702. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में जल प्रयोक्ता संघ कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन संघों में किसान तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी हां, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यू०यू०ए०एस०) के कार्यरत होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस समय देश में 50764 डब्ल्यू०यू०ए०एस० कार्य कर रहे हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दी गई तालिका में दिया गया है:

(ग) और (घ) जी हां, डब्ल्यू०यू०ए०एस० में किसानों और महिलाओं को सदस्यों के रूप में समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। तथापि, डब्ल्यू०यू०ए०एस० में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य	राज्य में कार्यरत जल प्रयोक्ता संघों की सख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10799
2.	अरूणाचल प्रदेश	30
3.	असम	647
4.	बिहार	46
5.	छत्तीसगढ़	1324
6.	गोवा	46
7.	गुजरात	377
8.	हरियाणा	4085
9.	हिमाचल प्रदेश	876
10.	जम्मू और कश्मीर	90
11.	झारखण्ड	10
12.	कर्नाटक	2377
13.	केरल	4115
14.	मध्य प्रदेश	1687
15.	महाराष्ट्र	1100
16.	मणिपुर	69
17.	मेघालय	112
18.	मिजोरम	110
19.	नागालैंड	24
20.	उड़ीसा	12500
21.	पंजाब	2371
22.	राजस्थान	859
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	1136
25.	त्रिपुरा	शून्य

1	2	3
26.	उत्तर प्रदेश	192
27.	उत्तराखंड	5646
28.	पश्चिम बंगाल	136
	कुल (राज्य)	50764

विवरण-II

1. आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश किसान प्रबंध-सिंचाई प्रणाली (ए०पी०एफ०एम० आई०एस०), अधिनियम, 1997 के अनुसार, सभी भूस्वामी डब्ल्यू०यू०ए० प्रबंधन समिति चुनते समय वोट देने के हकदार हैं। चूंकि अधिकांश भूजोत पुरूष किसानों के नाम है इसलिए डब्ल्यू०यू०ए० शासन में महिला सदस्यों की भागीदारी बहुत सीमित है। इस राज्य में लगभग 3 से 5 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी नोट की गई है।

2. अरूणाचल प्रदेश

एक लंबे समय से खेतों के प्रबंधन में और खेती के संबंध में निर्णय लेने के सिलसिले में महिलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। आज भी महिलायें कृषि प्रबंधन के सिलसिले में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

3. असम

डब्ल्यू०यू०ए०एस० में कृषकों और महिलाओं को विधिवत प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

4. बिहार

डब्ल्यू०यू०ए०एस० में कृषकों और महिलाओं को विधिवत प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

5. छत्तीसगढ़

इन संघों में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।

6. गोवा

किसान तो विधिवत जुड़े हुए हैं लेकिन अब तक डब्ल्यू०यू०ए०एस० में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। डब्ल्यू०यू०ए०एस० को उनके संघों में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथा इन संघों में उनकी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

7. गुजरात

महिलाओं सहित किसान प्रतिनिधि डब्ल्यू०यू०ए०एस० के सदस्य हैं।

8. हरियाणा

सभी भूस्वामी और उनके प्रतिनिधि (महिलाओं सहित) डब्ल्यू०यू०ए०एस० के सदस्य बनने के पात्र हैं।

9. हिमाचल प्रदेश

सामान्य तौर पर भूस्वामी पुरूष सदस्य होते हैं इसलिए उन्हीं की भागीदारी है। तथापि, लगभग 5 प्रतिशत तक महिलाओं की सांकेतिक भागीदारी है।

10. जम्मू और कश्मीर

तदर्थ डब्ल्यू०यू०ए०एस० में किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व है। सी०ए०डी० एंड डब्ल्यू०एम० गतिविधियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि जोत सामान्यत: पुरूष जनसंख्या के हिस्से में है, अत: डब्ल्यू०यू०ए०एस० में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

11. झारखंड

विभिन्न भूजोतों के किसानों का प्रतिनिधित्व इन संघों में है। इन संघों में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

12. कर्नाटक

जल प्रयोक्ता सहकारी समिति (डब्ल्यू०यू०सी०एस०) के तहत आने वाले सभी अचकतदार (सदस्य) इस समिति के पात्र सदस्य होते हैं। महिला भूस्वामी भी डब्ल्यू०यू०सी०एस० के सदस्य होती हैं। डब्ल्यू०यू०सी०एस० की प्रबंधन समिति में 9 सदस्य होते हैं। जिनमें से कम से कम एक महिला होती है।

13. केरल

बेनीफीशयरी फार्मस एसोसिएशन (बी०एफ०ए०एस०) की गतिविधियों में महिला सदस्य भी सहभागिता कर रही हैं।

14. मध्य प्रदेश

जिन किसानों की भूमि कमान क्षेत्र में है वे डब्ल्यू०यू०ए०एस० की जनरल बॉडी के सदस्य होते हैं। जल प्रयोक्ता की स्त्री (पत्नि) जो भूस्वामी नहीं है उसे भूस्वामी समझा जाएगा तथा वह

डब्ल्यू०यू०ए०एस० की जनरल बॉडी की सदस्य होंगी।

15. महाराष्ट्र

किसान अधिनियम, 2005 द्वारा महाराष्ट्र सिंचाई-प्रबंधन प्रणाली के प्रावधानों 12 (5) के तहत प्रबंधन समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है।

16. मणिपुर

किसानों और महिलाओं को डब्ल्यू०यू०ए०एस० में समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक डब्ल्यू०यू०ए० में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व 20-30 प्रतिशत है।

17. मेघालय

डब्ल्यू०यू०ए०एस० में कृषकों और महिलाओं को विधिवत प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

18. मिजोरम

डब्ल्यू०यू०ए०एस० में कृषि समुदाय के स्त्री और पुरूष दोनों का समावेश है।

19. नागालैंड

डब्ल्यू०यू०ए०एस० में कृषकों और महिलाओं को विधिवत प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

20. उड़ीसा

इन संघों में किसानों को विधिवत प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसान संगठनों के प्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं को शामिल करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

21. पंजाब

इन संघों में किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व है। परम्परागत रूप से स्वामित्व पुरूष सदस्यों के नाम में हस्तांतरित होता है क्योंकि डब्ल्यू०यू०ए०एस० में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

22. राजस्थान

सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन अधिनियम, 2000 और नियम 2002 में राजस्थान किसान भागीदारी के तहत महिलाओं का नामांकन किया जाता है।

23. सिक्किम

इस राज्य में डब्ल्यू०यू०ए०एस० कार्य नहीं कर रही हैं।

24. तमिलनाडु

सभी भूस्वामी स्लूइस समिति या डब्ल्यू०यू०ए०एस० के सदस्य हैं। पूर्व में डब्ल्यू०यू०ए०एस० की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती थी लेकिन राज्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण अब इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

25. त्रिपुरा

इस राज्य में डब्ल्यू०यू०ए०एस० कार्य नहीं कर रही हैं।

26. उत्तर प्रदेश

सभी डब्ल्यू०यू०ए०एस० में किसान सदस्य के रूप में शामिल है। तथापि, महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3 से 4 प्रतिशत है।

27. उत्तराखंड

किसानों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रयोक्ता समूहों में होता है।

28. पश्चिम बंगाल

डब्ल्यू०यू०ए०एस० में कृषकों और महिलाओं को विधिवत प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

इलैक्ट्रानिक बाजार

1703. **श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर इलैक्ट्रानिक बाजार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) दो जिन्स व्युत्पन्न उत्पाद व्यापार एक्सचेंजों तथा राष्ट्रीय जिन्स एवं व्युत्पन्न उत्पाद एक्सचेंज तथा बहुजिन्स एक्सचेंज, को सरकार द्वारा जिन्सों में वायदा व्यापार के लिए मान्यता दी गई है, जिन्होंने जिन्सों में व्यापार करने के लिए राष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंजों को शुरू करने हेतु अवधारणा पत्रों पर विचार किया है तथा सहायक कम्पनियां चालू कीं। वायदा बाजार आयोग को जिन्सों के मामले में वायदा अनुबंधों के विनियमन का कार्य सौंपा गया है। इलैक्ट्रानिक स्पॉट मण्डियां जिन्सों की स्पॉट मण्डियों को अभिशासित करने वाले कानून के अधीन होंगी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों के लिए राहत पैकेज में भ्रष्टाचार

1704. श्री हंसराज गं० अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुफिया ब्यूरो (आई०बी०) ने विदर्भ के किसानों हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके परिणाम क्या रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

1705. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के तीन जिलों में केन्द्रीय बाल श्रम विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) फरीदाबाद सहित हरियाणा के तीन जिलों में इन बाल श्रम विद्यालयों को कब तक खोल दिया जायेगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) सरकार ने 2001 की जनगणना के आधार पर हरियाणा के तीन जिलों अर्थात् फरीदाबाद, गुड़गांव तथा पानीपत में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम की संस्वीकृति दी है। यह स्कीम बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए लागू की जा रही है।

(ख) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय हरियाणा के तीन जिलों अर्थात् फरीदाबाद, गुड़गांव तथा पानीपत में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से सम्पर्क कर रहा है। इन जिलों को बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने के लिए निधियां पहले ही आबंटित कर दी गई हैं तथा बाल श्रमिक सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर कामकाजी बच्चों के लिए विशेष स्कूल संस्वीकृत किए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड

1706. श्री बालेश्वर यादव :
श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रहमपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बी०वी०एफ०सी०एल०), नामरूप में उत्पादन असम में उल्फा की गतिविधियां बढ़ने तथा गैर-असमी लोगों के वहां से बाहर चले जाने के कारण बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(घ) इस उद्देश्य के लिए बी०वी०एफ०सी०एल० को कितनी क्षतिपूर्ति की गई; और

(ङ) परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) जी नहीं, उल्फा गतिविधियों के कारण ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन में उत्पादन ठप्प नहीं हुआ परन्तु कंपनी के प्रेषण पर प्रभाव पड़ा। तथापि, असम में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण कंपनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। वर्ष 2005-06 में कंपनी को 49000 मी०टन की उत्पादन हानि तथा चालू वर्ष में अब तक 8177 मी०टन की उत्पादन हानि हुई है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वर्ष 2006-07 में 164 लाख रुपये की हानि हुई।

मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड और/या मैसर्स असम गैस कंपनी लिमिटेड के साथ हुए अनुबंधों के अनुसार किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) द्वारा सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

उद्योगों में मौत

1707. श्री नरहरि महतो : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार मध्यम तथा बड़े उद्योगों में कार्य करते हुए दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में मारे गए छोटे बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार निर्धारित मुआवजे की राशि तथा मृतक श्रमिकों के परिवारों को प्रदान की गई बीमा राशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में मृत हुए कामगारों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाई गई वर्ष-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 67 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है। 2004-2006 के दौरान कारखानों में घटित दुर्घटनाओं में मृत महिलाओं और पुरूषों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों के संबंध में उपलब्ध मृत्यु और रोजगारजन्य चोटों के मामले में अदा की गई क्षतिपूर्ति की राज्य-वार सूचना, विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मध्यम और बड़े उद्योगों में काम करते समय दुर्घटनाओं में मृत कामगारों का विवरण — वर्षवार और राज्यवार

राज्य	2004	2005	2006
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	90	134	157
बिहार	8	12	6
दिल्ली	5	17	15
गोवा	12	16	8
गुजरात	183	175	127
हरियाणा	77	59	50
कर्नाटक	48	34	64
केरल	10	18	13
महाराष्ट्र	64	57	88
राजस्थान	60	52	61
तमिलनाडु	54	57	78
पश्चिम बंगाल	63	54	75

विवरण-II

वर्ष 2004-2006 के दौरान दुर्घटनाओं में मृत महिलाओं और पुरूषों का विवरण

राज्य	महिला	पुरुष
आंध्र प्रदेश	37	342
बिहार	0	26
चंडीगढ़	0	1
दिल्ली	1	36
गोवा	0	36
गुजरात	8	477
हरियाणा	0	186
कर्नाटक	3	143
केरल	1	40
महाराष्ट्र	2	207
उड़ीसा	1	86*
पंजाब	0	95**
राजस्थान	10	163
तमिलनाडु	33	155
पश्चिम बंगाल	0	192

*वर्ष 2005 एवं 2006 के संबंध में जिसके आंकड़ें उपलब्ध हैं।

**वर्ष 2004 एवं 2005 के संबंध में जिनके आंकड़ें उपलब्ध हैं।

विवरण-III

मृत्यु और रोजगारजन्य चोटों के मामले में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राज्यवार सूचना

क्रम सं०	राज्य	अदा की गई राशि (रुपयों में)		
		2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	29661913	29798582	32586883
2.	असम एवं मेघालय	1457299	1442235	1414202
3.	बिहार	15554710	15155730	15760497
4.	चंडीगढ़	1547591	1612578	2102090
5.	छत्तीसगढ़	1957915	1756764	1792135
6.	दिल्ली	16552821	16425457	16785825
7.	गोवा	1905918	2014659	2646791
8.	गुजरात	37699244	36211225	36204362
9.	हरियाणा	17854230	17817524	17534798
10.	हिमाचल प्रदेश	1235692	1037869	1184286
11.	जम्मू एवं कश्मीर	541851	529412	682921
12.	झारखंड	2518178	2937043	3097392
13.	कर्नाटक	23964460	23143233	24138637
14.	केरल	19032970	18640728	18690190
15.	मध्य प्रदेश	14278770	13512081	15367278
16.	महाराष्ट्र	65114078	61486429	61901426
17.	उड़ीसा	8044176	8288823	8128113
18.	पांडिचेरी	826555	951242	989824
19.	पंजाब	22956270	22104795	23341316
20.	राजस्थान	22452857	24773379	24537236
21.	तमिलनाडु	39228636	38174026	39431359
22.	उत्तर प्रदेश	47597919	48695967	50526594
23.	उत्तरांचल	1583696	1392422	1644910
24.	पश्चिम बंगाल	35670160	32665530	32317638

वनभूमि का अधिग्रहण

1708. **श्री जोवाकिम बखला :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी वन भूमि अधिगृहीत की गई;

(ख) इससे प्रत्येक राज्य में कितने किसान प्रभावित हुए; और

(ग) औद्योगिक विकास निगम द्वारा उपर्युक्त में से कितनी भूमि का उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए वनेतर उपयोग के लिए दी गई वन भूमि नीचे दिए अनुसार है:–

I. पश्चिम बंगाल

1. पिछले 3 वर्षों के दौरान वनेतर उपयोग के लिए दी गई भूमि = 18.531 हैक्टेयर
2. चालू वर्ष के दौरान वनेतर उपयोग के लिए दी गई भूमि = 35.633 हैक्टेयर

II. उड़ीसा

1. पिछले 3 वर्षों के दौरान वनेतर उपयोग के लिए दी गई भूमि = 166.297 हैक्टेयर
2. चालू वर्ष के दौरान वनेतर उपयोग के लिए दी गई भूमि = शून्य

(ख) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के संदर्भ में वन भूमि के वनेतर प्रयोग के कारण प्रभावित कृषकों की संख्या शून्य है और

(ग) औद्योगिक विकास निगम द्वारा उपर्युक्त भूमि में से प्रयोग किया जा रहा क्षेत्र शून्य है।

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

1709. **श्री जी०एम० सिद्‌दीश्वर :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं को रोजगार के संबंध में राज्यवार तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने

के लिए तैयार तथा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई तथा जारी की गई तथा अब तक इसके अंतर्गत कितनी राशि उपयोग की गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, वर्ष 2004-05 में किया गया है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण महिलाओं का कामगार-जनसंख्या अनुपात वर्ष 1999-2000 में 29.9% से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 32.7% हो गया तथा शहरी महिलाओं के मामले में यह 13.9% से बढ़कर 16.6% हो गया। वर्ष 1999-2000 तथा 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर महिला कामगार-जनसंख्या अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार अर्थव्यवस्था की सामान्य विकास प्रक्रिया के साथ-साथ विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन का प्रयास कर रही है। महिलाओं को शामिल करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु योजनाओं का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार वर्तमान में देश के 200 चुनिंदा जिलों (आगामी वर्ष में जिलों की संख्या बढ़ाकर 330 कर दी जाएगी) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन०आर०ई०जी०एस०) भी कार्यान्वित कर रही है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक उस परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 11,300 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2006 तक सृजित रोजगार के 53.65 करोड़ मानव दिवसों में से 21.13 करोड़ मानव दिवस महिलाओं के लिए सृजित किए गए थे।

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 हेतु महिला-केन्द्रीय बजट के लिए आबंटित सार्वजनिक व्यय का रूझान निम्न प्रकार है:

रुपये (करोड़ में)	बजट अनुमान 2002-03	बजट अनुमान 2003-04	बजट अनुमान 2004-05
महिला विशेष योजनाएं	3358.21	3675.37	3555.49
महिला उन्मुख योजनाओं में महिला उन्मुख आबंटन	13036.01	13297.40	15001.24

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 तथा 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर महिला कामगार जनसंख्या का (प्रतिशत) राज्यवार अनुपात

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999-2000 ग्रामीण महिला	1999-2000 शहरी महिला	2004-05 ग्रामीण महिला	2004-05 शहरी महिला
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.8	17.8	48.3	22.4
2.	अरूणाचल प्रदेश	31.0	10.0	41.0	14.8
3.	असम	15.1	11.2	20.9	10.9
4.	बिहार	17.3	7.5	13.8	6.5
5.	छत्तीसगढ़@			45.4	18.1
6.	दिल्ली	2.9	10.5	4.7	8.8
7.	गोवा	18.1	10.6	18.8	18.8
8.	गुजरात	41.3	13.5	42.7	15.1
9.	हरियाणा	20.2	9.8	31.7	13.2
10.	हिमाचल प्रदेश	47.1	13.0	50.6	24.1
11.	जम्मू व कश्मीर	32.7	6.2	26.7	11.2
12.	झारखंड@			31.3	13.4
13.	कर्नाटक	38.0	17.8	45.9	18.1
14.	केरल	23.8	20.3	25.6	20.0
15.	मध्य प्रदेश	38.2	13.4	36.6	15.4
16.	महाराष्ट्र	43.4	13.7	47.4	19.0
17.	मणिपुर	25.3	21.1	35.1	22.1
18.	मेघालय	41.8	19.7	47.8	30.3
19.	मिजोरम	44.0	25.9	44.1	28.1
20.	नागालैंड	44.1	19.9	50.4	25.7
21.	उड़ीसा	29.9	14.5	32.2	14.8
22.	पंजाब	28.0	12.5	32.2	13.3
23.	राजस्थान	38.8	13.8	40.7	18.2

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	24.1	20.0	31.8	16.8
25.	तमिलनाडु	43.0	21.5	46.1	24.1
26.	त्रिपुरा	7.3	7.5	8.5	10.0
27.	उत्तरांचल@			42.7	12.7
28.	उत्तर प्रदेश	20.1	9.4	24.0	11.7
29.	पश्चिम बंगाल	16.0	11.7	17.8	15.5
30.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	18.0	20.6	24.3	15.5
31.	चंडीगढ़	12.8	13.6	5.4	14.2
32.	दादर व नगर हवेली	35.4	11.2	47.8	19.4
33.	दमन व दीव	30.0	18.6	16.8	22.5
34.	लक्षद्वीप	11.5	17.9	5.0	10.8
35.	पांडिचेरी	28.7	16.9	36.1	15.4
	अखिल भारत	29.9	13.9	32.7	16.6

*सामान्य स्थिति दृष्टिकोण आधार पर।

@राज्य का गठन नहीं हुआ था।

विवरण-II

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का कार्य-निष्पाद

(25.07.2006 तक अद्यतन)

क्र० सं०	योजना का नाम	निधियों का आबंटन एवं रोजगार सृजन					टिप्पणियां
		वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06	संबंधित मंत्रालय का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी०आर०वाई०)**						
	i. केन्द्रीय आबंटन (रु० करोड़ में)	3552.53	4120.25	4495.25	5396.50 **	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
	ii. केन्द्र द्वारा जारी (रु० करोड़ में)	3684.64	4121.04	4496.19	3229.09 **	25.09.2001	
	iii. सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस में)	7482.93	8560.24	8223.08	5199.55 *		
2.	**स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०)**						
	i. केन्द्रीय आबंटन (रु० करोड़ में)	567.90	800.00	1000.00	1000.00 **	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
	ii. केन्द्र द्वारा जारी (रु० करोड़ में)	504.56	645.12	900.10	482.35 **	01.04.1999	
	iii. सहायता प्राप्त स्व-रोजगारी (संख्या लाख में)	8.26	8.97	11.16	5.89 *		
3.	**स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०)**						
	i. आबंटित निधियां (रु० करोड़ में)	100.74	100.74	99.10	154.59	शहरी रोजगार एवं गरीबी	
	ii. जारी निधियां (रु० करोड़ में)	100.92	100.74	122.00	24.64	उपशमन मंत्रालय	
	iii. स्व-रोजगार हेतु माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त व्यक्ति (संख्या लाख में)	1.28	1.01	1.03	प्राप्त नहीं	01.12.1997	

1	2	3	4	5	6	7	8
	iv. सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस में)	31.26	49.74	36.21	प्राप्त नहीं		
4.	**प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०)**						
	i. आबंटित निधियां (रु० करोड़ में)	169.00	169.00	218.90	218.50	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 02.10.1993	
	ii. जारी निधियां (रु० करोड़ में)	168.10	167.83	218.17	31.19 *		
	iii. सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस में)	2.86	3.27	2.91	0.04 **		
	iv. स्व-रोजगार हेतु सहायता प्राप्त व्यक्ति (संख्या लाख में)	1.91	2.18	1.94 (अनंतिम)	0.02 ●		
5.	**ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०)**						
	i. खादी एवं ग्रामोद्योग को आबंटित निधियां (रु० करोड़ में)	202.67	281.75	282.00	प्राप्त नहीं	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग 95-96	
	ii. जारी की गई निधियां (एम०एम० वितरित रुपए करोड में)	193.71	264.38	292.36	322.47 #		
	iii. सृजित रोजगार (संख्या लाख में)	3.61	4.71	5.50	3.33 #		
6.	**काम के बदले अनाज नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन०एफ०एफ०डब्ल्यू०पी०)**			785.18	1865.75		

टिप्पणी:

* = दिसम्बर, 2005 तक

** = सितम्बर, 2005 तक

$ = 16.06.2006 तक

● = मई, 2005 तक

= जनवरी, 2006 तक

[हिन्दी]

भंडार में पड़ी खाद्यान्नों की लागत

1710. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ी गेहूं तथा चावल की लागत/मूल्य के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लागत/मूल्य की गणना करते हुए कौन-कौन से व्यय शीर्षों को ध्यान में रखा गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत वार्षिक व्यय के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान गेहूं और चावल की आर्थिक लागत के विभिन्न शीर्ष संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक शीर्ष के अधीन पिछले वर्ष में हुए वार्षिक खर्च में वृद्धि की प्रतिशतता के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

2006-07 (संशोधित अनुमान) के लिए आर्थिक लागत का घटक-वार ब्यौरा

रुपये प्रति क्विंटल

	गेहूं	चावल
1	2	3
1. एकीकृत लागत (न्यूनतम समर्थन मूल्य + बोनस/समायोजित आयात लागत)	761.87	910.20
2. वसूली प्रासंगिक खर्च		
क. सांविधिक/अनिवार्य लागत		
(i) मंडी प्रभार और खरीद कर	78.18	81.38
(ii) मिलिंग प्रभार और शुष्कण छूट	0.00	26.41
(iii) बोरी की लागत	47.35	55.82
जोड़	125.53	163.61
ख. श्रम और ढुलाई प्रभार		
(i) मंडी श्रमिक	9.87	10.62
(ii) अग्रेषण प्रभार	1.69	0.07
(iii) आंतरिक संचलन	14.26	6.67
जोड़	25.82	17.36
ग. राज्य एजेंसियों को अदा किया गया भंडारण और ब्याज प्रभार		
(i) भंडारण प्रभार	0.79	2.98
(ii) ब्याज	2.69	8.86
(iii) विगत वर्ष के बकायों पर खर्च	—	2.10
जोड़	3.48	13.94
घ. राज्य एजेंसियों को प्रशासनिक प्रभार	14.93	2.57
ङ अन्य (गारंटी शुल्क आदि)	0.70	0.63
जोड़ वसूली प्रासंगिक खर्च	170.46	198.11
3. अधिग्रहण लागत	932.33	1108.31
4. वितरण लागत		
(i) भाड़ा	104.49	57.77
(ii) हैंडलिंग प्रभार	47.64	47.66
(iii) भंडारण प्रभार	28.43	28.38
(iv) ब्याज	92.13	109.54
(v) कमियां	1.97	8.63
(vi) प्रशासनिक उपरिव्यय	25.59	25.63
जोड़ वितरण लागत	300.25	277.61
5. आर्थिक लागत	1232.58	1385.92

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों हेतु वार्षिक खर्च में विगत वर्ष की तुलना में प्रत्येक शीर्ष में प्रतिशत वृद्धि के ब्यौरे

राशि करोड़ रुपये में

बेचे गए अनाज की अधिग्रहण लागत	2003-04	2004-05		2005-06 (अनंतिम)		2006-07 (भारतीय खाद्य निगम का संशोधित अनुमान)	
	राशि	राशि	% वृद्धि	राशि	% वृद्धि	राशि	% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूं	4134	4005	(-)3.12	4327	8.04	5742	32.70
चावल	5938	6529	9.95	7506	14.96	8870	18.17

1	2	3	4	5	6	7	8
मोटे अनाज	2	10	400.00	–	–	–	–
जोड़	10074	10544	4.67	11833	12.22	14612	23.49
भाड़ा	3671	3055	(–)16.79	2992	(–)2.06	3413	14.07
हैंडलिंग	1359	1430	5.22	1368	(–)4.34	1731	26.54
भंडारण	1191	1348	13.18	1129	(–)16.25	1366	20.99
भारतीय खाद्य निगम प्रचालन के लिए ब्याज	1730	1401	(–)19.02	854	(–)39.04	1330	55.74
कमियां	279	92	(–)67.03	281	205.43	331	17.79
प्रशासन उपरिव्यय	671	76	13.86	725	(–)5.10	931	28.41
ग्रामीण विकास/मानव संसाधन विकास मंत्रालयों से बकायों पर ब्याज	698	1228	75.93	2058	67.59	2392	16.23
अदा किया गया कैरीओवर प्रभार	1914	912	(–)52.35	220	(–)75.88	159	(–)27.73
जोड़ खर्च	21587	20774	(–)3.77	21460	3.30	26265	22.39

अधिप्रहण लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली प्रासंगिक खर्च और बोनस शामिल हैं।
2006-07 के लिए, आयातित गेहूं की उतरान लागत को भी हिसाब में लिया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सैटेलाइट चैनल

1711. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना उत्तर-पूर्व क्षेत्र में और सैटेलाइट चैनल के लाइसेंस देने की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) दिनांक 02.12.2005 को जारी 'भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशा-निर्देश' के अनुसार, मंत्रालय, भारत से उन उपग्रह टेलीविजन चैनलों को अपलिंक करने के लिए विभिन्न कंपनियों को अनुमति देता है जोकि अखिल-भारतीय आधार पर संचालन के लिए हैं और क्षेत्र-विशिष्ट नहीं हैं।

(ख) दिनांक 28.02.2007 तक की स्थिति के अनुसार, भारत से अपने उपग्रह टी०वी० चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु 44 कंपनियों के आवेदनों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। इनमें से केवल 4 कंपनियों के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने पंजीकृत मुख्यालय हैं।

मत्स्यन प्रशिक्षण तथा विस्तार एकक

1712. **श्री सुब्रत बोस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2004 से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार मंजूर की गई मत्स्यन प्रशिक्षण तथा विस्तार एकक का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कुल कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ऐसी इकाइयों को मंजूर करने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य के लिए कितनी ऐसी इकाइयां स्वीकृत की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) 2004-05 से मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को बीस (20) मत्स्य पालक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा मात्स्यिकी जागरूकता केन्द्रों को स्वीकृत प्रदान की गई है।

(ख) 2003-04 से आज की तारीख तक इस प्रयोजन के लिए जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य का नाम	धनराशि (लाख रुपए में)
1	2
1. बिहार	17.25
2. छत्तीसगढ़	41.34
3. गुजरात	5.25
4. मध्य प्रदेश	44.26
5. मणिपुर	10.00
6. मिजोरम	39.60
7. राजस्थान	8.75
8. त्रिपुरा	62.80
9. उत्तर प्रदेश	53.65
10. पश्चिम बंगाल	31.91
कुल	314.81

(ग) से (ङ) पहले से स्वीकृत एक मत्स्य पालक प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक जागरूकता केन्द्र के अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 2004-05 में एक और मत्स्य पालक प्रशिक्षण केन्द्र को स्वीकृत प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश में डेयरी विकास के प्रस्ताव

1713. **श्री एम० अंजनकुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान डेयरी विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और कितने प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) ''सघन डेयरी विकास कार्यक्रम'' तथा ''गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण'' नामक योजना के तहत विगत दो वर्षों अर्थात् 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान डेयरी विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों तथा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा इन प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों एवं ''सघन डेयरी विकास कार्यक्रम'' नामक योजना के तहत की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:-

विगत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
तीन वर्षों की अवधि के लिए 550.07 लाख रुपए की कुल लागत से मेडक एवं निजामाबाद जिलों के लिए प्रस्ताव	तीन वर्षों की अवधि के लिए 1187.94 लाख रुपए की लागत में मेडक, निजामाबाद, खम्माम और महबूबनगर जिलों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार से यथा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव को उनकी टिप्पणियों के लिए मूल्यांकन एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है।

(ख) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों तथा "गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण" नामक योजना के तहत की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र० सं०	राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1.	आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 11.11.2004 एवं 5.3.2005 के अने पत्रों के तहत क्रमश: 300.12 एवं 249.70 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत से मेडक एंव निजामाबाद और अनंतपुर जिले के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिसका क्रियान्वयन आंध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी परिसंघ लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा दो वर्षों की अवधि में किया जाना है।	इस विभाग ने 299.01 लाख रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 339.00 लाख रुपए की कुल लागत से 30.3.2005 तथा 1.8.2005 को दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका क्रियान्वयन मेडक एवं निजामाबाद और अनंतपुर जिलों में दो वर्षों की अवधि में किया जाना है। राज्य सरकार को क्रमश: 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान, केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में मेडक एवं निजामाबाद जिलों के लिए 39.37 लाख रुपए तथा अनंतपुर जिले के लिए 65.50 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। प्राप्त प्रगति रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर, राज्य सरकार को 28.2.2007 को अनंतपुर जिले के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 20.00 लाख रुपए की और राशि भी जारी की गई है।
2.	आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 9.12.2005 के अपने पत्र के तहत 576.50 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत से करीमनगर जिले के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? जिसका क्रियान्वयन आन्ध्र प्रदेश डेयरी विकास सहकारी परिसंघ लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा दो वर्षों की अवधि में किया जाना है।	इस विभाग में इसकी जांच की गई थी तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस विभाग के दिनांक 2.2.2006 के पत्र संख्या 3-3/2006-डीपी के तहत भेजी गई टिप्पणियों को स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना पर बांग्लादेश की आपत्ति

1714. श्री हितेन बर्मन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने कतिपय नदियों को आपस में जोड़ने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बांग्लादेश के साथ इस मुद्दे को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा आज की तिथि में यह मामला किस चरण में है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) बंगलादेश पक्ष ने यह अपील की है कि नदी को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना के रूप में गंगा और ब्रह्मपुत्र से जल हस्तांतरण करने के लिए कोई योजना प्रारंभ नहीं की जाए क्योंकि इससे बंगलादेश पर ऐसे क्षेत्र में भ्यावह प्रभाव पड़ेंगे जहां पर इन दो नदियों का जल बंगलादेश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन-रेखा के रूप में कार्य करता है।

(ग) इस मुद्दे पर 19 से 21 सितम्बर, 2005 तक ढाका में आयोजित की गई भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 36वीं बैठक के दौरान चर्चा की गई। भारतीय पक्ष ने सूचित किया कि 30 संपर्कों की पहचान की गई थी जहां पर कुछ अधिशेष जल को कुछेक क्षेत्रों से अन्य जलाभाव क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जा सकता है। इनमें से 14 संपर्क हिमालयी क्षेत्र से संबंधित हैं जहां की नदियां अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की हैं। भारतीय पक्ष ने इस बात पर बल दिया कि हिमालयी क्षेत्र का कोई भी संपर्क तब तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा जब तक कि पड़ोसी देशों की चिंताओं का खुले और पारदर्शी रूप में जांच और समाधान न कर लिया जाए। भारतीय पक्ष ने सूचित किया कि अन्य 16 संपर्क, जिसकी प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता स्थापित कर ली गई थी, का संबंध हिमालय से निकलने वाली किसी नदी से नहीं था। इसलिए बंगलादेश सरकार और इसके लोगों को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

इस्को का आधुनिकीकरण

1715. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) घाटे में चलती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस्को के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ङ) विस्तार एवं आधुनिकीकरण योजना कब तक पूरी होगी?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अखिलेश दास) : (क) और (ख) इस्को इस्पात संयंत्र (आई०एस०पी०)/सेल को पिछले कुछ वर्षों में इसके पुराने संयंत्र और मशीनरी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, खराब वित्तीय स्थिति के कारण पूंजी निवेश का अभाव और कोयला तथा कोक की आदान कीमतों में बढ़ोतरी के चलते हानि हुई है। तथापि, आई०एस०पी० ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 में क्रमश: 27 करोड़ रुपए तथा 47 करोड़ रुपए का कर-पूर्व लाभ (पी०बी०टी०) अर्जित किया था। पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2006-07 के 9 माह (दिसंबर, 2006 तक) के दौरान आई०एस०पी० का लाभ/हानि (कर-पूर्व) निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

संयंत्र	कर-पूर्व लाभ/हानि (-)			
	2003-04	2004-05	2005-06	9 माह 2006-07
आई०एस०पी०	27	47	-258	-149

(ग) से (ङ) आई०एस०पी० के सेल में विलय के बाद आई०एस०पी० के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को सेल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में कार्य को वर्ष 2010 तक पूरा करने और लगभग 9,592 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

1716. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत चम्बल नदी हेतु राजस्थान के कोटा तथा केशवरायपटन शहरों में कोई प्रदूषण नियंत्रण योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना हेतु कोई धनराशि जारी की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (च) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत केशवरायपटन और कोटा में चम्बल नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए अब तक 136.40 लाख रु० की अनुमानित लागत से सात स्कीमों को स्वीकृत किया गया है। सात स्वीकृत स्कीमों में से छह अब तक पूरी हो चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 112.17 लाख रु० की राशि जारी की गई है जिसमें से जनवरी, 2007 के अंत तक 88.11 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं।

केशवरायपटन शहर के लिए 72.55 लाख रु० की अनुमानित लागत पर अवरोधन और दिशा परिवर्तन तथा सीवेज शोधन संयंत्र, नदी तटाग्रविकास, शवदाहगृह और अल्प लागत शौचालय के लिए चार स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से नदी तटाग्र विकास, शवदाहगृह और अल्पलागत शौचालय की तीन स्कीमें पूरी हो चुकी हैं जबकि अवरोधन और दिशा परिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्र स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कोटा शहर के लिए नदी तटाग्र विकास, शवदाहगृह और अल्प लागत शौचालय की तीन स्कीमों 63.85 लाख रु० की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई हैं। सभी तीनों स्कीमें पूरी हो चुकी है।

राज्य सरकार ने कोटा के लिए अवरोधन और दिशा परिवर्तन तथा सीवेज शोधन संयंत्र के लिए 23.60 करोड़ रु० की राशि पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार से मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता

1717. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा 18 मई, 2006 को 80:20 की सहायता पद्धति के रूप में अनुदानों की स्वीकृति एवं जारी करने हेतु "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत हैस्सरघट्टा बंगलौर में राज्य कुक्कुट फार्म तथा कोप्पाल जिले में क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म के सुदृढ़ीकरण हेतु 170 लाख रुपए का भेजा गया प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की संभावना है तथा इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया था तथा अगस्त, 2006 में इस राज्य को दोनों फार्मों के लिए 80.00 लाख रुपए की पहली किश्त जारी की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एन०डी०एम०सी० पर शास्ति

1718. **श्री सज्जन कुमार :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उपभोक्ता न्यायालय ने तालकटोरा गार्डन के रख-रखाव में लापरवाही बरतने तथा वहां शादी और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन०डी०एम०सी०) पर हाल ही में जुर्माना लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने तालकटोरा गार्डन मार्निंग वाकर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम नई दिल्ली नगर पालिका और अन्य नामक शिकायत मामला संख्या सी०सी०-43/2005 में पारित किए गए अपने दिनांक 4 जनवरी, 2007 के आदेश के जरिए नई दिल्ली नगर पालिका को अन्य निर्देशों के साथ राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष (कानूनी सहायता) में 25 लाख रुपए जमा करने का दण्ड लगाया है। आदेश के पैरा 34 में यथा उल्लिखित आदेश का ब्यौरा इस प्रकार से है:

"34. इस शिकायत की अनुमति देते हुए हम निम्नलिखित आदेश और निर्देश पारित करते हैं:

(1) हम प्रतिपक्ष 1, नई दिल्ली नगर पालिका पर 25,00,000/- रुपए (पच्चीस लाख रुपए) की क्षति का दण्ड लगाते हैं जो 'राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष (कानूनी) सहायता)' के पक्ष में जमा की जाएंगी। इसमें से 5,00,000/- रुपए की राशि नई दिल्ली नगर पालिका के सचिव द्वारा अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका और निदेशक (उद्यान), नई दिल्ली नगर पालिका से व्यक्तिगत तौर पर बराबर की हिस्सेदारी में वसूली जाएगी और नई दिल्ली नगर पालिका के खाते में जमा की जाएगी। यह उन स्थानीय या नागरिक या सरकारी निकायों के जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए निवारक और एक पाठ होगा जो शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर उदासीनता और बेरूखी दिखाते हैं और सरकारी सम्पत्ति का संरक्षण नहीं करते जिससे सरकार को भारी क्षति होती है।

(2) प्रतिपक्ष — नई दिल्ली नगर पालिका कार्यवाही की लागत के रूप में शिकायतकर्ता एसोसिएशन को 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) अदा करेगा।

(3) नई दिल्ली नगर पालिका को एतद्द्वारा तालकटोरा गार्डन के परिसर या इस उद्देश्य के लिए इसके द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य पार्क में कोई विवाह कार्यक्रम या पार्टी या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित करने से मना किया जाता है क्योंकि इसके बाद वह स्थान बचे खुचे भोजन की बदबू और कूड़े के ढेर के कारण एक छोटे से नरक में तबदील हो जाता है और सुबह की सैर करने वालों, पिकनिक मनाने वालों और पर्यटकों को परेशानी होती है। इस प्रयोजन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका नए सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कर सकती है।

(4) नई दिल्ली नगर पालिका खेल के मैदान को मूल रूप में वापस लाएगी और इस गार्डन का इस्तेमाल मेला, समारोह या अन्य उत्सव के आयोजन जैसे प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इसको एक ओर प्रतिपक्ष के आय के स्रोत के रूप में और दूसरी ओर सुबह की सैर करने वालों और अन्यों तथा आसपासके निवासियों के लिए परेशानी के स्रोत के रूप में चलते रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इन समारोहों का आयोजन कई दिन तक किया जाता है जिससे इन पार्कों का सुबह की सैर करने वालों और खेल मैदान का खिलाड़ियों और पिकनिक या यहां तक कि पर्यटन के लिए आने वाले अन्य लोगों द्वारा

इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन समारोहों में रातभर तेज आवाज में संगीत और लाउडस्पीकर बजते हैं।

(5) संबंधित पुलिस उपायुक्त और क्षेत्र का एस०एच०ओ० यह देखने के लिए जिम्मेवार होगा कि इस पार्क का सही रख-रखाव हो और इसकी सम्पत्ति सुरक्षित रहे और कोई विवाह समारोह या पार्टी या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाए।

(6) प्रतिपक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका और उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, नागरिक प्राधिकरण या दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे सरकारी संगठन को क्लब या संस्था के नाम पर इस प्रयोजन या अपने कर्मचारी के प्रयोग हेतु अपने नियंत्रणाधीन, जिसका वह अभिरक्षक और अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार है, किसी पार्क के किसी भाग या अन्य प्रतिष्ठान का प्रयोग करने से रोका जाता है। पार्क के किसी भाग को सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात सुबह की सैर या खेलों के लिए लोगों को अनुमति देना या ऑपन एयर थिएटर, स्विमिंग पूल आदि जैसे प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह विशेष स्थान मूल रूप से निर्धारित किया गया है, के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।''

आदेश का पूरा पाठ आयोग की वेबसाइट www.delhistatecommission.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उक्त आदेश के खिलाफ नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर करने की बजाए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सक्षम 2007 की रिट याचिका संख्या 141 दायर की गई है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी०एम० संख्या 2007 का 1203 में पारित करने दिनांक 25.1.2007 के आदेश के जरिए राज्य आयोग के आदेश पर अहम करने पर रोक लगा दी है।

[अनुवाद]

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1719. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के निर्धनतम एवं सर्वाधिक पिछड़े ब्लॉकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में वंचित और अशक्त लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने हेतु कोई विशेष योजनाएं अपनायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, हां। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सभी तीन जिलों में 465 उचित दर दुकानों के जरिए खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। लाभभोगियों के लिए निम्नानुसार 88518 सुविधा पहचान पत्र जारी किए गए हैं—

गरीबी रेखा से ऊपर	71592
गरीबी रेखा से नीचे	7660
अंत्योदय अन्न योजना	9266

इन कार्डों के जरिए प्रत्येक माह चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल का विवरण निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार किया जाता है:—

श्रेणी	चावल	गेहूं	चीनी	मिट्टी के तेल
गरीबी रेखा से ऊपर	7 किलोग्राम/वयस्क 35 किलोग्राम/शिशु	1-3 यूनिट: 8 किलोग्राम/4 और उससे ऊपर यूनिट: 15 किलोग्राम	1 किलोग्राम प्रति यूनिट	1-3 यूनिट: 5 लीटर/4 और उससे अधिक यूनिट: 10 लीटर
गरीबी रेखा से नीचे	27 किलोग्राम/प्रति कार्ड	8 किलोग्राम प्रति कार्ड	-वही-	-वही-
अंत्योदय अन्न योजना	31 किलोग्राम/प्रति कार्ड	4 किलोग्राम/प्रति कार्ड	-वही-	-वही-

(ग) और (घ) जी, हां। असहाय एवं अशक्त व्यक्तियों को अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभभोगी को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल प्रति माह मुहैया कराया जाता है। आज की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत 167 लाभभोगी हैं।

भारतीय और विदेशी कृषि विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़ना

1720. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कृषि को बढ़ावा देने हेतु किसानों एवं कृषि विशेषज्ञों के विचार विनिमय के लिए भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों को विदेशी कृषि विश्वविद्यालों के साथ जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य देशों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी को बंद किया जाना

1721. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय की पर्यावरणीय चिन्ताओं के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड का प्रचालन बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 2001 की आई०ए० सं० 670 में दिनांक 30.10.2002 के आदेश के तहत निर्देश दिए हैं कि कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड को वर्ष 2005 के अंत तक खनन की अनुमति होनी चाएिह। उक्त आई०ए० श्री के०एम० चिन्नप्पा द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं के कारण दायर की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय के साथ ही साथ कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड द्वारा खनन कार्य को बंद करने के निर्देश की मांग की गई थी।

जैव विविधता

1722. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैव-विविधता के अंतर्गत चिन्हित किए गए जन्तु/वनस्पतियों के नाम क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जैव-विविधता के संरक्षण हेतु योजना की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार एनगियोस्पर्म(17450), जिमनोस्पर्म(65) पैट्रीडीफ्टी(1200), ब्रायोफ्टी(2426), फुंगी(14500), लिचिन(2180) और एलगी(6500) से संबंधित लगभग 44321 पौध-प्रजातियों का अब तक रिकार्ड किया गया है। इसी प्रकार भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के अनुसार कुल 91206 पशु प्रजातियाँ [अकशेरुकी और हेमीकार्डेटा(86212), रज्जुमान(4994) = 91206] भारत से है।

(ख) और (ग) जैवविविधता संरक्षण योजना स्कीम की कोई औपचारिक अथवा ढांचागत पुनरीक्षा नहीं की गई है। जैवविविधता संरक्षण की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस पर सितम्बर, 2005 के स्थायी वित्त समिति ज्ञापन की पुनरीक्षा करके नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करके स्कीम के स्वरूप का विस्तार किया गया। अन्य के अलावा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैवविविधता अधिनियम(2002) का कार्यान्वयन और राष्ट्रीय जैवविविधता, प्राधिकरण, राज्य जैवविविधता बोर्ड और अन्य सम्बद्ध संगठनों को सहायता, जैवसुरक्षा विनियामक फ्रेमवर्क और ट्रांसजैनिक सामग्री से सम्बद्ध अध्ययन को सरल बनाना, पारस्परिक ज्ञान के दस्तावेज तैयार करना और जैविक संसाधनों से संबंधित तक पहुंच और लाभ हिस्सेदारी का अध्ययन, सुग्राही कार्यशालाएं, जैवविविधता संरक्षण और जैवसुरक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण; जैवविविधता से संबंधित विविध बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अंतर्गत देश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बीच साहचर्य और संबंध शामिल है।

[हिन्दी]

रोगग्रस्त टमाटर फसल

1723. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब और अन्य राज्यों में टमाटर की फसल रोग लगने की वजह से नष्ट हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप किसानों को राज्यवार किस सीमा तक हानि उठानी पड़ी है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। पंजाब सरकार ने नवम्बर और दिसंबर, 2006 के दौरान टमाटर में ब्लाइट के प्रकोप की सूचना दी है। अन्य राज्यों से टमाटर की फसल में ब्लाइट के प्रकोप के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) पंजाब के 18 जिलों में टमाटर की फसल के ब्लाइट रोग से प्रभावित होने की रिपोर्ट मिली है जिससे फसल क्षेत्र के लगभग 25 प्रतिशत हिस्से की अनुमानित हानि हुई है।

(ग) केन्द्र सरकार विभिन्न फसलों में कृमि व रोग की स्थिति की मानिटरिंग करने के लिए राज्य सरकारों/बागवानी/कृषि विभागों को सलाह देती है और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करती है ताकि राज्य फसल हानि से बचने के लिए उचित नियंत्रण उपाय कर सके। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने राज्यों को सहायता देने के लिए ''भारत में कृमि प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण'' नामक स्कीम के तहत 28 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में 31 केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की हैं इन केन्द्रों का अधिदेश कृषक क्षेत्र स्कूलों का आयोजन करके आधारभूत स्तर पर कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देकर समेकित कृमि प्रबंधन में मानव संसाधन विकास और जैव-नियंत्रण एजेन्टों का संरक्षण, कृमि/रोग की मानिटरिंग, जैव-नियंत्रण एजेण्टों/जैव-कृमिनाशियों का उत्पादन और उपयोग है। इस स्कीम के तहत वर्ष अंतराल में 10041 कृषक क्षेत्र स्कूल आयोजित किए गए हैं जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 41154 कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों तथा 302641 किसानों को विभिन्न फसलों में अद्यतन आई०पी०एम० प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। कृषि/ बागवानी राज्य विभागों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से टमाटर सहित 77 प्रमुख फसलों में कृमि/रोग प्रबंधन के लिए प्रणालियों के आई०पी०एम० पैकेज का विकास किया गया है और इसे उपयोग हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किया गया है।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यटन परियोजनाएं

1724. श्री फुरकान अंसारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु भेजी गई कुछ परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि निर्यात जोन

1725. श्री मिलिन्द देवरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि निर्यात जोनों (ए०ई०जेड०) के सृजन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी है;

(ग) कृषि निर्यात जोनों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव एवं कब से सरकार के पास लंबित है;

(घ) इन्हें कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

(ङ) कृषि निर्यात जोनों के लिए नीति किस तिथि को तैयार की गई थी;

(च) कृषि निर्यात जोनों तथा विशेष निर्यात जोन के पृथक-पृथक लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है;

(छ) क्या योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकार के पास कृषि निर्यात जोन्स (ए०ई०जेड०) की स्थापना के लिए कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। आन्ध्र प्रदेश से 3 प्रस्तावों सहित ए०ई०जेड० की स्थापना के लिए 35 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्तमान ए०ई०जेड० के समतुल्य मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर तैयार

की गई कार्य योजना के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि नए ए०ई०जेड० के सृजन पर स्व-आरोपित पाटबंदी होगी जब तक कि उसके लिए कोई ठोस और बाध्यकारी कारण न हों। राज्य सरकारों को उक्त निर्णय के आलोक में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कहा गया है।

(ङ) वर्ष 2001-02 में आयात-निर्यात नीति में ए०ई०जेड० को लागू किया गया।

(च) जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा सूचित किया गया है ए०ई०जेड० का उद्देश्य कृषि उत्पाद पर व्यापक ढंग से विचार करना है ताकि यह अंतरराष्ट्रीय मण्डी में उपयुक्त रूप से मूल्य निर्धारित और आकर्षक ढंग से पैकेज किए गए गुणवत्ताप्रद उत्पाद भेजने में समर्थ हो सके। विशेष आर्थिक जोन का उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप सृजित करना, माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार अवसरों का सृजन और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है।

(छ) और (ज) जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा सूचना दी गई हैं ए०ई०जेड० में प्राक्कलित और वास्तविक निवेश और अनुमानित तथा वास्तविक निर्यात निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपए में)

	प्राक्कलित/अनुमानित	वास्तविक
निवेश	1717.95	859.46
निर्यात	11821.47	5353.85

राज्य सरकारों के परामर्श से समतुल्य मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर तैयार की गई कार्य योजना में ए०ई०जेड० के लिए राज्य स्तरीय समन्वयन समिति और मानिटरिंग समिति का गठन तथा नोडल एजेन्सियों को नामित करना शामिल हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि ए०ई०जेड० के तीव्र विकास के लिए सलाहकार के रूप में मेसर्स येस बैंक को विनियुक्त किया जाए तथा अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता हेतु वाणिज्य विभाग की स्कीम से निधियों के साथ ए०ई०जेड० में निर्यात अवसंरचना परियोजना का समर्थन किया जा सके।

अत्यधिक विज्ञापन

1726. श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायोजित कार्यक्रमों के दौरान अत्यधिक विज्ञापन दिखाए जाते हैं और इस संबंध में दूरदर्शन के दिशा-निर्देशों की अकसर अवज्ञा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिशा-निर्देशों की अवज्ञा करने हेतु टी०वी० चैनलों/उक्त कार्यक्रमों के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करता है। दर सूची के अनुसार, किसी प्रायोजित कार्यक्रम में विज्ञापन अनुज्ञेय हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रणाली

1727. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता उत्पाद परीक्षण प्रणाली स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त की स्थापना करने हेतु किन क्षेत्रों की राज्यवार पहचान की गई है; और

(घ) इसको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत उन पात्र और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो पहले से उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण कार्य में संलग्न हैं।

फलों एवं सब्जियों की खेती

1728. श्री सी० कुप्पुसामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में फलों एवं सब्जियों की खेती की जाती है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में फलों एवं सब्जियों की और अधिक खेती करने हेतु इसके क्षेत्र में वृद्धि करने की किसी योजना को क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) फल और सब्जी फसलों के अधीन वर्ष 2005-06 हेतु कवर

किया गया राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में फलों और सब्जियों सहित बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत: राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें विस्तार कार्यक्रमों के जरिए उत्पादकों हेतु गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन सहित बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र विस्तार के लिए सहायता दी जाती है। ये स्कीमें फल और सब्जी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि में मदद करती हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 हेतु फल और सब्जी फसलों के अधीन क्षेत्र का राज्यवार अनुमान (अनंतिम)

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र 1	फल क्षेत्र 2	सब्जी क्षेत्र 3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.9	1.3
आंध्र प्रदेश	652.0	258.4
अरूणाचल प्रदेश	51.8	20.4
असम	93.3	194.5
बिहार	276.4	780.6
चंडीगढ़	0.1	0.1
छत्तीसगढ़	75.8	195.6
दादरा व नागर हवेली	0.7	1.5
दमण व दीव	0.0	0.1
दिल्ली	0.0	39.1
गोवा	10.5	8.1
गुजरात	269.8	380.2
हरियाणा	24.1	207.8
हिमाचल प्रदेश	180.1	64.9
जम्मू व कश्मीर	167.5	52.1
झारखंड	33.3	224.1
कर्नाटक	263.0	382.2
केरल	218.2	96.0
लक्षद्वीप	0.3	0.2
मध्य प्रदेश	45.9	210.5
महाराष्ट्र	1618.6	398.5
मणिपुर	53.1	11.1
मेघालय	28.2	41.7
मिजोरम	21.2	5.7
नागालैंड	13.3	10.7
उड़ीसा	237.5	656.7
पांडिचेरी	1.0	4.5
पंजाब	51.6	152.1
राजस्थान	24.8	122.9
सिक्किम	8.9	17.5
तमिलनाडु	255.0	232.0
त्रिपुरा	33.2	31.5
उत्तर प्रदेश	279.3	895.5
उत्तरांचल	181.7	72.9
पश्चिम बंगाल	172.7	1276.2
कुल	5345.9	7047.4

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने का विकेन्द्रीकरण

1729. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से नीचे की चुनिंदा परियोजनाओं के संबंध में राज्य स्तर की स्वीकृति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप देने और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मक्के का उत्पादन

1730. श्री अमिताभ नन्दी :
श्री एस०के० खारवेनथन :
श्री देविदास पिंगले :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री शिशुपाल एन० पटले :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान देश में मक्के का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन एवं खपत दर्ज की गई है;

(ख) क्या देश में मक्के की मांग एवं आपूर्ति के बीच काफी अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान मक्के का कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान देश में मक्का का अखिल भारतीय उत्पादन तथा परिवारों द्वारा उसकी खपत के अनुमान नीचे दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान मक्का की राज्यवार पैदावार अनुसूची में दर्शायी गयी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2004 के दौरान आयोजित किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण तथा भारत के महापंजीकार के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों के परिणामों का उपयोग करते हुए खपत अनुमानित की गई है। मक्का के गैर घरेलू संबंधी खपत अनुदान उपलब्ध नहीं है। मक्का की राज्यवार खपत भी उपलब्ध नहीं है।

मक्का का अखिल भारतीय उत्पादन तथा खपत

(000टन)

वर्ष	उत्पादन	घरेलू खपत
2003-04	14984.3	3084.6
2004-05	14172.0	3124.4
2005-06	14709.9	3163.6
2006-07*	13562.0	3202.2

*5.2.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

(ख) से (घ) उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्तमान स्तर पर मक्का का उत्पादन, मक्का की घरेलू खपत की मांग को निरापद रूप से पूरा कर सकता है। जबकि गैर घरेलू क्षेत्र में मक्का की मांग का आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ङ) वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान मक्का के आयात तथा निर्यात की मात्रा निम्न सारणी में दिखाई गयी है:

वर्ष	आयात (000टन)	निर्यात(000टन)
2003-04	0.71	543.27
2004-05	1.19	1082.26
2005-06	1.63	419.95
2006-07 (जुलाई तक)	0.02	159.46

स्रोत – वाणिज्य मंत्रालय कोलकाता

वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान मक्का उत्पादन के राज्यवार अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (हजार मी० टन)			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07'
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2477.0	2064.0	3087.0	2086.0
अरूणाचल प्रदेश	54.5	55.0	57.9	#
असम	14.0	13.9	13.7	14.0
बिहार	1473.5	1465.7	1361.1	1193.0
छत्तीसगढ़	135.0	131.7	106.2	104.0

1	2	3	4	5
गोवा	0.8	0.8	0.5	#
गुजरात	831.9	412.5	560.0	462.0
हरियाणा	41.0	40.0	34.0	44.0
हिमाचल प्रदेश	729.6	736.0	543.1	488.0
जम्मू व कश्मीर	532.6	492.3	453.5	512.0
झारखण्ड	300.0	286.0	238.5	397.0
कर्नाटक	1209.9	2512.0	2728.0	2386.0
मध्य प्रदेश	1866.2	1252.6	1249.0	1048.0
महाराष्ट्र	752.0	753.0	996.0	1042.0
मणिपुर	7.5	8.9	7.9	#
मेघालय	25.9	24.0	24.1	#
मिजोरम	20.3	15.7	22.7	#
नागालैण्ड	80.3	83.5	92.9	#
उड़ीसा	78.0	106.0	101.9	100.0
पंजाब	459.0	422.0	403.0	464.0
राजस्थान	2070.5	1262.6	1102.1	1098.0
सिक्किम	57.1	58.2	56.5	#
तमिलनाडु	251.0	294.7	241.2	417.0
त्रिपुरा	2.2	3.0	2.2	#
उत्तर प्रदेश	1318.5	1494.0	1054.3	1264.0
उत्तरांचल	68.0	44.0	44.0	40.0
पश्चिम बंगाल	126.5	139.6	128.4	168.0
अंडमान व निकोबार	0.2	0.1	0.1	#
दिल्ली	0.5	0.2	0.1	#
अन्य	NA	NA	NA	235.0
अखिल भारत	14984.3	14172.0	14709.9	13562.0

*5.2.2007 को जारी द्वितीय अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल

NA : लागू नहीं

[हिन्दी]

उर्वरक संबंधी राजसहायता

1731. श्री रशीद मसूद :
श्री अब्दुल्लाकुट्टी :
श्री जी० करुणाकर रेड्डी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यष्टि प्रबंधन एवं आगम लागत पर आधारित राजसहायता की बजाय वर्ष के प्रारंभ में उर्वरकों के संबंध में राजसहायता का स्तर निर्धारित करने हेतु सुस्पष्ट नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उद्योग जगत से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या हाल ही में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या उर्वरक संबंधी राजसहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : (क) वर्ष के प्रारंभ में उर्वरकों के संबंध में राजसहायता का स्तर निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) उर्वरकों संबंधी राजसहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय

1732. श्रीमती सी०एस० सुजाता :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय खोलने हेतु राष्ट्रीय सहकारिता परिसंघ एवं राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद को अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विश्वविद्यालय का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा और इसे कहां स्थापित किया जाएगा;

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन हेतु नियंत्रक प्राधिकरण के बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सहकारिता विश्वविद्यालय के ऊपर अपना नियंत्रण रखने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार को सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" देने का अनुरोध करते हुए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन०सी०यू०आई०), नई दिल्ली से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। एन०सी०यू०आई० ने इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गैस पीड़ितों से संबंधित योजनाओं हेतु केन्द्रीय हिस्सा जारी करना

1733. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों हेतु आरंभ की जा रही योजनाओं से संबंधित व्यय का वहन केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत के अनुपात में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा जारी किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सकीय, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रु० के कुल परिव्यय के साथ 5 वर्षीय कार्य योजना अनुमोदित की थी जिसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 258 करोड़ रु० कर दिया गया। इस परिव्यय को भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार को 75 : 25 के अनुपात में वहन करना था। केन्द्र सरकार ने 193.50 करोड़ रु० के अपने पूरे अंश को पहले ही जारी कर दिया है और कार्य योजना वर्ष 1999-2000 में पूरी हो गई है।

[अनुवाद]

मसालों का उत्पादन

1734. श्री दुष्यंत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में मसालों के उत्पादन में वृद्धि करने की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। राजस्थान में मसालों खासकर धनिया, जीरा और मेथी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की संभावनाएं विद्यमान हैं।

(ख) वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान बृहत कृषि प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन राजस्थान राज्य में किसानों को मसालों के उत्पादन के लिए सहायता दी गई। सहायता का स्तर आदानों (मिनिकिट/प्रदर्शन/क्षेत्र विस्तार/कृमि और रोग प्रबंधन घटक) की लागत का 25% था। वर्षवार सहायता निम्नलिखित रूप में दी गई है:—

वर्ष	दी गई सहायता
2003-04	145.81 लाख रु०
2004-05	187.88 लाख रु०
2005-06	144.46 लाख रु०

इसके अलावा 349.79 लाख रु० की सहायता वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन धनिया, जीरा और मेथी फसलों के लिए आदान के 75% की लागत पर राजस्थान राज्य को दी गई।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

1735. प्रो० महादेव राव शिवनकर :
श्री मो० ताहिर :
श्री शिशुपाल एन० पटले :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का विचार सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है जैसाकि दिनांक 5 जनवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सहकारी संस्थाओं हेतु कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है और इससे राज्य-वार कितनी सहकारी संस्थाओं को लाभ पहुंचा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। रा०स०वि०नि० ने विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों के लाभार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान रा०स०वि०नि० ने फरवरी, 2007 के अंत तक देश में लगभग 647 सहकारी समितियों को 5017 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता और लाभान्वित सहकारी समितियों/यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	28.2.07 की स्थिति के अनुसार मंजूर की गई सोसाइटियों की सख्या	ऋण	सब्सिडी की राशि	कुल	अभ्युक्तियां
	1	2	3	4	5	6
I.	विपणन एवं आदान					
	आंध्र प्रदेश	2	24.400	6.100	30.500	
	उत्तरांचल	1	24.000	6.000	30.000	
	हिमाचल प्रदेश	1	9.600	2.400	12.000	
	नेफेड	1	300.000	0.000	300.000	
	छत्तीसगढ़	1	1000.030	0.000	1000.030	
	इफ्फको	1	600.000	0.000	600.000	
	पश्चिम बंगाल	3	0.250	0.20	0.270	
	केरल	5	0.730	0.000	0.730	
	नागालैंड	3	0.210	0.80	0.290	
	महाराष्ट्र	1	0.810	0.00	0.810	
	कुल विपणन)	19	1960.030	14.600	1974.630	

1	2	3	4	5	6
II. भण्डारण					
नागालैंड	4	0.120	0.040	0.160	
आंध्र प्रदेश	1	0.450	0.230	0.680	
मध्य प्रदेश	60	2.900	1.930	4.830	
राजस्थान	413	15.830	5.020	20.850	
उत्तराखंड	5	0.620	0.240	0.860	
गुजरात	9	1.150	0.570	1.720	
हरियाणा	1	0.750	0.380	1.130	
कर्नाटक	11	1.120	0.210	1.330	
केरल	2	0.050	0.020	0.070	
महाराष्ट्र	2	0.380	0.190	0.570	
पांडिचेरी	1	0.390	0.150	0.540	
कुल (भंडारण)	509	23.760	8.980	32.740	
III. शीतागार					
पश्चिम बंगाल	1	2.9240	1.0000	3.9240	
हिमाचल प्रदेश	1	8.3005	3.1925	11.4930	
कुल (शीतागार)	2	11.2245	4.1925	15.4170	
IV. प्रसंस्करण					
क. चीनी					
आंध्र प्रदेश	1	250.000	0	250.000	
गुजरात	2	156.900	0	156.900	
कर्नाटक	1	57.400	0	57.400	
मध्य प्रदेश	1	12.270	0	12.270	
महाराष्ट्र	8	617.970	0	617.970	
पांडिचेरी	1	20.000	0	20.000	
तमिलनाडु	1	6.750	0	6.750	
उत्तर प्रदेश	1	305.000	0	305.000	
उप-योग	16	1426.290	0	1426.290	

1	2	3	4	5	6
ख. फल व सब्जी					
महाराष्ट्र	1	3.760	0	3.760	
नागालैंड	11	0.326	0.115	0.441	
कुल योग	12	4.086	0.115	4.201	
ग. रोपणी फसलें					
केरल	3	1.350	0	1.350	
महाराष्ट्र	1	0.800	0	0.800	
कुल योग	4	2.150	0	2.150	
घ. खाद्यान्न					
आंध्र प्रदेश	1	0.250	0.100	0.350	
ङ कताई					
राजस्थान	1	16.680	4.250	20.930	
केरल	2	12.760	2.410	15.170	
पश्चिम बंगाल	1	6.970	1.030	8.000	
मध्य प्रदेश	1	20.000	0.000	20.000	
महाराष्ट्र	2	13.710	0.000	13.710	
कुल योग	7	70.120	7.690	77.810	
च. पावरलूम					
महाराष्ट्र	4	29.110	0.000	29.110	
(कुल प्रसंस्करण)	44	1532.006	7.905	1539.911	
V. कमजोर वर्ग					
क. मात्स्यिकी					
महाराष्ट्र	4	7.729	0	7.729	
केरल	1	12.936	0.548	13.484	
पश्चिम बंगाल	1	6.192	1.769	7.961	
कुल योग	6	26.857	2.317	29.174	

1	2	3	4	5	6
ख. डेयरी व पशुधन					
बिहार	2	8.605	2.796	11.401	
नागालैंड	16	0.658	0.235	0.893	
उत्तर प्रदेश	1	2.400	0.600	3.000	
कुल योग	19	11.663	3.631	15.294	
ग. जनजातीय विकास					
केरल	1	0.010	0.003	0.013	
अ०नि०द्वी०स०	1	7.000	2.000	9.000	
झारखंड	1	3.000	1.000	4.000	
उड़ीसा	1	0.016	0.004	0.020	
कुल योग	4	10.026	3.007	13.033	
घ. हथकरघा					
आंध्र प्रदेश	7	43.060	10.760	53.820	
बिहार	1	0.075	0.025	0.100	
हिमाचल प्रदेश	1	1.000	0.000	1.000	
कुल योग	9	44.135	10.785	54.920	
ङ एम०आई०एस०					
पश्चिम बंगाल	3	0.471	0.188	0.659	
झारखंड	1	0.059	0.030	0.089	
कुल योग	4	0.530	0.218	0.748	
च. उपभोक्ता					
केरल	3	0.180	0.000	0.180	
राजस्थान	2	1.480	0.370	1.850	
नागालैंड	3	0.037	0.012	0.049	
कुल योग	8	1.697	0.382	2.079	

1	2	3	4	5	6
छ. औद्योगिक सेवा सहकारी समितियां					
तमिलनाडु	1	300.000	0	300.000	
केरल	2	100.060	0	100.060	
आंध्र प्रदेश	2	470.000	0	470.000	
गुजरात	1	100.000	0	100.000	
उड़ीसा	1	200.000	0	200.000	
दिल्ली	1	0.100	0	0.10	
कुल योग	8	1170.16	0	1170.16	
कुल (कमजोर वर्ग)	58	1265.068	20.34	1285.408	
VI. आई०सी०डी०पी०					
राजस्थान	8	99.490	27.690	127.180	
हरियाणा	1	7.150	1.060	8.210	
उत्तर प्रदेश	1	2.660	0.670	3.330	
झारखंड	3	12.510	3.310	15.820	
उत्तरांचल	2	9.360	3.980	13.340	
कुल योग	15	131.170	36.710	167.880	
विविध		1.290	0	1.290	
सकल योग	647	4923.2585	92.7275	5017.276	

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य

1736. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र के किन उप-क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य की तत्काल आवश्यकता है;

(ग) क्या पहचाने गए उक्त क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने हेतु सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निधियों की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश के कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य की आवश्यकताओं मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास जरूरतों का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर संचालन समूह तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए कार्यकारी समूह महत्वपूर्ण तंत्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर गठित विभिन्न समितियां भी आवश्यकताओं की समीक्षा करती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संघटकों में, मूल्यांकन

विभिन्न तंत्रों के माध्यम से किया जाता है जैसे अनुसंधान सलाहकार समितियों, संस्थान प्रबंध समितियों, पंचवर्षीय समीक्षा दलों, पंचवर्षीय योजना दस्तावेज बनाना, भावी नियोजनों की तैयारी (परिदृश्य प्रलेखनों) आदि। आई०सी०ए०आर०—डी०ए०सी० (कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार) इस उद्देश्य के लिए नियमित रूप से आपस में बैठकें भी आयोजित करते हैं। संबंधित उद्देश्यों/विषयों पर आयोजित सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अध्ययन दौरों, अन्य पारस्परिक क्रियाओं से भी सिफारिशें आती हैं।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर, शीर्षक "टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इन्क्लूसिव ग्रोथ—एन एप्रोच टु द इलैवेंथ फाइव इयर प्लान" में कृषि निष्कर्षों को बढ़ाने के सात व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख है: (i) जल प्रबंध और सिंचाई, (ii) अपकृष्ट भूमि का सुधार और मृदा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना, (iii) कृषि विस्तार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जानकारी देने की व्यवस्था करना, (iv) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते समय उच्च मूल्य निष्कर्षों की विविधता, (v) पशु पालन एवं मात्स्यिकी, (vi) क्रेडिट और जोखिम प्रबंध की जानकारी और (vii) भूमि सुधार। प्रबलित क्षेत्रों की पहचान की जाती है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इसे इसके विभिन्न पृथक विषय वस्तु प्रभागों और विभिन्न घटकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है।

(ग) और (घ) सभी योजना स्कीमें और बाह्य सहायता प्राप्त स्कीमों को लक्षित निणयों के साथ बजटीय निष्कर्षों अधीन किया जाता है। स्कीमवार प्रमुख क्रियाकलाप भी निर्धारित किए जाते हैं। संबंधित सूचना संसद के पटल पर भी रखी जाती है। विभिन्न समीक्षा मशीनरियों के तहत लक्ष्यों का पुनः मुआयना किया जाता है और अगली समीक्षा 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए अलग-अलग स्कीमों की स्वीकृति के दौरान की जायेगी।

(ङ) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अलावा, सकल बजटीय सहायता के रूप में भारत सरकार के बजट से निधियां जुटाई जाती हैं। इनका उपयोग प्रत्येक स्कीम में हर परियोजना के क्रियाकलापों के रूप में किया जाता है।

[अनुवाद]

समुद्र-आधारित जैव-विविधता का संरक्षण

1737. श्री अबु अयीश मंडल :
श्री हंसराज गं० अहीर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र आधारित जैव-विविधता के संरक्षण के लिए उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। समुद्र आधारित जैव विविधता का संरक्षण बाद में यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों में शामिल है। उक्त अधिनियम की अनुसूची I, II और IV में कुछ महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है तथा 5 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, नामतः कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, (गुजरात), महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), भित्तारकनिका राष्ट्रीय उद्यान (उड़ीसा) और मनार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान (तमिलनाडु) अधिसूचित किए गए है। सरकार ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जैव विविधता नियम 2004 भी लागू किए हैं जिनका मुख्य लक्ष्य समुद्र आधारित जैव संसाधनों तथा सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान सहित हमारे जैविक संसाधनों तक पहुंच को नियमित करना है। ताकि इनके उपयोग से होने वाले लाभों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा सराकार ने तटीय पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991 जारी की है।

नकदी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता

1738. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अन्य विकासशील देशों की तुलना में देश में नारियल सहित विभिन्न नकदी फसलों का राज्य-वार उत्पादन और उनकी उत्पादकता कितनी रही;

(ख) क्या सरकार ने देश में इन फसलों की कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी कारणों के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) देश में नकदी फसलों का उत्पादन, उत्पादकता और विपणन बढ़ाने हेतु फसलवार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) प्रमुख नकदी फसलों नामतः मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों, सोयाबीन,

कुल तिलहनों, गन्ना, कपास, पटसन तथा मेस्टा तथा नारियल के बारे में राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। 2001 से 2003 के दौरान चुनिंदा विकासशील देशों में इन फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता को विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) इनमें से अधिकतर फसलों की उत्पादकता कम है क्योंकि आम तौर पर इन्हें वर्षा प्रभावित स्थितियों में उगाया जाता है। उच्च पैदावार किस्मों की कमी, निम्न बीज बदलाव दर, कीटनाशक तथा रोगों की अति संवेदनशीलता तथा जलवायु असामान्यता भी कम पैदावार के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार द्वारा देश में नकदी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता तथा विपणन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए है :

> देश के 14 राज्यों में मूंगफली का उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए 1.4.2004 से तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम का कार्यान्वियन किया जा रहा है। स्कीम के अंतर्गत, नस्ली बीजों की खरीद, फांउडेशन बीजों का उत्पादन, बीज मिनीकिट का वितरण, बुनियादी ढांचे का विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक प्रदर्शनों, एकीकृत कीट प्रबंधन, वीडी साईडस, छिड़काव सेट का वितरण, तिलहनों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, इत्यादि पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
>
> नारियल विकास बोर्ड द्वारा क्वालिटी रोपण सामग्री का उत्पादन तथा वितरण, क्षेत्र का विस्तार, देश में नारियल के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एकीकृत खेती से संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वियन किया जा रहा है।
>
> पटसन में सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान तथा बीज विकास, कृषि विज्ञान प्रेक्टिस, पैदावार तथा पैदावार के बाद की तकनीक, कच्चे पटसन की प्राथमिक तथा गौण प्रोसेसिंग, विविध उत्पाद विकास, विपणन विकास, विपणन तथा वितरण से संबंधित पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को अपनाया गया है।
>
> कपास के लिए एक स्कीम का कार्यान्वियन 13 राज्यों में कपास बीजों की उपलब्धता बढ़ना, हाइब्रीड के अंतर्गत अधिक क्षेत्र कवर करना, विकास के लिए दबाव, क्षेत्र विशेष प्रौद्योगिकी, एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन को लोकप्रिय बनाना, सिंचाई जल के कारगर उपयोग को बढ़ाना, किसानों तथा किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिए क्षेत्र प्रदर्शन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए कार्यान्वियन किया जा रहा है।
>
> गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्पादकों को उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, गन्ने के अन्तर फसल बुआई का विकास गन्ना उत्पादकों को मध्यकालीन आय प्रदान करने के लिए विकास किया गया है, नमी दाब का प्रबंधन करने के लिए ट्रैश मल्चिंग तथा सूखा प्रबंधन प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है, बायोजेन्ट का व्यापक तौर पर विस्तार किया गया है तथा वूली एफिड के जैव नियंत्रण के लिए जारी किया गया है।

(ङ) प्रमुख फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता (गन्ना को छोड़कर जिसके लिए राशि का कोई अलग से राज्य-वार आबंटन नहीं है) में सुधार लाने के लिए आबंटित राज्य-वार राशि विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

प्रमुख नगदी फसल की राज्य-वार उत्पादन और उत्पादकता

1. तोरिया के बीच एवं सरसों

राज्य	उत्पादन ('000 टन)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.0	1.0	2.0	—	250	333
अरूणाचल प्रदेश	21.7	21.8	18.4	1014	1019	829
असम	138.0	129.4	97.0	523	528	456
बिहार	69.0	66.9	76.0	824	805	926
छत्तीसगढ़	22.8	21.4	18.9	412	375	330

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	395.4	404.9	456.0	1469	1390	1349
हरियाणा	965.0	826.0	792.0	1559	1177	1117
हिमाचल प्रदेश	5.0	8.0	2.8	556	667	292
जम्मू और कश्मीर	39.3	121.0	1.3	696	1175	406
कर्नाटक	1.7	2.0	2.0	283	333	400
मध्य प्रदेश	580.4	673.6	847.5	1081	988	1047
महाराष्ट्र	3.0	3.0	4.0	300	333	308
मेघालय	4.6	4.7	4.8	639	653	667
मिजोरम	1.4	1.7	1.0	636	773	833
नागालैण्ड	12.8	20.5	21.2	800	779	800
उड़ीसा	3.1	3.0	3.3	195	188	190
पंजाब	62.0	62.0	54.0	1192	1033	1102
राजस्थान	2740.2	3970.7	4416.9	1279	1078	1205
सिक्किम	4.2	4.3	3.9	700	717	661
तमिलनाडु	0.1	0.1	0.1	250	167	200
त्रिपुरा	2.4	2.3	2.3	800	793	821
उत्तर प्रदेश	787.1	801.4	907.8	1008	979	1149
उत्तरांचल	11.0	11.0	12.0	846	647	667
पश्चिम बंगाल	419.4	427.0	383.0	928	934	909
दिल्ली	1.7	5.0	2.9	405	1220	763
समस्त भारत	6291.4	7593.1	8131.2	1159	1038	1117

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

2. सोयाबीन

राज्य	उत्पादन ('000 टन)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	107.3	120.5	191.0	1569	1567	1949

1	2	3	4	5	6	7
अरूणाचल प्रदेश	4.7	4.3	3.6	1237	1344	947
छत्तीसगढ़	18.4	33.8	36.8	885	1018	900
गुजरात	10.0	15.0	29.0	714	556	853
हिमाचल प्रदेश	1.0	1.0	0.8	1000	1000	1333
कर्नाटक	45.3	96.0	71.0	482	604	534
मध्य प्रदेश	4652.6	3747.1	4500.7	1105	835	1058
महाराष्ट्र	2219.0	1892.0	2527.0	1396	900	1077
मेघालय	1.0	0.9	1.0	1000	900	1000
मिजोरम	2.0	1.6	2.7	1000	1067	1929
नागालैण्ड	36.0	48.0	32.0	1385	1600	1199
राजस्थान	691.4	886.5	856.3	1400	1425	1150
सिक्किम	3.2	3.3	3.3	821	846	825
उत्तर प्रदेश	6.0	3.0	3.0	1071	441	769
उत्तरांचल	21.0	23.0	15.0	1105	1278	1154
अखिल भारत	7818.9	6876.3	8273.5	1193	908	1073

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

3. मूंगफली

राज्य	उत्पादन ('000 टन)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	986.0	1639.5	1366.0	660	890	728
बिहार	0.2	0.3	0.5	400	600	556
छत्तीसगढ़	40.2	32.3	31.6	1107	1110	1078
गोवा	5.7	5.4	7.9	1727	1588	2394
गुजरात	4477.6	1886.6	3389.0	2235	943	1734
हरियाणा	1.1	1.2	2.2	733	750	733
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.0	0.0	1000		0

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	433.5	742.0	671.0	530	766	645
केरल	2.0	1.7	2.4	741	944	727
मध्य प्रदेश	252.3	242.7	234.4	1159	1158	1126
महाराष्ट्र	437.0	502.0	410.0	1153	1123	958
नागालैण्ड	3.0	7.0	0.3	1500	1273	1000
उड़ीसा	93.2	106.0	106.3	1207	1233	1171
पंजाब	4.0	3.6	3.0	909	837	882
राजस्थान	331.9	446.8	491.0	1566	1552	1549
तमिलनाडु	918.2	1005.3	1098.2	1552	1632	1775
त्रिपुरा	0.7	0.9	0.8	1000	1000	889
उत्तर प्रदेश	59.4	69.4	90.5	637	816	851
उत्तरांचल	2.0	3.0	2.0	667	1000	1000
पश्चिम बंगाल	75.8	75.5	83.1	1651	1620	1703
पांडिचेरी	2.5	3.2	3.1	1923	2000	1938
अखिल भारत	8126.5	6774.4	7993.3	1357	1020	1187

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

4. तिलहन

राज्य	उत्पादन ('000 टन)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1614.1	2209.4	2041.0	634	757	698
अरूणाचल प्रदेश	27.3	27.0	22.7	1030	1042	838
असम	157.0	146.8	113.2	525	529	465
बिहार	123.8	116.9	136.5	881	887	982
छत्तीसगढ़	127.0	123.7	126.5	432	426	419
गोवा	5.7	5.4	7.9	1727	1588	2394
गुजरात	5665.0	2986.9	4682.0	1901	990	1544

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	997.8	840.5	825.2	1547	1176	1124
हिमाचल प्रदेश	9.2	12.0	5.2	568	632	344
जम्मू और कश्मीर	42.1	124.2	2.7	668	1125	429
झारखंड	8.0	7.0	8.5	235	241	311
कर्नाटक	934.1	1570.0	1715.0	412	587	600
केरल	2.3	1.9	2.6	590	792	667
मध्य प्रदेश	5623.6	4797.7	5721.9	1049	833	1009
महाराष्ट्र	2921.0	2744.1	3373.0	1057	817	925
मणिपुर	0.4	0.8	0.7	500	444	7000
मेघालय	6.4	6.5	6.7	653	663	684
मिजोरम	5.4	5.6	5.4	720	767	1125
नागालैण्ड	66.8	81.9	62.8	1148	1165	926
उड़ीसा	156.9	179.5	187.7	515	568	565
पंजाब	103.8	100.4	89.6	1189	1098	1097
राजस्थान	3996.8	5541.1	5964.0	1239	1079	1134
सिक्किम	7.4	7.6	7.2	747	768	727
तमिलनाडु	963.6	1061.1	1152.9	1386	1483	1624
त्रिपुरा	3.8	3.9	3.9	731	722	709
उत्तर प्रदेश	927.8	952.3	1066.5	852	861	993
उत्तरांचल	34.0	38.0	30.0	919	927	857
पश्चिम बंगाल	650.7	652.9	610.4	952	964	952
दादर व नागर हवेली	0.1	0.1	0.1	1000	1000	1000
दिल्ली	1.7	5.0	2.9	405	1220	763
पांडिचेरी	2.5	3.3	3.2	1667	1941	1778
समस्त भारत	25186.1	24353.5	27977.9	1064	885	1004

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

5. नारियल

राज्य	उत्पादन ('000 टन)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
आन्ध्र प्रदेश	1933.7	1199.3	892.0	12178	11532	8577
असम	154.3	154.3	204.9	7244	7244	10728
गोवा	122.2	123.5	125.3	4920	4901	4953
गुजरात	111.7	138.3	138.3	8644	8433	8433
कर्नाटक	1529.1	1209.8	1209.8	3218	3139	3193
केरल	5484.0	5727.0	6326.0	6320	6379	7046
महाराष्ट्र	273.4	273.4	273.4	15189	15189	15189
नागालैण्ड	1.2	1.2	1.2	1333	1333	1333
उड़ीसा	243.4	274.6	274.6	4957	5406	5406
तमिलनाडु	2560.5	3243.5	4867.1	9196	9083	13137
त्रिपुरा	7.0	7.0	7.0	2121	2121	2121
पश्चिम बंगाल	317.5	310.9	323.5	12742	12794	12992
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95.2	87.1	87.1	3429	3402	3402
लक्ष्यद्वीप	53.0	53.0	53.0	19630	19630	19630
पांडिचेरी	30.7	30.0	27.9	13043	13636	13286
अखिल भारत	12916.9	12832.9	14811.1	7017	6632	7608

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

6. जूट व मेस्ता

राज्य	उत्पादन (प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की '000 बेल)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	470.0	458.0	455.0	1434	1555	1638
असम	692.0	435.8	603.6	1805	1243	1733
बिहार	1286.3	1180.2	1386.6	1326	1416	1692
छत्तीसगढ़	2.5	2.0	3.0	375	360	360

1	2	3	4	5	6	7
झारखण्ड	6.5	6.3		1064	1260	
कर्नाटक	6.1	2.9	2.7	268	237	231
मध्य प्रदेश	1.8	1.4	1.2	360	360	360
महाराष्ट्र	27.0	35.5	36.0	256	265	270
मेघालय	56.2	39.2	55.7	1190	860	1194
नागालैण्ड	6.1	6.7	10.5	549	603	900
उड़ीसा	127.3	145.9	141.5	785	872	991
तमिलनाडु	3.5	1.1		6300		
त्रिपुरा	22.1	22.5	23.3	1473	1446	1498
पश्चिम बंगाल	8465.5	7934.8	8114.5	2418	2473	2566
अखिल भारत	11172.9	10272.3	10833.6	2008	2019	2175

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

7. कपास

राज्य	उत्पादन (प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की '000 बेल)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1890.0	2190.0	2108.0	384	316	347
असम	1.0	1.0	0.6	170	170	73
छत्तीसगढ़	0.2	0.8	0.4	340	272	227
गुजरात	4026.9	4724.8	6772.0	417	421	604
हरियाणा	1405.0	2075.0	1499.0	454	568	437
कर्नाटक	264.6	688.0	554.0	142	224	228
केरल	4.7	4.4	3.5	276	277	220
मध्य प्रदेश	639.0	626.1	745.1	193	185	204
महाराष्ट्र	3080.0	2939.0	3160.0	190	176	187
मेघालय	7.8	7.8	7.8	182	184	184
मिजोरम	1.3	1.3	0.2	737	442	113

1	2	3	4	5	6	7
नागालैण्ड	0.2	0.2	1.7	17	23	289
उड़ीसा	88.2	111.2	144.8	409	412	435
पंजाब	1478.0	2087.0	2395.0	556	697	731
राजस्थान	709.0	764.6	880.5	351	297	317
तमिलनाडु	122.7	194.8	213.3	213	256	258
त्रिपुरा	1.7	1.5	1.6	241	232	227
उत्तर प्रदेश	4.2	5.1	5.2	162	177	201
पश्चिम बंगाल	2.8	3.0	6.0	340	255	510
पांडिचेरी	1.7	2.9	0.3	578	704	128
अखिल भारत	13729.0	16428.6	18499.0	307	318	362

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

8. गन्ना

राज्य	उत्पादन ('000 टन)			उत्पादकता (कि०ग्रा०/हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	15070.0	15739.0	17656.0	72105	74948	76765
अरूणाचल प्रदेश	15.2	14.1	16.8	21714	20143	18667
असम	981.0	883.9	871.2	39240	36983	37231
बिहार	4285.9	4111.7	4337.9	41370	39460	42822
छत्तीसगढ़	13.3	15.6	16.4	2608	2476	2563
गुजरात	12669.1	14570.0	14580.0	71820	74072	74010
गौआ	57.6	60.6	55.9	48000	50500	50818
हरियाणा	9280.0	8060.0	8180.0	58000	62000	64409
हिमाचल प्रदेश	50.0	61.9	25.1	16667	21345	9654
जम्मू और कश्मीर	0.6	0.5	0.8	3000	5000	4000
झारखण्ड	136.0	141.6	142.0	34000	36308	35500
कर्नाटक	16015.4	14276.0	18267.0	65826	80202	83411

1	2	3	4	5	6	7
केरल	291.0	283.0	916.5	83143	94333	134779
मध्य प्रदेश	1873.7	2148.0	2425.0	43273	40914	43694
महाराष्ट्र	25668.0	20475.0	38853.0	57941	63194	77551
मनीपुर	22.0	21.8	23.0	73333	363333	230000
मेघालय	0.2	0.2	0.2	2000	2000	2000
मिजोरम	3.6	5.7	4.6	36000	4750	3286
नागालैण्ड	130.0	142.1	210.9	43333	47367	47932
उड़ीसा	858.1	859.9	1073.0	58774	55838	65828
पंजाब	6620.0	5170.0	4860.0	53821	60116	57857
राजस्थान	309.4	276.6	482.6	53345	48526	61089
तमिलनाडु	17656.0	23396.0	35106.5	91910	100845	104671
त्रिपुरा	47.5	52.4	52.6	43182	47636	47818
उत्तर प्रदेश	112754.0	118715.6	125469.9	55541	60733	58201
उत्तरांचल	7651.0	6441.0	6134.0	59773	60196	60733
पश्चिम बंगाल	1252.6	1033.2	1247.7	74118	66231	83180
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.9	5.7	5.9	9667	28500	19667
पांडिचेरी	147.7	127.3	157.3	86882	84867	74905
अखिल भारत	233861.8	237088.4	281171.8	59380	64752	66928

स्रोत : डी०ई०एस०, नई दिल्ली।

विवरण-II

चयनित देशों में नगदी फसलों का उत्पादन/उत्पादकता

1. मूंगफली (छिलके सहित)

उत्पादन : 1000 टन
उत्पादकता : कि०ग्रा०/हैक्टेयर

देश	उत्पादन 2001	उत्पादन 2002	उत्पादन 2003	उत्पादकता 2001	उत्पादकता 2002	उत्पादकता 2003
1	2	3	4	5	6	7
चाड	448	450	450	939	938	938

1	2	3	4	5	6	7
मिस्र	205	207	207	3237	3234	3234
घाणा	258	520	450	1016	1354	1286
नाइजीरिया	2683	2699	2700	980	970	964
सूडान	990	1267	1200	647	667	632
अमरीका	1940	1506	1880	3395	2870	3540
चीन	14472	14895	13447	2885	3011	2624
भारत	7028	4363	7500	1127	733	938
ईरान	3	3	3	2727	2727	2727
इन्डोनेशिया	1245	1267	1377	1901	1958	2016
मयानमार	731	723	730	1247	1274	1270
वियतनाम	363	400	400	1484	1623	1665
विश्व	36083	33303	35658	1501	1382	1347

स्रोत : एफ०ए०ओ, इयर बुक 2003

2. सोयाबीन

उत्पादन : 1000 टन
उत्पादकता : कि०ग्रा०/हैक्टेयर

देश	उत्पादन 2001	उत्पादन 2002	उत्पादन 2003	उत्पादकता 2001	उत्पादकता 2002	उत्पादकता 2003
1	2	3	4	5	6	7
नाइजीरिया	436	437	484	733	700	712
कनाडा	1635	2336	2268	1530	2281	2167
अमरीका	78671	74825	65795	2664	2552	2248
अरजनटीना	26883	30000	34819	2585	2630	2803
ईरान	130	135	115	1477	1500	1386
मयानमार	110	121	130	968	1023	1040
भोलविया	834	1298	1551	1501	1979	2374
ब्राज़ील	37881	42125	51532	2711	2574	2790
चीन	15407	16057	16500	1625	1893	1737

1	2	3	4	5	6	7
भारत	5963	4558	6800	940	777	1054
इन्डोनेशिया	827	673	672	1218	1236	1277
थाइलैंड	261	260	268	1479	1487	1217
इटली	895	566	424	3812	3724	2788
विश्व	176794	180729	189234	2301	2292	2261

स्रोत : एफ०ए०ओ, इयर बुक 2003

3. तोरिया के बीज और सरसों

उत्पादन : 1000 टन
उत्पादकता : कि०ग्रा०/हैक्टेयर

देश	उत्पादन 2001	उत्पादन 2002	उत्पादन 2003	उत्पादकता 2001	उत्पादकता 2002	उत्पादकता 2003
अलजीरिया	29	27	27	1933	1800	1800
कनाडा	5017	4178	6669	1325	1281	1422
अमरीका	908	706	686	1539	1365	1586
अरज़नटीना	17	10	10	1889	1250	1361
ब्राज़ील	42	55	56	1750	1719	1697
चीन	11331	10552	11410	1597	1477	1585
भारत	4187	5083	3842	935	1002	869
पाकिस्तान	262	259	250	889	835	862
फ्रांस	2878	3317	3341	2657	3202	3094
जरमनी	4160	3849	3638	3656	2968	2869
हन्ग्री	205	208	104	1871	1604	1465
इंगलैंड	1157	1468	1771	2565	3398	3268
आस्ट्रेलिया	1757	841	1622	1319	707	1614
रूस फेड	113	115	192	960	960	973
विश्व	35925	34044	36146	1593	1514	1575

स्रोत : एफ०ए०ओ, इयर बुक 2003

4. जूट और जूट जैसा रेशा

उत्पादन : 1000 टन
उत्पादकता : कि०ग्रा०/हैक्टेयर

देश	उत्पादन 2001	उत्पादन 2002	उत्पादन 2003	उत्पादकता 2001	उत्पादकता 2002	उत्पादकता 2003
थाइलैंड	61	46	62	1704	1689	1680
बंगलादेश	860	801	801	1878	1830	1830
ब्राज़ील	7	10	11	1245	1474	1393
भारत	2128	2051	1976	2002	1975	1983
चीन	106	159	180	2044	2870	3103
मयानमार	42	47	50	953	1000	1000
विश्व	3356	3273	3232	1910	1909	1918

स्रोत : एफ०ए०ओ, इयर बुक 2003

5. गन्ना

उत्पादन : 1000 टन
उत्पादकता : कि०ग्रा०/हैक्टेयर

देश	उत्पादन 2001	उत्पादन 2002	उत्पादन 2003	उत्पादकता 2001	उत्पादकता 2002	उत्पादकता 2003
1	2	3	4	5	6	7
अरजनटीना	19050	19250	19250	65240	65254	65254
अस्ट्रेलिया	31228	32260	36012	75981	77362	85135
बंगलादेश	6742	6502	6838	39935	39950	41212
ब्राज़ील	345942	363721	386232	89780	71311	72290
चीन	77966	92203	92370	60863	64817	69556
कोलम्बिया	33400	358000	36600	82855	83256	84138
क्यूबा	32100	34700	22902	31874	33327	35000
मिस्र	15572	15000	12000	118813	113636	90909
गौटेमाला	16935	17490	17500	93049	93860	93914
भारत	295956	297208	289630	68577	67370	62859
इन्डोनेशिया	25185	25530	25600	65232	72943	73143

1	2	3	4	5	6	7
मोरिशियस	5792	4874	5199	79133	67496	72587
मैक्सीको	47250	45635	45126	75753	72183	70614
थाइलैंड	60013	74258	64408	70597	93641	66400
पाकिस्तान	43606	48042	52056	45385	48056	47934
फिलिपींस	28541	27303	25835	73738	70657	67104
अमरीका	31377	32253	31301	75436	77891	77515
विश्व	1274560	1338169	1333253	64799	66310	65293

स्रोत : एफ०ए०ओ, इयर बुक 2003

6. **नारियल**

उत्पादन : 1000 टन

उत्पादकता : कि०ग्रा०/हैक्टेयर

देश	उत्पादन 2001	उत्पादन 2002	उत्पादन 2003
1	2	3	4
मौज़म्बीक	265	265	265
मैक्सीको	1100	959	959
ब्राज़ील	2131	2892	2834
भारत	9530	9500	9500
इन्डोनेशिया	15164	16086	15630
मलेसिया	700	738	740
फिलिपींस	13208	13683	13700
श्री लंका	2104	1818	1850
थाइलैंड	1396	1418	1420
वियतनाम	892	915	920
पपुआ गुइन	760	513	570
विश्व	51641	53313	52940

NB = उत्पादकता उपलब्ध नहीं

स्रोत : एफ०ए०ओ, इयर बुक 2003

7. **कपास लिंट**

उत्पादन : 1000 टन

उत्पादकता : कि०ग्रा०/हैक्टेयर

देश	उत्पादन 2001	उत्पादन 2002	उत्पादन 2003	उत्पादकता 2001	उत्पादकता 2002	उत्पादकता 2003
1	2	3	4	5	6	7
अरज़नटीना	167	62	62	503	419	445
ब्राज़ील	872	713	726	986	928	1015
चीन	5324	4916	5200	1107	1175	1156
भारत	1987	1583	2100	218	212	250

1	2	3	4	5	6	7
मैक्सीको	97	43	65	1090	1075	1016
पाकिस्तान	1805	1736	1690	579	621	563
सूडान	71	59	107	418	410	510
तुर्की	901	850	946	1308	1181	1331
मिस्र	330	285	250	1075	960	862
अमरीका	4420	3747	3968	790	745	813
उज़बेकिस्तान	1015	1008	946	699	722	679
आस्ट्रेलिया	745	386	287	1822	1723	1428
विश्व	21100	18268	19529	610	595	607

स्रोत : एफ०ए०ओ, वार्षिक पुस्तिका 2003

विवरण-III

1. तिलहनों सहित आई०सो०पौम के अधीन विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(रु० लाख)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07 (नियतन)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3559.97	4816.5	2750.00
बिहार	145.00	245.00	490.00
छत्तीसगढ़	625.00	400.00	425.00
गोवा	10.00	16.50	33.00
गुजरात	1883.00	1850.00	1950.00
हरियाणा	497.00	434.00	375.00
हिमाचल प्रदेश	40.00	75.50	75.00
जम्मू और कश्मीर	85.00	142.50	302.00
कर्नाटक	2155.00	1800.00	1900.00
केरल	5.00	7.50	15.00
मध्य प्रदेश	2925.00	2400.00	2500.00
महाराष्ट्र	1040.00	2739.00	1850.00
उड़ीसा	455.00	500.00	525.00
पंजाब	52.50	87.50	175.00
राजस्थान	2000.00	2840.00	2450.00
तमिलनाडु	990.00	1245.00	1345.00
उत्तर प्रदेश	785.00	1065.00	1115.00
पश्चिम बंगाल	260.00	450.00	475.00
असम	4.00	3.00	30.00
मिजोरम	107.00	90.00	180.00
त्रिपुरा	5.00	7.00	40.00
समस्त भारत	17628.47	21214.00	19000.00

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

2. कपास के आधीन विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(रु० लाख)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07 (नियतन)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	623.62	440.00 (640.00)	1320.00

1	2	3	4
गुजरात	750.00	750.00	1200.00
हरियाणा	225.00	280.00	300.00
कर्नाटक	486.03	500.00	560.00
मध्य प्रदेश	607.59	400.00	450.00
महाराष्ट्र	784.79	786.00	1000.00
उड़ीसा	80.00	78.00	125.00
पंजाब	1.00	1.00	10.00
राजस्थान	719.21	500.00	580.00
तमिलनाडु	339.41	350.00	245.00
त्रिपुरा	25.00	50.00	200.00
उत्तर प्रदेश	80.00	65.00	80.00
पश्चिम बंगाल	50.00	75.00	80.00
समस्त भारत	4771.65	4275.0 (4475.0)	6150.00

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

3. जूट के आधीन विभिन्न राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(रु० लाख)

राज्य	2006-07 (नियतन*)
असम	20.00
बिहार	120.00
पश्चिम बंगाल	270.00
आन्ध्र प्रदेश	50.00
उड़ीसा	40.00
उत्तर प्रदेश	8.00
समस्त भारत	508.00

*जून 2006 से जूट तकनीकी मिशन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

जी०एम० बीजों के हानिकारक प्रभाव

1739. श्री उदय सिंह :

श्री प्रहलाद जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जी०एम०) बीजों के उत्पादन में लगी हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियां परंपरागत खेती में अपने बीजों के दीर्घावधिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों का प्रकटीकरण नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषक समुदाय भी जी०एम० फसलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित जी०एम० बीजों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों को उचित मूल्य पर सुरक्षित/देशी बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) बी०टी० कपास ही एकमात्र ऐसी आनुवंशिकीय रूप से आशोधित फसल है जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी०ई०एसी) द्वारा पर्यावरणीय तथा जैव-सुरक्षा मूल्यांकनों के आधार पर वाणिज्यिक खेती के लिये अनुमोदित किया गया है। मानव तथा पशु स्वास्थ्य, पादप जीवन और पर्यावरण पर बी०टी० कपास बीजों के हानिकाकर प्रभावों की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) विभिन्न सस्य जलवायवीय अंचलों में उनके निष्पादन के संबंध में उनकी व्यवहार्यता के आधार पर जी०ई०एसी० द्वारा विधिवत अनुमोदित जी०एम० बीजों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने के लिये सरकार केपास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) देश में बी०टी० कपास बीजों का उत्पादन और विपणन निजी बीज कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने जी०एम० फसलों के मामले में जोखिमों और लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित बनाने के लिय सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया है।

[हिन्दी]

इंदिरा सागर परियोजना के लिए वन भूमि

1740. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के लिए वन भूमि के क्षेत्र में कमी करने का अनुरोध किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन विकास परियोजनाएं

1741. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वनों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) का कार्यान्वियन कर रहा है जिसका प्रमुख लक्ष्य वनों का विकास करना है। स्कीम का कार्यान्वियन वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सीज) के द्विस्तरीय विकेन्द्रीकृत संस्थागत स्थापना द्वारा किया जा रहा है। 23,750 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 9.24 हेक्टेयर परियोजना क्षेत्र के कवर करने के लिए 31.10.2006 को कुल 1521.10 करोड़ रु० की लागत करने वाले 751 परियोजना प्रस्तावों में से 715 वन विकास अभिकरण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। प्राप्त वन विकास अभिकरण परियोजना प्रस्तावों और मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। लम्बित प्रस्तावों को मंजूरी देना राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अनुसार उनकी उपयुक्तता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

प्राप्त हुए और अनुमोदित किए गए वन विकास अभिकरण परियोजना प्रस्तावों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	31.10.2006 तक प्राप्त कुल वन विकास अभिकरण परियोजना प्रस्तावों की संख्या	31.10.2006 तक मंजूर की गई कुल वन विकास अभिकरण परियोजना प्रस्तावों की संख्या	10वीं योजना तक कुल स्वीकृत लागत (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	32	32	83.02
2.	अरूणाचल प्रदेश	19	19	27.04
3.	अमस	29	29	37.12
4.	बिहार	10	10	15.87
5.	छत्तीसगढ़	32	32	73.83
6.	गोवा	3	3	2.39
7.	गुजरात	22	21	61.21
8.	हरियाणा	18	18	53.44
9.	हिमाचल प्रदेश	30	27	52.38
10.	जम्मू और कश्मीर	31	31	74.61
11.	झारखंड	32	30	56.43
12.	कर्नाटक	45	45	112.15
13.	कैरल	24	24	47.54
14.	मध्य प्रदेश	51	49	112.48
15.	महाराष्ट्र	45	45	99.77
16.	मणिपुर	14	13	26.58
17.	मेघालय	7	7	12.00

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	30	19	60.12
19.	नागालैण्ड	18	16	37.71
20.	उड़ीसा	40	40	69.65
21.	पंजाब	15	9	17.65
22.	राजस्थान	33	33	39.35
23.	सिक्किम	7	7	31.33
24.	तमिलनाडु	32	32	93.98
25.	त्रिपुरा	13	12	25.57
26.	उत्तर प्रदेश	61	58	104.35
27.	उत्तरांचल	38	37	54.17
28.	पश्चिम बंगाल	20	17	39.36
	कुल	751	715	1521.10

[अनुवाद]

ई०पी०एफ० खाते में अदावाकृत धनराशि

1742. **श्री गुरूदास दासगुप्त :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ई०पी०एफ०) खाते में राज्य-वार अदावाकृत धनराशि कितनी है;

(ख) उक्त राशि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या सरकार ने इस अदावाकृत/डैडमनी के उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) अदावी जमा खाते में 31 मार्च, 2006 तक 1351.38 करोड़ रुपये की राशि थी। क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रतिवर्ष सदस्यों ने वार्षिक खातों का संग्रहण करते समय सरकार द्वारा घोषित सांविधिक दर पर ब्याज सभी सदस्यों के खाते में जमा कर दिये जाते हैं जिनमें अदावी जमा खाते में पड़ी राशि भी शामिल है। अदावी जमा खाते पर ब्याज तुलन पत्र पर अलग से दर्शाया नहीं जाता।

(ग) और (घ) वर्तमान उपबंधों के अनुसार अदावी जमा खाते में पड़ी राशि का वैध दावेदारों को पैसा वापस करने के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता।

विवरण

अदावी जमा खाते

क्षेत्रीय कार्यालय	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार शेष
1	2
आंध्र प्रदेश-हैदराबाद	1,648,837,036.84
आंध्र प्रदेश-गुंटूर	883,705,552.00
बिहार	640,455.03
छत्तीसगढ़	–
दिल्ली-उत्तरी	36,617,304.55
दिल्ली-दक्षिणी	29,973,933.04
गोवा	48,309,491.85
गुजरात-अहमदाबाद	20,303,212.90
गुजरात-बड़ौदा	3,305,029.31
हरियाणा	31,960,212.60
हिमाचल प्रदेश	136,194,000.00
झारखंड	503,214.65
कर्नाटक-बंगलौर	31,901,486.00
कर्नाटक-मंगलौर	324,000.00
केरल	1,902,530.45
मध्य प्रदेश	3,122,750,000.00
महाराष्ट्र-I (बांद्रा)	90,352,023.49
महाराष्ट्र-II (थाणे)	–
महाराष्ट्र-नागपुर	237,248,451.80
महाराष्ट्र-पुणे	1,847,671,006.12

1	2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,281,464.58
उड़ीसा	1,142,242.08
पंजाब-चंडीगढ़	44,948,373.00
पंजाब-लुधियाना	81,692,000.37
राजस्थान	11,634,578.14
तमिलनाडु-चेन्नई	218,612,935.58
तमिलनाडु-कोयम्बटूर	90,168,922.74
तमिलनाडु-मदुराई	46,815,308.80
उत्तरांचल	26,790,140.43
उत्तर प्रदेश	107,160,561.73
पश्चिम बंगाल-कोलकाता	3,549,989,820.49
पश्चिम बंगाल-जलपाईगुडी	1,158,093,537.83
कुल	13,513,828,826.19

एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास परियोजनाएं

1743. श्री पी०सी० थामस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सांकिली वाटरशेड, तिरुवनन्तपुरम तथा कक्काड वाटरशेड एवं पथानमथिथा में एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आदेश को पुन: वैध बनाने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इसमें अंतर्विष्ट व्यय का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जी, नहीं। केरल सरकार ने सांकिली वाटरशेड, तिरुवनंतपुरम तथा कक्काड वाटरशेड, पथानमथिथा के लिए एकीकृत वनीकरण और पारिविकास परियोजना स्कीम (आई०ए०ई०पी०एस०) के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं के पुनर्वैधीकरण हेतु अनुरोध नहीं किया है। सांकिली और कक्काड वाटरशेड के लिए आई०ए०ई०पी०एस० परियोजनाएं क्रमश: 205.52 लाख रु० और 189.99 लाख रु० की कुल लागत से अनुमोदित की गई थीं। इन परियोजनाओं की अवधि 1997-98 से 2001-02 तक थी। अनुमोदित परियोजनाओं के अनुसार, सांकिली और कक्काड आई०ए०ई०पी०एस० परियोजनाओं के लिए केरल सरकार को क्रमश: 202.94 लाख रु० तथा 173.19 लाख रु० की राशि जारी की गई थी। इस तरह वास्तविक उपलब्धि के आधार पर सांकिली वाटरशेड के मामले में पूरी धनराशि जारी कर दी गई थी। कक्काड वाटरशेड के मामले में प्रगति रिपोर्ट तथा 25.3.2004 तक जारी की गई धनराशि के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में वनों का विकास

1744. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों एवं पर्यावरण के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है;

(ख) क्या इन सभी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, इन्हें कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) वर्ष 2006-07 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से कुल 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की सं०
1	2	3
1.	कच्छवनस्पति	1
2.	एकीकृत वन संरक्ष कार्यक्रम	1
3.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	1
4.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	2
5.	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	8
6.	जीवमण्डल रिजर्व	1
7.	नमभूमियां	4

1	2	3
8.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	20
9.	बाघ परियोजना	2
	कुल	40

(ख) से (घ) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) के अंतर्गत तीन प्रस्तावों के अलावा सभी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं। शेष प्रस्तावों को वर्ष के दौरान निधि की उपलब्धता के आधार पर और एन०ए०पी० दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी उपयुक्ता को देखते हुए स्वीकृत किया जाएगा।

पेड़ों को काटा जाना

1745. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सड़कों पर सड़कों को चौड़ा करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो काटे गए पेड़ों के स्थान पर पेड़ लगाने के लिए कोई मानदण्ड हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) जी हां, सड़कों को चौड़ा करने के लिए कभी-कभी वृक्षों को काटने की आवश्यकता होती है। दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्ष काटने की अनुमति दी जाती है। वृक्ष अधिकारी द्वारा प्रत्येक वृक्ष को काटने पर प्रतिपूर्ति स्वरूप दस वृक्ष लगाने और प्रत्येक प्रतिरोपित वृक्ष के लिए प्रतिपूर्ति स्वरूप पांच वृक्ष लगाना निर्धारित किया गया है।

डब्ल्यू०डब्ल्यू०एफ० से निधियां

1746. **श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व वन्यजीव कोष इको कार्ड जारी करने के लिए कई वन विभागों का वित्त पोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कदम का मुख्य प्रयोजन क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष द्वारा वन विभागों को इको कार्ड जारी करने के लिए ऐसा कोई वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेड़ जनित तिलहन

1747. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आन्ध्र प्रदेश में एकीकृत पेड़ जनित तिलहन विकास (आई०डी०टी०बी०ओ०) के अंतर्गत किए गए विकासात्मक, संवर्धनात्मक एवं विस्तार क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आन्ध्र प्रदेश में आई०डी०टी०बी०ओ० पर खर्च की गई राशि में काफी उतार-चढ़ाव रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में आई०डी०टी०बी०ओ० पार्कों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "समेकित वृक्ष मूल तिलहन विकास (आई०डी०टी०बी०ओ०)" के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए विकासात्मक, संवर्धनात्मक और विस्तार क्रियाकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इस स्कीम के अंतर्गत खर्च धनराशि में उतार-चढ़ाव राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति, पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम का पूरा होना और निधियों की उपलब्धता जैसे कारणों से है।

(घ) से (च) देश में आंध्र प्रदेश सहित इस स्कीम के तहत आई०डी०टी०बी०ओ० पार्कों को स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में नोवोड बोर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्ष मूल तिलहन संबंधी विकासात्मक, संवर्धनात्मक और विस्तार क्रियाकलापों का वर्षवार ब्यौरा

क्र० सं०	क्रियान्वयक एजेंसी	वृक्ष मूल तिलहन/कार्यक्रम का नाम	घटक	स्वीकृत	
				वास्तविक (संख्या)	वित्तीय (लाख रु० में)
2004-05					
1.	अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई०सी०आर०आई०-एस०ए०टी०)	जटरोफा	मॉडल बागान (हैक्टेयर)	300	75.00
2.	शुष्क-भूमि क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आई०डी०ए०)	जटरोफा	अनुसंधान एवं विकास	–	5.35
			कृषक प्रशिक्षण (संख्या)	5	1.00
			प्रशिक्षक प्रशिक्षण (संख्या)	2	0.81
2005-06					
1.	शुष्क-भूमि क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आई०डी०ए०)	जटरोफा	अनुसंधान एवं विकास	–	7.84
2006-07					
1.	शुष्क-भूमि क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आई०डी०ए०)	जटरोफा	अनुसंधान एवं विकास	–	7.79
2.	अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई०सी०आर०आई०-एस०ए०टी०)	जटरोफा	उत्कृष्ट पौध रोपण	100	25.00
		करंजा	सामग्री और मॉडल बागान का विकास (हैक्टेयर)	100	13.00

[हिन्दी]

पौधारोपण के लिए निधियां

1784. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री जीवाभाई ए० पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा पौधारोपण के लिए राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं कि कुछ राज्यों ने निधियों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं एवं सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश में अवक्रमित वन और इसके आस पास की भूमियों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना का कार्यान्वयन वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सीज) के द्विस्तरीय विकेन्द्रीकृत माध्यम से किया जा रहा है। गत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान मंत्रालय ने 4.46 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली 431 वन विकास अभिकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के

दौरान 689.56 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय समन्वय समिति और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर की कार्य संचालन समिति निधियों की उपयोगिता की प्रगति की मानीटरिंग करती हैं। इसके अतिरिक्त निधियों के तीव्रतम उपयोग के लिए संबंधित स्तरों पर वन विकास अभिकरणों की तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाती है। सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा नमूना आधार पर की गई वन विभाग अभिकरणों की प्रथम समवर्ती मूल्यांकन की रिपोर्टों को भी राज्य वन विभाग के साथ शेयर किया गया है। गोवा राज्य में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम का कार्यान्वयन विशेष रूप से धीमा रहा है। इस मामले को वन महा निदेशक और विशेष सचिव से मुख्य सचिव, गोवा सरकार को लिखे पत्रों और इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव और नोडल अधिकारी और गोवा सरकार के अधिकारियों की परस्पर हुई बैठकों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है।

विवरण

2003-04 से 2005-06 के दौरान जारी राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जारी कुल राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32.19
2.	छत्तीसगढ़	45.33
3.	गुजरात	24.02
4.	हरियाणा	19.57
5.	हिमाचल प्रदेश	26.63
6.	जम्मू और कश्मीर	16.05
7.	कर्नाटक	59.74
8.	मध्य प्रदेश	40.71
9.	महाराष्ट्र	39.72
10.	उड़ीसा	29.27
11.	पंजाब	5.85
12.	राजस्थान	17.62
13.	तमिलनाडु	49.62
14.	उत्तर प्रदेश	56.54
15.	उत्तरांचल	29.45
16.	गोवा	0.64
17.	झारखंड	25.8
18.	बिहार	8.04
19.	केरल	9.5
20.	पश्चिम बंगाल	17.5
	कुल (अन्य राज्य)	553.79
21.	अरूणाचल प्रदेश	8.14
22.	असम	19.07
23.	मणिपुर	16.81
24.	नागालैण्ड	19.91
25.	सिक्किम	14.23
26.	त्रिपुरा	12.87
27.	मिजोरम	37.11
28.	मेघालय	7.63
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	135.77
	कुल	689.56

ऐतिहासिक स्मारकों का पर्यावरणीय संरक्षण

1749. **श्री रामदास आठवले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों को प्रदूषण के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक देश में प्रदूषण मुक्त कराये गए ऐतिहासिक स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अलांग पोत भंजक यार्ड में कामगारों की मृत्यु

1750. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अलांग पोत भंजक यार्ड में गत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में कितने कामगार घायल हुए/मारे गए;

(ख) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) ऐसे मामलों में प्रत्येक घायल तथा मृतक के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अखिलेश दास) : (क) पिछले 3 वर्षों में दौरान अलंग पोत भंजन यार्ड में सूचित दुर्घटनाओं की संख्या-निम्नानुसार है:—

वर्ष	अग्नि/दुर्घटना	
	घायल	मृत्यु
2004-05	1	3
2005-06	11	7
2006-07 (जनवरी, 2007 तक)	5	5
योग	17	15

(ख) बड़ी दुर्घटना, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो अथवा गंभीर शारीरिक चोट लगी हो, होन की स्थिति में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा संबंधित प्लॉट के सभी कार्यकलाप बंद कर दिए जाते हैं तथा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा जांच शुरू कर दी जाती है और 'गुजरात मैरीटाइम बोर्ड शिप री-साइकिलिंग रैग्युलेशन्स' के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही सिद्ध होने की स्थिति में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और इसे कामगार कल्याण निधि में जमा करवाया जाता है। सुरक्षा विनियमन की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में प्लॉट धारक पर भी 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है।

(ग) किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित को अनुग्रह मुआवजे के रूप में 25,000 रुपए का तत्काल भुगतान किया जाता है तथा कम से कम 2 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किया जाता है। किसी व्यक्ति के चौट लगने की स्थिति में उसे 5000 रुपए का भुगतान किया जाता है।

(घ) गुजरात राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए गुजरात मैरीटाइम बोर्ड तथा श्रम विभाग के माध्यम से अनेक निवारक उपाय किए हैं। इनमें कामगारों के बीच जोखिम जागरूकता प्रचार, कामगारों तथा सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण, कामगारों द्वारा निजी सुरक्षात्मक उपस्करों का अनिवार्य उपयोग, कटिंग प्रचालनों के दौरान गैस डिटैक्टरों का अनिवार्य उपयोग, घातक दुर्घटना के मामलों की जांच और दंडात्मक कार्रवाई करना तथा विभिन्न नियमों/विनियमों आदि का कड़ाई से पालन करना शामिल है।

[हिन्दी]

नैफेड द्वारा गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश

1751. **श्री जीवाभाई ए० पटेल :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा गैर-कृषि गतिविधियों में वर्ष-वार कितना निवेश किया गया;

(ख) कितनी अधिकारी दोषी पाए गए तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निवेश से वर्ष-वार कितनी लाभ तथा हानि हुई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान नेफेड द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वर्ष-वार कितना ऋण लिया गया; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान नेफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष-वार कितना खर्च किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) नैफेड जो सरकार के बिना किसी अंशधारण के एक स्वायत्त निकाय है, ने वाणिज्यिक रूप से अपने बोर्ड के अनुमोदन से सार्वजनिक निजी सहभागिता व्यापार शुरू किया है जिसका अनुसरण एस०टी०सी०, एम०एम०टी०सी०, पी०ई०सी० आदि जैसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया है। नैफेड ने वाणिज्यिक रूप से उधार लेकर इस उद्देश्य के लिए कोष की व्यवस्था की है और साथ ही अपने निजी कोष का भी उपयोग किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-कृषि क्रियाकलापों के लिए कुल निवेशित धनराशि और इसी अवधि के दौरान अर्जित लाभ और हानि का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	निवेशित राशि	अर्जित लाभ
2003-04	171.11 करोड़	2.94 करोड़
2004-05	1483.93 करोड़	13.34 करोड़
2005-06	541.01 करोड़	18.50 करोड़

सार्वजनिक निजी सहभागिता व्यापार के क्रियान्वयन में कुछ अधिकारियों की तरफ से चूक होने के कारण नैफेड के ऐसे पांच अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के तहत आरोप-पत्र तय किये गये हैं। इसके अलावा नैफेड द्वारा आगे की जांच के लिए सी०बी०आई० को भी एक शिकायत भेजी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	पीएसएस प्रचालन के लिये ऋण	वाणिज्यिक प्रचालन के लिये ऋण
2003-04	152.07	267.80
2004-05	428.06	1295.76
2005-06	3244.37	1400.33

(ङ) तिलहन और दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालन पर नैफेड को हुई हानि (व्यय सहित) की प्रतिपूर्ति करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उनको निम्नलिखित धनराशियां जारी की गई हैं:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये)
2004-05	120
2005-06	260
2006-07	260

[अनुवाद]

वन्य जीव संरक्षण हेतु विशेष न्यायालय

1752. **श्री के०सी० सिंह 'बाबा' :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवैध शिकार तथा संरक्षण से जुड़े अन्य मुद्दों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 21 जनवरी, 2002 को भारतीय वन्यजीव बोर्ड की 21वीं बैठक के दौरान राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) को अपनाया गया था जिसमें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वन्यजीव अपराध के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए न्यायालय नामोद्दिष्ट किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

1753. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू०एफ०पी०) के अंतर्गत कोई सहायता प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम से लाभान्वित हुए राज्यों के क्या नाम हैं तथा उन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम-भारतीय परियोजनाओं के तहत प्राप्त सहायता और वर्ष 2005, 2006 तथा 2007 (फरवरी 28 तक) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लाभ पाने वाले राज्यों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	वितरित की गई जिन्स (*) (टन में)			
	2005	2006	2007 (फरवरी 28 तक)	जोड़
1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	8355	6246	1697	16298
गुजरात	1915	2016	376	4307
झारखंड	4332	4010	422	8764
मध्य प्रदेश	17318	17612	4763	39693
उड़ीसा	30382	29853	5443	65678

1	2	3	4	5
राजस्थान	14324	14411	2844	31579
उत्तरांचल	14900	10529	2069	27498
उत्तर प्रदेश	1998	1473	322	3793
जोड़	93524	86150	17936	197610

(*) गेहूं, चावल और दालों सहित

हिमालय ग्लेशियर के क्षेत्र में कमी

1754. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री जुएल ओराम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय ग्लेशियर के क्षेत्र में निरन्तर कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव/उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि हिमालय के अधिकतर ग्लेशियर कमी के दौर से गुजर रहे हैं जोकि एक विश्वव्यापी घटना है।

(ख) हिमालय के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में कमी की दर औसत और वर्ष दर वर्ष दोनों के आधार पर भिन्न पाई गई है। ग्लेशियर का कम होना आकार में परिवर्तन की एक प्राकृतिक चक्र प्रक्रिया और ग्लेशियर की अन्य विशेषता का भाग है। अवसामान्य हिमपात, ग्रीष्म के दौरान उच्च तापमान, कम कड़ाके की सर्दी और इन सभी का संयोजन कारक तथ्य हो सकते हैं। यह परिवर्तन वैश्विय उष्णता सहित विभिन्न कारणों के कारण हो सकते हैं।

(ग) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभिन्न बेसिनों में हिमालय ग्लेशियर की मानीटरिंग कर रहा है। ग्लेशियरों के कम होने को कृत्रिम उपायों के माध्यम से बहुत ही सीमित सीमा (केवल स्थल विशिष्ट) तक चैक किया जा सका है। परन्तु ऐसी परियोजनाओं को भारतीय हिमालय ग्लेशियर की प्रकृति (मलवे से भरे हुए), आर्थिक संभाव्यता, प्रचालन की मात्रा और संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर शुरू नहीं किया जा सकता है।

बाघों को पुनः लाने हेतु सहायता

1755. श्री के०एस० राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरिस्का अभयारण्य में बाघों को पुनः लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) सरिस्का बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्रामों के पुनर्वास के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। बाघों को पुनः लाने से पहले अबाधित पर्यावास उपलब्ध करवाने के लिए यह एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है जो कि भारतीय वन्यप्राणी संस्थान द्वारा सरिस्का में बाघ स्थिति के आकलन पर आधारित है।

उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान

1756. प्रो० एम० रामदास : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०)/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपलब्ध करायी गई अनुदान सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन सभी एन०जी०ओ०/वी०सी०ओ० से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है जिन्हें धनराशि जारी की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन निबंधन एवं एवं शर्तों की समीक्षा करने का है जिनके अंतर्गत एन०जी०ओ०/वी०सी०ओ० को अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) यह विभाग देश में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सूची नहीं रखता है। उपभोक्ता जागरूकता और प्रचार के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 तक में 28.2.2007 तक के दौरान गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान तथा प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) सहायता अनुदान सामान्य वित्तीय नियमों की शर्तों और निबंधनों के अनुसार तथा उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों के अध्यधीन भी स्वीकृत किया जाता है।

विवरण

अनुदान 2003-2004

आन्ध्र प्रदेश

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	नरसीपटनम कंज्यूमर्स अवेयरनेस सोसाइटी बी०सी० कालोनी, नरसीपटनम, डिस्ट्रिक्ट विशाखापटनम	1,53,000	हां
2.	ग्लोबल वैलफेयर सोसाइटी, 6-3-10/3, बैंक कालोनी, खम्मान डिस्ट्रिक्ट	1,80,000	हां
3.	जगजीवन बलहीन वर्ग अभिरुधि संगम (डी०सी०आई०सी०-कुड्डापाह)	2,50,000	हां
4.	नवयुग एजूकेशनल एंड इकोनोमिकल डवलपमेंट सोसाइटी, वेलावादी नगरी मण्डल, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट (म०प्र०)	1,35,000	हां
5.	सर्वोदय यूथ आर्गनाइजेशन, मकान सं० 6-1-76/ए, अपोजिट श्री देवी थियेटर, हनमकोण्डा, वारंगल	1,53,000	हां
6.	चैतन्य वैलफेयर इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस, चिन्तलापुडी, (आंध्र प्रदेश)	135,000	हां
7.	यंग मेन्स मोहम्मदीन एसोसिएशन सोशल सर्विस सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	1,53,000	हां
8.	कंज्यूमर वैल्फेयर सोसाइटी, मकान नं० 3-8-8/1 रविन्द्र नगर, महबूबनगर	1,71,000	हां
9.	पीपुल्स आर्गनाइजेशन फॉर वूमेन इम्पावरमेंट एंड रिकंसट्रक्शन हिन्दुपुर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट	1,57,500	हां
10.	सोसाइटी फॉर ट्राइबल एंड रूरल इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट इम्पावरमेंट	2,02,500	हां
11.	एक्शन फॉर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट, मकान सं० 4-79 यू०पी०एस० स्ट्रीट, कोलू खमान डिस्ट्रिक्ट	45,000	हां
12.	पीपुल्स एक्शन इन डवलपमेंट, तिरुपति	2,25,000	हां
13.	दसारी अदीवयाह मेमोरियल इले स्कुल कमेटी, हरिजन कालोनी, उल्वापदु-523292	1,98,000	हां
14.	भारत रत्न महिला मण्डली, 4/369-जे, विवेकानन्द नगर, कुडापाह-516001	1,89,000	हां

असम

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	मानव सारथी, गणेशगुरी, गुवहाटी	1,98,000	हां
2.	पी०वी०आई० पथर वोकेशनल इंस्टीटयूट	1,44,000	हां

बिहार

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	हनुमान प्रसाद ग्रामीण विकास सेवा समिति, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर (डी०सी० आइ०सी०-वैशाली)	2,50,000	हां
2.	मैसर्स विवेकानन्द मेमोरियल ट्रस्ट, ठाकुर अदान रमना रोड, रज्जू शाह, मुजफ्फरपुर	1,53,000	हां
3.	ई०पी०आई०सी० डवलपमेंट, रोहतास	1,90,588	हां

दिल्ली

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, मयूर विहार, नई दिल्ली	1,50,000	हां
2.	कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, मयूर विहार, नई दिल्ली	5,00,000	हां
3.	बिन्टी, हौजखास (कंज्यूमर क्लब्स)	5,00,000	हां
4.	दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स	1,00,000	हां
5.	श्रुति, एफ नं० 135, पटपड़गंज	2,07,000	हां

गुजरात

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	राजकोट शहर जिला ग्राहक सुरक्षा मण्डल, राजकोट (डी०सी०आई०सी० सेकिण्ड इंस्टालमेंट)	2,50,000	हां
2.	भावनगर ग्राहक सुरक्षा मण्डल (डी०सी०आई०सी०-भावनगर)	2,50,000	हां
3.	साऊथ गुजरात कंज्यूमर प्रोटक्शन एजूकेशन एंड रिसर्च सेंटर (डी०सी०आई० सी०-सूरत)	2,50,000	हां

हरियाणा

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	डवलपमेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ इंडिया सोसायटी, गुड़गांव	67,500	हां

झारखंड

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	श्री नरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट, कटरास रोड, विकास नगर, धनबाद (डी०सी० आई०सी०-धनबाद)	2,50,000	हां

कर्नाटक

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	इंडियन यूथ आर्गनाइजेशन, बंगलौर	1,44,000	हां
2.	इंदिरा मेमोरियल वोलेन्टरी आर्गनाइजेशन, बंगलौर	1,53,000	हां
3.	ग्राम विकास सोसायटी, कोलार डिस्ट्रिक्ट	2,52,000	हां
4.	श्री सिद्धिलिंगेश्वर उन्नी निकेरन क्षेनाबिवरुद्धी संघ, कोलार डिस्ट्रिक्ट	2,52,000	हां
5.	शरण तत्व प्रसार एंड रूरल डवलपमेंट सर्विस संस्थान	1,35,000	हां
6.	ज्ञान विकास सोशल एंड एजूकेशन ट्रस्ट बंगलौर	1,26,000	हां
7.	बालकेदारा, नेयर कल्पना सिनेमा उदीपी (डी०सी०आई०सी०-उदीपी)	2,50,000	हां
8.	श्री बासवेश्वर रूरल डवपलमेंट ट्रस्ट गुलबर्गा, (डी०सी०आई०सी०-गुलबर्गा)	2,50,000	हां
9.	कर्नाटक रूरल डवलपमेंट सर्विस सेंटर, मगदी, बंगलौर	1,17,000	हां
10.	प्रगति लेडीज एसोसिएशन, बंगलौर	1,17,000	हां

केरल

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	सोलिडेरिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल कमेटी, इदुक्की	1,98,000	हां
2.	इन्दिरा गांधी चैरीटेबल फाउण्डेशन	1,17,000	हां

मध्य प्रदेश

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	इंडियन एसोसिएशन फॉर द डवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड मासेस, पिपरिया रोड, होशंगाबाद	3,24,000	हां

1	2	3	4
2.	नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सैटलमेंट एंड एन्वायरमेंट, भोपाल (डी०सी०आई०सी०-सेकिण्ड इन्सटालमेंट	2,50,000	हां
3.	प्रखर प्रज्ञ शिक्षा प्रसार, सोसायटी, सागर.	1,80,000	हां
4.	ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटक्शन आर्गनाइजेशन, झिंझरी, कतनी (डी०सी०आई०सी० कतनी)	2,50,000	हां
5.	बघेल एजूकेशन एंड वैलफेयर सोसायटी, भोपाल	1,57,500	हां
6.	कंज्यूमर एंड सिविल राइट्स एसोसिएशन, ग्वालियर (डी०सी०आई०सी०-सेकिण्ड इन्सटालमेंट)	1,75,000	हां
7.	देवी अहिल्या विलेज डवलपमेंट एसोसिएशन, ग्राम असरावाद, बुजुर्ग, इन्दौर	2,79,000	हां
8.	सुबेदार भगवान दास शुक्ल शिक्षा एवं जन विकास समिति	1,99,000	हां

महाराष्ट्र

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट मध्यवर्ती ग्राहक सेवा महासंघ, 4037 बी शाह सदन माहकन गली, अहमदनगर	1,75,000	हां
2.	लक्ष्मीबाई सेवाभावी ग्राम विकास मण्डल अखमपुरी, टी क्यू अम्बद डिस्ट्रिक्ट, जलना	2,79,000	हां
3.	स्वामी समर्थ महिला बहु उद्देश्यीय सियू संस्थान	2,52,000	हां

मणिपुर

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	मणिपुर बार्डर एरिया डवलपमेंट सोसायटी पी०ओ० चकीबरोंग, जफू बाजार, चण्देल डिस्ट्रिक्ट (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
2.	दि मणिपुर रूरल सर्विस एसोसिएशन, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
3.	डवलपमेंट ऑफ रूरल एजूकेशन एंड स्पोर्टिंग आर्गनाइजेशन, खंगाबोक, थोउबल डिस्ट्रिक्ट	1,35,000	हां
4.	विलेज वैलफेयर एसोसिएशन, संबाएउम्फा चेरापुर वांगजींग थैम्बल	1,26,000	हां
5.	फाउण्डेशन फॉर रूरल डवलपमेंट एंड टैक्नोलोजी एचीवमेंट, बनमइबन्द	1,62,000	हां

1	2	3	4
6	मंगा रोड मेनिंग तखेल लेकई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, तखेल लेकई, इम्फाल	1,08,000	हां
7.	दि केशमपत मुतुम लेराक माचीन हरुफत	1,12,500	हां
8.	ग्रीनलैण्ड डवलपमेंट आर्गनाइजेशन, इम्फाल	1,62,000	हां
9.	अर्बन एंड रूरल प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, इम्फाल	1,35,000	हां
10.	चिंगामथक नमेराप्पम मश्लेकई डवलपमेंट	1,17,000	हां
11.	रूरल वूमेन सोसायटी, इम्फाल वेस्ट	1,08,000	हां
12.	दि रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन, थंगमइबंद	1,53,000	नहीं

नागालैण्ड

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	ब्रदरहुड मल्टीपर्पज सोसायटी, दीमापुर, नागालैण्ड	1,35,000	नहीं
2.	तेकीचेंग वैली मल्टीपर्पज सोसायटी, वोखा, नागालैण्ड	1,26,000	हां
3.	ए०एस०ए० मल्टीपर्पज कोआप० सोसायटी लि०, दीमापुर, नागालैण्ड	1,44,000	नहीं
4.	टीन्स क्लब, डिस्ट्रिक्ट वोखा, नागालैण्ड	1,24,200	हां

उड़ीसा

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च फॉर उत्कल रूरल ट्राइबल्स, ए०टी० एंड पोस्ट : कबादा मधापुर महिमागड़ी, धेनकनाल	1,35,000	हां
2.	पूअर पीपुल्स वेनेवोलेन्ट हरिजन आदिवासी इंस्टीट्यूट ऑफ काइण्ड एक्शन एंड सर्विस, ए०टी० दलसिंघा मरथापुर पोस्ट : सन्थापुर, डिस्ट्रिक्ट धेनकनाल	54,000	हां
3.	मैसर्स गांधियन एसोसिएशन फॉर रूरल डवलपमेंट, ए०टी० पोस्ट अन्ताईकलार	1,35,000	हां
4.	प्रोजेक्ट स्वराज, गणेश घाट, बखरबाद कटक (डी०सी०आई०सी०-कटक)	2,50,000	हां
5.	प्रोजेक्ट स्वराज, गणेश, घाट, बखरबाद, कटक	1,35,000	हां
6.	श्री जगन्नाथ रूरल डवलपमेंट आर्गनाइजेशन, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट	1,26,000	हां

राजस्थान

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बेनीपार्क, जयपुर	1,50,000	हां
2.	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बेनीपार्क, जयपुर	2,90,000	हां

तमिलनाडु

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	मेरी अमान सर्विसेज सोसायटी, नं० 3, वायालूर मेन रोड, रामलिंगनगर, त्रिची	1,00,000	हां
2.	सर्वोदय ट्रस्ट, प्लाट नं० 52, राजीव स्ट्रीट मुनीसवर नगर, थीरुपल्लाई, मदुरई	1,53,000	हां
3.	स्नेकीथी, साथिया मंगलम पोस्ट, कुलिथली करूर डिस्ट्रिक्ट	1,26,000	हां
4.	विलेज पीपुल्स एजूकेशन फॉर रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन, 16 ए/2, ईस्ट मुदालियर स्ट्रीट, कुलिथलाई करूर डिस्ट्रिक्ट	1,44,000	हां
5.	हेल्थ एजूकेशन एंड डवलपमेंट सोसायटी, नलूर – विलेज एंड पोस्ट, करूर डिस्ट्रिक्ट	1,44,000	हां
6.	सोसायटी फॉर इमेन्सीपेटिंग निओ सोशल एजूकेशन डी०सी०आई०सी०-शिवगंगी	2,50,000	हां

उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	भारतीय ज्ञान वीथिका 21/1013 इन्दिरा नगर, लखनऊ (डी०सी०आई०सी०-लखनऊ)	2,50,000	हां
2.	किसान मजदूर एवं महिला उत्थान समिति, पो० रामपुर, गोण्डा	1,62,000	हां
3.	उपभोक्ता आगरूक समिति, मेरठ	1,89,000	हां
4.	जनता सेवा समिति, विलेज : पकरदन पो० महासन, जिला बस्ती (डी०सी० आई०सी०-बस्ती)	2,50,000	हां
5.	नव सृजन, 365/7, सदर बाजार, लखनऊ (डी०सी०आई०सी०-देवरिया)	2,50,000	हां
6.	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, गांव गडौना, पो० गोविन्दपुर, बस्ती (डी०सी० आई०सी०-संत कबीर नगर)	2,50,000	हां
7.	उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण समिति, 354, दर्शनपूर्वा, गुमटी, नं० 5, कानपुर	1,08,000	हां
8.	सर्वजन कल्याण समिति, 275, कटघर, इलाहाबाद	90,000	हां
9.	नव जागृति सेवा संस्थान, 116 राधा नगर, बुलन्दशहर	99,900	हां
10.	श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति, 125/1 छोटा बघारा, इलाहाबाद	1,50,000	हां
11.	राष्ट्रीय नव चेतना संस्थान, अशापुर, इलाहाबाद	1,35,000	हां
12.	नव जागृति सेवा संस्थान, 16 राधा नगर, बुलंदशहर (डी०सी०आई०सी०-बुलंदशहर)	2,50,000	हां

1	2	3	4
13.	प्रेरणा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, रजना खेरा, ओरस, उन्नाव	90,000	हां
14.	समता नव निर्माण समिति, जिला औरैया (डी०सी०आई०सी०-औरैया)	2,50,000	हां
15.	भारतीय समाज सुधार सेवा शिक्षा समिति, सिविल स्टेशन, कटरा, जिला बस्ती (डी०सी०आई०सी०-सिद्धार्थनगर)	2,50,000	हां
16.	माधव मोहन समाज सेवा संस्थान, छिब्रहू, कन्नौज (डी०सी०आई०सी०-कन्नौज)	2,50,000	हां
17.	जागृति, अष्टभुज, प्रतापगढ़ (डी०सी०आई०सी०-प्रतापगढ़)	2,50,000	हां
18.	स्मृति सेवा संस्थान, कानपुर (डी०सी०आई०सी०-कानपुर)	2,50,000	हां
19.	रावत शिक्षा समिति, कामेर गेट, जलेसर अड्डा, हाथरस (डी०सी०आई०सी०-हाथरस)	2,50,000	हां
20.	डिग्गी निर्बलउत्थान समिति (डी०सी०आई०सी०-मेरठ)	2,50,000	हां
21.	अखिल भारतीय बृज समाज कल्याण संस्थान, कृष्ण पुरी, मथुरा (डी०सी० आई०सी०- मथुरा)	2,50,000	हां
22.	चंद्र शिक्षा संस्थान, जौनपुर (डी०सी०आई०सी०-जौनपुर)	2,50,000	हां
23.	ग्रामीण कृषि पशुधन एवं उद्यान विकास संस्थान (डी०सी०आई०सी०-बलिया)	2,50,000	हां
24.	मनीष सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (डी०सी०आई०सी०-मैनपुरी)	2,50,000	हां
25.	इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट सोसायटी, हरदोई (डी०सी०आई०सी०-हरदोई)	2,50,000	हां
26.	निर्बल वर्ग ग्रामोद्योग विकास समिति, गाजीपुर (डी०सी०आई०सी०-गाजीपुर)	2,50,000	हां
27.	द्वारिका ग्रामोद्योग संस्थान, अलीगढ़ (डी०सी०आई०सी०-अलीगढ़)	2,50,000	हां
28.	ग्रामोद्योग सेवा आश्रम, मेरठ	2,11,500	हां
29.	सत्यमेव सेवा संस्थान, लखनऊ	2,70,000	हां
30.	श्रृंखला, आशियाना, लखनऊ	1,53,000	हां
31.	यौनिक सोशल एंड कल्चरल सोसायटी, लखनऊ	1,62,000	हां
32.	जनता सेवा समिति, ग्राम पकारदन, पो० महसन, जिला बस्ती	1,26,000	हां
33.	विंध्य ग्रामोद्योग संस्थान, गांव भारहुना, विंध्य कालोनी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश (डी०सी०आई०सी०-मिर्जापुर)	2,50,000	हां

उत्तरांचल

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	हिमालयन सेवा समिति, पिथौरागढ़	1,99,000	हां

1	2	3	4
2.	उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति, ग्वालदम, चमोली जिला, उत्तरांचल (डी०सी०आई०सी०-चमोली)	1,75,000	हां
3.	के०ए०एफ०ए०एल०, हल्द्वानी	1,62,000	हां
4.	उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति, ग्वालदम, चमोली जिला, उत्तरांचल	1,53,000	हां
5.	शिवानी बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण संस्थान, 242/2003	1,53,000	हां

पश्चिम बंगाल

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	दक्षिण लक्ष्मीनारायणपुर युवा संघ एंड पाठागर	1,75,500	हां
2.	कपसरिया सर्विक विलेज सर्विस सोसायटी	1,26,000	हां
3.	रेजीडेंट एंड कंज्यूमर एसोसिएशन, हुगली	1,80,000	हां
4.	हिजली इन्सपाइरेशन	1,30,500	हां
5.	बेहरामपुर कंज्यूमर फोरम, मुर्शिदाबाद	1,50,000	हां
6.	जलपायगुड़ी जिला क्रेता सुरक्षा समिति हकीमपाड़ा, जलपायगुड़ी	1,17,000	हां
7.	एमर्हस्ट स्ट्रीट इन्दिरा सेवाश्रम, कोलकाता	45,000	हां
8.	अलीपुरद्वार कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसायटी, जलपायगुर	45,000	हां
9.	दि एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, लेक कौन्स्टीच्यूएन्सी, कोलकाता	45,000	हां
10.	हुगली जिला क्रेता सुरक्षा समिति, प्रसाद दास सेनरोड, हुगली	45,000	हां
11.	पोर्ट एरिया कंज्यूमर्स एसोसिएशन, 71/11, हार्बर रोड, कोलकाता	54,000	हां
12.	नॉर्थ ईस्ट कोलाकाता कंज्यूमर्स एसोसिएशन, 43/सी/1, बिपलाती बारिन घोस सारनी, कोलकाता	45,000	हां
13.	इण्डियन इस्टीट्यूट ऑफ बायो सोसल रिसर्च एण्ड डिवलापमेंट, कोलकाता	4,67,5000	हां

पाण्डिचेरी

क्र० सं०	संगठन का नाम	राशि	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाण्डिचेरी	1,50,000	हां
2.	नेशनल कम्यूनिटी वैलफेयर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सैल	1,44,000	हां

अनुदान 2004-2005

आन्ध्र प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम और फाईल संख्या	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	साई राम युवती महिला, डी संख्या 6/60, आर्ट कॉलेज रोड, प्रोदतूर, जिला कुदप्पा	1,57,500	हां
2.	रूरल इन्टेग्रेटिड एण्ड सोसल एडयूकेशन सोसायटी, चेनेकोथापल्ली, पोस्ट ऑफिस एण्ड मन्दाई जिला अनन्तपुर	2,83,500	हां
3.	जगजीवन बलहीन वर्ग अभिवृद्धि संगम गडप्पा, आन्ध्र प्रदेश	2,50,000	हां
4.	अरविन्द कन्ज्यूमर वेलफेयर सोसायटी, ईस्ट माधवराम, ए०कोन्डुरू मंदाई, जिला कृष्णा	1,44,000	हां
5.	अशरीठा, प्लाट संख्या 59, बाबा नगर, सिकन्दराबाद	1,53,000	हां
6.	क्रिस्चियन हरिजन एण्ड विकर सेक्सन एस देव समकसेना संगम होम्स पेट प्रोदतूर, कुडप्पा	1,44,000	हां
7.	आर्गेनाईजेशन फॉर रूरल रिकन्सट्रक्सन मुवमेंट, 16-3212, साई नगर, बंगाली रोड	1,62,000	हां
8.	प्रगति रूरल एडयूकेशनल सर्विस सोसायटी, जिला प्रकाशम	1,48,500	नहीं

असम

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	यूनाइटेड रूरल डिवलॉपमेंट आर्गेनाइजेशन, गांव और पोस्ट ऑफिस इराडिगनल पारी, वाया छायड़ाघाट, जिला करबी एंगलॉग (असम)	1,71,000	हां
2.	ग्राम विकास परिषद, रेंगालू, पोस्ट ऑफिस जुमरगुर वाया कटधियाटोली, नौगांव (असम)	2,50,000	हां

बिहार

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	बाबा चौहरमल स्मारक समिति, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना	2,16,000	हां

चण्डीगढ़

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कन्ज्यूमर फोरम, सेक्टर 11-बी, चण्डीगढ़	88,000	हां

छत्तीसगढ़

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	एस०ए०के० मैमोरियल एड्यूकेशनल कल्चरल सोसायटी, जिला सरगुजा	1,44,000	हां

दिल्ली

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर कॉर्डिनेशन काउंसिल, मयूर विहार, नई दिल्ली	4,10,400/-	हां
2.	इंडियन मेडिकल काउंसिल, नई दिल्ली	5,00,000/-	हां
3.	विकास चेरिटेबल सोसायटी, सोनिया विहार, दिल्ली	1,57,000/-	हा
4.	कंज्यूमर कार्डिनेशन काउंसिल, नौएडा	57,85,000/-	हां
5.	वॉयस, 441, जंगपुरा, नई दिल्ली	5,00,000/-	हां
6.	कंज्यूमर कार्डिनेशन काउंसिल, नई दिल्ली	4,95,000/-	हां
7.	साउथ दिल्ली हाउसवाइफ एसोसिएशन, नई दिल्ली	3,00,000/-	हां
8.	वॉयस, 441, जंगपुरा, नई दिल्ली	5,00,000/-	हां
9.	वॉयस सोसायटी, 441, जंगपुरा, नई दिल्ली	50,00,000/-	हां

गुजरात

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	जागरूक ग्राहक मण्डल, पटन	2,50,000/-	हां
2.	श्री सेवा भारती फाउंडेशन, भुज कच्छ	2,50,000/-	हां
3.	गुजरात स्टेट रचनात्मक कार्यकर संघ, गोधरा	2,50,000/-	हां
4.	ग्राहक सुरक्षा मण्डल, दाहोड	2,50,000/-	हां

जम्मू और कश्मीर

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	मॉडर्न कल्चरल क्लब, वार्ड नं-2, जिला राजौरी	99,000/-	नहीं

कर्नाटक

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	अम्माजी महिला संघ सी/ओ सागर आर्ट स्टुडियो, डी०वी०जी० रोड़ बाघ पल्ली, जिला कोलर-55/2003	2,07,000/-	नहीं
2.	ओउम श्रीनिकेतन ट्रस्ट, बी-1/33, कर्नाटक बैंक के पास, श्रीरंगपत्तनम-571438, मन्ध्या जिला	1,44,000/-	नहीं
3.	कोलार डिस्ट्रिक्ट एस०सी०/एस०टी० एण्ड ओरफन, वुमन एण्ड चाइल्ड एसोसिएशन, मुल्पेजेट, जिला कोलार	1,26,000/-	हां
4.	रयाल सेवा समिति यदरमी, तेवरजी तालुक, जिला गुलबर्गा	1,98,000/-	हां
5.	जीवन ज्योति विद्या संस्था, मांड्या	1,98,000/-	हां
6.	भवानी इन्स्टिट्यूट फार रूरल डिवलॉपमेंट, जिला मांड्या	1,26,000/-	हां
7.	कंज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड रिसच फाउंडेशन, हुबली डी०सी०आई०सी०-हुबली	2,50,000/-	हां

मध्य प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	एम०पी० प्राकृतिक चिकित्सालय तथा महाविद्यालय समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2,07,000	हां
2.	आश्रम शान्ति निकेतन शिक्षा समिति, मोतिलाल मिल, बिड़लानगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,80,000	हां
3.	क्रेस्टर एड्यूकेशनल वेल्फेयर सोसायटी, थालिपुर, चौराह, ग्वालियर	2,07,000	हां
4.	श्री कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, भोपाल, डी०सी०आई०सी० ग्वालियर	2,50,000	हां
5.	अवतार स्मृति शिक्षा एवं कल्याण समिति, मोरेना, विवेकानन्द कॉलोनी, गणेशपुर, तहसील और जिला मोरेना	1,80,000	नहीं
6.	रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, लश्कर, ग्वालियर	1,80,000	हां
7.	प्रखर प्राज्ञ शिक्षा प्रसार समिति, सागर एम०पी० (डी०सी०आई०सी०-सागर)	2,50,000	हां
8.	दलित संघ हाऊस संख्या 13, लता मार्ग, उत्तराकुंज, सोहंगपुर, जिला होसंगाबाद	1,84,500	हां
9.	संदीप शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण केंद्र, एन-9, गांधीनगर, ग्वालियर	1,17,000	नहीं
10.	नन्दलाल बाल कल्याण समिति, गांव महानपुर मुरार, ग्वालियर	1,71,000	हां
11.	रूरल कंज्यूमर अवेयरनेस एण्ड रिसर्च सेन्टर, एस०एस० खारीवाल कॉलोनी, जिला रत्तन	1,44,000	हां
12.	श्री कुश शिक्षा प्रसार समिति, काछा सैयद रोड़, ग्वालियर	2,00,000	हां
13.	श्री गहवी शिक्षा प्रसार समिति, जिला भिण्ड	1,35,000	हां

महाराष्ट्र

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	जय किसान सेवा भावबी ग्राम विकास मण्डल, मंगरूल जिला, जलना	1,80,000	हां
2.	बहुजन एडयूकेशन सोसायटी तम्भारी, जिला नागपुर	1,26,000	हां
3.	लोक दीप मानव विकास संस्था, विद्या नगर, परबानी	2,50,000	हां
4.	सर्वोदय एडयूकेशनल एण्ड वोल्यूंटरी एसोसिएशन, नानदेड़ (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
5.	पुरूषोत्तम महाराज गुरूनारायण महाराज शिक्षा एण्ड सेवाभान संस्था, परभाम 01/117/03-सी०डब्ल्यू०एफ०	1,62,000	हां
6.	लोक कल्याण शिक्षा संस्थान, गोन्डिया, (डी०सी०आई०सी०-गोन्डिया)	2,50,000	हां
7.	अहमद नगर जिला मध्यवर्ती ग्राहक सेवा संघ, अहमदनगर (डी०सी०आई०सी०)	75,000	हां

मणिपुर

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	डेडीकेटेड पीपल्स आरगनाइजेशन, इम्फाल, (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
2.	कम्युनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन, थिंगखम स्क्वेयर तोमग्लांग, मणिपुर	1,44,000	हां
3.	एनवायरमेंट एंड एकोनोमिक मैंनजमेंट एसोसिएशन, इम्फाल ईस्ट	1,44,000	हां
4.	पीपल्स डेवलपमेंट एजेंसी, लामलोंग, इम्फाल	1,80,000	हां
5.	ब्राइटवेज तेराभोंग, मोइरे पोर्ट, विष्णुपुर, मणिपुर	1,80,000	हां
6.	एस०सी०/एस०टी०, बैकवर्ड चिल्ड्रन वीमैन आरगनाइजेशन, थोबल, (डी० सी०आई०सी०)	1,75,000	हां
7.	रूरल वालंटरी सर्विसेज, थोबल	1,75,000	हां
8.	गुडविल एंड थ्रीव सोसायटी, जमेरीग्लोंग	1,80,000	नहीं
9.	सोसायटी फॉर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, इम्फाइल ईस्ट	99,000	हां
10.	यूमनम लेकई लवेम्बी मनोज वीमेन्स वैलफेयर एसोसिएशन, इम्फाल	1,35,000	हां
11.	आर्गनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट लांगजिंग, इम्फाल वेस्ट	1,26,000	नहीं

मिजोरम

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	मिजोरम कंज्यूमर्स यूनियन, ट्रेजरी, स्क्वायर, आइजॉल-796001	1,26,000	हां

नागालैण्ड

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	रैंगमा वीमेन सोसायटी, नागालैण्ड	1,44,000	हां
2.	न्योन्ये सोसायटी, कोहिमा, नागालैण्ड	1,35,000	नहीं
3.	पोटीना कम स्टूडेंस यूनियन, मार्फत गर्वनमेंट हाई स्कूल, सेनिस वोखा, नागालैण्ड	85,500	हां
4.	सेनिस वैलफेयर क्लब, बी०पी०ओ० सेनिस, वाखा, नागालैण्ड	1,17,000	नहीं
5.	नागालैण्ड ट्राइबल रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दीमापुर (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां

उड़ीसा

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	नारी चेतना महिला इंस्टीट्यूट (एन०ए०एम०आई० ढेंकनाल, (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
2.	दृष्टि, मंगलाघाट पुरी	58,050	हां
3.	भन्जा इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, कुल्लदा, गंजाम	1,21,500	हां
4.	नारी मंगल महिला समिति, एन०एम०एम०एस०, एट पंचपलिया जिला	1,89,000	हां
5.	आदिवासी हरिजन इंटीग्रेटेड मास सोसल एजेंसी (ए०एच०आई०एम०एस०ए०) केन्दुपदर, फूलबानी, कन्धामल	2,20,500	नहीं
6.	दि नोबल इंस्टीटयूट ऑफ कम्युनिटी एम्पावरमेंट (दि नाइस) एट दखिनकली रोड़, पोस्ट/जिला ढेंकनाल	1,57,500	हां
7.	सेवा एट जलेश्वर, पो०ओ० खानपाल जिला कटक, 754104	2,34,000	हां
8.	उन्नयन, जिला पुरी	1,62,000	हां
9.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एन०आई०सी०सी०डी०, खुर्दा, उड़ीसा	1,21,500	हां
10.	नारी मंगल महिला समिति, एन०एम०एम०एस०, पंचपलिया जिला (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
11.	ब्राइट एसोसिएशन फॉर नोबल एंड डिसेंट अण्डरस्टेंडिंग (बी०ए०एन०डी०एच०यू०) पुरी, 01/191/2003	1,44,000	हां
12.	जय किशन यूथ क्लब, पुरी, (सी-क्लब)	5,00,000	हां
13.	बस्ती एरिया डेवलपमेंट काउंसिल, बांलासोर, (डी०सी०आई०सी०)	1,75,000	हां

राजस्थान

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	टैगोर पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, वार्ड नं० 25, पिलीबंगन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान	1,98,000	हां
2.	अन्नपूर्णा लोक सेवा एंड शिक्षण समिति, वार्ड नं० 1, सुरेशियन, हनुमानगढ़	1,80,000	हां
3.	महर्षि दयानन्द विकास समिति, नं० 365, पटेल नगर, श्रीगंगानगर	2,30,500	हां
4.	एस०एल० आदर्श विद्यालय प्रबंधक समिति, केसरी सिंह पुर, जिला श्रीगंगानगर	2,25,000	हां

तमिलनाडु

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	नुगरवोर उरीमई पड्डूकप्पू कजगम, रामनाथपुरम (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
2.	तमिलनाडु कंज्यूमर प्रोटक्शन काउंसिल, मदुरई	1,44,000	हां
3.	ओलीगयम ट्रस्ट, चेक्कनुरानी, जिला मुदरई, तमिलनाडु	1,62,5000	हां
4.	सोसायटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, सलेम (डी०सी०आई०सी०)	2,50,000	हां
5.	ट्रस्ट फॉर सोसियो इकोनोमिक डेवलपमेंट, त्रिची	1,62,000	हां
6.	चाइल्ड जिसस एजूकेशनल एंड चैरीटेबल ट्रस्ट, त्रिची	1,80,000	हां
7.	कम्यूनिटी एक्शन ट्रस्ट, 55, छठा क्रॉस श्रवणापुरम, पोस्ट अल्लीतुरई, त्रिची-620102	1,67,400	हां
8.	दि कंसर्ट ट्रस्ट, चेन्नई	2,25,000	नहीं
9.	सोसायटी फॉर कम्युनिटी आरगनाइजेशन एण्ड रूरल एजूकेशन, कारन।	1,26,000	हां
10.	कनसर्ट चेन्नई	4,95,000	नहीं

उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	इंडियन ह्यूमन वैलफेयर सोसायटी, 91, सुभाष नगर, गली नं० 1 सी, मेरठ	1,17,000	हां
2.	गुरुनानक विकास धारा, 91, सुभाष नगर, गली नं० 1 सी, झलकारी नगर झांसी	1,62,000	नहीं
3.	पब्लिक वैलफेयर सोसायटी फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, पो०ओ० एंड विलेज जगतपुर, जिला मैनपुरी	1,30,500	हां

1	2	3	4
4.	समन्वित विकास एंव पर्यावरण संस्थान, कबीर मार्ग, लखनऊ	1,62,000	नहीं
5.	प्रताप सिंह सेवा संस्थान, लखनऊ	1,80,000	नहीं
6.	ग्राम विकास सेवा समिति, विलेज एंड पोस्ट आफिस बघोरा, मिर्जापुर	1,80,000	नहीं
7.	यू०पी० भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, बाराबंकी	2,50,000	हां
8.	नेवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, माह-बाग्ला, अमरोहा जे०पी० नगर	2,25,000	हां
9.	प्रगति सेवा निकेतन, रायबरेली	2,50,000	हां
10.	सोसल एजूकेशन वैलफेयर एसोसिएशन, मिर्जापुर	2,50,000	हां
11.	देहाती ग्रामोद्योग विकास समिति, हमीरपुर .	2,50,000	हां
12.	डा० राधाकृष्णन मेमोरियल एजूकेशनल सोसायटी, सबरी मिर्जापुर	1,44,000	हां
13.	शिव शक्ति ग्रामोद्योग संस्थान, गाजियाबाद	1,08,000	हां
14.	थारु जनजाति महिला विकास समिति, 638, आवास विकास कालोनी, गोण्डा	1,48,500	हां
15.	अवध सेवा संस्थान, प्रतापपुर, गोण्डा	1,75,500	नहीं
16.	ज्योति ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, ग्राम घौराहारा, सिंधौंरा, जिला मिर्जापुर	1,62,000	हां
17.	देहाती ग्रामोद्योग विकास समिति, 437, पश्चिमी टरौस, हमीरपुर	1,25,000	हां
18.	ग्रामोद्योग सेवा समिति, जिला मुबारकपुर, आजमगढ़	1,80,000	हां
19.	त्रिशूल सेवा संस्थान, 254 बंकी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	1,53,000	हां
20.	होमेज वैलफेयर सोसायटी, अनीता कॉटिज, 117/के०आर०एस०, पुरम, सर्वोदय नगर, कानपुर	1,35,000	नहीं

उत्तरांचल

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	के०ए०एफ०ए०एल० समिति, नैनीताल	2,50,000	हां
2.	बवानगढ़, लोक कल्याण एवं विकास परिषद, बंद विकास नगर, पोस्ट घाटपट्टीमल, बसोली, जिला चमोली	2,25,000	हां
3.	हिमालयन सोसायटी फॉर नेचर हैल्थ एजूकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट सोसायटी, जिला देहरादून	1,35,000	हां
4.	आई०आर०ए०एम०, 34, टैगोर विल्ला चकराता रोड, देहरादून	1,80,000	हां
5.	ओमजान विकास समिति, पिथौरागढ़	1,87,200	हां
6.	नागभूमि चेतना समिति, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़	1,80,000	हां
7.	वैलफेयर एसोसिएशन फॉर डाउनट्रोडेन, डीनापानी, अल्मोड़ा जिला	1,89,000	हां

पश्चिम बंगाल

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर्स एक्शन फोरम, 5/1, रेड क्रास प्लेस, कोलकाता।	1,85,000	हां
2.	इस्लामपुर रामकृष्णा पल्ली रूरल वैलफेयर सोसायटी, उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	1,62,000	हां
3.	कल्याणी नार्थ जयप्रकाश मेमोरियल डेवलपमेंट मिशन, नादिया।	1,48,500	हां
4.	प्रभुधा भारती शिसतीर्थ, कृष्णाप्रिया, पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	1,80,000	हां
5.	अलीनन रामकृष्ण विवेकानन्द युवा संघ, गांव व पो० अलीनन, जिला पूर्बा मेदिनीपुर	1,62,000	हां
6.	सी०ओ०एस०एम०ओ०एस०, बोस रोड, जलपायगुड़ी	2,50,000	हां
7.	बरबसुदेवपुर पूर्बा मेदिनीपुर	1,71,000	हां
8.	नूतनहट हास्पिटलपारा खादी उन्नयन समिति, गांव व पोस्ट नूतनहट, जिला बुरद्वान, पश्चिम बंगाल	1,48,000	हां
9.	मिदनापुर मधुसूदन नगर क्राफ्ट सेंटर, गांव एम०एम० नगर, जिला पश्चिम मिदनापुर	1,35,000	हां
10.	बगारिया रिलीफ वैलफेयर सोसायटी, 24 परगना	2,50,000	हां
11.	धारानिनगर रूरल डवलपमेंट सोसायटी, जिला बीरभान	1,25,000	हां
12.	वूमन्स इन्टरलिंक फाउण्डेशन, बीरभूम	2,50,000	हां

पाण्डिचेरी

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	दि सोसायटी फॉर सोसल जस्टिस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट	1,35,000	नहीं

वर्ष 2005-2006 के दौरान रिलीज किया गया अनुदान

असम

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	गरथापुरी कंज्यूमर काउंसिल, गुंटूर	2,50,000	देय नहीं
2.	नरसीपत्तनम कन्ज्यूमर अवेयरनेस सोसायटी, बी०सी० कालोनी, नरसीपत्तनम, विशाखापत्तनम	2,50,000	हां
3.	जगजीवन बालाचीरा वरेगा अभिरूचि संगम, वेमपल्ली, कुडप्पा	2,50,000	हां

1	2	3	4
4.	सलीम चर्च डवलपमेंट सोसायटी, श्रीनगर, गुंटूर	2,50,000	हां
5.	कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, विशाखापतनम	50,000	हां
6.	वूमेन एंड चिल्ड्रन डवलपमेंट सोसायटी, गुंटूर	80,000	देय नहीं
7.	सोसायटी फॉर हैल्पिंग एक्शन फॉर रूरल पूवर, नेमाली	50,000	हां

असम

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	ग्राम विकास परिषद, जिला नौगांव	2,50,000	देय नहीं

बिहार

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कौटिल्य इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक एडमिनिस्ट्रेशन, पटना	67,000	हां
2.	संज्ञा समिति, ईस्ट गांधी नगर, पटना	50,000	हां
3.	पीड़ित समाज कल्याण समिति, गया	50,000	हा

चंडीगढ़

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर फोरम, चंडीगढ़	2,50,000	देय नहीं

दिल्ली

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	बिन्टी, मकान सं० 4/9 (एफ०एफ०), किशन गढ़, पो०ओ० वसंत कुंज, नई दिल्ली	3,24,000	हां
2.	वॉयस सोसायटी, 441, जंगपुरा, नई दिल्ली	63,30,000	हां
3.	फॉरमेटिव रिसर्च एंड डवलपमेंट सर्विसेज, मालवीय नगर, दिल्ली	3,47,000	हां
4.	ग्लोबल एन्वायरमेंट एंड वैलफेयर सोसायटी, फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली	70,000	देय नहीं

गुजरात

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	राजकोट शहर जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल, 329, पोपटभाई, सोराथिया भवन, सदर बाजार, राजकोट	75,000	हां
2.	ग्राहक हित सुरक्षा मंडल, कोदीनार, जूनागढ़	1,00,000	देय नहीं

हरियाणा

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	सी०आई०आई०, कन्फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एन०आर०), सं० 249-एफ, सेक्टर-18, उद्योग विहार, फैज-IV, गुड़गांव	7,00,000	हां

कर्नाटक

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	बालकेदरा वैदिक उडपि, (कंज्यूमर फोरम), कारपोरेशन बैंक रोड, नार्थ स्कूल कम्पाउंड, उडपि	2,50,000	देय नहीं
2.	अक्कमाबादेवी महिला मंडल, बीदर	1,00,000	देय नहीं
3.	डिस्ट्रिक कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, कोप्पल	70,000	हां

झारखंड

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ कंज्यूमर्स, जमशेदपुर	1,00,000	देय नहीं

केरल

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	सेंटर ऑफ इंडियन कंज्यूमर प्रोटक्शन एंड रिसर्च (कोइनपर), त्रिवेन्द्रम	2,50,000	हां

मध्य प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सैटलमेंट एंड एनवायरमेंट, ई 5/4, ग्रीस कुंज अरेरा कालोनी, भोपाल	75,000	हां

1	2	3	4
2.	कैरियर मोटिवेशन सेंटर, सागर	19,500	हां
3.	क्षेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट एक्शन एंड स्टडीज, जबलपुर	40,500	नहीं
4.	आशुतोष समाज कल्याणकारी समिति मुरैना	1,00,000	देय नहीं
5.	वूमन कंज्यूमर प्रोटक्शन एसोसिएशन, मदुराई	15,000	नहीं

महाराष्ट्र

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई	10,000	हां

मणिपुर

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	रूरल वॉल्यूनरी सर्विसेज, वंगल मई लेकई, थाऊबल	2,50,000	हां
2.	मणिपुर बार्डर एरिया डवलपमेंट सोसायटी, ह्नपू बाजार, चन्देल	2,50,000	हां
3.	मणिपुर वूमेन कोआर्डिनेटिंग काउंसिल, चिल्ड्रन होम काम्पलेक्स, मणिपुर यूनिवर्सिटी के सामने, चंचीपुर, इम्फाल-75503	2,50,000	हां
4.	बैकवर्ड डवलपमेंट सर्विसेज, वेंगागिंग थाउबल डिस्ट्रिक-795118	75,000	हां
5.	मणिपुर रूरल सर्विसेज एसोसिएशन, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक-795001	2,50,000	हां
6.	ग्रीनलैंड डवलपमेंट आर्गनाइजेशन, सफोलबंद, तेजासपम, इम्फाल	2,50,000	हां

मिजोरम

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	मिजोरम कंज्यूमर यूनियन, आइजौल, ट्रेजरी स्क्वेयर, आइजौल	2,50,000	हां

उड़ीसा

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	प्रोजक्ट स्वराज, गणेश घाट, भाखड़ाबाद, कटक	2,50,000	हां
2.	काउंसिल फॉर ट्राइबल अर्बन एंड़ रूरल डवलपमेंट, भुवनेश्वर	1,76,000	नहीं

राजस्थान

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ
1.	कट्स, डी-217, भास्कर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर-302016	2,10,000	

तमिलनाडु

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ
1.	सिटिजन एंड कंज्यूमर सिविक एक्शन ग्रुप (सी०ए०जी०) नं० 8, चौथा स्ट्रीट, वेंटाटेश्वर नगर, अदयार नगर, चेन्नई	4,72,000	हां
2.	नुगावोर, उड़ीमाई पड्डुपु कज्जकम, पामकुडी, मदुरई, रामेश्वरम रोड, रामनाथपुरम	2,50,000	हां
3.	वूमेन कंज्यूमर प्रोटक्शसन एसोसिएशन, मुदरई	70,000	देय नहीं
4.	कोडल नगर कंज्यूमर प्रोटक्शन मूवमेंट, मदुरई	25,250	देय नहीं

उत्तरांचल

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति, ग्वादम, जिला चमोली	75,000	देय नहीं
2.	गंगा पर्वतीय लोक विकास संस्थान, गांव सराईखेत, तहसील भिक्यासैंण, जिला अल्मोड़ा	2,50,000	देय नहीं

उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1	2	3	4
1.	रावत शिक्षा समिति, चमर घाटी, जलेशर अड्डा, जिला हाथरस	1,75,000	हां
2.	ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान, गांव गडौना, पो० गोविन्दपुर, जिला बस्ती	1,75,000	हां
3.	दिग्गी निरबलोटन समिति, औरंगशानपुर, दिग्गी, मेरठ	2,50,000	हां
4.	द्वारका ग्रामोद्योग संस्थान, ब्रिज विहार, जी०टी० रोड, जिला अलीगढ़	2,50,000	हां
5.	भारत ज्योति, 46, डायमण्ड हर्बर, कबीर मार्ग, लखनऊ	15,000	हां
6.	जनता सेवा समिति, गांव पकडॉन पो० महसन, जिला बस्ती	2,50,000	हां
7.	मनीष सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव व पो० घिरोर, जिला मैनपुरी	2,50,000	देय नहीं
8.	इंटीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट सोसायटी, न्यू सिविल लाइन्स, हरदोई	2,50,000	देय नहीं

1	2	3	4
9.	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, गांव गडौना, पो० गोविन्दपुर, जिला बस्ती	75,000	देय नहीं
10.	नव जाग्रति सेवा संस्थान, 116, राधा नगर, बुलंदशहर	2,50,000	देय नहीं
11.	रावत शिक्षा समिति, जिला हाथरस	75,000	देय नहीं
12.	प्रगति सेवा निकेतन, 547, सत्य नगर, (आखों के अस्पताल के पीछे), सुपरिटेंडेंट पोस्ट आफिस के कार्यालय के पास, रायबरेली-229001	2,50,000	देय नहीं
13.	माधव मोहन समाज सेवा संस्थान, सूरज देवी नेत्र चिकित्सालय, सौरिख तिराहा, छिब्रामाऊ जिला कन्नौज	2,50,000	देय नहीं
14.	भारतीय समाज सुधार सेवा शिक्षा समिति, सिविल स्टेशन, कटरा, कचहरी, बस्ती	2,50,000	हां
15.	कंज्यूमर कोआर्डिनेशनल काउंसिल, एन०आई०टी०एस०, नौएडा	2,80,000	हां
16.	कंज्यूमर कोआर्डिनेशनल काउसिल, एन०आई०टी०एस०, नौएडा	32,52,529	हां
17.	कंज्यूमर कोआर्डिनेशनल काउसिल, एन०आई०टी०एस०, नौएडा	39,42,471	हां
18.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, स्थानीय शाखा, बरेली	50,000	देय नहीं
19.	इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड रिसर्च एंड डवलपमेंट, इन्दिरा नगर, लखनऊ	70,000	देय नहीं

पश्चिम बंगाल

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	नादिया जिला कंज्यूमर्स फोरम, पदिया बिल्डिंग, आर०एन० टैगोर रोड, जिला नादिया	1,75,000	हां
2.	नादिया जिला कंज्यूमर्स फोरम, पदिया बिल्डिंग, आर०एन० टैगोर रोड, जिला नादिया	75,000	देय नहीं
3.	हुगली जिला क्रेता सुरक्षा समिति, चिनसूरड, जिला हुगली	2,50,000	हां
4.	पोर्ट एरिया कंज्यूमर एसोसिएशन, दुवा, 71/1 सी, डायमण्ड हारबर रोड, किदरपुर, कोलकाता	2,50,000	देय नहीं

पाण्डिचेरी

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाण्डिचेरी, एम०आई०जी०-15, अययनकुट्टीपलयन, पाण्डिचेरी	2,50,000	हां
2.	कंज्यूमर एसौसिएशन ऑफ पाण्डिचेरी, एम०आई०जी०-15, अययनकुट्टीपलयन, पाण्डिचेरी	1,00,000	देय नहीं

वर्ष 2006-2007 के दौरान रिलीज किया गया अनुदान (28 फरवरी, 07 तक)

आंध्र प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	श्री साई सोशल आर्गनाइजेशन, गुंटूर	50,000	देय नहीं
2.	रूरल एक्शन एंड कम्प्रीहेंसिव एलाइटमेंट प्रकाशन	50,000	देय नहीं
3.	अरुन्धती हरिजन महिला मंडली प्रकाशन	1,00,000	देय नहीं
4.	उषा श्री महिला मंडली, गुंटूर	90,270	देय नहीं

बिहार

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	शंकरसन, पटना	1,00,000	देय नहीं

उड़ीसा

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	नारी मंगल महिला समिति, पंचुपल्ला, पो० ग्वालिपडा, जिला पुरी	2,50,000	देय नहीं
2.	नारी चेतना महिला इंस्टीट्यूट, एम/1, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ढेनकनाल जिला	2,50,000	देय नहीं
3.	बस्ती एरिया डवलपमेंट काउंसिल, जिला बालासोर	75,000	देय नहीं
4.	नेशनल पीस यूनिसन इंडिया, बोलांगीर	99,000	देय नहीं

उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	जागृति, अष्टभुज नगर, जिला प्रतापगढ़	2,50,000	देय नहीं
2.	चन्द्र शिक्षा समिति, 629-ए खरका रोड, जौनपुर	2,50,000	देय नहीं
3.	विंध्या ग्रामोद्योग संस्था, भरहून गांव, मिर्जापुर	2,50,000	देय नहीं
4.	ग्रामीण कृषि पशुधन एवं उडयन विकास संस्थान, 103/113, सुन्दर बाग, लखनऊ	2,50,000	देय नहीं
5.	अखिल भारतीय बृज कल्याण संस्था, 44/1, कृष्णापुरी, मथुरा	2,50,000	देय नहीं
6.	भारतीय ज्ञान वीथिका, 21/1013, इन्दिरा नगर, लखनऊ	2,50,000	देय नहीं
7.	इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल डवलपमेंट, वाराणसी	78,250	देय नहीं
8.	भारतीय महिला कल्याण समिति, फैजाबाद	1,00,000	देय नहीं

झारखण्ड

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	श्री नरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट, जे सी मलीहा रोड, धनबाद	2,50,000	देय नहीं

मध्य प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर एंड सिविक राइट्स एसोसिएशन, हनुमान चौराहा, जनक गंज, लश्कर, ग्वालियर	75,000	देय नहीं
2.	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार समिति, 236, मधुकर शाह वार्ड, सागर	2,50,000	देय नहीं
3.	श्री कृष्ण शिक्षा प्रसाद समिति, 64-ए, अम्बेडकर नगर, भोपाल	2,50,000	देय नहीं

मध्य प्रदेश

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	जाग्रत ग्राहक मण्डल, पटन	2,50,000	देय नहीं
2.	गुजरात स्टेट रचनात्मक कार्यकर संघ, गोधरा	2,50,000	देय नहीं

मणिपुर

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	एस०सी०/एस०टी० वूमेन एंड चिल्ड्रन डवलपमेंट आर्गनाइजेशन इन रूरल एरिया, थाऊबल	75,000	देय नहीं
2.	रिसोर्स सेंटर फॉर सोशल वैलफेयर एंड कम्यूनिटी डवलपमेंट, चण्डेल	75,000	देय नहीं

कर्नाटक

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	श्री बसावेश्वर रूरल डवलपमेंट ट्रस्ट, गुलबर्गा	2,50,000	देय नहीं
2.	जयन्ती ग्राम वूमेन एंड चिल्ड्रन एसोसिएशन, बीजापुर	2,50,000	देय नही

नागालैण्ड

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	नागालैण्ड ट्राइबल रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन, ओल्ड डेयरी फार्म रोड, दीमापुर	2,50,000	देय नहीं

पश्चिम बंगाल

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	वूमेन्स इंटरलिंक फाउंडेशन, लालकोठी पडा, पो० सूरी, जिला बीरभूम	2,50,000	देय नहीं
2.	कोसमोस, कोसमोस हाऊस, 24, बोस पारा रोड, मोहित कालोनी, कोलकाता	2,50,000	देय नहीं

दिल्ली

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	वॉयस, 441, जंगपुरा एक्सटेंशन, मथुरा रोड़, दिल्ली-14	4,21,860	देय नहीं
2.	वॉयस, 441, जंगपुरा एक्सटेंशन, मथुरा रोड़, दिल्ली-14	5,0,000	देय नहीं
3.	वॉयस, सोसायटी 441, जंगपुरा एक्सटेंशन, मथुरा रोड़, दिल्ली-14	62,00,000	देय नहीं
4.	फिक्की, फेडरेशन हाऊस, नई दिल्ली	50,00,00	देय नहीं

महाराष्ट्र

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	लोक कल्याण शिक्षा संस्थान, गोंडिया	2,50,000	देय नहीं

तमिलनाडु

क्रम संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए में)	क्या उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ
1.	कंज्यूमर राइट्स प्रोटक्शन काउंसिल, मदुरई	2,50,000	देय नहीं

लक्षद्वीप में मत्स्यन का विकास

1757. **डा० पी०पी०कोया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्षद्वीप में मत्स्यन क्षेत्र के विकास हेतु कोई दीर्घकालिक संदर्शी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अगले पांच वर्षों हेतु प्रस्तावित दीर्घकालिक योजना में अनुमानित रोजगार क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान द्वीपों में कुल कितने मछली उतराई केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(घ) द्वीपों में मछली उतराई केन्द्रों की स्थिति को सुधारने की क्या योजना है;

(ङ) क्या द्वीपों में कोई समुद्री विकास केन्द्र है जिसके पास बहुत अधिक समुद्री जल क्षेत्र हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी. हां। लक्षद्वीप संघ शासित प्रशासन ने तीन चरणों में क्रियान्वित की जाने वाली अगले दस वर्षों के लिए लक्षद्वीप में मात्स्यिकी विकास के लिए एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करवा ली है।

(ख) परिप्रेक्ष्य योजना में मत्स्यन उत्पादन में वृद्धि करके, अत्यधिक मत्स्यन जलयानों, गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों, मालदीवियन किस्म के पोल एवं लाइन मत्स्यन जलयानों को शामिल करके स्वरोजगार सृजन एवं सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, ईंजनों, आउट बोर्ड मोटरों, नौचालन उपकरणों की आपूर्ति, आइस संयंत्रों/प्रशीतन भंडारों की स्थापना,

प्रशीतन श्रृंखला को विकसित करने के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों, मानव संसाधन विकास, मछुआरा सहकारी समितियों की स्थापना करने, मदर जलयान/कलेक्टर जलयान, मछली पालन आदि को शामिल करके मात्स्यिकी क्षेत्र में समग्र विकास पर विचार किया गया है। 11वीं योजना अगले पांच वर्षों के दौरान 1643 रोजगार अवसरों का सृजन करेगी।

(ग) इस समय लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश में 11 मछली उतारने वाले केन्द्र काम कर रहे हैं।

(घ) संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रत्येक द्वीप समूह में एक मछली बाजार का निर्माण करके मछली उतारने वाले केन्द्रों के सुधार पर विचार किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्यन अनुसंधान संस्थान

1758. **श्री आलोक कुमार मेहता :**
डा० के० धनराजू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नई मत्स्यन प्रौद्योगिकी के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने हेतु मत्स्यन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये संस्थान राज्य-वार किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ग) अब तक विशेषकर समुद्र तटीय राज्यों में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और अधिक संस्थान स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। नई प्रौद्योगिकियों के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने हेतु मात्स्यिकी के लिए कोई अलग से अनुसंधान संस्थान स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, महिलाओं को अंत:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी, समुद्री प्रग्रहण मात्स्यिकी, जलजीव पालन, समुद्री जलजीव पालन, जाल बनाना तथा जाल मरम्मत, मत्स्य प्रसंस्करण, उत्पाद विकास एवं गुणवत्ता नियंत्रण में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2003-2006) तटवर्ती राज्यों में मात्स्यिकी में अनेक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

केरल-656; तमिलनाडु-1150; पश्चिम बंगाल-187; महाराष्ट्र-472; उड़ीसा-1750; आन्ध्र प्रदेश-273; गुजरात-37; लक्षद्वीप-24

इसके अलावा, दसवीं योजनावधि के दौरान तटवर्ती राज्यों अर्थात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गुजरात में तटवर्ती जलजीव पालन, समुद्री जलजीव पालन तथा समुद्री मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर 7570 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भिलाई इस्पात संयंत्र का लाभ/घाटा

1759. **श्री मित्रसेन यादव :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) द्वारा किये गए उत्पादन तथा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र को हाल ही के वर्षों में घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अखिलेश दास) : (क) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के 9 महीनों के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा अर्जित कर-पूर्व लाभ (पी०बी०टी०) नीचे दिया गया है:

वर्ष	उत्पादन (हजार टन) विक्रेय इस्पात	कर-पूर्व लाभ (पीबीटी (करोड़ रुपए)
2003-04	4091	1932
2004-05	3935	4042
2005-06	4286	2781
2006-07 (9 माह)	3133	3049

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-बीज संघटक

1760. **श्री सुभाष महरिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य स्तरीय समिति को गैर-बीज संघटक धनराशि के अन्यत्र उपयोग हेतु दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या इन समितियों को बीज संघटक धनराशि के उपयोग में नहीं लाए गए भाग को किसी अन्य संघटक हेतु उपयोग में लाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में इन दिशानिर्देशों में परिवर्तन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) भारत सरकार देश के मुख्य राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित "समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम" (आईसोपोम) क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयक राज्यों को गैर-बीज घटकों हेतु आबंटन के 20% तक निधियों के अंत: घटकीय व्यावर्तन हेतु लचीलापन प्रदान किया गया है। साथ ही राज्य केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बीज घटक से गैर-बीज घटक में निधियों का उपयोग कर सकते हैं। आईसोपाम के अधीन गठित राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति की सिफारिश पर राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय सरकार आईसोपाम के बीज घटक से अन्य बीज घटकों में मामला दर मामला निधि व्यावर्तन की अनुमति दे रही है।

कुक्कुट पालन करने वाले किसानों की समस्याएं

1761. **श्री एस०के० खारवेंथन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुक्कुट पालन करने वाले किसानों ने उनके द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान पर ब्याज सहायता और ऋण स्थगन हेतु और समय की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। मांग पर विचार किया गया तथा उसे बिना पर्याप्त योग्यता के पाया गया।

गेहूं की खरीद

1762. **श्री जुएल ओराम :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रबी के आगामी मौसम के दौरान गेहूं की खरीद में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में इस समय खरीद की जा रही है तथा अब तक कितनी मात्रा में खरीद की गई है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान निजी कंपनियों द्वारा अत्यधिक खरीद के कारण गेहूं की खरीद में कमी के मद्देनजर क्या सरकार का विचार देश में निजी कंपनियों द्वारा गेहूं की खरीद पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) आगामी रबी विपणन मौसम 2007-08 के दौरान गेहूं की पर्याप्त वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) रबी विपणन मौसम 2007-08 में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की वसूली किसी भी गेहूं उत्पादक राज्य में अभी तक शुरू नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में यह 15 मार्च, 2007 से शुरू होगी जबकि अधिकांश अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में यह 1 अप्रैल, 2007 से शुरू होगी।

(ग) और (घ) देश में गेहूं की वसूली करने के संबंध में प्राइवेट व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 1.3.2007 को "गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2007" नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में यह व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति या 2007-08 के दौरान 50,000 टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को कंपनी का नाम/पता,

खरीदी गई गेहूं की मात्रा और रखे गए गेहूं के स्टाक की मात्रा बताते हुए एक रिटर्न भरेगा।

उपभोक्ता मामले विभाग ने भी 27.2.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर (लाइसेंसिंग अपेक्षा, स्टाक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाना (संशोधन) आदेश, 2007 नामक अधिसूचना जारी करके गेहूं और दालों पर स्टाक रखने की सीमा लागू करने के लिए राज्यों को दी गई ढील की वैधता अवधि 31 अगस्त, 2007 तक बढ़ाई है।

विवरण

रबी विपणन मौसम 2007-08 में पर्याप्त वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(क) रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 750 रुपये प्रति क्विंटल है जो रबी विपणन मौसम 2006-07 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

(ख) कृषि और सहकारिता विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, फसल वर्ष 2006-07 में गेहूं का अनुमानित उत्पादन 72.5 मिलियन टन होने की संभावना है जबकि फसल वर्ष 2005-06 में 69.35 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।

(ग) 2006-07 में 55 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार हुआ है; और रबी विपणन मौसम 2007-08 के शुरू में गेहूं का स्टाक 40 लाख टन के बफर मानदंड से अधिक होगा।

(घ) 31.12.2007 तक गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(ङ) बाजार मूल्यों पर संयतकारी प्रभाव डालने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन 4 लाख टन गेहूं रिलीज किया गया है।

(च) सरकार गेहूं के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कड़ी नजर रख रही है।

(छ) गेहूं की वसूली करने वाले राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ 12.2.2007 को हुई बैठक के दौरान यह पुष्टि की गई है कि राज्य एजेंसियों तथा भारतीय खाद्य निगम दोनों द्वारा रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए गेहूं की वसूली हेतु सभी अग्रिम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

(ज) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 1.3.2007 को "गेहूं (कंपनियों अथववा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश, 2007" नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में यह व्यवस्था है कि कोई भी कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2007-08 के दौरान 50,000 टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह केन्द्र सरकार को कंपनी का नाम/पता, खरीदी गई गेहूं की मात्रा और रखे गए गेहूं के स्टाक की मात्रा बताते हुए एक रिटर्न भरेगा।

(झ) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन विशिष्ट खाद्य पदार्थ पर (लाइसेंसिंग अपेक्षा, स्टाक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाना (संशोधन) आदेश, 2007 नामक अधिसूचना जारी करके गेहूं और दालों पर स्टाक रखने की सीमा लागू करने के लिए राज्यों को दी गई ढील की वैधता अवधि 31 अगस्त, 2007 तक बढ़ाई है।

सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता

1763. **श्रीमती सुशीला बंगारु लक्ष्मण :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से राज्य सूखे से प्रभावित हुए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता मांगी गई तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से विभिन्न राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता और मुहैया की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	मांग	निर्मुक्त राशि
1	2	3
2003-04 का सूखा		
आन्ध्र प्रदेश	859.88	50.58

1	2	3
कर्नाटक	1881.55	298.16
केरल	3847.00 #	106.00
महाराष्ट्र	1715.00	250.69
तमिलनाडु	2283.73	173.35
उत्तरांचल	411.87	–
2004-05 का सूखा		
आन्ध्र प्रदेश	1199.68	40.01
बिहार	2312.48	162.15
छत्तीसगढ़	604.96	52.74
झारखंड	928.12	–
कर्नाटक	1147.72	49.14
मध्य प्रदेश	724.88	1.70
महाराष्ट्र	988.37	103.07 @
राजस्थान	2378.64	216.79
तमिलनाडु	1910.58	117.27
उत्तर प्रदेश	7226.10	192.10
2005-06 का सूखा		
हिमाचल प्रदेश	377.00	–
झारखण्ड	880.70	–
राजस्थान	1544.63	–
उत्तरांचल	287.80	7.06

#कृषि क्षेत्र के सक्रियकरण के लिए अनुमानित आवश्यकता

@सूखे/ओलावृष्टि के लिए

आर०एस०पी० का ग्रामीण वितरण केन्द्र

1764. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा देश में विशेषकर उड़ीसा में ग्रामीण वितरण केन्द्र की स्थापना की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अखिलेश दास) : (क) और (ख) इस समय, राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा ग्रामीण वितरण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पूरे देश में आम उपयोग के अच्छी गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेल डीलर नियुक्त करने की दृष्टि से सेल में इसके डीलर नेटवर्क का विस्तार करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके एक भाग के रूप में सेल ने उड़ीसा के 30 जिलों में से 27 जिलों में 38 डीलरों को नियुक्त किया है।

ग्रेट इंडियन बसटर्ड का प्रजनन

1765. **श्री किन्जरपु येरननायडू** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार का अत्यधिक संकटापन्न 'ग्रेट इंडियन बसटर्ड' के रक्षित प्रजनन (कैप्टिव ब्रीडिंग) का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मरीन कल्चर को बढ़ावा

1766. **श्री डा० के०एस० मनोज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मरीन कल्चर को बढ़ावा देने हेतु ओशेनेरियम के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध

1767. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पाद और दूध के पाउडर के मूल्य बढ़ने के पश्चात् उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में कंपनी वार कितनी मात्रा में दुग्ध उत्पादों विशेषकर केसिन का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) आज की तीरख तक केसिन का निर्यात करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर कब तक प्रतिबंध लगा दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां। कृषि उत्पाद की कुछ मदों तथा दुग्ध पाउडर की कीमतों में वृद्धि के बाद उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल दुग्ध उत्पादों का निर्यात तथा मात्रा एवं कीमत के संबंध में केसिन के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, कंपनीवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) विदेश व्यापार नीति के अनुसार, केसिन मुक्त रूप से निर्यात होने वाली वस्तु है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान
दुग्ध उत्पादों तथा केसिन का निर्यात

(मात्रा मीट्रिक टन में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 अप्रैल-जून
केसिन को छोड़कर कुल दुग्ध उत्पाद	8918.38	42160.06	59745.73	लागू नहीं
कुल केसिन निर्यात	4223.32	9791.78	10903	745.8

कीमत करोड़ रुपए में

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 अप्रैल-जून
केसिन को छोड़कर कुल दुग्ध उत्पाद	87.11	358.69	552.28	107.57
कुल केसिन निर्यात	76.83	233.36	281.87	18.48

नकली कीटनाशक

1768. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री शिशुपाल एन० पटले :
श्री मो० ताहिर :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री देविदास पिंगले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को नकली/खराब स्तर के अपमिश्रित कीटनाशक प्राप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् इस प्रकार के मामले सामने आए हैं;

(ग) क्या सरकार देश में घटिया कीटनाशकों की बिक्री पर कोई रोक लगाती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कीटनाशकों के कितने नमूने एकत्र किए गए तथा उनका विश्लेषण किया गया और राज्यवार उनमें से कितने नमूनों को घटिया स्तर का पाया गया;

(ङ) क्या सरकार ने इन घटिया कीटनाशकों का उत्पादन करने वाली कंपनियों की पहचान कर ली है;

(च) यदि हां, तो ऐसे विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) किसानों को समय पर स्तरीय कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनकि वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों

के अंतर्गत कीट नाशकों का विनिर्माण और उपयोग विनियमित करती है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधीन गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशकों का पंजीकरण उनकी कार्यक्षमता तथा सुरक्षा के संबंध में संतुष्टि करने के बाद ही करती है। राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषित कीटनाशक नमूनों का लगभग 3.5% गलत ब्रांड लगा पाया जाता है। राज्य सरकारें पंजीकृत कीटनाशकों के निर्माण, गुणवत्ता और बिक्री को विनियमित करती हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान, हरयाणा राज्य में 2735 हैक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल नकली खरपतवार नाशी के उपयोग के कारण क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है।

(ग) कीटनाशक निरीक्षकों, कीटनाशक विश्लेषकों और कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं के एक तन्त्र में माध्यम से कीटनाशक नमूनों के नियमित आहरण और विश्लेषण के जरिए राज्य सरकारों द्वारा कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नकली तथा घटिया कीटनाशकों के विनिर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध राज्यों द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (एस०पी०टी०एल०) और क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (आर०पी०टी०एल०) में विश्लेषित और गलत ब्रांड लगे कीटनाशकों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ङ) और (च) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार गलत ब्रांड लगे कीटनाशकों के विनिर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(छ) सरकार समेकित कृमि प्रबंधन (आई०पी०एम०) की अपनी नीति के माध्यम से कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग का संवर्धन करती है। कीटनाशक अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशकों का पंजीकरण उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा के बारे में संतुष्टि किए जाने के बाद ही करती है। पंजीकरण समिति ने बायो-कीटनाशकों के संबंध में विशेषकर कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। भारत सरकार कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार समय-समय पर नियमित समीक्षा के माध्यम से राज्यों में कीटनाशियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं (एस०पीट०एल०) में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कीटनाशक नमूनों के विश्लेषण के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

क्रम	राज्य/संघ शसित क्षेत्र का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
		विश्लेषित नमूनों की संख्या	गलत ब्रांड के नमूनों की संख्या (%)	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गलत ब्रांड के नमूनों की संख्या (%)	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गलत ब्रांड के नमूनों की संख्या (%)	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गलत ब्रांड के नमूनों की संख्या (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	4277	68(1.59)	5012	90(1.8)	6425	147(2.28)	6374	109(1.71)
2.	असम	19	0	11	0	8	0	83	0
3.	गुजरात	2271	117(5.15)	1593	81(5.08)	2608	67(2.56)	2695	83(3.15)
4.	हरियाणा	1765	157(8.89)	1699	133(7.8)	1587	150(0.94)	1490	142(9.53)
5.	हिमाचल प्रदेश	26	0	100	0	170	11(6.47)	158	3(1.89)
6.	जम्मू और कश्मीर	380	26(6.84)	NR	NR	292	11(3.76)	596	38(6.38)
7.	कर्नाटक	4496	95(2.11)	3056	58(1.89)	4775	78(1.64)	4866	86(1.76)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	केरल	1235	2(0.16)	1539	10(0.65)	1449	13(0.89)	1372	27(1.96)
9.	मध्य प्रदेश	9	93(12.95)	868	107(12.30)	799	59(7.38)	1215	73(6.0)
10.	महाराष्ट्र	3386	181(5.35)	4269	161(3.77)	3081	106(3.44)	4331	62(143)
11.	मणिपुर	—	—	21	0	41	0	21	0
12.	उड़ीसा	763	0	774	0	900	1(0.11)	960	1(0.10)
13.	पांडिचेरी	450	4(0.89)	400	3(0.75)	350	0	370	0
14.	पंजाब	4005	150(3.75)	3930	202(5.1)	3993	132(3.3)	3614	115(3.15)
15.	राजस्थान	1411	113(8.00)	1306	85(6.50)	905	92(10.16)	1471	195(13.2)
16.	तमिलनाडु	16260	71(0.44)	12917	78(0.60)	10214	59(0.57)	13963	106(0.78)
17.	उत्तर प्रदेश	2578	474(18.39)	2415	431(17.80)	2676	489(18.27)	2999	412(13.73)
18.	पश्चिम बंगाल	264	7(2.65)	264	7(2.65)	344	26(7.55)	535	22(4.1)
	कुल योग	43595	1558(3.57)	40174	1446(3.59)	40617	1441(3.54)	47113	1476(3.13)

विवरण-II

गत चार वर्षों के दौरान क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं (आरपीटीएल) में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कीटनाशक नमूनों के विश्लेषण के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

क्रम	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002-03 नमूनों की संख्या		2003-04 नमूनों की संख्या		2004-05 नमूनों की संख्या		2005-06 नमूनों की संख्या (जनवरी, 2006 तक)	
		विश्लेषित	गलत ब्रांड वाले	विश्लेषित	गलत ब्रांड वाले	विश्लेषित	गलत ब्रांड वाले	विश्लेषित	गलत ब्रांड वाले
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	70	14(20.0)	121	18(14.87)	213	20(9.38)	384	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	8	3(37.5)	17	2
3.	असम	3	—	—	—	5	1(20.0)	4	1
4.	बिहार	7	—	20	6(30.0)	9	1(11.1)	83	15
5.	चंडीगढ़	—	—	4	2(50.0)	1	—	—	—
6.	छत्तीसगढ़	104	23(22.1)	179	24(13.40)	337	39(11.57)	640	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	दिल्ली	131	16(12.21)	60	11(18.33)	42	2(4.76)	55	6
8.	गुजरात	51	13(25.49)	36	4(11.11)	43	5(11.6)	40	8
9.	गोवा	24	5(20.85)	2	–	6	1(16.66)	2	–
10.	हरियाणा	153	46(30.06)	249	23(9.23)	230	35(15.21)	278	23
11.	हिमाचल प्रदेश	18	3(16.66)	19	2(10.52)	18	2(11.1)	44	5
12.	जम्मू और कश्मीर	47	8(17.02)	91	9(9.98)	82	10(12.2)	139	17
13.	झारखंड	–	–	2	(50.0)	65	16(24.6)	7	–
14.	मध्य प्रदेश	464	147(31.68)	475	102(21.47)	713	144(20.1)	940	203
15.	महाराष्ट्र	1	–	2	1(50.0)	–	–	2	–
16.	मेघालय	17	1(5.88)	4	1(25.0)	–	–	11	1
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैंड	1	–	5	–	8	3(37.5)	–	–
19.	उड़ीसा	20	2(10.00)	20	1(50.0)	7	–	22	2
20.	पंजाब	102	10(9.80)	122	15(12.29)	119	14(11.76)	83	13
21.	पांडिचेरी	11	3(27.22)	12	4(33.33)	1	–	6	1
22.	राजस्थान	77	13(16.88)	46	5(10.86)	35	10(28.57)	57	8
23.	तमिलनाडु	2	1(50.0)	10	–	12	1(8.33)	7	1
24.	त्रिपुरा	39	1(2.56)	29	5(17.24)	15	–	5	–
25.	उत्तरांचल	114	24(21.05)	169	33(19.52)	150	19(12.66)	204	21
26.	उत्तर प्रदेश	5	3(60.0)	9	–	1	–	10	3
27.	पश्चिम बंगाल	77	16(20.77)	116	22(18.96)	50	7(14.0)	92	10
28.	सीआईआई	229	48(20.96)	112	15(13.39)	97	21(21.64)	232	16
29.	विविध	2	–	8	2(25.0)	5	–	–	–
	कुल	1771	397(22.26)	1922	306(15.57)	2272	354(15.51)	3403	533

विवरण-III

कीटनाशकों का गुणवत्ता नियंत्रण

2002-03 से 2006-07 के दौरान राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई के आंकड़े

क्रम सं०	राज्य	कीटनाशक लाइसेंस की संख्या									
		निलम्बित					निरस्त				
		02-03	03-04	04-05	05-06	06-07*	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07*
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	18	22	9	3	167	=	52	343	—
2.	असम	64	58	—	=	=	—	—	—	=	=
3.	छत्तीसगढ़	—	6	—	=	=	—	—	—	=	=
4.	गोवा	=	=	=	=	3	=	=	=	=	=
5.	गुजरात	2	—	35	2	—	166	18	43	9	39
6.	हरियाणा	—	—	10	10	=	1	—	2	11	—
7.	हिमाचल प्रदेश	=	=	—	2	=	=	=	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	=	=	=	=	=	=	=	—	=	=
9.	कर्नाटक	—	—	70	78	57	—	—	—	62	6
10.	केरल	—	—	—	=	2	—	—	=	—	=
11.	मध्य प्रदेश	78	=	—	73	52	—	=	—	—	2
12.	महाराष्ट्र	22	14	8	60	6	9	3	326	833	749
13.	पंजाब	—	1	—	—	—	150	47	141	115	65
14.	राजस्थान	—	1	—	195	16	—	—	—	3	=
15.	तमिलनाडु	46	58	59	21	—	—	—	—	—	—
16.	उत्तर प्रदेश	—	—	3	27	19	—	—	25	788	257
17.	उत्तरांचल	—	—	—	=	=	—	—	—	—	=
18.	पश्चिम बंगाल	2	1	26	22	—	—	—	22	—	=
19.	दिल्ली	—	—	5	=	=	2	—	—	=	=
20.	पांडिचेरी	4	3	2	0	0	2	2	2	0	0

*06-07 के आंकड़े जनवरी 07 तक

= सूचित नहीं

अभियोजनों की संख्या														
आरंभ किए गए					प्राप्त निर्णय					दोषी पाए गए				
02-03	03-04	04-05	05-06	06-07*	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07*	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07*
8	=	28	5	—	3	=	3	3	—	3	=	7	3	3
7	20	—	=	=	7	19	—	=	=	6	13	—	=	=
—	—	—	=	=	—	—	—	=	=	—	—	—	=	=
=	=	=	3	—	=	=	=	=	=	=	=	7	=	=
49	29	32	90	18	5	—	21	19	3	2	—	6	10	3
156	56	105	142	125	—	—	3	11	—	—	—	—	—	—
=	=	—	=	—	=	=	—	=	—	—	—	—	—	—
72	=	4	=	5	=	=	=	=	1	=	=	=	=	=
6	—	8	8	0	=	=	—	=	=	=	=	—	=	=
—	—	—	=	=	—	—	—	=	=	—	—	—	=	=
—	=	—	—	—	—	=	=	=	—	—	=	—	=	=
28	2	6	48	87	—	0	0	=	=	—	0	0	0	=
60	47	67	92	36	—	—	—	=	=	2	—	—	=	=
—	60	9	66	14	—	—	—	=	=	—	—	—	74	=
11	20	3	10	1	8	19	1	5	=	6	13	—	5	=
246	332	455	340	299	182	77	224	468	165	—	—	96	232	104
6	10	12	2	=	—	—	—	—	=	—	—	—	—	=
4	15	3	22	=	—	—	3	—	=	—	—	—	=	=
78	—	—	=	=	—	—	—	=	=	—	—	—	=	=
—	—	5	0	0	—	—	—	—	=	—	—	—	0	=

*06-07 के आंकड़े जनवरी 07 तक

= सूचित नहीं

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एफ०सी०आई० का सम्मेलन

1769. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य एवं कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका पर बल देते हुए हाल ही में एक पांच दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वालों का संगठनवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें पारित किए गए संकल्पों का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय भण्डारण निगम और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से, एशिया और प्रशांत में खाद्य और कृषि विपणन एसोसिएशन की जो भारत में खाद्य और कृषि संगठन की एक एजेंसी है, 26 से 30 सितम्बर, 2005 तक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की थी। कार्यशाला का विषय ''एशिया में खाद्य और कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग'' था। प्रतिभागियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) कार्यशाला में पारित संकल्प, निकले गए निष्कर्ष और की गई सिफारिशें विवरण-II में दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम ने अपने कार्यकरण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कई पग उठाए हैं। इसके पास एक यूजर फ्रेन्डली वैबसाइट है जिसे www.fciweb.nic.in पर देखा जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एकीकृत सचूना प्रणाली की परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य किसी भी समय किसी भी डिपु में स्टॉक स्थिति देने के लिए एक ''ऑन लाइन एम०आई०एस०'' स्थापित करना है। इस परियोजना के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया है ताकि विशेषरूप से उन राज्यों को जहां विकेन्द्रीकृत वसूली/वितरण प्रणाली अपनाई गई है, 'राज्य एजेंसी कंप्यूटरीकरण' में शामिल किया जा सके। इस परियोजना में सभी 891 स्थानों के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति कर दी गई है और 877 डिपुओं में अधिष्ठापन का काम पूरा हो चुका है।

विवरण-I

प्रतिभागियों की सूची

क्र० सं०	प्रतिभागी का नाम	देश का नाम	संगठन का नाम
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	सुन्दर राज शर्मा	नेपाल	नेपाल फूड कारपोरेशन
2.	मुकुल राज सत्याल	नेपाल	एएफएमए
3.	अहाडीह मो० खैरी	मलेशिया	फेडरल एग्रीक्लचरल मार्किटिंग आथारिटी
4.	फ्रैंकी डाविन	मलेशिया	-वही-
5.	मो० इस्मत	इंडोनेशिया	बुलोग
6.	अगुज दवी इनीअरतो	इंडोनेशिया	युलोग
7.	नेल्सन सी० ब्यूनीफ्लोर	फिलीपीन्स	क्वेडनकोर
8.	डब्ल्यू०डी० गुनीटीलेक	श्रीलंका	फूड डिपार्टमेंट
९.	नलिन मुनासिंघे	श्रीलंका	एफएओ

1	2	3	4
10.	राल्फ हाऊटमैन	थाइलैंड	एफएओ-बैंकांक
11.	टाउ अनुग मुइंत	म्यांमार	एमएपीटी
12.	पार्क जेई मिन	दक्षिण कोरिया	एनएसीई
13	जी०एच० धनकड़	भारत	एएफएमए- सलाहकार
14.	जी०के० मोटाबार लोसियन	बंगलादेश	खाद्य और वितरण प्रबंध मंत्रालय
15.	पी०पी० सिंह	भारत	केन्द्रीय भण्डारण निगम
16.	शेर जगजीत सिंह	भारत	केन्द्रीय भण्डारण निगम
17.	आई०सी० चड्ढा	भारत	केन्द्रीय भण्डारण निगम
18.	असित सिंह	भारत	भारतीय खाद्य निगम.
19.	असीम कुमार चक्रवर्ती	भारत	एनसीडीसी

विवरण-II

एशिया में खाद्य और कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर 26-30 सितम्बर, 2005 को अशोका होटल, नई दिल्ली, भारत में हुई एफ०ए०ओ०/ए०एफ०एम०ए०/ भारत क्षेत्रीय कार्यशाला

एशिया में खाद्य और कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एफ०ए०ओ०/ए०एफ०एम०ए०/भारत क्षेत्रीय कार्यशाला 26-30 सितम्बर, 2005 को अशोका होटल, डिप्लोमेटिक एन्कलेव, 50बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी।

9 देशों से 12 सदस्य एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में 4 तकनीकी कागजातों और 9 देशों की रिपोर्टों पर चर्चा की गई। इसने कृषि विपणन प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भारत में आईटीसी (प्राइवेट सेक्टर) की पहलों को देखने के लिए मथुरा और आगरा का फील्ड दौरा भी किया।

कार्यशाला में निम्नलिखित निष्कर्ष निकले और सिफारिशें की गईः—

1. उदारीकृत बाजार काल में सरकारी क्षेत्र की खाद्य और कृषि विपणन प्रणाली की प्रमुख भूमिका सेवादाता के रूप में विकास को बढ़ाने का फ्रेमवर्क प्रदान करने की है न कि नियंत्रक/नियामक की। प्राइवेट क्षेत्र के व्यापारियों को बाजार का व्यावसायिक प्रबंधन प्रदान करके अधिक विकासशील भूमिका निभानी चाहिए।

2. सूचना प्रौद्योगिकी की अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों को निम्नलिखित में शिक्षित करने में प्रमुख भूमिका है:

   - खाद्य और कृषि वस्तुओं का मानकीकरण और ग्रेडिंग ताकि ई-ट्रेडिंग/वाणिज्य की सुविधा हो सके।
   - खाद्य और कृषि वस्तुओं का संचलन और प्रवाह पैटर्न ताकि मैक्रो/माइक्रो स्तर पर विपणन करने के संबंध में निर्णय लिए जा सकें।
   - घरेलू तथा आयात सहित निर्यात बाजारों के लिए प्रमाणीकरण, प्रणाली/विनिर्दिष्टियां।
   - विभिन्न खाद्य और कृषि वस्तुओं के लिए देशी तथा विदेशी बाजारों हेतु खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मुद्दे।
   - कृषि उत्पादों का विशेष रूप से निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी क्रेताओं हेतु जैविक खेती/उत्पादन दस्तावेजीकरण और खोज।

3. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों, संसाधकों और परिवहन कर्ताओं को अपेक्षित भंडारण सूचना में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इसका पता लगा सके। अनुसंधान और विकास संस्थानों को अपने निष्कर्ष इलैक्ट्रानिक मीडिया पर डालने चाहिए ताकि बाजार प्रतिभागियों द्वारा सुगमता से इन तक पहुंचा जा सके।

4. खाद्य और कृषि वस्तुओं में शामिल ए०एफ०एम०ए० सदस्य एजेंसियों की अपनी वेबसाइट और आनलाइन

संसाधन सूचना होनी चाहिए जिसमें इलैक्ट्रानिक रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा हो।

5. सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को विशेष रूप से ताजे उत्पादों (फल और सब्जियों) के लिए फसल कटाई उपरांत के प्रबंधन सहित अच्छी कृषि पद्धतियों अथवा अच्छी विपणन पद्धतियों में शिक्षित किया जा सके।

6. इलैक्ट्रानिक बाजार विदेशिका/एलटस – जिसंवार, विपणन कार्य/सेवावार, मौसम/वर्षवार आदि को मैक्रो तथा माइक्रो स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए तीकि खाद्य कृषि वस्तुओं के सभी हितधारकों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके।

7. सूचना प्रौद्योगिकी को उत्पादकों और क्रेताओं अर्थात व्यापारियों, संसाधकों, निर्यातकों, खुदरा एर्जेसियों, उपभोक्ताओं के बीच सीधे विपणन को बढ़ावा देने में लोक प्रिय बनाया जाना चाहिए जिसमें इलैक्ट्रानिक बोली प्रणाली, ढुलाई और कुशल विपणन तथा कृषि उत्पादकों के लिए बेहतर निवल लाभ हो जैसाकि कोरिया, फिलिपीन्स, मलेशिया आदि में किया जा रहा है।

8. किसानों के लिए मौसम, सिंचाई, आदान उपलब्धता, आदान मूल्य, जन्तुबाधा और रोग नियंत्रण, जिंस मूल्य/बाजार, फसल ऋण, बीमा, लाइसेंसिंग, पंजीकरण, ऋण, आनलाइन बिक्री/खरीदारी, राजसहायता, प्रोन्नयन स्कीमें, प्रशिक्षण, किसान बाजार आदि जैसी 30 से अधिक प्रकार की सूचनाएं (पोर्टफौलियो दिये जाने है) अपेक्षित होती हैं। जनता को एक साथ ये सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका है ताकि निर्णय लेने में सुधार किया जा सके। इसी प्रकार व्यापारियों और बाजार के अन्य प्रतिभागियों के लिए भी विभिन्न प्रकार की विश्वसनीय सूचनाएं अपेक्षित होती हैं जिन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जा सकता है और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए प्रदान किया जा सकता है।

9. ग्राम स्तर पर इलैक्ट्रानिक डिस्पले बोर्ड जिनका संपर्क बाजार, मौसम विभाग और टेलीफोन से हो, सूचना प्रौद्योगिकी के ऐसे अन्य माध्यम है जो किसानों को शिक्षित कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं। इसमें शामिल कठोर कार्य को ध्यान में रखते हुए इसे सरकारी – प्राइवेट प्रतिभागिता के अधीन रखने पर विचार किया जा सकता है ताकि इसे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

10. कॉमाडिटी एक्सचेंजों, किसान परामर्शदात्री सेवाओं और समय-समय पर किसानों को मूल्यों/कृषि जानकारियों तक निशुल्क पहुंच प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी की व्यापक भूमिका है। यह माइक्रो स्तर पर और बाजारों में भावी मूल्य अनुमानों/प्रवृत्तियों, इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता पर सूचना भी कवर करता है। खाद्य और कृषि विपणन से संबंधित सभी प्रकार की स्थिर और गतिशील सूचना को सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए उपलब्ध कराने की जरूरत है।

11. किसानों को ज्ञान, दृष्टिकोण, दक्षता और व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन प्राप्त करने के लिए उन्हें शिक्षित करने हेतु तत्व सृजन सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए इसके प्रसार हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला ने महसूस किया कि खाद्य और कृषि मूल्य को नियमित रूप से लिया जाना चाहिए जो किसानों के लिए उपयोगी हैं। इससे मूल्य चक्र तथा अन्य संगत घटकों के आधार पर मूल्यों का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा।

12. इस संबंध में भूस्तर के अनुसंधान अध्ययन किए जाने की अपेक्षा है कि किन फसलों को उगाया जाए? स्थानीय उत्पादन के कितने भाग का उपभोग स्थानीय रूप से किया जाता है? कितना माल बाहर जाता है? स्थानीय उपभोग के बाहर से विभिन्न फसलों का कितना माल आता है? ऐसे अध्ययनों से उत्पाद की योजना बनाने के संबंध में सलाह देने के लिए विपणन विस्तार सेवाओं को सहायता मिलेगी।

13. खाद्य और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति/मांग की मानीटरिंग करने के संबंध में माइक्रो स्तर के अध्ययन विपणन विस्तार सेवादाताओं के लिए आवश्यक है ताकि वे माल कहां भेजा जाए? कब भेजा जाए? और किस रूप में भेजा जाए, के संबंध में किसानों को शिक्षित कर सकें, जिसका अक्सर किसानों को विपणन संबंधी निर्णय लेने में सामना करना पड़ता है।

14. सरकारी – प्राइवेट प्रतिभागिता और प्राइवेट क्षेत्र, दोनों के अधीन उचित विपणन विस्तार विषयों के साथ समर्थित ग्राम स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी किसोक को विपणन प्रौद्योगिकी के लिए किसानों हेतु व्यापक पहुंच प्रदान करने और उनके ज्ञान, दृष्टिकोण, दक्षता और व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

15. ग्राम स्तर पर ही किसानों को शिक्षित करने के लिए खाद्य और कृषि विपणन के प्रत्येक पहलु पर मल्टीमीडिया सीडी तैयार की जानी चाहिए।

16. खाद्य और कृषि विपणन के इकलौते अथवा बहु पहलुओं के साथ व्यवहार करने वाले संगठनों अर्थात कारोबारी विधियां, भंडारण, ऋण, मानकीकरण और ग्रेडिंग, गुणवत्ता और खाद्यान्न ढुलाई की सुरक्षा, आयात/निर्यात अपेक्षाएं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय आदि को सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादकों को शिक्षित करने का काम हाथ में लेना चाहिए ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें। इस प्रयोजनार्थ उन्हें अपनी वेबसाइट/पोर्टल का विकास करना चाहिए जो ग्राम स्तर पर, उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी कैफे के जरिए आसानी से रखा जा सकता है। तथापि, प्रतिभागी एक मत से सहमत थे कि जब तक विपणन विस्तार सेवाएं किसानों की निवल आय नहीं बढ़ाएंगी इसका कोई खरीदार नहीं होगा।

17. अनेक मौजूदा विपणन विस्तार सूचना और ज्ञान, उदाहरणार्थ, निम्नतम – उच्चतम मूल्य, उत्पाद आमद और बाजार आदि का किसानों द्वारा निर्णय लेने हेतु सुलभ उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे तंत्र की जरूरत है जो किसानों के लाभ के लिए अनुकूल रूप में ऐसी सूचना का उपयोग कर सके।

18. खाद्य और कृषि विपणन में शीर्ष अनुसंधान और विकास संस्थानों को प्रसार हेतु किसान अनुकूल विषय विकसित करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।

19. विकासशील देशों में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात विद्युत, इंटरनेट संपर्क, टेलीफोन सघनता, सस्ती सूचना प्रौद्योगिकी आदि के मुद्दे को किसानों और ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए।

20. ए०एफ०एम०ए० को अपनी वेबसाइट शुरू करने पर विचार करना चाहिए जिसमें सभी सदस्य देशों से प्राप्त सूचना के आधार पर फसल कटाई उपरांत की पद्धतियों सहित कृषि की अच्छी पद्धतियां दी जाएं ताकि खाद्य और कृषि विपणन को बढ़ावा मिल सके।

रोजगार के अवसरों का सृजन

1770. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार 70 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन प्रबोधनीय समाजार्थिक लक्ष्य है।

11वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण, तीव्र और अधिक व्यापक तथा सघन विकास पर आधारित एक नवीन संकल्पना के लिए नीतियों के पुन:निर्माण के अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, तथा न केवल रोजगार में वृद्धि को तेज करना बल्कि कम मजदूरी पाने वालों की मजदूरी को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास शामिल हैं:–

(i) विकास को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकाधिक लोग उत्पादक आस्तियों तक पहुंच सकें, जिससे कि वे स्वयं अच्छी आय सृजित कर सकें और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से वेतन भोगी श्रम हेतु पर्याप्त मांग भी सृजित हो सके ताकि, जो स्व-रोजगार नहीं कर सकते, वे अच्छा वेतन रोजगार प्राप्त कर सकें।

(ii) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को और तेज करने तथा कृषि में वृद्धि को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित हो सकेंगे। श्रम सघन विनिर्माण क्षेत्रों यथा; खाद्य प्रसंस्करण, चर्म-उत्पाद, जूते तथा कपड़े और सेवा क्षेत्रों यथा; पर्यटन तथा निर्माण में श्रम को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

(iii) 11वीं योजना के दौरान ग्राम एवं लघु उद्यम (वी०एस०ई०) अधिकांश नए रोजगार अवसर प्रदान करें।

(iv) वर्ष 2004 से उद्योग के साथ बेहतर संपर्क बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशासन में सुधारों की पहचान तथा उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्नातकों को बेहतर ढंग से रोजगारपरक बनाने के लिए सरकार ने 500 सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है जिनमें से 200 में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए कार्य आरंभ किया जा चुका है।

(v) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन०आर०ई० जी०ए०) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को

न्यूनतम मजदूरी पर कम से कम 100 दिनों का शारीरिक श्रम प्रदान करने का आश्वासन देता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार लगातार रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अनेक रोजगार सृजन एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें में कुछ इस प्रकार हैं – स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।

समेकित नारियल विकास परियोजना

1771. श्री जोवाकिम बखला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त समेकित नारियल विकास की परियोजनाएं लम्बित हैं.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) वर्ष 2006-07 के दौरान उत्पादन और उत्पादकता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विचार करने के लिए नारियल विकास बोर्ड को कर्नाटक सरकार से कुल 5.00 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना प्राप्त हुई थी।

बोर्ड ने उपर्युक्त चालू कार्यक्रमों तथा कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। उत्पादकता सुधार सम्बन्धी समेकित कृषि योजना के अंतर्गत 2.35 करोड़ रुपये की राशि और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी०एम०ओ०सी०) के अंतर्गत 37.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार के पास अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक सरकार ने 2.35 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन पहले ही जारी कर दिया है।

नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत बोर्ड के हिस्से के रूप में 37.50 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार अपने हिस्से की बराबर राशि जारी कर देगी तो इस धनराशि को जारी कर दिया जायेगा।

रस्टी स्पोटेड कैट

1772. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले की काराड तहसील के एक फार्म में संकटापन्न प्रजाति की रस्टी स्पोटेड कैट के बच्चे पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा संकटापन्न प्रजाति के इन बच्चों को समुचित देखभाल की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत के पश्चिमी घाट में रस्टी स्पोटेड कैटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई संरक्षण कार्यक्रम लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) जी, नहीं। महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला सतारा की काराड़ तहसील के कोरीवाले गांव में दिनांक 30.12.2006 को जंगल कैट (फैलीस चाउस) के दो शावक मिले थे न कि रस्टी स्पोटेड कैट के। इन जानवरों को उत्तरा पशु बचाव और पुनर्वास केन्द्र कटराज, पूणे में देखरेख के लिए भेजा गया था और इनके ठीक-ठाक होने की सूचना मिली है।

(घ) और (ङ) भारत के पश्चिमी घाटों में रस्टी स्पोटेड कैट की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, तथापि, रस्टी स्पोटेड कैट की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमो में शामिल हैं:

(i) इस प्रजाति को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल करके उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) पश्चिमी घाटों में संकटापन्न प्रजातियां के पर्यावासों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(iii) इस प्रजाति और इसके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है इसे वन्यजीव अपराधों के लिए और अधिक कड़ा बनाया गया है।

(v) अवैध शिकार के विरुद्ध, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(vi) फील्ड स्टाफ को उनके क्षेत्राधिकार में होने वाली अवैध शिकार की किसी भी घटना की निगरानी रखने के लिए सावधान किया गया है।

कर्नाटक के लिए गेहूं का आवंटन

1773. श्री जी०एम० सिद्धेश्वर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा कर्नाटक को कितना गेहूं दिया गया है;

(ख) क्या इस गेहूं को सीधे जनता को वितरित करने के स्थान पर इसे आटा मिलों को दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कदम से वास्तविक लाभार्थियों को मिलने वाली खाद्य राजसहायता उनकी बजाए मिल मालिकों को मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को किए गए गेहूं के आवंटन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

(हजार टन में)

वर्ष	किया गया आवंटन
2003-04	676.970
2004-05	676.977
2005-06	617.175

(ख) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की स्कीम के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों के नाम शामिल करने के प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की सूचियों की समीक्षा करना और उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों का वितरण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। केन्द्र सरकार केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी राशन कार्डों को संख्या अथवा 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों, के आधार पर परिवारों की संख्या, जो भी कम हो, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आवंटन करती है।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्कीम के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं से आटा बनाने के लिए कर्नाटक सरकार को कोई अनुमति नहीं दी है।

इसके अलावा केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित खाद्यान्नों (गेहूं सहित) का वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वास्तविक लाभार्थियों के बीच किया जाए और वितरण में कोई विपथन/लीकेज न हो।

असंगठित क्षेत्र हेतु योजनाएं

1774. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनश्री बीमा योजना और कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति क्या है और आज की तिथि तक इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को कवर किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों तक विस्तारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जनश्री बीमा योजना 10.08.2000 को आरंभ की गयी थी और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की गयी थी। जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत आदिनांक कवरेज लगभग 58.45 लाख है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 01.07.2001 को आरंभ की गयी थी और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की गयी थी। यह योजना फरवरी, 2004 में बंद की जा चुकी है। अत: इस योजना के अंतर्गत कोई नया जीवन बीमा नहीं किया जा सकता। तथापि, विद्यमान योजनाओं के नवीकरण की अनुमति है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार कवरेज 14078 है।

(ख) से (घ) असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सम्पूर्ण मुद्दे पर अलग से विचार किया जा रहा है और विद्यमान जनश्री बीमा योजना उन योजनाओं में से एक है जिनका विश्लेषण किया जा रहा है।

खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग

1775. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए

निर्धारित खाद्यान्नों का अन्यत्र प्रयोग के बारे में दिनांक 20 फरवरी, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 211 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु निर्धारित खाद्यान्नों के अन्यत्र प्रयोग की मात्रा का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दिल्ली में ऐसी उचित दर दुकानों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध पिछले वर्ष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के अन्यत्र प्रयोग/कालाबाजारी करने के लिए कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 12 राज्यों अर्थात् असम, मिजोरम. बिहार, उत्तर प्रदेश. छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली को कवर करते हुए राष्ट्रीय अप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् को 2 अध्ययन और 6 राज्यों अर्थात् उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर को कवर करते हुए एक अन्य अध्ययन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा गया था। अन्य 8 राज्यों अर्थात् जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का अध्ययन कार्य भी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान कार्य निष्पादन को इन रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद ही समझा जा सकता है। प्रथम रिपोर्ट कुछ महीनों के अंदर ही आने की संभावना है और शेष रिपोर्टें इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध हो सकेंगी।

(ख) वर्ष 2006 में इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:–

विभागीय कार्रवाई	302
निलंबन सह विभागीय कार्रवाई	24
प्रथम सूचना रिपोर्ट	2

एफ०एम० रेडियो में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1776. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी एफ०एम० रेडियो में विदेशी निवेश की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने और समाचारों तथा समसामयिक कार्यक्रमों की भी अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उन एफ०एम० रेडियो कंपनियों को काफी बढ़ावा मिलेगा जो पूंजी बाजार से. धन जुटाने की योजना बना रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान निजी एफ०एम० नीति के अनुसार ओ०सी०बी०/एन०आर०आई०/पी०आई०ओ० आदि द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफ०आई०आई० द्वारा पोर्टफोलियो निवेश (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर) तथा ऋण, यदि इनमें परिवर्तन का विकल्प है, सहित कुल विदेशी निवेश आवेदक कंपनी में प्रदत्त इक्विटी के 20% भाग से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी समाचार और समसामयिक विषय को प्रसारित करने के लिए निजी एफ०एम० रेडियो चैनलों को अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

किसानों के लिए एशियाई विकास बैंक ऋण

1777. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए किसानों को एक बिलियन डॉलर का ऋण/वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है जैसाकि दिनांक 29 नवम्बर, 2006 के 'सीमा संदेश', जयपुर में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का विचार उक्त ऋण को कृषि क्षेत्र में किस ढंग से संवितरित करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) एशियन विकास बैंक (ए०डी०बी०) ने सहकारी ऋण ढांचे में नीति और संस्थागत सुधारों को समर्थन देने के लिए ग्रामीण सहकारी ऋण पुर्नसंरचना और विकास कार्यक्रम (एल०एन० 2281) के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डालर के ऋण को मंजूरी दी है। दिनांक 26.2.2007 को ए०डी०बी० द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डालर की पहली किश्त की निर्मुक्ति की गई थी। इसका उद्देश्य एक सतत सहकारी ऋण ढांचे का विकास करना और सरकार को अपने सहकारी ऋण ढांचा सुधार संबंधी एजेन्डा को लागू करने में मदद करना है। इसका अपेक्षित प्रभाव गरीब ग्रामीणों के लिए वृद्धित आय तथा रोजगार विकास पर है जबकि इसका उद्देश्य प्रभावकारी सहकारी ऋण ढांचे के माध्यम से उदार वित्तीय सेवाओं तक ग्रामीण परिवारों की पहुंच में

सुधार लाना है। आर्थिक मामले विभाग का बैंकिंग डिवीजन इस कार्यक्रम के लिए कार्यकारी एजेन्सी है और नाबार्ड कार्यान्वयन एजेंसी है। कार्यक्रम की अन्तिम तिथि दिनांक 30 जून, 2010 है। नाबार्ड द्वारा ऋण उन राज्यों को दिए जायेंगे जिनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वर्तमान में पांच राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कृषि विकास केन्द्र

1778. **श्री फुरकान अंसारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने कृषि विकास केन्द्र कार्यरत है;

(ख) क्या झारखंड राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास राज्य में कृषि विकास केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 544 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किये हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) झारखण्ड में चार नये बनाये गये जिलों सहित 22 ग्रामीण जिले हैं। विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 21 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान के अंतर्गत एक, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 15 तथा गैर-सरकारी संगठनों के तहत 5 शामिल हैं। शेष एक जिले (सेराइकेला) में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल
1	2	3
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	22
3.	अरूणाचल प्रदेश	10
4.	असम	20
5.	बिहार	36
6.	छत्तीसगढ़	11
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	2
9.	गुजरात	23
10.	हरियाणा	18
11.	हिमाचल प्रदेश	12
12.	जम्मू तथा कश्मीर	13
13.	झारखण्ड	21
14.	कर्नाटक	26
15.	केरल	14
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	44
18.	महाराष्ट्र	33
19.	मणिपुर	8
20.	मेघालय	5
21.	मिजोरम	8
22.	नागालैण्ड	8
23.	उड़ीसा	29
24.	पांडिचेरी	2
25.	पंजाब	17
26.	राजस्थान	32
27.	सिक्किम	4
28.	तमिलनाडु	29
29.	त्रिपुरा	4
30.	उत्तर प्रदेश	61
31.	उत्तरांचल	12
32.	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	544

[अनुवाद]

वानिकी संबंधी आंकड़े (डाटाबेस)

1779. **श्री एम०पी० वीरेन्द्रकुमार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वानिकी संबंधी कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए नेशनल डाटाबेस ऑफ फारेस्ट्री की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ''प्रिप्रेशन ऑफ ए ब्ल्यूप्रिंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फारेस्ट्री डाटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम (एन०एफ०डी०एम०एस०) ''शीर्षक से एक परियोजना शुरू की है।

(ख) मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ दल गठित किया है जिसने इनफारमेशन नीड एनेलिसिस (आई०एन०ए०) और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्टडी (एफ०आर०एस०) आदि के लिए विचारार्थ विषय तैयार किये हैं। सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक 27.2.2007 को आयोजित की गई थी जिसमें राष्ट्रीय वानिकी संबंधी आंकड़ों (डाटाबेस) प्रबंधन प्रणाली (एन०एफ०डी०एम०एस०) के विकास हेतु ब्ल्यूप्रिंट तैयार करने के लिए आई०एन०ए० और एफ०आर०एस० को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पुनर्गठन

1780. **श्री ई०जी० सुगावनम :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदाताओं को अपनी राशि की निकासी हेतु दावों, निपटान और किसी ई०पी०एफ०ओ० में अंतरण के संबंध में आने वाली कठिनाईयों और अत्यधिक समय लगने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन त्वरित सेवा प्रदान करे?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) सभी प्रकार से पूर्ण प्राप्त दावों का निपटान, 30 दिनों के भीतर करना अपेक्षित होता है। तथापि, कतिपय मामलों में नियोक्ता द्वारा विवरणियों के न भेजने/बकाया देयों के प्रेषित न करने, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा फार्म सत्यापित न किए जाने के कारण देरी होती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ''री-इन्वेंटिंग ई०पी०एफ०, इण्डिया'' नामक आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य है:

(i) दावे फार्म प्राप्त होने से लेकर चैक जारी करने तक 2-3 दिन की अवधि निर्धारित करना।

(ii) दावे निपटान अथवा खाते में शेष राशि से संबंधित जानकारी हासिल करने संबंधी सेवा के लिए सदस्य की ''कभी भी, कहीं भी'' पहुंच।

(iii) अनुपालन तथा स्वैच्छिक अनुपालन के बढ़ावा हेतु अनिवार्य वातावरण सृजित करना।

(iv) सदस्यता में गुणोत्तर वृद्धि के लिए सुविधाजनक वातावरण एवं क्षमता का सृजन करना।

(v) एक राष्ट्रीय विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या निर्धारित करना।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के छः प्रमुख स्थानों नामतः हैदराबाद, इन्दौर, पटना, मैंगलोर, कोटा तथा करनाल में परीक्षण आधार पर परियोजना आरम्भ की गई है।

वन भूमि का अन्यत्र उपयोग

1781. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों को विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमियों का अन्यत्र उपयोग की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में ऐसे अन्यत्र उपयोग के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका वन संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाएं

1782. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चार कृषि आधारित परियोजनाओं को देश में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी राज्य वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक विभाग ने हाल ही में विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में कृषि के विकास के लिए 1.5 बिलियन डॉलर सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही कृषि परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विश्व बैंक सहायता प्राप्त कृषि क्षेत्र की परियोजनाएं

(धनराशि मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र० सं०	परियोजना के नाम	राज्य	हस्ताक्षर की तिथि	से प्रभावी	अन्तिम तिथि	परियोजना लागत	मि०/करोड़ धनराशि	जनवरी, 07 तक वितरण
1.	4013- असम कृति प्रतिस्पर्धा	असम	14.1.2005	24.2.2005	31.3.2010	214.25	154	14.538
2.	3907- उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत पनधारा विकास परियोजना	उत्तरांचल	30.7.2004	10.9.2004	31.3.2012	89.35	69.62	8.302
3.	3528- कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना	कर्नाटक	26.7.2001	10.9.2001	31.3.2007	107.6	*80.4	42.84
4.	3152- उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना-II	उत्तर प्रदेश	4.2.1999	29.3.1999	30.9.2007	286.60	194.1	193.11
5.	4133- हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयी पनधारा विकास	हिमाचल प्रदेश	19.1.2006	24.2.2006	31.3.2013	75	60	8.297
6.	राष्ट्रीय कृषि उत्थान परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्रीय	24.7.2006	18.9.2006	31.12.2012	250	200	20

*आकस्मिक सुनामी पुर्ननिर्माण परियोजना से प्रत्येक परियोजना से 20 मिलियन अमेरिकी डालर के स्थगन और पुर्न आबंटन के बाद।

गैस पीड़ितों के पुनर्वास कार्यक्रमों हेतु निधियां

1783. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से पहली कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए लगभग चार करोड़ रु० की निधि का सृजन करने की मांग का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सकीय, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रु० के कुल परिव्यय

के साथ 5 वर्षीय कार्य योजना अनुमोदित की थी जिसे बाद में चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 258 करोड़ रु० कर दिया गया। इस परिव्यय को भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार को 75 : 25 के अनुपात में वहन करना था केन्द्र सरकार ने 193.50 करोड़ रु० के अपने पूरे अंश को पहले ही जारी कर दिया है और कार्य योजना वर्ष 1999-2000 में पूरी हो गई है। राज्य सरकार को सूचना दे दी गई है कि कार्य योजना के अधीन शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए यदि उन्हें आगे और निधि की आवश्यकता है तो वह निधि, योजना आयोग के परामर्श से राज्य योजना के अंश के रूप में उपलब्ध करानी चाहिए।

[अनुवाद]

नया समुद्री विज्ञान महाविद्यालय

1784. **श्री अबु अयीश मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक समुद्री विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये महाविद्यालय कहां-कहां पर खोले जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कतिपय निजी चैनलों पर प्रतिबंध

1785. **श्री हंसराज गं० अहीर :**
श्री मोहन सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री बालेश्वर यादव :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री अबु अयीश मंडल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अश्लील और आपत्तिजनक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए कतिपय टी०वी० चैनलों विशेषकर ए०एक्स०एन० चैनल पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टैलीविजन और अन्य दृश्य मीडिया पर अश्लीलता और आपत्तिजनक दृश्यों को रोकने के लिए वर्तमान कानून अपने उद्देश्यों को हासिल करने में अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार टी०वी० चैनलों के लिए फिल्म सैंसर बोर्ड की तर्ज पर एक सैंसर बोर्ड का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय के दिनांक 17.01.2007 के आदेश के तहत भारत में ए०एक्स०एन० चैनल के प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 15.03.2007 तक प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसे बाद में चैनल द्वारा माफी मांगने के पश्चात दिनांक 01.03.2007 से हटा दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक के अंतर्गत एक प्रसारण विनियामक प्राधिकरण (बी०आर०ए०आई०) की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं जोकि प्रसारण के सभी पहलुओं पर ध्यान देगा।

[अनुवाद]

आई०आई०एफ०एम० को धनराशि

1786. **श्री ई० पोन्नुस्वामी :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई०आई०एफ०एम०) गत तीन वर्षों से संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थान को वर्षवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई०आई०एफ०एम०) को इसके अपने संसाधनों के अलावा पर्यावरण और वन मंत्रालय अनुदान सहायता प्रदान करता है जोकि पर्यावरण और वन मंत्रालय को समुचे आबंटन और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई०आई०एफ०एम०) से प्राप्त प्रस्ताव पर निर्भर करती है।

(ग) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई०आई०एफ०एम०) को पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार जारी की गई अनुदान सहायता इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

2003-04	2004-05	2005-06
4.81	5.70	5.77

फलों और सब्जियों की वृद्धि दर

1787. श्री असादुद्दीन आवेसी :
श्री एस०के० खारवेनथन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फलों और सब्जियों की 6.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उत्पादन वृद्धि दर का अनुमान रखा है और इससे समग्र कृषि वृद्धि में उल्लेखनीय रूप से उछाल आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अभी तक राज्यवार क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) क्या उक्त योजना की शुरूआत के समय किया गया आकलन हासिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना की मध्यावधि समीक्षा के पश्चात् देश के फलों और सब्जियों की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इन कदमों से कोई उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार, द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या रणनीति बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) दसवीं योजना के दौरान फलों और सब्जियों का राज्यवार क्षेत्र और उत्पादक संलग्न विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) आशा है कि फल एवं सब्जी उत्पादन हेतु किया गया मूल्यांकन दसवीं योजना के अंत तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बागवानी पर एक मेगा परियोजना शुरू की है जिसमें ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत तक फलों और सब्जियों के उत्पादन को दोगुना करने पर विचार किया गया है।

(च) मिशन वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू किया गया था और किसी प्रकार के परिणाम की घोषणा करना जल्दबाजी होगी।

(छ) ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत तक फलों और सब्जियों के उत्पादन को दोगुना करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई हैं:—

(i) उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए आद्योपान्त व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना ताकि उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित हो सके।

(ii) उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए मानव संसाधन संबंधी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना;

(iii) निम्न के जरिए एकरेज, कवरेज और उत्पादकता में वृद्धि करना

  (क) पारम्परिक फसलों को रोपण, उद्यान, विनीयार्ड, पुष्प और वनस्पति उद्यान की ओर विविधीकृत करना;

  (ख) उच्च प्रौद्योगिकी वाली बागवानी खेती और सुव्यवस्थित खेती के लिए किसानों को उचित प्रौद्योगिकी का विस्तार

(iv) मूल्य वर्धन और विपणन अवसंरचना के लिए पैक हाउस, राइपिनिंग चैम्बर, शीत भंडागारों, सी०ए० भंडारण आदि प्रसंस्करण ईकाईयों जैसी फसलोपरान्त सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता देना;

(v) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और उप-राज्य स्तरों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संसाधन एवं विकास, प्रसंस्करण तथा

विपणन एजेन्सियों में साझेदारी, अभिसरण और सहक्रियाशीलता को बढ़ावा देने वाले समन्वित दृष्टिकोण को अपनाना।

(vi) जहां उचित और व्यवहार्य हो सहकारिताओं के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) माडल को बढ़ावा देना ताकि किसानों को सहायता और पर्याप्त लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

(vii) क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को सभी स्तरों पर बढ़ावा देना।

विवरण-I

दसवीं योजना के दौरान फलों के क्षेत्र और उत्पादन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन 000 एम०टी० में			
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
अंदमान व निकोबार	16.7	22.1	23.4	20.2
आंध्र प्रदेश	7404.8	6871.7	7735.4	7735.4
अरूणाचल प्रदेश	82.1	101.3	103.2	105.2
असम	1126.5	1181.1	1151.0	1151
बिहार	3038.1	3294.9	2769.5	3068.4
चण्डीगढ़	1.1	1.1	1.1	1.1
छत्तीसगढ़	382.0	401.1	343.2	646.8
दादर व नगर हवेली	7.1	7.1	7.1	7.1
दमन व दीव	3.4	0.0	0.0	0
दिल्ली	1.0	1.0	1.0	0
गोवा	72.8	78.7	81.6	91.9
गुजरात	2957.5	3586.8	4014.4	4677.6
हरियाणा	237.3	257.2	232.2	232.2
हिमाचल प्रदेश	480.4	588.1	720.6	695.4
जम्मू व कश्मीर	983.9	1180.5	1217.6	1217.6
झारखण्ड	321.2	321.2	403.4	388.6
कर्नाटक	4008.8	3027.3	4078.7	4241.8
केरल	837.3	1401.8	1518.7	1309.8
लक्षद्वीप	1.1	1.1	0.8	0.7
मध्य प्रदेश	1112.6	1167.8	1033.0	1043.5
महाराष्ट्र	8400.8	9269.7	10586.3	11721.5
मणिपुर	137.8	353.3	320.9	353.3
मेघालय	153.3	199.6	199.6	231.6
मिजोरम	55.0	42.4	42.5	42.4
नागालैंड	65.9	48.8	48.9	48.8
उड़ीसा	1485.5	1352.6	1404.0	1403.4
पाण्डिचेरी	26.7	19.1	21.1	21.1
पंजाब	578.5	628.2	679.5	746.3
राजस्थान	184.8	220.9	257.0	248.7
सिक्किम	8.1	0.0	12.2	13.1
तमिलनाडु	4014.0	3460.2	4467.6	4856
त्रिपुरा	459.9	482.0	503.4	525.1
उत्तर प्रदेश	4313.8	3381.2	2912.8	3009.2
उत्तरांचल	458.1	644.6	788.7	692.5
पश्चिम बंगाल	1785.6	2111.5	2128.3	2301.7
कुल	45203.2	45705.9	49808.9	52848.8

विवरण-II

दसवीं योजना के दौरान सब्जियों के क्षेत्र तथा उत्पादन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन 000 एम०टी० में			
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
अंदमान व निकोबार	16.3	22.1	30.8	8.8
आंध्र प्रदेश	2357.9	6871.697	3861.9	3861.9
अरूणाचल प्रदेश	81.5	101.26	78.8	78.8
असम	2464.4	1181.104	2020.4	2020.4

1	2	3	4	5
बिहार	8288.5	3294.909	13349.1	12932.4
चण्डीगढ़	1.7	1.1	1.7	1.7
छत्तीसगढ़	1357.2	401.1	1266.3	2432.3
दादर व नगर हवेली	13.5	47.1	13.5	13.5
दमन व दीव	1.1	0.023	0.1	0.1
दिल्ली	628.1	1	626.8	420.2
गोवा	68.5	78.73	74.7	82.6
गुजरात	3517.9	3586.798	4867.9	6308.3
हरियाणा	2051.8	257.2	2980.4	2980.4
हिमाचल प्रदेश	775.7	588.098	1013.5	1090
जम्मू व कश्मीर	332.9	1180.507	843.0	843
झारखण्ड	1300.1	321.15	3394.9	3401.3
कर्नाटक	3707.9	3027.256	4382.9	4697.4
केरल	2547.4	1401.8	2490.1	2597.1
लक्षद्वीप	0.2	1.1	0.2	0.3
मध्य प्रदेश	1827	1167.797	2659.6	2986.1
महाराष्ट्र	4768.9	9269.713	4044.4	4739.7
मणिपुर	71.9	353.257	86.0	73.7
मेघालय	338.9	199.617	270.5	340.3
मिजोरम	31.9	42.401	24.0	24.1
नागालैंड	78.5	48.822	88.1	83.6
उड़ीसा	7126.2	1352.574	8045.6	8051.7
पाण्डिचेरी	63.7	19.1	74.7	74.7
पंजाब	2319.4	628.17	2677.4	2434.9
राजस्थान	358.3	220.891	650.2	753.8
सिक्किम	59.1	0.011496	76.5	79.1
तमिलनाडु	4223.3	3460.167	6218.3	6800
त्रिपुरा	360.3	482.016	373.4	365
उत्तर प्रदेश	15791.4	3381.19	15792.8	17337.3
उत्तरांचल	507.5	644.633	951.8	911.7
पश्चिम बंगाल	17376.5	2111.477	18103.2	19382.3
कुल	84815.4	45705.9	101433.5	108208.5

पी०डी०एस० के लाभार्थियों के लिए खाद्य स्टांप

1788. डा० एम० जगन्नाथ : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति के लिए खाद्य स्टांप वितरित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव की जांच के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि जल प्रबंधन

1789. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-03 के दौरान सरकार द्वारा पूर्वी भारत में फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ''कृषि जल प्रबंधन'' पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शुरूआत से प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या कुछ राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र ने केन्द्र सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 10 पूर्वी राज्यों यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में ''पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन'' नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम मार्च, 2002 में आरम्भ की गई थी ताकिं भूगत और सतही जल संसाधनों के उपयोग के माध्यम से पूर्वी भारत में विभिन्न फसलों के उपयोग के माध्यम से पूर्वी भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

(ग) और (घ) इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को पम्पसैटों के साथ उथले नलकूपों के निर्माण, लो लिफ्ट सिंचाई प्वाइंटों बिजली/डीजल के पम्पिंग सेटों और पठारी क्षेत्रों में डगवैल के लिए सहायता मुहैया की गई। इस स्कीम के आरम्भ से विभिन्न राज्यों को किया गया आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र में यह स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2006 से समाप्त कर दी गई है।

विवरण

''पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए आन फार्म जल प्रबंधन'' नामक स्कीम के आरम्भ से केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन (भारत सरकार का हिस्सा)

(लाख रुपये में)

राज्य	आवंटन				
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
असम	52.20	897.00	300.00	438.00	100.00
बिहार	537.00	4140.00	1118.65	540.30	49.99
झारखण्ड	188.40	1225.00	404.40	432.46	198.98
छत्तीसगढ़	17.10	537.00	329.40	412.20	499.97
उड़ीसा	120.00	1380.00	660.00	304.50	100.00
पूर्वी उत्तर प्रदेश	334.50	1917.00	4020.75	1794.60	1250.07
पश्चिम बंगाल	106.80	920.00	466.80	441.00	149.99
अरुणाचल प्रदेश	48.00	173.00	300.00	248.10	20.03
मणिपुर	48.00	173.00	300.00	249.75	99.98
मिजोरम	48.00	138.00	300.00	139.13	30.00
कुल	1500.00	11500.00	8200.00	5000.04	2500.01

लघु सिंचाई योजना

1790. **श्री एल० राजगोपाल :**

श्री सी० कुप्पुसामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान राज्यवार और वर्षवार कुल कितने भूक्षेत्र को लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) दसवीं योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कुल कितने भूक्षेत्र को लाया गया;

(ग) दसवीं योजना के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(घ) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को कोई विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कुल 6.2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को दसवीं योजना के दौरान सूक्ष्म सिंचाई स्कीम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्यवार और वर्षवार क्षेत्र संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) दसवीं योजना के दौरान (फरवरी, 07 तक) सूक्ष्म सिंचाई स्कीम के अंतर्गत लाई गई भूमि का कुल क्षेत्र, राज्यवार और वर्षवार विवरण-II में दिया गया है।

(ग) दसवीं योजना के दौरान (फरवरी, 07 तक) सूक्ष्म सिंचाई स्कीम के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार आबंटित और प्रयुक्त राशि विवरण-III में दी गई गई।

(घ) और (ङ) किसानों के सभी वर्गों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के सभी 22 जिलों में सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण-I

राज्यवार और वर्षवार, दसवीं योजना के दौरान सूक्ष्म सिंचाई स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	45520	193752
2.	बिहार		14413
3.	छत्तीसगढ़		28828
4.	दिल्ली		103
5.	गोवा		133
6.	गुजरात	16720	30613
7.	हरियाणा		3879
8.	झारखंड		2572
9.	कर्नाटक	25703	23861
10.	केरल	25208	5382
11.	महाराष्ट्र	41856	76575
12.	मध्य प्रदेश	3498	6549
13.	उड़ीसा		2644
14.	पंजाब	4180	4880
15.	राजस्थान	13000	47298
16.	तमिलनाडु	32850	5402
17.	उत्तर प्रदेश	8910	0
18.	पश्चिम बंगाल		1939
	कुल	217445	448823
	कुल योग	666268	

टिप्पणी : केन्द्रीय प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई स्कीम को दसवीं योजना अवधि के दौरान जनवरी, 2006 में शुरू किया गया है।

विवरण-II

राज्यवार और वर्षवार, दसवीं योजना के दौरान (फरवरी, 07 तक) सूक्ष्म सिंचाई स्कीम के अंतर्गत लाई गई भूमि का कुल क्षेत्र

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	45520	85381

1	2	3	4
2.	बिहार	0	0
3.	छत्तीसगढ़	0	640
4.	दिल्ली		0
5.	गोवा	0	12
6.	गुजरात	5042.12	0
7.	हरियाणा	0	632
8.	झारखंड	0	0
9.	कर्नाटक	8924.66	—
10.	केरल	0	0
11.	महाराष्ट्र	41856	26904
12.	मध्य प्रदेश	1442	0
13.	उड़ीसा	0	536.68
14.	पंजाब	333	0
15.	राजस्थान	13000	34775
16.	तमिलनाडु	—	0
17.	उत्तर प्रदेश	—	0
18.	पश्चिम बंगाल	0	0
	कुल	116117.78	148880.68
	कुल योग	264998.46	

टिप्पणी : केन्द्रीय प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई स्कीम को दसवीं योजना अवधि के दौरान जनवरी, 2006 में शुरू किया गया है।

विवरण-III

राज्यवार और वर्षवार, दसवीं योजना के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कोष का आवंटन और उपयोग

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम		2005-06	2006-07 (as on Dec' 07)
1		2	3
आंध्र प्रदेश	आवंटन	6129	19520
	उपयोग	6129	6325
बिहार	आवंटन		2482.10
	उपयोग		—
छत्तीसगढ़	आवंटन	—	3032.89
	उपयोग	—	—
दिल्ली	आवंटन	—	15.71
	उपयोग	—	—
गोवा	आवंटन	—	12.13
	उपयोग	—	—
गुजरात	आवंटन	2182	3355
	उपयोग	701.17	—
हरियाणा	आवंटन	—	293.89
	उपयोग	—	16.37
झारखंड	आवंटन	—	229.92
	उपयोग	—	—
कर्नाटक	आवंटन	3584.11	2456.75
	उपयोग	1800.00	467.46
केरल	आवंटन	3200.00	636.3
	उपयोग	—	—
मध्य प्रदेश	आवंटन	580.33	—
	उपयोग	—	—
महाराष्ट्र	आवंटन	4808.06	9974.73
	उपयोग	4808.06	3580.96
उड़ीसा	आवंटन	—	354.26
	उपयोग	—	—
राजस्थान	आवंटन	1048	2866.68
	उपयोग	1048	1433.34
तमिलनाडु	आवंटन	4290.96	1200.64
	उपयोग	—	—

1		2	3
उत्तर प्रदेश	आवंटन	1241.74	—
	उपयोग	—	—
पश्चिम बंगाल	आवंटन	—	195.67
	उपयोग	—	—
कुल योग	आवंटन	28043.87	46626.67
	उपयोग	14575.45	11823.13

टिप्पणी : केन्द्रीय प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई स्कीम को दसवीं योजना अवधि के दौरान जनवरी, 2006 में शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

1791. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में गोपालपुर जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्थान को स्वीकृति देने का प्रस्ताव सरकार के पास पर्यावरणीय/वानिकी स्वीकृति हेतु लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बी०पी०एल० लाभार्थियों की संख्या में अंतर

1792. **श्री चेंगरा सुरेन्दन :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्राम सभा के माध्यम से पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बी०पी०एल०) की वास्तविक संख्या केन्द्र सरकार द्वारा आंकी गई संख्या से कहीं ज्यादा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अंतर के कारण राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के अंतर्गत खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य द्वारा वास्तविक रूप से पहचाने गए परिवारों की संख्या को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के आबंटन हेतु वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के निर्धनता अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का अनुमान लगाया जाता है। उक्त फार्मूला के अनुसार केरल राज्य के लिए अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल सीमा 15.54 लाख है जबकि राज्य सरकार ने 20.87 लाख परिवारों की पहचान की है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 8.10.2005 और 25.10.2005 के दो ज्ञापन प्राप्त हुए थे। जिनका उत्तर केरल के माननीय मुख्य मंत्री को भेज दिया गया था जिसमें यह दर्शाया गया था कि उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 15.54 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए प्रति माह 54,384 टन खाद्यान्न केरल राज्य को आबंटित किया जाता है। उक्त फार्मूले का अनुपालन सम्पूर्ण देश में एक समान रूप से किया जाता है।

प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा किया जाना

1793. **श्री पी०सी० थामस :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इराविकुलम नेशनल पार्क तथा चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या प्रोजेक्ट टाइगर तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत लाभों को इन क्षेत्रों में उपलब्ध किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी हां। पारम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और केरल के एरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करके बाघ रिजर्व स्थापित करने के लिए केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव को "सिद्धांत रूप" से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) इस समय राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उक्त संरक्षित क्षेत्रों को निधियन सहायता उपलबध करवाई जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध करवाई गई निधि का संरक्षित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि का संरक्षित क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रु०)

क्र० सं०	संरक्षित क्षेत्र का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1.	पारम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य	29·12	25·20	30·29
2.	चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य	6·982	9·80	16·101
3.	एरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान	20·48	1·745	20·75

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं की सूची

1794. **श्री बालेश्वर यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सूची में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान आर्थिक उदारीकरण के युग के मद्देनजर इस अधिनियम के महत्व की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का विचार ऐसी समीक्षा कब तक करने का है; और

(ङ) आज की तारीख तक इस मामले की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) इस समय आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सूची में सात आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) औषधियां

(2) उर्वरक, जैव, अजैव और मिश्रित

(3) खाद्य तेलों और तेलों सहित खाद्य पदार्थ

(4) पूर्णत: सूत से बना हैंक धागा

(5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद

(6) कच्चा जूट और जूट के वस्त्र

(7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा सब्जियां के बीज;

(ii) पशु चारे के बीज; और

(iii) जूट के बीच

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फसल मौसम वाच ग्रुप

1795. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल मौसम वॉच ग्रुप ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय लिए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से फसल मौसम निगरानी समूह की बैठकें आयोजित की जाती है।

(ख) और (ग) फसल मौसम निगरानी समूह, अन्य बातों के साथ-साथ, उद्गामी मौसम स्थिति तथा फसलों पर इसके प्रभाव की स्थिति, भिन्न-भिन्न फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र विकास, बीजों, उर्वरकों, जलाशयों में जल, कीट तथा रोग एवं उनको नियंत्रण के लिए उपाय, विभिन्न अनिवार्य जिन्सों की मूल्य स्थिति तथा प्रापण स्थिति जैसे महत्वपूर्ण योगदान की उपलब्धता पर पुर्नविचार करता है। ऐसी पुनर्वीक्षाओं के आधार पर, जब जैसे आवश्यक होता है उचित उपाय किए जाते हैं।

कृषि एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

1796. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री के० सुब्बारायण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करके युवाओं को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पूरे देश में फार्म स्कूल तथा कृषि औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर भी विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार तिलहनों तथा दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बोनस/प्रोत्साहन देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दाल ग्राम स्थापित करने तथा देश में बीजों का उत्पादन करने के लिए स्व:सहायता समूहों को सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार केन्द्र क्षेत्रीय ''कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों का संस्थापन (ए०सी०ए०बी०सी०)'' स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को स्व-रोजगार उद्यमों के माध्यम से शुल्क आधारित विस्तार और अन्य सेवाएं प्रदान करना है। अपने स्व-रोजगार उद्यमों को स्थापित करने में रूचि रखने वाले कृषि स्नातक इस स्कीम के अंतर्गत पात्र होते हैं। चयन किए गए कृषि स्नातकों को इस हेतु अभिज्ञात कई शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों में से एक में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षित कृषि स्नातक अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए सब्सिडी के लिए भी पात्र होते हैं।

(घ) से (ज) भारत सरकार देश के 14 प्रमुख राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तिलहन और दलहनों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए दिनांक 1.4.2004 से ''समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपोम) नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

इस स्कीम के अंतर्गत तिलहनों एवं दलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा किसानों को इन फसलों की वृहत पैमाने पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रजनक एवं आधारी बीज उत्पादन की खरीद, बीज मिनीकिटों के वितरण, अवसंरचना विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी संबंधी खंड प्रदर्शन, पोलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी एवं समेकित कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकी; पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवारनाशियों के वितरण राइजोबियम कल्चर/फास्फेट सोल्यूब्लाइजिग बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराईट/लाइमिंग/डोलोमाईट के वितरण, स्प्रिंकलर सैटों, जल स्रोतों से खेतों में पानी ले जाने वाले पाइपों के वितरण, किसानों को प्रशिक्षण, अधिकारियों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 की वित्त पोषण हिस्सेदारी पद्धति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

दलहनों के गुणवत्तापरक बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कार्यान्वयनकारी राज्यों के माध्यम से स्कीम के बीज ग्राम घटक के अंतर्गत चुनिंदा गांवों में किसानों को 500/-रुपए प्रति क्विंटल की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बीज ग्राम सहित स्कीम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान आइसोपाम के अंतर्गत 270.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादों के संबंध में बी०आई०एस० के दिशानिर्देश

1797. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री काशीराम राणा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) ने खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजार में इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए तथा राज्यवार और वर्षवार कितने व्यकितयों पर अभियोजन चलाया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए 587 मानक प्रतिपादित किए हैं जिनमें से 11 मानकों को आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है। शेष मानक स्वैच्छिक स्वरूप के हैं।

(ग) विनिर्माताओं को उन खाद्य मदों पर मानकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेने होते हैं जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे मामलों में यदि विनिर्माता लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। स्वैच्छिक खाद्य मदों के मामले में, विनिर्माता संबंधित भारतीय मानक के तहत लाइसेंस ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं।

(घ) अनिवार्य खाद्य मदों के मामले, यदि विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस नहीं लेता है तो विनियामक निकाय अर्थात स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाईकी जाती है।

चीनी उद्योग की समस्याएं

1798. **श्री रामदास आठवले :**
श्री अजीत जोगी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान देश में स्थापित चीनी मिलों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य-वार कितनी चीनी मिलों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने गन्ना किसानों तथा चीनी उद्योग को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 2006-07 के दौरान (28.02.2007 तक) देश में 10 चीनी मिलें (8 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में और 2 चीनी मिलें कर्नाटक में) स्थापित की गई हैं। जहां तक चीनी मौसम 2007-08 में स्थापित की जाने वाली चीनी मिलों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.09.1998 की अधिसूचना द्वारा चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और अब उद्यमी अपनी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः 2007-08 में उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित चीनी मिलों की संख्या बताना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार चीनी फैक्ट्रीयों को चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दर पर ऋण दे रही है।

[अनुवाद]

मवेशियों की संख्या

1799. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में मवेशियों की संख्या घटी है;

(ख) इस संबंध में नेशनल कमिशन ऑन कैटल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) उन राज्यों के नामों के बारे में सूचना नहीं रखी जा रही है जिनमें विगत तीन वर्षों के दौरान कमी हो रही है।

तथापि, पशुधन गणना के परिणामों के अनुसार देश में कुल गोपशु संख्या 1997 में 198.9 मिलियन से घटकर 2003 में 185.2 मिलियन तक हो गई है जो 6.9% की कमी दर्शाती है। जिन राज्यों में 1997-2003 के दौरान गोपशु की संख्या में कमी हुई है, वे हैं—मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र राजस्थान, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, मणिपुर एवं गोवा।

(ख) राष्ट्रीय गोपशु आयोग ने बताया है कि देश में गोपशु की कतिपय स्वदेशी नस्ल विलुप्त हो रही है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अलावा, गोपशु की संख्या में वृद्धि करने तथा उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए भी निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग राज्य सरकारों के प्रयासों की परिपूर्ति कर रहा है:–

1. राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना
2. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना
3. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
4. पशुरोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
5. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म

औषधि हेतु खुली निविदाएं

1800. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई०एस०आई०सी०) ने पहली बार ऐसा किया है कि चयनित निविदा ई०एस०आई०सी० को सीधा औषधियों एवं ड्रेसिंग्स की आपूर्ति करेगी;

(ख) यदि हां, तो कंपनी द्वारा प्राधिकृत डीलर की बजाय सीधा औषधि की आपूर्ति करवाने के पीछे क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे अन्य सरकारी विभागों का ब्यौरा क्या है जो सीधे उत्पादक से तथा प्राधिकृत डीलरों से औषधियां लेते हैं;

(घ) क्या ई०एस०आई०सी० को डीलर संबंधी कॉज पर पुनः विचार करने के लिए उत्पादकों तथा निगम के सदस्य से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और मानक औषधियों की उपलब्धता हेतु औषध टेंडर में एक धारा जोड़ी थी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, सुरक्षा बल चिकित्सा सेवा सीधे/प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से सप्लाई प्राप्त करते हैं।

(घ) और (ङ) विक्रेता के संबंध में जोड़ी गई धारा पर पुनर्विचार करने के लिए विनिर्माताओं और निगम के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो कि विचाराधीन हैं।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1801. श्री के०एस० राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में निर्यातित विभिन्न कृषि उत्पादों की मात्रा तथा कीमत कितनी है और उत्पाद-वार आयात करने वाले देशों के नाम क्या है;

(ख) देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में कृषि निर्यात जोन (ए०ई०जेड०) योजना के अंतर्गत कितनी सफलता मिली;

(ग) क्या सरकार द्वारा ए०ई०जेड० नीति की समीक्षा शुरू की गई है अथवा शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही शुरू की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन०पी०सी०बी०बी० के लिए सहायता

1802. श्री नरहरि महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मवेशी एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एन०पी०सी० बी०बी०) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए किन-किन राज्यों ने अनुरोध किया है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास लम्बित ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने तथा धनराशि जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत अभी तक 28 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों ने केन्द्रीय अनुदान के लिए अनुरोध किया है। सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है। राज्यवार सूचना, जिन्होंने केन्द्रीय अनुदान के लिए मांग की है तथा वर्षवार जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत राज्यवार जारी निधियां (शुरू से)

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	339.00	741.75	934.57	718.18	858.36	388.74	2575.57	6556.17
2.	अरूणाचल प्रदेश	140.00				151.30	50.00		341.30
3.	असम					129.50	100.00	269.50	499.00
4.	बिहार							499.80	499.80
5.	छत्तीसगढ़		274.00		98.00	100.00	570.00	250.00	1292.00
6.	गुजरात				40.00	279.70	703.25		1022.95
7.	गोवा				58.71	97.29			156.00
8.	हरियाणा	523.00	323.00			454.00	183.50	200.00	1683.50
9.	हिमाचल प्रदेश			220.00	100.00	270.20	678.07		1268.27
10.	जम्मू एवं कश्मीर					135.91			135.91
11.	झारखंड							200.00	200.00
12.	कर्नाटक				465.00	394.29	907.20	903.04	2669.53
13.	केरल		209.75	230.00	220.00	801.95	284.88	403.47	2150.05
14.	मध्य प्रदेश		829.47	300.00	360.00	661.54	150.00	511.00	2812.01
15.	महाराष्ट्र				860.00			1523.63	2383.63
16.	मणिपुर	67.75			17.36				85.11
17.	मेघालय				65.64		120.08		185.72
18.	मिजोरम		18.93	17.97	40.00	71.00	85.49		233.39
19.	नागालैंड		97.30	96.00	182.00	159.67	213.59	80.00	828.56
20.	उड़ीसा		40.00	551.60		485.00	400.00	690.20	2166.80
21.	पंजाब	501.00		120.83		111.27	700.00	250.00	1683.10
22.	राजस्थान		559.30				490.00		1049.30
23.	सिक्किम		168.93				123.55		292.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	तमिलनाडु			570.00		204.82	1253.00	400.00	2427.82
25.	त्रिपुरा				95.00	96.67	50.00		241.67
26.	उत्तर प्रदेश			1063.00		841.15	300.00		2204.15
27.	उत्तरांचल		248.00		275.00	84.80	446.93	250.00	1304.73
28.	पश्चिम बंगाल		677.02			353.10	805.23	265.00	2100.35
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह								
30.	चंडीगढ़								
31.	दादर एवं नगर हवेली					27.76			27.76
32.	दिल्ली								
33.	लक्षद्वीप								
34.	पांडिचेरी					18.15	87.20		105.35
35.	दमन एवं दीव								
	अन्य					7.52	2.00	0.55	10.07
	कुल	1570.75	4187.45	4103.97	3594.89	6794.95	9092.71	9271.76	38616.48

खाद्यान्न आबंटन में बढ़ोतरी

1803. **श्री दुष्यंत सिंह :**
चौधरी लाल सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के अंतर्गत वितरण हेतु खाद्यान्नों का अनाज-वार कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 2007-08 के दौरान आबंटन में बढ़ोतरी करने हेतु कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार खाद्यान्नों को डिपो तथा उचित दर दुकानों तक पहुंचाने के लिए परिवहन तथा मजदूरी शुल्क प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन शुल्कों की गणना करने की पद्धति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) वर्ष 2006-07 (जनवरी 2007 तक) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए गए आवंटन का खाद्यान्न-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

गेहूं	चावल	मोटे अनाज
12357.96	35977.88	211.288

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्र सरकार केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी राशन कार्डों की संख्या अथवा 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों और 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों, के आधार पर परिवारों की संख्या, जो भी कम हो, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आवंटन करती है। जब कभी 'राज्य सरकारों से आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध प्राप्त होते हैं, उन पर उपर्युक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार मंडी से डिपो तक परिवहन और मजदूरी प्रभार प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के लिए निर्धारित भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं के अलावा अन्य डिपुओं से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के संचलन के हेतु ढ़ुलाई प्रभारों की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम करता है। उचित दर दुकानों के द्वारा जा रहे स्टाक के लिए कंज्यूमर एंड प्राइस का निर्धारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर एंड प्राइस में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई हैंडलिंग लागत भी शामिल होती है, जो राज्य दर राज्य भिन्न होती है।

सुनामी प्रभावित वन जनजातियों का पुनर्वास

1804. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी के विनाश ने जनजातीय वन भूमि को अलग-थलग कर दिया है जिसके कारण उनकी आजीविका की पद्धति अव्यवस्थित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों के विकास/पुनर्वास के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। अंडमान और निकोबार में सुनामी द्वारा किए गए विनाश से जनजातीय वन भूमि अलग-थलग हो गई है लेकिन इन क्षेत्रों में आजीविका पद्धति के अव्यवस्थित होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा दी गई सूचंना के अनुसार सुनामी से जिन वन और कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की नुकसान पहुंचा है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

द्वीप का नाम	वन (हेक्टेयर में)	कच्छ वनस्पति (हेक्टेयर में)	कुल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
कार निकोबार	376.48	–	377.40
चोवारा	151.55	–	151.55
तारासा	550.89	–	550.89
बोमपोका	43.32	–	43.32
कटच्छल	2589.20	562.28	3151.48
कैमोरटा	739.24	277.52	1016.76
त्रिनिकैट	286.63	176.30	462.93
लिटिल निकोबार	594.43	49.37	643.80
ग्रेट निकोबार	6914.65	458.67	7373.32
ट्रैक, ट्राइज एण्ड पूलो मिलो	48.24	–	48.21
कुल	12294.60	1525.06	13819.66

प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों के विकास/पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं/किए जा रहे हैं:–

(i) वर्ष 2005-06 में एक तटीय बैल्ट पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके तहत 102.09 हेक्टेयर क्षेत्र को तटीय बैल्ट पौधारोपण बायोशिल्ड के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय बैल्ट पौधारोपण के लिए 96 हेक्टेयर का लक्ष्य है।

(ii) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम और शहरी विकास मंत्रालय से पूरक टिप्पण की समीक्षा करने और अनुमोदित करने के लिए 17 नवम्बर, 2005 को मंत्रियों का एक शक्ति संपन्न दल गठित किया गया था। सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम में निम्नलिखित घटकों को समाहित समाविष्ट करके वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के लिए 9870.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किए गया था।

(i)	राजीव गांधी पैकेज	– 1607.01 करोड़ रुपए
(ii)	बाह्य सहायता	– 3344.13 करोड़ रुपए
(iii)	बजटीय समर्थन	– 4641.11 करोड़ रुपए
(iv)	अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी की वार्षिक योजना के तहत अनुमोदित	– 278.00 करोड़ रुपए

(iii) इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम प्रारम्भ करने के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता भी प्रदान की है।

बांस की खेती

1805. श्री नवीन जिन्दल :
श्री के०सी० पल्लानी शामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बांस की खेती के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितना भू-क्षेत्र है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बांस का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या बांस के उत्पादन/उत्पादकता और इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बांस उत्पादकों को इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बांस की खेती में सुधार करने के लिए और कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) "राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी मिशन और व्यापार विकास" नामक योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में बांस की खेती के तहत 89575 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र आता है। बांस की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र दशाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय बांस मिशन कृषि एवं सहकारिता विभाग का एक नया कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2006-07 में गत तिमाही के दौरान शुरू किया गया है। देश में बांस के राज्य-वार उत्पादन पर सूचना एकत्र करना और व्यवस्थित करना इस मिशन का उद्देश्य है।

(ग) और (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने वर्ष 2006-07 के दौरान देश में राष्ट्रीय बांस मिशन संबंधी एक कार्यक्रम शुरू किया हे ताकि बांस के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। मिशन का उद्देश्य है:-

- एरिया आधारित क्षेत्रीय रूप से भिन्न कार्यनीति के जरिए बांस सेक्टर के विकास को बढ़ावा देना;
- पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के साथ क्षमता वाले क्षेत्रों में बांस के तहत क्षेत्र के कवरेज को बढ़ाना;
- बांस और बांस आधारित हस्तशिल्प के विपणन को बढ़ावा देना;
- बांस के विकास के लिए पणधारियों में अभिकरण और सहक्रियाशीलता की स्थापना करना;
- परम्परागत ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के सीवनहीन मिश्रण के माध्यम से प्रौद्योगिकियों का संवर्धन करना, विकास करना और प्रसार करना;
- दक्ष और अदक्ष व्यक्तियों विशेषकर बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

(ङ) मिशन के तहत प्रस्तावित बांस रोपण संबंधी क्रियाकलापों से लगभग 50.4 मिलियन मानव कार्य दिवस का सृजन होगा। नर्सरी क्षेत्र में प्रतिवर्ष सृजित किए जाने वाले कुल आकलित रोजगार लगभग 9.7 लाख मानव दिवसों के होंगे। इसके अलावा, हस्तशिल्प क्षेत्र के दक्ष और अदक्ष दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन होगा।

(च) और (छ) राष्ट्रीय बांस मिशन संबंधी प्रस्तावित स्कीम की प्रकृति पर्यावरणीय रूप से अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। वर्ष 2006-07 के दौरान मिशन के तहत वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव कृषि एवं सहाकारिता विभाग के विचाराधीन है।

विवरण

तालिका : देश में बांस की खेती का राज्य-क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	बांस क्षेत्र (वर्ग कि०मी० में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6598
2.	अरूणाचल प्रदेश	4590
3.	असम	8213
4.	बिहार	795
5.	गोवा, दमन और दीव के साथ	249
6.	छत्तीसगढ़*	लागू नहीं होता
7.	गुजरात	2806
8.	हरियाणा	42
9.	हिमाचल प्रदेश	60
10.	झारखंड*	लागू नहीं होता
11.	जम्मू और कश्मीर	15

1	2	3
12.	कर्नाटक	4925
13.	केरल	517
14.	मध्य प्रदेश	18124
15.	महाराष्ट्र	8893
16.	मणिपुर	3692
17.	मेघालय	3102
18.	मिजोरम	9210
19.	नागालैण्ड	758
20.	उड़ीसा	7822
21.	पंजाब	50
22.	राजस्थान	529
23.	सिक्किम*	लागू नहीं होता
24.	तमिलनाडु	3101
25.	त्रिपुरा	939
26.	उत्तर प्रदेश	2010
27.	उत्तरांचल*	लागू नहीं होता
28.	पश्चिम बंगाल	1751
	कुल	88791

* छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्य में बांस के तहत क्षेत्र क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल में शामिल हैं।

मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

1807. **डा० के०एस० मनोज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानसून के दौरानं मछली पकड़ने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध पर चर्चा करने के लिए तटवर्ती राज्यों के मत्स्य पालन मंत्रियों की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मानसून के दौरान मछली पकड़ने संबंधी प्रतिबंध को हटाने के लिए कानून लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तटों पर मत्स्यन के संबंध में एक समान प्रतिबंध लगाने सहित मात्स्यकी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 24 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में राज्यों के मात्स्यकी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कर्नाटक के मात्स्यकी राज्य मंत्री पश्चिमी तट के राज्यों की बैठक का आयोजन करें तथा पश्चिम बंगाल के मात्स्यकी राज्य मंत्री पूर्वी तट के राज्यों की एक बैठक का आयोजन करें एवं मानसून आरंभ होने से पूर्व (अप्रैल 30, 2007 से पहले) अंतर राज्यीय मुद्दों को हल करें तथा सर्वमान्य निर्णय लें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जानवरों की मौत

1808. **प्रो० महादेवराव शिवनकर :**
श्री मो० ताहिर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों/अभयारण्यों में अनेक जानवरों की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्यान-वार और अभयारण्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान उद्यानों/अभयारण्यों की देखभाल पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली और अभयारण्यों में पशुओं की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली में अप्रैल, 2006 से फरवरी, 2007 की अवधि के दौरान मृत हुए जानवरों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

स्तनपोषी	–	26
पक्षी	–	11
सरीसृप	–	02
कुल	–	39

वन्यपशुओं की मौत के लिए प्राकृतिक घटक के साथ-साथ मानव अभिप्रेरित घटक उत्तरदायी है। अभयारण्यों में हुई पशुओं की मौत के संदर्भ में सूचना का मिलान नहीं किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली में पशुओं के स्वास्थ्य और अनुरक्षण में सुधार और अभयारण्यों में पशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :

(i) प्रत्येक पशु के लिए जू कीपर द्वारा एक दैनिक रिपोर्ट रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। जानवरों के स्वास्थ्य की मॉनीटरी के लिए चिड़ियाघर के कार्मिकों द्वारा उद्यान के अंदर नियमित दौरे किए जाते हैं।

(ii) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में आवश्यकता पड़ने की स्थिति में पशुओं को चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए दो पशु चिकित्सक हैं।

(iii) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में पशुओं को संक्रमण और रोग से बचाने के लिए आवश्यक स्वास्थ्यकर स्थितियां कायम रखी गई हैं।

(iv) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन्यजीवों के शिकार और वाणिज्यिक विदोहन के संबंध में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(v) वन्यजीवों की कई विरल और संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को अनुसूचियों में शामिल किया गया है, इससे उन्हें अधिकतम सुरक्षा मिली है।

(vi) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का संशोधन करके उसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराध के मामलों में सजा बढ़ाई गई है।

(vii) सुरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली के अनुरक्षण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 5.86 करोड़ रुपए व्यय किये गए हैं।

अभयारण्यों सहित सुरक्षित क्षेत्रों के विकास के संबंध में, तीन प्रमुख स्कीमों अर्थात् (1) राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का विकास (2) बाघ परियोजना (3) हाथी परियोजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 93.86 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

सहकारिताओं को सहायता

1809. श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री शिशुपाल एन० पटले :
श्री मो० ताहिर :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री देविदास पिंगले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहाकारिता योजना के लिए सहायता के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुग्ध उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए सभी राज्यों द्वारा उक्त योजना कार्यान्वित की गई है;

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी सहायता आबंटित और जारी की गई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने योजना के अंतर्गत अपनी हिस्सा राशि जारी की है; और

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जैव विविधता पार्क

1810. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में जैव विविधता पार्कों के विकास वपस्पतिजात प्राणिजात तथा प्रवासी और नियत मौसम में आने वाले पक्षियों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर तमिलनाडु राज्य में जैव विविधता पार्कों को कब तक विकसित किया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) देश में जैव विविधता पार्क विकसित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

धुआं छोड़ने वाले वाहन

1811. श्री विजय कृष्ण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर रोक लगाने का कोई निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंदोली वन्यजीव अभयारण्य की राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषणा

1812. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदोली वन्यजीव अभयारण्य की राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चंदोली राष्ट्रीय उद्यान में विकास और संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अभयारण्य के लिए कितना वित्तीय आबंटम किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी हां, दिनांक 14.5.2004 की अधिसूचना द्वारा चंदोली अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है।

(ख) और (ग). जी हां, चंदोली राष्ट्रीय पार्क में पर्यावासों के सुधार और किवास के लिए आक्रामक प्रजातियों को हटाने, भूमि और जल संरक्षण, पशु टीकाकरण, अनुसंधान, फायर ट्रेसिंग, साल्ट लिक्स प्रदान करने, चहार दीवारी के सीमांकन, निगरानी टावर खड़ा करने, प्राकृतिक रास्तों के रखरखाव, जल छिद्रों की गाद निकालने, घास के मैदानों का विकास, वायर लेस उपकरण की खरीद आदि सहित अनेक कार्य शुरू किए गए हैं।

(घ) अभयारण्य को गत दो वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र० सं०	वर्ष	दी गई सहायता (लाख रुपए)
1	2004-05	2.50
2	2005-06	15.00
3	2006-07	11.70

कर्नाटक में चारा विकास कार्यक्रम

1813. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चारा विकास कार्यक्रम, ग्रासलैंड विकास और चारा बीज वितरण संबंधी तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक स्वीकृति और अनुदानों को जारी किया गया जाना अब तक प्रतीक्षित है;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रस्तावों को स्वीकृति और धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने तीन घटकों अर्थात् चारा ब्लॉक बनाने वाली यूनिट, घास रिजर्व सहित चारागाह विकास तथा चारा बीज वितरण को शामिल करते हुए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है राज्य सरकार को सितम्बर, 2005

में 100 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया था, जिसे बाद में 2006-07 के दौरान उपयोग के लिए पुनर्वैधित किया गया था। पहले से जारी धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो किसी भी नए प्रस्ताव के विचार के लिए पूर्व अपेक्षित है।

[हिन्दी]

झारखंड में जनजातियों को वनभूमि

1814. श्री फुरकान अंसारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड में जनजातियों को वन भूमि सौंपे जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी नहीं। इस मंत्रालय को झारखंड राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस पीड़ितों के लिए टैंकों के निर्माण और जलापूर्ति लाइन हेतु धनराशि

1815. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के वार्ड के लिए जलाशयों के निर्माण और जलापूर्ति लाइनों के लिए 45 करोड़ रुपए की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) भोपाल के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। रसायन व पेट्रोरसायन विभाग को राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के अधीन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०) के अंतर्गत निधि स्वीकृत की है, जिसमें से, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल नगर निगम (बी०एम०सी०) को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यू०सी०आई०एल०) प्लांट स्थल के आसपास 14 इलाकों को कोलार जलाशय से पाइपलाइन द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 14.31 करोड़ रु० स्वीकृत किए हैं।

[अनुवाद]

किसानों में भुखमरी

1816. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से विशेषकर उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों से भुखमरी से मौतों के बहुत से मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इससे प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और भुखमरी से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा सहित किसी भी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अब तक भुखमरी से कोई मौत होने की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) देश में खाद्य सुरक्षा का रख-रखाव करने के लिए, सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर यथा निम्नलिखित कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों का आवंटन कर रही है।

(i) मध्याहन भोजन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शासित)

(ii) गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम और किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शासित)

(iii) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शासित)।

(iv) उड़ीसा के के०बी०के० जिलों के लिए इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम।

(v) अन्नपूर्णा स्कीम।

(vi) ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम।

केरल में पी०डी०एस० खाद्यान्नों की कमी

1817. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री पी० करूणाकरन :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) के कतिपय डिपो में खाद्यान्नों की मात्रा में कमी की वजह से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) का सुचारू कार्यकरण प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य में पी०डी०एस० के सुचारू कार्यकरण के लिए राज्य के सभी डिपुओं में सुगम अन्तर-डिपो संचलन और स्टॉक की जायज मौजूदगी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एफ०सी०आई० प्राधिकारियों को निदेश दिए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं। केरल क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के अधीन किसी भी बेस डिपु में खाद्यान्नों के स्टाक उपलब्ध न होने की ऐसी कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोच्चि में जल उद्यान

1818. श्री पी०सी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य मत्स्यन संसाधन प्रबंधन सोसायटी ने राज्य के कोच्चि में जल उद्यान की स्थापना संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय मत्स्यन विकास बोर्ड, हैदराबाद को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) केरल सरकार ने राज्य सरकार तथा एन०एफ०डी०बी० के बीच बराबर बांटी जाने वाली कुल 1,105.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक एक्वा टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन०एफ०डी०बी०) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर चालू वित्त वर्ष के दौरान विचार नहीं किया जा सका क्योंकि "एन०एफ०डी०बी० के अन्य क्रियाकलाप" के तहत ऐसे प्रस्तावों पर विचार के लिए मानकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इस्पात उद्योग में विश्व में भारत का स्थान

1819. श्री अबु अयीश मंडल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात बाजार में विश्व में भारत के स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत के स्थान में सुधार के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० अखिलेश दास) : (क) इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट (आई०आई०एस०आई०) के अनुसार अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में भारत की ग्लोबल रैंकिंग में पिछले तीन वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष और धीरे-धीरे सुधार हुआ है तथा यह वर्ष 2004 में 9वां रैंक से वर्ष 2005 में 8वां रैंक और 2006 में 7वां रैंक हो गया है।

(ख) सरकार इस्पात उत्पादन में विश्व में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए कोई प्रत्यक्ष कदम नहीं उठा रही है। तथापि, देश में इस्पात क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2019-2020 तक 110 एम०टी० वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार की है।

जहां तक सरकार की भूमिका का संबंध है, क्योंकि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, सरकार केवल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। तथापि, सरकार ने इस्पात के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार और आदान कच्चे माल की उपलब्धता में प्रक्रियागत और नीति संबंधी अड़चनों को दूर करना तथा देश में अवसंरचना का सृजन जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय करना शामिल हैं।

जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण

1820. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में एक जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में राज्यों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के पास प्रत्येक राज्य में "जल संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन०एच०एम० के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुदान

1821. **श्री जोआकिम बखला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदानों को जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुदान जारी न होने की वजह से कई राज्य सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर पाई है; और

(ङ) यदि हां, तो शेष प्रस्तावों और अनुदानों को कब तक अनुमोदित और जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) के अंतर्गत एक घटक है जिसमें किसानों के प्रशिक्षण और एक्सपोजर दौरे आयोजित करने, मालियों, पर्यवेक्षकों और उद्यमियों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। बागवानी तथा एच०आर०डी० कार्यकलापों में विकासात्मक कार्यक्रम करने के प्रस्तावों वाली वार्षिक कार्य योजनाएं पश्चिम बंगाल सहित सहभागी राज्यों से वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए प्राप्त हुई हैं। उन राज्यों की सूची जिनकी कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुहैया कराई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एच०आर०डी० कार्यकलाप करने के लिए एन०एच०एम० में भाग लेने वाले सभी राज्यों को निधियां निर्मुक्त की गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों की सूची दर्शाने वाला विवरण जहां 2005-06 और 2006-07 के लिए वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है और इस स्कीम में एच०आर०डी० घटक के अंतर्गत मुहैया की गई/निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्यों के नाम जहां 2005-06 और 2006-07 के लिए वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	138.50	227.52
2.	बिहार	61.94	37.37
3.	छत्तीसगढ़	475.12	325.00
4.	दिल्ली	कोई एचआरडी घटक प्रस्तावित नहीं।	
5.	गोवा		21.75
6.	गुजरात		3.105
7.	हरियाणा	44.75	60.50
8.	झारखंड	40.00	50.00
9.	कर्नाटक	74.52	244.75
10.	केरल	150.34	165.58
11.	महाराष्ट्र	262.98	308.88
12.	मध्य प्रदेश	28.63	179.62
13.	उड़ीसा	158.00	193.73
14.	पंजाब	111.70	
15.	राजस्थान	135.62	25.00
16.	तमिलनाडु	188.71	
17.	उत्तर प्रदेश	357.81	
18.	पश्चिम बंगाल	97.95	32.57

1	2	3	4
19.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	कोई एचआरडी घटक प्रस्तावित नहीं।	
20.	लक्षद्वीप		12.95
21.	दादर और नगर हवेली	कोई एचआरडी घटक प्रस्तावित नहीं।	
	कुल	2326.57	1888.32

कीटों और पौधों की बीमारियों पर नियंत्रण के लिए धनराशि

1822. श्री नरहरि महतो :
श्री एस०के० खारवेनथन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से कीटों एवं विभिन्न पेड़/पौधों की बीमारियों की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता मांगने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्यों के कार्य योजना प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्र सरकार वृहद प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए सैक्टर-वार परिव्यय अनुमोदित करता है। इस कार्य योजना में समेकित कीट प्रबंधन (आई०पी०एम०) को बढ़ावा देने का भी एक घटक शामिल होता है जो कि एक पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य कीटों और रोगों पर नियंत्रण स्थापित करना है। इस दृष्टिकोण में कीट नियंत्रण प्रौद्योगिकी, जैसे की कीटनाशियों का कल्चरल, मैकेनिकल, जीव वैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रयोग, को शामिल किया गया है। 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान आई०पी०एम० के लिए अनुमोदित राज्यवार परिव्यय को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कीटों और रोगों पर नियंत्रण स्थापित किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, यथा:

(i) वर्ष 2006-07 के दौरान मध्य प्रदेश में संतरे में लगने वाले गुमोसिस पर नियंत्रण के लिए 591 लाख रुपये की विशेष सहायता अनुमोदित की गई है।

(ii) वर्ष 2006-07 के दौरान, अनार के बागानों बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रबंधन के लिये कर्नाटक सरकार को 212.50 लाख रुपये का एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है।

(iii) तीन साल से अधिक समय तक केरल में सुपाड़ी बागानों में फैले येलोलीफ रोग पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2006-07 में 125.44 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(iv) महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में बैक्टीरियल ब्लाइट प्रस्तावित अनार के बागानों बेहतर कीटनाशी प्रबंधन के लिए मार्च, 2007 में एक पैकेज को अनुमोदित किया गया है। यह पैकेज इन राज्यों में क्रमश: 9753 हैक्टेयर, 7426 हैक्टेयर और 1200 हैक्टेयर के लिए अनुमोदित किया गया है।

विवरण

वृहद प्रबंधन के अंतर्गत आई०पी०एम० के लिये परिव्यय

लाख रुपये में

क्र० सं०	राज्य	आई०पी०एम० परिव्यय		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	124.00	174.13	0.00
2.	बिहार	46.00	38.00	58.78
3.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	45.00	125.00	32.90
7.	हिमाचल प्रदेश	10.08	0.00	0.00
8.	जम्मू व कश्मीर	56.00	85.00	0.00
9.	कर्नाटक	170.00	105.00	0.00
10.	केरल	0.00	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	88.89	91.11	151.20

1	2	3	4	5
12.	छत्तीसगढ़	13.14	50.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	15.00	100.00	0.00
14.	उड़ीसा	0.00	41.82	58.82
15.	पंजाब	80.00	126.00	23.91
16.	राजस्थान	110.00	65.00	96.80
17.	तमिलनाडु	0.00	60.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	18.00	30.00	128.70
19.	उत्तरांचल	0.00	0.00	12.51
20.	पश्चिम बंगाल	0.00	60.00	31.50
21.	अरूणाचल प्रदेश	36.50	0.00	67.53
22.	असम	70.30	50.00	269.14
23.	मणिपुर	26.50	65.00	619.29
24.	मिजोरम	28.00	23.00	57.50
25.	मेघालय	20.00	15.00	0.00
26.	नागालैण्ड	20.00	0.00	28.24
27.	सिक्किम	1036.00	10.30	10.15
28.	त्रिपुरा	0.00	112.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.40	0.00	0.00
31.	दिल्ली	2.00	1.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	10.00	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
	योग	2026.01	1427.36	1636.97

कृषि जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति

1823. श्री सुग्रीव सिंह :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री रवि प्रकार वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय नीति संबंधी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर अन्तर्मन्त्रालीय परामर्श पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आयोग ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर प्रो० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले कार्यबल द्वारा दी गई सिफारिशों पर अन्तर्मंत्रालीय विचार-विमर्श का काम पूरा हो गया है। इस कार्यबल ने विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पावधिक सिफारिशें की हैं। इनमें से एक सिफारिश राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (एन०बी०आर०ए०) से संबंधित है जिसका उद्देश्य जेनेटिक रूप से आशोधित फसलों के विकास और निर्मुक्ति से संबंधित विनियामक प्रक्रिया को कारगर बनाना और उसमें सुधार करना है। इस समय इसकी देख-रेख भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा हैं।

(ग) से (ङ) प्रो० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने किसानों के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय नीति के मसौदे की सिफारिश की है। सरकार ने इन सिफारिशों की तेजी से जांच परख करने के लिये हर संभव कदम उठाये हैं।

उद्योगों के लिए जल संबंधी नीति

1824. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उद्योगों के लिए जल संबंधी' नीति को तैयार करने के लिए एक उप समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नीति में विविध उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजना की आयोजना विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में राज्यों ने क्या राय व्यक्त की है; और

(च) राज्य सरकारों और औद्योगिक निकायों ने इस नीति को किसी सीमा तक स्वीकार किया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रवासी पक्षियों का आगमन

1825. **श्री अबु अयीश मंडल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कौन-कौन से स्थानों पर प्रवासी पक्षियों का सामान्यत: आगमन होता है;

(ख) क्या उनकी संख्या में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या में बढ़ावा/सुगम बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) भारत की महत्वपूर्ण नमभूमियां भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के मुख्य शीतकालीन पर्यावास है। राजस्थान में भरतपुर, उड़ीसा में चिल्का, उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी, हरियाणा में सुलतानपुर और गुजरात में नलसरोवर और कच्छ कुछ महत्वपूर्ण नमभूमियां हैं जहां प्रवासी पक्षी आते हैं।

(ख) भारत में कुछ स्थानों पर आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आने की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) इनके आगमन को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(i) प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण नमभूमियों/शीतकालीन पर्यावासों जैसे केवलादेव, चिल्का आदि को सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है।

(ii) महत्वपूर्ण प्रवासी प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके इन्हें उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

(iii) भारत युनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कन्जर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसिज़ (सी०एम०एस०) पर हस्ताक्षरकर्ता है। और कन्वेंशन के तहत प्रवासी पक्षियों और इनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए बाध्य है।

(iv) भारत ने साइबेरियाई सारसों और इनके पर्यावासों की सुरक्षा हेतु सी०एम०एस० के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(v) प्रवासी पक्षियों के पर्यावासों के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग

1826. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी फीचर फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने के लिए 'प्रतीक्षा अवधि' कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है जहां और अधिक समय लग सकता है;

(ग) क्या भारत ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय फिल्मों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय का भी स्वागत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने में कितनी सहायता मिली है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारत सरकार ने विदेशियों द्वारा भारत में शूटिंग करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। गृह मंत्रालय के परामर्श से अनुमति देने संबंधी आवेदन पर कार्रवाई में सामान्यतया तीन सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगेगा।

(ख) यदि फिल्म की शूटिंग जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत या देश के सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में की जानी है, तो आवेदन पर गृह मंत्रालय के परामर्श से विशेष अनुमोदन हेतु विचार किया जाएगा। ऐसे मामलो में आवेदनों को अनुमति देने की कार्रवाई में अधिक समय लगेगा। इसके अतिरिक्त, यदि फीचर फिल्म

के मुद्दे सांप्रदायिक विषयों, मानवाधिकारों, जनजातीय, नाभिकीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अथवा आर्थिक/सामाजिक/राजनीतिक दृष्टिकोण से विचारोत्तेजक या संवेदनशील समझे जाने वाले पटकथा में उल्लिखित किसी अन्य मुद्दे के बारे में हैं तो गृह मंत्रालय के साथ पूर्व-परामर्श आवश्यक होगा।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने भारतीय फिल्मों पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) में निर्दिष्ट तथ्यों के मद्देनजर, यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कीटनाशकों पर राज सहायता

1827. **श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राज सहायता का बड़ा भाग कीटनाशकों के लिए जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कीटनाशकों का प्रति हैक्टेयर भूमि की दृष्टि से उपयोग अन्य विकासशील और विकसित देशों से तुलनात्मक रूप में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कीटनाशक मेन्यूफेक्चरर्स और फार्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से कीटनाशकों के नियंत्रण मूल्यों पर शुल्क में कटौती का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार समेकित कीट प्रबंधन (आई०पी०एम०) को बढ़ावा देने के लिए वृहद् प्रबंधन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान करती है। आई०पी०एम० एक पर्यावरण के अनुकूल और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य कीट संबंधी समस्याओं का समाधान करना है जिसमें कीट नियंत्रण तकनीक जैसे कि अल्चरल, यांत्रिक, जैव वैज्ञानिक तथा रासायनिक कीटनाशियों का वैज्ञानिक और न्याय संगत प्रयोग शामिल है। कीटनाशियों के लिए सब्सीडी दिये जाने की कोई अलग स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। कई विकासशील और विकसित देशों की अपेक्षा भारत में प्रति हैक्टेयर कीटनाशियों का प्रयोग कम है। किसी देश में कीटनाशियों का प्रयोग कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि कृषि जलवायुवीय स्थिति और कीटों का स्तर आदि। भारत सरकार ने समेकित कीट प्रबंधन को अपने पादप संरक्षण रणनीति के मामले में एक मूलभूत सिद्धांत और मुख्य आधार के रूप में अपनाया है और यह कीटनाशियों के केवल आवश्यकता आधारित तथा न्याय संगत प्रयोग की सिफारिश करती है। उपर्युक्त दृष्टिकोण से और कीट प्रतिरोधी किस्मों के प्रयोग से कीटनाशियों की खपत (तकनीकी) 2001-02 के 47020 मीटरी टन से कम होकर 2005 06 में 39773 मीटरी टन हो गई है।

(ङ) और (च) पेस्टीसाइड्स मैन्युफैक्सर्च एण्ड फार्मुलेटर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने कीटनाशियों पर से उत्पाद शुल्क समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है। हालांकि इसके अनुरोध पर विचार किया गया है लेकिन बजट-2007-08 में इस पर सहमति नहीं बन पाई है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन

1828. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट तापमान और जलवायु के लिए हरित क्रान्ति के दौरान उच्च उत्पादकता वाले विकसित खाद्यान्न विशेषकर गेहूं बदली हुई परिस्थितियों में देश में उत्पादन बढ़ाने में अग्र और प्रभावी नहीं रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो नई परिस्थितियों में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए खाद्यान्नों की नई किस्मों को विकसित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया) : (क) और (ख) हरित क्रान्ति अवधि के दौरान विकसित अधिक पैदावार देने वाली किस्में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायक रही हैं जिसकी शुरूआत छठेदशक के मध्य में हुई। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत को सफलता हरि क्रान्ति से हुई है जिसके अंतर्गत गेहूं और चावल की किस्मों में बौने जीनों की पहचान और इंट्रोग्रेसन प्रारम्भ हुआ और मक्का, ज्वार और बाजरे के संकरों का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर इन किस्मों और संकरों को अपनाने से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा और खाद्य उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया। तथापि, इन संकरों और किस्मों को निरंतर उगाना, उन्हें उभरते नाशीजीवों और रोगों के प्रति अतिसंवेदनशील भी बनाता है। अतः इन्हें हटाया गया

और उपभोक्ता स्वीकार्यता के साथ बेहतर अन्न गुणवत्ताओं सहित प्रमुख जैविक और अजैविक दबावों के प्रति बेहतर आंतरिक प्रतिरोधिता से ओत-प्रोत बढ़िया किस्मों और संकरों से बदला गया।

गेहूं के मामले में, हरित क्रान्ति के दौरान विकसित की गई सोनालिका और कल्याण सोना आदि अगेती किस्में, एच०डी०-2329, एच०डी०-2285 आदि जैसी सुधरी किस्मों से बदली गईं। इन किस्मों को भी फिर से बदलकर और भी बेहतर किस्म — पी०डब्ल्यू०बी०-343 लाई गई जो कि आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के बड़े भू-भाग में उगाई जाती है। इस समय यह किस्म एक नई पीत रतुआ प्रजाति 78 एस 84 के प्रति सुग्राही पाई गई है। इस किस्म को बदलने के लिए, गेहूं की एक नई किस्म डी०बी०डब्ल्यू०-17 विकसित कर ली गई है।

इस प्रकार, बदलते पर्यावरणों के लिए उपर्युक्त नई किस्मों के विकास और उभरते नए पैथोटाइपों पर लगातार ध्यान दिया जाता है, ताकि गेहूं सहित देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन निरन्तर बना रहे।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय महापुरुष को अश्लील मुद्रा में दिखाया जाना

1829. श्री रशीद मसूद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी को अश्लील एवं आपत्तिजनक मुद्रा में दर्शाने वाली वेबसाईट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

1830. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में विद्युत परियोजनाएं सरकार के पास पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार इन लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी हेतु कोई कदम उठाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) ताप विद्युत से संबंधित 36 परियोजनाएं और हाइड्रोपावर से संबंधित 8 परियोजनाएं 31.01.2007 को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित थी।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ''बेहतर प्रणाली दिशानिर्देश'' अपनाएं है जिसमें अन्य बातों के साथ ही साथ पूर्व निर्धारित अनुसूची के अनुसार विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की नियमित और जल्दी-जल्दी बैठकें आयोजित करना तथा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आए आवेदनों पर विचार के लिए अन्य विनियामकों से मंजूरी पर जोर न देना तथा परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए थोड़े-थोड़े की अपेक्षा व्यापक रूप से अतिरिक्त सूचना मांगना शामिल है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में परिवर्तन

1831. डा० के०एस० मनोज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना की निबन्धन और शर्तों में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2001-2006 की अवधि के लिए अंतरिम राहत की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के उपबंधों में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है जिससे यह और अधिक कार्यक्षम तथा सदस्यों और उनके परिवारों के लिए और अधिक लाभदायक बन सके। इन परिवर्तनों में परिवार और पेंशन योग्य सेवा की परिधि को बढ़ाना योजना में शामिल होने का विकल्प, पूंजी का सरांशीकरण और

वापसी का विकल्प और पैंशन संबंधी लाभों की गारंटी से संबंधित खण्ड शामिल किया जाना इत्यादि शामिल है।

(ग) कर्मचारी पैंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन कर्मचारी पैंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है।

मूल्यांकक/बीमांकक द्वारा वर्ष 2000 से 2004 की अवधि के लिए किए गए वार्षिक मूल्यांकनों में कोई अधिशेष नहीं दर्शाया गया है। अत: वर्तमान में अंतरिम राहत या उसके बकाए के भुगतान का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीज विधेयक, 2004 में संशोधन

1832. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों ने सरकार से किसानों के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु बीज विधेयक, 2004 में आवश्यक संशोधन करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित विधेयक में कोई आवश्यक संशोधन समाविष्ट किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इस मामले की स्थिति क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) कई कृषक संगठनों, बीज संघों और गैर-सरकारी संगठनों ने बीज विधेयक, 2004 के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सरकार को और कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को प्रतिवेदन दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक की जांच एवं रिपोर्ट के लिए इसे कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था जिसने दिनांक 12 अक्तूबर, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में मंत्रिमण्डलीय नोट तैयार किया गया और संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को परिचालित कर दिया गया और सभी संबंधितों के विचार प्राप्त होने के पश्चात मंत्रिमंडल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। विधेयक को कानून बनने के पश्चात ही कार्यान्वित किया जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो०एम० रामदास : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे है? मैं किसी भी बात को नहीं मान सकता हूं। कोई सूचना नहीं दी गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सभा में क्या हो रहा है। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं जानता। आप सभी जो कुछ बोल रहे हैं मैं वह भी नहीं सुन सकता हूँ। यहां क्या हो रहा है? मैं मुद्दे के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया लिखकर भेजें। मुझे अफसोस है। आप लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आप उनकी भलाई नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता। मैं यह भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठिए। मैंने अवसर देने से इंकार नहीं किया है किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। क्या आप इस प्रकार के रवैये से लोगों के हित में काम कर रहे हैं? आप एक जिम्मेदार पार्टी के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इंकार नहीं किया है। मैंने आपको कहा है कि आप इस मुद्दे को कल उठाएंगे और आपने भी इसे स्वीकार कर लिया था। मुझे इसके बारे में कुछ बताया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

[प्रो० सैफुद्दीन सोज़]

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5895/07]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5896/07]

(3) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5897/07]

(5) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5898/07]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5899/07]

(2) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5900/07]

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : मैं श्री कांति लाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स.फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5901/07]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5902/07]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली, के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5903/07]

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लक्षद्वीप के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लक्षद्वीप के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5904/07]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2006 जो 26 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 666(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5905/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं श्री नमोनारायण मीना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सलीम अली सेंटर फार ऑरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री विजय हान्डिक]

(दो) सलीम अली सैंटर फार ऑरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5906/07]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1949(अ) जो 13 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनमें 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1533(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5907/07]

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5908/07]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा०का०नि० 766(अ)/ई०एस०एस०कॉम०/सुगरकेन जो 22 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उनमें उल्लिखित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2006-2007 के सुगर सीजन के लिए गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में है।

(दो) चीनी (2006-2007 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) आदेश, 2006 जो 26 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 770/(अ)/ई०एस०एस०कॉम०/सुगर में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) गेहूं (कंपनियों या फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टॉक की घोषणा) आदेश, 2007 जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 305(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5909/07]

(2) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 1997-1998 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5910/07]

(3) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5911/07]

(4) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5912/07]

(5) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5913/07]

(6) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवदेन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5914/07]

(7) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवदेन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5915/07]

(8) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवदेन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5916/07]

(9) डेवलपमेंट काउंसिल फार सुगर इंडस्ट्री के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवदेन तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5917/07]

(10) (एक) भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5918/07]

(12) मध्य प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 की उपधारा (2) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य भांडागारण निगम (आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का प्रभाजन) आदेश, 2006 जो 16 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 28 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5919/07]

(13) भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) नियम, 2006 जो 1 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 732 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5920/07]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नांकित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 9 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अध्यक्ष महोदय : मद सं० 11 डा० अखिलेश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीगण ध्यान दें।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (2005-06) और उन्नीसवें प्रतिवेदन (2006-07) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) :** महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री शरद पवार की ओर से लोक सभा समाचार भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के द्वारा'

---

*[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 5921/07]

[डा० अखिलेश प्रसाद सिंह]

जारी किए गए लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें तथा उन्नीसवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डी०ए०आर०ई०) की वर्ष 2005-06 के लिए अनुदानों की मांगों की जांच की तथा कृषि संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन 2005-06) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर अपना चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर विचार करने के लिए थोड़ा समय दें। मैंने इसके लिए 'नहीं' नहीं कहा है। सभा को कार्यवाही में बाधा डालने से आपको क्या मिलेगा?

डा० अखिलेश प्रसाद सिंह : लोक सभा में यह प्रतिवेदन 21 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन इसे राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनमें से शेष को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

डा० अखिलेश प्रसाद सिंह : मैं इसे सिर्फ सभा पटल पर रखता हूं:**

> समिति ने अपनी सिफारिश सं० 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 तथा 16 (कुल-11) के बारे में सरकार के उत्तर को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी सिफारिश सं० 2, 6, तथा 13 के बारे में सरकार के उत्तर को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, समिति को अपनी सिफारिश सं० 1 तथा 9 के बारे में सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। अत:, विभाग ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट में इन सभी सिफारिशों के बारे में पुन: उत्तर प्रस्तुत किया है।

समिति की इन सभी सिफारिशें पर विचार किया गया है तथा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है। सभी सिफारिशों के बारे में समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। आरंभ की गई है। समिति की सिफारिशों/ टिप्पणियों तथा इन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/आगे की कार्रवाई तथा इनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक 1 में संलग्न है तथा इसे संसदीय समिति को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, कृषि संबंधी स्थायी समिति ने कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डी०ए०आर०ई०) की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों की भी जांच की तथा अपना उन्नीसवां प्रतिवेदन लोक सभा को दिनांक 19.05.2006 को प्रस्तुत किया तथा इसे उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत विभाग ने अपने उत्तर तैयार किए हैं तथा समिति को प्रस्तुत किए। समिति ने अपनी सिफारिशों के बारे में सरकार के उत्तर पर विचार किया।

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत विभाग द्वारा समिति की सभी नौ सिफारिशों पर विचार किया गया तथा स्वीकार किया गया। समिति द्वारा सभी सिफारिशों पर यथाप्रस्तावित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। शुरू की जा चुकी है।

समिति की सिफारिशों का ब्यौरा और सरकार का उत्तर, जो कि संसदीय समिति को पहले ही दिया जा चुका है, अनुलग्नक-II में दिया गया है।*

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) 12 मार्च, 2007 को काउरू, फ्रेंच गुयाना से इनसैट-4 बी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

अध्यक्ष महोदय : मद 11क — श्री पृथ्वीराज चव्हाण। यह बहुत खुशी का अवसर है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण वक्तव्य है। कृपया उनकी बात सुनें।

***प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस महान सदन को यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि कोरू, फ्रेंच गियाना से यूरोपियन एरियन-5 प्रमोचक रॉकेट द्वारा आज प्रात: (मार्च 12, 2007 को) भारत के नवीनतम उपग्रह, इन्सैट-4बी का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया। 3,025 कि०ग्राम० वजन वाला इन्सैट-4बी अपने साथ 12 उच्च-शक्ति वाले के०यू०-बैण्ड प्रेषानुकर तथा 12 सी-बैण्ड प्रेषानुकर ले गया है, जोकि डायरेक्ट-टू-होम दूरदर्शन तथा अन्य संचार और टी०वी० सेवाओं के लिए इन्सैट क्षमता का संवर्धन करेगा।

इन्सैट-4बी के कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही, कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा में संकेत प्राप्त हुए और प्रारंभिक जांच से उपग्रह के सामान्य रूप से कार्य करने की सूचना मिली है। इंडोनेशिया में बियाक स्थित इसरो दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (आई०एस०टी०आर०ए०सी०) नेटवर्क तथा इन्मारसैट भू-केन्द्र भी उपग्रह के प्रारंभिक चरण के प्रचालनों में सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन्सैट-4बी को युक्तिचालन के द्वारा भूमध्यरेखा के ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतिम रूप से भू-स्थिर कक्षा में स्थापित

**भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5922/07]

किया जा रहा है। इन्सैट-4बी को कक्षीय परीक्षणों के बाद लगभग एक माह के अंदर राष्ट्र की सेवा में अभिचालित कर दयिा जाएगा।

मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे साथ इसरो के अध्यक्ष तथा इसरो दल के सभी सदस्यों को बधाई दें और सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं दें।

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

काउरू, फ्रैंच गुयाना से इनसैट-4बी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी और माननीय सदस्यों की ओर से हमारे देश के महान वैज्ञानिकों को उनके द्वारा राष्ट्र के प्रति की गई शानदार सेवा के लिए बधाई देता हूं। हमें उन पर गर्व है। कृपया इस सभा की ओर से उन्हें बधाई दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पुसामी, कृपया इंतजार कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आएगी।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, देश भर की बैंकों के हजारों की तादाद में कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बैठिए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.08½ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए० राजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवदा]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा।

मैंने बार-बार कहा है एवं अनुरोध किया है कि महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाने की मनाही का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन कतिपय प्रक्रियाएं होती हैं जिनका कतिपय अवसरों पर पालन करना होता है। हमने दलों के नेताओं के साथ समिति में निर्णय लिया है। मैं घोषणा कर चुका हूं कि भोजनावकाश नहीं होगा तथा महत्वपूर्ण मामले - सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा के सिवाय किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी, मैंने योगी आदित्य नाथ जी को अनुमति दी है क्योंकि कुछ मुद्दे, जिसे वे दृढ़ता से उठाए जाने की आवश्यकता महसूस करते है उन्हें उठाने दिया जाए।

माननीय सदस्य श्री कुप्पुसामी आज सुबह मुझे मिले थे। मैंने कहा कि इसकी अनुमति मैं कल दे दूंगा। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मुझे तो यह पता भी नहीं था कि यह मामला उठाया जा रहा है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इसलिए, यदि आप इससे सहमत हो तो प्रश्न काल के बाद सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद, मैं आपको कल अनुमति दूंगा। कृपया सहयोग करें। आपका मुद्दा उचित रूप से उठाया जा सकेगा।

तब आपको लोगों के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने में संतुष्टि मिलेगी।

अब, योगी आदित्य नाथ अपना निवेदन प्रस्तुत करेंगे। आज, योगी आदित्य नाथ से जुड़े मुद्दे के सिवाय किसी अन्य मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अपराह्न 12.11 बजे

विशेषाधिकार के हनन संबंधी प्रश्न की सूचना के बारे में

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आदित्य नाथ जी, मैं जानता हूं आप इसके बारे में महसूस करते हैं। आप इस सभा के माननीय सदस्य हैं। जो भी मेरी शक्तियों में है, मैं आपके आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं मेरी तरफ से पूरा-पूरा प्रयास करूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूं। आप हमें बताइए कि क्या हुआ। मैं इस पर ध्यान दूंगा। योगी जी, हम सभी आपका सम्मान करते हैं। हम निश्चित तौर से इस पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बार लोक सभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25 हजार मतों से जीता था, दूसरी बार 50 हजार मतों से और तीसरी बार लगभग 1.50 लाख मतों से गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने आया हूं कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं? क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा के अति सम्माननीय सदस्य हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही इस सदन को छोड़कर के वापस जाना चाहता हूं। मेरे लिए यह सब कोई महत्व नहीं रखता है। मैंने अपने जीवन से समाज के लिए सन्यास लिया है, मैंने अपने मां-बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अपराधी बनाया जा रहा है क्योंकि मैंने वहां भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, भारत-नेपाल सीमा पर आईएसआई और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और बराबर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा। मैं वहां भुखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मामला उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ सारे मामले बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं।

महोदय, मुझे 28 तारीख को जेल में निरूद्ध किया गया। जिसकी सूचना इस सदन को गोरखपुर जिला प्रशासन ने जो दी है, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि "श्री योगी आदित्यनाथ, लोक सभा सदस्य को शांति भंग होने की आशंका में 28 जनवरी 2007 को दोपहर बाद सदर क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया जाता है।"

महोदय, मुझे शांति भंग होने की आशंका के तहत गोरखपुर से 20 किलोमीटर पहले गिरफ्तार किया जाता है तो शांति भंग होने की आशंका से 107, 116 के तहत कोई भी प्रशासन किसी भी व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक अभियुक्त बनाकर नहीं रख सकता। लेकिन मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : योगी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। कृपया वही बातें कहिए जो हमारे दायरे में हैं। हम राज्य सरकार के मामले नहीं देख सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : यही नहीं जब इस मामले में मेरे अधिवक्ता ने प्रशासन से जानने का प्रयास किया कि आखिर किस मामले में मुझे बंद किया है तो पहले कहा गया कि शांति भंग की आशंका में, जब पहली फरवरी को मेरे अधिवक्ता ने इस मामले में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां एक निगरानी अपील दायर की तो बैंक डेट पर मेरे खिलाफ तमाम मामले दर्ज कर दिये गये और मामले दर्ज करने के बाद मुझे पुनः...*(व्यवधान)* महोदय, कोई भी एफ०आई०आर० होती है तो 24 घंटे के अन्दर न्यायालय में उसकी नकल भेजी जाती है, लेकिन मेरे मामले में सात दिनों तक कोई भी एफ०आई०आर० की प्रति न्यायालय में नहीं भेजी गई। यह साबित करता है कि मेरे खिलाफ बाद में बैंक डेट में मामले दर्ज किये गये और उसके बाद ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, क्या मुझे एक मिनट तो छोड़िए, एक सैकेण्ड का समय देंगे? जैसे ही आपका पत्र मेरे पास आया, हमने इस मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अच्छी-तरह से जानते हैं कि मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं लेकिन हम राज्य सरकार के मामले में से नहीं निपट सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं वही कहना चाहता हूं, मेरे लिए

ये सब बातें बहुत महत्व नहीं रखतीं। राजनैतिक विद्वेष का शिकार. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, इसमें एक और मामला भी शामिल है। मामला यह है कि वह एक संसद सदस्य हैं। क्या एक संसद सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया है?. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें देखने दीजिए। आप बैठ जाइए प्लीज।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, यह विशेषाधिकर का मामला है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त, आप अच्छी-तरह से जानते हैं कि हमें एक रिपोर्ट मिली है। कृपया बैठ जाइए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह एक चुने हुए संसद सदस्य के विशेषाधिकार के अतिक्रमण की बात है।. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें देखने दीजिए। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं मेरे ओर से पुरजोर विरोध दर्ज करवाना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : किसी संसद सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें देखने दीजिए। जो न्यूनतम हैं, मैंने उसका अनुपालन किया है। आप सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी स्थिति पर ध्यान दीजिए, मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं। जो भी मेरे शक्तियों में सम्भव होगा, मैं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरियांकिल) : महोदय, यह एक संसद सदस्य की निष्ठा का प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय *: मुझे अवसर दिए बिना सभी मुझे सलाह दे रहे हैं। आप सभी सलाहकार हैं। मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। मैं केवल अनुरोध कर रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले में शक्तियों की कतिपय अपर्याप्तताएं हैं। हम यह नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपके एडवाइजर का काम हम नहीं करेंगे। हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप सदस्यों के संरक्षक हैं।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सलाहों का स्वागत करता हूं लेकिन सभी मामलों में नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह हमने नहीं बोला। श्री प्रभुनाथ सिंह मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। मैंने यह बात नहीं कही। मैंने कहा कि यहां पर कतिपय सीमाएं हैं। मैं कितना कर सकता हूं, मैं इस पर विचार करूंगा। मैंने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा। आप यह क्यों कहते हैं कि मैंने मना कर दिया है? कृपया अपने शब्दों को मेरे ऊपर मत थोप्पिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं कोर्ट के द्वारा अब तक जिन एफ०आई०आर० को क्वैश किया गया है, जिन मामलों में फर्जी एफ०आई०आर० में स्वयं कोर्ट कहती है। किस प्रकार से मेरे साथ के लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, अभी मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पर जो गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की गई है, महोदय, उसकी पूरी सूची मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। अकेले गोरखपुर जनपद में 14 कार्यकर्ताओं को रासुका के तहत निरूद्ध किया गया है, कोई एफ०आई०आर० नहीं है।*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसे आप मेरे संज्ञान में लाएं तथा मैं इस पर ध्यान दूंगा।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनपद कुशीनगर में *(व्यवधान)* वही कहना चाहता हूं। बलरामपुर में दो लोगों पर, जनपद मऊ में चार लोगों पर और गोरखपुर में 23 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की गई है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने बारे में बोलिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे वक्तव्य देने में एक बहुत ही सक्षम संसद सदस्य हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : मैं अपने बारे में ही कहना चाहता हूं। महोदय, यही नहीं, यह कार्रवाई निरन्तर उत्पीड़न की है और किस हद तक एक मामले में, जिसमें उत्तर प्रदेश की ही संस्था सी०आई०डी० ने पांच साल पहले फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी और सात साल पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई थी।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने रिपोर्ट मांगी है। .

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : परसों उस मामले की पुनर्विवेचना का आदेश देकर मेरे खिलाफ 302 और 307 में पुनः मुझे अभियुक्त बनाने का षडयंत्र उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मैं अधिकारियों के बयान आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे खिलाफ दिये हैं और उन्होंने किस रूप में संसद को भी गुमराह करने का प्रयास किया है, वह बताना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जो उन्होंने किया है। उस बारे में गोरखपुर के जिस जिलाधिकारी ने मुझे गिरफ्तार किया, मेरी गिरफ्तारी के बाद जब जनता का आक्रोश फूटा तब वह व्यक्ति निलंबित हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति का बयान आता है कि अब समाजवादी पार्टी को मुसलमान लोग वोट नहीं देंगे यानी अधिकारी तय करेगा। अब अधिकारी तय करने लग गए हैं कि कौन, किसको वोट दे रहा है। उन्होंने 'आउटलुक' मैगजीन में यह बयान दिया है। इसके अलावा और अधिकारियों ने जो बयान दिए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। गोरखपुर जोन के तत्कालीन आईजी ने पूछा कि योगी जी को क्यों जेल भेजा गया। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया, उस दिन मैं गोरखपुर की समस्याओं को लेकर गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों के नेताओं और अन्य तमाम पदाधिकारियों के साथ एडीजीपी, लॉ एंड आर्डर, उत्तर प्रदेश से मिलने गोरखपुर सर्किट हाउस गया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हमें सब डाक्युमैंट्स भेज दीजिए।

योगी आदित्यनाथ : *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उसके बाद जिस अधिकारी को वहां उस जोन के आईजी के रूप में भेजा गया *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप हमें पेपर्स भेज दीजिए। इस मामले को हम अभी तय नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे यहां उपस्थित नहीं हैं। आप उनके वक्तव्य का यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं आपसे केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन सदस्यों को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? *(व्यवधान)* इससे पहले कि हम श्री सुनील महतो जैसे हादसे का शिकार लोग बनें, किसी राजनीतिक षडयंत्र का शिकार हम लोग बनें, *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर ध्यान देने दीजिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : क्या यह सदन हम लोगों को संरक्षण दे सकता है, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आखिर राजनीतिक षडयंत्रों का शिकार हम जैसे लोगों को कब तक बनाया जाता रहेगा? . . .*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इसे देखेंगे।

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : कब तक हम लोगों के वोट बैंक का निशाना बनते रहेंगे और कब तक चंद भ्रष्ट अधिकारी अपने भ्रष्ट कारनामों को छुपाने के लिए हम लोगो को अपना मोहरा बनाते रहेंगे? यही जानने के लिए मैं यहां आया हूं और इस बारे में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैंने जेल के अंदर और बाहर से भी 6 फरवरी, 12 फरवरी और 27 फरवरी को यहां विशेषाधिकार हनन के नोटिस दिए हैं। मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले में जो अधिकारी दोषी हैं, अगर मैं दोषी हूं तो इस सदन मुझे दोषी ठहराए। एक क्षण नहीं लगेगा, मेरे लिए राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। ...*(व्यवधान)* मेरे मन में जनता के प्रति सेवा की भावना थी, इसलिए यहां आया हूं। अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे इस सदन में बैठने का अधिकर कतई नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सदन इसे तय कर ले। ...*(व्यवधान)* अगर मैं दोषी नही हूं तो जिन अधिकारियों ने मुझे फर्जी मामलों में अभियुक्त बनाया, उन अधिकारियों के खिलाफ और आज भी राजनीतिक षडयंत्रों के तहत, राजनीतिक पूर्वाग्रहों के तहत मेरे खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है,* ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : आखिर उन लोगों के लिए दूसरा नियम और हमारे लिए दूसरा नियम, यह कहां का न्याय है। इसलिए हमें इस मामले में आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बात का तो प्रश्न ही नहीं है। कृपया अध्यक्षपीठ पर कोई आरोप मत लगाइए। वे इसका उल्लेख कर चुके हैं, तथा मैंने कहा है कि इस बारे में प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

जहां तक आपके मामले का प्रश्न है, मैं पुनः कह रहा हूं कि आप इस सभा के एक सम्माननीय सदस्य हैं। मैं आपकी वचनबद्धताओं के लिए आपका सम्मान करता हूं। आपकी वचनबद्धताओं पर कोई प्रश्न चिहन नहीं है। परन्तु आप जानते हैं कि किसी प्रक्रिया का पालन करना होता है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी भी प्रकार से यदि आपके विशेषाधिकार के साथ हसतक्षेप हुआ है तो जो भी शक्तियां इस सभा के पास है तथा इस अध्यक्षपीठ के पास हैं किसी भी अन्य बात पर विचार किए बिना प्रयोग किया जाएगा। कृपया बेफिक्र रहिए, मैं मेरी ओर से पूरा-पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे प्रक्रियाओं एवं मापदण्डों के अनुसार ही चलना पड़ेगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, देखेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : केन्द्र सरकार का भी कुछ दायित्व होता है। श्री प्रियरंजन दासमुंशो यहां पर बैठे हैं।

[हिन्दी]

श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जी सरकार की तरफ से बयान दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं इस ओर ध्यान दूंगा।

माननीय सदस्यों आपके पास उपलब्ध सभी सम्बन्धित सामग्री, मेरे विचार के लिए भेज दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अध्यक्षपीठ पर बिठा देता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिरंजन दासमुंशी) : प्रत्येक माननीय सदस्य को यही उत्तर है कि माननीय अध्यक्ष द्वारा मामलों पर विचार किया जा रहा है। इस मामले पर मैं और कुछ नही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। सरकार से इसका कोई सरोकार नहीं है। वे मेरे अधिकारों के उपयोग के संबंध में 'हां' अथवा 'नहीं' कह सकते है। मैं उन पर निर्भर नहीं हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, आज सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी सड़क पर है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को कल उठा सकते है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है, उसका क्या हुआ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसे आज नहीं लिया जायेगा।

[अनुवाद]

आपने निर्णय लिया था यहां कोई मामला नहीं उठाया जाएगा। नहीं मैं इसकी अनुमति नही दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस को कब लिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। अगर समय मिला तो कल लिया जायेगा नहीं तो परसों लेंगे।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह तात्कालिक महत्व का विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी विषय महत्व के हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.26 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

(एक) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के नाथम शहर में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस०के० खारबेन्थन (पलानी) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 'नाथम' में नाथम तालुका एक महत्वपूर्ण कस्बा है और यह कस्बा आमों, इमली, अमरूद और नरियल के लिए प्रसिद्ध है। यहां से देश के सभी भागों और विदेशों में बड़ी मात्रा में फलो का निर्यात किया जाता है। प्राय: बड़ी मात्रा में और छोटी मात्रा में हर प्रकार के कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए यहां पर अनेक व्यापारी आते रहते हैं। वे केवल बैंको के माध्यम से ही धन का भुगतान करते हैं। और पर्याप्त संख्या में बैंको की शाखाएं न होने के कारण उन्हें बड़ी कठिनायों का सामना करना पड़ता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नाथम में केनरा बैंक की केवल एक ही शाखा है।

नाथम में तालुका कार्यालय, राजमार्ग कार्यालय, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, बागवानी कार्यालय, कृषि विभाग, उप-कोषागार, पंचायत संघ कार्यालय, सरकारी अस्पताल, न्यायिक दंडाधिकारी सह जिला मुन्सिफ न्यायालय, अग्निशमन सेवा विभाग जैसे सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय स्थित हैं। सरकारी लेखो के संचालन और रख-रखाव के लिए नाथम में स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है। उप-कोशागार के लेखों का रख-रखाव भी केनरा बैंक द्वारा किया जाता है।

नाथम में कला और विज्ञान महाविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा स्नातक (बी०एड०) महाविद्यालय, और अन्य शैक्षणिक संस्थाए भी कार्यरत है। बाहर से बड़ी संख्या में आने वाले छात्र छात्रावासों में रहकर पढ़ाई कर रहे है। उनमें से लगभग सभी छात्र शुल्क का विप्रेषण केवल बैंक के माध्यम से ही करते है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'डिंडीगुल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नाथम तालुका की सभी पंचायतो को शामिल किया गया है। हजारो लोग इस कार्य में लगे हुए है और उन्हें मजदूरी का भुगतान भी चैक के माध्यम से ही किया जाता है। चैको के नकदीकरण में उन्हें पूरा दिन लग जाता है।

अत: नाथम में किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोले जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में नाथम चैम्बर ऑफ कामर्स और मैंने, माननीय मंत्री को अनेक पत्र लिखे लेकिन आज की तिथि तक इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से नाथम टाऊन, डिंडीगुल जिले मे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोलने को मंजूरी देने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) गुजरात के बनासकांठा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु सहकारी समितियों को प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

बनासकांठा में अधिकांश किसान परिवार हैं एवं अपनी जीविका के लिए सरसों की खेती पर निर्भर हैं। इस वार सरसों का उत्पादन ज्यादा हुआ है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नेफेड को सरसों खरीदने के लिए अधिकृत किया था। नेफेड ने एजेंट के रूप में गुजको मासोल एवं अन्य एजेंसी को खरीदने का कार्य दिया जिन्होंने बड़े पैमान पर अनियमितताएं कीं जिसकी जांच चल रही है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस वार सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधी खरीद करें या गांव की सहकारी मंडलियों को अधिकृत करें जिससे किसान गांव में मंडी तक सरसों को ले जाने की परेशानी से बच सकें।

(तीन) स्टरलाईट कम्पनी से बेरोजगार हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, मैं सदन का ध्यान श्रम मंत्रालय के अधीनस्थ संस्थान वी०वी० गिरी श्रम संस्थान के उस रिपोर्ट की तरफ आकृट करना चाहता हूं जिसमें भारत एल्युमिनियम कम्पनी बाल्को के निजीकरण के पश्चात नये प्रबंधन द्वारा लगीग 3500 कर्मचारियों को जबरन वी०आर०एस० देकर उनके परिवारों को कठिनाई में डाल दिया है। निजी प्रबंधन स्टरलाईट कम्पनी ने सरकार के साथ हुए शेयर होल्डर समझौते का उल्लंघन कर कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह अनदेखी की है तथा उन्हें कम्पनी से बाहर कर बेबस और असहाय कर दिया है। इन्हीं दयनीय कारणों से व्यथित और आहत होकर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निजीकरण किये गये प्रतिष्ठानों जैसे बाल्को, माडर्न फूड आदि के कर्मचारियों के साथ हुए अमानवीय कृत्यों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक न करके उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

स्टर लाईट कम्पनी के साथ हुए समझौते से न तो वहां के स्थानीय नौजवानों को कोई रोजगार मिला न तो क्षेत्र का कोई विकास हुआ, न वहां के कार्यरत लोगों को उनके कार्यों का भुगतान किया गया। बल्कि श्रम संबंधी मामलों में समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। जो किसी भी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय हित में नहीं है।

अत: मांग है कि सरकार और स्टरलाईट कम्पनी के बीच हुए समझौते में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत इसकी समीक्षा कर समझौते को निरस्त कर दिया जाये।

(चार) नई दिल्ली में आधुनिक पुष्प बाजार एवं नीलामी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तरांचल तथा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से दिल्ली में पुष्प बाजार की स्थापना करने के लिए प्रयास कर रही है। इससे इन राज्यों के पुष्प उगाने वाले किसान अपने उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बेच सकेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने दिल्ली की मुख्य मंत्री महोदया से दिल्ली में एक आधुनिक पुष्प बाजार खोले जाने की आवश्यकता के बारे में बातचीत की है। इसमें प्री-कूलिंग यूनिट्स ऑफ कूल चैन बैक अप सहित नीलामी सह ट्रांजिट स्टौरेज सेन्टर के साथ शीतागार और प्रशीतक वैनो इत्यादि की सुविधा होगी। क्योंकि केन्द्रीय मंत्री द्वारा आकर्षक योजनांए शुरू की गई है इसलिए हिमाचल प्रदेश पुष्प कृषि को बहुत महत्व दे रहा है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से दिल्ली में शीघ्रातिशीघ्र एक आधुनिक पुष्प बाजार सह नीलामी केन्द्र खोलने के लिए दिल्ली सरकार पर जोर डालने का अनुरोध करती हूं।

(पांच) तिब्बत के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कलिम्पोंग को पारगमन स्थल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री डी० नरबुला (दार्जिलिंग) : यह चीन के तिब्बत स्वायतशासी क्षेत्र के जलेप-ला व्यापार मार्ग को खोले जाने के बारे में है। सिक्किम को तिब्बत के साथ जोड़ने वाला जलेप-ला एक महत्वपूर्ण स्थान लैंडमार्क है। और पास ही स्थित नाथुला के अन्य हिस्सों की ही तरह यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

जलेप-ला वह मुख्य दर्रा है जहां से होकर कंलिम्पोंग (भारत) और तिब्बत के बीच अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा मिला विशेषकर ऐसा 1904 में कर्नल यंग हसबैंड की बरास्ता जलेप-ला से तिब्बत अभियान के बाद हुआ था।

यातुंग अथवा शिगारसे में व्यापार और ट्रांजिट के प्रयोजनार्थ एक ब्रिटिश एजेंट को तैनात किया जाता था। समान और वस्तुओं के आयात और निर्यात दोनों में कंलिमपोंग एक मुख्य व्यापार केन्द्र (आऊटपोस्ट) बन गया था।

1962 से पूर्व भारत से बरास्ता कंलिमपोंग आयात और निर्यात हेतु जलेप-ला अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा उपयोगी दर्रा था। 1962 से पूर्व तिब्बत से लायी गई वस्तुओं को जमा करने और भारत से तिब्बत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग और री-शिपमेंट के लिए कंलिमपोंग एक मुख्य केन्द्र था।

भारत से ल्हासा और इसी तरह ल्हासा से भारत आने के लिए जलेप-ला सबसे छोटा मार्ग है। इसी के परिणामस्वरूप निर्यात और आयात संबंधी क्रियाकलापों के संचालन में जलेप-ला ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

[श्री डी० नरबुला]

कलिमपोंग के लोगों को विकास संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि कलिमपोंग को तिब्बत, बरास्ता जलेप-ला से भारत में आने वाली सभी वाणिज्यिक वस्तुओं को जमा (डम्पिंग) करने के लिए इसे ट्रांजिट प्वाइंट अथवा मध्यवर्ती प्वाइंट में बदला जाए। जैसा कि 1962 से पूर्व में था।

(छ:) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रधानाचार्य/आई०टी०आई० के पद पर भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकतर राजपत्रित पदों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरा जाता है। हाल ही में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा स्थानांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों में से अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन सेवा के इच्छुक आवश्यक योग्यताधारक अर्हक अधिकारियों के माध्यम से एक मुश्त (वन टाइम मोड) आधार पर प्रिंसिपल। आई०टी०आई० के पद हेतु रिक्ति का नोटिस अधिसूचित किया गया था। ऐसे अनेक अभ्यर्थी थे जो आवश्यक योग्यता-धारक थे और प्रिंसिपल। आई०टी०आई० की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तैयार थे। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग ने शायद भर्ती नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन कर दिया था। अनेक अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की और इस कदम का विरोध किया। उन्होंने प्रिंसिपल आई०टी०आई० के पद को भरने में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाए जाने की मांग की थी।

उपर्युक्त के मद्देनजर में केन्द्र सरकार से सभी आवेदकों में से सबसे बढ़िया अभ्यर्थी पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

(सात) अरूणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य को व्यापक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : पर्यटन एक बढ़ता हुआ रोजगारोन्मुख उद्योग है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर अरूणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटन स्थलों, तीर्थ केन्द्रों, आकर्षक प्राकृतिक परिदृश्यों, जोखिम पर्यटन केन्द्रों के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इसमें हिमालय घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, वृहद् चाय बागान, वर्षा वन आदि स्थित हैं। जो कि सुन्दर पर्यटन आकर्षण हैं। लेकिन पर्यटन मंत्रालय अधिकाधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने हेतु गंभीर कदम नहीं उठा रहा है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से विशेषकर नागर विमानन, रेल और पर्यटन मंत्रालयों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने के लिए अरूणाचल प्रदेश को एक बड़ा पैकेज देने की घोषण करें।

(आठ) "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के तहत राजस्थान में लम्बित विद्युत परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : महोदय, भारत सरकार ने फरवरी, 2005 में विश्वसनीय एवं उचित गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति दक्षतापूर्ण तरीके से तर्कसंगत दरों पर करने, सभी घरों को अगले पांच वर्षों में विद्युत उपलब्ध करवानें और वर्ष 2012 तक विद्युत मांग की पूर्ण पूर्ति के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय नीति घोषित की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिर्फ 44 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में ही विद्युत उपलब्ध हो पाई है और अभी तक एक लाख से अधिक गांवों को विद्युतीकृत करना बाकी है।

भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रारंभ करने की घोषणा की जिसमें सभी विद्युतीकरण ग्रामों व ढाणियों को आगामी पांच वर्षों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार भी सम्मिलित हैं, के विद्युतीकरण सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क कनैक्शन जारी करना सम्मिलित है। इस योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत का अनुदान तथा 10 प्रतिशत का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को किया जाना है।

राजस्थान राज्य के 32 जिलों की 41 योजनाएं बनाकर निगम को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इन योजनाओं में 17,55,435 बी०पी०एल० परिवारों व 52,790 सामान्य परिवारों को घरेलू कनैक्शन 4489 अविद्युतीकरण ग्रामों व 6600 ढाणियों को विद्युतीकृत करना है जिस पर 1091.49 करोड़ व्यय की लागत आंकी गई है।

निगम द्वारा 27 योजनाएं स्वीकृत की गई है जिनमें भीलवाड़ा व झालावाड़ जिलों की क्रियान्वित पी०जी०सी०आई०एल० द्वारा प्रस्तावित है तथा शेष 25 योजनाएं संबंधित निगमों द्वारा टर्नकी आधार पर किया जाना है। 12 योजनाओं के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति इस बंदिश के साथ प्राप्त हुई है कि जब निगम अधिकृत स्वीकृति जारी नहीं करता तब तक क्रियान्वयन का कांट्रेक्ट नहीं दिया जा सकता।

इस तरह इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रधान मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कर

राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य की लंबित योजनाओं की स्वीकृति शीघ्र दिलायी जाये।

(नौ) केन्द्रीय पूल से छत्तीसगढ़ को विद्युत आपूर्ति का आवंटित कोटा पुन: बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य सहित अनेक राज्यों से केन्द्र सरकार द्वारा बिजली केन्द्रीय पूल द्वारा दी जाती है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य से 300 मेगावाट बिजली की कटौती की गई है तथा अनेक राज्य में भी कटौती की गई है। राज्यों में भी बिजली बंद रहती है। हमेशा अंधेरा रहता है। किसानों को ट्यूबवेल चलाने में कठिनाई होती है तथा उपभोक्ता परेशान है। केन्द्र सरकार के प्रति आक्रोश है तथा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिन राज्यों के हिस्से की बिजली कटौती की गई है उन्हें केन्द्रीय पूल से पुन: सभी राज्यों को वापस किया जाये।

(दस) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं० अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। शहरों में निजी क्षेत्रों के चिकित्सालयों और अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधा मंहगी होने के कारण आम आदमी के पहुंच से परे है। पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लगभग 9 हजार डाक्टरों और विशेषज्ञ पदों की रिक्तियों की की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जानकारी दी गयी थी। आज भी वही स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अगर ह्रदय रोग, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के उपचार के अभाव में मरने के सिवा कोई चारा नहीं। अपने घर तथा गहने आदि बेचकर इन बड़ी बीमारियों का उपचार कराने के लिए सैंकड़ों मील की दूरी पर जाना पड़ता है।

सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए शहरों में अत्याधुनिक अस्पताल बनाकर आरोग्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धनराशि दी है। लेकिन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के गरीब आम आदमी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तथा उसकी क्रय शक्ति के अंतर्गत उपलबध कराने के लिए धनराशि का आबंटन नहीं हो रहा है। देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में पनप रहा कुपोषण, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में फ्लोरोसीस तथा अन्य जलजनित बीमारियों के संक्रमण से हजारों की तादाद में मर रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा कब उपलब्ध करायेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे नये नये अविष्कार और प्रौद्योगिकी का हम बखान कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसको उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं। केवल विकास की बढ़ती दर बताकर आत्ममुग्ध हो हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे इसका विचार होना चाहिए। देश के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उनकी क्रयशक्ति के अंदर उपलब्ध कराने की आज आवश्यकता है। स्वस्थ भारत ही देश के प्रगति का आधार हो सकता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि का आबंटन कर स्वास्थ्य सुविधा कारगर कराने के सभी प्रयास प्राथमिकता से करे।

(ग्यारह) राजस्थान के जयपुर में मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि तथा एल०पी०जी० की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, जयपुर में राशन विभाग के द्वारा प्रत्येक कार्डधारी को पांच लीटर जो मिट्टी का तेल दिया जा रहा था उसे घटा कर चार लीटर कर दिया है इसी कारण लोगों को कट बढ़ गया है और साथ ही जो गैस सिलेंडर मिल जाया करते थे वे भी दो महीने की बुकिंग के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर में मिट्टी के तेल के कोटो को बढ़ाया जाए और गैस सिलेंडरों की सप्लाई को ठीक कराया जाये।

(बारह) देश में इंजीनियरिंग कॉलेज और आई०आई०टी० खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : हमारा देश प्रमुख अवसंरचना, औद्योगिक और भवन परियोजनाओं के शुरू होने के कारण असैनिक, यांत्रिक और विद्युत अभियंताओं, पर्यवेक्षकों और तकनीकीविदों की भारी कमी का सामना कर रहा है। तकनीकी श्रमबल की भर्ती किया जाना अत्यन्त कठिन हो गया है और जी०एम०आर०सी०, एन०एच०ए०आई०, भारतीय रेलवे, भेल और एन०टी०पी०सी० जैसे महत्वपूर्ण संगठन अपने अनुभवी इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों के निजी क्षेत्र की कंपनियों में जाने के कारण उन्हें खो रहे है, जो कि उन्हें बहुत ही आकर्षक वेतन की पेशकश कर रही है। कुछेक निजी निर्माण कंपनियों ने स्थानीय रूप से इंजीनियरों की भर्ती को समस्त संभावनाओं के समाप्त हो जाने पर अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशी इंजीनियरों की अत्यधिक वेतन देकर भर्ती , की है। यह स्थिति और भी विकट हो जाएगी, जब ऐसी अनेक और अधिक नई राजमार्ग, रेल और विमानपत्तन परियोजनाओं, इस्पात, संयंत्रों,

[श्री सुधांशु सील]

वृहत विद्युत परियोजनाओं, नई कोयला खादानों और विशेष आर्थिक जोन आदि के शुरू होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, हमारी समस्त विकास योजनाएं ठप्प हो सकती हैं अगर इस स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र कार्यवाही नहीं किया जाता है।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह और अधिक इंजीनियरिंग कालेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करे और आगामी सत्र से शुरू होने वाले इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या दुगनी करे। इस प्रयोजनार्थ बजटीय प्रावधान में भारी वृद्धि आवश्यक है।

(तेरह) केरल के तेल्लीचेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर तेल्लीचेरी-माहे बाइपास को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी० सतीदेवी (नडागरा) : प्रस्तावित तेल्लीचेरी-माहे उपमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण खण्ड में से एक है। कन्नुर और माहे के बीच मौजूदा सड़क पर भारी यातायात होता है। तेल्लीचेरी, जो कि मालावाड़ क्षेत्र में एक व्यापार केन्द्र है, के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों और कर्नाटक तथा पांडिचेरी से भी संपर्क पथ की आवश्यकता है। किमी० 177/00 तेल्लीचेरी से 184/600 माहे के बीच सड़क मार्ग पर यातायात के कारण बहुत भीड़भाड़ रहती है। किमी० 177/00 से किमी० 179/00 सैतरपल्ली तक का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाने का कदाचित एक मात्र संपर्क मार्ग है, जिसमें दो लेन वाला यातायात नहीं संचालित किया जा सकता। इस मार्ग पर एक ओर से ही यातायात संचालित किया जा रहा है।

भीड़भाड़ वाले समय में 2 किमी० की दूरी तय करने में भी आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। हालांकि उपमार्ग के लिए प्रस्ताव कई वर्षों से प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर भी इसे स्वीकृत नहीं किया गया है। 12 किमी० तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है अत: संपर्क मार्ग को तत्काल पूर्ण या आंशिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। उपमार्ग को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए दो पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। अत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इस उपमार्ग को पूरा करने के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड के किसानों को सूखा और ओलावृष्टि से हुई क्षति के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ०प्र०) : महोदय, देश में पिछड़े क्षेत्रों के किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सिर्फ विदर्भ क्षेत्र एवं आसाम राज्य के लिए जो घोषणाएं की हैं, उसी तरह की घोषणाओं की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े बुंदेलखण्ड को भी है। लगातार चार वर्ष में सूखा, बाढ़ ओलावृष्टि, पाला आदि से किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद यथोचित मद्द की है लेकिन पिछले चार वर्षों के सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि एवं पाले से हुए नुकसान को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कई बार विशेष पैकेज की मांग की गयी किंतु आज तक कोई सहायता नहीं दी गयी है। विकास की भावना को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव की भावना को तुरंत खत्म करने की आवश्यकता है। 25.08.2006 तथा 11.12.2006 को सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु आर्थिक पैकेज के लिए अनुरोध कर चुका है। इसके अतिरिक्त सदन के अंदर भी अनेक बार इस मामले को उठाया जा चुका है। अभी इस क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

अत: सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र से मांगे गये बुंदेलखण्ड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा शीघ्र की जाए जिससे समय रहते किसानों को पर्याप्त राहत मिल सके ताकि आर्थिक तंगी एवं ॠणों के बोझ के कारण देश में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का असर उत्तर प्रदेश के किसानों पर न पड़े तथा अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सकें।

(पन्द्रह) गांगुली समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नर्सरी कक्षा में प्रवेश के मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री परसनाथ यादव (जौनपुर) : महोदय, नर्सरी में बच्चों के दाखिले को आसान और भेदभाव हित बनाने के लिए गांगुली कमेटी का गठन किया गया था। गांगुली कमेटी द्वारा बच्चों के दाखिले हेतु अनेक तर्कसंगत एवं बच्चों के हित वाली सिफारिशें की गयीं। परन्तु उनमें से एक सिफारिश कि - सौ अंक की वेटेज प्रणाली में 20 अंक उन बच्चों को दिये जाएंगे जिनके अभिभावक ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट हैं। अर्थात जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें इन अंकों से वंचित रहना पड़ेगा। इससे साफ जाहिर है कि ऐसे अभिभावकों के बच्चों को कम वेटेज मिलेगा जिनके अभिभावक पढ़े-लिखे नहीं हैं। यानी उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला देने में भेदभाव किया जाएगा। यह उन माँ बाप के लिए आत्मग्लानि एवं मानसिक पीढ़ा देने वाला फैसला है। यह फैसला उनको झकझोर देने वाला है जिन्हें अच्छी पढ़ाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिनके मां बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जाना ज्यादा जरूरी होते हुए उन्हें अच्छी

शिक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। वैसे भी उनके लिए जो साधनहीन हैं, अच्छी शिक्षा दिलाना सपने जैसा है। यदि सरकार इसे नियमानुसार लागू करना चाहती है तो सरकार की ओर से समाज के छोटे एवं बड़े वर्ग में भेदभाव पैदा करने जैसा होगा।

अत: सदन के माध्यम से जनहित में मेरा अनुरोध है कि गांगुली कमेटी की पढ़े लिखे वर्ग तथा बिना पढ़े लिखे वर्ग में अंतर पैदा करने वाली वेटेज प्रणाली को लागू न किया जाये।

(सोलह) बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच० ए०आई०) के अन्तर्गत आर०ओ०बी० का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आपके माध्यम से माननीय मंत्री राजमार्ग विभाग भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य के निम्नलिखित स्वीकृत सड़क, ऊपरी पुलों, आर०ओ०बी० जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

11 (4 सोनपुर-परमानंदपुर), 11 (एसीतलपुर-नया गांव), 16 (दिघवारा-बड़ागोपाल), 54ए (हाजीपुर-विदुपुर), 33 (आदापुर-रक्सौल), 34 (रक्सौल-भेलवा), 32 (काकर घाटी-तरससय), 175 (सेमरा-सुगौली), 47 हाजीपुर-सराय), 10ए (सासामुसा-जलालापुर), एवं 47 (छपरा-कचहरी)

उपरोक्त सभी 11 रेल पुलों का निर्माण रेलवे से नहीं होकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन०एय०ई०डी०पी० प्रोग्राम के तहत होना है। इन सभी पुलों का नक्शा और स्कीमें अभी उन्हीं को बनाना है। यह कार्य प्राधिकरण को सौंपा गया परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्य आरंभ नहीं हुआ।

ज्ञातव्य रहे कि माननीय रेल मंत्री द्वारा 33 (आदापुर-रक्सौल), 34 (रक्सौल-भेलवा), 175 सेमरा-सुगौली का शिलान्यास दो वर्ष पूर्व सम्पन्न किया गया।

अत: माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त पुलों का निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

(सत्रह) महाराष्ट्र में मनमाड़ और मुदखेड़ के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : महोदय, नियम 377 के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता कि मनमाड और मुदखेड़ रेलवे खंड के बीच अभी तक दोहरीकरण नहीं हुआ है जबकि इस रेलवे प्रखंड के लिए दक्षिण में सिकन्दराबाद, कर्नाटक की दिशा में उत्तर की दिशा में और पश्चिम की दिशा में स्थित क्षेत्रों को रेलवे जोड़ा गया है परन्तु केवल इसी रेल प्रखंड में दोहरीकरण के अभाव में रेल यातायात में कई दिक्कत आ रही है क्योंकि एक गाड़ी को जाने के लिए दूसरी गाड़ी को रूकना पड़ता है जिसके कारण इस रेलवे खंड से आने जाने में रेल सेवा में देरी होती है। और एक ही रेलवे लाईन पर ही भार पड़ रहा है जबकि तकनीकी दृष्टि से इस रेलवे प्रखंड पर दोहरी लाईन होना अति आवश्यक है। मराठवाड़ा का अपना इतिहास रहा है और औद्योगिक विकास के लिए कई तरह के कच्चे माल है परन्तु रेलवे की सुविधा के अभाव में इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है जिसके कारण यहां के लोग दूसरी जगह जाकर रोजगार करते हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मनमाड और मुदखेड रेलवे खंड के बीच दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत करके इसे शुरू किया जाये।

(अठारह) झारखंड में पुलिस ज्यादतियों की शिकार जनजातीय महिलाओं को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल) : महोदय, झारखंड राज्य के सुन्दर पहाड़ी थाना में तीन आदिवासी महिलाओं को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में पुलिस द्वारा अनाचार एवं अत्याचार की घटनाएं हुई। आमजनों के भारी विरोध इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से मामला प्रकाश में आया तो दोषी दारोगा एवं पुलिस कर्मियों को जेल भेजा गया। परन्तु आदिवासी अत्याचार निरोधक कानून के अंतर्गत संबंधित आरक्षी अधीक्षक द्वारा अनुशंसा नहीं भेजने एवं आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के कारण उक्त पीड़ित गरीब आदिवासी महिलाओं को मुआवजा नहीं मिला है। पीड़ित महिला अत्यंत गरीब एवं दीनहीन स्थिति में है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पीड़ित आदिवासी महिलाओं को मुआवजा तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उचित कार्यवाही करते हुए उक्त महिलाओं को तत्काल प्रभाव से न्याय प्रदान कराने की व्यवस्था की जाये।

(उन्नीस) वर्ष 2004-05 में लागू किए गए व्यापक ऋण राहत पैकेज के अन्तर्गत दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि के दौरान किसानों के बकाया ऋणों पर लगाए गए ब्याज को माफ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडू (श्रीकाकुलम) : वर्ष 2004 में भारत सरकार ने उन किसानों के लिए व्यापक ऋण राहत पैकेज की घोषणा की और इसे कार्यान्वित किया, जो एक के बाद एक आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए। वर्ष 2004-05 में कार्यान्वित किए गए

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

ऋण राहत पैकेज में 31 मार्च 2004 तक के ब्याज सहित निर्धारित अवधि से अधिक समय से बकाया ऋण राशि को पुन: निर्धारित किया गया और उसे 2 वर्ष की आरंभिक आस्थगन अवधि के साथ 3 समान किस्तों में लौटाने के आदेश दिए गए। 2 वर्ष की आरंभिक आस्थगन अवधि के दौरान के ब्याज को भी पुनर्निर्धारित धनराशि की तीन किस्तों के साथ ही लौटाने का भी आदेश दिया गया। 2 वर्ष की आस्थगन अवधि के दौरान कोई ऋण राशि नहीं लौटाई गई। किन्तु 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया गया। इस प्रकार 2 वर्ष की आस्थगन अवधि के दौरान 22% (11% × 2 वर्ष) का ब्याज किसानों पर अतिरिक्त भार होगा।

वर्तमान विशेष पैकेज का प्रयोजन 16 चयनित जिलों में किसानों को राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2004 के ऋण राहत पैकेज को और अधिक उदार बनाया जाना है। तथापि ऐसा विचार किया गया प्रतीत होता है कि निर्धारित अवधि से अधिक समय से बकाया ऋण राशि और अधिक समय से बकाया ब्याज, जिन्हें वर्ष 2004 में पुन: निर्धारित किया गया था, 2 वर्ष की प्रांरभिक आस्थगन अवधि के मद्देनजर लौटाए जाने के लिए अभी तक बकाया नहीं है और इसलिए इस ऋण राशि को 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय से बकाया नहीं माना जा सकता और इसके फलस्वरूप ऐसी ऋणराशि को वर्तमान विशेष पैकेज के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु अयोग्य माना जाए। यह पूर्ण रूप से एक तकनीकी कारण है।

(बीस) दिल्ली में एक बौद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने तथा डा० बी०आर० अम्बेडकर स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, पूरे विश्व में भगवान गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती पूरे धूमधाम के साथ मनायी जा रही है। लेकिन हमारे देश भारत में, जहां कि भगवान गौतम बुद्ध अवतरित हुए हैं, में कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। देश के नागरिकों की भगवान गौतम बुद्ध के प्रति भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार पूरे देश में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती को धूमधाम के साथ मनाये जाने के साथ-साथ भगवान गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती के शुभ अवसर पर उनकी याद में राजधानी दिल्ली में बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाये।

राजधानी दिल्ली स्थित 26 अलीपुर रोड स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल को अभी तक एक संग्रहालय के रूप में विकसित नहीं किया गया है। बाबा साहेब के उक्त मेमोरियल को एक संग्रहालय के रूप में विकसित किए जाने की पिछले काफी समय से मांग की जा रही है।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध कि वह पूरे देश में भगवान गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती को पूरे धूमधाम के साथ मनाये जाने के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने एवं 26-अलीपुर रोड को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से एक संग्रहालय के रूप में विकसित किए जाने हेतु कारगर कदम उठाए।

अपराह्न 12.27 बजे

सामान्य बजट, 2007-2008 — सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं० 14 पर विचार करेगी। बजट (सामान्य) 2007-2008 पर सामान्य चर्चा शुरू करेंगे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

जनरल बजट पर डिसकशन शुरू हो रहा है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्री चिदम्बरम जी ने यहां वर्ष 2007-08 का सामान्य बजट प्रस्तुत किया। बजट के अगले दिन सारे समाचार-पत्रों और एडिटोरियल्स में जो हैडलाइन्स छपी, उससे इस बजट के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगले दिन सभी अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार-पत्रों में हैडलाइंस इस प्रकार से आई—

[अनुवाद]

> "मिडल क्लास केसेज एक दाम रेप्स" (वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग के मामलों पर ध्यान नहीं दिया) "लिस्टलैस बजट इन फॉर आल राऊंड डिनंसिएशन" (सभी तरह से निंदनीय उत्साह विहीन बजट) "लॉट्स ऑफ नोएस बट पिटेंस फॉर फार्म सेक्टर" (शोर ज्यादा और कृषि क्षेत्र हेतु अत्यल्प आबंटन) सब अखबारों में बार-बार हैडलाइंस आई। "आम आदमी फील्स बिट्रेड" (आम आदमी के साथ विश्वासघात) "बजट डैम्पन्स मोरेल ऑर बैटल बाऊंड कांग्रेस पार्टी" (चुनावों का सामना करने जा रही कांग्रेस पार्टी के मनोबल को बजट ने तोड़ा) "कामन मेन डिस्अपोएंटिड" (आम आदमी में निराशा) [हिन्दी] यहां पर हिन्दू अखबार ने लिखा कि "अन

एम्प्लोएमेन्ट एण्ड इंफ्लेशन नॉट एड्रेस्ड" (बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया गया) "पी सी गिव्स विद राइट हैंड ब्रूक्स विद लेफ्ट" (पी सी ने दाएँ हाथ से देकर बाएँ हाथ से वापस लिया) "बिग ब्लो फॉ स्माल हाऊसेस" (छोटे घरों पर बड़ा प्रहार) "सॉरी स्टिल नॉट एट योअर सर्विस" (खेद है कि अभी आपकी सेवा में नहीं है) "पी सी डिस्अपोएंट्स एन आर आइज इन यू के" (पी सी ने यू०के० के अप्रवासी भारतीयों को निराश किया) "हाउसिंग इस्टेट्स गेट लेस रियल" (आवास सम्पदा व्यापार को वास्तव में कम लाभ) "आर डब्ल्यू ए एस नॉट हैप्पी टू बी इन सर्विस नेट" (सेवा कर के दायरे में लाए जाने आवास कल्याण संघ नाराज) "फामर्स वॉज केन नॉट वि ऑफसेट" (किसानों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे सका) "नथिंग एट ऑल फॉर डेस्पेरेट फामर्स" (निराश किसानों के लिए कुछ भी नहीं) "कॉमन मेन गैन्स नथिंग" (आम आदमी को कोई फायदा नहीं) "बजट ब्रिट्रेज आम आदमी" (बजट ने आम आदमी को धोखा दिया) "विमेन ग्रुप कम्प्लेन" (महिला समूहों ने शिकायत की) "हिन्दुस्तान के सात-आठ अखबारों के जो एटोरियल्स हैं "द एफर्ट डज नॉट मैच विद रिटोरिक" (मौखिक वादों के समान प्रयास नहीं किए गए) "नो रिस्पाइट फॉर एग्रिकल्चर रिन्यूअल" (कृषि नवीकरण हेतु कोई सहायता नहीं) "बजट 2007 फेल्स टू एड्रेस ग्रोथ इन्फ्लेशन एण्ड रूरल अप लिफ्ट" (विकास मुद्रास्फीति और ग्रामीण स्थिति में सुधार करने में बजट 2007 विफल)

[हिन्दी]

अगले दिन के समाचार-पत्रों ने सारे देश की स्थिति को स्पष्ट किया। मंत्री जी ने कुछ घोषणा की थी। अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि जब फ्रांस की क्रान्ति हुई, तो फ्रांस की क्रांति से पहले मेरी एंटॉएनेट जो वहां की क्वीन हैं, उसके सामने कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जब उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें खाने को रोटी, डबलरोटी नहीं मिलती। "वे केक क्यों नहीं खाते?" जब डबलरोटी नहीं मिलती तो ये लोग केक क्यों नहीं खाते?

अध्यक्ष महोदय, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब चिदम्बरम साहब ने बजट पेश करते हुए एक गुड न्यूज की चर्चा की। उन्होंने गुड न्यूज में कहा कि "बिल्ली और कुत्ता पालने वालों के लिए एक अच्छी खबर है।" पालतू जानवरों के खाने पर सीमा शुल्क को 30 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, हजारों की संख्या में आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए, मंहगाई से दम तोड़ते गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बेरोजगारों मजदूरों, सड़क पर पत्थर कूटती महिलाओं, कुपोषण के शिकार करोड़ों बच्चों, लाठी लेकर चलते बेकश-असहाय बुजुर्गों, पेट की धधकती आग से कोठों पर जाने के लिए मजबूर औरतों और हमारी बेटियों के लिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने फरमाया कि एक बहुत अच्छी खबर है कि विदेशी कैट्स और डॉग्स के लिए विदेशों से आने वाला खाना सस्ता कर दिया गया है। उनके लिए यहां पर विदेशों से आने वाले करोड़पतियों, अरबपतियों के कुत्ते और बिल्लियां जो खाना खाते हैं, वह सस्ता कर दिया है। सारे बजट में उन्होंने एक ही गुड न्यूज की चर्चा की है और यह है कि विदेशी कुत्तों और बिल्लियों के विदेश से आने वाला खाना सस्ता कर दिया गया है। मेरे काबिल दोस्त श्री जयराम रमेश जी यहां इस समय नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य की बात सुनकर उन्होंने प्रतिक्रिया की कि जो लोग इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, इस बजट के बारे में ऐसा कह रहे हैं, वे कुत्ते-बिल्लियों का खाना खाकर देखें, वह सस्ता हो गया है और बहुत मजेदार होता है। उनका यह बयान भी समाचार पत्रों में छपा है। यह बयान उनकी संजीदगी, उनकी सेंसीटिवटी, उनका बजट के बारे में विचार को स्पष्ट करता है।

अध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश हो रहा था, हिन्दुस्तान के 100 करोड़ लोग, जिन बेचारों के पास टीवी और रेडियो नहीं है, वे क्या सुनते, लेकिन सभी लोग यह सुनने के लिए आतुर थे कि इस बजट में क्या हो रहा है। बजट में बैण्ड-बाजा था, गाज-बाजा था, बाराती थे, धूम-धड़ाका था, लेकिन दुल्हा-दुल्हन गायब थे। आम आदमी इस बजट से गायब था। आम आदमी के बारे में क्या हुआ है? सारे बजट को अगर देखें तो आम आदमी के साथ जितना विश्वासघात इस बजट में हुआ है, आम आदमी के साथ जितना धोखा इस बजट में हुआ है, उनके साथ जो कुछ व्यवहार हुआ है, वह बहुत शर्मनाक है, बहुत ही आपत्तिजनक है, निन्दनीय है। इसलिए जब आम आदमी का जिक्र आता है, तो मैं आपके सामने कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

सबसे पहली बात महंगाई है आम आदमी आज सबसे ज्यादा जिस बात से परेशान है, वह है भयंकर महंगाई। चिदम्बरम साहब ने एक वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि अगर विकास दर बढ़ेगी तो साथ में महंगाई भी बढ़ती है। फिर उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि मेरे हाथ में कोई मैजिक बैण्ड नहीं है कि मैं महंगाई पर एकदम से रोक लगा दूं। अगर मैजिक बैण्ड नहीं तो जब वर्ष 2004 में चुनाव हुए थे तो गली-मुहल्लों में जाकर, सोनिया गांधी जी की सभाओं में आपने यह क्यों कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गयी है, जबकि उस समय महंगाई 2 से 3 प्रतिशत के आस-पास थी और उस समय आपने यह क्यों कहा कि हमें लाइए हम महंगाई को दूर करके दिखाएंगे? आज उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ गयी हैं, आम आदमी की जरूरतों की चीजें बहुत महंगी हो गयी हैं। 6 प्रतिशत, 6.50 प्रतिशत या 7 प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। यह जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और जो

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

कंज्युमर प्राइस इंडेक्स है, इन दोनों में आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों की क्या स्थिति है, उसको देखना चाहिए। उनकी स्थिति देखनी चाहिए कि किस तरह वस्तुओं के दाम 200, 300 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। आटे का दाम सात रुपए से बढ़कर 16 रुपए हो गया है। इसी तरह बाकी चीजों जैसे चावल, चीनी, नमक, प्याज, सब्जी आदि के भी दाम बढ़े हैं, जिनके साथ देश का आम आदमी खाना खाता है। सभी चीजें महंगी हुई हैं। आप रूरल एरियाज में गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत 60 रुपए प्रतिदिन के लिए दे रहे हैं। अगर उसके 60 रुपए में से खाने पर और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर 20 रुपए, 25 रुपए या 30 रुपए प्रतिदिन कि खर्च बढ़ जाए तो उसकी जिन्दगी क्या होगी, आप इस पर भी विचार कीजिए। इस 6 प्रतिशत या 7 प्रतिशत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपकी विकास दर 8 प्रतिशत है या 9 प्रतिशत है, उससे क्या अन्तर पड़ता है? अगर चीन 15 साल तक 10 प्रतिशत की विकास दर के साथ महंगाई को 2 प्रतिशत पर रख सकता है तो क्या आपके यहां 9 प्रतिशत की विकास दर पर महंगाई को 9 प्रतिशत तक बढ़ जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि आपकी यह भावना गलत है। इसलिए महंगाई के बारे में जो आंकड़े यहां दिए गए हैं, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं सभी को कोट कर सकता हूं कि अलग चीजों के दाम कितने प्रतिशत तक बढ़े हैं, लेकिन मैं यहां कुछ ही चीजों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। फलों और सब्जियों को आप छोड़ दें, परन्तु आटे, दाल और चावल आदि की कीमतों को आप देखें कि कितना ज्यादा फर्क आ गया है। पहले जो आटा सात रुपए प्रतिकिलो मिलता था, वह अब 16 रुपए प्रतिकिलो मिलता है। इसी तरह से चावल का हाल है, महंगा चावल भी 44-45 रुपए प्रतिकिलो से कम नहीं है। दालें जो पहले 15 रुपए प्रतिकिलो की दर से बिकती थीं, अब उनके दाम बढ़कर करीब-करीब 65 रुपए प्रतिकिलो हो गए हैं। इसी तरह से मसालों की कीमतों में भी 200 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है।

बजट में दिए गए दूसरे आंकड़ों का भी मैं उल्लेख करूंगा। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इतनी जो महंगाई बढ़ी है, इसका क्या कारण है? क्या सुनामी आ गई इसलिए महंगाई बढ़ गई या कोई जलजला या भूकम्प आ गया, जिसकी वजह से इतनी महंगाई बढ़ गई? मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। इन्होंने अभी तक वायदा कारोबार जारी रखा हुआ है, जबकि सरकार बार-बार कहती है कि इसे बंद कर देंगे, लेकिन वह जारी है। कमोडिटी एक्सचेंज जारी है, सट्टा बाजारी जारी है। अगर ये सब चीजें जारी रहती है, तो महंगाई बढ़ती है।

अपराह्न 12.37 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

किसानों की सारी उपज जो आपको खरीदनी चाहिए, वह समय पर नहीं खरीदी गई, क्योंकि एफसीआई ने सही समय पर मार्केट में प्रवेश ही नहीं किया। इसलिए किसानों का सारा गल्ला व्यापारियों ने, कमोडिटी एक्सचेंज करने वालों ने थोड़ा ज्यादा पैसा देकर खरीद लिए और अब उसे ज्यादा कीमत पर उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। इस कारण महंगाई इतनी बढ़ गयी है

आप कहते हैं कि विदेशों में भी महंगाई बढ़ रही है, यह कोई तर्क नहीं है। आप कहते हैं कि हम जरूरी चीजों का आयात करेंगे। जब विदेश में इस बात का पता चलता है तो वे लोग दाम बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं कि हम जीरो पर्सेंट ड्यूटी पर मंगा लेंगे, तो इसके कारण वहां कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए आपकी गलत नीतियों के कारण यहां भी जरूरत की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसलिए महंगाई के बारे में आपकी असफलता जग जाहिर है।

मुझे आश्चर्य होता है, जब मैं सुनता हूं कि कांग्रेस पार्टी में इस बारे में क्या सोचा जा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग बुलाती हैं और उसमें कहती हैं कि महंगाई काफी बढ़ गई है इसलिए इस पर काबू पाया जाए। उसके बाद वह प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखती हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उन्हें इसकी बहुत चिंता है। फिर एक पत्र प्रधान मंत्री जी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में लिखा जाता है और उसमें किसानों की आत्महत्या पर चिंता प्रकट की जाती है। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ आडम्बर मात्र है, गिमक्री करने की कोशिश हो रही है। वह किसे बता रही हैं कि महंगाई बढ़ गई है? आखिर प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखने का क्या मतलब है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप मेरी अनुमति के बिना बोले हैं। प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाए।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सारी दुनिया जानती है, हर आदमी जानता है, सदन भी जानता है कि उनके बिना प्रधान मंत्री जी या वित्त मंत्री जी किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। यहां तक कि वे लोग उनकी इजाजत से छींक तक नहीं मार सकते और कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। वह केन्द्र बिंदु हैं.और इस नाते उनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है, वह यूपीए की जिम्मदारी है, जिसकी वह चेयरपर्सन हैं। इसलिए वह जिम्मेदारी किस पर डाल रही हैं? किसकी तरफ भेजा जा रहा है? माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखना, एक बार, दो बार, साथ ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाना और कहना कि यह महंगाई बेकाबू होती जा रही है। अपनी जो फेल्योर है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता लेकिन सरकार की गलत नीतियां हैं और बहुत ज्यादा पत्र लिखने से भी पत्रों की कीमत कम हो जाती है। यह कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस की बात है, लेकिन मैं सारे उदाहरण नहीं देता। अभी यहां पर गुवाहाटी में नेशनल गेम्स हुए। आज तक 23-24 नेशनल्स गेम्स हुए हैं। उन सबका उद्घाटन या तो माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है या माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है लेकिन यह पहली बार हुआ है कि सारी परम्पराएं तोड़कर एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा ने जाकर उसका उद्घाटन किया। हम जानना चाहते हैं कि अगर प्राइमिनिस्टर साहब की ह्यूमिलेशन करनी है तो उनको प्राइमिनिस्टर क्यों रखा है? प्रधान मंत्री जी, जिनको जाकर उद्घाटन भी करना है और आप इन दिनों हुई और बातों को देखिये। अब कांग्रेस की चार-पांच सरकारें रह गयीं हैं। पंजाब के अंदर थी वह खत्म हो गयी, अब हरियाणा है, हिमाचल है, आंध्र प्रदेश है और असम है। चार गवर्नमेंट्स इनकी है, दो में ये शामिल हैं। इन सारी 6 सरकारों के इश्तिहार निकाल लीजिए। सबसे ऊपर कांग्रेस अध्यक्षा की तस्वीर होती है, उसके बाद माननीय प्राइममिस्टर साहब की या वह भी नहीं होती और उद्घाटन देख लीजिए तो वे भी उनकी तरफ से नहीं होते। यह माननीय प्रधान मंत्री के पद के लिए अपमानजनक है। महंगाई के बारे में चिंता प्रकट करना और कहना कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, बाकी सबमें तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना लेकिन इसमें जो कुछ है केवल पत्र लिख दिया और कह दिया कि सारी गलती आपकी है, इसमें सुधार करो। पेट्रोलियम मिनिस्टर को लिखते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम करो। वह कहते हैं कि कम नहीं हो सकती, मैं नहीं कर सकता। फिर लिखती हैं, स्पेशल-इकोनॉमिक जोन के बारे में तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जारी रहेंगे केवल उसमें कुछ अब्रेशन्स हैं तो हम ठीक कर लेंगे नहीं तो उन्हें जारी रखा जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जारी रहेंगे, एफडीआई जारी रहेगी परन्तु चिट्ठियों में चिंता व्यक्त की जाएगी, यह तरीका ठीक नहीं है। यह अपनी असफलता का दोषारोपण दूसरों पर करने वाली बात है।

दूसरी बात महंगाई और उसके बाद किसानों की बात। किसानों की आत्महत्याओं के बारे में जिक्र पिछले चुनावों में भी बहुत किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी 6 महीने पहले विदर्भ गये थे और जाकर एक पैकेज दे आये थे और हाउस को कहा था कि अब मामला सुलझ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी देर माननीय वित्त मंत्री जी अपना डेढ़ घंटे का भाषण दे रहे थे, उतनी देर में चार किसानों ने, उसी डेढ़ घंटे में विदर्भ में आत्महत्याए कीं। माननीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब पैकेज दिया था तब से लगभग 3500-4000 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। उनके लिए बजट में क्या है? उसके लिए इस बजट में क्या है? किसानों का ऋण बढ़ा देने से तो आत्महत्याएं कम नहीं होती। आपकी स्वामीनाथन कमेटी ने 4 प्रतिशत ब्याज दर लाने की रिकमेंडेशन की। किसानों को जो सब्सिडी दी जानी है उसके डायरेक्टली किसानों को दिया जाए जिसको कि आज मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं उसके हक में नहीं हूं कि सब्सिडी डायरेक्ट किसानों को दी जाए। यह भी स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन में है। उनकी रिकमेंडेशन को तो खत्म कर दिया और उसके बदले में एक नया आयोग आर० राधाकृष्णन का बना दिया गया। यह सरकार आयोगों पर चल रही है और अब तक 100-125 के करीब तो ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटियां बना चुके हैं और 150-200 आयोग बना चुके हैं। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ? स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस का क्या हुआ? ब्याज में एक पैसा भी कम नहीं किया गया है और बाजार में बैंकों की ब्याज दरें बढ़ गई हैं। साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेने वाले किसानों को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है, इसी कारण किसानों द्वारा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर का पैसा कम किया गया है और इस कारण क्या स्थिति उत्पन्न हुई हैं किसानों के साथ भयंकर विश्वासघात हुआ है। मैं इस बारे में काफी विस्तार से उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों की आत्महत्याओं के बढ़ने का मूल कारण ब्याज दर का ऊंचा होना है। किसान को सिंचाई के साधन न मिलना, समय पर किसानों को कीमत न मिलना भी आत्महत्या करने के कारणों में शामिल हैं। सारी दुनिया किसानों के बीच आ रही है, मल्टी नेशनल कम्पनियां आ रही हैं, रिलायंस भी आ रहा है और टाटा भी आ रहा है। ये किसानों से सीधा सामान.खरीद रहे हैं और अगर वह सामान खरीद रहे हैं तो जो आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सामान बांटना है, वह कहां से आएगा? वे कम्पनियां उस सामान को महंगे दामों पर बचेंगी। क्यों नहीं एफसीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियां समय पर सामान खरीदती हैं? किसान को सही मूल्य नहीं मिलता है, इसलिए किसानों की इतनी दुर्दशा है। सारे बजट में मैंने देखा, लेकिन सिवाए लिप सिम्पेथी के कोई दूसरी चीज मुझे दिखाई नहीं दी।

इसके बाद मैं बेरोजगारी की बात कहना चाहता हूं। बजट में और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में बात की गई है। श्री रघुवंश प्रसाद जी भी बहुत जिक्र करते हैं, पहली

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

बात आप देखें कि पहले 130 जिलों में रूरल गारंटी स्कीम को जारी किया गया और 11300 करोड़ रुपया इस योजना के तहत रखा गया। उनमें से 61 परसेंट खर्च नहीं हुआ, केवल 39 परसेंट रुपया खर्च हो पाया। आप ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटे, रुपया रखें, लेकिन वह पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। वह पैसा क्यों खर्च नहीं हो पा रहा है? आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारें पैसा खर्च नहीं कर रही हैं। अगर यह स्कीम इतनी पापुलर नहीं है और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जहां-जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पूरा पैसा खर्च नहीं हो सका है। मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां लगभग पूरा पैसा खर्च हुआ है। मध्य प्रदेश, गुजरात इस पैसे को इस्तेमाल करने में सबसे ऊपर रहे हैं। अगर कहीं यह योजना फेल हुई है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में यह स्कीम फेल हुई है। आप देखिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि यह पैसा ही खर्च नहीं हो पाया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि वित्त मंत्री जी ने क्या किया है कि 130 जिलों के लिए 11300 करोड़ रुपया रखा है और इस साल इन 200 जिलों में 130 जिले और जोड़ कर 330 जिले कर दिए हैं, लेकिन केवल 700 करोड़ रुपया रखा है। 130 जिलों के लिए 11300 करोड़ और अब 200 जिले और जोड़ने के बाद केवल 700 करोड़ रुपए रखे हैं। क्या 700 करोड़ रुपयों से 200 जिलों में रोजगार गारंटी स्कीम पूरी हो सकती है? क्या इन रुपयों से जो रोजगार गारंटी को हमारा मौलिक अधिकार बना दिया है, चल सकता है? यह केवल धोखा देने की बात है, केवल कागजों में लिखने की बात है कि हमने 130 जिलों से 330 जिले कर दिए हैं। किसे इन बातों से भ्रमित किया जा रहा है? आप बेरोजगारी की स्थिति देखिए। शहरों में यह योजना लागू नहीं की गई है। इस सरकार के तीन साल बीत चुके हैं। आप यूपीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखिए। उसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम थी। पहले कह रहे थे कि इस योजना को सिर्फ गांवों में शुरू किया जाएगा, शहरों के लिए अलग योजना बनाएंगे। चार करोड़ स्नातक हैं, जो कि शहरों में, कस्बों में रहते हैं, जो बेकार हैं। कुल मिलाकर दस करोड़ युवक बेरोजगार हैं, जिनके नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज में दर्ज हैं, उनकी संख्या देखिए। उनके लिए क्या योजना बनाई गई है? दिल्ली ही नहीं बड़े-बड़े शहरों की स्लम बस्तियों के लिए, झुग्गी-झौपड़ियों में रहने वाले बेरोजगार युवकों के लिए, गरीबों के लिए न तो कोई योजना है और न ही बजट में पैसा है।

आपने जो वायदा यूपीए के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में किया था, तीन साल बाद उसके बारे में कोई बिल नहीं लाए हैं, और इसके लिए एक पैसा भी इसमें नहीं रखा है। आज बेरोजगारी की हालत क्या होती जा रही है? मल्टी नेशनल कंपनीज़ के आने से, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के आने से, इन्डस्ट्री के शिफ्ट हो जाने से करोड़ों लोग बेकार हो रहे हैं। कॉटिज इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्री में करोड़ों लोग बेकार होते जा रहे हैं। यह दावा किया जाता है कि सौ में से करीब तीस दुनिया से सबसे अमीर लोग इस देश में हैं। इसके साथ यह दावा किया जाता है कि यहां पर संसेक्स इतना ऊपर उछल गया है और यह बात अखबारों में बड़ी हेडलाइन्स में आती है। आप भी जिक्र करते हैं कि हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर बड़ी कंपनियां पचास हजार करोड़ या एक लाख करोड़ में खरीद रहे हैं। इसके साथ यह भी तो सही है कि यहां पर छः करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। ये भी तो इतना ही सही है कि यहां पर बिलो पावर्टी में रहने वाले करीब तीस करोड़ लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, उनके लिए किस तरह की महंगाई हो रही है और उनके लिए बेरोजगारी कैसा अभिशाप बनती जा रही है। यहां पर क्या हालात हो रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी औरतें अपनी इज्जत बेचने को मजबूर हो रही हैं? इन तीन वर्षों में बेरोजगारी क्या स्थिति है और आपके बजट में उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या इस बजट में इस तरह की कोई एक लाईन है कि यहां पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे? पिछले वर्ष और उससे पहले कहा गया था कि हम एक करोड़ रोजगार सृजन करेंगे, दो करोड़ और रोजगार लाए जाएंगे और हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। इन सब योजनाओं में पूरी बेरोजगारी कितने सालों में खत्म हो जाएगी, इसका कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया है।

इसके बाद मैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि दस हजार रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी है। यहां नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, जो बिलियनर्स हैं, अरबपति हैं, उनके लिए भी वही 10,000 रुपए की छूट है। आपने कहा कि इसमें 1,000 रुपए का फायदा होगा। मैं कह रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी को भी 1,000 रुपए और हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को भी 1,000 रुपए का फायदा होगा, ये आपका समाजवाद है? ये आम आदमी और गरीब आदमी के लिए विचार हैं? आपने ऐसे क्यों दिया है? यह 10,000 रुपए की रिबेट बड़े-बड़े अमीर आदमी, जिनकी आमदनी एक करोड़ रूपए से ऊपर है, उसको यह छूट देने का क्या मतलब है? आपने उनको छूट क्यों दी है? जो सरकारी या अन्य कर्मचारी थे उन्हें 30,000 रुपए को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, वह इसलिए था कि कारोबार करने वाले व्यापारी या दूसरे लोग हैं, उनका सारा खर्च निकालकर जो इनकम आती है, उस पर टैक्स लगता है। परंतु फिक्स्ड इनकम कर्मचारियों के मूल वेतन पर टैक्स लगता है। उनका टैक्स उस पर नहीं लगता कि कन्वेन्स और दूसरे खर्च निकाल दो, उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन थी लेकिन आपने स्टैंडर्ड

डिडक्शन खत्म कर दी। उनको ब्याज के रूप में 12,000 की छूट दी। पहले 30,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के थे और 12,000 रुपए ब्याज के थे, आपने इसे इसमें से निकाल दिया। आप विश्वास करते हैं कि सबको बराबर किया जाए, आपने वही सुविधा अरबपति को, वही सुविधा 100 या 200 रुपए कमाने वाले को दी है और एक जैसा व्यवहार किया है। सरकारी या अर्द्ध कर्मचारियों की संख्या दो करोड़ तीस लाख है इसके अलावा और कर्मचारियों के साथ भयंकर विश्वासघात हुआ है। उनकी लिमिट 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दी, सीनियर सिटिजन के लिए 1,85,000 रुपए और महिलाओं के लिए 135,000 रुपए से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए कर दी। पहले कर्मचारियों को 50,000 रुपए की छूट थी, 30,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसके बाद 12,000 ब्याज के रुपए थे, उसको इसमें फायदा नहीं हुआ। आप फायदा किनको दे रहे हैं, आपके तीन करोड़ करदाता हैं, उनमें दस करोड़ रुपये से ऊपर की इंकम वाले को भी वही फायदा और बाकियों को भी वही फायदा मिलेगा। एक आम आदमी के बारे में आपके मन की क्या कल्पना है, उसे यह बात स्पष्ट करती है।

उपाध्यक्ष जी, तीन साल से सरकार कह रही है कि जो असंगठित मजदूर हैं, जो किसी मिल इत्यादि में नहीं हैं, अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर में है, इस अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के मजदूरों के लिए इस बजट में क्या रखा है। हम एक इंश्योरेंस की योजना चलायेंगे, पचास परसैन्ट वह देगा, पचास परसैन्ट ऐसा करेंगे। यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। आप न तो उसका कोई बिल लाये और न उस बिल के बारे में कोई बात हुई, न उसके लिए कोई प्रावधान है। उनके साथ भी जिस तरह का सलूक इसमें किया गया है, वह भी हमारे सामने स्पष्ट है।

महोदय, आप इसमें देखें कि छोटे व्यापारी, गरीब आदमी, छोटी-छोटी दुकाने करने वाले पहले ही इस बात से परेशान है कि जब आपका एफ०डी०आई० इन रिटेल आ जायेगा तो उसके आने के बाद सब छोटे-छोटे दुकानदार खत्म हो जायेंगे। रेहड़ी, पटरी वाले खत्म हो जाएं, मंडियों में काम करने वाले खत्म हो जाए, बड़े-बडे मॉल्स पर सामान सीधे ही चला जायेगा। वे लोग इससे परेशान हैं। परन्तु आपने एक नई बात की, जो मुझे समझ नहीं आई। हिन्दुस्तान में करीबन पांच करोड़ छोटे दुकानदार हैं, उनमें से बहुत से किराये पर रह रहे हैं, इन्होंने उनको सर्विस नैट में डाल दिया और यह कहा कि उन पर 12 परसैन्ट सर्विस टैक्स लगेगा। क्या वह 12 परसैन्ट सर्विस टैक्स खुद देगा? जो किराये पर है, वह उसी से लेगा। इसमें सर्विस कहां प्रोवाइड की जा रही है। इसमें सेवा कहां दी जा रही है? एक आदमी ने अपनी छोटी सी किरयाने की दुकान चलाने के लिए दुकान किराये पर ली, उसका हजार या दो हजार रुपये किराया होगा। उसमें आप 12 परसैन्ट का सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय यदि वह वित्त विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। परन्तु मेरा विचार है कि उन्हें वित्त विधेयक पर चर्चा करने से पहले उसे पढ़ लेना चाहिए। कृपया उठ कर मुझे यह बताएं कि वित्त विधेयक पढ़ने के बाद आप संतुष्ट हैं कि सेवा कर ऐसे दुकानदार पर लागू है जो 1000 रुपये प्रति माह किराया देता है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने फाइनेन्स बिल भी पढ़ा है। मुझे यह बतायें कि कोई भी आदमी यदि किसी कमर्शियल परपज के लिए आउटलैट करेगा, ये आपने उसमें कहा है कि उसके ऊपर 12 परसैन्ट टैक्स लगेगा। अगर यह गलत है और इसे आप विदड्रा करें तो बहुत खुशी की बात होगी। परन्तु उसे आप विदड्रा भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी लिमिट बढ़ाई जा रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय उन्होंने अब यह वक्तव्य दिया है कि यदि एक आदमी 1000 रुपये किराया देता है तो उसे सेवा कर देना होगा। मैं इसका उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने कहा कि आप पचास हजार से ऊपर वालों को करेंगे तो भी जिसका किराया पांच या छः हजार रुपये हैं, उस पर यह टैक्स लगेगा। मैंने कहा कि उस पर टैक्स लगेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। यदि यह 50,000 रुपये से अधिक है तो वह इसमें आएगा। क्योंकि आपने कहा कि पचास हजार वाले सर्विस नैट में नहीं आयेंगे। तो भी जो दो-तीन या चाह हजार के किराये पर है, उसके ऊपर *(व्यवधान)* अपने मुल्क को अमरीका और पेरिस और दूसरे मुल्कों जैसा बनाने की जो इनकी कंसैप्शन है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने अपनी बात कह दी है, मैं उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं जिक्र कर रहा था कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर हो, मजदूर हों, छोटे व्यापारी हों, आम आदमी हो, इन सबके साथ कैसा भयंकर विश्वासघात इन सब चीजों में किया गया है, उसका मैं उल्लेख कर रहा था।

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

मैंने सारे बजट को देखा कि शायद कहीं पर कोई ब्लैक मनी के बारे में उल्लेख हो कि ब्लेक मनी के बारे में क्या किया जायेगा। हसन अली का मामला उस दिन मैंने उठाने की कोशिश की थी। एक अनजान आदमी जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, 35 हजार करोड़ रुपये की उसकी सम्पत्ति निकलती है। दस विदेशी खाते निकलते हैं। यह एक आदमी के निकलते हैं, ऐसे हजारों होंगे। उसके 35 हजार करोड़ रुपये का पता चलता है।

अपराह्न 1.00 बजे

जिसके पास 35,000 करोड़ रूपया है तथा दस विदेशी खाते है। वे दस विदेशी खाते एक आदमी के हैं। हजारों ऐसे होंगे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उसमें किस-किस पोलिटिशियन के नाम हैं? आप खुलकर क्यों नहीं बताते? उसके अंदर वे कौन व्यक्ति हैं? किन राजनीतिज्ञों के नाम हैं? क्यों छिपाया जा रहा हैं? क्यों उस पर पर्दा डाला जा रहा है? क्यों नहीं, वे लोग जिनके नाम सरकार को पता लगे हैं, उनको यहां पर सामने किया जाए? मैंने अभी कहीं पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को खंभे पर खड़ा करके लटका देना चाहिए। अगर खंभे पर खड़ा करके लटकाने की बात सुप्रीम कोर्ट कहती है और यह कहती है कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और वे कहते हैं कि कानून हमें इजाजत नहीं देता। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं जिनका नाम इसमें है? उन्होंने कहा है कि इसके अंदर राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, मंत्रियों और आतंकवादियों के नाम हैं? क्या कुछ और इससे ज्यादा गम्भीर हो सकता है? सुरक्षा सलाहकार कहते है कि हमारा जो सेंसेक्स इत्यादि का मामला चलता है, हमारे एक्सचेंज को आतंकवादियों के द्वारा मैनीपुलेट किया जा रहा है। रोजाना इस प्रकार के समाचार दिये जाते हैं कि आतंकवादी मैनीपुलेट कर रहे हैं। आतंकवादियों को हवाले से पैसा आ रहा है। क्यों नहीं दो-चार-पांच आतंकवादियों को एग्जेम्पलरी परिशमेंट के तौर पर उनको पकड़ा जाता? वे टाडा के अंदर गिरफ्तार हो सकते थे क्योंकि उसके अंदर यह था कि हवाले के जरिये से जो पैसा लाएगा, उसको पोटा के अंदर पकड़ा जा सकता था। आपने उसको विदड्रॉ कर लिया। आपने 'पोटा' ही खत्म कर दिया। उनको किसके अंदर गिरफ्तार करें? कैसे उनको सजा दें? तेलगी का क्या हुआ? कौन लोग उसके साथ शामिल थे? तेलगी वाला बचकर निकल गया। इसके ऊपर भी पर्दा डाल देंगे। क्वात्रोची का मामला सबके सामने है। किस तरह से यहां पर ब्लैक-मनी आतंकवादियों की मदद से लोग कमा रहे हैं और हवाला करने वाले इन लोगों को कैसे बचाया जा रहा है? कैसे उन पर पर्दा डाला जा रहा है? कैसे उनको छिपाया जा रहा है? इस बजट भाषण में एक भी शब्द ब्लैक-मनी के बारे में क्यों नहीं है कि इस ब्लैक-मनी को कैसे निकालो? पैरेलल इकॉनोमी चल रही है। जितना आपका टोटल रेवेन्यू है, कहीं ज्यादा ब्लैक-मनी जनरेट होती है और ब्लैक-मनी में हो रहा है। लेकिन उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। ये जो नॉन-पर्फार्मिंग एसैट्स सारे बजट में हैं, इनका क्या करें?... *(व्यवधान)*

यह हिन्दुस्तान ही एक ऐसा बदनसीब देश है जहां जो ऐसैट्स टैक्स अदा न करें, उन्हें भी ऐसैट्स कहा जाता है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : अब आप वाम पंथी होते जा रहे हैं।... *(व्यवधान)* गैर निष्पादनकारी आस्तियां, एक वर्ष में इकट्ठा नहीं हुई हैं... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे मालूम है। हर बार बजट में नॉन-पर्फार्मिंग एसैट्स का जिक्र होता था कि नॉन-पर्फार्मिंग एसैट्स कम करने के लिए क्या किया जाए? उनको एसैट्स कहना ही बेवकूफी की बात है तो वे नॉन-पर्फार्मिंग एसैट्स कहां से हो जाएंगे? परन्तु इन तीन सालों में उसमें 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। रिकवरी पांच-सात प्रतिशत हुई है।... *(व्यवधान)* आपने अपने भाषण में नॉन-पर्फार्मिंग एसैट्स के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? हम बार-बार कह रहे हैं कि सारे अखबारों में आप खुलकर इश्तहार दीजिए। बड़े-बड़े लोग हैं जिनको सरकार अरबों रुपये का कर्जा दे रही है और जो दुनिया के बड़े-बड़े धनी लोगों में आते हैं। उनके पास बैंकों का 54,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। क्यों नहीं उनके बारे में पब्लिक नोटिस लगाये जाते? कहा जाना चाहिए कि ये-ये लोग हैं जो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है और यदि उनमें से कोई मर गया या कुछ और बात हो गयी तो वह समझ में आती है पर अगर कोई

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अरबपति है जो हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि विदेशों की भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खरीद रहे हैं फिर वे अपने बैंकों का रुपया क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? परन्तु उसके बारे में बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। उसके बारे में एक भी शब्द नहीं।

उपाध्यक्ष जी, सरकार ने इनकम टैक्स एरियर्स का बजट में जिक्र किया है। वह कितना है? यह कुल मिलाकर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपया है जबकि टोटल प्लान आउटले इस राशि के आसपास ही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस इनकम टैक्स एरियर्स रिकवर करने के लिये क्या फॉर्मूला निकाला है? सरकार नॉन परफौर्मिंग असैस्ट्स की रिकवरी के लिये क्या कर रही है? आप 200-400 रुपये वाले को तो छोड़ दीजिये लेकिन जो बड़े-बडे अमीर लोग हैं, उनके खिलाफ कोर्ट केसेज़ चल रहे हैं आप एक नया कानून क्यों नहीं लाते? इस पैसे को रिलीज़ किया जाये लेकिन इनकम टैक्स एरियर्स को रिकवर करने का उल्लेख इस बजट भाषण में नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष जी, बजट में सरकार ने एक नई अजीब बात रखी है। एक तो यह रखा है कि जो अगले साल प्लान आउटले 30 परसेंट बढ़ा दिया, 40 परसेंट बढ़ा दिया लेकिन पिछले साल का जो टोटल प्लान आउटले 2 लाख 54 हजार 41 करोड़ रुपये था, उसमें भी 10 हजार करोड़ रुपये कम खर्च हुआ है। यह कौन सा तरीका है? प्लान आउटले रिवाइज्ड बजट बढ़ाया जाता, खर्च किया जाता, तब आप की बात सही होती लेकिन कहा जाता है कि बाद में खर्च न करो और फिर कहा जाता है कि इसे बढ़ाना है। यह सब आंकड़ों का जाल है। यह खर्चा किस-किस में कम हुआ? जो सोशल सर्विसेज़ में था, 63 हजार 313 करोड़ रुपये, उसमें खर्च हुआ 59 हजार करोड़ रुपये, इसमें 4 हजार करोड़ रुपये कम खर्च किये गये। अगर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में देंगे, हर एक में कम करते जायेंगे, उनको काफी कम कर दिया गया। इस तरह बजट अलॉट कर देना लेकिन खर्च नहीं करना, फिर डायरेक्शन देना कि घाटा बढ़ न जाये, खर्च मत करो। इस तरह की मानोपली करना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के०एम० आरून रशीद (पेरिमाकुलम) : आप बजट दस्तावेज के किस हिस्से का संदर्भ दे रहे हैं? . . *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं केन्द्रीय योजना परिव्यय के पृष्ठ 8 का संदर्भ दे रहा हूं।

[हिन्दी]

जिसमें बताया गया है कि 2006-07 में सोशल सर्विसेज में 63,313 करोड़ रुपये में से 59 हजार 43 करोड़ रुपये खर्च हुये। इसके बाद सैंट्रल प्लान आउटले में 2 लाख 54 हजार 41 करोड़ रुपये था, उसमें भी 10 हजार करोड़ रुपये कम खर्च हुआ है। यह मैं इसलिये उल्लेख कर रहा हूं कि इसके पहले वायदा किया गया, ढिंढोरा पीटा गया था। इसके बाद फौरेन एक्सचेंज रिज़र्व बताया गया कि यह 180 बिलियन डालर है, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है? आप आश्चर्य करेंगे कि अगले साल में डैट सर्विस 4 लाख 21 हजार, 219 करोड़ रुपये है जबकि हमारा टोटल रेवेन्यू 4 लाख 86 हजार करोड़ रुपये है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसमें कितना फर्क है? जितना पैसा है, वह डैट सर्विस में से निकल रहा है, प्लान में पैसा कहां जायेगा? अगर आप ज्यादा खर्च कर लेंगे तो उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारा डैट सर्विस का पैसा हमारे पास है, आपको देश को डैट ट्रेप से बचाने का प्रयास करना चाहिये। मेरा कहना है कि इस बारे में विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। एक तो शिक्षा के बारे में है। सरकार का वायदा था कि जी०डी०पी० का 6 प्रतिशत खर्च करेगी परन्तु इस दिशा में क्या हालत है? कुल मिलाकर शिक्षा पर नकारात्मक खर्च किया जा रहा है। शिक्षा में खासकर जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान पर लगभग 34.4 प्रतिशत पैसा कम हुआ है। सर्वशिक्षा अभियान ऐसी योजना है जिससे हम समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं, परन्तु उसमें भी पैसा कम कर दिया है। आज कोई बच्चा हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहता क्योंकि स्कूलों की हालत बहुत खराब है। टाट-पट्टी नहीं, कमरा नहीं, कुछ नहीं। हर आदमी पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को डालना चाहता है। कोई दून स्कूल में पढ़ते हैं, कोई किसी और स्कूल में पढ़ाते हैं। परन्तु जो सचमुच में गरीब बच्चे हैं, जिनको सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षित करना था, उन पर ज्यादा रुपया लगाना चाहिए था। . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आरून रशीद, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : 2003-04 में छ: एम्स खोलने की बात हुई थी। सब जगह शिलान्यास कर दिये गए, रुपया रख दिया गया । इस सरकार को सत्ता में आए तीन साल बीत गए लेकिन एक भी एम्स नहीं खुला और एक पर भी काम नहीं हो रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीज़ दम तोड़ते हैं। गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकता। आज हजारों की तादाद में प्राइवेट अस्पताल बन रहे हैं। ये एम्स अस्पताल जो बिहार और अन्य जगहों पर बनने थे, उनका बजट में कोई उल्लेख नहीं है और न कोई प्रावधान उनके लिए किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लापरवाही की गई है, वह बहुत आपत्तिजनक है। दो बातों को ज़िक्र मैं और करना चाहता हूं।

इंटरनल सिक्यूरिटी पर हर रोज़ चर्चा हो रही है। प्रधान मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक के रोज़ बयान आ रहे हैं कि भारत में हर वस्तु इन आतंकवादियों के निशाने पर है। अभी मैं कल फिर पढ़ रहा था कि हमारे जितने तट हैं, वहां पर कहीं न कहीं हमला होने वाला है और इसके लिए सावधान कर दिया गया है। हमारे किसी टापू पर आकर वे बैठ जाएंगे और वहां से हमला करेंगे, यह भी बार-बार कहा जा रहा है। दिल्ली की मैट्रो रेल खतरे में है और ताजमहल भी खतरे में है, यह कल परसों समाचारों की हैडलाइन्स थीं। हमारे न्यूक्लियर और पावर इंस्टालेशन्स के संबंध में भी आपकी तरफ से बयान आ रहे है। अगर इतनी भयंकर स्थिति है तो उसके लिए बजट में क्या किया गया है? कोई प्रावधान है, होम मिनिस्ट्री का कोई एलोकेशन बढ़ाया या कोई सैन्ट्रल ऐजेन्सी बनाकर जितना बड़ा खतरा है, उसका मुकाबला करने के लिए कोई प्रावधान किया कि हमने ये प्रावधान कर दिया? मैंने होम मिनिस्ट्री के आंकड़े देखे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मिनिस्ट्रीवाइज़ इसमें दिया था, उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सैन्ट्रल प्लान आउटले में 366 करोड़ रुपये रखे थे। उसमें से 317 करोड़ खर्च किये गए और अगले साल के लिए 459 करोड़ रुपये कर दिये। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार कितनी सीरियस है इसका कोई अभिप्राय इस बजट से नहीं निकलता कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जितना रुपया चाहिए था, उसके मुताबिक विशेष योजनाएं बनाकर इस बजट में कहीं न कहीं उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यूथ का ज़िक्र किया जा रहा है। नौजवानों के बारे में कहते हैं कि वे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। नौजवानों के लिए यह सरकार क्या कर रही है? अध्यक्ष जी, पिछले साल यूथ और स्पोर्ट्स पर, इस देश के सारे युवा कार्यक्रम और खेलों को मिलाकर कुल एलोकेशन 600 करोड़ रुपये था और सिर्फ 500 करोड़ रुपये खर्च किये गये। सौ करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किये। अगले साल 700 करोड़ रुपये एलोकेशन कर दिया। कितने में से? 3,19,992 करोड़ रुपये के प्लान में युवा कार्यक्रम और खेलों के लिए केवल 700 करोड़ रुपये रखे गए। यह कितना बनता है? 0.25 प्रतिशत या 1 प्रतिशत का भी चौथाई बनता है। इतना कम पैसा ये युवाओं पर, देश की राष्ट्रीय एकता पर और खेलों पर खर्च करेंगे? चिदम्बरम साहब बहुत बार ज़िक्र कर देते हैं कि राजीव गांधी जी ने 1982 में खेल कराए थे, हम भी उससे बढ़िया खेल करके दिखाएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उस समय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी नहीं थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। मैं उनको यह भी बताना चहता हूं कि पहले 1982 के खेलों की आयोजन समिति का मैं अध्यक्ष था। 500 करोड़ रुपये यह सरकार खेलों पर खर्च कर रही है जबकि चीन 20 हजार करोड़ रुपये खेलों पर खर्च करता है। यहां जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, ये खिलाड़ियों पर खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनफ्रास्ट्रक्चर और सुपरविज़न जैसी चीजों पर कर रहे है। बार-बार आपसे कहा गया है कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग वगैरह पर ज्यादा खर्च किया जाए। मैडल कैसे जीते जाएंगे? आपने क्या किया कि दिल्ली में होटल बना दो और दिल्ली में जो होटल बनाएगा, उसको टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। उनको करोड़ों रुपये की छूट आप दे रहे हैं। वे होटल बनाएंगे और वे होटल खेलों के काम नहीं आएंगे। हर कॉमनवैल्थ खेल में मैं गया हूं। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके भाषण में भी और मिनिस्टर साहब के भाषण में भी कहा गया लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1982 में जब गेम्स हुए थे तो उस वक्त राजीव गांधी जी नहीं, इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं।

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यही तो मैं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा कहा है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : वे जब भी आते हैं, हर बार कहते हैं। पहली बात मैं उनको समझा दूं कि ये कांग्रेस के या संप्रग के खेल नहीं हैं ... *(व्यवधान)* ये सारे देश के खेल हैं और जिस दिन इन खेलों को घोषणा हुई थी, उस दिन एनडीए सरकार थी। एनडीए सरकार इन खेलों को हिन्दुस्तान में लाई। उसके बाद भी हर बार इसका जिक्र करना ठीक नहीं है। दिल्ली में जो चार सितारा होटल बनाने के लिए आपने सैकड़ों करोड़ रुपये की छूट करों में दी है, उससे उन बिल्डर्स पर कोई कर नहीं लगेगा और खिलाड़ी का जो खाना है, उसकी सीमा सौ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपये भी नहीं होगी। पहले जो 20 लाख रुपये गोल्ड मैडलिस्ट को दिये गये, एशियन

खेलों में और कॉमनवैल्थ खेलों में, आपने उसको कम करके छ: लाख रुपये कर दिया है। क्या होटल मैडल जीतेंगे या इनफ्रास्ट्रक्चर मैडल लाएगा? अगर आप खिलाड़ियों पर खर्च करेंगे, उनको फॉरेन एक्सपोज़र देंगे, बैस्ट कोचेज़ देंगे तो वे मैडल लाएंगे।...*(व्यवधान)* आपको आश्चर्य होगा कि युवा कार्यक्रम और खेलों को मिलाकर 600 करोड़ रुपये में से 500 करोड़ रुपये खर्च किये और अगले साल 700 करोड़ रुपये रख दिये। आखिर कौन से नौजवानों का भला इससे किया है? महिलाओं के लिए क्या किया है? महिला सशक्तीकरण दिवस पर बड़ी भारी चर्चा की गई। महिलाओं के लिए सिर्फ यह कहा कि उनके लिए बजट को काटकर अलग कर दिया जाएगा, और कोई घोषणा उनके लिए नहीं की। हर चौथा बच्चा सैक्स एब्यूज़ का शिकार है। कल मैं यूनैस्को की रिपोर्ट देख रहा था कि छ: करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। बजट में इनके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। बजट में उल्लेख है कि हम मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं। पहले तो माइनारिटीज़ का आवरण था कि हम माइनांरिटीज़ के लिए कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार का माइनारिटीज़ नाम छोड़कर माइनारिटीज़ का नाम मुसलमान किया गया और उसके बाद प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के सारे खजाने पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह किस प्रकार का स्टेटमैंट है? यह कम्युनलाइज़ेशन ही है और क्रैज़नली कम्यूनल माइन्डसैट को प्रकट करता है। हालांकि इसमें रकम कोई ज्यादा नहीं है, पर मुसलमानों के लिए छात्रवृत्तियां आदि। यदि एक गरीब आदमी अनुसूचित जाति का रहेगा तो उसको वजीफ़ा नहीं देंगे और उससे कम होगा तो मुसलमान को वहां वज़ीफ़ा देंगे। आपने पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में बजट को कम्यूनलाइज़ किया है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता, कोई दुनिया का मुल्क नहीं करता, परन्तु यहां किया जा रहा है। यह ऐसा है कि इस देश पर अगर आपका बस चले तो इसे आप इस्लामिक रिपब्लिक ही बना डालें। आखिर इस तरह से क्या किया जा रहा है? आपने इस देश में 40 साल राज किया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोल लेना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने यह ठीक कहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* यहां इस देश में जिस पार्टी ने 40 साल राज किया, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने किया, अगर मुसलमानों की स्थिति खराब है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आप हो।...*(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : हम उस समय गवर्नमेंट में नहीं थे। जम्मू-कश्मीर में हम गवर्नमेंट में नहीं थे, बंगाल में हम कभी गवर्नमेंट में नहीं आए और वहां सबसे ज्यादा खराब हालत है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप समझते हैं कि दो सौ, तीन सौ, चार सौ करोड़ रुपए, आपने ठीक कहा कि यह अमाउंट क्या है। क्या इससे उनकी स्थिति सुधर जाएगी? आप कम्युनली डिवाइड क्यों कर रहे हैं? अगर आप यहां मुस्लिम कमीशन बनाने की बजाए इक्वेलिटी कमीशन बनाते, देश में एक समानता लाने का कमीशन बनाते, जो गरीब और अमीर का, हिन्दू और मुसलमान का, महिला और पुरुष एवं बच्चों का, सब का, सब में एक इक्वेलिटी लाने की बात करते, उसमें रुपया रखते तो बात समझ में आती। यहां 26 करोड़ रुपए की, बिलो पावर्टी लाईन के बारे में चर्चा नहीं, यहां मुसलमान हैं, उनके लिए हम ये कर रहे हैं, उनके लिए पहले अधिकार दे रहे हैं, उनके लिए फलां कर रहे हैं। आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप ये देश भर में डिवाइड कर रहे हैं, देश भर में एक रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई मुस्लिम प्रिय नहीं हैं, हिन्दू विरोधी है, आप यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी और जन विरोधी है। यह गरीब कर्मचारी एवं आम आदमी विरोधी है। ये सारे का सारा बजट, पूरी तरह से यहां बच्चों से लेकर महिलाओं तक, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, जिसमें इस बजट में विश्वासघात न किया हो। चिदम्बरम साहब केवल मात्र इस बात के लिए याद किए जाएंगे "मैरी अंतेवेत" की स्टेटमेंट से, इतिहास में लिखा जाएगा, यह पूरे देश के लिए अच्छी खबर है! जो कुत्ते और बिल्ली के खाने के बारे में दी थी, यही इतिहास में रह जाएगा। इस बजट का यही केवल

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

अंश है, जो इनके माइंड सेट को प्रकट करता है। यह बजट जिस तरह से बनाया गया है, उसका मैं विरोध करता है।

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव (ऐलूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भाजपा के अपने मित्र प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा बजट के बारे में कही गई बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने गरीबों, ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के बारे में अनेक बार उल्लेख किया है। मुझे कम से कम इस बात की प्रसन्नता है कि अब वह विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। जब वह सत्ता पक्ष में बैठते थे तो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैं यह कहूंगा-यद्यपि मैं कांग्रेस दल, यू०पी०ए० गठबंधन से संबंध रखता हूं-परंतु मैंने उनके विपक्ष में बैठे होने पर भी उनके भाषण में कोई ऐसी बात प्रभावी आलोचना नहीं पाई जो समाज के गरीब वर्गो का समर्थन करती हो। मैं यह उल्लेख करूंगा कि ऐसा कैसे नहीं है।

शुरू में मेरे मित्र प्रो० मल्होत्रा उद्योग और व्यापार के प्रभाव और समाचार-पत्रों में प्रस्तुत अभिव्यक्तियों के बारे में बोल रहे थे जिसमें यह कहा गया था कि यह बजट भावशून्य बजट है और यह जनता को उत्साहित नहीं कर रहा है, आदि-आदि।

महोदय, मुझे समाचार-पत्रों के प्रति कोई शिकायत नहीं है। क्या हमारे सामने इस देश में कोई एक मामला आया है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र अथवा उद्योगपतियों अथवा व्यापारियों ने समाज के गरीब वर्गो के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति कुछ कहा है? यदि उन्हें किसी बजट अथवा सरकार की आलोचना करनी थी तो वे निरपवाद रूप से कर की दरों में कटौती के बारे में बोलते, परंतु आंकड़ों से जाहिर होता है कि इस देश में अमीर व्यक्ति सबसे कम कर का भुगतान कर रहे हैं। यद्यपि इसका उल्लेख मुख्य समाचारों में किया गया है कि दी गई अनेक रियायतों के कारण कारपोरेट क्षेत्र पर अतिरिक्त अधिभर आदि सहित 30 प्रतिशत कर अंतत: यह 19.2 प्रतिशत तक ही आता है। अत: यदि इस देश में औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारी और व्यवसाय समुदाय यह कहते हैं कि कर की दरों में कमी नहीं की गई है तो इसका अर्थ है कि उनकी इस देश में बड़ी संख्या में रह रहे गरीब व्यक्तियों के प्रति कोई जिम्मेदारी और सहानुभूति नहीं है। यदि वे यह कहते कि ठीक है, हम पैसा कमाते हैं। हम ही कारपोरेट घरानों के न्यासियों के तौर पर कार्य कर रहे हैं और हम अपने धन का अधिकांश हिस्सा सिर्फ गरीब वर्गों की बेहतरी और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए खर्च करेंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती।

महोदय, मैं एक उदाहरण का उदाहरण दूंगा कि इस देश में समाचार-पत्र किस प्रकार रिपोर्ट देते हैं। वर्ष 1977 में, मैं आंध्र प्रदेश के मछलीपटनम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था। उस समय मैं संसद सदस्य नहीं था मैं सुबह के समय चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था, उस समय मैंने दीवार पर एक नारा लिखा देखा जिसमें कहा गया था, कि यदि आप प्रेस की स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको जनता पार्टी को वोट देना होगा। मैंने एक अन्य नारा देखा तो कहा गया था: 'यदि आप तानाशाही के बजाय लोकतंत्र चाहते हैं तो आपको जनता पार्टी को वोट देना होगा।' उसके तत्कालबाद मैं अपने घर वापस आया और अपने लोगों से उस नारे के नीचे यह लिखने को कहा कि 'यदि किसी को अधिकर और प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो उसके लिए लोकतंत्र है और यदि किसी को वह अधिकार छिनवाना है तो उसके लिए तानाशाही है। वही नेता जो पहले कांग्रेस में था और बार-बार यह बता रहा था कि यही लोकतंत्र है जिसका कि वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। परंतु जब वह कांग्रेस को छोड़कर गए तो उन्होंने कहा कि यह तानाशाही थी।

जब उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में लिखा तो अगले ही क्षण मैंने ऐसा लिखा हुआ पाया: 'आप प्रेस की स्वंतत्रता चाहते हैं या प्रेस मालिकों की? मुझे बताइए आज किस समाचार-पत्र में संपादक अथवा पत्रकार' के पास ऐसे मुद्दे के बारे में लिखने की स्वतंत्रता है जो समाचार पत्र के मालिक की राय के विरुद्ध हो? प्रेस की इन टिप्पणियों का कितना मूल्य है? क्या उन्होंने कारपोरेट क्षेत्र के अमीर व्यक्तियों के बारे में कभी कोई टिप्पणी की है? यदि एक उद्योगपति सैंकड़ों करोड़ रुपये कमाता है और जिसका शेयर मूल्य 10 से बढ़कर 3000 रुपये हो जाता है तो क्या कभी उन्होंने उससे पूछा कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया? क्या इसका कारण यह नहीं है कि वह उससे ज्यादा वसूल रहा है जितना उसे वसूल करने का हकदार है। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि उसने उन सेवाओं की लागत में वृद्धि कर दी है जिन्हें वह प्रदान कर रहा है अथवा उसने उस वस्तु की लागत में वृद्धि कर दी है जिसका वह उत्पादन कर रहा है क्या समाचार-पत्रों ने कभी इसके बारे में प्रश्न किया? नहीं, और मेरे मित्र आंकड़ों पर नहीं बल्कि ऐसे समाचार-पत्रों द्वारा की गई टिप्पणियों पर निर्भर रहना चाहते हैं। यदि उन्होंने आंकड़ों के बारे में कुछ उल्लेख किया होता और गरीब आदमी की स्थिति में सुधार करने के लिए विस्तार से सुझाव दिए होते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। यदि उन्होंने यह कहा था कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे 65 प्रतिशत व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होती है तब तक उद्योग तरक्की नहीं कर सकते तो मुझे प्रसन्नता होती परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस सरकार ने कृषि के लिए कुछ नहीं किया

है इस सरकार ने आम आदमी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों, कर्मचारियों आदि के लिए कुछ नहीं किया है।

महोदय, अब मैं एक-एक करके उनके सभी मुद्दों पर आऊंगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। जब उनकी सरकार थी तो क्या उन्होंने कभी कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ाने पर विचार किया था। मुझे अति प्रसन्नता है कि जिस दिन संप्रग सरकार सत्ता में आई, उन्होंने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के महत्व को महसूस किया।

जब तक गांवों में रहने वाले 65 प्रतिशत व्यक्तियों की आय में वृद्धि नहीं होती है और जब तक उनके निर्वाह-स्तर में सुधार नहीं होता है तब तक यह देश और कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है। यदि उत्पादक लाखों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें कौन खरीदेगा? क्या इन वस्तुओं को इन्हीं 35 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाता है? इसीलिए, मेरा कहना है कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार ने कम से कम अब यह महसूस किया है कि हमें कृषि क्षेत्र का ध्यान रखना होगा और जब तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखा जाता है तब तक हमारा कोई भविष्य नहीं है।

वह विपक्ष में बैठे है इसीलिए सामान्य सी बात है कि वह आलोचना कर रहे हैं और मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आता है। यदि उन्होंने अधिकाधिक मुद्दों की आलोचना की है तो मैं उनका समर्थन करूंगा लेकिन उन्होने बिना किसी मुद्दे के आलोचना की है। उन्होने कहा कि चीन ने 10 से 11 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर ली है परंतु उनकी मुद्रास्फीति केवल दो प्रतिशत है। मुझे प्रसन्नता है कि वह कम से कम आज एक कम्युनिष्ट देश चीन की प्रशंसा कर रहे हैं जिसको उन्होने कभी नहीं की और जिसका वे हमेशा विरोध करते रहे थे।

महोदय, राजग के शासन में विकास दर कितनी थी? क्या उन्होने कभी इस पर नजर डाली है। यह 4.5 प्रतिशत थी और कभी-कभी यह इससे भी कम थी। अब, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि विकास दर 9.2 प्रतिशत है और हमारा लक्ष्य इसे 10 प्रतिशत करने का है। इसमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। पूरे विश्व ने महसूस किया है कि यह देश बहुत उन्नति कर रहा है विशेषकर गत तीन वर्षों में यह विकास उन्नति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी है। हम इसमें दोष कैसे ढूंढ सकते हैं?

ठीक है, मुद्रास्फीति है। इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है। पहले यह 5.2 प्रतिशत थी और अब यह 5.4 प्रतिशत है। पहले यह लगभग चार प्रतिशत थी। क्यों? क्या कारण है? क्या उन्होंने कभी इसका विस्तार से अध्ययन किया है? मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना है जिनका उपभोग आम आदमी द्वारा किया जा रहा है, जहां सरकार द्वारा नियंत्रण कम कर दिया गया है चाहे वे दाल, इमली, मिर्च, सब्जियां और फल हों। हां, इनके मूल्य में कई बार वृद्धि हुई है। उन दिनों उन्होने दिल्ली में सत्ता क्यों गंवाई? इसका कारण सिर्फ प्याज के मूल्य में वृद्धि होना था क्या उन्होने ने उस वक्त इस बात को महसूस किया था? अबभी क्या वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन दिनों जो कुछ हुआ उसका करण उनकी नीतिगत गलती थी। अब, चूंकि वे विपक्ष में बैठे हैं इसलिए उनका कहना है कि यह नीतिगत असफलता है और इसका कारण यह है कि संप्रग सरकार की नीतियां गरीब आदमी के हित में नही हैं, मूल्यों में वृद्धि हो रही है ऐसा लगता है कि जैसे यह एक बड़ी आपदा है। मैं यह नहीं कहता कि मूल्यों में वृद्धि होनी है परन्तु एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा आम आदमी इससे प्रभावित न हो। मैं कुछ सुझाव दूंगा कि यह कैसे किया जा सकता है *(व्यवधान)*

जिन मुद्दों पर वे हर समय चिल्लाते रहते हैं वे अति हास्यास्पद हैं। वे वास्तव में कभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के बारे में नहीं बोलते हैं। मैं बताता हूं कितने हास्यास्पद है। बजट पर चर्चा के दौरान, जो कि पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है, उन्होने कहा कि मैडम सोनिया गांधी ने ही राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया और इस प्रकार इस प्रधानमंत्री का महत्व कम हुआ। क्या यह एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी को सहायता मिलती है। उन्हें यह सच्चाई पचाने में कठिनाई हो रही है कि वे विपक्ष में बैठे हैं। उन्होनें कहा कि समाचार-पत्र में मैडम सोनिया गांधी का फोटो ज्यादा साफ नजर आ रहा है जबकि प्रधानमंत्री का फोटो ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहा है। क्या उन्हें वास्तव में इस सिद्धांत से इतना अधिक प्यार, स्नेह है अथवा उनका यह सिद्धांत है कि प्रधानमंत्री का फोटो बड़े आकार में और मैडम सोनिया गांधी का फोटो छोटे आकार में होना चाहिए? नहीं। ऐसा सिर्फ फूट डालने के इरादे से कुछ टिप्पणियां करने और कुछ आलोचना करने के लिए है। वे संप्रग अध्यक्षा और प्रधानमंत्री के बीच थोड़ी फूट डालने के लिए सारे प्रयास करेंगे परन्तु मुझे यकीन है कि वे इस काम में सफल नहीं होंगे। वे कभी सफल नहीं होंगे। वे इन सभी तुच्छ मामलों का उल्लेख करेंगे।

किसानों द्वारा आत्म-हत्या के बारे में मेरा कहना है कि क्या इसकी शुरूआत कल हुई थी? क्या यह केवल संप्रग सरकार के समय में हुई घटना है? क्या राजग सरकार के समय ऐसा नही हुआ था? क्या उन्होंने कभी इसका कोई जिक्र किया था। क्या उन्होंने इसको रोकने के लिए कोई सुझाव दिए थे अथवा कोई कदम उठाएं थे? आंध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है। पिछली तेलुगूदेशम पार्टी के शासनकाल में किसानों द्वारा आत्महत्या के अनेक मामले सामने आए थे। दयनीय स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नायडू कहते हैं कि 'चूंकि सरकार नें किसानों द्वारा आत्म-हत्या के लिए 1.5 लाख

[श्री के०एस० राव]

रुपये के मुआवजे की घोषणा की हैं, इसीलिए किसान आत्म हत्या कर रहे हैं।' महोदय, क्या कोई व्यक्ति इसलिए आत्महत्या करेगा क्योंकि उसे 1,50,000 रुपये मिलेंगे? इस सरकार ने कभी उनकी बात पर टिप्पणी नहीं की। उसने उनका बिल्कुल भी दोष नहीं निकाला और अब वह किसानों द्वारा हत्याओं के बारे में बोल रहे हैं।

महोदय, उन्होंने किसानों के बारे में बोलते समय कहा कि ऋण राशि में वृद्धि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं है। मैं इससे सहमत हूं कि यह सब कुछ नहीं है। उन्होने यह भी उल्लेख किया कि किसानों को दिए गए ऋण की ब्याज दरों को घटाया जाना चाहिए। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। इसका कारण औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करते समय, यह तंत्र बैंक से लिए गए ऋण पर अदा किए गए ब्याज जो कि 75 प्रतिशत बैठता है, अपनी पत्नी सहित स्वामी द्वारा प्रदत्त सेवाओं, उनकी सुविधाओं, विशेषाधिकारों आदि, तथा उनके निवेश पर कुछ लाभ/लाभांश, और तत्पश्चात आधार लागत का ध्यान रखता है। इन सबसे सिर्फ औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं कृषि उत्पादों के नहीं। यदि इसी सिद्धांत पर कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाए तभी हम न्याय करेंगे।

अब, चूंकि एक उद्योगपति का अपने उद्योग में निवेश होता है, और बैंक से ऋण लेता है तो किसान का भी अपनी भूमि में निवेश होता है, और वह भी ऋण लेता है। उसकी एक एकड़ भूमि की लागत 4 लाख रु० है और उस पर ब्याज छह प्रतिशत है जो कि प्रतिवर्ष 24,000 रुपये बनता है। परन्तु उसे प्रति एकड़ 5000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता परन्तु उन्होने ऐसा नहीं कहा। उन्होने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया।

इसी प्रकार, उन्होने फसल बीमा का कोई उल्लेख नहीं किया है; यह हम ही हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे संप्रग सरकार में होने के बावजूद हमें कभी-कभी वित्तमंत्री में गलतियां दिखती हैं। वास्तव में, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है-पिछली बार भी मैंनं उल्लेख किया था- कि राजीव गांधी के शासन काल में इस पर सोचा गया था और फिर फसल बीमा योजना आरम्भ की गई। किन्तु गुजरात राज्य के अनुभव से जहां हजारों करोड़ो रुपये के फर्जी दावे चल रहे हैं, सरकार को यह योजना जारी रखने में भय लग रहा है। लेकिन यह अभी भी जारी है। किन्तु महोदय, मुझे हर्ष होता यदि वह यह कहते कि फसल बीमा योजना को किसान विशेष के आधार पर न कि ग्राम आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

यदि कोई झूठा दावा करता है तो उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान होना चाहिए। इसे निजी कार्पोरेट क्षेत्र पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जब तक कार्पोरेट क्षेत्र इसकी बागडोर नहीं सम्भाल लेता, यदि कोई झूठे दावें किए जाते हैं तो हम उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कानून में प्रावधान कर सकते हैं। इसलिए, यदि कोई झूठा दावा करता है तो उसे दण्ड दिया जाए। किन्तु यदि किसी किसान को अपनी गलती के बजाय प्राकृतिक आपदा की वजह से हानि होती है तो क्या उसकी सहायता नहीं की जानी चाहिए? मान लीजिए, किसी उद्योगपति अथवा व्यापारी के गोदाम में आग लग जाती है अथवा कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे बीमरी कम्पनियों द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाता है। जब इन्हे मुआवजा मिल सकता है तो किसान ने क्या अपराध किया है? उसे मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए?

मेरे मित्र, डा० मल्होत्रा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कोई वैद्य टिप्पणी नहीं की। उन्होने इसे केवल स्पर्श किया है। हम एफसीआई के माध्यम से खाद्य पदार्थो पर 25000 करोड़ रुपये की राज सहायता दे रहे हैं। किन्तु हमने वास्तव में माननीय वित्त मंत्री और माननीय कृषि मंत्री को यह सुझाव दिया था कि इसके स्थान पर यदि महिलाओं द्वारा गठित स्वसहायता समूहों को यह जिम्मेवारी सौंपी जाये, और यदि उन्हे कम ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाए और उनसे कृष्रि उत्पाद खरीदने को कहा जाए और तब किसी क्षेत्र विशेष में स्थित उचित दर दुकान पर आपूर्ति करें तो किसानों को अवश्य ही बेहतर कीमतें मिलेंगी और इसके फलस्वरुप उपभोक्ता को भी यह कम मूल्यों पर उपलब्ध होंगे। और इस प्रक्रिया में, स्वसहायता समूहों के कई गरीब लोगों को इससे आजीविका मिल पायेगी। इस प्रकार, हम किसानों की सहायता कर सकते हैं। हम निर्धनतम बीपीएल परिवारों की सहायता कर सकते है। महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने में सहायता दे सकते हैं। किन्तु कोई सुझाव नहीं दिया गया। हम गरीब लोगों के लिए अपेक्षित मदों को बढ़ा सकते हैं। वह पीडीएस में कुछ और अधिक मदों को शामिल करने के लिए कह सकता है, न केवल मिट्टी का तेल, न केवल चावल, न केवल गेहूं, न केवल दालें अपितु कई अन्य चीजें भी इसमें शामिल की जा सकती है। कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

उन्होने ग्रामीण नियोजन के बारे में उल्लेख किया। उन्होने उल्लेख किया कि कोई भी अतिरिक्त आबंटन नहीं किया गया और तो और आबंटित राशि को खर्च भी नहीं किया गया। मैं सहमत हूं किन्तु जब हम ग्रामीण नियोजन करते हैं तो लोगो को केवल ऋण प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें कौशल, भी प्रदान करवाना चाहिए। हमें उनके स्तर पर ही कतिपय चीजों के विनिर्माण नौकरी के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और तब हम इसे वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध कर सकते हैं। फिर जो भी ऋण प्रदान किया जायेगा। उसका समुचित उपयोग किया जा सकेगा। केवल यह कहना कि 1000 करोड़ रुपये का आबंटन है और आप इसे अपने तरीके से खर्च करते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है।

किन्तु उन्होंने लोगो को कौशल प्रदान करने पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं समझता। मैंने इसके बारे में कई बार इस सभा में बताया है चाहे कोई भी सरकार रही हो। किसी भी देश में धन सृजन कैसे हो सकता है जब तक कि इस देश के लोग कुशल न हो? यहां लोगों के लिए कौशल कहां है? लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए कहां ध्यान दिया जा रहा है? किसी संस्थान से अध्ययन करके आने वाले छात्र में यह आत्म विश्वास नहीं है कि वह स्वयं अपने भरोसे जीवन व्यतीत कर सकता है अथवा वह कुछ विनिर्मित कर सकता है अथवा वह कुछ वस्तुऐं कुशलता पूर्वक बनाने में सहयोग कर सकता है? वह केवल यही कहता है कि वह सफेद पोश रोजगार चाहता है। वह कहता है कि वह एक ऐसी नौकरी चाहता है जहां इसकी कमीज मैली न हो। सफेद-पोश नौकरियों द्वारा कितना रोजगार प्रदान किया जा सकता है? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सभी छात्रों को कौशल प्रदान करने के बारे में सोंचे। जब तक वह संस्थान छोड़ें, उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए।

आज, चीन इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? मलेशिया ने कैसें तरक्की की है? दक्षिण कोरिया कैसा है? यह सब कौशल की वजह से हैं। उनके द्वारा अर्जित कौशल की वजह से ही कम लागत पर उनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

वह शिक्षा के बारे में बता रहे थे। वह कहते हैं कि एस०एस०ए० के लिए आबंटन नहीं किया जाता है। इसके स्पष्ट आंकड़ें हैं। इस सरकार ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है कि इसने बीच में विद्यालय छोड़ने वालों को कम करने के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया है। हम सभी यह जानते हैं। यदि नर्सरी में 100 बच्चे प्रवेश लेते हैं तो केवल सात ही कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। इनमें से अधिकतर गरीब वर्गों से होते हैं। इसका भी एक कारण है। मैं स्वयं इसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी आंखों से देख चुका हूं जब मैं उस क्षेत्र में जाता हूं जहां गरीब लोग रहते हैं। वे लोग इस आशा में जी रहे हैं कि उनका बच्चा भी शिक्षित होगा और एक बड़ा आदमी बनेगा। गरीब आदमी स्वयं भूख से मर रहा है और नियम सयम से ज्यादा काम कर रहा है। वे अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे शिक्षित हो जाते हैं। वे डिग्रीधारक, पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्रीधारक बन जाते हैं किन्तु उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। वे अपनी तरह अपने बच्चों के कपड़े मिट्टी में खराब नहीं करवाना चाहते हैं। वे उनके लिए बेहतर रोजगार चाहते हैं किन्तु रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसलिए, समाज के निर्धन वर्गों के अधिकतर ग्रेजुएट अपने गांवों में खाली हैं। अन्तिम परिणाम यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य शिक्षक उपलब्ध नहीं करवा सकता है। आप क्या सुझाव देंगे?

श्री के०एस० राव : उन्हे प्रेरित कीजिए। हम आज उन्हें एस०एस०ए० से कैसे धनराशि उपलब्ध करवा सकते हैं? शिक्षा राज्य का विषय है किन्तु हमने हजारों करोड़ रुपये प्रदान करवाये हैं क्योंकि हमने यह महसूस किया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही निर्धनतम वर्गों के उत्थान का एक मात्र साधन है। भारत सरकार ने एक कदम उठाया है कि ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, हम पर्याप्त धनराशि प्रदान करेंगे। यही कारण हैं कि क्यों 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये गए। न केवल निम्न प्राथमिक किन्तु उच्च प्राथमिक भी इसमें आज शामिल है और कल इसमें विद्यालयी शिक्षा भी शामिल हो जायेगी।

बच्चे बीच में शिक्षा क्यों छोड़ देते हैं? भुखमरी, नियत समय से अधिक कार्य और अपने बच्चे को पढ़ाने के बावजूद बच्चे शिक्षा आधूरी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हे रोजगार नहीं मिल पाता है। वह सोचता है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा किसलिए दिलवाए। यदि में आज भी 8 या 10 वर्ष की आयु में अपने बच्चे को काम पर भेजता हूं तो उसे 40 रुपये की अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी जिससे उसके परिवार को भी सहायता मिलेगी।

आज मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यद्यपि हम हजारों करोड़ रुपये प्रदान कर रहे हैं फिर भी पहले की गई गलतियों को देखते हुए यह पर्यापत नहीं है। हमारी शिक्षा की वर्तमान प्रणाली इन बच्चों की सहायक नहीं है विशेषकर निर्धन वर्गो को कल यह रोजगार प्रदान नहीं कर सकती है।

शिक्षा बीच में ही छोड़ने वालों की संख्या फिर बहुत बढ़ जायेगी। इसलिए हमें शिक्षा का व्यावसायीकरण करना चाहिए, उन्हे कौशल प्रदान करना चाहिए, उन्हे आत्म-विश्वासी बनाना चाहिए जिससे कि जब तक वह संस्थान से शिक्षा पूरी करके आए तो स्वत: ही उसे रोजगार मिल जाए। इससे पर्याप्त धन सृजन हो सकेगा। माननीय वित्त मंत्री आंकड़े उपलब्ध करवायेंगे। वह सक्षम हैं और वह ज्यादा राजस्व प्राप्त कर सकते हैं जिसका वे कल के खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

किन्तु, महोदय राजस्व कैसे आएगा? यह तभी आयेगा जब धन सृजन होगा। धन सृजन कैसे होगा? यह तभी होगा जब नागरिक कुशल होंगे। यदि कार्यशील आयु के 400 मिलियन लोगों के कौशल को दुगुना और तिगुना कर दिया जाए तो धन सृजन लाखों करोड़ों रुपये अधिक होगा। राजस्व के रूप में जीडीपी का 10 प्रतिशत अथवा 11 प्रतिशत से हम रातोंरात लाखों करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी और एक प्रतिशत या 1.5 प्रतिशत जीडीपी बढ़ाने के लिए दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से यह तीन प्रतिशत से अधिक बढ़ जायेगा। किन्तु उन्होंने कभी भी यह सुझाव नहीं दिया।

[श्री के०एस० राव]

वे केवल यही कहते हैं कि कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है। जबकि यह स्पष्ट है कि एक ही वर्ष में आबंटन 35 प्रतिशत बढ गए हैं उन्होने इस बारे में कुछ नहीं कहा।

माननीय सदस्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। जब भी गठबंधन की सरकार होगी तो। विचारों में अन्तर होगा और कुछ चीजें पूरी तरह से शत प्रतिशत लागू नहीं की जा सकती। किन्तु उन्हें एक दृष्टांत देने कीजिए जहां यह गलत हो। सामान्यत: वे गलतियां निकालते रहते हैं।

माननीय सदस्य कर्मचारियों के लाभ में वृद्धि के बारे में कह रहे थे। वे कर्मचारियों को यह कहकर उकसाना चाहते थे कि उन्हे केवल 1000 रुपये का लाभ मिल रहा है। इसके बजाय, यदि आप असंगठित क्षेत्र की ओर ध्यान दें जिन्हें इन कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को दसवां हिस्सा भी प्राप्त नहीं हो रहा हैं तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने असंगठित क्षेत्र की ओर संकेत नहीं किया। क्या उन्होने कभी भूमिहीन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सोचा है? इस सरकार ने आज सामाजिक सुरक्षा और बीमा का प्रावधान किया है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है। आपने सभी लोगों के लिए बीमा करने का प्रावधान किया है। किन्तु आपने इसे केवल एल०आई०सी० तक ही सीमित कर दिया है।

वित्त मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम) : यह एक साधन है।

श्री के०एस० राव : मैं इसका विस्तार सम्पूर्ण कार्पोरेट क्षेत्र और बीमा कम्पनियों तक करना चाहता हूं जिससे कि वे आगे आ सकें और सबकी सहायता कर सकें *(व्यवधान)*

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : क्या आप एल०आई०सी० को मारना चाहते हैं?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, जब तक उनके हाथ में पानी का गिलास है, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। इस योजना में लगभग एक करोड़ भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को मृत्यु-सह-अशक्तता सामाजिक सुरक्षा बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

श्री के०एस० राव : मैं जानता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : एल०आई०सी० इस योजना को क्रियान्वित करने का एक साधन है। हमने यह निर्णय सोच-समझकर लिया है। मैं इसे करने के लिए केवल एल०आई०सी० को ही अनुदेश दे सकता हूं क्योंकि यह हमारा संगठन है। सम्भवत: मैं निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ऐसा करने के लिए अनुदेश नहीं दे सकता हूं।

श्री के०एस० राव : यह अनुदेश नहीं है। मैंने अनुदेश नहीं कहा है। किन्तु इसे केवल एल०आई०सी० तक ही सीमित करने के बजाया यदि इसे सभी के लिए खोल दिया जाता है तो कुछ कार्पोरेट क्षेत्र आगे आ सकते हैं। हम कार्पोरेट क्षेत्र को 200 करोड़ रुपये उपलब्ध करवायेंगे और राज्य सरकारें अथवा उपभोक्ता भी इसमें हिस्सेदारी कर सकतें हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : हम यह बाद में देखेंगे *(व्यवधान)* महोदय, योजना का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए एल०आई०सी० सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है।

श्री के०एस० राव : महोदय ये काले धन की बात कर रहे हैं। भाजपा के लिए काले धन निगमित क्षेत्र शेयर, डिविडेंड्स, इत्यादि में उतार-चढ़ाव और ये सारी बातें करना हमेशा प्रसन्नता का विषय रहा है, गरीबों की बातें करना नहीं।

माननीय सदस्य गैर निष्पादनकारी आस्तियों की बात करते हैं। श्री अनन्त कुमार, गैर निष्पादनकारी आस्तियां बढ़ी नहीं है। कई समितियों, वित्तीय समितियों के सदस्य के रूप में हमने कई बैंकों का दौरा किया है। सब जगह हमने देखा है कि गैर निष्पादनकारी आस्तियों का प्रतिशत घटा है मुझे पता नहीं कि प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा कहां से आंकड़े लाए हैं कि यह बढ़ कर 17 प्रतिशत हो गयी है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है!

विदेशी मुद्रा भण्डार की बात करें तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे देश का विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग 180 बिलियन डालर है। ढाई साल में हमने कई बैंकों के साथ जो बैठकें की उनमें से अधिकांश में मैंने उनसे पूछा कि वे इन भण्डारों को अलाभकारी जमा के रूप में क्यों रखते हैं और हम इसका कम से कम एक भाग विदेश में कार्यरत भारतीय कार्पोरेट हाऊसों को ऋण देने में क्यों नहीं करते हैं। मेरे विचार से यदि हम ऐसा करते हैं तो प्राप्त आय विदेशी मुद्रा में होगी और बैंकों, निगमित क्षेत्र तथा देश का मुनाफा भी अधिक होगा। मुझे हर्ष है कि माननीय वित्त मंत्री ने अवसंरचना क्षेत्र को ऋण देने के लिए इन भण्डारों में एक भाग का उपयोग करने हेतु एक प्रावधान किया है। यह एक अच्छी बात है। विपक्ष में माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख नहीं किया है।

अब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। गरीबों की बुनियादी जरूरतें हैं: खाद्यान्न, आश्रय, शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या। गरीबों को स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि जब गरीब इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाते हैं तो पाते है कि उनकी देखभाल के लिए वहां पर्याप्त संख्या में चिकित्सक नहीं है। जब गांव में सरकारी औषधालय खोलने की बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए चिकित्सक आगे

नहीं आते हैं। तब इन ग्रामीण गरीबों का क्या होगा? या तो हमें डिग्री प्राप्त करने से पहले सभी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष तक काम करना अनिवार्य बनाने हेतु एक विधान लाना होगा अथवा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवश्य स्वास्थ्य बीमा देना होगा। इनमें अधिक खर्च नहीं आता है। इसमें प्रतिवर्ष 200 से 300 रु० के लगभग लागत आएगी। यदि आप उनके लिए 25000 रु० के वार्षिक कवरेज के साथ स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करते हैं तो इन लोगों को जब भी जरूरत होगी किसी भी अस्पताल में इलाज करा पाएंगे। कार्पोरेट क्षेत्र के अस्पताल भी इसमें शामिल हों। यदि यह प्रावधान किया गया है तो चिकित्सक भी ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग होम खोलने के लिए आगे आएंगे क्योंकि तब वे पैसा मिलने के प्रति आस्वस्त होंगे। मेरी इच्छा है कि माननीय मंत्री देश में सभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इस प्रकार की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के बारे में सोचें।

मुझे बजट में रिवर्स मार्टगेज के प्रावधान से बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे पास बड़े पैमाने पर गरीबों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। हम गरीबों को 50 लाख से अधिक घर उपलब्ध कराना चाहते है। किन्तु हम जो 25000 से 35000 रु० उपलब्ध कराते हैं वे समुचित मकान बनाने के लिए वर्तमान प्रणाली में पर्याप्त नहीं है। जब हम उन्हें स्वयं घर बनाने को कहते हैं तो निर्माण की गुणवत्ता इतनी घटिया होती है कि ये मकान दस वर्षों से अधिक नहीं टिक पाते हैं। इसके परिणामत: दस वर्षों के बाद उनके पास कोई आस्ति नहीं बचती और पैसे भी खर्च हो गये होते हैं।

इस समस्या का समाधान हैं 'रिवर्स मार्टगेज'। सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए भवन निर्माण, मानक भवन के कार्य हेतु पहल कर सकती है जो कम से कम साठ वर्ष चल सके। ऐसे मकान बनाने में एक से डेढ़ लाख रु० लग सकते हैं। किन्तु यह महत्वपूर्ण नहीं है। लोग यह कह सकते हैं कि गरीब आदमी अपना किस्त नहीं चुका सकता है। उसे अपनी किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं हैं सरकार मूल्यवान भूमि गरीबों को मुफ्त में दे रही है। माना कि एक गरीब आदमी को एक खास शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज जमीन मुफ्त मिलती है और मकान की लागत 50000/- रु० थी। 50000/- रु० के स्थान पर यदि आप उसी गरीब आदमी को 1,50,000/- रु० देते है, वह तत्काल वह धन नहीं लौटा सकता किन्तु बैंकर उस घर को 'रिवर्स मार्टगेज' रख सकते है और उसकी ओर से किस्त भुगतान कर सकते हैं। जो लोग पैसा लौटाने को तैयार हैं वे अपना मकान रख सकते हैं। यदि वे किस्त नहीं चुकाते हैं तो बैंकर 10 से 20 साल में उन घरों को ले सकते हैं। यह सर्वोत्तम प्रावधान है। इसे हल्के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इस 'रिवर्स मार्टगेज' प्रावधान को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और समाज के निर्धन वर्ग के लाभार्थ मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, माननीय मंत्री ने देश में जल निकायों की मरम्मत के लिए प्रावधान किए हैं जो अनिवार्य है। पुराने दिनों में प्रत्येक गांव में एक से चार तालाब होते थे जिनसे लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी।

50 वर्षों में उन सबमें गाद जमा हो गया है। जब कभी वर्षा होती है तो उसका पानी तालाब में जमा नहीं हो पाता और बह जाता है। उन्होंने पहल की है और जल निकायों द्वारा जल भण्डारण हेतु हजारों करोड़ रु० का आबंटन किया है। मुझे इस पर प्रसन्नता है। इन जल निकायों के इस्तेमाल से करोड़ों एकड़ भूमि पर कृषि हो सकेगी।

मैं माननीय मंत्री के सामने एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। नदियों को परस्पर जोड़ना बहुत अनिवार्य है। यह एक अच्छी परियोजना है जिससे हम बाढ़, सूखा से बच सकते हैं और नदियों को आपस में जोड़ सकते हैं और इसमें 10 लाख करोड़ का खर्च आएगा यह ठीक है। श्री प्रभु ने कहा था कि देश में नदियों को परस्पर जोड़ने में 5,70,000 करोड़ रु० की आवश्यकता है। इसमें 10 लाख करोड़ का खर्च आने दीजिए।

श्री अनन्त कुमार (बंगाल दक्षिण) : हम विवादों से भी बच सकते हैं।

श्री के०एस० राव : हम अन्तर जल और अन्तर राज्य विवाद से बच सकते हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट में 10 लाख करोड़ का प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कार्पोरेट क्षेत्र अपने निवेश से नदियों को जोड़ने को तैयार है। सरकार को इसके लिए सिर्फ रास्ता साफ करना है। हो सकता है कि आरम्भ में सर्वेक्षण अथवा मूल्यांकन अथवा अनुमान तैयार करने के लिए और रुकावटों से बचने के लिए सरकार को थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र-समृद्ध नहीं होगा और जब तक हम किसानों को सुनिश्चित जल नहीं उपलब्ध कराते तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। वे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? वे साल भर पसीना बहाते हैं और जब फसल तैयार होती है, जब उन्हें गर्व होता है, अपने लोगों को बताते है कि इस बार उनके एक एकड़ भूमि में 40 क्विंटल गेहूं की पैदावार होगी और यदि अचानक चक्रवात या बाढ़ आती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऐसे हालात में सरकार आत्महत्या कैसे रोकेगी? यदि सभी नदियों को जोड़ा जाता है तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है और हमें प्राकृतिक आपदाओं पर 10000 करोड़ रु० खर्च नहीं करने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। आपकी तरफ से 18 सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री के०एस० राव : अतएव, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि नदियों को जोड़ने के बारे में सोचे और अपने कार्यकाल के दौरान उस परियोजना को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करें।

इसी प्रकार स्व सहायता समूह की बात करें। वह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। जिस प्रकार बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा ये स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं यह देख कर प्रसन्नता होती है। मेरे जिले में 45,000 स्वसहायता समूह हैं और उन्होने मात्र तीन प्रतिशत ब्याज दर पर 300 करोड़ रु० उधार दिए हैं। यद्यपि वित्त मंत्री ने ब्याज दर घटायी है किन्तु ये आठ से नौ प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है जिसमें वे इस 63 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति करते हैं और मात्र तीन प्रतिशत के दर से ऋण देते हैं। क्या प्रबुद्धता है; क्या साहस है; क्या आत्मविश्वास है। इन वर्षों में यदि एक औरत 10 रु० चाहती है तो उसके लिए वह अपने पति या पुत्र या पिता पर निर्भर होती थी। आज वह कमा रही है। आपको उसके चेहरे की चमक देखनी चाहिए। किन्तु वे वापस लौटा भी रही है। स्वसहायता समूहों को दिए गए सभी ऋणों की वसूली संतानवें प्रतिशत है। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि यह स्वयं में महिला सशक्तिकरण होगा। उन्हें न्यून ब्याज दर पर स्वसहायता समूहों को और ऋण देना चाहिए। वे उचित मूल्य की दूकानों का ध्यान रखेंगे और सभी चीजें उपलब्ध कराएंगे।

आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें स्व सहायता समूहों को उस समय मक्के की खरीब करने को कहा गया जब व्यापारी किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और उससे अधिक पर भी खरीद की तथा उपभोक्ताओं को कुक्कुट पालन और अन्य वस्तुएं न्यून दरों पर आपूर्ति की। इस प्रक्रिया में पैसे कमाए तथा जीविका अर्जित की। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री स्वसहायता समूह को ऋण राशि बढ़ाए और उन्हें न्यून ब्याज दर से प्रोत्साहित करे।

इस देश में अवसंरचना अतिमहत्वपूर्ण है। इसके लिए भी हमें लाखों लाख रुपये की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अच्छा बजट है। आवश्यकता इस बात की है कि सही सोच वाले लोगों को विश्वास में लिया जाए। हमें उनके परामर्श और सुझाव लेने चाहिए। सरकार की ओर से अधिक निवेश के बिना निगमित क्षेत्र द्वारा कई चीजें यथा रेललाइनें, सड़के, विमान पत्तन, समुद्र पत्तन इत्यादि बीओटी, बीओओ के माध्यम से बनाया जा सकता है। यदि यह लाभकारी नहीं है तो इसका एक हिस्सा वार्षिक वृत्ति द्वारा सरकार द्वारा उठाया जा सकता है।

हम अमरीका को सबसे अमीर देश क्यों कहते हैं? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके भवन विशालाकार हैं, सड़कें अच्छी हैं। हमारे देश में भी ऐसा किया जा सकता है।

अपराह्न 2.00 बजे

हमें किसी चीज के आयात की आवश्यकता नहीं है सिर्फ पहाड़ियों से सामग्री प्राप्त करनी है; नालों से बालू निकालना है; बलुआ पत्थर से सीमेंट बनाना है। इस प्रक्रिया में आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अत: सही सोच, समर्थन, प्रतिबद्धता और निश्चय की जरूरत हैं किसी और चीज की नहीं। हमें इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है।

अन्तिम बात जनसंख्या नियंत्रण के बारे में है। न तो वित्त मंत्री ने और ना ही पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है। यह सबसे बड़ी समस्या है। मैंने 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को सुझाव दिया था कि जो भी विशेषाधिकार या प्रोत्साहन दिए जाते हैं उन्हे जनसंख्या से जोड़ा जाना चाहिए। यदि 1985 में एक नागारिक के रूप में मुझे अपने बच्चों की संख्या सिर्फ एक रखनी होती तो मेरा सुझाव था कि एक योजना होनी चाहिए जिसमें सरकार बैंक में 2000/- रु० जमा करती और बच्चे की शादी के समय एक लाख रु० उसे मिलते अर्थात् 25 साल बाद। अत: उस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उन दिनों सरकार को बैंक में केवल 2000 रु० निवेश करने थे। जब बच्चा 25 वर्ष का होता तब तक यह राशि एक लाख रु० हो जाती। इस प्रकार सरकार जनसंख्या घटाने में लोगों को प्रेरित करेगी।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य अथवा विधायक या किसी निगम का सदस्य बनना चाहता है तो उसके केवल दो बच्चे होने चाहिए। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति चाहता है तो उसके केवल एक ही बच्चा होना चाहिए। सरकार नौकरशाहों को आवास स्थल मुहैया करा रही है। यदि किसी को आवास चाहिए तो उसके एक से अधिक बच्चा नहीं होना चाहिए; केवल तभी उसे आवास दिया जाना चाहिए। इस तरीके से हमें इस देश की आबादी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अन्यथा, किसी भी तरह की वृद्धि से अपेक्षित विकास, जिसकी हम कल्पना करते हैं, करने में सहायता नहीं मिलेगी।

मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यही विनम्र अनुरोध है। कई पहलुओं जैसे कृषि को ऋण देने में बढ़ोत्तरी, ब्याज दर में कमी, अधिक जल निकायों की स्थापना आदि कई कार्यवाही की गई है। किंतु इसके साथ-साथ हमें कई और काम भी करने है।

हमने यह सिद्ध किया है कि हम अमेरिका सहित विकसित देशों के नागरिक से अधिक बुद्धिमान है। उनका यहां केवल एन आर आई आबादी के कारण विकास हुआ है। ऐसा वहां चल रहे अनुसंधान के कारण हुआ है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि इस देश में अनुसंधान और विकास करने हेतु वैसी ही सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस तरीके से, हमारे नागरिक काफी आविष्कार कर सकेंगे, कई नए विकास होंगे और देश में समृद्धि आएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं और ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को समझते हुए उनमें कई प्रावधान करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री पी० करूणाकरन (कासरगोड) : हमारे वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत किया है। उनका भाषण लगभग 30 पृष्ठों का है और इसमें 186 मुख्य मुद्दे हैं। उन्होंने लगभग सभी बातों को कवर किया है।

किंतु मुख्य बात यह है कि विभिन्न विभागों के लिए किया गया आबंटन अपर्याप्त और नाकाफी है। यही आलोचना की मुख्य बात है और इस सभा में सर्वप्रथम मैं सही कहना चाहता हूं।

यह सही है कि केरल में तीन जिलों को कुछ योजना के अंतर्गत विशेष पैकेज के लिए शामिल किया गया है और दो जिलों को भी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए में सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

बजट में, यह बताया गया है कि 9.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। जब हम इसे आर्थिक दृष्टि से कहते हैं तो नि:संदेह 9.2 प्रतिशत एक बेहतर आंकड़ा हैं किंतु इसके साथ-साथ मंहगाई की दर 6.7 प्रतिशत है। वित्त मंत्री और कई अन्य सहयोगी कहते हैं कि मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का एक हिस्सा है। हम मांग और मजदूरी के कारण मंहगाई होने, और आम मंहगाई की प्रवृत्ति की परम्परागत आर्थिक थ्योरी से सहमत नहीं है। हमें इसका विश्लेषण करना होगा कि मांग अथवा मजदूरी के कारण मंहगाई क्यों है। यदि यह थ्योरी सही है तो आप पाएंगें कि चीन में वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक हैं किंतु वहां पर मूल्य वृद्धि दो या तीन प्रतिशत कम है। इसलिए, मूल्य वृद्धि और कम कृषि उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था की खरीब स्थिति को दर्शाता है और बजट भाषण में इसे ठीक प्रकार से नहीं दर्शाया गया है।

मैं समझता हूं कि अब सरकार इस बात से कुछ हद तक सहमत है-प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी ने भी इसे मुख्य मुद्दा बनाया है-कि सट्टा कारोबार मूल्य वृद्धि के कारणों में से एक कारण है। पिछले अवसर पर हमने सट्टा कारोबार के मुद्दे को उठाया था किंतु सरकार इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। अब, न केवल गेहूं और चावल के क्षेत्र में पुन: सट्टा अथवा वायदा कारोबार चल रहा है अपितु अन्य क्षेत्रों में भी इसकी अनुमति दी गई है।

कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में हुए अपने पार्टी सम्मेलन में यह स्पष्ट किया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुदरा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लगभग 5 करोड़ खुदरा दुकानें हैं। किंतु अब, बहुराष्ट्रिको और बड़े कारोबारियों के खुदरा बाजार में कूदने से तथा खाद्यान्न और चावल की खरीद न होने से सट्टा कारोबार में वृद्धि हुई है। एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का न होना भी मूल्य वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक है। हम भारत में मूल्य वृद्धि को केवल वृद्धि कर से ही नहीं जोड़ सकते हैं। विनिर्माण उद्योग में समग्र वृद्धि दर 11 प्रतिशत है। निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में यह और भी बेहतर है। प्राथमिक खाद्यान्न क्षेत्र, सब्जियों दालें, गेहूं और चीनी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आम आदमी प्राप्त करना चाहता है। इन क्षेत्रों में कीमतें अधिक हैं और साथ ही उत्पादन कम है।

दूसरी बात कृषि क्षेत्र की खराब स्थिति के बारे में है। आर्थिक सर्वेक्षण में, यह बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में केवल 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें इसके कारणों का विश्लेषण करना होगा। वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि 220,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण हैं। वास्तव में, यह एक स्वागतयोग्य कदम है किंतु इसकी ब्याज दर क्या है। ब्याज दर मात्र 7 प्रतिशत है। क्या गरीब किसानों के लिए अधिक ब्याज दर पर ऋण लेना संभव है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है किंतु यह अभी भी विचाराधीन है और इसे अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। जहां तक किसानों का संबंध है, वे कम ब्याज दर पर ऋण लेना चाहते हैं। वे केवल तभी समय पर अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं यदि उन्हें अपने उत्पाद का लाभप्रद मूल्य मिले। हम केवल तभी इस कृषि क्षेत्र को बचा सकते हैं जब कम ब्याज दर हो, ऋण उपलब्ध हो और कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य मिले। किंतु ब्याज दर अभी भी 7 प्रतिशत है। इसलिए, किसानों द्वारा इतनी अधिक संख्या में आत्महत्या करने का यह मुख्य कारण है। वित्त मंत्री कहते है कि उनके हाथ में जादू की कोई छड़ी नहीं है। भारत की लगभग 60-70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। तथापि, चाहे हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अथवा अन्य उद्योग में कितनी भी वृद्धि कर लें किंतु यदि कृषि क्षेत्र पिछड़ा रहा तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की खराब तस्वीर प्रस्तुत करेगा।

इसलिए, सरकार ने जो कुछ उपाय किए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं किंतु इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि वे अपर्याप्त हैं। ऋण की उपलब्धता, कम ब्याज दर और कृषि उत्पाद हेतु बेहतर मूल्य तीन प्रमुख कारक हैं जिनका हमें कृषि क्षेत्र के बेहतरीकरण हेतु ध्यान रखना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी की दर है। बजट में इस ज्वलन्त मुद्दे को सुलझाने हेतु कोई ठोस उपाय प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण यह कहता है कि चाहे सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। इसलिए यह भी एक मुख्य मुद्दा है जिसे हमें सुलझाना है। मै आम मुद्दे की बात नहीं करना चाहता हूं किंतु मुख्य बात यह है कि यह बजट रक्षा क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है?

[श्री पी० करुणाकरन]

शुल्क ढांचे और उत्पाद शुल्क के बारे में, मैं समझता हूं कि जब मैं 'बीडी' के बारे में बोलता हूं तो यह केवल केरल का ही प्रश्न नहीं है अपितु यह भारत में अधिकांश राज्यों का प्रश्न है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के बारे में बोला है। वास्तव में यह सच है किंतु आपने क्या वैकल्पिक सुझाव दिया है? लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं। लगभग 50 लाख लोग 'बीडी' उद्योग में लगे हुए हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। उन्हें काफी कम मजदूरी मिल रही है। प्रस्तावित उत्पाद शुल्क 7 से 11 प्रति हजार बीडी के लिए 17 से 24 भी है। इसलिए यह काफी खतरनाक हैं। इससे पहले, हमारी अनुरोध इसे कम करने के लिए था। किंतु इसकी बजाय, सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। मैं समझता हूं कि यह न केवल केरल में अपितु सभी राज्यों में बीडी उद्योग को समाप्त करने का एक उपाय है। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार इस नए प्रस्ताव को वापस लें।

जहां तक केरल का संबंध है, केरल मिनरल एंड मेटल एंड त्रावणकोर टिटेनियम प्रॉडक्टस पूर्णतया सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। कुल उत्पादन लगभग 66 मी० टन है। अब आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। केरल सरकार की मांग भी कि इसे 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15-5 प्रतिशत कर दिया जाए। सरकार ने इसे घटा दिया है। यह सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है और इससे वास्तव में इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर विचार करे क्योंकि यह सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है।

केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित निवेश में विशेषकर सरकारी क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष कमी आ रही है। पहले यह 2.9 प्रतिशत था, फिर यह 2.5 प्रतिशत हुआ, फिर 2.1 प्रतिशत और अब मैं समझता हूं यह 1.9 प्रतिशत है। आप जानते हैं कि कारण में बेहतर पंचायती राज व्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की बेहतर प्रणालियां है। इसलिए हमें इस बात के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए कि हम इन सभी सामाजिक क्षेत्रों में आगे है। उच्च शिक्षा के संबंध में, मैं सरकार का उच्च शिक्षा हेतु धनराशि में वृद्धि करने के सुझाव का स्वागत करता हूं। किंतु हम इस धनराशि का लाभ नहीं उठा पाएंगें क्योंकि केरल में ऐसी कोई संस्था नहीं है। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति की है। कैंसर, एड्स, चिकुनगुनिया और कई अन्य रोगों के फैलने की प्रवृत्ति चल रही है। इसलिए, हम अधिक धनराशि चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि त्रिवेन्द्रम चिकित्सा कालेज को 'एम्स' का दर्जा दिया जाए।

यह सच है कि केरल में साक्षरता अधिक है। यह लगभग 100 या 99 प्रतिशत है किंतु इसके साथ-साथ केरल में कोई उच्च शैक्षिक संस्था नहीं है। हमारी यह चिरलंबित मांग है कि केरल में एक आईआईटी हो क्योंकि केरल ने देश और यहां तक कि संसार को भी तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ दिया है। काफी संख्या में लोग विदेश जाते हैं और विदेशी मुद्रा सृजित करते हैं। इसलिए केरल की यह तर्कसंगत मांग है कि वहां पर ऐसा एक संस्थान हो। भारत सरकार ने राज्यों के लिए कई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं दी है। यह अवसंरचनात्मक विकास, सामाजिक विकास और प्राथमिक शिक्षा के लिए अच्छा है। किंतु हमें मानदंडो के बारे में सोचना होगा। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति और व्यावहारिक सुविधा भिन्न-भिन्न होती है। इसलिए, इस धनराशि के उपयोग हेतु मानदंडो में कुछ बदलाव होने चाहिए। केवल यही नहीं, राज्य सरकार इस धनराशि का अच्छी तरह से उपयोग कर सकती है। जब सरकार राज्य सरकारों को यह धनराशि आंवटित करती है तो उनको यह निर्णय लेने का पूरा अधिकर है कि इसे किस प्रकार से प्रयोग किया जाए।

महोदय, केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी अच्छी तरह से काम कर रही है। हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि हमने बाजार में प्रवेश करके जिंसों की कीमत को नियंत्रित किया है और कीमतों को काफी हद तक स्थिर किया है।

परन्तु मैं यह कहने के लिए बाह्य हूं कि हमारे राज्य के लिए खाद्यान्नों के आवंटन में प्रत्येक वर्ष कमी की जा रही है। पिछले तीन वर्षों में ए०पी०एल०। बी०पी०एल० हेतु चावल के कोटे में कमी आई है। यहां तक कि केरोसीन और एल०पी०जी० गैस का राज्य का कोटा भी घटा है। यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम मूल्यों को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं परन्तु हमारा राज्य अधिक मात्रा में चावल और गेहूं का उत्पादन नहीं कर रहा है। हम सिर्फ नकदी फसल उपजा रहे हैं। इसलिए यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हमें इन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में आवंटित करे ताकि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य कर सके। केरल सरकार ने अनुरोध किया था और 25,775 मीट्रिक टन केरोसीन आवंटित करने की मांग की थी। परन्तु उक्त आबंटन को अत्यधिक कम कर दिया गया है। राज्य में करीब 15.77 लाख पात्र कार्ड धारक हैं तथा राज्य को मात्र उतना आबंटन किया जा रहा है जिससे सिर्फ 9.4 लाख कार्ड धारकों की मांग की पूर्ति हो सकती है। इतने आबंटन से राज्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करना मुश्किल हो गया है।

महोदय, मैंने पहले भी ई०पी०एफ०, पेंशनभोगियो के संबंधित मुद्दा उठाया था। सरकार इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत थी। ई०पी०एफ० पेंशनभोगियो को अब पेंशन के रूप में मात्र 500 रुपये प्राप्त हो रहे है। इस सभा के लगभग प्रत्येक सदस्य ने इस शीर्ष के अंतर्गत धनराशि को बढ़ाने की मांग की थी। मैं आशा करता

हूं कि माननीय वित्त मंत्री बजट भाषण के अपने उत्तर के दौरान ई०पी०एफ० पेंशनभोगियो हेतु पेंशन की बढ़ी हुई राशि की घोषणा करेंगे क्योंकि आप यह मानेंगे कि 500 रुपये काफी कम धनराशि है तथा मेरा विश्वास है कि इस धनराशि को बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं होगी।

महोदय, हमारे राज्य में पंचायती राज संस्थाएं काफी प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य कर रही हैं। वे देश के लिए आदर्श संस्थाएं मानी जाती है। पिछली बार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण पर लगातार दो से तीन दिन तक चर्चा हुई थी तथा माननीय पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि केरल राज्य में कार्य कर रही पंचायती राज संस्थाओं को पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में माना जा सकता है। इस प्रणाली की सफलता का मूल स्थानीय लोगों द्वारा इसमें पूरे दिल से भागीदारी है। पंचायतों के तीनो स्तर, जिला पंचायते, प्रखंड पंचायतें और ग्राम पंचायतें केन्द्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेती है। समग्र रूप से पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी और सफल कार्यकरण हेतु सभी स्तरों की पंचायतों की भागीदारी आवश्यक है। मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन इन संस्थाओं की सफलता की कुंजी हैं। इसलिए केरल सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, के०आई०एल०ए० का उन्नयन करने का अनुरोध किया है ताकि पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो सके। यह अधिकारियों के प्रशिक्षण का केन्द्र भी है। केरल सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसका उन्नयन राष्ट्रीय संस्थान के रूप में किया जाए। पिछली बार माननीय मंत्री महोदय ने पंचायती राज पर वाद-विवाद के उत्तर के दौरान सहमति जतायी थी कि यह संस्थान पंचायतों के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक आदर्श संस्थान है। देश के किसी अन्य भाग में ऐसा संस्थान नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पंचायती राज मंत्री द्वारा कही गयी बात के मद्देनजर के०आई०एल०ए० को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाए।

महोदय, यह सच है कि देश के चार राज्यों के 33 जिलों में विशेष पैकेज योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है तथा और अधिक जिलों में ऐसी विशेष पैकेज योजनाएं लागू की जाएंगी। केरल सरकार ने कतिपय सुझाव दिए हैं। सरकार इन योजनाओं हेतु काफी धन आबंटित कर रही है। परन्तु कतिपय मामलों में किया गया खर्च विवेकपूर्ण नहीं है। संबंधित क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता पर विचार किए बगैर ही धन खर्च किया जा रहा है; यह विचार नहीं किया जा रहा है कि निधियां सड़क निर्माण हेतु आबंटित की जानी चाहिए अथवा किसी अन्य कार्य के लिए। हमारा यह सुझाव है कि हमें कृषि क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए और निधियों के आबंटन के मानदंड के रूप में लघु और सीमांत किसानों की कठिनाईयों पर विचार किया जाना चाहिए। हम ऐसे किसानों के लिए एक सीलिंग की व्यवस्था कर सकतें हैं जो कृषि मजदूरों को मजदूरी देने में सक्षम नहीं है। इन मानदंडों को इस प्रकार लागू अथवा संशोधित किया जा सकता है कि इस योजना के अंतर्गत संबंधित निधियों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए भी आवंटित किया जा सके तथा किसानों को भी उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु सहायता दी जा सके। मेरी समझ से यह एक अच्छा सुझाव है। इस योजना के माध्यम से लघु कृषकों को वास्तविक रूप से सहायता दी जा सकती है।

महोदय, दूसरी बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं वह केरल राज्य के बागान क्षेत्र की दयनीय स्थिति के बारे में है। अकेले इदुक्की जिले में 22 एस्टेट हैं जो बंद पड़े हैं। इसमेंड क्षेत्र में पिछले तीन से चार वर्षों से 25,000 लोग बेरोजगार हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि बजट भाषण में बागान क्षेत्रों हेतु एक विशेष पैकेज का प्रस्ताव किया गया है। वस्तुत: यह एक सामाजिक मुद्दा बन गया है। आप पाएंगे कि अनेक विद्यार्थी इस वजह से विद्यालय नहीं जा रहे है क्योंकि वहां किसान लम्बे समय से बेरोजगार हैं। इसलिए पुनर्बागानीकरण एक मुख्य मुद्दा है। यह बात मात्र चाय एस्टेट के साथ ही लागू नहीं है बल्कि इलायची, कॉफी और अन्य फसलों के साथ भी लागू है। अकेले चाय एस्टेट में करीब 21,000 हेक्टेयर में चाय की खेती की जाती है परन्तु इसको 10,000 एकड़ क्षेत्र इन 22 एस्टेटों के अधीन है। इसका अर्थ है कि इदुक्की जिला में आधे बागान बंद पड़े हैं और अनेक एस्टेट मालिक स्थान छोड़ चुके हैं। साथ ही साथ श्रमिक लम्बे समय से अपनी मजदूरी नहीं पा रहे हैं। उनको बोनस, मजदूरी, ई०एस०आई० लाभों और अन्य चीजों के रूप में करोड़ों रुपये दिए जाने हैं। परिणाम स्वरूप इदुक्की और अन्य क्षेत्र काफी गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं परन्तु इस संबंध में सात वर्षों की समय सीमा निर्धारित है। यह काफी लम्बी अवधि है तथा 100 करोड़ रुपये काफी कम हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु, साथ ही साथ, हमें पुन: बागान लगाने हेतु 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की जरूरत है। पुन: बागान लगाए बगैर हम इन एस्टेटों में कोई बदलाव नहीं ला सकते क्योंकि इन एस्टेटों की स्थापना अंग्रेजी शासन के दौरान की गयी थी तथा ये अब काफी पुराने हो चुके हैं। मैं इन एस्टेटों में पुन: बागान लगाने हेतु और अधिक निधियां आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। कुछ अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए जैसे कुछ समय के लिए चाय के आयात पर रोक लगायी जा सकती है। चाय का आयात नहीं किया जाना चाहिए तथा कॉफी और चाय के निर्यात हेतु राजसहायता दी जानी चाहिए। साथ ही, इन फसलों को बढ़ावा देने हेतु अन्य उपाय किए जाने चाहिए। अन्यथा इन उद्योगों को बचाया नहीं जा सकता है।

[श्री पी० करुणाकरन]

संप्रग सरकार सत्ता में आयी है। हमें पता है कि भारत की जनता ने पूर्व राजग सरकार द्वारा किए गए जनविरोधी और असहिष्णु उपायों के विरूद्ध संघर्ष किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि संप्रग सरकार द्वारा अपनाएं गए अनेक कदम पिछली सरकार की तरह ही है। पंजाब और उत्तरांचल में चुनाव जनादेश प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने यह स्वीकार किया था कि मूल्य वृद्धि और अन्य क्षेत्र इसके मुख्य कारण रहे हैं। हम इस सरकार का समर्थन करते हैं क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष सरकार चाहते हैं। मैं सरकार का पूरी तरह समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही साथ सुधार और पुनर्विचार आवश्यक है। जन हितकारी प्रगतिशील मार्ग के रूप में परिवर्तन होना चाहिए और तभी जाकर सरकार वह समर्थन प्राप्त कर सकेगी जो समर्थन उसे पहले मिलता रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ इस सामान्य बजट पर चर्चा में बोलने का मौका दिया है। बजट सरकार की आर्थिक नीतियों का दर्पण होता है। साल भर के लेखाजोखा के साथ किसी भी देश की आर्थिक दशा, आर्थिक दृष्टिकोण और जो आर्थिक एप्रोच होती है, उसे परिलक्षित करता है और उसे प्रतिविम्बित भी करता है। वर्तमान 2007-2008 का जो बजट है, जो सर्वोच्च सदन के समक्ष प्रस्तुत है और जिस पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान वकील हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। उन्होंने कुछ कदम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उठाये हैं और खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाये हैं। 330 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रस्ताव भी किया है और विकास दर बढ़ाने की चर्चा भी की है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने का वचन भी दिया है। ये स्वागत योग्य कदम हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा के दौरान मैं कुछ बुनियादी सवालों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। गांधी जी समाज के जिस अंतिम आदमी के बारे में कहते थे, वह आज के बजट आइने में कहां खड़ा है, हम उसे किस कसौटी पर देख रहे हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। महात्मा जी ने आजादी के तुरंत बाद कहा था कि इस देश को राजनैतिक आजादी तो मिल गई है लेकिन समाजिक और आर्थिक आजादी मिलने के लिये कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है कि यदि महात्मा जी होते तो उनके समय में आर्थिक और सामाजिक आजादी प्राप्त हुई होती लेकिन आज जो स्थिति है, मैं उसका जिक्र करना चाहत हूं। आज समाज के अंतिम आदमी के लिये भूख सब से बड़ी समस्या है। वह भूख से पीड़ित है, मंहगाई की मार से ग्रस्त है। अगर हम आज मुद्रास्फीति पर चर्चा करें, सैनसैक्स उछाल पर बात करें, जीडीपी की बात करें लेकिन वह आदमी भूख की ज्वाला समझता है। उस आदमी का पेट अतृप्त है।

उपाध्यक्ष जी, महात्मा जी ने यंग इडिया, के 26.5.1926 के अंक में कहा था जिसे मैं कोट कर रहा हूं:

> "जो व्यक्ति भूख से पीड़ित है, उसे अपना पेट भरने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, उसका पेट उसका भगवान है। जो भी उसे रोटी देता है, वह उसका खुदा और वही उसका स्वामी है, वह ईश्वर के दर्शन कर सकता है।"

मैं इसलिये इस बात को पूरे दर्द के साथ कोट कर रहा हूं जिसे शायद वित्त मंत्री जी ने देखा होगा। महात्मा जी ने "महात्मा का जंतर" में कहा था:

> "कोई सरकार फैसला लेने से पहले, बजट या कोई ऐसे अहम सवाल पर निर्णय लेने वाले जो ऊंचे ओहदे पर या सरकार में बैठे हुये हैं, जिससे देश की करोड़ों जनता प्रभावित होगी, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिये।"

यदि उस ओर ध्यान नहीं है या उन्हें पता नहीं है या जो देश के 90 प्रतिशत लोग ऐसी जिन्दगी जीने के मजबूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो समाज के अंतिम आदमी हैं, उनमें भी आज 37 करोड़ लोग असंगठित मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। इन लोगों के लिये अंत्योदय कार्यक्रम चल रहा है। महात्मा जी का दर्शन यही अंतिम आदमी था। उन्होंने जंतर दिया था कि जब हमें संदेह है या हमारा अहम हम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी समझिये। जो हमने सब से गरीब और कमजोर आदमी देखा है, उसकी शक्ल याद करें और अपने दिल से पूछें कि जो कदम हम उठा रहे हैं, जो हम फैसला ले रहे हैं, ऊंचे ओहदे पर बैठे हुये मंत्री या सरकार के लोग विचार करें कि वह अंतिम आदमी के लिये कितना उपयोगी होगा? क्या वह उससे अपने जीवन और भाग्य पर काबू रख सकेगा? क्या उसे स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं, आत्मा अतृप्त है। यह महात्मा जी ने कहा था।

उपाध्यक्ष जी, मैंने बजट में देखा है कि इसमें गांधी जी पर कोई चर्चा नहीं है लेकिन एक अच्छी बात कही गई है कि ऐसी चार संस्थाओं को पैसा आवंटित किया गया है। उन संस्थाओं के लिये कहा गया है कि संस्कृति और इतिहास के नाम पर पैसा दिया गया है। हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं और सत्याग्रह आन्दोलन की शताब्दी मना रहे हैं। हमारा ध्यान ऐसी संस्थाओं की ओर जाता है जो गांधी जी के अधूरे कार्यक्रमों को पूरा करना चाहते हैं। यह अच्छी

बात है। जिन चार संस्थाओं के नाम लिये गये हैं। उनके लिये 30 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उनके नाम हैं- साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, सेवाग्राम, वर्धा, भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे, राजेन्द्र प्रसाद स्मृति संग्रहालय, पटना। हमारा इरादा बौद्धिक कार्य होने के नाते हमने नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय, दिल्ली की संग्रह क्षमता के लिये अलग से 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह आन्दोलन की शताब्दी से पहले विश्व विख्यात चम्पारण सत्याग्रह हुआ जिसका उल्लेख वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नहीं किया है। मुझे खेद है और मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के चंपारन जिले का भितरवा आश्रम हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में और संस्थाओं का ज़िक्र किया है। 30 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। भितरवा आश्रम चंपारन, माननीय रघुनाथ झा जी जो हमारे संसदीय दल के मुख्य सचेतक हैं, उनके बगल की कांस्टीटयूएंसी में पड़ता है। यह भितरवा आश्रम चंपारन जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विश्व प्रसिद्ध सत्याग्रह स्थल और कर्मभूमि रहा है, उसका जिक्र नहीं किया गया है। अत: में मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब दें तो इस आश्रम के सांस्कृतिक विकास हेतु अपने अनुपूरक बजट या एप्रोप्रियेशन बिल में जरूर इसे इनक्लूड कर लें। अफ्रीका के बाद चंपारन ही सत्याग्रह की भूमि और कर्मभूमि रहा है। यदि चंपारन के इतिहास को हम हटा देते हैं तो पूरी तरह गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का इतिहास ही अधूरा रहा जाता है। इसलिए इस संस्था के उत्थान के लिए भी बजट में पैसे बढ़ाने का प्रावधान करें।

मैंने इसलिए गांधी जी के अंतिम आदमी की चर्चा की कि आप सभी विभागों में देखिये कि सभी विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सीनियर सिटिज़न मानते हैं लेकिन अकेला वित्त मंत्रालय है जो 60 वर्ष की सीमा को नहीं मानता और 65 वर्ष में सीनियर सिटिज़न मानता है। मैं मज़बूती से इस सवाल को उठा रहा हूं कि 60 वर्ष में जो आदमी रिटायर होगा या वह कुपोषण या किसी और परिस्थिति के कारण लाचार हो जाता है, तो क्या वह 65 वर्ष की उम्र का इंतज़ार करेगा कि उसे सीनियर सिटिज़न का बैनिफिट मिले? चाहे रेल हो या प्लेन हो या हाउसिंग टैक्स हो, सब जगह 60 वर्ष के बाद सीनियर सिटिज़न माना गया है। रेल बजट में भी 60 वर्ष का पैरामीटर माना गया है। क्या कारण है कि वित्त मंत्रालय में 60 वर्ष पैरामीटर में नहीं है? 65 वर्ष होगा तब सीनियर सिटिज़न की मान्यता मिलेगी। यह अदभुत खेल है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि गांधी जी के दर्शन में आम आदमी या जो लाचार लोग हैं, उनके आईने में बजट कहां खड़ा है? मैं जवाबदेही के साथ कुछ बिन्दु उठा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर गौर करेंगे कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति को ही सीनियर सिटिजन का बैनिफिट मिले। समूचे मंत्रालय एक तरफ हैं और वित्त मंत्रालय एक तरफ है। इसलिए मैंने इस बात का ज़िक्र किया।

महोदय, महात्मा जी का दर्शन क्या था? वे कहते थे कि "सही आज़ादी का सबूत, गांव हमारे हों मज़बूत।" गांव कैसे मज़बूत होंगे? जब तक गांवों का इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, जब तक हम गांवों में सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, गांवों को जब तब जॉब ओरियेन्टेड नहीं करेंगे, जब तब बेरोज़गारी रहेगी, तब तक गरीबी रहेगी। गरीबी का कारण बेरोज़गारी है? गावों में कितने लोग बेरोजगार हैं मैं कहना चाहता हूं कि आज लाखों लोग असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भागकर शहरों की तरफ जा रहे हैं। लोगों का पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। खेतिहर मज़दूर, असंगठित पलायन करके मुम्बई जा रहे हैं और मुम्बई में उनका क्या सम्मान हो रहा है वह आप देख रहे हैं। संविधान का भी ध्यान कुछ लोग नहीं रखते। कुछ ऐसे दकियानूसी लोग देश में हैं कि जो भारत के संविधान का भी सम्मान नहीं करते। हिन्दुस्तान की किसी भी टैरिटरी में किसी भी प्रांत के लोग जाकर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, मान-सम्मान के साथ रह सकते हैं। आज मुम्बई में एक व्यक्ति ने क्या कहा, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह इतनी बड़ी हस्ती नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने असंवैधानिक बात की है और भारत की राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की बात की है। इस तरह से विवादास्पद बयान देकर हमारी जो भारत की एकता और अखंडता है।, उस पर आंच लाने का काम किया है। वहां मान-सम्मान से जीने वाले जो बिहारी लोग हैं, उन पर सीधा-सीधा हमला पिछले दिनों किया है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसी तरह की बात अन्य राज्यों में भी चल रही है। असम में देख लीजिए, वहां कुछ बिहारी मजदूर आतंकवादियों के शिकार हुए हैं। रोजी-रोटी के लिए पलायन क्यों होता है, क्योंकि गांव जॉब ओरिएंटेड नहीं है। आजादी के 60 वर्ष बाद भी हमारे गांव जॉब ओरिएंटेड नहीं हो पाए हैं। गांवों को रोजगार उन्मुख नहीं बना पाए। गांवों में रोजगार नहीं हैं, इसलिए लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं कोट करना चाहता हूं, इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में महात्मा गांधी जी ने 1916 में कहा था, मैं उसे इसलिए कोट करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा था कि एक सुव्यवस्थित समाज में आजीविका पाना संसार का सबसे आसान काम होना चाहिए और होता भी है। वास्तव में एक देश की सुव्यवस्थित कसौटी यह नहीं है कि उसमें करोड़पति कितने हैं, 83 हजार करोड़पतियों का इस देश में अब छठा या दसवां स्थान पूंजीपतियों में हो रहा है। यह सवाल नहीं है, कसौटी यह नहीं है कि उसमें करोड़पति कितने हैं, बल्कि यह है कि आम जनता में भुखमरी न हो। आप जरा सोचिए कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिसमें 60 करोड़ लोगों के पास जीविका नहीं होगी। 120 करोड़ के आसपास और 110 करोड़ से ऊपर हमारी

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

आबादी है, जिसमें 60 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है। बीस करोड़ लोग लखपति करोड़पति होंगे, बाकी भूखों मरेंगे। क्या ऐसा भारत स्वतंत्र न्यायशील सम्पन्न और समृद्ध भारत होगा? महात्मा गांधी जी ने सन् 1916 में कहा था, मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र इसलिए कर दिया।

महोदय, अब मैं कुछ बिन्दुओं को उठाना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने बजट में जो न्यूज़ दी थी, उस पर लोग बोल चुके हैं, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूं। आज मैल न्यूट्रीशन से कितने लोग परेशान हैं? वे आधी उम्र नहीं बिता पाते। औसत उम्र का मतलब यदि किसी इंसान की 65 वर्ष है तो वह 40-45 वर्ष में मैल न्यूट्रीशन के चलते दम तोड़ दे। मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं कि वे अपनी औसत उम्र नहीं बिता पाते, जब कि दौलत पैदा करने वाला यही वर्ग है। मिट्टी से, खेत-खलिहान से जुड़ा हुआ आदमी, जो मेहनत करता है, देश में दौलत पैदा करता है, यही अगर अपनी औसत उम्र नहीं बिता पाए तो राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा। राष्ट्रीय उत्पादन घटने का यही ट्रेंड है और वह पिछले साल भी था। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय उत्पादन घट रहा है। एग्रीकल्चर का जो नेशनल प्रोडक्शन है, उसका ट्रेड लो है, इसलिए गरीब औसत उम्र नहीं बिता पाता। मैल न्यूट्रीशन, कुपोषण के चलते वह अपनी औसत उम्र से पहले मर जाता है। कभी एनालसिस किया गया था कि 2700 कैलोरी ताप क्रम का भोजन एक इंसान को चाहिए। जीने के लिए यह केलकुलेट किया गया था कि कितने ऐसें इंसान हैं, एक सर्वे करा लिया जाए, जिन्हें इतना भोजन इस देश में मिलता हो। क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? मैं भूख की बात कर रहा हूं और मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज रोटी और दाल पर संकट है। खास करके बीपीएल, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, मैं उनके विषय में चर्चा करना चाहता हूं। वे आज भर पेट खाना नहीं खा पाते हैं। उन्हें दो वक्त का खाना नहीं मिल पाता हैं यह आज सबसे बड़ा संकट है, उन्हें कैसे खाना प्राप्त हो, यह एक बड़ा सवाल है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए! मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। मैं पहले मजदूरों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। जो मजदूर हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी किसी राज्य में 65 रुपए है, किसी में 72 रुपए है-चाहे असंगठित मजदूर हों या न्यूनतम मजदूर हों, जो भी मजदूर है, उसकी न्यूनतम मजदूरी कम है।

उपाध्यक्ष महोदय आज के महंगाई के युग में 62 रुपए या 65 रुपए बहुत कम हैं। किसी-किसी राज्य में तो यह न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। आज के महंगाई के युग में 62 या 65 रुपए में तो वह खाना भी नहीं खा सकता। इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से एक निर्देश दिया जा सकता है और इस राशि को कम से कम डबल तो किया ही जा सकता है। सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में कौन काम करता है? इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में कंस्ट्रक्शन लेबर काम करती है। यही निर्माण करते हैं और इन्हीं को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। यहां बड़ी-बड़ी कल्पनाएं की जा रही हैं और बार-बार कहा जा रहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, विकास की दर बढ़ रही है, लेकिन जो निर्माण करता है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, उसे ही हम न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पाते हैं। लोहे के दाम बढ़ रहे हैं। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ रही हैं प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन हर रोज हो रहा है। उसका कोई तो लिंक मजदूर के साथ होना चाहिए।

महोदय, असंगठित मजदूरों के विषय में वित्त मंत्री जी ने कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन वे बहुत हल्के हैं। जो प्रयास उन्होंने किए है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। काफी अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। गरीबी रेखा का सर्वेक्षण, एन०एस०एस० के द्वारा प्लानिंग कमीशन कैसे कराता है, मैं भी इस बारे में जानता हूं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट सं० 491 के अनुसार देश में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है कि मार्च 2007 के अन्त तक लगभग 70 लाख परिवार कुछ राज्य सरकार और एल०आई०सी० की सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का तो नाम देना ही बेकार हो गया, क्योंकि न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत असंगठित मजदूरों के लिए सरकार की वचनबद्धता थी कि एक सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू की जाएगी।

डॉ० अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में जिस समस्या पर विचार किया जा रहा है, इस संबंध में निर्णय लेने तक, मैं माननीय वित्त मंत्री जी, जो विद्वान हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि 1.5 करोड़ परिवारों की जो संख्या है, उसमें यदि आदमियों कि गिनती करें तो 5 से 7 करोड़ तक बैठेगी। यह योजना ए०ए०बी०वाई० है, यानी आदमी बीमा योजना है। जब देश में 37 करोड़ गरीब इसके अंन्तर्गत आते हैं, तो केवल 5-7 करोड़ लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने से कैसे काम चलेगा, फिर बाकी बचे 30 या 32 करोड़ लोगों का क्या होगा? इन 37 करोड़ में से 22 करोड़ तो भूमिहीन, खेत-मजदूर, कमजोर और दलित वर्ग के लोग हैं, जो समाज के अंतिम आदमी हैं। 37 करोड़ में से आप केवल 5 करोड़ की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं और वह व्यवस्था भी हो रही है, हुई नहीं है। यह तो "ऊंट के मुंह में जीरा है"

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत आप 50 प्रतिशत धन देंगे और शेष 50 प्रतिशत के लिए आप राज्य सरकारों से रिक्वैस्ट करेंगे कि वे इसे देने के

लिए आगे आएं। आपने इसके तहत 200 रुपए निर्धारित किए हैं जिसमें से आप आधा यानी 100 रुपए देंगे और शेष आधे के लिए राज्य सरकारों से रिक्वैस्ट की है। अब आप जानते ही हैं कि राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे इस धनराशि को अपने साधनों से जुटा पाएं। इसके तहत आपने 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी सी धनराशि से कैसे काम चलेगा? देश में 37 करोड़ असंगठित लोग हैं। यह हमने नहीं कहा है। यह बात डॉ० अर्जुन सेनगुप्ता लेबर. कमीशन ने कही है जो इसका अध्ययन कर रहा है। उसने इसे चिन्हित किया है। उसने अपनी रिपोर्ट 16 मई, 2006 को माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी है। इसे अभी सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। सरकार कह रही है कि वह उस पर विचार कर रही है। मैं चाहता हूं कि एक केन्द्रीय विधेयक लाकर एकमुश्त असंगठित मजदूरों को लाभ दिया जाना चाहिए। छोटी-मोटी योजना बनाएंगे, तो यह मामला फिर पैंडिंग हो जाएगा। इस पर वर्ष 2002 से विचार हो रहा है। 2002 में भी एक लेबर कमीशन बना था। उसने भी अपनी रिपोर्ट दी। फिर लेबर कमीशन बना दिया गया। यह क्या हो रहा है? एक के ऊपर एक कमीशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया जा रहा है और किसी प्रकार का कोई लाभ असंगठित मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है। यह तो 'हेतु हेतु मदभूत काल' वाली बात हो गई। इसका अर्थ है कि इसे करने की कोई सीमा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अन-ऑर्गेनाइज्ड वर्ग के लिए अब तक देश की आजादी के बाद 60 वर्ष हो गए हैं, क्यों कोई विधेयक नहीं आया? यह एक बड़ा सवाल है। अन्य सवालों पर सभी माननीय सदस्य बोलते हैं, मैं इस पर कन्सन्ट्रेट करना चाहता हूं। आखिर वह कौन-सा कारण है, जो इसे रोक रहा है? कोन-सा फैक्टर इसे रोक रहा है? असंगठित मजदूर के न स्वास्थ्य, न वेलफेयर, न उनकी न्यूनतम मजदूरी का और न उनके बच्चों की शिक्षा को इन्श्योर किया जा रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि महात्मा गांधी जी का आम आदमी कौन है? यही असंगठित मजदूर उनका अंतिम आदमी है और लास्ट मैन आफ दी सोसायटी है, जिसका अंत्योदय महात्मा जी चाहते थे। आज उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। माफ करें, इसी वेदना के तहत 11 दिसम्बर को मैंने संसद का घेराव किया था। मैं लेबर मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि बजट सेशन में अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक यह लिस्ट में नहीं आया है। यह कहा जा रहा है कि इस बार आएगा। हम यह भी देख लेते हैं कि कब आता है?

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की दशा के संबंध में दो-तीन बिन्दुओं पर मैं दो-दो मिनट का समय और लूंगा। किसानों की आत्महत्या पर बहुत चर्चा हुई है। मैं उसकी चर्चा फिर से नहीं करना चाहूंगा। एक बात तय है कि 1 लाख 20 हजार किसानों द्वारा वर्ष 2000 से लेकर आज तक आत्महत्या की जा चुकी है। खास तौर से नकदी फसल वाले किसानों ने ज्यादा आत्महत्या की है। ऋण के बोझ से दबे होने के कारण वे आत्महत्या करते हैं। बाहर से कर्ज लेते हैं, जिसे वे चुका नहीं पाते है। पिछली बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने इसे 7 प्रतिशत कर दिया था, लेकिन इस बार ज्यों को त्यों है। स्वामीनाथन कमेटी ने किसानों को 4 प्रतिशत पर ऋण देने की सिफारिश की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक समर्थन मूल्य का सवाल है, पिछली बार 92.23 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट रबी मार्किटिंग सीज़न 2006-07 में हुआ है, जबकि टीपीडीएस और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के लिए एन्युल व्हीट रिक्वायरमेंट 140 लाख मीट्रिक टन था। मल्होत्रा जी जब बोल रहे थे, तब मैं उनके बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जितनी कालाबाजारी और होर्डिंग हो रही है, उसके ये लोग जनक हैं। इन्होंने वर्ष 2002 में अनलिमिटिड टाइम तक प्रोक्योरमेंट करने की प्राइवेट कम्पनियों को छूट दे दी, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से इन कम्पनियों ने 20 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया है, जिसकी वजह से 1 अप्रैल तक हमारा 40 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टाक पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से महंगाई बढ़ेगी ही। महंगाई को दूर करने के लिए उसके कारणों में जाना चाहिए। इसके कारण क्या हैं? गेहूं के दाम बढ़ने के कारण यह हैं कि यहां मल्टीनेशनल कम्पनियों जैसे आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड, कारगिल कम्पनी, अडानी, आईटीसी ने 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया। यह सब इन लोगों के वर्ष 2002 में एक सर्कूलर जारी करने से हुआ, जिसमें इन्हें अनलिमिटिड टाइम तक प्रोक्योरमेंट करने का अधिकार मिल गया। इस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर गौर करें। इसकी लिमिट बांधी चाहिए, कम से कम इन प्राइवेट कम्पनियों की लिमिट जरूर निश्चित होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि किसान को कुछ नहीं मिलेगा। किसान को वैसे भी कुछ नहीं मिलता है। मार्जिनल, छोटे और सीमांत किसान की आबादी 85 से 90 प्रतिशत है। वह किसान रोज़ पैदा करते हैं। अपनी रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें तुरन्त मार्किट में अपना कच्चा माल बेचना पड़ता है। उनको समर्थन मूल्य कहां मिल पाता है? प्राइवेट कम्पनियां दो पैसे ज्यादा देकर सारा कच्चा माल खरीद लेती हैं और 300-400 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा पर उसे तीन-चार महीने बाद मार्किट में बेच देती हैं। इसीलिए वायदा बाजार में चने को, दाल को, गेहूं को. चावल को सब को निकालना चाहिए। इन्होंने अभी केवल चावल और गेहूं को निकाला है और जब गेहूं को निकाला तो प्राइस कर्ब किया है, प्राइस कम हुआ है। वायदा बाजार से निकालते ही, फारवर्ड ट्रेडिंग' से निकालते ही आज गेहूं का दाम घटने लगा है, ट्रेंड अब नीचे आ गया, दाम घटने लगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वायदा बाजार

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

का क्या मतलब है, जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, मिडिलमैन हैं, वे सभी किसानों के अनाज का पैसा, कृषि उत्पादन का पैसा उनकी जेब में चला जाता है। जो किसान पैदा करने वाले हैं, जो कृषि उत्पादन करते हैं, सही किसान हैं, छोटे किसान हैं, ढाई-तीन एकड़ से ज्यादा किस किसान के पास अब जमीन है, लैंड होल्ड कौन करता है, छोटे किसान हैं, जो 85 से 90 फीसदी किसान हैं, जब उसको एक पैसे का लाभ नहीं है तो इस वायदा बाजार का क्या मतलब है। किस किसान को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, केवल फार्म वाले किसान को, जिसने कभी खेत नहीं देखा है, जिसने कभी जमीन नहीं देखी है और हल नहीं देखा है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं और 10 परसेंट किसान जहां कम्प्यूटर लगा होगा, वही जो दाम का डिस्प्ले होता है, वह जान पाएगा कि चार महीने के बाद कितना दाम होगा, इतना पूरा होर्डिंग करके रख ले और चार महीने के बाद बेच ले, उनके पास भी नहीं होगा, वह कम्प्यूटर में देखेगा कि दाम का क्या डिस्प्ले होता है। लेकिन छोटे किसान को तेल लेना है, कपड़ा लेना है, नमक लेना है, बच्चे की शादी-ब्याह है, पढ़ाई-लिखाई के लिए किताब है, पेंसिल है, उसके लिए तुरन्त उसको मार्केट जाना पड़ता है, कच्चे माल को तुरन्त उनको बेचना पड़ता है, वह वेट नहीं कर सकता है। छोटा किसान ढाई-तीन एकड़ वाला किसान इस देश में 85-90 फीसदी होने वाला है, उस किसान को एक पैसे का लाभ इस फारवर्ड ट्रेडिंग से नहीं होने वाला है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सभी चीजों को, जो जरूरत की चीजें हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको फारवर्ड ट्रेडिंग से बाहर करना चाहिए। यह व्यापार केवल स्पेकुलेशन के लिए है, मार्केट में कभी भी इससे प्राइस डाउन नहीं होगा और प्राइस कर्ब नहीं होगा। मैं प्राइस के विषय में इसलिए कहना चाहता हूं कि प्राइस का क्या मतलब है वित्त मंत्री जी काफी विद्वान हैं, इन्होंने जरूर इस पर विचार किया होगा कि जो परचेजिंग कैपेसिटी है, जिस दिन महंगाई बढ़ गई, उसी दिन आम लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी पर हमला हो गया, क्रय-शक्ति पर चोट हो गई। यह तो टैक्स हो गया। मैं एक नई बात कह रहा हूं, सब लोग अपने तरीके से बोलते हैं, जब यह महंगाई बढ़ेगी तो इस देश की पूरी आबादी पर एक नया इनडायरैक्ट टैक्सेशन हो गया। गरीब आदमी मार्केट में जाकर रोटी और दाल नहीं खा सकता, चूंकि इनडायरैक्ट टैक्स लग गया, महंगाई हो गई तो उसका कुपोषण होगा, मैल न्यूट्रीशन होगा, कैसे नहीं होगा। रोटी ली तो वह दाल नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि जब यह महंगाई बढ़ेगी तो सब पर इनडायरैक्टली टैक्स होगा, क्रय-शक्ति पर चोट होगी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इनडायरैक्टली टैक्स डिक्लेयर नहीं है वित्त मंत्री जी का, लेकिन महंगाई को कर्ब करने के लिए जो भी वित्त मंत्री जी ने प्रयास किया है, उसको और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि उतने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी आज परेशान है, वित्त मंत्री जी, आप विद्वान हैं, सब को पैसा रखने दीजिए और खर्च पर सीमा बांध दीजिए। कोई नीति, कोई कानून क्यों नहीं बनाते हैं आप, आप खर्च पर सीमा बांधिये। आदमी पैसा रखे, जितनी चोरी करनी है, करे, लेकिन पैसा खर्च करेगा तो कानून के तहत तुरन्त गिरफ्तार होगा, क्योंकि कितना खर्च किया, उसकी स्लिप जमा करानी होगी कि खर्च कितना करता है। रखता कितना है, यह नहीं है। खर्च पर सीमा बांधी जाये, इससे दाम बंध जायेगा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि दाम बांधो नीति का अनुपालन करना चाहिए और एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए।

अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहल की है और चिट्ठी लिखी है कि जमाखोरी, डी-होर्डिंग कैम्पेन चलाने के लिए राज्यों को पत्र लिखा गया है कि होर्डिंग को कंट्रोल किया जाये। यह राज्यों से जुड़ा सवाल है, सही बात है कि डी-होर्डिंग के लिए राज्यों की भागीदारी जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल पत्र लिख देंगे और सभी राज्यों में डी-होर्डिंग कैम्पेन शुरू हो जायेगा, नहीं। मैं समझता हूं कि केन्द्र को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए और आई०बी० को बिठाकर आपको सूची गोपनीय तरीके से तैयार करके रेड करने की तैयारी करनी चाहिए, तभी जमाखोरी जहां है, उस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, लगाम नहीं लगेगी तो होर्डिंग होती रहेगी और महंगाई पर आप काबू नहीं पा सकते हैं, इसीलिए मैंने यह निवेदन किया।

लास्ट में मैं ब्लैकमनी पर बोलना चाहता हूं। ये लोग नॉन परफोर्मिंग असैट्स पर बहुत बोल रहे थे। यह जो ब्लैकमनी है, वित्त मंत्री जी हमारे विचार से सहमत नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी, सब को छूट दे दीजिए कि किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा, जो जितनी ब्लैकमनी रखे, अपनी-अपनी डिक्लेयर करे रिलीज़ करे कि कितनी ब्लैकमनी किसके पास है, सब बाहर निकाले और बाहर निकालने के बाद जिसका पैसा है, मिल्कियत भी उसी की रहेगी। वह पैसा सरकार के निर्देश पर खर्च होगा। वह पैसा जब भी खर्च होगा, विभिन्न वेलफेयर स्कीम में खर्च होगा, इस देश के हास्पिटल्स के लिए खर्च होगा, इस देश को अपलिफ्ट करने में और देश के गरीब लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में खर्च होगा। मैं चाहता हूं कि पूरी ब्लैकमनी के ऊपर छूट दे दी जाए। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा ऐलान करे कि काला धन घोषित करने वालों पर कार्यवाही नहीं होगी और कोई बंद नहीं किया जाएगा। उस धन पर उसी आदमी का स्वामित्व रहेगा, जिसका वह काला धन है। लेकिन उस काले धन का वे एक पैसा भी बिना सरकार की इजाजत के खर्च नहीं कर सकते हैं। वह धन कृषि कार्यों पर खर्च हो, हास्पिटल्स पर खर्च हो, शिक्षा पर खर्च हो, सड़क पर खर्च हो, बिजली पर खर्च हो, देश की जनता की बुनियादी सेवाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो, साथ ही साथ स्माल इंडस्ट्रीज पर इस ब्लैक मनी को खर्च किया जाए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि वित्त मंत्री जी इस पर एक साल भी विचार करके अमल करें, तो दस सालों में हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इतना ब्लैक मनी इस देश में है। यहां स्विस बैंक के बारे चर्चा की है। क्या वहां केवल 35 हजार करोड़ ही होगा?

हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि किस-किस संवर्ग का पैसा वहां जमा है? अगर वह पैसा सामने आ जाए, तो हिंदुस्तान दस साल के अंदर अमेरिका से मुकाबला लेने के काबिल हो जाएगा।

अंत में मैं सेज के संबंध में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी मुझे माफ करेंगे, लेकिन वित्त मंत्री जी के बजट में एक शब्द भी इसके बारे में कहीं नहीं है। उनके बजट में सेज का उल्लेख नहीं है। स्पेशल इकॉनामिक जोन का मकसद क्या है? क्या कारपोरेट सैक्टर को पब्लिक कास्ट पर इंसेंटिव देना ठीक है? इसलिए कि उसमें रेवेन्यू नहीं लगेगा। हो सकता है कि वित्त मंत्री जी इससे सहमत नहीं हो। कई तरह के इस पर विवाद चल रहे हैं। महोदय, जो स्पेशल इकॉनामिक जोन यहां से लेकर अमृतसर तक है, जिसमें आपका राज्य भी है। सभी जगह जो इरिगेटिड लैंड हैं, उस लैंड को अधिग्रहीत किया जा रहा है। सारी प्रक्रिया चल रही है। शायद 236 जगहों पर मॉल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। मॉल खोले जाएं, ठीक है, लेकिन सस्ते दर पर जमीन किसानों से ली जाए, वह ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे राष्ट्रीय उत्पादन घटेगा। राष्ट्रीय उत्पादन ही नहीं घटेगा, इसके साथ ही सेज के भीतर कोई भारत का कानून नहीं रहेगा, इंडियन कानून वहां नहीं चलेगा। वहां स्पेशल कानून चलेगा, साम्राज्यवादी देश का कानून चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सावरेंटी पर, संप्रभुता पर सेज के चलते अटैक होने वाला है। सेज में कौन जाएगा? वहां कोई गरीब आदमी नहीं जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, 26 करोड़ प्लानिंग कमीशन के अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार 40 करोड़ लोग हैं, वे वहां नहीं जा पाएंगे।

महोदय, हरियाणा की सरकार ने एक अच्छा काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां 2425 रुपए प्रति-माह गरीब लोगों की न्यूनतम मजदूरी थी, उसे 3500 रुपए प्रति-माह करने का हरियाणा की सरकार, हुड्डा मंत्रिमंडल द्वारा पास हुआ। आज उसका विरोध हो रहा है। कारपोरेट हाउस द्वारा, बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा इसका काफी जोर से विरोध हो रहा है। कारपोरेट हाउस अपने स्वार्थ के लिए पूरे तौर पर सेज पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात होती है, तो कारपोरेट हाउस विभिन्न तरह की कानूनी सलाह लेते हैं।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सिंचाई को बढ़ाने की बात बजट में जरूर कही गयी है हम सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्षमता कैसे बढ़ेगी? मैं एक उदाहरण इस संदर्भ में देना चाहता हूं। इन्होंने कहा है, एक्सिलेरेटेड इरीगेशन बेनेफिट प्रोग्राम के तहत राज्य सरकारों को मेजर मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट के ज़रिए 19437.88 करोड़ रुपए सन् 2006 में दिए गए थे। कोसी पर हाई लेवेल डैम बनाने के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस 7 जगहों पर भारत और नेपाल में समझौता करके खोले गये थे, लेकिन उसका डीपीआर नहीं बना। मैं कहना चाहता हूं कि हाई लेवेल डैम बनने से 35 हजार मेगावट पन बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक विधि से पैदा होगी, जो विभिन्न राज्यों में दी जाएगी। इससे इतना बड़ा काम हो सकता है। इसके साथ ही पानी पर भी कंट्रोल होगा और उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल में फसल भी बचेगी। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि हाई लेवेल डैम बनाने पर, डीपीआर बनाने पर इस बजट में प्राथमिकता से कोई जोर नहीं दिया गया।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 2.59 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2006-2007

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 2006-07 हेतु बजट (सामान्य) से संबंधित अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शानेवाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* सं० एल०टी० 5923/07]

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

सामान्य बजट, 2007-08 सामान्य चर्चा — *जारी*

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से इस बजट को संसद में प्रस्तुत किया गया है तब से इस पर काफी प्रतिक्रिया हुई है। दुर्भाग्य से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से समाज का हर तबका नाखुश है। आज हम इसी परिदृश्य में इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

यदि आप मुझसे इस बजट का वर्णन करने के लिए कहेंगे, तो मैं इसे एक अदूरदर्शी बजट कहूंगा। मैं ऐसा इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए है। मैं यहां पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि 'सभ्य समाज' जिसने इस सरकार की विभिन्न पहलों का समर्थन किया था, ने भी इस बजट के संबंध में "वादा न तोड़ो अभियान" नामक एक, रोचक दस्तावेज निकाला था जिसमें इन्होने कहा हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार की नीति का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए था, को सरकार

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है मै इस बजट को अदूरदर्शी बजट कह रहा हूं। इस बजट में वर्तमान चुनौतिया का सामना करने संबंधी दृष्टिकोण का अभाव है। मैं इस संबंध में दो या तीन उदाहरण देना चाहता हूं।

देश गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। हम सोच रहे थे कि नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे सहायता की आवश्यकता है, के अनुसंधान और विकास के लिए शायद कुछ बजटीय सहायता दी जाएगी। लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस बजट में राजकोषीय चुनौतियां का भी उल्लेख नहीं किया गया है जिसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा। यह बजट कमजोर और अस्थायी है जिसमें सुधारों के लिए कोई ठोस उपास नहीं किए गए हैं। माननीय वित्त मंत्री आपूर्ति संबंधी विवशताओं की बात करते हैं। इसका तात्पर्य है हमें और अधिक सुधार कर आपूर्ति जारी करनी होगी। लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। इस सरकार की विद्युत, मुद्रास्फीति से निपटने, कृषि से निपटने जैसे मुद्दों सहित विभिन्न दृष्टिकोणों में नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में पूरी तरह भ्रम की स्थिति है।

जिस तरीके से मंत्री महोदय ने भारतीय स्टेट बैंक की धारिताओं को; जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से शेयरों को सरकार को अंतरित किया गया है, वह तरीका भी ठीक नहीं है। वास्तव में पिछली बार श्री तारापोर; के नाम का उल्लेख किया गया था जब मैने माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछा था तब मंत्री महोदय ने संयोगवश उसकी आलोचना की थी। यह भी एक बड़ा भ्रम है। इस बजट में अनेक क्षेत्रों में जोड़-तोड़ की गई है और इस बजट में समग्र कार्रवाई का अभाव है।

प्रख्यात वैज्ञानिक डा० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञान आयोग के बारे में भी यही स्थिति है। एक और प्रखर व्यक्ति श्री सैम पित्रोदा ने पहली रिपोर्ट सौंप दी है। लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समेकित ऊर्जा नीति भी एक चुनौती है। पहली बार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई ऊर्जा नीतियों के संबंध में एक समग्र विचारधारा बनाने का प्रयास किया गया है। डा० कीर्ति पारिख ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही इसका उल्लेख किया गया है और इस संबंध में कोई पहल भी नहीं की गई है।

यहां दस मंत्रालय और राज्य के विभिन्न अंग जल से संबंधित कार्य कर रहे है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जल संबंधी पहलों का भी जोड़-तोड़ किया गया है लेकिन इस पर भी कोई समग्र कार्रवाई नहीं की गई है। बजट सामान्योक्तियों, प्रतीकवाद से भरा पड़ा है और दिखावटी कार्रवाई के बारे में बात करता है।

पहला उदाहरण जलवायु परिवर्तन का है। माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है। माननीय मंत्री बजट भाषण में इसका उल्लेख तो करते हैं लेकिन बजट में इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं करते? हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का पर्यानुकूलन एक चुनौती है। इसके लिए कुछ धनराशि दी जानी चाहिए थी। लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बजट में इस विषय का तो उल्लेख किया गया है लेकिन इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है।

यह बजट संवेदनहीन है क्योंकि किसान आत्महत्यां कर रहे है। इनकी संख्या में दिन ब दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। और तो और जिस गति से किसान आत्महत्या कर रहे है उतनी गति से तो भारतीय क्रिकेट टीम भी स्कोर नहीं बना रही है। लेकिन अभी भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस बजट में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि उसकी हालत दयनीय है।

आंतरिक सुरक्षा आम आदमी की एक और समस्या है। दुर्भाग्य से इस बजट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अत: मेरी दृष्टि में बजट का यही विवरण है। इस बजट के केंद्र बिन्दुओं में से एक , जैसाकि माननीय वित्त मंत्रालय ने बताया है, समता पर जोर देना है। हम वित्त मंत्री द्वारा किए गए बजटीय प्रावधानों के आलोक में समता का विश्लेषण कर सकते हैं। कृषिकों जैसाकि वित्त मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है, कि बजट में पहली प्राथमिकता दी गई है। देश में श्री चिदम्बरम से बढ़िया कोई अधिवक्ता नहीं है।

अपराह्न 3.05 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

इसलिए जब वह कहते है कि पहली प्राथमिकता, तो उसका अर्थ होता है कि द्वितीय, तीसरी, चौथी, पाचवीं और (छठी) प्राथमिकताओं को तब तक कुछ नहीं मिल सकता जब तक कि पहली प्राथमिकता को पूरा नहीं कर लिया जाता।

भारत की जनसंख्या में 63 प्रतिशत किसान है। क्या इसका यह अर्थ है कि बजट में किसानों के लिए कुल संसाधनों का 63 प्रतिशत आबंटित किया गया है? इस वर्ष सफल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी गिरकर 18.5 प्रतिशत रह गई है और सरकारी निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत है जबकि नब्बे के दशक में यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत हुआ करता था। इस प्रकार यह एक दूसरे से संबंधित है। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता उतनी की उतनी ही है। इसलिए इस परिदृश्य में जब वित्त मंत्री कृषि के लिए चार

प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित कर रहे है। मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे संभव होगा। मै ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसे इस पर संदेह है बल्कि योजना आयोग के एक सदस्य श्री अभिजीत सेन, जिन्हे कृषि का अच्छा ज्ञान है, ने आज ही एक साक्षात्कार में कहा है कि कृषि में चार प्रतिशत की विकास दर असंभव है। इसलिए कृषि में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हे बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त उन्हे बेहतर बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यह बात सुनिश्चित की जा सके कि किसान जो जोखिम लेते है उस जोखिम को समाप्त किया जा सकें ताकि किसान आत्महत्याएं करने के लिए विवश न हो। मैंने देखा है कि दुर्भाग्य से ऐसी कोई साहसिक पहल नहीं की गई है और कृषि के संबंध में सरकार के मन में भ्रम है इसलिए हमें यहां पर संकट नजर आता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वह वास्तव में पहली प्राथमिकता के बारे में बात करना चाहते हैं तो उन्हें श्रेणी आधारित बजट की पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें श्रेणी आधारित बजट की शुरूआत करनी चाहिए ताकि हमें वास्तव में पता चलते रहे कि किस क्षेत्र में कितने पैसे जा रहे है और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्र कौन-कौन से है। यही किए जाने की आवश्यकता है।

कृषि से निपटने के लिए इस बजट में मृदा, भूमि और जल के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार की जानी चाहिए थी। वास्तव में मृदा अपरदन एक गंभीर चुनौती है जिससे कृषि में उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में संयोगवश जल संकट एक बड़ा संकट है लेकिन इस बजट में इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

रोजगार एक अन्य चुनौती है जिसका हम सामना कर रहे है हम इसकी तुलना समता के दृष्टिकोण से भी कर सकते है। रोजगार के कितने नए अवसरों का सृजन किया गया है मैं समझता हूं कि बजट में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि बजट की अवधि के दौरान रोजगार के कितने नए अवसरों का सृजन किया गया है। यदि वित्त मंत्री हमें राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत आदेशित ऐसी जानकारियां देते रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह इस बात की भी जानकारी दे कि रोजगार के कितने नए अवसरों का सृजन किया गया है। इस बजट में रोजगार की समस्या पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया है। वस्तुत: श्रम आधारित रोजगार जोकि समय की आवश्यकता है और वास्तव में रोजगार का सृजन करने के लिए विनिर्माण इकाईयों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

सेवा क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप सेवा रोजगार बाजार में प्रवेश करना चाहते है तो आपके पास अपेक्षित दक्षता होनी चाहिए। आईटीआई अथवा कुछ अन्य सतही मुद्दों को छोड़कर भारत की अधिकांश जनसंख्या की दक्षता के उन्नयन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए समता को जांचने के लिए कृषि के अतिरिक्त रोजगार दूसरा मानदंड है जिस पर दुर्भाग्य से इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन और पोषण इस सरकार का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महोदय, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी दी गई है, में रोजगार के लिए मुआवजे के रूप में अनाज के माध्यम से कुछ पैसे देने की भी बात कही गई है। इस वर्ष जैसाकि इस बजट में उल्लेख किया है वर्ष 2006-07 के दौरान अनाज को आबंटन 05 किलोग्राम से घटकर 03 किलोग्राम रह गया है। हससे हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि खाने में 40 प्रतिशत की गिरावट आएगी तो बड़ी संख्या में लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा किस प्रकार प्रभावित होगी?

समता संबंधी अन्य चुनौती पिछड़े क्षेत्र हैं वास्तव में हमें तेजी से विकास करने वाले और पोषण जैसे क्षेत्र, जिसका संसद में मैं प्रतिनिधि हूं, के बीच के अंतर को कम पाटना चाहिए। वास्तव में ये ऐसा कैसे कर पाएंगे? वास्तव में इस अंतर को पाटने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस संबंध में बहुत ही रोचक आकड़े है जैसाकि इन्होने बताया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर 12.5 बिलियन डालर हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 46.52 प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक के दो केन्द्रों नई दिल्ली और बम्बाई में चला जाता है। महोदय, मैंने अन्य मुद्दो पर भी समता का पता लगाने की कोशिश की है। कारपोरेट्स से अन्य दरों पर कर लिया जाता है। वास्तव में उन्होंने कहा है कि कारपोरेट्स पर औसत: 19.2 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। शून्य से एक करोड़ रुपए तक लाभ न कमाने वाले कारपोरेट्स से 24.29 प्रतिशत की दर से कर लिया जाता हैं जबकि 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक का लाभ कमाने वाले कारपोरेट्स से 19.10 प्रतिशत की दर से कर लिया जाता है। इसमें कितनी समानता है इसे हर कोई आसानी से देख सकता है।

इस बजट के विभिन्न प्रावधानों से एक आम आदमी को आयकर उत्तरदायित्वों से प्रतिमाह 83 रुपए की बचत हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट में 'समता' के मुद्दों पर किस हद तक विचार किया गया है।

जब हम लिंग आधारित बजट की बात करते है तो यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि समता वास्तव में समाज के कमजोर तबकों के पक्ष में हो; हमें लिंग सतुलन बनाए रखना है। क्या बजट का

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आवंटित किया गया है। दु:ख की बात है कि ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए ये बजट समता के दृष्टिकोण से पूर्णत: विफल रहा है। वस्तुत: सरकार के कुल व्यय का 22 प्रतिशत ही सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किया गया है। इसका यह अर्थ हुआ कि इस बजट में समता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री के बजट का एक अन्य प्रबल पहलु राजकोषीय मुद्दा है। यह सच है कि राजस्व घाटे में कमी हो रही है और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी राजकोषीय घाटा कम हो रहा है। इसलिए उन्होने कहा कि उनका लक्ष्य राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का है और उन्होने इसे पूरा किया है। मैं इसे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण नहीं कहूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। मैं इसे ज्यादा से ज्यादा राजकोषीय सुधार कहूंगा। यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं है।

देश की ऋण देनदारों 4,86,422 करोड़ रु० के राजस्व की तुलना में अब 4,21,219 करोड़ रु० है। मुझे चिंता है कि संभवत: हम ऋण संकट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश के वर्तमान राजस्व की 32.7 प्रतिशत धनराशि का केवल देश की ब्याज देनदारी चुकाने में उपयोग हो जाता है। आप राजकोषीय स्थिति के संबंध में गंभीर चुनौती की कल्पना कर सकते हैं। यह देश की ऋण स्थिति में भी परिलक्षित हो रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद का 59.2 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण में है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि इकॉनामिस्ट (एक पत्रिका) द्वारा केवल कुछेक दिन पहले ही एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत है। वस्तुत: भारत का सार्वजनिक ऋण विश्व के उन देशों में सबसे ज्यादा है, जो नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए, यह एक अत्यन्त गंभीर समस्या है, जिसका कि दुर्भाग्यवश इस बजट में समाधान मौजूद नहीं है।

इसलिए मैं इसे, वित्तीय सुदृढ़ीकरण नहीं कहूंगा, मैं इसे ज्यादा से ज्यादा राजकोषीय सुधार कहूंगा। हमें इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए। वस्तुत:, इसके दूरगामी प्रभाव भी होंगे क्योंकि ब्याज की दरों में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2007-08 के अपने नए बजट में इस देश की ब्याज देनदारी के लिए क्या दर निर्धारित की है। यदि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से ब्याज दरें बढ़ रही है, संभवत: व्यय बजट में ब्याज देनदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण इस प्रकार किया जाता है।

एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अन्तर्गत एक अन्य दिलचस्प मुद्दा है कि इस अधिनियम के नियम 6 के अंतर्गत सरकार पर गारंटियों का सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत तक सीमित रखने की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा इस वर्ष दी गई गारंटियां 0.7 प्रतिशत है, जो कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए प्रतिशत की तुलना में 6.2 प्रतिशत ज्यादा है। इसका यह अर्थ है कि यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के किसी भी पहलू पर खरा नही उतरता। इसलिए, मैं इसे बहुत ही गंभीर चुनौती मानता हूं। बल्कि, भारी ऋण का 45 प्रतिशत, जिसका मैंने उल्लेख किया है, इसका देश का राजस्व व्यय पूरा करने में गत कई वर्षों से - मैं केवल वर्तमान वित्त मंत्री को इसके लिए दोस नहीं दे रहा हूं बल्कि काफी लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। इसका यह अर्थ है कि हम अपने देश के ऋण के 45 प्रतिशत तक प्रत्येक वर्ष ब्याज चुका रहे हैं और देश में ऐसी कोई परिसंपत्तियां मौजूद नहीं हैं, जो इस ऋण की एवज में रखी जाएं वस्तुत:, यह अन्य प्रकार से भी परिलक्षित हो रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा यह है कि परिसंपत्तियों की तुलना में केन्द्र सरकार की अतिरिक्त देनदारी 12,46,737 करोड़ रु० है। इसलिए, यदि आप इन सभी मुद्दों को समग्र रूप से लें, तो क्या आप कभी यह कह सकते हैं कि यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे आशा है कि आप यह भी कहेंगे कि एफ०आर०बी०एम० अधिनियम इस सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती सरकार के पास इस अधिनियम को अधिसूचित करने का न तो साहस ही था और न है दूरदर्शिता थी। हमने इस अधिनियम को अधिसूचित किया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : आप यह भी स्वीकार करेंगे कि इस अधिनियम को पूर्ववर्ती सरकार ने पारित किया था।

श्री पी० चिदम्बरम : यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। कार्यपालिका को यह अधिनियम अधिसूचित करने के लिए शक्ति दी गई थी। आपकी सरकार ने यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया था।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : लेकिन इस विधेयक को संसद में तत्कालीन सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ताकि इसे पारित किया जा सके। और श्री चिदम्बरम जी यदि आप उस दिन को याद करें जिस दिन आपने अधिसूचित किया था। आपने इस अधिनियम के लागू होने की सीमा को एक वर्ष तक बढ़ा दिया था।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे स्पष्ट करने दीजिए। हमने इसकी समय सीमा बढ़ाई क्योंकि आपने इसे अधिसूचित न करने में एक वर्ष गवां दिया हमें पांच वर्ष चाहिए थे। कानून के अन्तर्गत लक्ष्य हासिल करने के लिए पांच वर्ष का समय था। आपने इसको अधिसूचित न करने

में एक वर्ष गंवा दिया। जब हम सत्ता में आए। तो हमारे पास चार वर्ष शेष थे। इसलिए हमने एक और वर्ष जोड़ दिया ताकि हमारे पास पूरे पांच वर्ष का समय रहेगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : बंसल जी, आपने इन्हें नहीं बताया कि वित्त समिति में क्या हुआ *(व्यवधान)* यदि आप इन्हें बताएंगे, तो इन्हें पता चल जाएगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री स्वाईं कृपया बैठ जाइए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं इस बात से सहमत हूं। श्री चिदम्बरम जो कह रहे है, वह यह है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अधिसूचित करने में एक वर्ष लगा दिया, इसलिए उन्होने इसे एक और वर्ष तक बढ़ा दिया। अतः यह बराबर हो गया है। अब यह एक समान स्तर पर आ गया है। एक अन्य मुद्दा वायदे की तुलना में किया गया निष्पादन है। यदि आप किए गए वायदों को पूरा करने के बारे में विगत में शुरू की गई प्रणाली की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि वह पूववर्ती वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा शुरू की गई थी। वित्त मंत्री द्वारा अपने पिछले बजट में किया गया एक वादा यह था कि पश्चिम बंगाल में एक पत्तन का विकास किया जाना था मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे। गत एक वर्ष के दौरान इसमें क्या प्रगति हुई? एक परामर्शदाता का अंतिम रूप से चयन अतिशीघ्र किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पत्तन के विकास के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान यही प्रगति हुई है।

दूसरा वादा यह था किं मुंबई को विश्व के एक वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने का विचार था। इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है? केवल यह प्रगति हुई है कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इस पर कार्रवाई की जानी है। पिछले तीन वर्षों में यही कुछ हो रहा है।

एक अन्य मुद्दा जिस पर बजट को परखा जा सकता है, वह विकास है। वित्त मंत्री ने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया: "मैं इन सब चीजों पर इतनी धनराशि का निवेश करके इन पर बल नहीं दे पाता, एक लाख छात्रवृत्तियां नहीं उपलब्ध करा पाता, शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों के लिए एक लाख रोजगार नहीं सृजित कर पाता, यदि कोई विकास न हुआ होता।" विकास एक मंत्र है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं और वास्तव में महसूस करता हूं कि अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बजट में न केवल विकास दर में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है बल्कि यह इसे कायम रखने में विफल हुआ है- मुझे आशा है कि 9.2 प्रतिशत की विकास दर, जी कि हमने हाल ही में देखी है, इस वर्ष भी बजट में कायम रखी जाएगी। इसमें विकास कहीं नही है।

एक अन्य बड़ी ढांचागत चुनौती कार्यकुशलता है। व्यय की कार्यकुशलता, खर्च की जाने वाली धनराशि की प्रभावशीलता को मापा जाना चाहिए। इसका अनेक बार उल्लेख किया गया है। वस्तुतः प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि हमारे परिवर्तन की प्रणाली प्रशासनिक सुधार होना चाहिए क्योंकि सरकार के किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में हमारे द्वारा खर्च की जा रही लागत राशि बहुत अधिक है। इसलिए वित्त मंत्रालय के पास एकमात्र मौजूदा साधन - जैसा कि उनके सलाहकार ने भी अपने एकाध सक्षात्कार में कहा है-परिणामी बजट है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह वित्त मंत्री महोदय का एक बहुत ही नेकनीयती वाला कार्यक्रम है और मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन यदि आप इस परिणामी बजट के परिणाम पर नजर डालेंगे तो, पाएंगे कि यह विनाशकारी है। यह आपके द्वारा तैयार नहीं किया गया है। यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जाता है। आपको वास्तव में इस पर नजर डालनी चाहिए। आपको इस पर वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है। मै इसकी केवल इसलिए आलोचना नहीं करना चाहता चूंकि मैं एक चार्टड एकाउंटेंट हूं। हमने एक समिति का गठन किया है और हम आपके समक्ष शीघ्र ही यह प्रस्तुत करेंगे कि परिणामी बजट वास्तव में किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। यह केवल आपकी सहायता के लिए है। मुझे विश्वास है कि यह आपकी सहायता करेगा। सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है और हमें इससे वास्तव में सामूहिक रूप से एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में निपटने की आवश्यकता है।

हमारे सामने एक अन्य चुनौती मुद्रास्फीति है। पुनः एक असमंजस की स्थिति है और मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि क्यो? सरकार की स्वीकारोक्ति के अनुसार, मुद्रास्फीति दो कारको से होती है। एक कारक तो आपूर्ति स्तर में बाधा है और दूसरी है-मुद्रा का अधिक मात्रा में संचलन आपूर्ति स्तर में बाधा को दूर करने का उत्तम तरीका क्या है। उस लेख में, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलन के गड़बड़ाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि हमें वास्तव में आपूर्ति स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक क्षमता को उपयोग में लाया जा सके। वस्तुतः श्री चिदम्बरम निश्चित तौर पर जहां यह लाजिमी होगा, इस बात का श्रेय देंगे कि पूर्ववर्ती सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने की पहल से ही इस सरकार की गत तीन वर्षों के समय में अर्थव्यवस्था का 9 प्रतिशत की दर से विकास करने का अवसर मिला।

यदि आप अब भी सुधार नहीं करेंगे और इन उत्पादनकारी ताकतों का उपयोग नहीं करेंगे, जो कि ऐसा किए जाने के लिए वास्तव में तैयार बैठी हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार 9 प्रतिशत की दर से विकास करेगी? इसलिए, मैं वास्तव में चाहता हूं कि आपूर्ति स्तर में बाधा, जो कि एक चुनौती है, जो कि मैं भी मानता हूं, को सही मायने में दूर करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय सीमित है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : ठीक है, महोदय। आपूर्ति स्तर की बाधा के संबंध में, इसे अल्पकालिक समय में कैसे दूर किया जाए? हम कतिपय चीजों का आयात करने का प्रयास कर रहे है। आयात के माध्यम से हम पहले से ही अपनी चालू लेखा स्थिति पर दबाव डाल रहे है। हमारा चालू लेखा घाटा वास्तव में बढ़ रहा है। यदि हम विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशियों को हटा दें, तो यह पांच प्रतिशत हो सकता है।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या चालू लेखा घाटा पांच प्रतिशत है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसके बारे में इकॉनामिस्ट पत्रिका में कहा गया है। उनका अनुमान है कि यदि आप 21 बिलियन डॉलर की विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशि को हटा दें, तो इतना हो सकता है।

श्री पी० चिदम्बरम : इन्हें क्यों हटाया जाना चाहिए?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : यही है जिसे वे शामिल नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं हटा रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : आप वह न बोलें जो इकॉनामिस्त में कहा गया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : कभी कभार, आप इकॉनामिस्ट से उद्धृत करते हैं, यदि में उद्धृत कर रहा हूं, तो क्या समस्या है।

श्री पी० चिदम्बरम : विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशियों को क्यों हटाया जाना चाहिए? कौन सा देश विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशियों को शामिल नहीं करता? विदेशों में स्थित हमारे कामगार और विदेश में रहने वाले भारतीय अपने परिवारों को धनराशि भिजवाते हैं। पूरा विश्व हमारी विदेशों से भेजी जाने वाली राशि के संबंध में ईर्ष्यालू है। चूंकि एक पत्रिका में कहा गया है। मुझे विश्वास नहीं है कि इन शब्दों में कहा गया है-कि इसको हटाया जाए, इसे क्यों हटाया जाए? क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि इसे हटाया जाना चाहिए? हमारे देश में राशि भिजवाई जा रही है। इसे क्यों हटाया जाना चाहिए? इसमें कोई तर्क नहीं है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि इस प्रकार भेजी गई धनराशि यहां मांग का सृजन नहीं कर रही है। यह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से बाहर की चीज है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विश्व आर्थिक मंच पर अर्थशास्त्रिदों द्वारा बताये जा रहे कुछ लाभों के प्रति आप असंतोष दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो हमें उस सम्बन्ध में क्यों नहीं बात करनी चाहिए? इसीलिए, आयात बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, इस वर्ष हमने 46 लाख टन यूरिया का आयात किया है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसके परिणाम स्वरूप, आयातित यूरिया की वजह से ही इस पर राजसहायता की राशि 2703 करोड़ रुपये हो गई जो कि वास्तव में देश में यूरिया पर दी जाने वाली सकल राजसहायता का लगभग 25 प्रतिशत है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब आप कुछ आयात करते हैं तो इस पर भी कुछ लागत आती है। इसलिए, आपूर्ति सम्बन्धी बाधाओं को अल्प काल में आयात के माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है किन्तु इसे केवल उसी स्तर पर सुलझाने से भी समस्या उत्पन्न होती है। मै यही कहना चाहता हूं।

दूसरा मुद्दा धन आपूर्ति का है। धन आपूर्ति की वृद्धि दर वर्ष प्रति वर्ष आधार पर 21.3 प्रतिशत रही है। विदेशी मुद्रा का भण्डार 180 बिलियन डालर है। पिछले कुछ महीनों में, आरबीआई ने सीआरआर में वृद्धि की है। अब यह छह प्रतिशत है तथा रेपो एवं रिवर्स रेपो दर भी इतनी ही है जिसके परिणामस्वरूप वित्त पोषण की लागत बढ़ गई है। वास्तव में, हम हमेशा से ही यह चाहते हैं कि भारत को निम्न लागत वाली अर्थव्यवस्था होना चाहिए। ऐसा करने के लिए वित्तीय लागत में कटौती करना एक रास्ता है। यदि मांप को कम करने के लिए ब्याज दर में वृद्धि होती रहती है यह एक गम्भीर चुनौती बन रही है। इसलिए, ब्याज की उच्च दर का भार आम आदमी पर पड़ रहा है जब वह फ्रिज या टी०वी० जैसे घरेलू सामान अथवा मकान खरीदता है। वास्तव में लघु उद्योगों को इसकी मार झेलनी पड़ती है। इसलिए, मुद्रास्फीति की इस समस्या के समग्र समाधान और विदेशी मुद्रा भण्डार से निपटने की प्रक्रिया में वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इन मुद्दों से समग्र रूप से कैसे निपटा जाए इसका सम्पूर्ण खाका तैयार करें जिसमें अब बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रबन्धन भी शामिल हो और वास्तव में यह हमारी वजह से ही बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से लगातार डॉलर खरीदता है और इसीलिए विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ता जा रहा है।

अन्य मुद्दा मूलभूत अवसंरचना से सम्बन्धित है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगले माह आरम्भ होने वाली आगामी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 320 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है। वास्तव में, इस बजट में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, एनटीपीसी और अन्य कम्पनियों के लिए इसमें अतिरिक्त बजटीय सहायता है। किन्तु वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र के वास्तविक समस्या यह है कि यह क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। यदि ऊर्जा क्षेत्र दूरसंचार की तरह ही वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो तो इस क्षेत्र में भी स्वत: ही निवेश का प्रवाह हो सकता है। किन्तु यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है क्योंकि पारेषण, उप-पारेषण और वितरण क्षेत्र में वास्तव में घाटा हो रहा है,

और हमारे द्वारा इस समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। हमने एक्सी लिरेटिड पॉवर एण्ड रि फार्म डैवलपमेंट प्रोग्राम (एपीआरडीपी) नामक एक कार्यक्रम आरम्भ किया है किन्तु इस बजट में इस कार्यक्रम के लिए वृद्धि केवल नाममात्र की है।

पुनः इस बजट में विद्युतीकरण के सार्वजनिक दायरे को बढ़ाने की बात कही गई है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में शायद 45 प्रतिशत घर आज भी विद्युतीकृत नहीं है। इसलिए, हमें उन्हे विद्युतीकृत करने की आवश्यकता है। किन्तु यदि हम इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित और अधिक विद्युत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये बिना इन गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रयास करते हैं तो उन घरों में बल्ब तो हो सकता है किन्तु बिजली नहीं होगी। हमें उन गांवों में यह पता लगाने के लिए कि कहां बल्ब जल रहा है, शायद मोमबत्तियों का उपयोग करना पड़े। इसलिए, हमें इससे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इसके अलावा, क्षमता में और वृद्धि की भी आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री के रूप में, मैंने ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी, और मेरा सरकार से अनुरोध है यदि सरकार इसे समग्र दृष्टिकोण के साथ लागू कर सके तो इससे इस समस्या के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। यह देश के सामने चुनौती है। इसलिए, हमें इसका समाधान करने की आवश्यकता है।

अवसंरचना के क्षेत्र में दूसरा मुद्दा निजी और सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित है। काफी लम्बे समय से हम पीपीपी के बारे में सुन रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पीपीपी अपने आप में ही एक परियोजना है जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। किन्तु यह आरम्भ नहीं हो पाई है क्योंकि इसके लिए अपेक्षित विनियामक ढांचा जैसे बजट राजसहायता व्यवहार्यता अन्तर का वित्त पोषण एवं अन्य संबंधित मुद्दों का अब तक भी समाधान नहीं हो पाया है।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सामने एक चुनौती है। क्योंकि हमारे केवल दो प्रतिशत छात्र ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जबकि जर्मनी में यह दर 55 प्रतिशत, और चीन में 75 से 80 प्रतिशत है। इसलिए, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हमारे सामने एक चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत रोचक टिप्पणी की गई है। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र यहां वह सीख रहा होता है जो कि उसे दूसरी कक्षा में सीख लेना चाहिए था। इसलिए, हमें अधिक विद्यालयों के माध्यम इसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है और दो लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। एक अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि 50 प्रतिशत शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं किन्तु फिर भी वेतन प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है और बेहतर परिणामों एवं बेहतर गुणवत्तापूर्ण आउटपुट को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक आबंटन करना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, हम अभी भी अपने सुनहरे स्वप्न से बहुत दूर हैं। 2,00,000 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 4000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लगभग 3000 सामुदायिक केन्द्र अभी भी खोले जाने हैं। आज हम स्वास्थ्य पर जीडीपी का लगभग 1.39 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं जबकि लक्ष्य हमेशा ही तीन प्रतिशत रहा है।

महोदय, मैं कतिपय सुझाव देकर अपनी बात पूरी करूंगा। मत्स्यन उद्योग इस देश में लगभग 14 मिलियन रोजगारों को सृजित करता है। परन्तु इस बजट में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वास्तव में, मछुआरों की आय जलवायु परिवर्तनों और मौसम की अनिश्चित परिस्थितियों की वजह से कम होती जा रही है। इसलिए, सरकार को न केवल इस क्षेत्र में और अधिक रोजगारों का सृजन करने का प्रयास करना चाहिए अपितु इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की सुरक्षा का लक्ष्य भी बनाना चाहिए। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा न हो सका।

मेरा दूसरा मुद्दा बागान कार्यक्रम के बारे में है। मुझे यह नोट करते हुए खुशी होती है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में काजू और नारियल बागानों के लिए कतिपय प्रोत्साहनों की घोषणा की है किन्तु इसमें आय के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आम के फल को नारियल और काजू के समकक्ष माना जा सकता है। इसलिए, आम के लिए भी बागान कार्यक्रमों से इसी प्रकार की सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा तीसरा मुद्दा दीर्घकालिक उपाय के रूप में, सरकार ने स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तरों पर और केन्द्रीय स्तर पर सरकारी लेखांकन कैसे होता है इसके विभिन्न पहेलुओं की जांच के लिए एक समूह की स्थापना करनी चाहिए इससे वास्तव में कुछ सामंजस्य आ सके जिससे कि केन्द्र से स्थानीय सरकार को और राज्य स्तर को भेजी जाने वाली धनराशि से प्राप्त किए जाने वाले परिणामों का समुचित मूल्यांकन किया जा सके। यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। हमारे पास उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी से इसे किया जा सकता है। ऐसा करना हमेशा बेहतर रहेगा। इस प्रकार, वित्त मंत्री जी को इसके लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समूह की स्थापना करनी चाहिए।

महोदय, 1857 से 2007 तक हम 150 वर्ष पूरे कर चुके हैं। यह उस महान घटना की 150वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष, हमें ऐसे कार्यक्रमों पर धन खर्च करना चाहिए जो देश की जनता में देशभक्ति की भावना को जागृत करने में सहायक हो। देशभक्ति एक ऐसा साफ्टवेयर है जिसकी देश को जरूरत है। जापान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है क्योंकि उन्होंने उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत किया है। इसलिए, हमें वास्तव में इस पर कार्य करने की आवश्यकता है।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

सहकारिता क्षेत्र पर भी जोर दिये जाने की आवयकता है। किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था में, राज्य को काम करना पड़ता है और निजी क्षेत्र को भी काम करना पड़ता है और इसमें तीसरे क्षेत्र के विकास की भी सम्भावना रहती है जो दोनों के बीच में मध्यवर्ती का कार्य करता है। दुर्भाग्यवश यह बजट इस पहलु पर ध्यान नहीं देता है।

किसी भी देश में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों पर जोर दिया जाना चाहिए। हम अपने पड़ौसी देश में देख रहे हैं। यद्यपि वे बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं फिर भी पर्यावरण की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। वास्तव में उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की अपनी हानि को पूरा करने के लिए भारी भरकम धनराशि खर्च करनी होगी।

महोदय, मैं सोचता हूं, हमें वास्तव में इस पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। जैसे प्रत्येक मंत्रालय में एक वित्तीय सलाहकार होता है उसी तरह सभी मंत्रालयों में एक पर्यावरण सलाहकार होना चाहिए। वास्तव में, आपके निकट बैठे प्रोफेसर सोच मुझसे सहमत होंगे।

आन्तरिक सुरक्षा, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, भी एक चुनौती है। वास्तव में, देश में हुई कुछ दुर्घटनाओं के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे आसूचना नेटवर्क में आमूल चूल बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। मैं आसूचना ब्यूरो का गैर-योजनागत बजट देख रहा था। गत वर्ष बजटीय प्रावधान 416.75 करोड़ रुपये था और इस वर्ष बजटीय प्रावधान 409.43 करोड़ रुपये है। इसका यह अर्थ हुआ कि सूचना एकत्र करने वाली आईबी का बजटीय प्रावधान कम हो गया है और जहां तक पुलिस बल का संबंध है गत वर्ष यह आंकड़ा 13,910 करोड़ रुपये था जो अब इस वर्ष में 29 करोड़ रुपये मामूली सा बढ़ गया है। यह स्थिति तब है जब हम पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और बेहतर सूचना एकत्र करने की बातें करते है। इसलिए, आन्तरिक सुरक्षा पर गम्भीरता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

मेरा अन्तिम मुद्दा बचत से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की बचत दर 32.4 प्रतिशत है। यह बहुत अच्छी बात है किन्तु चीन में शायद यह 50 प्रतिशत के निकट है। इसलिए, सरकार के सम्पूर्ण प्रयास इस ओर होने चाहिए कैसे बचत दर को बढ़ाया जाए। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसे देखने का एक तरीका यह भी है कि कुल घरेलू बचत में से प्रोत्साहन बचत वित्तीय बचत का केवल 11.7 प्रतिशत ही है। इसमें से अधिकतर राशि मूर्त चीजों जैसे मकान खरीदनें, सम्पत्ति और अन्य चीजों को खरीदनें में खर्च होती है। मेरे विचार में ज्यादा बचत राशि जुटाने में वित्त मंत्री जी द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किए जाने चाहिए थे और बेहतर उत्पादकता के लिए अपने निवेश को उपयोग करने में हमारी दक्षता चीन से बेहतर है। मैं सोचता हूं अधिक बचत दर का अर्थ अधिक निवेश है जो वास्तव में मूर्त लाभ देगा। इसलिए, मेरे विचार से वित्त मंत्री जी को इस तरह से प्रयास करने चाहिए।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि हम सभी खुश थे कि अर्थव्यवस्था अच्छी तरह बढ़ रही है तथा वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है तो वित्त मंत्री कतिपय साहसिक उपाय करेंगे ताकि भारत रहने के लिए एक अच्छा स्थान बन जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह बजट ऐसा करने में असफल रहा।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, मुझे आम बजट, 2007-08 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रारंभ में मुझे यह स्वीकर करने दें कि मैं वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं जैसा कि हमारे विद्वान वित्त मंत्री हैं या उनके मंत्रालय में स्थानांतरित होने वाले विशेषज्ञ हैं या फिर इस देश के नेता जो उदारीकरण, वैश्वीकरण के नायक हैं। मैं सामान्य सी बात समझने में भी असमर्थ हूं। बचपन से मैं जानता हूं कि अनुदान दान की तरह होता है तथा ऋण वापस किया जाता है लेकिन जब मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 'निगटिव ग्रांट' को पढ़ता हूं तो मैं यह समझने में अपने आप को असमर्थ पाता हूं कि इसका अर्थ क्या है। अतएव, प्रारंभ में, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मूर्ख की तरह बोलता हूं। लेकिन मैं कतिपय चीजें समझता हूं जैसा कि वित्त मंत्री के भाषण को अंग्रेजी में पढ़ा। देशभर में यह भावना फैली है कि गत दस पंचवर्षीय योजनाओं में, देश का प्रबंधन इस प्रकार किया गया कि यह केन्द्र-केन्द्रित वित्तीय संस्था बन गई है। सभी शक्तियां जो राज्य के पास होनी चाहिए जैस कि सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वित्त जो राज्यों को प्रत्यायोजित की गई हैं, सब केन्द्र के पास आ गई हैं। इस कारण, पिछले साठ वर्षों में सभी राज्य भिखारी बन गए है जबकि केन्द्र सबसे बढ़ा ऋणदाता बन गया है। यह बजट ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है तथा प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि देश के पास श्री पी० चिदम्बरम जैसा चतुर वित्त मंत्री मौजूद है। वे काफी तार्किक व्यक्ति हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह आशा थी कि वे इस बजट में कुछ नया देंगे। हमें नई दिशानिदेश की प्रतीक्षा थी ताकि देश को 21वीं शताब्दी में कुछ नया देखने को मिले तथा उनके अपने राज्य में केन्द्र राज्य संबंध पर आगामी वर्षों में ध्यान दिया जा सके।

लेकिन दुर्भाग्यवश यह बजट इस रूझान को बदलने जैसा कोई संकेत नहीं देता है। जहां तक मैं समझता हूं कि योजना आयोग के पास अधिकार है। इस देश की योजना गरीबी सूचकांक पर होनी चाहिए। इस प्रकार की योजना स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी सामाजिक अवसंरचना के सतत तथा टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगी। हम सभी परिचित हैं कि केन्द्र सरकार के पास इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने

के लिए मुख्य तंत्र के रूप में राज्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। जहां तक वित्त का संबंध है हम सभी जानते हैं कि सभी राज्य दिवालिए की स्थिति में हैं। वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी अनुभव कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक योजना में हम देखते हैं कि केन्द्र केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में राज्यों के वित्त को और शामिल करना चाहता है। अतएव यह प्रश्न दिमाग में उठता है कि क्या यह वजट 25 प्रतिशत या पचास प्रतिशत इक्विटी की समस्या पर ध्यान देता है जिसकी राज्य से आशा की जाती है।

मेरे राज्य में कई खनन कार्य चल रहे हैं। इस बजट में लौह अयस्क के निर्यात पर 300 रु० तथा क्रोम पर 2000 रु० कर लगाया है। जब आप 100 मैट्रिक टन लौह अयस्क खोदते हैं तो 40 प्रतिशत ठेकेदार तथा 60 प्रतिशत उन्नत किस्म का अयस्क मिलता है। मेरे राज्य उड़ीसा में 60 प्रतिशत की यह बड़ी राशि प्रमुख मिर्यात में से एक है। सबसे पहले मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सामान्यत इस देश से तथा विशेषकर मेरे राज्य से मै कच्चे माल के निर्यात का विरोधी हूं। लेकिन दूसरी ओर, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविकता देख रहा हूं। 1 मार्च से कई खनन कंपंनियां ने काम लगभग रोक दिया है। क्योंकि उन्नत किस्म के अयस्क भण्डारण इतनी जगह लेते हैं कि आगे खनन करना लगभग असंभव है। अतएव, जब आप कर लगाते हैं तो आप को मालूम होना चाहिए कि उन्मत किस्म का अयस्क ठेकेदार अयस्क से अलग होता है। आप उन्नत किस्म के अयस्क का क्या करते है? क्या अपने अनुसंधान तथा विकास में इतना निदेश किया है कि देश के स्थानीय उद्योग इन 'फाइन्स' का उपयोग 'इन्वर्टस' बनाने में कर सकें? आपने ऐसा नहीं किया है। आप किसी बड़ी कंपनी को लें, टाटा, बिड़ला या जिन्दल, ये सभी इन 'फाइन्स' को निर्यात करते हैं लेकिन वे अपने किसी इस्पात संयंत्र में इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतएव, इस देश को वास्तव में अनुसंधान तथा विकास पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि नए संयंत्र इन 'फाइन्स' का उपयोग कर सके तथा हम इनका निर्यात बन्द कर सकें। लेकिन तब तक एक संतुलन का पता लगाना होगा। हमे आंखे मूंद कर हुडा समिति की सिफारिशों को नहीं मान लेना चाहिए। हम इसे 'लंप्स' के निर्यात पर अपना सकते हैं। लेकिन जहां तक 'फाइन्स' की बात है हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा कि घरेलू मांग क्या है तथा हम यह कर लगाएं या नहीं। यह इसलिए क्योंकि यह कर लगाकर आप बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। 2000-05 के बीच भारत में कुल लौह आयस्क खनन 524 मिलियन टन था। यह काफी रोचक है कि इस बीच खोजे गए भंगर बढ़कर 3100 मिलियन टन तक जा पहुंचे।

होता यह है कि जब कोई खान होती है तो वे उसमें 10 मिलियन टन अयस्क बताते है। लेकिन जब आप खनन शुरू करते हैं तब आपको इसमें 10 मिलियन टन से ज्यादा 20 से 30 मिलियन टन अयस्क का पता चलता है। अतएव हमारे भंडार रिकार्ड पर पाए जाते हैं तथा सरकार के रिकार्ड में भी इन रिजर्व बढ़ता गया है। अतएव, इस उपयोग की सहायता के लिए, केवल खान कंपनियों के लिए नहीं वरन उन हजारों लोगों के लिए, ट्रक आपरेटरों, ड्राइवरों, क्लीनरो, ट्रेनों में लोडिंग करने वाले तथा सरकारी पत्तनों पर कार्य करने वाले सभी लोगों को शामिल करना होगा क्योंकि वे हाथ जोड़कर खड़े है तथा यह नहीं जानते हैं कि क्या करें। महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार के कार्यकाल के मध्य में जो नवम्बर, 2006 था, सकल घरेलू उत्पाद 2004-05 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी किया। उसी हिसाब से आप यह मानते हैं कि दसवीं योजना में अनुमानित औसत कृषि वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रही जबकि आप इसे बेहतर मानते यदि यह 4 प्रतिशत होती। यह नोट करते हुए आश्चर्य होता है कि माननीय मंत्री को कृषि की इतनी चिन्ता है लेकिन यह चिन्ता उनके बजट भाषण में नहीं दिखलाई दी। एक तरफ ए आई बी पी में निवेश 7,121 करोड़ रु० से बढ़कर 11,000 करोड़ रु० हो गए है, इसे यह समझना होगा कि सामान्य किसान के लिए यह त्वरित सिंचाई कार्यक्रम का क्या अर्थ है। इसका मतलब है और ज्यादा किसानों को और ज्यादा पानी। लेकिन 7000 करोड़ रुपए से 11,000 करोड़ रुपए की राशि का आंकड़ा दर्शाता है कि माननीय मंत्री ने केवल मुद्रास्फीति रूझान पर ध्यान दिया है। इसका मतलब है कि वास्तव में, आप और ज्यादा निवेश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा दूसरी ओर, एक खतरनाक वक्तव्य इस सभा में दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि अधिकांश भारतीयों के पास बहुत छोटी जोत हैं अतएव तीव्र औद्योगीकरण इस देश के लिए एकमात्र रास्ता बचता है। हमें यह देखना होगा कि हम किनकी सेवा में है आम आदमी क्या यह बड़ा उद्योगपति है या यह आम किसान है? हम आम किसान को वित्तपोषण नहीं कर पा रहे हैं तथा दूसरी और देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि छोटी जोत अर्थश्रम नहीं है। आप औद्योगीकरण के बारे में सोचते है। क्या यह देश केवल सेवाओं के लिए जाना जाएगा या हम ऐसे देश के रूप में कल्पना को सकते हैं जो आगे आनेवाले वर्षों में विश्व के लिए अन्न का कटोरा (फूड बास्केट) होगा? यह काफी गंभीर मामला है जिस पर हम सब तथा आपको जो ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं को इसके बारे में सोचना होगा।

महोदय, जैसा कि मैंने राज्यों तथा केन्द्र के बारे में कहा हैं, सर्वशिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के केवल एक भाग को पूरा कर रहा है। यह उच्च विद्यालय या उसके ऊपर नहीं स्पर्श कर रहा है। यह केवल माध्यमिक विद्यालयों तथा उनसे नीचे के हिस्से को स्पर्श कर रहा है। पहले आपने 8,000 करोड़ रु० उसके लिए विनिर्दिष्ट किए थे तथा आज आपने इसे बढ़कर 10,671 करोड़ रु० कर दिया है। यह फिर

[श्री तथागत सत्पथी]

मुद्रास्फीति के रूझान को संभालने वाली बात है। उसी प्रकार आप कहते हैं कि राज्यों को इसका 50 प्रतिशत भाग देना होगा। तब आप जानते हैं कि राज्यों को कुछ सौ या कुछ हजार करोड़ रु० दे रहे होंगे तथा कोई भी राज्य अपनी तरफ से 50 प्रतिशत का हिस्सा नहीं दे पाएगा। अतएव आपको यू०सी० नहीं मिलेगा जिसका अर्थ होगा कि कोई परियोजना पूरी नहीं होगी तथा आपका पैसा आपके पास रह जाएगा। मेरा प्रश्न यह है। मंत्री जी इतने करोड़ रु० आप अपनी तिजोरी में रखकर क्या करेंगे यदि जमीनी स्तर पर वास्तव में कोई विकास कार्य नहीं होता है?

स्वास्थ्य के विषय में, मंत्री जी ने दो विशिष्ट बीमारियों का उल्लेख किया-एक एच आई वी, एड्स तथा दूसरी पल्स पोलियो कार्यक्रम। एड्स जैसा कि हम जानते हैं कई गैर सरकारी संगठनों का प्रिय मुद्दा है तथा संयुक्त राष्ट्र आधारित संगठन इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तथा इस देश में करोड़ों रुपये आ रहे है।

मै एक बात से अचंभित हूं इन विदेशी वित्तपोषित संगठनों के लिए एड्स को लेकर इतनी आतुरता क्यों है? उसी प्रकार, मैं कहूंगा कि यह सभा उन सभी महिलाओं तथा पुरुषों का अभिनन्दन को जो इस देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम में शामिल हैं। मेरी राय में, वर्तमान समय में, यह उन विलक्षण कार्यक्रमों में से एक है जहां इस कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं तथा पुरुष वास्तव में घर-घर जाकर बच्चे को ढूंढ़ती हैं जो औपचारिक कार्यक्रम से वंचित रह गयी हों। मैं समझता हूं कि यह आपके आंकड़ो की तुलना में और अधिक व्यापक कार्यक्रम रहा है। इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। परन्तु साथ ही साथ, मै मंत्री जी का आभारी रहूंगा यदि वह इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें कि भारत में यक्ष्मा, जलजनित रोग जैसे पीलिया गेस्ट्रोएन्टेरिटिस, हेपेटाइटिस-बी सहित ब्रेन मलेरिया, कुष्ठ रोग, मधुमेह जैसे रोगों पर जिनकी वजह से काफी लोगों को जान गवांनी पड़ रही है, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया है। हम अपना ध्यान इन पर केन्द्रित क्यों नहीं कर रहे हैं।

अन्य प्रस्तावों में, माननीय मंत्री महोदय ने शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों हेतु रोजगार सुविधाओं की बात की है। *(व्यवधान)*

मैं दो अथवा तीन बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। अब मैं शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों हेतु रोजगार की चर्चा करूंगा। जब आप यह उम्मीद करतें हैं कि शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा से बाहर जाकर काम करना शुरू करे तो आप यह आशा करते हैं कि उन्हें 25,000 रुपये की मासिक आय प्राप्त होगी। आपके पास एक चीज होनी चाहिए थी चाहे यह मासिक आय हो अथवा वार्षिक आय *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : यह 25,000 रुपये तक है।

श्री तथागत सत्पथी : आप कहते हैं कि यह 25,000 रुपये तक है। बिल्कुल ठीक। मुझे खेद है। जब आप कहतें है कि यह 25,000 रुपये तक है तो यह आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि आप यह सुनिश्चित करें कि उन्हे यह आय प्राप्त हो। आप इन लोगों से बाहर जाकर नौकरी करने की उम्मीद, कैसे करते हैं? हमारे रेलवे स्टेशनों, विमान पत्तनों-हमारी सड़कों के पास यहां तक कि साइडवाक्स नहीं है - शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शौचालय नहीं है। हमारे स्टेशन ऐसे हैं कि स्वस्थ शरीरवाला व्यक्ति भी एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर सामान ले जाने में थक जाता है। हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में से कोई भी संस्था विकलांग लोगों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं देती है। हम इसको इस प्रकार से लें। यहां पी०सी० का अर्थ क्या है। इसका अर्थ पी० चिदम्बरम साहब नहीं है। बल्कि इसका अर्थ "राजनीतिक रूप से सही" है। इसलिए वर्तमान बजट में, आपने एक लाख विकलांग लोगों को इस योग्य बनाने हेतु 1008 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। वे ऐसा करने में कैसे सक्षम होंगे? इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

अन्य प्रस्तावों में, आपके पास भी उत्कृष्ट संस्थाएं हैं। हम काफी प्रसन्न हैं कि तमिलनाडु स्थित कोमंबटूर कृषि विश्व विद्यालय और उत्तर प्रदेश में पंत नगर आपके उदार दान के लाभार्थी रहे हैं। परन्तु मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शुष्क भूमि कृषि के क्षेत्र में जनसेवा करता रहा है। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के मानचित्र में उड़ीसा है ही नहीं। इस प्रकार हम पूरी तरह नजर अंदाज कर दिए गए हैं।

कर प्रस्तावों में, खण्ड 157 आपके सर्वाधिक बुरे निर्णयों में से एक है। क्या आप भारत को वास्तव में एक "औषधि परीक्षण हेतु अनुकूल गन्तव्य" बनाना चाहते है? मैं इस मुद्दे पर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। आपने नई औषधियों के नैदानिक परीक्षणों हेतु सेवा कर में छूट दी है। अमरीका अथवा पश्चिमी यूरोप अथवा यहां तक कि थाइलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में औषधि परीक्षण पर रोक है। वे कहते हैं कि यदि आप किसी औषधि का परीक्षण करना चाहते हैं तो यह बात मरीज को बतानी होगी, उसके परिवार के सदस्यों को बतानी होगी तथा आपको मरीज अथवा उसके परिवार के किसी सक्षम सदस्य द्वारा एक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाना होगा जिस पर लिखा होगा: "हां, मै सहमत हूं यदि कतिपय दवा का उस मरीज पर परीक्षण किया जाता है।"

लेकिन भारत में, आप उन्हें सेवा कर से छूट देकर उन्हें गुप्त परीक्षण करने में समर्थ बना रहें हैं। यह बात इस देश के प्रत्येक

सही सोच वाले व्यक्ति के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्तवा को शीघ्र वापस लें तथा यह बताएं कि यह निकर्षण पोतों को छूट देने और अवसंरचना निर्माण में कर रियायत संबंधी दूसरे प्रस्ताव से मेल नहीं खाता है जिसका जिक्र धारा 165 और धारा 133 में किया गया है क्योंकि इसका संबंध सेतु समुद्रम परियोजना से है जिसका इस बजट में जिक्र है।

जहां तक लिंग आधारित बजट का प्रश्न है, अब महिला निर्धारितियों को 1,45,000 रुपये का कर सीमा मिली है जिसमें उन्हें करीब मात्र 1000 रुपये का वार्षिक लाभ दिया गया है। क्या यह प्रोत्साहन है। क्या यह वास्तव में लिंग आधारित है। क्या आप अपने घर से बाहर निकलकर काम करनेवाली महिलाओं का ईमानदारी पूर्वक ध्यान रखते हैं। यदि ऐसा है तो मैं सुझाव दूंगा कि आज के विश्व में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये सामान्य वेतन है और इसलिए आपको महिलाओं के लिए पांच लाख रुपये और उससे अधिक की कर सीमा रखनी चाहिए। इससे कम रखना लोगों को धोखा देना है।

अंततः मैं काफी प्रसन्न हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने हमारे एक प्रतिष्ठित स्व० प्रधानमंत्री के नाम पर पेयजल परियोजना का नाम रखा है। मेरा कहना यह है कि इस पैराग्राफ के ठीक नीचे एक छोटा पैराग्राफ है जिसमें स्वच्छता परियोजना का जिक्र है। मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके नाम पर इस परियोजना का नाम रखा जाए? यदि है, तो वित्त मंत्री जी ऐसा कदम उठाएं तो यह यह देश के हित में होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को स्वस्थ आदतें सिखायी जाए - तथा इस परियोजना का नाम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर रखें जो कांग्रेस पार्टी को पिछले 45 से 50 वर्षों तक बार-बार सत्ता में लाया हो।

[हिन्दी]

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, बजट से जनसामान्य का जुड़ाव है, देश की प्रगति और विकास की दिशा तय करने वाला यह बजट है और निश्चित रूप से इस दिशा को हम कहां तक आगे बढ़ा पाए हैं, यह देखने वाली बात है। हम जानना चाहेंगे कि हमारी जो आदर्श व्यवस्था है, उसको हमने कितना प्राप्त किया और सब वर्गों पर कितना ध्यान दिया गया है। हमारी आदर्श व्यवस्था में कहा गया है कि:

> "न राज्यं न च राजासीत, न दण्डो न च दण्डिका।
> धर्मण्येव प्रजा सर्वे, रक्षति स्म परस्परं।"

अर्थात्, न कोई राजा होगा, न किसी पर राज्य किया जाएगा, न कोई दंड देने वाला होगा, न कोई दंड पाएगा, हम एक दूसरे की परस्पर संरक्षा और सुरक्षा करेंगे और उससे समाज आगे बढ़ता जाए यह हमारी भारतीय अवधारणा और कल्पना है, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। किन्तु मर्ज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। मर्ज़ ठीक क्यों न हुआ? इसलिए भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश के बजट के बारे में हम सोचते हैं तो अलग-अलग आयामों से हमें उसे देखना होगा। इस बजट के साथ देश का स्वावलंबन और स्वाभिमान भी जुड़ा है।

हमने प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार देने की बात कही है। कृषि क्षेत्र में हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिले, ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। इस दृष्टि से सबके लिए समान रूप से शिक्षा होनी चाहिए। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो एक की शिक्षा तो शिक्षा है और दूसरे की शिक्षा भिक्षा की तरह से है, बाध्यता की तरह से है, विवशता की तरह से है। यह जो शिक्षा में अंतर हो रहा है इसी कारण एक तरफ भारत रह गया है और दूसरी तरफ इंडिया हो गया है। यह हमारा भारत है। यह आम आदमी का भारत है और इसलिए यह अहसास हम आदमी को होना चाहिए कि मैं इस देश का अभिन्न अंग हूं और मेरी भी चिन्ता की जा रही है। हमने अपने भारत के संविधान के प्रियैम्बल में भी कहा है:

[अनुवाद]

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
>
> सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, .."

[हिन्दी]

यहां जो कहा है, उसका क्या हुआ? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध सम्पन्न राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, जिसमें सब के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं, यह क्यों नहीं हो रहा है? इसमें अंतर क्यों बढ़ता चला जा रहा है? हम जो पैसा योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, उसका लाभ हर व्यक्ति को क्यों नहीं मिल रहा है? यहां से पैसा बढ़ाने की बात हो गई, बहुत अच्छी बात है, हम हर साल बढ़ाते हैं और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आदि बातें हो रही हैं, जो आगे बढ़ने का काम हो रहा है, उसके कारण खर्चा तो बढ़ेगा। कल मैं मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के एक गांव में था और वहां कुछ लोगों से छोटी सी सभा में बात कर रहा था। एक व्यक्ति ने मुझ से कहा कि 16 रुपए किलो का आटा उस गांव में मिलता था, जिसकी आबादी ढाई हजार है और जो अभी तक किसी योजना से सड़क से नहीं जुड़ा है। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना वहां

[डा० सत्यनारायण जटिया]

तक जानी चाहिए, परन्तु अभी तक वहां पहुंची नहीं है। वह आदमी मुझ से पूछ रहा था कि 16 रुपय किलो आटा हमने खाया है। हमारी मुश्किल यह है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, क्योंकि मेरे यहां आपकी रोजगार गारंटी योजना नहीं पहुंची है, जब पहुंचेगी, तब पहुंचेगी। उस आदमी के प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं था। राजनीति में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से वह पूछ सकता है, क्योंकि वह समझता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें उसकी बात का जवाब देना चाहिए, परन्तु हम उसे क्या जवाब दें। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। हम जब शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हर बच्चे को शिक्षा, एक शिक्षक के पीछे पच्चीस-पचास-सौ बच्चे, अभी सब के लिए स्कूल नहीं बने हैं और यदि सकूल बन गए हैं तो उनके लिए पीने के पानी का प्रबंध ठीक से नहीं है। हमने खाने के लिए भोजन की व्यवस्था की है, परन्तु वह भोजन ठीक प्रकार से बन रहा है, बंट रहा है, उसके वर्तन ठीक हैं, जिसमें वह दिया जा रहा है। इन सारी बातों का करना, एक सिस्टम बनाना, जिसे हम एक साथ लागू करना चाहते है। हमें एक औसत स्तर बनाना होगा, जिसमें कि हम यह कह सकें कि हां, हम ये कर रहे हैं, यदि वह सुविधा सम्पन्न हैं तो उसकी शिक्षा के पीछे खर्च करने के लिए हर महीने दो-पांच-दस हजार रुपए, जिसकी जैसी क्षमता हो, वैसा हो। जो पढ़ा-लिखा आदमी है, उसका बच्चा पढ़ कर वही बनेगा जो उसके परिवार में लोग बने हुए हैं। गरीब का बच्चा पढ़ कर कैसे आगे बढ़ेगा, यह हमारी चिन्ता का विषय है। इसलिए उसे भी हम एक स्तर तक आगे बढ़ाने का काम कर सकें, ऐसा करने के लिए एक साथ विचार करना चाहिए। शिक्षा का, विकित्सा का एक स्तर लाना चाहिए। विकित्सा के लिए एक पैरासिटामोल और क्रोसिन के कारण बुखार में आदमी पड़ा हुआ है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। एक समय था, जब राजनारायण जी थे, उस वक्त हमने स्वास्थ्य रक्षक जैसी योजना बनाई थी और उसमें कुछ होता था। आज आदमी के रहने के लिए घर नहीं है। उसकी झौंपड़ी है, लेकिन उसमें सुरक्षा नहीं है। उसके ऊपर फूंस डला है, वह वर्षा में भीग रहा है। वहां मुझे एक आदमी रोक रहा था, वह कह रहा था कि मेरी बात सुनो। इन सारी बातों को करने के लिए वह भारत तो है हमारा। वह भी हिन्दुस्तानी है। एक हिन्दुस्तान हम दिल्ली में राजपथ पर देख रहे हैं और एक हिन्दुस्तान हम गांव की गलियों में देख रहे हैं। एक हिन्दुस्तान वह है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जहां अभी एक व्यक्ति भूखा उठा है और वह सोएगा भी भूखा, ये सारी कठिनाईयां हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? इसलिए मेरा कहना है कि इन सारी बातों को एक स्तर तक लाने के लिए, उसकी अगर प्यास बुझानी है तो उसके लिए शुद्ध पानी चाहिए। बिसलरी का पानी ठीक है, परन्तु उसे भी गांव के किसी कुएं या तालाब से पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, ऐसा हम आश्वस्त कर सकते हैं, परन्तु जितना अलॉटमेंट किया है, उससे यह सब काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां पीने के पानी का अभाव है। आजादी के 60 साल हो गए, और भी हो जाएंगे। हमें यह कहना होगा कि हम सब के लिए पीने के पानी का प्रबंध करने वाले हैं। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी चीज है। फिर हम सबके लिए आवास देने वाले हैं। 20 हजार रुपए इंदिरा आवास योजना के तहत दिए जाते हैं। इनमें क्या बनता है। 10X6, 10X8 या बड़ा कमरा हुआ तो 10X12 फीट का होगा। हम कहते हैं कि हमें उसे निर्मल बनाना है। उसमें शौचालय बनाना है। यह कैसे हो पाएगा? मैंने उसी गांव में पूछा कि कुल परिवारों में से कितने लोगों के पास रसोई गैस है। मुझे बताया गया कि गांव में कुल 500 परिवार हैं जिनमें से केवल 15 के पास रसोई गैस के कनैक्शन हैं। कुल मिलाकर 485 परिवार तो अभी भी ऐसे हैं जो लकड़ी या कंडे से चूल्हा जलाकर रोटी बनाते हैं। जो अनहाईजेनिक माहौल में खाना बनाते हैं। ऐसे माहौल में खाना बनाने वाली तो महिलाएं ही हैं। आखिर महिलाओं को ही कठिन परिस्थितियों में भोजन बनाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। यदि हम उस आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसे हम लोकतंत्र कहें, तो यह गौरवपूर्ण नहीं होगा।

महोदय, इन सारी बातों पर ध्यान देने के लिए हम अंतिम व्यक्ति से शुरू करें। जिसे स्वास्थ्य की जरूरत है, जिसे आवास की ज़ुरूरत है, जिसे चिकित्सा की जरूरत है, जिसे पीने के पानी की जरूरत है। ये सारी आम आदमी की जीने की जरूरतें हैं, जिनका प्रावधान करें। संत रविदास जी ने कहा है-

> 'ऐसो चाहूं राज मैं मिले सबन को अन्न
> छोट-बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न।'

रविदास जी ने कहा था कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सबको खाना मिला। आज हम भी यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा राज्य हो जिसमें छोटे-बड़े सब समान रूप से रहें। हम भी यही चाहते हैं कि जाति-पांति का भेद समाप्त होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारा समाज बंट रहा है। हम कितनी ही संस्कृति की बात करें, हम कितनी ही सभ्यता की बात करें, लेकिन आज स्थिति यह है कि आदमी बंटा हुआ है। उसे रोकने का उपाय कौन करेगा? उपाय भी संत रविदास जी ने बताया है और कहा है कि-

> 'आतपांत के फेर में उलझ रहे सब लोग मानुषता को
> खात का कहे भाई रविदास आत काहें सब लोग।'

आज तो वह और भी गहरा होता जा रहा है और उसके ऊपर यदि सियासत का रंग चढ़ जाए, तो उसे दिशा देने वाला कोई नहीं होता। ऐसी सारी स्थिति में भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवेश को सुधारने वाला बजट हो और उसकी दिशा तय हो, तो यह शुभ होगा। आज स्थिति यह है कि आवास में असुरक्षा है, शिक्षा में उच्च-निम्न का अन्तर है, चिकित्सा में अन्तर है। एक को चिकित्सा की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, तो दूसरे को बिल्कुल नहीं है। एक पैदल चल रहा है, दूसरे के पास साईकल है। किसी के पास मोटरसाईकल है, तो किसी के पास कार है और किसी के पास हवाई जहाज है। अब पैदल चलने वाले से लेकर हवाई जहाज में चलने वाले तक जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वे बहुत ज्यादा हैं। एक आदर्श समाज में 1 और 20 की कल्पना की गई थी। इससे ज्यायदा अन्तर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस अन्तर की खाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है।

अपराह्न 4.03 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, आज ग्लोबलाईजेशन के कारण हम ऊपर वाले को नीचे नहीं ला सकते, लेकिन नीचे वाले को ऊपर उठा सकते हैं। आप फ्री फ्लो ऑफ कैपीटलाईजेशन हो गया है। हमारे इतने बड़े देश में स्किल है। हम अपने देश के कौशल को आगे जे जाने और बाहर ले जाने का मौका दे सकते हैं। हमारे देश में 1896 में आई०टी०आई० हैं जिनमें से आपने वर्ष 2005-06 के बजट में 500 आई०टी०आई० को ऊपर उठाने की बात कही थी। आपने कहा था कि बिना ब्याज के ऋण देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को दिया गया? 500 आई०टी०आई० में से आपने 200 आई०टी०आई० को ही अपग्रेड किया है। बाकी आई०टी०आई० को आप वर्ष 2009 तक अपग्रेड कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप समाज के नीचे के तबके को ऊपर लाना चाहते हैं, तो आई०टी०आई० के प्रशिक्षण के स्तर को ऊपर उठाना होगा, उनमें आधुनिक विषयों को लेकर आना होगा। अभी देखते हैं तो वही पुराने वर्नैकुलर और कैलीपस नजर आते हैं। उन सारी बातों और सारी चीजों की आज कोई उपयोगिता नहीं है। कम्प्यूटर भी यदि कहीं गलती से आ गया है, लेकिन ऐसा आया है, जिसका कोई औचित्य वहां नहीं है। इस तरह की चीजों के अपग्रडेशन करने का काम होना चाहिए। एक आदमी जो सम्पन्न है, वह इंजीनियरिंग, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा ले रहा है अथवा अंतरिक्ष की बात कर रहा है, लेकिन गांव का एक औसत आदमी जो बमुश्किल से अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक कर पाता है। आपने ड्रॉप-आउट की बात की, लेकिन उसे रोकने के लिए आप कितनी स्कॉलरशिप देने वाले हैं और उससे कितने लोग आगे बढ़ने वाले हैं? यह बहुत अच्छी बात है कि इस बारे में आपने पहल की है, किन्तु इन सारी बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमें जितना प्रयास करना चाहिए, क्या उतना प्रयास हो रहा है? गांवों में जहां गांव का औसत आदमी रहता है, जहां एक कक्षा में 100 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ऐसी जगह पर निश्चित रूप से नये आईटीआई खोलने की आवश्यकता है। 1896 आईटीआई हैं, उनको एक ही बार में अपग्रेड करना चाहिए। यदि 4000 आईटीआई खोले जाते हैं तो निश्चित रूप से हर विकास खण्ड में आईटीआई हो जाएंगे। इससे उस औसत आदमी का हम कल्याण कर सकते हैं, उसे विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर सकते हैं।

महोदय, अभी भविष्य निधि की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछली 8 तारीख को भविष्य निधि बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें 4 करोड़ से अधिक सदस्यों के ब्याज दर सम्बन्धी मुद्दे को अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे टालने की क्या जरूरत है? इसके अलावा श्रमिक संघों का वर्ष 2006-07 के पि 8 प्रतिशत और वर्ष 2008-08 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर का सुझाव खारिज कर दिया गया है। आज बैंक 9 और 9.5 प्रतिशत ब्याज अपने यहां जमा राशि पर दे रहे हैं, लेकिन हम उनको 8 या 8.25 प्रतिशत देने की बात कह रहे हैं। चूंकि बैंकों में भी ब्याज की दर ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में शीघ्र फैसला करके, बैंकों की ब्याज दर के अनुरूप उन्हें भविष्य निधि पर ब्याज देने का काम करें।

महोदय, छठे वेतन आयोग से संबंधित प्रश्न करते समय मैंने आपसे अंतरिम राहत के बारे में पूछा था। चूंकि पहले भी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जाती रही है, लेकिम आपने कहा है कि हमने इसे टर्म्स एण्ड कण्डीशन में डाल दिया है। इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अंतरिम राहत देने के निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार-विमर्श करके अंतरिम राहत देने का कमा करें।

महोदय, आज ही संसद मार्ग पर यूनाईटड फॉरम ऑफ बैंक यूनियन्स का प्रदर्शन था, जिसमें वे मांग कर रहे थे कि पैंशन के दूसरे विकल्प को खुला रखना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त यह सब हो रहा था, उस समय बैंकों की हड़ताल थी, जिस वजह से इस ऑप्शन का वह उपयोग नहीं कर पाए। इसके अलावा उनका कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर आश्रितों की भर्ती होनी चाहिए, आउटसोर्सिंग को रोका जाना चाहिए। छोट-छोटे कामों का आउटसोर्सिंग करने का मतलब बैंक एफिशियंसी को कम करना है, कर्मचारियों के उत्साह को कम करना है। इसलिए इस आउटसोर्सिंग को बंद किया जाना चाहिए। सफाई के काम का आउटसोर्सिंग करके, सफाई वाले को 500-1000 रुपये देकर उसका मजाक करते हैं। मैं जब संसदीय समिति की मीटिंग में गया

[डा० सत्यनारायण जटिया]

था तो मैंने कहा था कि आप इनको 500-1000 रुपये देकर के इनका क्या भला करने वाले हैं? क्योंकि इससे उसका भला होने वाला नहीं है। आप उसे पूरे समय के लिए रखिए और सफाई का काम तो ऐसा है जो पूरे दिन के लिए हो सकता है। इसके अलावा आप उसे सम्मानजनक मिनीमम वेजिज देने का काम कर सकते हैं।

महोदय, बड़े-बड़े मॉल्स खुल गए हैं, जिनमें सभी रोज़मर्रा की चीजों को बेचा जा रहा है। गरीब आदमी जो अपने ठेले पर जरूरत का सामान गली-गली बेचकर अपना गुजारा करता था, रोजगार पाने का काम करता था, उस रोजगार को बड़े मॉल्स ने हज़म कर लिया है। गली-गली सब्जी और रोजमर्रा की चीजें बेचने वाले का, उस गली में चलने वो का, जिसकी रोजी-रोटी इसी पर निर्भर थी, बड़े मॉल खुल जाने के कारण कमाल हो गया और वह बेहाल हो गया। इसलिए मेरा कहना है कि पटरी पर बैठने वाले, खोमचे लगाकर काम करने वाले, जो हुनर करते हैं, मैं ज़रूर गरीब की बात बोल रहा हूं और आप गरीबों के अच्छे समर्थक हैं, इसलिए निश्चित रूप से मेरी बात को सुना जायेगा। मैं जो कह रहा हूं, वह आम आदमी की बात कर रहा हूं और यहां सब आम आदमी की ही बात करते हैं, परन्तु कितना हो पाता है, यह हमारी कोशिश है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि जो हुनरमंद लोग हैं, जो कौशल के जानकार हैं, ऐसे मेहनतकशों का गुजारा अब मुश्किल हो गया और कोशिश यह होनी चाहिए कि इनको राहत मिले, इसलिए इन सारी बातों को कहने के लिए,

कहा तो था, खुशहाली लाएंगे, देश भर के लिए,
अफसोस अब रोटी भी मयस्सर नहीं है, मेहनतकश के लिए।

इसलिए मेहनतकश के बारे में चिन्ता करने की जरूरत है, जिसके बारे में सब की चिन्ता होनी चाहिए। बाकी की बातों में जैसे कहा गया है कि आपकी जो जी०डी०पी० है, इसमें एग्रीकल्चर का जितना हिस्सा है, उसमें काम करने वाले 65 प्रतिशत लोग हैं, परन्तु जी०डी०पी० में हिस्सा तो पिछले समय जितना था, उससे कम हो गया, अब 18.5 प्रतिशत है। उसी प्रकार इण्डस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 15 प्रतिशत लोग काम करते होंगे और उनका हिस्सा 25 प्रतिशत हुआ है, जिसकी कि हमने सब प्रकार की मदद की है। इसी प्रकार से सर्विस सैक्टर में 57 प्रतिशत है, जिसमें 20 प्रतिशत काम करते होंगे। मेरा कहना है कि जितने लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, उसी अनुपात में यदि उनको ठीक प्रकार की मदद करने का काम हो, उनकी इरींगेशन के बारे जैसा आपने कहा है कि इरींगेशन के बारे में हमने कुछ बढ़ाया, किन्तु जितना बढ़ाया है, वह तो डेढ़ प्रतिशत भी नहीं होता है। रासायनिक खाद के बारे में अभी तक कोई नीति तय नहीं की है। पिछले वक्त रबी के सीजन में लोगों की रासायनिक खाद की जितनी मांग थी, उसके कारण से लोगों में जितनी असुविधा की बात थी, हमारे देश के सारे कारखाने जो रासायनिक खाद बनाते होंगे, वे बन्द क्यों हो रहे हैं, इसलिए हम विदेशों से आयात करें, फिर आने के बाद यहां अनिश्चितता बन जाये, अब खरीफ की फसल आने वाली है, उसमें रासायनिक खाद की भी जितनी जरूरत हमारी है, उसके पहले से आकलन करके निश्चित रूप से उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। इन सारी बातों को कहते हुए, जैसे कि अभी एक एनेलिसिस आया है और उस एनेलिसिस में सोशल सैक्टर के बारे में एक बात कही है। सोशल सैक्टर की स्थिति यह है कि 12 मार्च के बिजनेस वर्ल्ड के पेज 38 पर जो एनेलिसिस है, इसमें लता विष्णु ने लिखा है कि:

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र पर व्यय दयनीय रूप से मात्र छः प्रतिशत है जिसमें शिक्षा पर यह व्यय 2.87 प्रतिशत और स्वास्थ्य क्षेत्र पर इससे भी कम 1.39 प्रतिशत है जो वैश्विक औसत से काफी कम है। यह स्थिति है। क्या वर्ष 2004 से कोई चीज बदली है जब मनमोहन सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया था और देश चलाने के तरीके में परिवर्तन लाने का वादा किया था? वस्तुतः नहीं।

[हिन्दी]

यह कहा गया था कि अभी तक जैसा कुछ हो गया है, उसमें हम बदलाव लाएंगे। यह होता ही है, हर नई सरकार आती है तो वह कृषि के बारे में ऐसा ही कुछ बोलती है, परन्तु उसमें बदलाव क्या आया है, ऐसा लगता है कि लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया नहीं है। लेकिन स्थिति वैसी ही है और उसमें बदलाव लाने की अगर कोशिश है तो उसका असर लोगों में दिखाई देना चाहिए।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है कि मुख्य मानदंडों यथा प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला, विद्यालय छोड़ने की दर, बाल कुपोषण, मातृ-स्वास्थ्यचर्या पर उपलब्ध रिपोर्ट निराशाजनक और शर्मिन्दा करने वाली है। बाल कुपोषण का मामला लें। यूनीसेफ के हाल के एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि तीन वर्ष से कम उम्र के 46 प्रतिशत भारतीय बच्चे कुपोषण का शिकार है। यह स्थिति उप-सहारा अफ्रीका से भी बदतर है जहां यह आंकड़ा 35 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

अगर हम दुनिया की तुलना करेंगे तो हम कहां खड़े हैं और आखिर हम दुनिया में तो हैं और अगर इस दुनिया में हैं तो निश्चित रूप से हमको इन सारी बातों की चिन्ता लेनी होगी और इसलिए हम जानते हैं कि जिसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है:

यस्यासित वित्तं स नर कुलीन, स बुद्धिमान न गुणज्ञ।
स एव वक्ता, स च दर्शनीय, सर्वेगुणा कांचनं, आश्रयन्ति।

अर्थात् जिसके पास वित्त है, वह बुद्धिमान कहलाता है, वह गुणवान भी हो जाता है, वह वक्ता होता है और वह सुन्दर है, क्योंकि जहां धन आया, वहीं सब गुण समाया है। इसलिए आप वित्त मंत्री हैं, आपके बारे में सब ने अच्छा-अच्छा कहा है, लेकिन मेरा भी यह जो कहना है, इसकी तरफ भी ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे देश को बनाने का काम कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर विकास की दृष्टि से जो बाकी की बातें करनी चाहिए और विकास होना चाहिए, वह सब के लिए होना चाहिए।

निश्चित रूप से मैं सोशल सैक्टर की बात करता था और सोशल सैक्टर एण्ड सोशल जस्टिस की बात करता हूं। आपने कहा है कि एक लाख विकलांग लोगों को हम कुछ सहायता देकर मदद करने वाले हैं और उसका जो प्रोवीडेंड फंड है, उसको हम जमा कराएंगे, इस तरह एक लाख लोगों की हम सहायता करने वाले हैं। विकलांगों की देश में इतनी बड़ी संख्या है कि हिन्दुस्तान की आबादी के तीन परसेंट विकलांग लोग है और एक लाख रोजगार देने वाला कोई ऐसा कारखानेदार होगा, जो कि प्रोविडेंड फंड के नाम पर लोगों की भर्ती कर लेगा? अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। आपका इनीशिएटिव ठीक है, आपने सोचा है कि ऐसा हो जाएगा, पर इससे क्या होता है? अगर ऐसा नहीं होता है, तो कैसा होना चाहिए, जिससे उसे कारगर मदद उसे मिल सके। मेरे यहां एक ईसाई अस्पताल है, जिसको बंद करने की तैयारी चल रही है, कृपया उस पर ध्यान देने की कृपा करें। हमारे यहां आकाशवाणी सेवा अब तक खुल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं खुल पायी है। जवाहर लाल शहरी नवीकरण योजना, जिसके मार्फत हम पेयजल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उसके सारे आयामों को पूरा करने की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऊपर मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। यह एक बहुत अच्छी योजना है। हम बीस से पच्चीस लाख रुपए एक किलोमीटर सड़क के लिए देते हैं, किंतु सड़क नहीं बनती है। मैं कह सकता हूं कि 7 से 8 लाख रुपए में एक किलोमीटर अच्छी सड़क बन सकती है। यदि उसकी मानिटरिंग की जाए, तो सड़क की गुणवत्ता को बहुत अच्छा किया जा सकता है। इन सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, चूंकि वित्तमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से इस संबंध में कुछ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जागरूक रहकर प्रयत्न करने वाले ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। "रहिन् जाग्रवंशो अनुगम्नम्"। जाग्रत रहकर काम करोगे, जग में अपना नाम करोगे। इसलिए मैं इस शुभ भावना के साथ "सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया:, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःभागवेत्"। ऐसा राज्य हो, ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और किसी को कष्ट न हो। यदि आप ऐसी आदर्श व्यवस्था की स्थापना करने के लिए अपनी क्षमता, योग्यता, कुशलता का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका सभी को लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री एस०के० खारवेनथन (पलानी) : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता और इस देश के वित्त मंत्री, माननीय श्री पी० चिदम्बरम ने 28 फरवरी, 2007 को अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया है। यह उनका छठा बजट है। यह कृषि उन्मुख बजट है। उन्होंने भारतीय कृषि के पुनरूद्धार हेतु अनेक मूल्यवान उपायों की घोषणा की है। सोनिया जी और माननीय प्रधानमंत्री डा० मनमाहेन सिंह जी के नेतृत्व में संप्रग सरकार के 30 महीनों के अंदर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2004-05 के 7.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005-06 में बढ़कर 9 प्रतिशत तथा 2006-07 में 9.2 प्रतिशत हो गयी है। संप्रग सरकार के तीन वर्षों के दौरान औसत वृद्धि पर 8.6 प्रतिशत रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 8 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य करीब-करीब प्राप्त हो जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत और आगे बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 9.8 प्रतिशत और आगे 11.2 प्रतिशत हो गयी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत औसत वृद्धि का अनुमान है।

वस्तुत:, वर्ष 2005-06 में प्रति व्यक्ति आय 7.4 प्रतिशत बढ़ी। बजट दर 32.4 प्रतिशत आकलित किया गया तथा निवेश दर 33.8 प्रतिशत रही।

वर्तमान बजट मुख्य रूप से ग्रामीण पेयजल सुविधाओं, ग्रामीण आवास, सम्पूर्ण स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रित है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत, संप्रग सरकार ने 55,512 गांवों को पेयजल सुविधाएं मुहैया करायी है; 7,83,000 ग्रामीण आवासों का निर्माण किया गया है तथा 12,198 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। संप्रग सरकार ने 20,000 गांवों को ग्रामीण टेलीफोन मुहैया कराने की योजना बनायी थी जिसमें से 15,054 गांवो में टेलीफोन सुविधाएं मुहैया करा दी गयी हैं। और शेष को साल खत्म होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक राजीव गांधी पेयजल मिशन का प्रश्न है, संबंधित राशि 4,680 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,850 करोड़ रुपये करने की योजना है।

इस वर्तमान बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने सर्वशिक्षा (एस०एस०ए०) और मध्याह्न भोजन योजना हेतु अधिक धन व्यय करने की योजना बनायी है। विद्यालय शिक्षा के लिए 23,142 करोड़

[श्री एस०के० खारवेन्थन]

रु० का आबंटन है। मध्याह्न भोजन योजना को बढ़ाकर इसमें शैक्षिक रुप से पिछड़े 3427 विकास खण्डों की उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए 7,324 करोड़ रु० आबंटित करने का प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा के लिए इसे दुगना करके 1,837 करोड़ रु० से 3,794 करोड़ रु० किया गया है।

दूसरा स्वागत योग्य कदम है 'नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कालरशिप' को शुरू किया जाना। देश में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम करने के लिए इसे लाया गया है इस अनूठे और आविष्कारी योजना के अनुसार आठवीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा ली जाएगी और सफल तथा अर्ह विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 6000/- रु० दिए जाएंगे।

आगे मैं इस बजट की कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के मूल्यानुसार संघटक को आठ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। गैर कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। तम्बाकू रहित पानमसाला पर शुल्क को 66 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया है ड्रीप सिंचाई प्रणली, कृषि स्प्रिकलर्स और खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं पर शुल्क को 2.5 प्रतिशत कम किया गया है। आम आदमी बीमा योजना के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री का विचार बीमा उपलब्ध कराकर असंगठित परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति प्रीमियम का 50 प्रतिशत 200 रु० वहन करेगी। यह इस बजट में की गयी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी योजना है। गतवर्ष अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए आबंटन 6,600 करोड़ रु० था; इस वर्ष इसे बढ़ाकर 17,691 करोड़ रु० किया गया है इस देश की अ०जा०/अ०ज०जा० आबादी के लिए यह संप्रग सरकार और हमारे माननीय वित्त मंत्री की ओर से तोहफा है।

मैं एड्स नियंत्रण के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। एड्स नियंत्रण के लिए 969 करोड़ रु० का आबंटन करने का प्रस्ताव है। मेरे विचार से इस घातक बीमारी को समाप्त करने तथा रोकने के लिए यह आबंटन पर्याप्त नहीं है। दिसम्बर, 2005 तक इस देश में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 5,200 मिलियन थी, इस विषाणु से कोई भी राज्य बचा नहीं है। भारत का स्थान दुनिया में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा है। छह राज्यों नामतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और नागालैण्ड में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रभावित हैं। एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए भारत सरकार एनजीओं के माध्यम से भारी मात्रा में धनराशि का आबंटन कर रही है किन्तु इस धनराशि का उचित उपयोग नही हो रहा है; और मानदण्डों के अनुसार एनजीओ कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्हें विदेशी सहायता भी मिल रही है किन्तु उसका भी उनके द्वारा उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी निगरानी की जानी चाहिए। भारत में आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी इससे बचा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संचार क्षेत्रों के लिए और धनराशि का आबंटन किया जाना चाहिए। इससे इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिलेगी। अब, पूरे देश में चुनिंदा अस्पतालों में 64 केन्द्रों पर एंटी-रिट्रोवायरल-थेरेपी सर्विस दी जाती है। इसे बढ़ाकर कम से कम 150 संस्थाओं और अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए और धनराशि आंबटित की जानी चाहिए तथा और ए०आर०टी० केन्द्र खोले जाने चाहिए। तभी इसे रोका जा सकेगा।

मैं समेकित बाल विकास सेवाएं के बारे में कतिपय तथ्यों का उल्लेख भी करना चाहता हूं। यह छह वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस योजना का सार्वभौमीकरण हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर 13.12.2006 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

इस फैसले के अनुसार छह वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों को सभी आई०सी०डी०एस० सेवाएं दी जानी चाहिए जोकि अभी मात्र एक तिहाई बच्चों को ही मिल रही है और यहां यह सेवाएं पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने गुणवत्ता सहित सार्वभौमीकरण प्राप्त करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। हमारी सरकार ने देश में पहली बार महिला और बाल विकास के लिए एक मंत्रालय बनाया है। इस कार्यक्रम के लिए बजटीय आबंटन पर्याप्त नहीं है। गतवर्ष यह 4,761 करोड़ रु० था और इस वर्ष यह आबंटन मात्र 4,087 करोड़ रु० है। छह वर्ष से कम आयु वाले 160 मिलियन बच्चों के लिए 4,017 करोड़ रु० का आबंटन पर्याप्त नहीं है।

हमारे माननीय वित्त मंत्री भारतीय किसानों की समस्याओं से भली-भांति अवगत हैं। इनका घर किसानि बहुल छोटे से गांव में है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे देश का उत्तरी भाग बाढ़ की चपेट में हैं जिसके परिणामतः प्रतिवर्ष कई जाने जाती हैं तथा हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान होता है। दूसरी तरफ दक्षिणी भाग के लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने मवेशियों के लिए भी पेयजल की कमी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ यह स्थिति बद से बदतर होगी। विश्व की आबादी का 17 प्रतिशत भाग भारत के पास है किन्तु विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.45 प्रतिशत भारत के पास है। हमारी आबादी प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रावी और सतलुज मुख्य नदियां है किन्तु जब बाढ़ आती है तो बड़ी मात्रा में पानी समुद्र

में चला जाता है। सभी को आवश्यक खाद्य उपलब्ध कराने के लिए हमें नदियों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए कदम उठाने होंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की आबादी वर्ष 2050 तक 164 करोड़ होगी और हमारी खाद्य आवश्यकताएं 450 मिलियन टन होगी।

हमारे देश में बांध निर्माण से संबंधित कार्य़ में अनावश्यक रूप से वर्षों का विलम्ब होता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब के कारण लागत वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ नागार्जुन सागर बांध का पूल अनुमान 91.12 करोड़ रु० था। योजना आयोग को प्रस्ताव सौंपते समय अनुमान 163.54 करोड़ रु० का था। वर्ष 2005 तक हमने इस परियोजना हेतु 1300 करोड़ रु० खर्च किए हैं।

नर्मदा घाटी परियोजना का अनुमान लगभग 200 करोड़ रु० है। अब तक हमने 21,000 करोड़ खर्च किए हैं किन्तु अब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। मेरें निर्वाचन क्षेत्र में 1989 में नान्गनजियार बांध का अनुमान 25 करोड़ रु० लगाया गया था। हमने अब तक इस पर लगभंग 80 करोड़.रु० खर्च कर दिए हैं किन्तु अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा। सौभाग्यवश हमारे देश में पानी का विशाल भण्डार हैं हमें देश में नदियों को जोड़ने के लिए योजना बनानी होगी। इसमें अनुमानित व्यय 5,60,000 करोड़ रु० है। यदि हम इस परियोजना का कार्यान्वयन करते हैं तो हमारी कृषि सुधरेगी, पेयजल की समस्या हल होगी, विद्युत उत्पादन बढ़ेगा और अन्तर राज्य जल विवाद का भी स्थायी हल होगा। किन्तु इस विषय का इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमारे देश की भविष्य की जरूरतों के सुरक्षोपाय करने के लिए इस मुद्दे पर ध्यान दें।

इन शब्दों के साथ में बजट का स्वागत करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2007-08 के सामान्य बजट की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के विचार बड़े विस्तार से इस बजट पर आये हैं। जहां तक बजट के बारे में देखा जाये, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत भी हम इस वर्ष से करने जा रहे हैं।

पिछले वित्तीय वर्षों में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं में हमने जो बात कही थी, उससे कहीं आगे देश की तरक्की, विकास की बातें इस बजट में कही गयी हैं। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होने जा रही है, हमें विश्वास है कि यूपीए गवर्नमैंट इस देश के विकास में भागीदार बनेगी। इस बजट में योजना मद में 2005100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगर देखा जाये, तो आंकड़े यह बताते हैं कि जिस गति से हमें विकास करना चाहिए, उस गति से विकास नहीं हो पाया है। आज भी देश की बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बहुत सी ऐसी सहूलियातें हैं, जिस पर इन योजनाओं की मद में पैसे बढ़ाने की जरूरत थी।

जहां तक बजट के बारे में तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं चाहे वे एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रिया रही हों या तमाम दलों के बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेताओं के विचार रहे हों, पूरे बजट का निचोड़ अगर देखा जाए तो यह उत्साहहीन और महंगाई से लड़ने में विफल रहने वाला बजट कहा जा सकता है। जहां तक देखा गया है कि इस सदन में कई बार हम लोगों ने महंगाई पर चर्चा की है। महंगाई इस समय पूरे देश में विकराल रूप में है और उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो संसाधन हैं, उनके गलत इस्तेमाल से ही महंगाई बढ़ी है जिसे रोक पाने में हम कामयाब नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने, हमने उनका बजटीय भाषण सुना है और बजट भी देखा है, इसके लिए प्रयास किए हैं। अगर महंगाई कम होती है तो यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बजट में प्राय: यह देखा गया है और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कि इस बजट से आम आदमी को राहत नहीं मिली है, किसी तबके को खुश करने की कोई बात इस बजट में नहीं की गयी है और न ही किसी नयी योजना को शुरू करने के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण स्तर पर निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। अभी हम लोग अपनी कांस्टीट्वेंसी से इस सदन में भाग लेने के लिए दिल्ली की ओर आ रहे थे। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में विगत कुछ महीनों में और इस महीने में भी कई जगहों पर ओलावृष्टि और बारिश हुई है। बेमौसमी बारिश भी फसल को नुकसान पहुंचाती है। यहां आते हुए हम लोगों ने रास्ते में देखा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में फसलें पक रही हैं, लेकिन फिर भी आंधी, तूफान, चक्रवात आदि के रूप में कभी-कभी प्रकृति के ऐसे करिश्में देखने को मिलते हैं जिनसे हमारे विकास और खासकर हमारे किसानों को मार झेलनी पड़ती है। इनसे देश के विकास को काफी नुकसान होता है। आज जरूरत इस बात की है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बेमौसमी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, उनका सर्वे कराकर वहां के किसानों को विशेष तौर पर सुविधा दी जाए। आज इस सदन में भी इस पर चर्चा हुई है और पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। आज भी लोगों ने कहा कि देश के किसान और खासकर दक्षिण, भारत के किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या कर चुके हैं और आत्महत्या करने को मजबूर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

हो रहे हैं जिसके लिए सदन हमेशा चिन्तित रहा है। इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। अगर हमें कुछ करना था तो विशेष तौर पर किसानों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में कुछ खास नहीं किया गया है। जहां तक भारत निर्माण की बात कही गयी है, आपने पिछले साल की तुलना बजट 39.6 प्रतिशत अवश्य बढ़ा दिया है लेकिन देखा गया है कि भारत निर्माण के जो कई पहलू हैं जिन पर भारत निर्माण की परिकल्पना यूपीए सरकार कर रही है, उनमें कोई विशेष तरक्की नहीं हुई है। ग्रामीण विकास के तहत 15 लाख घर बनाने की जो योजना है, जिसे आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, आज अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर मकान बनाने के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। आज इस महंगाई में एक कमरे का आवास अगर कोई गरीब बनाता है तो उसे कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है जबकि वह व्यक्ति और उसका पूरा परिवार उसमें मेहनत-मजदूरी करते हैं। किसी परिवार के रहने के लिए उसके पास कम से कम सामान रखने के लिए जगह होनी चाहिए, बाहर बैठने के लिए एक बरामदा भी होना चाहिए, तभी जाकर हम उस परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। कई लोग सुविधा की बात कहते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर किसान जो देश के विकास की रीढ़ हैं, उनके बारे में कोई विशेष योजना नहीं दे पाए हैं, जिससे उनको फायदा हो और उनका अपना एक आवास हो जिसमें वे रह सकें। किसानों के ऐसे-ऐसे मकान हैं कि एक ही कमरे में मां-बाप भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बहू भी रहती है और बेटी भी रहती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि चारपाई डालने की जगह भी नहीं होती है और वे बाहर सोते हैं। इस बजट में उसके लिए धनराशि बढ़ाने की जरूरत थी। जहां तक सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना की मद में आपने 800 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है, उसमें भी और अधिक धनराशि देनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी योजना की शुरूआत में काफी व्यय होती है। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आपने शुरूआत की थी। इन योजना के तहत जो कृषक मजदूर हैं, जिनके पास खेती लायक पैसे नहीं हैं, उन्हें गांवों में रोजगार देने की बात है। लेकिन देखा गया है कि ऐसे लोग काफी तादाद में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गांवों में रोजगार नहीं मिलता है। वे लोग अपने गांव से दूर बड़े-बड़े महानगरों मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद आदि शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं। वहां जाकर वे छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, लेकिन उससे भी उनके लिए और गांव में रह रहे उनके परिवार वालों के लिए खाने-पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है।

आपने इस तरह के लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार देने की बात कही है, वह ठीक है, लेकिन एक मांग पूरे देश में सब लोग कर रहे हैं कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। इस तरह की बात का संविधान में भी प्रावधान किया गया है कि सरकार सबके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करेगी। कोई गरीब व्यक्ति भूखा न रहे और कोई किसान या गरीब आत्महत्या न करे, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इस पर ध्यान दे। आपने शुरूआत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 जिले लिए थे। उन्हें बढ़ाकर अब 330 जिले कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है और जहां भी कहीं गांव है, वहां इस योजना को लागू किया जाना चाहिए। यह एक नई योजना है। इस योजना के शुरूआती दौर में हमने देखा कि कई गांवों में विकास हुआ है। कुछ जगहों पर विकास के नाम पर पैसा पहुंचा, लेकिन कुछ जगह नहीं पहुंच पाया है। यहां पर इस सम्बन्ध में कोई बात कही जाती है तो जवाब दिया जाता है कि यह राज्य सरकार का विषय है, वह इसे देखेगी। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि केन्द्र से जिन योजनाओं का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा या नहीं। इसलिए इस चीज को देखने के लिए हमें मानिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, जो समय-समय पर देखे कि यहां से पैसा पहुंचने के बाद वहां सही अर्थों में लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं। यह भी देखा गया है कि इस योजना में काफी खामियां हैं। हमारे पास कई प्रधान और ब्लाक प्रमुख आते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा बीडीओ के साथ सहखाता होना चाहिए। इसलिए इस तरह की खामियों को दूर करना होगा। जब जनप्रतिनिधियों चाहे ग्राम पंचायतों के हों या सरकार में बैठे हुए अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनमें तालमेल सही होगा तो योजना सही रूप में क्रियान्वित हो सकती है और वहां के लोगों का विकास सम्भव हो सकता है।

जहां तक भूमिहीन लोगों के लिए बीमे के लिए धनराशि इस बजट में दी गई है, उसे भी और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आपने व्यवस्था की है कि बीमे के लिए आधी धनराशि केन्द्र सरकार देगी और आधी धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें विशेष तौर पर और व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि राज्य सरकारें अपने संसाधनों से पहले से ही बोझ तले दबी हैं इसलिए और वित्तीय संसाधन उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तभी हम भूमिहीनों को इस योजना से लाभ पहुंचा सकते हैं।

इस बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इस देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो इनकम टैक्स नहीं देते और टैक्सों की चोरी करते हैं। अगर उन लोगों को भी आयकर के दायरे में लाया जाए, तो देश का काफी विकास हो सकता है और देश के रेवेन्यू में भी काफी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में इस बार आपने 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी बजट में की है। साथ ही यह भी कहा है कि सैकण्डरी एजुकेशन का पैसा दोगुना करेंगे। इस सदन में हमने बराबर इस सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान कहा है कि हमारे देश के जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, उन्हें राष्ट्र की निधि समझकर सरकार द्वारा तब तक एडॉप्ट किया जाना चाहिए, जब तक कि वे बड़े होकर रोजगार न पा सकें। इसके लिए शिक्षा को रोजगारपरक बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे तमाम बच्चे जो गरीबी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनकी जिम्मेदारी सरकार ले और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। सैकेंडरी एजूकेशन के नाम पर, सर्व-शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा और तमाम तरह की शिक्षा के नाम पर अरबों-खरबों रुपये खर्च हो रहे हैं और सरकार शिक्षा के लिए पैसा देती है। लेकिन गांव में स्थिति बहुत खराब है। गांव में आप विद्यालय में जाएं तो भवन भी बने हुए हैं और जहां पर 250-300 बच्चे हैं वहां पर एक-दो अध्यापक है और जहां पर 50 बच्चे हैं वहां पर 4-5 अध्यापक हैं। एक संतुलन जो शिक्षक और छात्रों के बीच में होना चाहिए, उस संतुलन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। फिर कहा जाता है कि इसे राज्य सरकारें देखती हैं। राज्य सरकारें देखें लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जब हम बजट में कोशिश करते हैं कि देश का विकास हो और देश के सर्वांगीण विकास के लिए पैसे दे रहे हैं तो हमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी कि योजनाओं को अमली जामा हम कैसे पहनाएं?

आपने दो लाख नये शिक्षकों की भर्ती के लिए भी प्रावधान किया है कि जहां पर कम हैं वहां उनकी नियुक्ति की जाए। इस प्रकार का संतुलन भी आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर साक्षरता कम है और कहां पर ज्यादा है और उसी के हिसाब से आपको शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। पांच लाख नये क्लास-रुम्स बनाकर बच्चों को शिक्षा देना का प्रावधान किया गया है, यह एक अच्छी बात है लेकिन हमें देखना चाहिए कि जहां हम स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाते चले जा रहे हैं वहां पर बच्चों की संख्या की स्थिति क्या है? बच्चों की संख्या की स्थिति के हिसाब से हमें भवन बनाने पड़ेंगे। बहुत से भवन ऐसे हैं जो बेकार पड़े हैं और गांव के दबंग लोग उनका गलत प्रयोग करते हैं। इस ओर भी हमें सावधानी से ध्यान देना पड़ेगा। गरीब 23,142 करोड़ रुपये की व्यवस्था आपने मिड-डे मील के लिए की है। समय-समय पर इसी सदन में देखा गया है कि तमाम हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि जो मीनू फिक्स किया गया है बच्चों को प्रतिदिन मीनू के हिसाब से मिड-डे मील दिया जाएगा, लेकिन वह नहीं मिल पाता है। इसलिए ये जो तमाम योजनाएं हैं जिन पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं उनका सावधानी से पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि प्राइमरी छात्रों को किताबों और कपड़ों तक की व्यवथा की गयी है। यह इसलिए की गयी है कि देश में बहुत से बच्चे अभी भी एजूकेशन से बहुत दूर हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की योजनाएं चलायी जानी चाहिए जिससे बच्चे आकर्षित हों और पढ़ने की तरफ उनका ध्यान आए। प्राइमरी एजूकेशन अगर उनकी सशक्त होगी तो आगे चलकर वह विद्यार्थी कभी भी पीछे नहीं हो सकता है। हमें इसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभारी भी हूं कि आठवीं पास जो छात्र हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया आपने बनाई है जिसमें 750 करोड़ रुपये खर्च करके, करीब 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गयी है। उसके अंतर्गत 6000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। उनको यह छात्रवृत्ति आप 12वीं क्लास तक देंगे। यह बहुत ही अच्छी योजना है।

12वीं के बाद बच्चे के रोजगार और जिंदगी की शुरूआत होती है कि बच्चे को किस फील्ड में रूचि है। उसकी रूचि को देखकर सरकार जिम्मेदारी ले, चाहे वह तकनीकी एजूकेशन के माध्यम से हो या फिर वह कम्पटीशन में आना चाहे तो सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

एससी और एसटी के लिए 3271 करोड़ रुपये आपने विभिन्न योजनाओं के लिए दिया है और इसके लिए आपने 171 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति देने की बात आपने इस बजट में रखी है। हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे वह एससी हो या एसटी हो या पिछड़ी जाति या उच्च जाति के गरीब बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। इसलिए जो भी छात्र किसी भी क्लास में हो, अगर गरीब है तो उसको छात्रवृत्ति देकर आगे पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने अल्पसंख्यक डवलपमेंट कार्पोरेशन को पूरे देश के लिए 63 करोड़ दिए हैं, यह राशि बहुत कम है। आप चाहे ग्रामीण स्तर पर देखें, शहरों को देखें, जहां अल्पसंख्यकों की बस्तियां हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं, उनकी माली हालत बहुत खराब है। उनके लिए परिवार नियोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। एक-एक परिवार में 10 से 15 सदस्य हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसे मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, इससे बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। इससे जाति का कोई संबंध नहीं है। जब किसी दूसरे देश का या राष्ट्र मंडल का कोई प्रतिनिधि भारत आएगा, तो वह देखेगा कि यहां बाल मजदूरी होती है, वह यह नहीं देखेगा कि यह किस जाति का है। वह तो यहां की गरीबी और गुरबत देखेगा। इसके लिए और बजट बढ़ाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए आपने 29.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। संविधान में भी कहा गया है कि सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य के नाम पर देखा जा सकता है कि, तमाम पीएचसी और सीएचसी ग्रामीण स्तर पर खुलते जा रहे हैं, वहां अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जो भावना है, वह

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

ग्रामीण स्तर पर नहीं रहना चाहते हैं। प्रांतीय चिकित्सा सेवा के हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि आप गांवों के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गांवों में जाएं, तो वे वहां रहना नहीं चाहते हैं। वे एक-एक हफ्ते बाद जाते हैं और शहर की तरफ भागते हैं। वे कहते हैं कि हम गांव में रह कर क्या करें। यहां न पानी की व्यवस्था है और न ही बिजली की व्यवस्था है और न ही हमारी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था है। अगर शहरों को सुविधा दे रहे हैं तो ग्रामीण स्तर पर भी सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वह अपना इलाज किसी भी बड़े अस्पताल में जैसे अपोलो या एम्स में, कहीं भी करा लेता है या मेडिकल कालेजिज हैं, जहां बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वहां इलाज करा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, गांवों में रहते हैं, वे बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। वे इलाज कराने के लिए शहर पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमें इनके लिए भी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, कैसी भी उसकी माली हालत हो, उसे स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इस तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है।

आपने विकलांगों के लिए भी कोई खास प्रावधान नहीं किया है, केवल एक लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। हमें यह देखना पड़ेगा कि विकलांगों की संख्या पूरे प्रदेश में कहां ज्यादा है और कहां कम है। उस हिसाब से विभाजन करके आप नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। इन लोगों को और सुविधा देने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों ने अपने यहां विभिन्न तरीकों से व्यवस्था की है, लेकिन और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विकलांगता दूर हो, इसके लिए पल्स पोलियो की दवाई पिला कर कोशिश की जा रही है लेकिन जो लोग विकलांगता के शिकार हो चुके हैं, उन्हें और सुविधा मिले, इस तरफ सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है।

राष्ट्र मंडल 2010 के खेलों के लिए आपने 500 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है जिसमें आपने 150 करोड़ रुपए केंद्रीय खेल मंत्रालय को और 350 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिए हैं। यह बात सत्य है कि विदेशों से जो लोग यहां आएंगे, उनके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। होटलों को आपने पांच वर्ष तक के लिए जो कर मुक्त किया है, यह अच्छा प्रोत्साहन है, इससे होटलों के अच्छे निर्माण हो जाएंगे और राष्ट्र मंडल खेलों के लिए अच्छी व्यवस्था करने में सुविधा मिलेगी।

रक्षा के लिए आपने 96 हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। देश की सुरक्षा सबसे प्रथम है। इसके लिए हमें और बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी नए वेतनमान से संबंधित चर्चा होती है, तो सैनिकों के मन में थोड़ी दुख की भावना आती है, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। वे कहते हैं कि साहब, हम कितना यहां खर्च करें और कितना अपने घर भेजें। इसके लिए भी इस सदन में चर्चा की गई थी कि देश के प्रहरी, हमारे देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कम से कम वेतन के रूप में सुविधाएं देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हमारे देश के नौजवान रक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त करके देश की रक्षा करने के लिए आगे आएं। आपने बीड़ी पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया है। बीड़ी कौन पीता है? बीड़ी और तंबाकू का मसाला ज्यादातर गरीब इस्तेमाल करते हैं, आपने इस पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया। मजदूर कहीं भी काम करता है, चाहे वह किसान हो या शहर में काम करने वाला मजदूर हो, बेचारा राहत के तौर पर बीड़ी ही पीता है। इस व्यवस्था से जो तंबाकू और बीड़ी से रोग हो रहे हैं, इसे आप रोक नहीं पाएंगे, इससे यह समस्या दूर नहीं हो पाएगी। आपको उत्पादन शुल्क हटाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।

इसी प्रकार से सालाना डेढ़ करोड़ रुपए का उत्पादन करने वाले बहुत से उद्योग-धंधे हैं, जिनको आपने उत्पादन शुल्क से मुक्ति दिलाई है, यह बहुत अच्छा कदम है। खास तौर से जो लघु उद्योग हैं, हमें उनको बढ़ावा और सुविधा देने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले, विकास हो और लोगों को रोजगार मिल सके।

आपने पेट्रोल और डीजल के उत्पादन शुल्क में दो प्रतिशत कमी करके तेल कंपनियों के घाटों की भरपाई करने की व्यवस्था की है। लेकिन हमने देखा है कि जो तमाम पेट्रोल पंप हैं, उनको आज भी सही मायने में कमीशन नहीं मिल पाता है इसीलिए मिलावट और चोरबाजारी होती है, कम तोली होती है, क्वांटिटी और क्वालिटी में गड़बड़ होती है। हम एक तरफ क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करते हैं लेकिन अगर हमें नीचे से ऊपर तक कंपनियों के घाटे की व्यवस्था देखनी है तो पेट्रोल पंपों की व्यवस्था भी देखनी होगी, इसके साथ यह भी देखना होगा कि जो डीलर हैं, उनको सही मायने में कमीशन मिल पा रहा है या नहीं?

आपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में 9,955 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मेरा सुझाव है कि जो देश की राजधानियों से जुड़ने वाली तमाम सिटी या महानगर हैं, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के तहत व्यवस्था कर सड़क का निर्माण होना चाहिए। आपने एक तरफ 13,000 किलोमीटर नई सड़क बनाने की व्यवस्था की है और दूसरी तरफ 20,000 गांवों में टेलीफोन की सुविधा दिलाने की बात कही है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ग्रामीण स्तर पर बीएसएनएल मोबाइल फोन का चार-पांच

घंटे नेटवर्क गड़बड़ रहता है इसलिए दूरसंचार की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए. इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए तभी सभी मायने में सब को लाभ होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 4.52 बजे

[**श्रीमती कृष्णा तीरथ** *पीठासीन हुईं।*]

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : सभापति महोदया, इस बजट का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हालांकि माननीय वित्त मंत्री ने चीजों को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया है किन्तु मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे। काम किए जाने वाली प्रणाली बहुत खराब है और यह सिद्ध हो चुका है। आपके प्रमुख कार्यक्रम की बात करते हैं। आपका प्रमुख कार्यक्रम एन०आर०जी०ई०ए० कार्यक्रम है- एक ग्रामीण गरीब परिवार के लिए न्यूनतम 100 दिनों का निश्चित कार्य। आन्ध्र प्रदेश की बात करें जहां संप्रग गठबंधन सत्तासीन है। आन्ध्र प्रदेश में 365 दिनों में 100 दिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रति परिवार 25.15 दिन ही बनता है। इससे पता चलता है कि संप्रग शासित राज्य में कितनी गंभीरता से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों यथा राजस्थान और मध्य प्रदेश का उदाहरण हैं। राजस्थान में हमने 100 दिनों में 73.68 श्रमदिवस का लक्ष्य प्राप्त किया है; मध्य प्रदेश में, जो भाजपा शासित दूसरा राज्य है हमने 61.61 दिनों का लक्ष्य प्राप्त किया है। अत: हमने 50 प्रतिशत की सीमा को पार किया है किन्तु संप्रग शासित राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में आपका कार्यक्रम का प्रदर्शन बहुत खराब है। अत: स्पष्ट पता चलता है कि आपकी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रणाली पूर्णत: विफल है। और क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित राज्यों यथा उत्तर प्रदेश में यह मात्र 26.55 दिन है। बिहार में, अब एक नई सरकार है पिछली राजद सरकार द्वारा प्रणाली को अस्तव्यस्त कर दिया गया था *(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : क्या आपने पता किया है कि उस अवधि के दौरान वे कहीं और काम कर रहे थे? *(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : यह आप पता लगाएं। वे काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पर्याप्त काम नहीं था *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : श्री देव, कृपया अध्यक्ष पीठको सम्बोधित करें।

श्री बिक्रम केशरी देव : उदाहरण के लिए, बिहार में नई सरकार बनी है। वहां नई सरकार का नेतृत्व श्री नीतिश कुमार कर रहे हैं। वे स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। *(व्यवधान)* किन्तु बिहार में पिछली सरकार ने व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था *(व्यवधान)* सरकार ने 33 प्रतिशत के लगभग लक्ष्य प्राप्त किया है।

[हिन्दी]

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी) : जब एन०डी०ए० की सरकार थी, तब आपने पैसा नहीं दिया. . .(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप डिस्टर्ब मत कीजिए, अपनी बात अपने भाषण में बोलिये।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप बिहार के बारे में क्या बात कर रहे हैं *(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : जब बिहार में आपकी सरकार थी, उस समय आपने पंचायत इलैक्शन नहीं कराया. . .(व्यवधान)

सभापति महोदया : देव साहब, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप दखलंदाजी मत कीजिए, जब आप भाषण दें तब अपने समय में बोलिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप अपने भाषण में बोलियेगा, उन्हें डिस्टर्ब मत करिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : उन्हें बोलने दीजिए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : श्री देव, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

श्री बिक्रम केशरी देव : दूसरा, मैं महंगाई के मुद्दे पर आना चाहता हूं। आम आदमी प्रभावित हुआ है। मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत तक

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[**श्री बिक्रम केशरी देव**]

पहुंच गई है। मंत्री महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण में आपने यह परिलक्षित किया है। हमने नवीनतम सर्वेक्षण का अध्ययन किया है। आप खनन क्षेत्र, गैस क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र में विफल हुए हैं। आप परिणाम हासिल नहीं कर पाए हैं। वस्तुत:, आपने धनराशि का निवेश किया है। बजट में आपने पर्याप्त धनराशि दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है इसे कैसे कार्यान्वित किया जाता है? इसलिए, अमल करने के तरीके में किसी भी प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए। आपको उन अनियमितताओं के बारे में सोचना चाहिए, जो उनमें मौजूद हैं। यदि आप इन अनियमितताओं को दूर करने की आवश्यकता को समझते हैं तो आपको नया विधान लागू करना चाहिए। तभी आप, बातों को अमल में ला पाएंगे।

हम कृषि के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। वर्ष 1998 से इस सम्माननीय सभा के सदस्य के रूप में यह देखता आ रहा हूं कि कृषि की मांगों के संबंध में ज्यादातर वाद-विवादों में सभी माननीय सदस्य कृषि, फसल न होने और औने पौने दामों में बिक्री के बारे में बात करते हैं। कृषि से अनेक चीजे जुड़ी हुई हैं। हम 4 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने पर विचार कर रहे हैं। या तो यह सपना है या फिर यह कहना लीपापोती करना है कि हम कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास दर हासिल करेंगे। इस वर्ष आपने केवल 2.7 प्रतिशत हासिल की है। आप इसे किस प्रकार हासिल कर सकते हैं? जलवायु में परिवर्तन हुआ है। मौसम की स्थिति में बदलाव आया है। किसानों को मिलने वाले बीजों की गुणवत्ता खराब है। किसान औने-पौने दामों में बिक्री के कारण हताश है। जिन सिंचाई परियोजनीओं का वादा किया गया है, उन्हें पूरा नहीं किया गया है।

मैं सिंचाई क्षेत्र के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। सिंचाई क्षेत्र में आपकी बड़ी, मध्यम और लघु स्तर की 477 परियोजनाएं हैं। उनमें से अधिकतर परियोजना, अधूरी हैं। उनका ग्यारहवीं योजना तक विस्तार किया गया है।

दसवीं योजना के संबंध मे आपने 102.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लक्ष्य रखा था। लेकिन आप लक्ष्य का केवल 60 प्रतिशत तक हासिल कर पाए। आपने दसवी योजना के दौरान 1.44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का अनुमान लगाया है। नौवीं योजना में भी आप केवल यही हासिल कर पाए थे। आप केवल 50 प्रतिशत हासिल कर पाए। अत:, इस प्रकार की उपलब्धि के साथ आप कैसे आशा कर सकते है कि कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा?

आज, कृषि क्षेत्र पूरी तरह से अव्यवस्थित है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसे अनेक समितियों द्वारा स्वीकार किया गया है। बीमा क्षेत्र को इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। लेकिन आप बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेकर आए। आपने 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी। वे लोग ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची योजना आयोग की सूची से मेल नहीं खाती है। राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तैयार की गई सूची योजना आयोग द्वारा चिन्हित गरीबी रेखा से मेल नहीं खाती है। आज, आप कह रहे हैं कि यह 21 प्रतिशत है। मैं आपके समक्ष केरल का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

एक कंपनी विशेष स्वास्थ्य बीमा में निवेश करना चाहती थी। वह ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के आंकड़े मेल नहीं खा पाए। केरल में 45 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, किन्तु अखिल भारतीय औसत काफी कम है। अत: यह कार्यक्रम ग्रामीण लोगों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कार्यान्वित नहीं किया जा सका। हम इस सम्माननीय सभा में बड़े-बड़े वादे करते हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि इन्हें गरीबों के लिए समुचित तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। हम सभी यहां उनकी वजह से ही मौजूद हैं। हम यहां इस सभा में बैठे हैं और सभी विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए।

मैं भूजल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसका स्तर देश में तेजी से घट रहा है। भूजल के पुनर्भरण के लिए वित्त मंत्री ने इस बजट में धनराशि का प्रावधान किया है। लेकिन केन्द्रीय भूजल बोर्ड बिलकुल भी सक्रिय नहीं है। इसे हासिल करने के लिए बोर्ड को अधिक सक्रिय बनाना चाहिए। अधिक से अधिक जल संचयन स्रोतों का निर्माण किया जाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने छोटी टांकियों और जल निकायों के नवीकरण हेतु तमिलनाडु में ऐसा किया है। यह अच्छा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह उड़ीसा जैसे अन्य राज्यों में इसका विस्तार करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : उड़ीसा का भी उसी पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। आपकी राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

श्री बिक्रम केशरी देव : हमारी राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है।

जब माननीय वित्त मंत्री बोल रहे हैं, तो मुझे चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक अन्य पंसदीदा कार्यक्रम का स्मरण हो आया है जो कि पी०यू०आर०ए० योजना है। आपने इसे तमिलनाडु में कार्यान्वित किया है और इसे सफल बनाया है। आप इसे अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित क्यों नहीं करते? इस बजट में, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का कोई जिक्र नही है *(व्यवधान)* इसके लिए

कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। आपने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण कार्यक्रम के बारे में उल्लेख किया है लेकिन पी०यू०आर०ए० के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन हम अपने राज्य में इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

जहां तक पिछड़ा क्षेत्र निधि का संबंध है, मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने के०बी० के क्षेत्र का उल्लेख किया है, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे खेद है कि उन्होंने के०बी० के क्षेत्र जैसे विशिष्ट श्रेणी के क्षेत्रों के लिए नियमित अनुदान में वृद्धि नहीं की है। उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से 500 करोड़ रु० प्रति वर्ष देने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इसे 250 करोड़ रु० तक सीमित रखा है। अत:, आठ जिलों में के०बी० के क्षेत्र के लिए हमने जो अपनी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए थे, वे हासिल नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि पिछड़ा क्षेत्र निधि बनाई गई है, फिर भी कार्य अधूरे रह जाएंगे। अत:, यदि आप के०बी० के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव देखना चाहते है, तो आपको हमें 500 करोड़ रु० देने होंगे। केवल तभी हम साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं और अन्य मानव संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं तथा हम उन आर्थिक सूचकों में सुधार कर सकते हैं, जिनका स्तर उन क्षेत्रों में काफी कम है।

महोदया, मैं वैश्वीकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो कि आजकल चल रहा है। हमारे देश में रिकार्ड के स्तर तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। हमें कुछ मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं जो कि बहुत अच्छा है लेकिन साथ ही साथ आप गरीब किसानों से कृषि भूमि ले रहे हैं और इन्हें उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं, जैसा कि सिंगुर में हुआ, जिसके खिलाफ कुमारी ममता बनर्जी को अनशन की अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ा। उद्योगपतियों को उपजाऊ कृषि भूमि सौंपी जा रही है। सरकार द्वारा किसानों को अच्छा मुआवज़ा दिया जाना चाहिए और एक समुचित पुनर्वास नीति कार्यान्वित करनी चाहिए। अभी तक आप पुनर्वास नीति के बारे में हौहल्ला मचाते आए हैं लेकिन आपने भूमि से विस्थापित लोगों के लिए कोई नई पुनर्वास नीति शुरू नहीं की है। आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

हम पिछले तीन वर्षों से ऐसा सुन रहे हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदया, मैं महिलाओं और बच्चों के बारे में कह रहा हूं। उपलब्ध कराई गई धनराशि अपर्याप्त है। उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर देश उच्चतम दरों में से एक है।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में चर्चा की है। उन्होंने ए०एस०एच०ए० के बारे में कहा है। ए०एस०एच०ए० क्या है? ए०एस०एच०ए० मात्र एक अर्द्धप्रशिक्षित नर्स के समान है जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं कर सकती लेकिन उसी समय चिकित्सक विभिन्न देशों में जा रहे है? इसलिए, आउटसोर्सिंग हो रही है।

हमने अखबारों में पढ़ा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद में उस हद तक सुधार किया जाएगा। लेकिन क्या उस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं? स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बड़े-बड़े वादे किए गए हैं लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज, ज्यादातर अस्पतालों और अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर नहीं है। सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अपने उद्देश्य को हासिल करने का उनका लक्ष्य क्या है।

महोदया, उड़ीसा के प्रत्येक जिले में आप पाएंगी कि डाक्टरों के लगभग 70 से 80 पद खाली पड़े हैं। मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार उम्मीद करते हैं कि शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : निष्कर्षत: आप जो कहना चाहते हैं, वह कहिये।

श्री बिक्रम केशरी देव : मेरा आखिरी मुद्दा हर किसी से संबंधित है अर्थात् पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबाल वार्मिंग और हमारे समक्ष सुनामी और ऐसी अन्य चीजें हैं। इसके लिए, पर्याप्त बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदया, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और वह हमारी जैव-विविधता और हमारे पारितंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज, बाघों की संख्या घट रही है। जब आप चीन जाएं तो आप पाएंगी कि चीन में बाघों का 'कैपटिवीटी' में ही प्रजनन हो रहा है। आप उनसे कुछ सूत्र/फार्मूला क्यों नहीं लेते और बाघों का कैपटिवीटी में ही प्रजनन क्यों नहीं करते तथा उन्हें राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में खुला क्यों नहीं छोड़ देते ताकि हमारे देश में बाघों की संख्या को फिर से बढ़ाया जा सके।

कला और संस्कृति तथा इतिहास और संस्कृति के संबंध में मुझे बहुत खुशी है कि वित्त मंत्री ने कुछ धनराशि दी है लेकिन यह काफी कम है। यह मात्र 30 करोड़ रु० है, जो कि पर्याप्त नहीं है।

नेताजी सुभास चंद्र बोस जैसे महान नेता हुए। उनके नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है।

मैं समझता हूं कि उनकी स्मृति में और जो कार्य उन्होंने किया है उसके लिए और देश को स्वतंत्र कराने में उनके योगदान के लिए कम से 10 करोड़ अथवा 20 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए थे।

महोदया, आप मुझे अपना वक्तव्य शीघ्र समाप्त करने के लिए कह रही है। कृपया मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए।

सभापति महोदया : आप अपनी प्रमुख बातें कह सकते हैं। आप पहले ही 14 मिनट का समय ले चुके हैं इसलिए आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री विक्रम केशरी देव : महोदय, आप प्रतिपक्ष के प्रति कुछ ज्यादी ही कठोर हैं।

सभापति महोदया : कृपया आप अपनी शेष मुद्दों को लिखित रूप में दें।

विक्रम केशरी देव : धन्यवाद।

[हिन्दी]

*__श्री वी०के० ठुम्मर__ (अमरेली) : माननीय वित्त मंत्री जी ने इस साल का जो बजट पेश किया है व संतुलित और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेगा जिससे भारत के विकास को गति मिलेगी और इस बजट में किसानों को हो रही समस्याओं के निदान की तरफ जो कदम उठाये हैं इस बजट में ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके इसके लिए प्रयास किये हैं।

भारत में दो तिहाइ लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है और उनको उपज की लागत के बराबर उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है सरकार इसके लिए कई कदम उठाती है और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य कई फसलों का निर्धारित करती है परन्तु इन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेचकर किसान अपनी फसल की लागत को पूरा नहीं कर पाता है इसके लिए जो मशीनरी न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण करती है। इस मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उसमें परिवर्तन करना अति आवश्यक है जिससे उनकी फसल का लाभकारी मूल्य उन्हें प्राप्त हो सके, खाद, सिंचाई, बीज एवं खेती के उपकरण के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है हालांकि देश में खाद्यान्न एवं सब्जियों के दामों में काफी ईजाफा हुआ है, परन्तु जो खाद्यान्न एवं सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसका सीधा फायदा किसानों को नहीं हुआ है यह सारा फायदा दलाल किस्म के लोगों ने उठाया है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में सरकार ने 2 लाख 25 हजार करोड़ ऋण प्रावधान किया है जिससे 50 लाख किसानों को बैंकों से लोन मिलेगा परन्तु हमने देखा है कि बैंक किसानों को ऋण दिये जाने में निर्धारित लक्ष्य को पूरा नही करते हैं। और न ही किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में रूचि लेते हैं। ऐसे बैंक अधिकारियों का पता लगाया जाये और उन्हें पदमुक्त किया जाये जिससे किसान के कल्याण एवं खेती विकास प्रक्रिया को रोकने वालों के खिलाफ अधिकारियों की जो प्रवृत्तियां हैं उनको दूर किया जा सके।

पिछले साल सरकार द्वारा किसानों को 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण उपलबध कराने का निर्णय बहुत अच्छा था परन्तु इस कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है इन कार्यों की समीक्षा की जाये तो किसानों के हित में होगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने में कई राज्य सरकार पीछे है। सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों को ऋण वित्त उपलब्ध कराने में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उसकी समीक्षा सरकारी एजेंसी से की जाये प्राईवेट एजेंसी के माध्यम से नहीं है क्योंकि यह प्राईवेट एजेंसियां पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करती हैं।

इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काफी ध्यान दिया है हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री स्व० जवाहर लाल नेहरू, स्व० इंदिरा गांधी जी अपने हर काम में किसानों की बातों का ध्यान रखते थे। भारत गांवों का देश है जब तक गांव के विकास की बात नहीं होगी तब तक भारत के विकास की बात नहीं हो सकती है। इस सरकार ने भारत निर्माण जैसी योजनाओं के लिए पिछले साल के 18606 करोड़ की तुलना में इस साल में भारी बढ़ोत्तरी कर 24603 करोड़ रुपये दिये गये हैं जबकि पिछले साल घोषित की गई राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की मद में 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है साथ ही संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 2800 करोड़ रुपये दिये हैं और इस साल इस योजना को 130 जिले में और लागू करके इस योजना का लाभ 330 जिलों को पहुंचाया है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत आबंटन 1200 करोड़ से बढ़ाकर इसे 1800 करोड़ कर दिया है। इसी के साथ किसानों को अधिक से अधिक फसल लेने के लिए 24 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा दिये जाने का प्रावधान है। किसानों को पानी मिलेगा तो निःसंदेह देश के किसानों का आर्थिक दशा को सुधारने में मदद मिलेगी। देश में दो तिहाई लोग गांवों में रहते हैं जहां पर चिकित्सा का प्रबंध समुचित ढंग से नहीं है, यहां पर दवाईयां नहीं मिलती हैं, जिसके कारण लोगों को शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता है और इस कार्य में बहुत सा पैसा बेकार में खर्च हो जाता है। इसके लिए गांव स्तर पर व्यवस्था की जाए और प्रत्येक गांव को पांच किलोमीटर की दूरी के अस्पतालों से जोड़ा जाए, जहां पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध हों। सरकार ग्रामीण चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राशी बढ़ाकर 8207 करोड़ किए गए, जो पहले से 22 प्रतिशत के लगभग ज्यादा है।

महोदया देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार ने ऐजुकेशन पर कुल मिलाकर 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। जो पूरे देश की शिक्षा के लिए उत्साह की बात कही जा सकती है। इसमें सेकंड्री एजूकेशन पर सबसे ज्यादा जोर देने का वायदा किया है। इसके अलावा एजुकेशन सेस एक फीसदी बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, भारत

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

के गांवों के साथ न्याय है। मिड डे मील और सर्व शिक्षा पर जो राशी बढ़ाई गयी है, उससे देश में साक्षरता का विस्तार होगा, जो देश के बुनियादी विकास के लिए अति आवश्यक है।

देश में जिस गति से दूर संचार में प्रगति हुयी है और मोबाईल की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वह विश्व में सबसे अधिक है और यहां की काल दरें भी बहुत कम हैं। कुछ मोबाइल प्राइवेट कंपनियां लोगों का शोषण कर रही हैं और उनसे अनाप-शनाप वायदे और विज्ञापन देकर उनको अपनी सर्विस लिए जाने का प्रयास करती हैं और जब ग्राहक प्राइवेट मोबाइल सेवा ले लेता है, तो उसकी शिकायतों का निवारण नहीं किया जाता है। बीएसएनएल की जो मोबाइल सेवा है, वह प्राइवेट कंपनियों से अच्छी नहीं है, जबकि टावर और बुनियादी उपकरण भारत सरकार के अंतर्गत है, परन्तु न जाने क्यों बीएसएनएल एवं एमटीएनएल की मोबाइल सेवा लोगों को संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं कर रही हैं? कुछ लोगों का कहना है कि एमटीएनएल और बीएसएनएन के उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद इन प्राइवेट मोबाइल सेवा में कार्य करने के लालच में बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन और मोबाइल सेवा में सुधार करने की बजाय, वे प्राइवेट टेलीफोन और मोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के लोगों का पता लगाया जाए और देश हित में उन्हें पद मुक्त किया जाए, क्योंकि इन भ्रष्ट लोगों को बचाकर हमें भारत में दूरसंचार सेवा को धूमिल नहीं करना चाहिए।

महोदया, देश में बिजली की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा रहा है। देश में 13 प्रतिशत बिजली की कमी है और 13 प्रतिशत की कमी तो सरकारी आंकड़ों में है, परंतु जमीनी धरातल में देखा जाए, तो मेरे गुजरात के किसानों को 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, जिसके कारण यहां के किसानों को अपने खेतों को सींचने में दिक्कत होती है। आर्थिक समीक्षा में बिजली के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनकी केवल 58 प्रतिशत की ही प्राप्ति होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम बिजली क्षमता को मांग के अनुरूप नहीं बढ़ पा रहे हैं। माननीय विद्युत मंजी जी का कहना है कि देश में बिजली की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण बिजली की समस्या बढ़ रही है। सरकार को यह देखना चाहिए कि बिजली की मांग को किस तरह से पूरा किया जाए? केवल यह कहकर कि देश में बिजली की मांग बढ़ रही है, इससे देश में बिजली की समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में जो किसान हैं, उनको हजारों रुपए के बिजली बिल प्राइवेट बिजली कंपनियों ने दिए, जबकि किसान अपने घरों में कितनी बिजली प्रयोग करता हैं? केन्द्र सरकार प्राइवेट बिजली वितरण की कमियों और शोषण वाली नीतियों को यह कहकर टाल देती है कि यह राज्य सरकार का मामला है, परन्तु उसने इन कंपनियों को जो वितरण कार्य दिया है, वह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दिया गया है। जिसमें केन्द्र सरकार ने इन विद्युत प्राइवेट कंपनियों को सारे अधिकार दे रखे हैं, जिससे यह कंपनियां मनमानी कर रही हैं और जनता का खून चूस रही हैं। लोगों का कहना है कि खामियाजा दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। बिजली की तकनीकी को जानने वाले बताते हैं कि यह प्राइवेट वितरण कंपनियां बिजली लेने से वितरण करने के कार्य में इस तरह से काम कर रही हैं, जिससे भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत घाटा हो रहा है, पर ये कंपनियां करोड़ों रुपया कमा रही हैं। जब तक देश में लोगों को, उद्योगों को, खेतों को बिजली नहीं मिलेगी, तब तक देश के विकास की बात सोचना मूर्खता होगी। बजट में बिजली उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान देगा। देश में 19947 गांवों को बिजली पहुंचाने का कार्य प्रशंसनीय है, परंतु इस दिशा में जो काम किया जा रहा है, उस पर निगरानी रखना जरूरी है, नहीं तो पांच हजार गांवों का भी विद्युतीकरण नही हो पाएगा।

महोदया देश में सोने की जो खपत हो रही है, उसमें भारत में विश्व का पाचवां स्थान है और भारत में सोने का भंडार कुल विश्व का 10 प्रतिशत है। हमारे देश में हीरे, आभूषण और सोने के जेवरात विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं और हमारे देश के मजदूर जिस कला का काम इन आभूषणों पर करते हैं, वह भी बेमिसाल है। परंतु जब वे देश में जो उत्पादित मोने और अन्य आभूषण का निर्यात करते हैं, उस पर 5 प्रतिशत का कर लगाया जाता है और इन आभूषणों और सोने के कच्चे माल पर 2 प्रतिशत का कर लगाया जाता है, जिसके कारण लोग उत्पादित माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात करने में ज्यादा रूचि रखते हैं। जिससे हमारे देश के कई लाख कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। देश में कच्चे माल को निर्यात करने में ज्यादा टैक्स लगे और उत्पादित आभूषण वस्तुओं पर कम निर्यात कर लगे, जिससे देश के हीरे के आभूषण, सोने के आभूषण एवं अन्य आभूषण को निर्यात बढ़ सके और यहां के कारीगरों को काम मिल सकें।

महोदया, देश में तिलहनों की उपज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के किसान काफी मात्रा में करते हैं, परंतु उनको कृषि फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। उन्हें कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए और देश में श्रीलंका और अन्य देशों से कम आयात कर के कारण खाद्यान्न तेलों का आयात किया जा रहा है, जिसके कारण इन तिलहन फसलों किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं पा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिए इनके आयात कर में बढ़ोत्तरी करे।

महोदया, वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इन्कम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया जाए, जिससे बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत मिल सके और मध्यम वर्ग को लाभ मिल सके, क्योंकि

[श्री वी०के० ठुम्मर]

लोगों का कहना है कि मध्यम वर्ग को इस बजट से कोई फायदा नही हुआ है।

महोदया अंत में मैं भ्रष्टाचार की तरफ सरकार का ध्यान लाना चाहूंगा कि देश में सरकार चाहे कितनी प्रयत्नशील हो, चाहे कितना धन दिया जाए और कितने ही भाषण दिए जाएं, जब तक हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नही करेंगे, तब तक देश के विकास की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि विकास की हर बात को भ्रष्टाचार खा जाता है। देश में जितना राजस्व आना चाहिए, उतना नहीं आ पाता है, जबकि कारपोरेट और निजी क्षेत्र में जो विकास हुआ हैं, उसके बराबर राजस्व देश को नहीं मिला है। राजस्व विभाग में ही भ्रष्टाचार नहीं है। आज हर विभाग में भ्रष्टाचार है। सब जगह काम के रेट तय हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको पकड़कर दंडित करने किया जाए। भ्रष्टाचार का पता लगाने की प्रक्रिया में बहुत कमी है, उसमें सुधार लाया जाए। भ्रष्टाचार की एवज में जो सजा मिलती है, उसकी प्रक्रिया में आरोपी बच जाते हैं, इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

महोदया बजट देश के विकास में सहायक रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

डा० करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदया, वर्ष 2007-08 बजट पर बोलते हुये मैं शुरूआत में माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व और वित्तीय प्रबंधन ने देश को उच्च प्रगति के रास्ते पर डाल दिया है और 9.2 प्रतिशत की ऐतिहासिक विकास दर हासिल कर यू०पी०ए० सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र एवं व्यापक विकास-दर को तय करके भारत निर्माण के शिखर की दिशा में यह बजट कटिबद्ध है। यह निश्चित रूप से चिन्ता की बात है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर 4 प्रतिशत होनी चाहिये थी, उसके मुकाबले मात्र 2.3 प्रतिशत ही रही है लेकिन यह यह बजट बहुत सुगम है जिसकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोपरि रखने को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में भी गांव की खेती को सम्पूर्ण प्राथमिकता देने की बात कही गई है। देश की 80 प्रतिशत जनता गांव में रहने वाली आबादी हैं। हमें कृषि क्षेत्र में आजीविका हासिल करने वाले लोगों को सम्पूर्ण साधन समर्पित करने होंगे।

महोदया, किसान को अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पाता। यही सबसे बड़ा कारण रहा है देश में आत्महत्याओं का, किसानों की गरीबी का, ग्रामों के विकास नहीं होने का। इसलिए इस ओर संपूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से किसानों को उसकी लागत का मूल्य मिल सके, किस तरह से वह अपने परिवार की रोजी-रोटी कमा सके। मैं जिस क्षेत्र अलवर से आता हूं, वहां पर सरसों की बम्पर क्रॉप होती है। जब सरसों की फसल निकलकर बाज़ार में आती है तो उसका समर्थन मूल्य 1715 रुपये होता है लेकिन बाज़ार में उसकी कीमत 1200-1300 रुपये देकर व्यापारी खरीदता है, घोषणा होने के बावजूद। सरकारी ऐजेन्सियां और राज्य सरकारें ऐसे मामलों में बहुत ढिलाई बरतती हैं और उसी का नतीजा है कि किसान को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। यद्यपि इस बजट के अंदर टैक्स में कुछ कटौती की गई है - क्रूड आइल, पाम आइल जो हम बाहर से आयात करते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरसों की कीमत इसलिए नहीं मिल पाती कि श्रीलंका और नेपाल से हमारा जो समझौता है, उसके आधार पर डयूटी फ्री इंपोर्ट होता है और करीब ढाई-तीन लाख टन वनस्पति देश के अंदर आ पाता है। पिछली बार भी मैंने इसकी काफी चर्चा की थी और यहां आश्वासन दिया गया था कि श्रीलंका से आने वाले वनस्पति की मात्रा को कम किया जाएगा। इसके लिए नैफेड को कैनालाइज़िंग एजेन्सी भी बनाया गया था। यहां इस सदन में माननीय कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री महोदय ने कहा था कि अब जो वनस्पति आयात की जाएगी, वह रेगुलेटेड होगी, निश्चित मात्रा में होगी। लेकिन श्रीलंकन वनस्पति प्रोड्यूसर्स की इतनी बड़ी लॉबी है कि उन्होंने सरकार पर प्रभाव डालकर उस कैनालाइज़िंग एजेन्सी को हटाकर फिर वापस सरकार के हाथों में दे दिया। यहां जो सरसों, मूंगफली और सोया पैदा होता है, वह गोदामों में पड़ा रह जाता है और बाहर का तेल और घी आकर यहां बिकने लगता है। यह सरकार की नीतियों से जुड़ा हुआ मामला है। अलवर, भरतपुर और उत्तर भारत में जहां बहुत ज्यादा सरसों और मूंगफली पैदा होती है, उन किसानों को उचित मूल्य इसी कारण से नहीं मिल पाता। इसकी तरफ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेन्स स्कीम्स को व्यावहारिक बनाना पड़ेगा। मैं कल अपने क्षेत्र अलवर में था। वहां इतनी अच्छी सरसों की लहलहाती फसल पक गई, लेकिन बहुत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कल रात में जो बिना मौसम की बरसात आई, उसने सारी फसल को बरबाद कर दिया। वहां उसकी फलियां गिर गईं। आज अलवर, भरतपुर और उत्तर भारत का किसान मासूम बैठा हुआ है। सरकार की जो इंश्योरेन्स पॉलिसीज़ हैं, उनको व्यावहारिक और तर्कसंगत बनाकर उनका रिस्क कवर करके उनको लाभ मिल सके, इस तरह के प्रावधान बजट में किये जाने चाहिए। यद्यपि 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह बहुत कम है।

महोदया, सामाजिक न्याय यूपीए सरकार का मुख्य ध्येय रहा है। आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगी, लेकिन इसकी सफलता राज्य सरकारों के सहयोग पर

निर्भर है। 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को देनी होगी और मुझे संदेह है कि कौन सी राज्य सरकार और खास तौर से जो विपक्ष की सरकारें कुछ राज्यों में बैठी हैं, वे इसमें कितना सहयोग करेंगी, यह प्रश्नचिह्न है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसके लिए पूरा बजटीय प्रावधान करे, तभी इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिल पाएगा। भारत निर्माण में यूपीए के अन्य जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए अच्छे बजटीय प्रावधान किये गये हैं। वे स्वागत योग्य हैं। ग्रामीण सड़कों को अधिक धनराशि आवंटित करनी होगी। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कुछ गांव ज़रूर जुड़े हैं, लेकिन आज भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां सड़क के साधन नहीं हैं और इस कारण गांव विकसित नहीं हो रहे हैं। इस मामले में और अधिक ध्यान देना होगा।

सर्वशिक्षा अभियान में अधिक धनराशि देकर, दो लाख नये अध्यापकों की नियुक्ति, 50 लाख नयी पाठशालाएं, नये कमरों के लिए जो बजट प्रावधान किये गये हैं, वे निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। अब सर्वशिक्षा अभियान सैकेंड्री लैवल तक पहुंचाया जा चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जो सैकेंड्री और सीनियर सैकेंड्री स्कूल हैं, वहां सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है। वहां आप हिन्दी, अंग्रेजी और सोशल साइंस पढ़ लीजिए। आज जब हम व्यावसायिक शिक्षा की, टैक्नीकल एजूकेशन की बात करते हैं, गांव का विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पेशल बजट इसी बात के लिए दिया जाए ताकि गांवों स्कूलों में विज्ञान आदि सब्जैक्ट पढ़ाये जा सकें और इनकी लेबोरेट्रीज खुलें। गांव के बच्चों को साइंस दसवीं और 12वीं तक पढ़ने का मौका मिलगा, तभी वे शहर के अंदर अपनी कुछ प्रेजैंस शो कर सकेंगे और व्यावसायिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे।

महोदया, यहां एक प्रतिशत सेस सैकेंड्री शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए लगाया गया है और 54 प्रतिशत उन सीटों को बढ़ाने के लिए लगाया गया है, जिनमें केन्द्रीय संस्थान, आईआईएम, आईआईटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज़ शामिल हैं। पिछले साल इसी सदन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव करके यह पारित किया गया था कि केन्द्रीय संस्थानों में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि इन संस्थानों में जो विकृत मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जो आरक्षण शब्द से ही नफरत करते हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, इस तरह का जो वर्ग वहां बैठा हुआ है, वह इतनी बड़ी-बड़ी डिमांड बना कर भेज रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर 54 प्रतिशत सीट बढ़ाने के लिए आज वहां शायद पच्चास बच्चे हैं, उसे बढ़ाकर 80 करने के लिए दो-तीन हजार करोड़ रुपए का बजट बना कर भेज दिया गया है। जब विभाग से पूछा गया कि आप कितना पैसा चाहते हैं, तो इतनी एस्ट्रोनोमिकल फीगर्स बता दी गई। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए भी यह करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार तर्कसंगत जितना पैसा वे मांगते हैं, जैसे कुछ लेक्चर थियेटर्स चाहिए, मैं समझता हूं कि कुछ होस्टल्स हैं, जो सबसे पहले चाहिए। जिस कमरे में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, सौ बच्चे बैठ सकते हैं, वहां इतनी बड़ी फेकल्टीज हैं, जहां ये बच्चे पढ़ सकते हैं। उनके लिए कोई बहुत अधिक प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। जिनके मन में कुछ करने की इच्छा हो, अगर मैं आज ऑल इंडिया में आपके आशीर्वाद से कहीं बैठा हुआ होता, तो शायद पूरा 27 प्रतिशत पहली स्टेज में कर देता। आज वहां जो लोग बैठे हुए हैं, वे तीन साल में भी इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में हमें सोचना होगा। इसलिए कम से कम उनके पास यह गुंजाइश न रहे कि हमें बजट नहीं दिया गया, इसलिए हम इसे नहीं बढ़ा सके। इसलिए उनका जितना तर्कसंगत बजट है, उतना जरूर दिया जाए, उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, अन्यथा सदन में बैठ कर हम यह निर्णय लें कि इन पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि मुहैया की जाएगी, यह सिर्फ सपना ही रह जाएगा।

महोदया, मैं यहां इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पीएचडी और एम०फिल० में दी जाने वाली राजीव गांधी स्कॉलरशिप में वृद्धि की गई है। एससी, एसटी की पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप, जो पिछले वर्ष 440 करोड़ थी, उसे बढ़ा कर 611 करोड़ रुपए किया गया है। मैं समझता हूं कि यह भी कम है। मैं राजस्थान के जिस प्रदेश से आता हूं, वहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की काफी बड़ी संख्या है और पिछले साल वहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, वहां के समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के आगे धरने देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, तब जाकर वहां की राज्य सरकार ने यहां से बजट मांगा और वह भी मैं समझता हूं कि पूरा बजट वहां नहीं पहुंच पाया। इसलिए एक तरफ जब भी आरक्षण की बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि इन्हें पढ़ाओं, इन्हें पढ़ने की सुविधा दो, स्कॉलरशिप दो, लेकिन जब इन्हें स्कॉलरशिप देने का टाइम आता है, उस वक्त बजटीय प्रावधान इतने कम होते हैं कि हम अपने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को क्रियान्वित नहीं कर सकते। यहां जो ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की जा रही है।

[अनुवाद]

देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए केवल 91 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के संबंध में, जिसकी जनसंख्या 54 प्रतिशत है, जिनके लिए आरक्षण लागू किया गया है, जिनके लिए कानून बनाया गया है और तब हम कहते हैं कि उन्हें समुचित तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए और जब उनको छात्रवृत्ति देने का प्रश्न आता है तो उनके लिए मात्र 91 करोड़ रुपए दिए गए है। यह धनराशि बहुत ही कम है।

[डा० करण सिंह यादव]

[हिन्दी]

महोदया, यह 'ऊंट के मुह में जीरे' के समान है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आकलन कराएं कि ओ०बी०सी० के कितने छात्र पढ़ रहे हैं। राज्यों से उनकी डिमांड मंगवाएं और उसके आधार पर बजटीय प्रावधान करें। शुरू के साल में आपने कहा कि जो लोग छात्रावासों में रहते हैं, आप केवल उन्हें स्कॉलरशिप देंगे। जो राज्यों के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या जो जातीय छात्रावासों में रह रहे हैं, जैसे मराठा छात्रावास, जाट छात्रावास, महावर छात्रावास गूजर छात्रावास या माली छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चें को आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे। लोग सरकारी कॉलेजों में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों की फीसें बहुत बढ़ गई हैं। यदि आप को उन लोगों को आगे पढ़ाना है, उन्हें आगे तरक्की पर पहुंचाना है और देश में सामाजिक समरसता लाना है, तो उनके लिए धन का ज्यादा प्रावधान करना होगा।

महोदया, इसी के साथ, मैं अल्पसंख्यकों की बात कहना चाहता हूं। इस देश में अल्पसंख्यकों को बराबरी पर लाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। इस बजट के अंदर कुछ कोशिश की गई है। मैं अलवर के जिस क्षेत्र से आता हूं, वह मेवात का क्षेत्र है। वह शैक्षणिक दृष्टि से इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि उतने पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र कहीं नहीं होंगे। उस क्षेत्र में आजादी के 60 सालों के बाद अभी भी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं की बहुत कमी है। मैं बताना चाहता हूं कि अलवर, भरतपुर और हरियाणा के मेवात इलाके को आगे बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने होंगे। वहां स्कॉलरशिप देने के लिए स्कूल और कॉलेज खोले जाने चाहिए। उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए यह नितान्त आवश्यक है।

महोदया, मैं स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और जिंदगीभर गांव से लेकर शहर तक सरकारी सेवा ही करता रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जरूर अच्छा काम हुआ है, लेकिन हम जो बजट का 3.1 प्रतिशत धन आबंटित करने की बात कह रहे हैं, वहां केवल 1.3 प्रतिशत धन आबंटित कर के ही रह गए हैं। केवल 1000 करोड़ रुपए बढ़ाने से गांवों के अस्पतालों और सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थिति में कैसे सुधार होगा। मैं बताना चाहता हूं कि गांवों में गायकोनौलौजिस्ट हैं, सर्जन हैं और डॉक्टर हैं, लेकिन एक एनीस्थीसिएस्ट के न होने से ये सभी बेकार हो जाते हैं क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होती है और उसके अभाव में सभी चिकित्सा सेवाएं बेकार हो जाती हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि एनीस्थीसिएस्ट की बहुत जरूरत है और उसकी व्यवस्था गांवों के अस्पतालों में अवश्य होनी चाहिए।

महोदया, मलेरिया और ट्यूबरकोलोसिस से बचाव के उपाय बजट में दर्शाए गए हैं और धनराशि की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देश में जिस हिसाब से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और कोलेस्ट्रेल बढ़ने से, आर्ट्रीज के अंदर, नली में चारों तरफ कोलेस्ट्रोल जमा होने के कराण, नली में खून बहने की जगह कम होने से रक्त की जो गति बढ़ रही है, उसके कारण हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। मस्तिष्क की नलियों में खून जमने से ब्रेन हैमरेज के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये बीमारियां ऐपीडैमिक और एंडेमिक रूप में बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज और हार्ट अटैक के रोगी प्रति वर्ष बहुतायत से बढ़ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने जरूरी हैं। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि यह संतुलित बजट है। इसमें गरीब वर्गों और कृषि वर्ग का ध्यान रखा गया है। यदि मैं इसके बारे में लफ्फाजी भाषा में लपेट कर कहता तो लोगों को बहुत आकर्षण होता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यू०पी०ए० सरकार और आदरणीय सोनिया गांधी जी की मनशा को देखते हुए, इस बजट का लाभ आम आदमी को होगा।

सभापति महोदया : डा० कर्ण सिंह जी, आपने बहुत सही और अच्छी बात कही कि देश को अस्पतालों की जरूरत हैं। मैं कहना चाहती हूं कि देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए देश को और अस्पतालों तथा और डॉक्टरों की जरूरत है।

श्री सुभाष महरिया (सीकर) : सभापति महोदया, सन् 2007-08 का जो आम बजट पेश हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि महंगाई की दौड़ का चूहा पकड़ने के लिए जो दौड़ लगाई गई, वह चूहा इनकी पकड़ में नहीं आया। गत वर्ष के बजट के जो लक्ष्य बताए गए थे, वे क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की ढिलाई के कारण पूरे नहीं हो पाए हैं। गत एक वर्ष में जितनी महंगाई बढ़ी है, उतनी आजादी के बाद कभी नहीं बढ़ी है, इसे हम भली-भांति जानते हैं।

महोदया, इस देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण अंचल में रहती है, जहां के 74 प्रतिशत लोग आज भी गरीब हैं। उन गरीबों को आज भी आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है। आधारभूत ढांचे में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल के लिए बजट में जो आवंटन हुआ है, उसको भारत निर्माण के साथ जोड़ा गया है। इसको निश्चित रूप से हम सराहनीय कह सकते हैं। भारत निर्माण के नाम पर दो वर्ष में जो कुछ हुआ है, इसमें अभी तक जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वह आधी भी नहीं हो पाई है। आज आधारभूत ढांचे की कमी

के कारण प्रतिभाशाली बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है और उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता है।

महोदया, राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी योजना में, 130 और जिलों को लेने की बात कही गई है। देश का सबसे बड़ा, 3 लाख 46 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला राजस्थान राज्य है। राजस्थान के लोग आदिवासी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। राजस्थान सूखे से कई वर्षों से प्रभावित रहा है। देश के 600 जिलों में 130 जिले जोड़ने के बाद जो संख्या 330 बनती है, उसके हिसाब से राजस्थान के करीब एक तिहाई जिले आने चाहिए थे, लेकिन राजस्थान के मात्र 12 जिले लेने की बात कही जा रही है। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, उस काम को देखते हुए भारत सरकार और वित्त मंत्री जी को कम से कम 8 जिले और लेने चाहिए थे।

महोदया, पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। मैंने स्वयं केरल में जाकर किसानों की आत्महत्या के मामले देखे है। किसानों के साथ वसूली के नाम पर प्राइवेट साहूकारों का जो व्यवहार रहता है, उनको जो पुलिस इमदाद मिलती है, ऐसे में जब उसके खेत में फसल नहीं होती है तो क्या स्थिति बनती है, यह आप और हम सब जानते हैं। सरकार को किसान की फसल के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर देना होगा। उस उत्पादन का सही दाम दिलाने पर भी जोर देना होगा। कई बार उसको बुआई का पैसा भी नहीं मिल पाता है, जिससे वह बैंक और साहूकारों का पैसा उतार नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में वसूली की सख्ताई उसे आत्महत्या करने को मजबूर कर देती है। इस देश के अन्नदाता को बचाने के लिए हमें इस सदन के जरिए ठोस कदम उठाने चाहिए। किसान के साथ इस तरह का व्यवहार न हो। *(व्यवधान)*

सभापति महोदया, आपको वित्त मंत्री जी से क्या कहना है, वह बताइए।

श्री सुभाष महरिया : महोदया, किसान को उसकी जमीन गिरवी रखने पर जो ऋण दिया जाता है, वह उस जमीन के मूल्य की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए किसान की ऋण साख को उसकी जमीन के मूल्य के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। अपनी लाखों की जमीन वह दस-बीस हजार रुपये में गिरवी रख देता है, लेकिन जब उसे और अधिक ऋण की आवश्यकता होती है तो वह ले नहीं पाता है। इससे उसके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंको से उसे ऋण नहीं मिल पाता है।

महोदया, आज लघु उद्योगों के क्षेत्र में हम केवल 26.4 प्रतिशत ही उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। देश भर में जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जो सहूलियतें दी जा रही हैं, वे सारी की सारी सुविधाएं लघु उद्योगों को भी मिलनी चाहिए। आज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है, उनमें लघु उद्योगों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, वे सुविधाएं बहुत कम हैं। लघु उद्योगों के लिए स्पेशल लघु उद्योग एरिया बनने चाहिए। राजस्थान जैसे प्रदेश में आज लघु उद्योगों के लिए रियायतों वाला प्रदेश नहीं बनाया गया है। हमारे पड़ोस में ही हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की रियायतें दी गई हैं। राजस्थान तो निश्चित रूप से लघु उद्योगों के लिए रियायतों वाले प्रदेश में रखा जाना चाहिए, यह मेरी ओर से निवेदन हैं।

खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जो सुविधा देने की बात कही गई है, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को पूरे साल भर की जो प्रैक्टिस है, उसको देखते हुए उनको सीधे सुविधा मिलनी चाहिए। आज खिलाड़ियों को सीधी सुविधा नहीं मिलने के कारण जो खिलाड़ी परफोरमेंस दे सकते हैं, चाहे वे एशियाड गेम्स हों, चाहे कॉमनवैल्थ गेम्स हों, चाहे ओलम्पिक हों, उन खिलाड़ियों को सीधी सुविधा मिले। खेल के नाम पर, युवा मामले के नाम पर जो राशि का आबंटन है, अगर उस राशि में से जो खिलाड़ियों पर खर्च होने वाली है, उस राशि को देखेंगे तो वह 10 प्रतिशत से भी कम मिलती है। इसलिए खिलाड़ियों को सीधे पैसा मिले, जिससे कि खेलों में हमारा देश ओलम्पिक तक आगे आ सके।

एस०जी०एस०वाई० प्रोजैक्ट के लिए आज 2.32 लाख ग्राम पंचायतें हमारे पूरे देश भर में हैं, 34 लाख नुमाइन्दे हैं, जिसके कारण दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष है। लेकिन एस०जी०एस०वाई० के नाम पर 1-1 ग्राम पंचायत और राजस्व ग्रामों के नाम पर 5-5 बड़ी-बड़ी गांवों की हमारी संख्या है। 2.32 लाख ग्राम पंचायतें लगभग आठ लाख गांवों में फैली हुई हैं, लेकिन एस०जी०एस०वाई० के नाम पर एक लाख, सवा लाख रुपया हर पंचायत को प्रतिवर्ष आता है। एक लाख, सवा लाख रुपये में कितना आधारभूत ढांचा खड़ा हो सकता हैं यह आप और हम भलीभांति जानते है। इसको सीधे चार गुना करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि एस०जी०एस०वाई० स्कीम के लिए और एस०जी०एस०वाई० स्पेशल प्रोजैक्ट्स की देश के विभिन्न सभी 28 राज्यों में अलग-अजग परिस्थितियां हैं। वहां पर अलग-अलग पायलट प्रोजैक्ट्स बनाये जा सकते हैं, अलग-अलग पायलट प्रोजैक्ट्स के लिए सीमा निर्धारित करना जरूरी है। आज ऐसे कई प्रदेश हैं, जहां एस०जी०एस०वाई० स्पेशल प्रोजैक्ट में 20-20 प्रोजैक्ट्स दिये गये हैं और दूसरी तरफ राजस्थान जैसे ऐसे प्रदेश भी हैं, जहां मात्र 1-2 प्रोजैक्ट्स दिये गये हैं। इसलिए मैं आपके जरिये वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्पेशल प्रोजैक्ट्स के जरिये ऐसे प्रदेशों में, जिनको प्रोजैक्ट्स नहीं दिये गये हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि

[श्री सुभाष महरिया]

से, जनसंख्या को दृष्टि से इस प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक है, ताकि इसमें दोगलापन न हो सके और जिन राज्यों में प्रतिपक्ष की सरकारें हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार है, वह न हो सके।

आज इस आम बजट के अवसर पर मैं अपनी ओर से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उसकी मोनेटरिंग जरूरी है। इस देश में ग्राम पंचायतों से बड़ा कोई एन०जी०ओ० नहीं है। ग्राम पंचायत देश का सबसे बड़ा एन०जी०ओ० है। लोग ग्राम सभाओं में उसकी मोनेटरिंग करते हैं, लोगों को उन्हें हटाने का अधिकार है, सरकार का उन पर अंकुश है, लेकिन देखा जा रहा है कि जल ग्रहण के नाम पर, वाटरशेड के नाम पर गैरपरम्परागत एन०जी०ओ० को हर डिपार्टमेंट से पैसा दिया जा रहा है, जबकि वह पैसा हमारी ग्राम पंचायत के जरिये लगना चाहिए, हमारी ब्लाक पंचायतों, हमारी पंचायत समितियां, हमारी जिला परिषदों के जरिये वह पैसा खर्च होना चाहिए। इसलिए इस पर पाबन्दी होनी चाहिए कि एन०जी०ओ० के नाम पर जिस प्रकार से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं और एक ऐसे एन०जी०ओ०, जो किसी गांव में जाता है, साल, दो साल, तीन साल तक वहां रहकर, अपना जाल फैलाता है, उसके बाद उसका कोई सार-संभालने वाला नहीं है, उस पर कोई अंकुश नहीं। इस बारे में मेरा पुरजोर निवेदन है कि ग्राम पंचायत ही सबसे बड़ी है जो हमारे देश भर में एन०जी०ओ० है, उस ग्राम पंचायत के थ्रू ही पैसा लगना चाहिए, उसके जरिये ही पैसा लगना चाहिए। इसलिए आम बजट में इन सब आवश्यकताओं में हमारे देश में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, उनके ऊपर वित्त मंत्री महोदय अपने जवाब में ध्यान दें और इस बात की संभाल करें कि गांव का व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सकता है, तब तक यह देश भी सुदृढ़ नहीं हो सकता है। 21वीं शताब्दी की यह दौड़ कुछ एक लोगों के लिए नहीं है, 108 करोड़ लोगों में सक यह दौड़ मात्र 25 करोड़ लोगों को दौड़ने के लिए नहीं दी गई है। इसमें 108 करोड़ लोगों को मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

बजट में गांव के लोगों के लिए जो रेवेन्यू है, जो गांवों की जनसंख्या और क्षेत्रफल है, उसका 75 प्रतिशत पैसा शहरों में खर्च होता है, और 25 प्रतिशत ही उस गांवों पर होता है। गांव के 75 प्रतिशत लोगों पर मात्र 25 प्रतिशत पैसा खर्च होता है। इसलिए गांव के लोगों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे शहरों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। महानगरों को और बड़े महानगर बनाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जितनी छोटे-छोटे गांव, कस्बों और ढाणियों को आगे लाने की आवश्यकता है। आज छोटे-छोटे शहरों को आगे लाने की आवश्यकता है।

महोदया, मेरा एक और निवेदन है। आज राजस्व भार के नाम पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे सड़कें जोड़ी जाती हैं, उसमें जो हैबिटेशन और ढाणियां हैं, उनकी जनसख्या राजस्व ग्राम से ज्यादा है। उनकी संख्या हजारों में है। इनको भी इसमें शामिल किया जाए। हैबिटेशन को राजस्व ग्राम की सीमा में शामिल किया जाए। पांच सौ से अधिक आबादी वाले हैबिटेशंस को इस योजना में शामिल किया जाए, यही मेरा अनुरोध है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होने संसद में बजट पेश किया? यह बजट इस देश के बजटीय इतिहास में यह बजट बजटीय संदर्भ में और अपनी समग्र भावनाओं के संदर्भ में अभूतपूर्व है। बजट में 9 प्रतिशत की विकास दर दिखाई गई है और विनिर्माण क्षेत्र में 11.2 प्रतिशत की दर दिखाई गई है। बचत क्षेत्र में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है। निवेश में 34 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है और अब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 95 मिलियन डॉलर है।

इसी संदर्भ में बजट संग्रहण में भी अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई गई है। निगमित कर में 49 प्रतिशत और आयकर में 24 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है। सीमा शुल्क ने राजस्व में लगभग 32.7 प्रतिशत का योगदान दिया है और 12 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। इस परिदृश्य में सभापति महोदया, आज देश उस मुकाम पर पहुंच गया हैं जहां से हम अपने राष्ट्र को विकास के उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां पर हम इसे देखना चाहते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि अर्थव्यवस्था में जो यह वृद्धि हुई है, यह वृद्धि कृषि क्षेत्र की सहायता करेगी। हमने देखा और सुना है कि कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र के लिए किस प्रकार आबंटन करने की परिकल्पना की गई है। अवसंरचना सिंचाई, बेहतर जल संसाधन किसानों के लिए कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण और उर्वरक राजसहायता पर ज्यादा बल दिया जाएगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता?

इस अवसर पर मैं माननीय वित्त मंत्री के भाषण के एक अंश का भी संदर्भ देना चाहता हूं जिसमें इन्होंने कहा हैं विकास के अवसरों और संभावनाओं के संदर्भ में राष्ट्र के पास किसानों के लिए जो कुछ है यदि किसान उन्हें सिर्फ हाथ बांधे देखता रहेगा तो उसे इससे कुछ

भी हासिल नही होने वाला है। मैं कृषि सुधारों के संपूर्ण इतिहास पर आता हूं कि लगभग 1500 वर्षों से किसान निर्विघ्न रूप से इस देश की सेवा कर रहा है। एक तरफ मैं जहां यह कहता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि यदि किसान हाथ बांधे खड़ा रहा तो उसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लाभ नहीं मिल सकता लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्र में किसान कभी भी परेशानियों से मुक्त नहीं रहे है और यही कारण है कि वह कभी भी उत्पादक व्यक्ति नही बन पाया है। केवल आज ही वह समय है जब राष्ट्र अवसरों के संदर्भ में और वृद्धि के संदर्भ में औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ कृषि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को समर्थ बना रहा है।

यह एक प्रशंसनीय बात है और मैं समझता हूं कि किसान इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। अपने बजट के प्रावधानों में वित्त मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि वह प्रगति रूपी विकास की नौका को वायु रूपी, पथ-प्रदर्शक प्रावधानों के सहारे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते है। यह ठीक ऐसा ही है जैसा कि गहरे समुद्र में हवा किसी नौका को निरन्तर आगे बढ़ाती है। मेरा यह भी मानना है कि बजट में जिन प्रावधानों को लागू किया गया है उससे सुनियोजित राष्ट निर्माण में राष्ट्र के लोगों के सभी तबको. के शामिल होने की संभावना है। मैं सोचता हूं कि अब हम ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब हम इस राष्ट्र में वो सब पा सकतें है जिसकी हमने आकांक्षा की थी। मुझे यह स्वीकार में जरा भी झिचकिचाहट नहीं है कि 2007-08 के बजट ने जो पथ तैयार किया है उससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को इसकी 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने में गति आएगी। इस संभावना को मूर्तरूप देने के लिए वित्त मंत्रालय ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं पूरे वित्त मंत्रालय की प्रसंशा करता हूं। जिस प्रकार का राष्ट्र हमें चाहिए उसकी कल्पना हमें प्रदान करने के लिए मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा करना चाहूंगा। भारत के महामहीम राष्ट्रपति ने दृष्टिकोण रखते हुए संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा था, उस परिप्रेक्ष्य में यह सबसे जरूरी और सबसे उचित बात है और इस पर बजट में उन्होंने बल दिया है। हम कई दर्शाको के बाद ऐसा होते हुए देख रहे है कि सभी क्षेत्रों के लोगों को समायोजित और शामिल किया गया है जैसाकि मैने पहले भी कहा है कि इसे संभव बनाने के लिए हर किसी को इसमें भाग लेना होगा और माननीय वित्त मंत्री केवल इस मामले के लिए भी बधाई के पात्र है।

मैं वित्त मंत्री से एक बात और कहना चाहता हूं कि अपने बजट में उल्लिखित परिव्ययों के परिणामों पर बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन दिए गए परिव्यय के संदर्भ में परिणामों की प्रगति के विश्लेषण से मैंने पाया है कि सुपुर्दगी प्रणाली पर बहुत कम ध्यान दिया गया है और सुपुर्दगी प्रणाली भी व्यापक चिंता का कारण हो सकती है। एक बार इस बात का उल्लेख किया गया था कि इस व्यवस्था में आम आदमी के पास संसाधनों के लिए आवंटित एक रुपए में से मात्र 18 पैसे ही पहुंचते हैं। ऐसा कहा गया था और हम एक सरकार के नाते और लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते अब भी उत्पादकता की इस असमर्थता को स्वीकार करने के लिए बाध्य है और इस संबंध में संसद के अनेक वर्गों ने काफी चिंता व्यक्त की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो लोग परिव्यय के निर्धारण का कार्य करते हैं वे परिणामों पर निगरानी नही रखते है और जो परिणाम संबंधी कार्य करते हैं। उनमें जिम्मेदारी का अभाव है।

अपराह्न 5.43 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों की सुपुर्दगी प्रभावित होती है। इसलिए यदि हम परिणाम प्राप्त करना चाहते है तो हमें कुछ हद तक जिम्मेदारी तय करनी होगी केवल तभी हम यह पता लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर लोग क्या चाहते है। माननीय वित्त मंत्री एक बजट प्रभाव आकंलन लेखा परीक्षा की स्थापना करने पर विचार करें जिससे वित्त परिव्ययों विशेषकर नए बजट प्रस्तावों में आम किसानों के लिए परिकल्पित बढ़े हुए परिव्यय की कार्य कुशलता और प्रभावकारिता की निगरानी की जा सकें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऋण प्रणाली सुविधा के स्थान पर परेशानी का सबब न बन जाए और किसानों को इस बात का आश्वासन मिले कि उसकी सिंचित भूमि से उसे मनमाफिक परिणाम मिलेंगे।

महोदय, यह बजट एक विशेष मामले में अद्वितीय है इसका कारण यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्र अपने बजट के माध्यम से राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया के घटक के रूप में उन लोगों तक पहुंचा है जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचाया गया था। इस प्रकार तैयार किये गये फ्रेमवर्क से मंत्रालय और सरकार की जिम्मेवारी और अधिक बढ़ गई है। ये दोनों यह सुनिश्चित करे कि स्वप्नों के परिणामस्वरूप जो आकांक्षाए अब की जा रही है और जिन्हें पूरा करने हेतु बजट प्रस्तावों में भी उन्हें रखा गया है, बाद की गतिविधियों के परिणामस्वरूप भी वे ज्यों की त्यों रहें।

महोदय, मैं सोचता हूं कि जैसे-जैसे हम इनक्लुसिव बजट की ओर बढ़ रहे हैं, तो बजट को एक भ्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए अथवा एक ऐसे वादे के रूप में जिसे शायद पूरा न किया जा सके। मैं यह देखना चाहूंगा कि बजट में ऐसे प्रावधानों को किया जाना चाहिए जो कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें प्रस्तुत किये गए हैं न कि ऐसी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो पूरी नही हो पाती है। इसलिए, वित मंत्री और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी बजट में पेश किये गए मुद्दों के प्रति और भी बढ़ जाती है।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

महोदय, मैं केन्द्रीयकृत कारोबारी व्यवस्था के लिए सुझाव के रूप में तीन क्षेत्रों की तरफ माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

प्रथम, बजटीय आबंटन में मैंने पाया है कि सच्चर समिति के माध्यम से उपजी संवदेनशीलता के बावजूद अल्पसंख्यकों के लिए यह आबंटन उन्हे राष्ट्र द्वारा अपने सभी नागरिकों के लिए समानता के स्तर तक पहुंचाने की दृष्टि से समर्थन प्रक्रिया के रूप में पर्याप्त नहीं है। मैं सोचता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का गठन इस प्रकार से होना चाहिए कि यह एक ऐसा केन्द्र बने जहां न केवल मुस्लिम, सिख अथवा इसाई अपितु सभी अल्पसंख्यक राजस्व अथवा ऋण अथवा किसी भी प्रकार की विकास सहायता प्राप्त कर सकें जिससे कि वे लघु उद्योगों अथवा स्व वित्त पोषित परियोजनाओं की स्थापना कर सकें जो उन्हे नई अर्थव्यवस्था में उत्पादनकारी भागीदार बना सकें।

महोदय, मैं सोचता हूं कि जैसे-जैसे हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे है; तो ज्ञान की ताकत जनता के सभी वर्गों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए की गई समर्थन व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मानव पूंजी का संवर्धन हो सकता है जो कि वैश्वीकरण और हमारे द्वारा परिकल्पित प्रगति के घटकों के रूप में नई अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सकता है। इस संदर्भ में, जबकि 34 प्रतिशत की वृद्धि प्रशंसनीय है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा कमरों के रूप में, उपस्करों के रूप में, सुविधाओं और जैसा कि मेरे साथी ने उल्लेख किया था छात्र-छात्राओं के लिए प्रयोगशालाओं के रूप में इन्हे सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। केवल विद्यालयों की स्थापना करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु इन विद्यालयों में क्या होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए मैं सोचता हूं कि वित्त मंत्रालय और विशेषकर वित्त मंत्री जो स्वयं प्रबुद्ध हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रावधान करके इन्हे शिक्षा प्रणाली में समेकित करेंगे जिससे कि आउटपुट के रूप में गुणवत्ता और निष्पादन इस प्रकार हो कि यह केवल अवसरों जो कि सम्भावनाओं के आसरे होते हैं। के बजाय गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्रदान कर सके।

मैं संक्षेप में यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस बजट में युवाओं और रोजगार दोनों पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है। राष्ट्र के युवाओं, जो कि देश का भविष्य है, की ओर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वे नव राष्ट्र जो हम स्वयं बना रहे हैं, के निर्माण में भागीदारी कर सकें। हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि ग्रामीण और अर्धग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परामर्श इकाइयों को प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि व्यावसायिक संस्थानों अथवा उच्च शिक्षा के हमारे संस्थानों के छात्रों को समुचित जानकारी दी जा सके और वे यह समझ सकें कि हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं और कौन-कौन से अवसर उभर रहे हैं, राष्ट्र के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं और वे इन अवसरों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। बच्चों को मिलने वाली शिक्षा और हमारे वित्तीय परिव्ययों के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाये जाने वाले अवसरों के बीच में विसंगति है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस देश में खेल-कूद की स्थिति की ओर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हर बार जब भी ओलम्पिक अथवा राष्ट्रमंडल खेल अथवा क्रिकेट विश्व कप होता है तो तो जनता की आकांक्षाएं उन खिलाड़ियों के स्तर से जुड़ जाती है जिन्हे हम तैयार करते हैं। चूंकि हम उन्हें जो सुविधाएं प्रदान करते हैं उनमें बहुत असंगति होती है। इसलिए वे राष्ट्र की उनके प्रति आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहते हैं चाहे ये एथलेटिक्स हो या खेल हो ...*(व्यवधान)*

क्या मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि व्यवस्थित रूप से मानकों को तैयार करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है? जब भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, तो यह आशा की जाती थी कि यह प्राधिकरण इस देश में प्रतिबद्धता के मानक तैयार करेगा और ऐसा माहौल तैयार करेगा जिसमें विश्व स्तरीय एथलीट और खिलाड़ी उभर सकें। फिर भी, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इस आकांक्षा को पूरा नही किया जा सका।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात पूरी करें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री फ्रांसिस फैन्थम : मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि खेल संस्कृति को बनाए रखे जाने की आवश्यकता है और वित्त मंत्री जी को उन सम्भावनाओं की सुव्यवस्थित योजना बनाने की आवश्यकता है जो इस राष्ट्र के युवक अपेक्षा करते हैं। विशेषकर ग्रामीण स्वदेशी खेल नजरअंदाज रहते हैं क्योंकि पश्चिमी पद्धति पर आधारित खेलों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि खेल संस्कृति को बनाने के उद्देश्य से नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिससे कि हम जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं वह हम बना सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मुझे इस बजट और इसके उपबन्धों का समर्थन करना मेरे लिए खुशी की बात है।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वित्त मंत्री जी ने 2007-2008 का जो बजट रखा है, इसमें आम आदमी को आम तो नसीब क्या होना था, गुठली भी नसीब होना दूर की बात है। यूपीए सरकार बनने के पहले लोक सभा चुनावों के समय मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आए तो 100 दिनों में महंगाई कम कर देंगे। लगता है कि उनका वादा सिर्फ वादा ही रह गया। वह कसौटी पर खरे नहीं उतरे। वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए इस बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन जिन्हें मिलना था, उन्हें मिला है।

1972 से लेकर आज तक जितनी बार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार केन्द्र में आई है, उसने कभी गरीबी हटाओं के नाम पर, कभी हरिजनों के उत्थान के नाम पर और कभी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर अपनी सरकार बनाई। जब-जब भी कांग्रेस पार्टी केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई है, महंगाई बढ़ती गई है। आम आदमी को दाल-रोटी मिलना दूभर हो गया है।

आज से तीन साल पहले जब एनडीए सरकार थी, उसके बाद से अब तक देश की जनता कितनी मार महंगाई की झेल रही है, यह हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सरकार के समय गेहूं पांच रुपए प्रतिकिलो था, जो अब दस रुपए प्रतिकिलो हो गया है। इसी तरह से चावल की कीमत भी 12 रुपए प्रतिकिलो हो गई है और तेल का भाव 35 रुपए प्रतिकिलों से बढ़कर 50 रुपए प्रतिकिलो हो गया है। दालों की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। जो दाल एनडीए सरकार के समय 25 रुपए प्रतिकिलो थी, वह अब 60 रुपए प्रतिकिलों से भी ऊपर बिक रही है। पेट्रोल और डीजल के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बताया है। बढ़ती हुई महंगाई देश के नागरिकों के अनुकूल नहीं है इसलिए वित्त मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

एनडीए सरकार के समय मुद्रास्फीति की दर 4.5 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 6.72 प्रतिशत तक आ गई है। एनडीए सरकार के समय रसोई गैस आसानी से सुलभ थी, लेकिन अब उसकी कितनी किल्लत है, इस पर कई सदस्यों ने इसी सदन में समय-समय पर अपनी राय प्रकट की है। आज से तीन साल पहले ऋण की ब्याज दर सात प्रतिशत थी, जो बढ़कर 10.50 प्रतिशत तक हो गई है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ब्याज की दर पुनः घटाई जाए। वर्तमान में आम आदमी जिस तरह से महंगाई की मार झेल रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

एनडीए सरकार के समय सीमेंट और लोहा सस्ते दामों पर बिकते थे, लेकिन अब उनके दामों में दोगुना से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है, यह कहने में मुझे कोई शंका नहीं है।

मैं कृषि के बारे में वित्त मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं, वह जिला एग्रीकल्चर लैंड के रूप में जाना जाता है। वहां के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कृषि की विकास दर चार प्रतिशत होनी चाहिए थी, जो इस बजट में मात्र 3.4 प्रतिशत ही रखी गई है।

सायं 6.00 बजे

मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि किसानों को उनकी लागत का सही मूल्य मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चूंकि आप युवा सदस्य हैं इसलिए आप 6 बजे के बाद भी अपनी बात जारी रख सकते हैं। किन्तु संक्षेप में कहे। तत्पश्चात् यह सभा शून्य काल निवेदनों पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द : माननीय सभापति महोदय, सरसों और कपास के भाव में जिस तरीके से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। सन् 1990 में किसान की कपास का भाव 2500 रुपये क्विंटल था। लेकिन आज 17 साल बाद किसान की कपास का भाव मात्र 1500-1700 रुपये प्रति क्विंटल है। सरसों का प्रति क्विंटल 3000 रुपये था लेकिन वर्तमान में 1700 रुपये ही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में इनकी सही व्यवस्था करनी चाहिए थी जो आप कर नहीं पाये हैं। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय श्री करण सिंह जी जिस तरीके से बताया कि तेल बाहर से आता है, उसकी ड्यूटी फ्री कर रखी है, अगर उस पर 100 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाए तो किसान की उपज का मूल्य कुछ बढ़ सकता है, कुछ मूल्य अधिक मिल सकता है।

राजस्थान के बजट में युवाओं को भत्ता देने के लिए, राजस्थान की मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बेरोजगारी भत्ते में 75 प्रतिशत का केन्द्र शेयर करे। किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने के लिए प्रत्येक प्रदेश में एक-एक जिले को केन्द्र सरकार चुन रही है। राजस्थान में गंगानगर जिला पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है। उसको मॉडल जिला केन्द्र सरकार द्वारा चुना जाना चाहिए। इस बजट में केन्द्र सरकार से मैं एक और निवदेन करूंगा कि केन्द्र सरकार ने 31 जिलों को संकटग्रस्त माना है जबकि संकटग्रस्त जिले बहुत बड़े पैमाने पर हैं। करीब 100 से ऊपर जिले संकटग्रस्त निकल सकते हैं। केन्द्र सरकार

[श्री निहाल चन्द]

दुबारा सर्वे करवाये और संकटग्रस्त जिलों को योजना में शामिल किया जाए। एनडीए की सरकार ने फलस बीमा योजना की शुरूआत की थी। फसल बीमा योजना में आपने एक तहसील मुख्यालय रखा है लेकिन जब संकट आता है तो पूरी तहसील में नहीं आती, गांव-गांव में आती है चाहे ओलावृष्टि हो या फसल नष्ट होने का मामला है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको ग्राम पंचायत या ग्राम इकाई रखा जाए जिससे किसानों को फायदा मिल सकें। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं अपने राज्य उड़ीसा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं और यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महेन्द्र तनाया नदी की धारा को बदलने से संबंधित है जिससे उड़ीसा की छह ग्राम पंचायते प्रभातिव होगी और पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा।

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों के बीच बंसधारा नदी पर कतरगुदा परियोजना और गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजनाओं से संबंधित विवाद भी सुलझाना है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री वाई० राजशेखर रेड्डी ने महेन्द्र तनाया तट दूर सिंचाई परियोजना की घोषणा कर दी है जिससे पार्लाखेमुदी नामक गजपति के जिला मुख्यालय में और आस-पास के क्षेत्रों में अत्यधिक असंतोष फैल गया है। यह परियोजना हमारी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। प्रारम्भिक डिजायन के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की लागत 127 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

हमें इस परियोजना में निवेश की जाने वाली धनराशि की चिन्ता नहीं है किन्तु हमारी चिन्ता यह है कि पार्लाखेमुदी की उपरिधारा से 8 किमी० दूरी पर स्थित मेल्लीपुटी गांव और पार्लाखुमुदी से 20 किमी० की दूरी पर पोलुरू पर दो जलाशयों में जिन्हें श्रीकाकुलम जिले में बनाया जा रहा है, महेन्द्र तनाया नदी का पानी आयेगा जिससे गोसानी खण्ड की छ: ग्राम पंचायतों को जल की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। मेरा यहां यह अनुरोध है कि पार्लाखुमुदी जिला मुख्यालय में पेयजल की कमी होने की सम्भावना है। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं और आंध्र प्रदेश सरकार को एकतरफा इस परियोजना पर कार्यवाही करने से रोकने का अनुराध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार को उड़ीसा सरकार को विश्वास में लेने के लिए बल देना चाहिए क्योंकि महेन्द्र तनाया एक तटवर्ती नदी है। मैं सरकार से तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं और इस स्थिति को हाथों से बाहर न जाने दें।

[हिन्दी]

डा० करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, इस बेमौसम की बरसात ने राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिले में सरसों की फसल को बुरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। कल और परसों मैं अपने संसदीय क्षेत्र में था। समूची सरसों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन रात में इतनी तेज बारिश आई कि सारी फसल खराब हो गई। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग जांच कराए और वहां के किसानों को मुआवजा दे, ताकि किसानों को राहत मिल सके। केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा वहां की जांच करवा कर किसानों को राहत पहुंचाने का काम करे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। यह बात समझ में नहीं आती है कि जब-जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, तो हर चीज का अभाव भी हो जाता है और भाव भी बढ़ जाता है। अभी पूरे क्षेत्र में कुकिंग गैस मिल नहीं रही है और दाम तो भी बढ़े ही हैं तथा 21-21 दिनों तक उसकी बुकिंग नहीं लेते हैं। इस सबके बावजूद दूसरी बात यह है कि डीलरों को कंपनियों द्वारा अपना घाटा कम करने के लिए यह जबरदस्ती की जा रही है कि आप अलग-अलग चीजें बेचने के लिए रखो। कहीं डंकन की चाय, कहीं सुरक्षा नली, बर्तन, बासमती चावल दुकान पर रखते थे। इसके लिए डीलर ग्राहकों से जबरदस्ती करता है कि यदि आपको गैस का सिलेंडर चाहिए तो आपको डंकन की चाय तो लेनी ही पड़ेगी। यह डीलरशिप परचून की दुकान बन गई है, लेकिन परचून की दुकान पर हमें जो खरीदना होता है, वह हम खरीदते हैं, लेकिन यहां गैस का सिलेंडर देने के साथ यह जबरदस्ती की जाती है कि ये चीजें भी खरीदी जाएं। जब डीलर से हम शिकायत करते हैं कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए तो डीलर कहता है कि हमें ऊपर से थोपा जाता है, हमसे कंपनियां एडवांस चैक लेती हैं कि इतनी चाय आपके पास रखी है और इसका इतना पेमेंट बनता है। इस तरह से सामान्य उपभोक्ता परेशान हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगी कि कंपनियां अपना घाटा पूरा करने के लिए डीलरों द्वारा उपभोंक्ताओं को तंग कर रही हैं। पहले ही गैस का सिलेंडर समय पर न मिलना और ऊपर से न चाहते हुए खरीदारी करना, बहुत ही परेशानी का कारण है। इस तरफ सरकार ध्यान दे और इस परेशानी से आम जनता को निजात दिलाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस मत का समर्थन करता हूं कि गैस की कमी हर जगह है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले, बीपीएल लोगों को केन्द्र सरकार पहले 35 किलोग्राम चावल देती थी। 35 किलो की जगह अब उन्हें 22 किलो चावल दिया जा रही है। यह कटौती किए जाने से लोगों में असमंजस की स्थिति है, जिससे लोग परेशान हैं, हताश हैं तथा सरकार के प्रति आक्रोशित हैं। इसी तरह से शक्कर और गेहूं के कोटे में भी कटौती की गयी है। इस तरह कुल 1600 टन चावल और 100 टन गेहूं की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार 35 किलोग्राम चावल देने की बजाय 22 किलोग्राम चावल देना और 13 किलोग्राम की कटौती करना अनुचित है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि बीपीएल लोगों के लिए 35 किलों को कोटा दिए जाए जिससे वहां के लोग अपना भरण-पोषण कर सकें। वे भुखमरी की स्थिति में हैं, वे कमजोर होने के कारण कमा नहीं पा रहे हैं। प्रत्येक परिवार को और अधिक चावल का कोटा बढ़ाने की जगह केन्द सरकार उसे घटा रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि चावल के कोटे में जो कटौती गयी है, उसे बंद करके पुनः 35 किलोग्राम चावल दिया जाए। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, जयपुर शहर में जयपुर मेटल इंडस्ट्री को बंद हुए लगभग आठ वर्ष हो गए हैं। इसमें जितने कर्मचारी काम करते थे, वे बहुत दुःखी हैं। उनमें से कई तो मर चुके हैं, लगभग 435 कर्मचारी मर चुके हैं। और कुछ लोग पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे लोग बहुत दुखी हैं। मैंने पिछली बार भी कहां था तब उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि मैं वहां जाऊंगा और जयपुर मेटल इंडस्ट्री को चालू करवाऊंगा लेकिन वह इंडस्ट्री चालू नहीं हुई है। जयपुर मेटल इंडस्ट्री की जमीन रेलवे विभाग के पास है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो मेटल इंडस्ट्री की जमीन को बेच कर कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जाए तो कर्मचारी जीवित रह सकेंगे। कर्मचारी मर रहे हैं, जयपुर मेटल इंडस्ट्री जयपुर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज बॉलबेरिंग कंपनी में लोगों की छंटनी हो रही है, अगर जयपुर इंडस्ट्री बंद हो गई तो जयपुर शहर में उद्योग-धंधा बंद हो जाएगा। माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय बहुत दयावान हैं इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप उनको कह दीजिए कि उस इंडस्ट्री को चालू करवाएं। भारत सरकार ने जो कुछ भी करना है, पैसा देना है वह दे, अगर भारत सरकार पैसा नहीं दे सकती है तो रेलवे विभाग को जमीन बेचकर उन कर्मचारियों का भुगतान करें। यह बहुत बड़ी मानवीय समस्या है, इससे बढ़कर और कोई दुःख हो नहीं सकता है। अब मैं आपके समाने रो तो नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जयपुर इंडस्ट्री को चालू करवाएं। मंत्री जी ने यहां आश्वासन दिया था कि जयपुर इंडस्ट्री चालू हो जाएगी।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : सभापति महोदय, मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, साहब अंग्रेजी में पता नहीं क्या कह गए हैं? मैं हिन्दी समझता हूं इसलिए कृपया आप इसे हिन्दी में कह दें। आप उद्योग मंत्री जी को कह दीजिए।

श्री विजय हान्डिक : इसे माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाएंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आप भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सभापति महोदय, जिस प्रकार हम उत्कृष्ट संसद सदस्य का पुरस्कार प्रदान करते हैं, उसी तरह श्री गिरधारी लाल भार्गव को शून्य काल के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के सबसे ज्यादा मुद्दों को उठाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप एक पुरस्कार देने की पहल करनी चाहिए।

सभापति महोदय : अब सभा कल समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 13 मार्च, 2007/
22 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे
तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री दानवे रावसाहेब पाटील	181
2.	श्री इलियास आजमी	182
3.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री संजय धोत्रे	183
4.	श्री रायापति सांबासिवा राव	184
5.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन श्री महावीर भगोरा	185
6.	श्री ई० पोन्नुस्वामी श्रीमती पी० सतीदेवी	186
7.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्री एल० राजगोपाल	187
8.	श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील	188
9.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	189
10.	डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	190
11.	श्री एम० राजा मोहन रेड्डी श्री एन०एन० कृष्णदास	191
12.	श्री प्रशान्त प्रधान श्री अनन्त नायक	192
13.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई श्री कैलाश मेघवाल	193
14.	श्री हेमलाल मुर्मू	194
15.	श्री विजय कृष्ण	195
16.	श्री रघुनाथ झा	196
17.	श्री मनसुखभाई डी० वसावा श्री वी०के० ठुम्मर	197
18.	डा० एम० जगन्नाथ	198
19.	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	199
20.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	200

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	1731
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1729, 1738, 1770, 1789, 1823,
3.	अहीर, श्री हंसराज गं०	1704, 1737, 1785
4.	अंसारी, श्री फुरकान	1724, 1778, 1814
5.	आठवले, श्री रामदास	1749, 1798
6.	'बाबा', श्री के०सी० सिंह	1752
7.	बर्मन, श्री हितेन	1714
8.	बखला, श्री जोवाकिम	1708, 1771, 1821
9.	भक्त, श्री मनोरंजन	1719, 1804
10.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1705
11.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1711
12.	बोस, श्री सुब्रत	1712
13.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1748, 1797
14.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1742
15.	देवरा, श्री मिलिन्द	1725
16.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1741
17.	धनराजू, डा० के०	1758
18.	गढ़वी, श्री पी०एस०	1750
19.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1762
20.	जगन्नाथ, डा० एम०	1788
21.	झा, श्री रघुनाथ	1775

1	2	3
22.	जिन्दल, श्री नवीन	1702, 1805
23.	जोगी, श्री अजीत	1798
24.	जोशी, श्री प्रहलाद	1739
25.	करूणाकरन, श्री पी०	1817
26.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1754, 1800
27.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1733, 1783, 1815
28.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1723
29.	खारवेनथन, श्री एस०के०	1730, 1761, 1787, 1810, 1822
30.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1716, 1777, 1785
31.	कोया, डा० पी०पी०	1757
32.	कृष्ण, श्री विजय	1811
33.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1769
34.	कुप्पुसामी, श्री सी०	1728, 1790
35.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1736
36.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	1763
37.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1721
38.	महरिया, श्री सुभाष	1760
39.	महतो, श्री नरहरि	1707, 1802, 1822
40.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1710
41.	महताब, श्री भर्तुहरि	1764
42.	मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार	1706
43.	माने, श्रीमती निवेदिता	1762, 1785
44.	मनोज, डा० के०एस०	1766, 1807, 1831
45.	मसूद, श्री रशीद	1731, 1829
46.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1823
47.	मेघवाल, श्री कैलाश	1786, 1806, 1832
48.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1758
49.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	1740, 1791
50.	मो० ताहिर, श्री	1735, 1768, 1808, 1809
51.	मंडल, श्री अबु अयीश	1737, 1784, 1785, 1819, 1825
52.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1782
53.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1744
54.	नन्दी, श्री अमिताभ	1730
55.	नायक, श्री अनन्त	1830
56.	ओराम, श्री जुएल	1754, 1762
57.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1785, 1787
58.	पल्लानी शामी, श्री के०सी०	1715, 1774, 1805
59.	पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण	1706, 1785
60.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1722, 1785
61.	पटेल, श्री जीवाभाई ए०	1748, 1751
62.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	1738, 1789, 1823
63.	पाठक, श्री ब्रजेश	1730, 1735, 1768, 1809
64.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1772, 1812
65.	पटेल, श्री शिशुपाल एन०	1730, 1735, 1768, 1809
66.	पिंगले, श्री देविदास	1730, 1768, 1809
67.	पोन्नुस्वामी, श्री ई०	1786
68.	राजगोपाल, श्री एल०	1790
69.	रामदास, प्रो० एम०	1756
70.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1747
71.	राणा, श्री काशीराम	1797
72.	राव, श्री के०एस०	1755, 1801
73.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1781, 1785

1	2	3
74.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1767
75.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	1731
76.	रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन	1785
77.	रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु	1703
78.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1770
79.	सज्जन कुमार, श्री	1718
80.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1717, 1776, 1813, 1824, 1826
81.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1746, 1795
82.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1785
83.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1729, 1770, 1789, 1816
84.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	1730, 1735, 1768, 1808, 1809
85.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	1709, 1773
86.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1751
87.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1785
88.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1827
89.	सिंह, चौधरी लाल	1803
90.	सिंह, श्री दुष्यंत	1734, 1803
91.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1762, 1785
92.	सिंह, श्री मोहन	1785
93.	सिंह, श्री रेवती रमन	1785
94.	सिंह, श्री सुग्रीव	1738, 1789, 1816, 1823
95.	सिंह, श्री उदय	1739
96.	सुब्बारायण, श्री के०	1796
97.	सुगावनम, श्री ई०जी०	1727, 1780
98.	सुजाता, श्रीमती सी०एस०	1732
99.	सुमन, श्री रामजीलाल	1736
100.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1720, 1792, 1817
101.	थामस, श्री पी०सी०	1743, 1793, 1818
102.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1706, 1785
103.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1753, 1799
104.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1745, 1828
105.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम०पी०	1726, 1779
106.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1732
107.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1729, 1785, 1796, 1820, 1823
108.	यादव, श्री एम० अंजनकुमार	1713
109.	यादव, श्री बालेश्वर	1706, 1785, 1794
110.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1768, 1809
111.	यादव, श्री मित्रसेन	1759
112.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1765

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि : 186, 188, 194, 197, 198

रसायन और उर्वरक : 184, 189, 190, 192

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण : 181, 187, 191

पर्यावरण और वन : 193

सूचना और प्रसारण : 182, 199

श्रम और रोजगार : 183

संसदीय कार्य :

इस्पात : 195

जल संसाधन : 185, 196, 200

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि : 1703, 1704, 1712, 1713, 1717, 1720, 1723, 1725, 1728, 1730, 1732, 1734, 1735, 1736, 1738, 1739, 1747, 1751, 1757, 1758, 1760, 1761, 1763, 1766, 1767, 1768, 1771, 1777, 1778, 1782, 1784, 1787, 1789, 1790, 1795, 1796, 1799, 1801, 1802, 1805, 1807, 1809, 1813, 1818, 1821, 1822, 1823, 1827, 1828, 1832

रसायन और उर्वरक : 1706, 1731, 1733, 1783, 1806, 1815

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण 1710, 1718, 1719, 1727, 1753, 1756, 1762, 1769, 1773, 1775, 1788, 1792, 1794, 1797, 1798, 1803, 1816, 1817

पर्यावरण और वन 1708, 1716, 1721, 1722, 1724, 1729, 1737, 1740, 1741, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748, 1749, 1752, 1754, 1755, 1765, 1772, 1779, 1781, 1786, 1791, 1793, 1804, 1808, 1810, 1811, 1812, 1814, 1825, 1830

सूचना और प्रसारण : 1711, 1726, 1776, 1785, 1826, 1829

श्रम और रोजगार : 1705, 1707, 1709, 1742, 1770, 1774, 1780, 1800, 1831

संसदीय कार्य :

इस्पात : 1715, 1750, 1759, 1764, 1819

जल संसाधन : 1702, 1714, 1820, 1824

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/26/11/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।